राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4]   नवम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 34वां दिवस   [संख्या : 17

बुधवार

27 मार्च, 1991

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

झालावाड़ जिले के मिडल स्कूलों में अध्यापकों की कमी

554. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन), श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) व श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में ऐसे कितने मिडल स्कूल हैं जहां अध्यापकों के अभाव में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है ?

(2) अध्यापकों के अभाव को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कब-कब क्या-क्या प्रयास किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री हरलालसिंह खर्रा) : (1) जी नहीं। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है।

(2) अध्यापकों के अभाव को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने नियुक्तियों हेतु जिला परिषदों को दिनांक 27.2.1988 को निर्देश दिये थे। कुछ जिला परिषदों से चयन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 7.3.1990 को चयन पर प्रतिबन्ध लगाया गया तथा चयन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए दिनांक 11.7.1990 को निर्देश जारी किये गये किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय 20.11.-1990 को 7.3.1990 से पूर्व बनी एवं जारी की गयी चयन सूचियों के आशार्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिये। चयन मेरिट से करने हेतु राज्य सरकार ने दिनांक 26.2.1991 को नयी चयन प्रक्रिया जारी कर दी है जिससे जिला परिषदें शीघ्र अध्यापकों की कमी को दूर करेंगी।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक तो आपने जो नयी चयन प्रक्रिया बनायी है, वह कृपया बताने की कृपा करें। क्योंकि आपके जवाब में ही स्पष्ट होता है कि लगातार एक वर्ष से अध्यापकों की कमी रही है और जो नयी चयन प्रक्रिया बता रहे हैं उस चयन प्रक्रिया से ही करीब दो माह से जिला परिषदों के अन्दर अध्यापकों का चयन ही नहीं हो पा रहा है। दूसरा, झालावाड़ जिले में कितने विद्यालय ऐसे हैं और वहां कितने पद रिक्त हैं वह और बता दें ताकि उससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि वास्तव में हर विद्यालय में 40-

(2)

(श्री अनंग कुमार जैन)

50 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन दोनों सवालों का जवाब दें।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि काफी पद रिक्त हैं। मैंने निवेदन किया कि 11.7.1990 को जिला परिषदों को निर्देश जारी किये कि 15 दिन में एप्लीकेशन लेकर उनकी मेरिट बनाते जाओ और 5 दिन में मेरिट बनाकर रिजल्ट आउट कर दो। 11 7.1990 से लेकर 20.11.1990 तक 2-3 जिलों में ही चयन हुआ, बाकी जिलों में चयन नहीं हुआ। जब हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, उसके बाद भी कई जिलों में तो उन्होंने भर्ती कर ली और कई जिलों में अभी तक नहीं हुई। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश फिर 26.2.1991 को दिये गये हैं कि जितनी भी जगह हैं उनको तुरन्त भर लिया जाये। जो मेरिट लिस्ट बनायी है, वह निम्न प्रकार से है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 50 अंक तो रखे हैं, शैक्षणिक योग्यता के और बाकी अलग-अलग फिक्स स्टेट लेवल के खिलाड़ियों के अलग, नेशनल लेवल के खिलाड़ियों के अलग। इसमें पंचायत समितियों में राजकीय स्कूलों में जिनको अनुभव है सेवा करने का उनको भी अलग रखा है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं कापी पेश कर दूंगा। मेरा निवेदन यह है कि मैंने तो स्पष्ट कह दिया कि एक महीने के अन्दर-अन्दर जितनी भी पोस्टें जहां खाली हैं, वे भर दी जायं। हमारी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से न तो पहले कोई कमी थी और न अब कोई कमी है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है, जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने डग विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में ईसाई स्कूल में अध्यापकों का अभाव है। तरावन में है, बनिये में है, यह पूरा प्रमाण बता रहा है। प्रश्न में तो आप बता रहे हैं कि जी नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि गत सत्र में भी इस प्रकार का प्रश्न आया था और मंत्री महोदय ने यह बताया था कि चयन प्रक्रिया चालू है। अध्यक्ष महोदय, यह झालावाड़ जिले का ही प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ तो नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। क्या ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि उसकी समय सीमा है कि चयन प्रक्रिया पूरी करके कब तक इन रिक्त पदों को....

श्री अध्यक्ष : वह तो बता दिया इन्होंने।

श्री बालचन्द आर्यवीर : भर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने बता दिया है। समय सीमा है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अध्यक्ष जी, मैंने दिये नहीं हैं, मैंने यह कहा है कि इतनी कमी नहीं है कि....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप तो यह बताइये कि आपके निर्देशों को जिला परिषद नहीं माने तो आप क्या करेंगे ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : जिला परिषद नहीं माने तो सी ओ. के खिलाफ लेते हैं। सबसे मोटी समस्या यही आ रही है, वरना मैंने पहले शुरू में 15 दिन में स्पष्ट आदेश दिया था कि 5 दिन में लिस्ट तैयार करके, आउट करने के लिए उनको लिखा था। उसके बावजूद भी 2-3 जिलों में सिर्फ मेरिट लिस्ट निकाली, बाकी किसी जिले में कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकाली। फिर हाई कोर्ट से स्टे के बाद जो टाइम मिला, उसमें भी उन्होंने पुरानी लिस्टों को एक्जीक्यूट नहीं किया और नये इन्टरव्यू लेना शुरू कर दिया। उसमें भी वे भर्ती नहीं कर सके। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, तो अब राज्य सरकार.....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : फिलहाल भर्ती नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार क्या करेगी वे नहीं करेंगे तो ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : अब नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के सामने इस प्रकार की बातें आयी हैं, जिस प्रकार मंत्री जी ने यह कहा कि 8 वें महीने में आपने निर्देश जारी कर दिये, हाई कोर्ट के भी आदेश जिला परिषदों को दिये गये कि इनको भर्ती किया जाय, उसके बावजूद भी मेरिट लिस्ट नहीं बनाकर, उनके निहित स्वार्थ हैं, यह भी क्या आपके ध्यान में आया है कि पैसों के आधार पर भर्तियां की गई और मेरिट के आधार पर नहीं की गई ? जो आपने नार्म्स बनाये हैं उसके आधार पर नहीं की गई और लगातार हाई कोर्ट की भी और राज्य सरकार के आदेशों की भी वे अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने किसी प्रकार की सक्षम कार्यवाही नहीं की, उसके क्या कारण रहे ? अब क्या आप इस प्रकार की कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे ये रिक्त पद भरे जा सकें, और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो सके ?

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं माननीय मंत्रीजी से ...

श्री अध्यक्ष : मैं सबको बुला लूंगा, सबको बुला लूंगा। आप बिराजिये। एक एक को बुलाऊंगा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : मंत्री जी से जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कमी का यह कारण है कि चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिला परिषदों में और राज्य सरकार में विवाद है ? सरकार ने जो अभी अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया तय की, क्या उसको जिला परिषद नहीं मान रही है, इसलिए अध्यापक नहीं लग रहे हैं ? क्या जिला परिषदें अपने लेवल पर इन्टरव्यू लेकर अध्यापकों का चयन करना चाहती है ? उस

(श्री परसादीलाल मीणा)

स्थिति में सरकार क्या करना चाहती है ? अगर आपके पास सारी लिस्टें आ गई....

श्री अध्यक्ष : अब आ गया, आपका सवाल।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरिट लिस्ट आपकी बनी बनाई तैयार है, क्या राज्य सरकार उसको आदेश देगी ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा सत्र समाप्त होने को है, केवल झालावाड़ जिले का ही प्रश्न नहीं है, यह पूरे राजस्थान का है। खास तौर से मिडल स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और बार-बार इस प्रकार से चयन प्रक्रिया नहीं हो पा रही है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, सवाल क्या है। ये बातें तो सब बाद में, सवाल पढ़िये न।

श्री हीरालाल आर्य : तुरन्त भरने के राज्य सरकार ने आदेश दे दिये, एक महीना हो गया....

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री मदनलाल सैनी।

श्री हीरालाल आर्य : अभी तक भी....

श्री अध्यक्ष : हो गया।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : यही प्रश्न रिपीट करना है क्या ? आप बोलिये। नया प्रश्न है, कोई नया है ?

श्री मदनलाल सैनी : हां जी।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये। बताइये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढा) : जब-जब भी राज्य सरकार ने निर्देश दिये कि अध्यापकों के बारे में यह निर्णय लेना है, पहले भी हुआ था, उसके कारण से आदेश निरस्त करने पड़े थे, मान्यवर....

श्री अध्यक्ष : नया सवाल क्या है आपका ?

श्री मदनलाल सैनी : आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन जिला परिषदों के अध्यक्षों ने या प्रशासन ने वहां पर इस प्रकार की अनियमितताएं कीं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही....

श्री अध्यक्ष : बस, वही सवाल पूछ रहे हैं। आप बैठिये। हो गया आपका। श्री रतनाराम। नया है कोई ?

श्री रतनाराम चौधरी : हां जी।

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री रतनाराम चौधरी : नया सवाल है।

श्री अध्यक्ष : क्या है, फरमाइये ?

श्री रतनाराम चौधरी : हमारे वहां जो है....

श्री अध्यक्ष : हमारे वहां नहीं, झालावाड़ का सवाल है।

श्री रतनाराम चौधरी : पहले जो मेरिट लिस्ट बनी थी....

(5)

श्री अध्यक्ष : यह झालावाड़ का सवाल है।

श्री रतनाराम चौधरी : यह सब नहीं....

श्री अध्यक्ष : सबका नहीं; झालावाड़ का सवाल है।

श्री रतनाराम चौधरी : अभी जो एक इन्टरव्यू द्वारा 50-60 आदमियों का चयन किया गया और जिला कलक्टरों और प्रमुखों का बड़ा भारी....

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गया, सवाल क्या है आपका ? (व्यवधान)।

श्री रतनाराम चौधरी : वही लिस्ट मानोगे या चयन समिति ने जो चयन किये हैं वह मानोगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यही सवाल है आपका। डा. जितेन्द्र, यही सवाल है ?

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों में शिक्षकों के पद जो नियुक्ति के घोषित किये हैं उनमें कला और शारीरिक शिक्षकों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, स्पष्ट निर्देश नहीं दिये गये हैं। इससे उनमें बड़ी होलडोल चल रही है। सरकार स्पष्ट कर दे कि इतने पदों में से ये लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सलेक्शन के लिए डी. ई. सी. बैठती है। डी. ई. सी. में कौन-कौन अधिकारी बैठ सकते हैं ? क्या यह भी सही है कि कलक्टर के स्थान पर, उप खण्ड अधिकारी, जिला प्रमुख के स्थान पर उप जिला प्रमुख बैठ सकते हैं ? ऐसे सलेक्शन जो नागौर में हुए हैं वैध हैं ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्षजी, चयन प्रक्रिया राज्य सरकार ने लक्ष्य की मेरिट बेसिस पर। यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि जिला परिषदों ने उसको मानने में सहयोग नहीं दिया। अब जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जांच करायी जा रही है। यदि वे दोषी पाये गये तो सी. ई. ओ....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, आप जब तक जांच करायेंगे तब तक तो विद्यार्थी नहीं पढ़ पायेंगे।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : नहीं, साहब।

श्री अध्यक्ष : तो आप जल्दी एक्शन लीजिए जो भी लेना है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षाएं सिर पर हैं, उनका भविष्य अन्धकार में है।

श्री अध्यक्ष : जब मैं कह रहा हूं फिर आप क्या ज्यादा कह रहे हैं मेरे से ? बैठिये आप।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : मेरा निवेदन है कि प्रमुखों के खिलाफ एक्ट के मुताबिक राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले सकती। प्रमुख है उसमें, चेयरमैन, सी. ई. ओ. है उसका मैम्बर, एक, सीनियर शिक्षा अधिकारी है उसका मैम्बर, एक कलक्टर का प्रतिनिधि होता है उसका मैम्बर। ये चार

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

मैम्बर होते हैं। कलक्टर किसी को भी भेज सकता है, ए. डी. एम. को, एस. डी. ओ. को, किसी को भी। जो अधिकारी हैं....

श्री मदनलाल सैनी : नहीं मानते तो उनको भंग कर दो।

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, क्या कर रहे हैं आप ? जवाब दे रहे हैं मन्त्री जी।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : पहले भी सस्पैण्ड किये थे और अब भी दो-तीन अधिकारियों की सस्पैण्ड की कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार तो यही कर सकती है। कानून में डी. ई. सी. ही चयन करती है। अब अधिकार राज्य सरकार ने यह जरूर लिया है कि नीति राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है। नीति तय करके हमने भेज दी। जो अधिकारी डिले करेंगे, एक महीने में कम्पलीट लिस्ट नहीं निकालेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री घासीलाल, श्री बुलाकीदास कल्ला (व्यवधान)। बिराजिये आप।

मुख्य मन्त्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, इस चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि चयन की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। इस समय हम समस्या का समाधान कर लेंगे लेकिन भविष्य में इस प्रकार की समस्या बनी रहेगी। इस सदन को जानकारी है कि आज से कुछ वर्षों पहले इस प्रकार की नियुक्तियों के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर सलेक्शन गलत हुआ या सलेक्शन में किसी प्रकार का पक्षपात हुआ है। हालांकि इस प्रकार की घटनाए हुईं लेकिन व्यापक रूप से नहीं हुईं। उस समय केवल एक ही समस्या थी कि सलेक्शन में देरी होती है। राज्य सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि इस प्रकार के सलेक्शन को केन्द्रित करने के लिए व्यवस्था कर दी जाय। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लेकर जानकारी दे देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : प्रश्न संख्या 555।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्लीयर तो हुआ नहीं, समस्या का हल तो निकला नहीं। आप कोई रास्ता निकालिये जिससे आइन्दा पंचायत समिति इसके अन्दर....

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार रास्ता निकाल रही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : कैसे निकलेगी ? कोई रास्ता तो निकालिये, हजारों पद रिक्त पड़े हैं पंचायत समितियों के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : कैसे निकालेगी यह तो आप उनसे पूछ लेना बाद में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज की नहीं कह रहा। आज की समस्या का तो समाधान इस व्यवस्था से हो रहा है। लेकिन इस व्यवस्था में भी मैं आपको बता देऊं....

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, नेता महोदय, बात यह है कि पंचायत समितियों

(श्री रामसिंह विश्नोई)

के अन्दर जहां पद रिक्त पड़े हैं वहां आप पंचायत समितियों को डायरेक्शन दे सकते हैं उनको लेने के लिए। जिला परिषदों में जो मिडल स्कूल हैं उनको आप डायरेक्शन दे सकते हैं। समस्या का समाधान यूं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता देऊं कि यह समस्या इस कारण क्रिएट हुई कि सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला गया। तारीख मुझे याद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पहले जो हमने पंचायतों को पंचायत समितियों को अधिकार दिये थे कि पांच-पांच सौ, चार-चार सौ रुपये में अध्यापकों की नियुक्ति कर लें, उस क्वेश्चन पर सुप्रीम कोर्ट की यह मान्यता है कि यह सोसायटी के साथ अन्याय होगा कि अनट्रेण्ड टीचर्स इस प्रकार नियुक्त कर लें। अब ये दो प्रश्न आ गये। एक तो कि क्या अनट्रेण्ड टीचर्स को नियुक्त किया जाय। दूसरा, ट्रेण्ड टीचर्स को नियुक्त किया जाय। जिला परिषदों और पंचायतों में ट्रेण्ड और अनट्रेण्ड का क्वेश्चन नहीं रहता। यह बहुत गम्भीर समस्या हो गयी है। मैं मानता हूं कि अध्यापकों की कमी है इस कमी की पूर्ति नहीं हो रही है। लेकिन यह मामला रिट्स में चला गया। पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती देते हुए लोगों ने रिट्स की हैं। इस सारे का मैंने अध्ययन भी किया है। मैं समझता हूं कि इसका परमानेन्ट सोल्यूशन एक ही है कि इस सारी व्यवस्था को केन्द्रित कर दिया जाय। कमी है, मैं मानता हूं। उस कमी को हम पूरा जल्दी जिस प्रकार से कर सकते हैं, करेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल है। नेता महोदय, मुझे यह शंका है कि राजस्थान के बाहर यू. पी. वगैरह के अध्यापक बी. एड., एम. एड., एस. टी. सी. वगैरह में बहुत ज्यादा नम्बर लेकर आते हैं जब कि वे अपने यहां के अध्यापकों की बनिस्बत बहुत कमजोर हैं, इस योग्य भी नहीं हैं। आप अगर उनकी परीक्षा लेंगे तो समस्या का एक समाधान हो सकता है। वापस परीक्षा लेंगे तो वाकई जो होशियार हैं, जो ट्रेण्ड हैं वही आ सकेंगे। आप इसका कोई रास्ता निकालिये ताकि समस्या का समाधान हो सके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

बीकानेर शहर की जल आपूर्ति योजना

555. श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) व श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर शहर में कुल कितने कुएं हैं? उनमें से गत एक वर्ष में कितने कुएं सूख गये? शेष बचे हुए कुओं को सूखने से बचाने के सरकार क्या उपाय कर रही है?

(2) विश्व बैंक की सहायता से बीकानेर शहर की जल आपूर्ति योजना कब बनायी गयी थी? उसमें से कितनी मात्रा में पानी कुओं से एवं कितनी मात्रा में पानी इन्दिरा गांधी नहर से उपलब्ध कराया जा रहा है?

(3) बीछवाल के पास बनने वाले जलाशय की स्वीकृति कब की गयी थी? उस पर कितनी राशि व्यय हुई? जलाशय के नहीं बनने के क्या कारण रहे?

(8)

(श्री घासीलाल)

(4) बीछवाल जलाशय के निर्माण के सम्बन्ध में दुबारा योजना के प्राक्कलन कब बनाये गये ? क्या तकनीकी सदस्य ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी ? यह योजना तकनीकी सदस्य को स्वीकृति हेतु कब भेजी गई ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) बीकानेर शहर जल प्रदाय व्यवस्था के अधीन 22 बोरिंग युक्त कुएं व 38 नलकूप हैं। उपरोक्त बोरिंगयुक्त कुओं व नलकूपों में जल स्तर के नीचे जाने के कारण कोई कुआं नहीं सूखा है।

(2) सन्दर्भित योजना वर्ष 1980–81 में स्वीकृत की गई थी, जो 1984-85 में संशोधित कर दी गई। मूल योजना के अनुसार 625 लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन इन्दिरा गांधी नहर से एवं 93 लाख लीटर प्रतिदिन कुओं व नलकूपों से उपलब्ध कराया जाना था। संशोधित योजना के अनुसार अनुपात में वर्तमान में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) वर्ष 1980–81 में स्वीकृत योजना में ही बीछवाल के निकट जलाशय का प्रावधान था। इस पर अब तक लगभग 23.76 लाख रुपये व्यय हुए हैं। जलाशय का पूर्ण निर्माण तकनीकी उपकरणों से नहीं हो सका है।

(4) बीछवाल जलाशय के निर्माण के सम्बन्ध में दुबारा योजना का प्राक्कलन अगस्त, 1989 में बनाया गया था। इस प्राक्कलन को अक्टूबर, 1989 में तकनीकी सदस्य को भेजा गया। इसकी तकनीकी स्वीकृति राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल द्वारा की जानी है जो विचाराधीन है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड दो में उत्तर दिया गया है कि संशोधित योजना के अनुसार अनुपात में। किस अनुपात में दिया जा रहा है ? जब विश्व बैंक के साथ यह योजना बनी थी तो 80 प्रतिशत पानी इन्दिरा गांधी नहर से और 20 प्रतिशत पानी कुओं से दिया जाना था। आज इसके बिलकुल विपरीत हो रहा है, 20 प्रतिशत पानी नहर से दिया जा रहा है और 80 प्रतिशत पानी कुओं से दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो 60 कुएं इन्होंने बताये उनमें से 15 कुएं तो निश्चित रूप से सूख गये हैं। सर्दी के दिनों में भी 5–5, 7–7 दिनों तक बीकानेर शहर में पानी नहीं आया है। जिला लेवल पर जो मीटिंग्स होती है उस समय आपातकालीन बैठकों में वहां अधिकारियों ने यह बताया....

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछिये आप। भाषण दे रहे हैं। सवाल पूछिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सवाल ही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं है, डायरेक्ट सवाल कीजिये। यह सवाल है आपका ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या यह सही है कि इस होल्डिंग टैंक को बनाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

था ? उस हाई पावर कमेटी के मैम्बर कौन-कौन थे ? क्या यह भी सही है कि उस हाई पावर टेक्निकल कमेटी के वर्तमान टेक्निकल मैम्बर भी एक मैम्बर थे ? जब उस टेक्निकल कमेटी ने इसको एप्रूव कर दिया तो क्या कारण है कि इसके टेक्निकल मैम्बर के पास आज भी यह योजना काफी लम्बे समय से विचाराधीन पड़ी है ? इसके साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि आप इसकी तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति कब तक करने जा रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मसाला 1980 से पैण्डिग है, आज के दस सवाल पहले से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 10 सवाल हो गये ?

श्री भंवरलाल शर्मा : 11 ही समझिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो लिटिगेशन में चला गया, उसका क्या।

श्री भंवरलाल शर्मा : कहां चला गया छोड़िये, पर 1980 से पैण्डिग है। 1980 में इस योजना पर आपको जो पैसा खर्च करना था वह था एक करोड़ 6 लाख, आपने दिया केवल 36 लाख, एक करोड़ में से 36 लाख दिया था। फिर 1981-82 में 213 लाख रुपये इसमें खर्च करने थे, आपने दिए 108 लाख। इस प्रकार से कुल 9 करोड़ 59 लाख रुपये आपको देने थे और आपने कुल दिया 4 लाख रुपए, फिर यह तो आपने दिया 1985 तक, फिर 1985 तक, फिर 1985 के बाद आपने इस पर कुल रुपये दिये 1985-86 में 25 लाख, 1986-87 में 34 लाख, 1987-88 में 59 लाख, 1988-89 में 15 लाख और 1989 90 में दिया 14 लाख। इस प्रकार से यह काम पूरा नहीं होने से 10 साल में इसकी कीमत, जो काम 25.91 लाख रुपये में पूरा होना था, उसमें हो गया 3 करोड़ 6 लाख रुपये, कितनी इसकी प्राइस बढ़ गई। इसके बीच में आपने जिस ठेकेदार से काम करवाया वह ठेकेदार कुछ काम करके बीच में चला गया। उसके अलावा कोई कार्यवाही नहीं हुई और जब यह काम अधूरा रह गया तो विभाग के समझ में आई कि मिट्टी खोदी गई है वह मिट्टी ऐसी है जिसमें पानी सीपेज होगा। इसलिये दुबारा इस पर जांच की गई और दुबारा यह तय किया गया, 1984-85 में इसकी योजना बदली और उसी के अनुरूप यह जो जलाशय है, क्योंकि पैसा मिलता नहीं था, पैसा कम था यह जो कटौती की गई इस कारण पूरी नहीं हुई। अब यह राज्य सरकार के सामने आने वाला है। अब जो इसमें मूल प्रश्न है वह 3 करोड़ रुपये खर्च करने का है। मैं समझता हूं कि अगले वर्ष में हम कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं यह विचार करके कार्यवाही की जा सकती है। इस समय तो यही मैं कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : मेरा एक सुझाव है कि इन्होंने जो गलती की है उसके कारण से बीकानेर की जनता क्यों कष्ट सहे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमन्त्रीजी कुछ कृपा करके बीकानेर की जनता को राहत देवें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस नहर से पानी नहीं मिला, कल्लाजी, आपको स्वयं को मालूम है कि मैं पिछले साल अप्रेल में बीकानेर गया था और सिंचाई विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से आपके साथ मेरी बात हुई थी। उसका परिणाम यह है कि मेरी बातचीत के पहले केवल 46 लाख लीटर पानी मिलता था मेरे जाने के बाद में मिला आपको मई में 177, जून में 193, जुलाई में 220, अगस्त में 205, सितम्बर में 227, अक्टूबर में 191, नवम्बर में 197 और दिसम्बर में जब ठण्ड पड़ती है, पानी की कम जरूरत पड़ती है तब मिला 183 जनवरी में 158 और फरवरी में 186 लाख लीटर इस प्रकार से 46 लाख लीटर से ज्यादा पानी नहर से मिल रहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और आज तक इतना नहीं मिला होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज तक कभी इतना नहीं मिला। इसलिये आपने जो फरमाया कि बीकानेर की जनता को तकलीफ नहीं हो इसलिये तो यह व्यवस्था की हुई है और आगे जिस योजना की बात कर रहे हैं उसमें 3 करोड़ रुपये खर्च की बात है। मैं समझता हूं कि इस पर विचार करेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि आपने स्वयं ने मेरा प्रश्न सुना है उसका आपने गोलमाल जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये क्या है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने हाई पावर कमेटी की बात का प्रश्न किया उसके बारे में यह कुछ नहीं बोले, टेक्निकल कमेटी के मैम्बर थे वह उसके मैम्बर थे या नहीं उसका जवाब नहीं दिया। केवल मात्र जो मामला लिटिगेशन में चला गया....

श्री अध्यक्ष : हां, वही सवाल है आपका ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है....

श्री अध्यक्ष : वही है ना आपका ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, मेरा दूसरा सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : वह सवाल पूछिये ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि यह मामला लिटिगेशन के कारण देरी से हुआ और अब जब लिटिगेशन वगैरह समाप्त हो गया हैं तो आपने उस ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? दूसरा, प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि बीछवाल जलाशय तक इन्दिरा गांधी नहर का पानी पहुंचाने के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की राशि का बिजली का बिल चुकाना पड़ता है और यह भी सही है कि नहर एक वर्ष में लगभग 6 महीने तक बन्द रहती है बाराबन्दी के कारण से और जिसके कारण से समय-समय पर बीकानेर में पानी नहीं उपलब्ध होता है जिसके लिये होल्डिंग टैंक का बनाया जाना अति आवश्यक है। तीसरा, प्रश्न मेरा यह है कि जब कुए सूख गये हैं और नहर का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पानी 6 महीने तक मिलेगा नहीं तो सरकार के पास बीकानेर शहर के लिए पानी की क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें । माननीय मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय कल्ला जी, कोई कुएं नहीं सूखे हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 15 कुएं सूखे हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह डिसीजन यहां नहीं होगा । आपने अपनी बात कह दी, जनता को पता है कि वहां सूखे या नहीं सूखे हैं, वह निर्णय करेगी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सूखे हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : Let the people decide it. यह यहां डिसाइड नहीं होगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपको अगर आप चाहें जितने लीटर पानी जिन कुओं से मिल रहा है वह बता सकता हूं । इस समय 393 लाख लीटर पानी कुओं से मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं वह टेक्निकल कमेटी का पूछ रहे हैं वह बता दीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो यह कभी भी कम नहीं हुआ । हाई पावर कमेटी बनी थी और बनने के बाद उसने अपने प्रस्ताव दिये हैं, संशोधित योजना उसने भेजी है । वह जैसा मैंने आपको प्रश्न के खण्ड 4 में उत्तर दिया है कि बीछवाल जलाशय के निर्माण के सम्बन्ध में दुबारा योजना का प्राक्कलन अगस्त, 1989 में बनाया गया था । इस प्राक्कलन को अक्टूबर, 1989 में तकनीकी सदस्य को भेजा गया । इसकी तकनीकी स्वीकृति राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल द्वारा की जानी है जो विचाराधीन है । यह यहां से निकल कर आ गई तो सरकार के पास आ जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान । पहले डा. चन्द्रभानजी । बहुत देर से पूछ रहे हैं । ... वह आपने पहले नहीं किया । मुझे पहले उन्होंने किया था मुझे ध्यान है । ... मुझे सब ध्यान है ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बीकानेर शहर के पानी का सवाल है और अब मौसम भी बदल रहा है यह संकट और ज्यादा गहरायेगा । मैं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वित्तीय कारणों से कोई विकास के कार्य या निर्माण के कार्य रुकें लेकिन तकनीकी कारणों से बीछावल जलाशय का काम रुका हुआ है और आप कह रहे हैं कि अगस्त, 1989 से और अब तो मार्च, 1991 चल रहा है ।

दूसरा, विश्व बैंक की सहायता की जितनी भी योजनाएं हैं वह केवल कागजों पर ही हैं और आज जितनी योजनाओं की चर्चा यहां भी करते हैं चाहे बीकानेर की हो, चाहे चूरू की हो, चाहे मण्डावा की हो चाहे झुन्झुनू की हो यह व्यवहार में कभी आयेगी या नहीं आयेंगी या कहना चाहिए केवल आश्वासन देने के लिये ही है । तो बीकानेर शहर के लिए ...

(12)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ना।

डा. चन्द्रभान : प्रश्न यह है कि कुएं सूखे हैं या कुओं का पानी गहरा नीचे चला गया है, मोटरें उन कुओं में काम नहीं कर रही है यह वास्तविकता है इसलिये आवश्यकता है कि नहर से ज्यादा पानी आपको उपलब्ध करवाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ जी।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : प्रश्न यह है कि बीकानेर शहर में पीने के पानी की तो कमी है, 5 क्यूसेक्स पानी आई.जी.एन.पी. से सप्लाई होता है सप्लीमेंट के लिये उसकी रेगूलर या श्योर सप्लाई नहीं है और वह इसलिए नहीं है कि वहां न तो रिजर्वायर और बन्दी भी हो जाती है। इसलिये आप सही मेनटेन कीजिये कि पानी की बन्दी के बाद भी नहर के अन्दर पानी सड़ा रहता है इसमें इस तरह से चैनल लेवल लो करके रेगूलर पानी सप्लाई कर दिया जाय तो शहर के पानी की डेफिशियेन्सी नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह जी महुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बीछवाल जलाशय के लिये और उस पर नहर का पानी लाने के लिये 1982-83 और 1984 में आर.सी.सी. पाइप-3 प्रयोग में लिया गया था उस समय के अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा और उस समय जो वहां पर एडीशनल चीफ इंजीनियर थे उन्होंने शिकायत की थी कि तकनीकी दृष्टि से आर. सी सी.-3 पाइप अनुपयुक्त है और उसकी शिकायत की थी राजस्थान के चीफ इंजीनियर, जयपुर को, उनके बीच में लम्बा पत्र-व्यवहार हुआ था, क्या मंत्रीजी इस पूरे प्रकरण की जांच करवायेंगे? दूसरा, जो जांच प्रकरण की जांच....

श्री अध्यक्ष : वैसे नम्बर एक ही पूछने का अधिकार है आपको। आप 5 थोड़े ही पूछेंगे। एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप चाहें तो 5 प्रश्न पूछ सकता हूं। एक प्रश्न और पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न और पूछ रहे हैं। एक और पूछ लीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं दूसरा प्रश्न यह पूछ रहा हूं कि मंत्रीजी ऐसे अधिकारी को, जिसके खिलाफ उनके उच्चाधिकारी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और चीफ इजीनियर को शिकायत की और तकनीकी दृष्टि से उन पाइपों को अनुपयुक्त पाया उनको आपने ही आपके शासन काल में एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर क्रमोन्नत किया है नये आदेश से, क्या आप उस की जांच करेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री घासीलाल जी।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से सवाल पूछना चाहता हूं कि एक अहम सवाल है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में बताया कि 100 आदमियों के ऊपर एक हैण्ड पम्प लगाये जाने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यही सवाल है, यह आप का सवाल नहीं है। बैठिये आप।

श्री घासीलाल : मैं कोई जानकारी नहीं चाह रहा हूं......

श्री अध्यक्ष : आप अपनी धुन में हैं, मैं आपको, भाषण थोड़े ही देने दूंगा। सवाल पूछिये। बीछवाल, बीकानेर के बारे में, बिराजिये। बीकानेर के बारे में नहीं आपका। आप बीकानेर का पूछिये, यह आपका सवाल नहीं है। आप बैठिये। (व्यवधान) बीकानेर का पूछ रहे हैं? बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो सुझाव माननीय केदारनाथ जी ने दिए हैं इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे और यह सम्भव होगा तो इसको देखा जा सकता है। बाकी जांच का जहां तक सवाल है कोई बिन्दु ऐसा आयेगा तो जांच भी करा लेंगे। पर मेरे सामने प्रश्न यह था कि इस जलाशय का निर्माण हो और बीकानेर को पानी मिले, सवाल केवल इतना ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं, देख लेंगे इसको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बैठिये आप। देखिये आज आखिरी दिन है, मैं चाहता हूं अधिक से अधिक सवाल आयें। श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं अध्यक्ष महोदय, बीकानेर......

श्री अध्यक्ष : नोट मत करिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××)

श्री अध्यक्ष : मैं सवाल लेना चाहता हूं। आप कृपया बिराजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री अध्यक्ष : आप, प्लीज, सिट डाउन। मेहरबानी करके बिराजिये, मैं और सवाल लेना चाहता हूं। श्री सालिग राम, श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 मार्च, 1991)

जल संसाधन विकास निगम द्वारा सिंचाई हेतु ट्यूब वैल्स का निर्माण

286. श्री सालिग राम (बयाना) एवं श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या भू-जल, राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में जल संसाधन विकास निगम अपने स्थापना की तिथि से अब तक कितने ट्यूब वैल सिंचाई के लिए खोद चुका है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार किसानों को ट्यूब वैल खोदने के लिए इस निगम से क्या सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, भू-जल (श्री मानधाता सिंह) : (1) राजस्थान जल संसाधन विकास निगम ने अपने स्थापना वर्ष 1984 से जनवरी, 1991 तक की कुल अवधि में 1377

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मानधाता सिंह)

सिंचाई कुओं में बोरिंग कर उनकी नलकूप के अनुसार जल क्षमता बढ़ायी। इसके अतिरिक्त 116 नलकूप भू-जल सर्वेक्षण हेतु पेयजल हेतु व अन्य विभागों एवं संस्थाओं के लिए खोदे गए। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा कृषकों के समूह के लिए एक सामुदायिक नलकूप सिंचाई योजना चालू है। योजना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। मैं तीन सवाल स्पष्ट रूप से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। यह निगम जो बना है उसका मुख्य उद्देश्य लघु सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। मेरा एक निवेदन तो यह है कि आप यह निश्चित करें कि आप के सारे उपकरण, मशीन, स्टाफ केवल लघु सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में पूर्णतया काम में आयें न कि पी. एच. ई. डी. के लिए या हैण्ड पम्प खोदने के लिए या दूसरी संस्थाओं के लिए।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो सामुदायिक नलकूप योजना है, उस नलकूप योजना को आप पूरे राजस्थान में लागू करें। हो सकता है कि आपने जो 6 जिले चुने हैं उसमें आपके पास आवेदन नहीं आये। इसी सम्बन्ध में मेरा यह भी निवेदन है कि जो यह प्रक्रिया है कि पांच आदमी हों उसमें तीन कमजोर वर्ग के हों दो दूसरे हों, यह प्रक्रिया भी काफी कम्बर्सम है और इस वजह से भी जो वास्तव में नलकूप खोदना चाहते हैं उनको जो सहायता मिलनी चाहिए वह सहायता नहीं मिल पाती है। तो इसका सरलीकरण करके आप प्रत्येक काश्तकार को अगर वह नलकूप खोदना चाहता है, इस योजना के तहत अनुदान देने की व्यवस्था करें।

तीसरा मेरा सवाल है कि गुजरात में जो पैटर्न है वहां जो निगम है जो पानी दे रहे हैं स्वयं अपने कुएं खोदकर और पानी जो चार्ज करता है उस तरह की व्यवस्था अगर आप कर सकें तो यह निगम आपका चल पायेगा और किसानों को लाभ मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके सुझावों पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण है इसीलिए तो कहा कि विचार करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो कहा, एक और समस्या है इसके साथ सबसे बड़ी प्राब्लम क्या आ रही है इसके अन्दर, धौलपुर के अन्दर पथरीला इलाका बहुत है। अब ट्यूबवैल की बोरिंग किसान कराना चाहता है लेकिन वह कहता है पानी मिले नहीं तो उसका पूरा पैसा बरबाद जाता है। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका निगम ऐसी व्यवस्था करेगा जो काश्तकार पूरी खुदाई का और पाइप का रुपया आपको देने को तैयार है अगर उनको पानी की गारण्टी दी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जाय तब ही आप उनसे रुपया लेंगे अन्यथा रुपया नहीं लेंगे। ऐसी क्या कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं ? कृपया यह बता दें आप।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री फूलचन्द मीणा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जवाब तो आया ही नहीं।

जनजाति उपयोजना के तहत आदिवासियों के लिए शैक्षणिक प्रबन्ध

556. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आदिवासी बाहुल्य संभाग, उदयपुर में कितने प्रतिशत आदिवासी शिक्षित हैं।

(2) सरकार का जनजाति उप योजना के तहत वर्ष 1991-92 में कितने विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने का विचार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों से शिक्षकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर दी गई हैं ? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया ? उनके रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री चुन्नीलाल गरासिया) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : कब भेजा आपने शिक्षा विभाग को ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : 23 को।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी (अनुपस्थित)। मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

(तारांकित प्रश्न संख्या 556 स्थगित किया गया)

नैक्स्ट प्रो. केदार।

गंगानगर शहर में राजकीय चिकित्सालय भवन का निर्माण

557. श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगानगर शहर में राजकीय चिकित्सालय के नये भवन का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

(2) अब तक कितनी राशि इस भवन के निर्माण कार्य में खर्च हो चुकी है ?

(3) राज्य सरकार की ओर से कितनी राशि निर्माण कार्य में सहायता के रूप में दी गई ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) गंगानगर शहर में राजकीय चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य 15.8.87 को जन सहयोग से शुरू किया गया। जन सहयोग से अतिरिक्त धन राशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(2) अब तक लगभग एक करोड़ 48 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

(3) राज्य सरकार की ओर से कोई राशि नहीं दी गई।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, गत वर्ष आपने अपनी डिमाण्ड के वक्त यह भाषण दिया कि जितना पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन होगा उससे आधा हम देंगे सरकार की ओर से और मैं राजस्थान से जो बाहर हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वह इस फण्ड में अपना कान्ट्रीब्यूशन करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी भी यही कहते रहे कि जितना पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन होगा उससे आधा हम देंगे। तब आपने कहा चलो अपना काम अपना गांव में वन थर्ड देंगे तो कुछ तो दीजिए। हमने 1 करोड़ 48 लाख रुपये दे दिए बार्डर का डिस्ट्रिक्ट है और आसपास के मरीजों की संख्या बहुत है। पंजाब से लोग आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं। तब आपने कहा जन सहयोग और हो जायेगा तो फिर अपने आप इसका कान्ट्रीब्यूशन पूरा हो जायेगा। फिर क्या फायदा सवाल पूछने का मतलब यह है कि आप पब्लिक कान्ट्रीब्यूशन को मदद देने के लिए, उनका और ज्यादा सहयोग बढ़े, लोग और ज्यादा इन्सपायर हों, सरकार की ओर से आप क्या कर रहे हैं?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस भवन निर्माण की स्थिति क्या और कैसे और किन शर्तों पर हुई है वह सदन के सामने रखना चाहता हूं। श्री गंगानगर की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते औद्योगीकरण को बढ़ते देखकर 1970 के दशक में जन प्रतिनिधियों द्वारा यह महसूस किया गया कि चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु वर्तमान जिला अस्पताल को 200 शैयाओं से बढ़ाकर 300 शैयाओं का बनाया जाए। इसके लिए शहर में उपलब्ध भवन का विस्तार भवन नहीं हो सकता। अतः अन्य स्थान पर एक बड़ा 300 शैयाओं का अस्पताल निर्माण कराया जाए। इस सन्दर्भ में 8-8-76 को तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री जी श्री चन्दनमल जी बैद की अध्यक्षता में जिला परिषद की एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिलाधीश गंगानगर, क्षेत्रीय विधायक की अन्य गणमान्य व्यक्तियों की कमेटी का गठन किया गया जो नये चिकित्सालय के भवन के निर्माण के लिए स्थान का चयन करें एवं उसके निर्माण हेतु धनराशि एकत्रित करें। उसकी अनुपालना में 18-4-74 को जिला चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट का गठन किया गया जिसमें निम्न सदस्य मनोनीत किये गये, जिलाधीश गंगानगर, लोकसभा सदस्य गंगानगर, गंगानगर क्षेत्र के विधान सभा सदस्य, अधिशाषी अभियन्ता पी. डब्ल्यू. डी. अध्यक्ष व्यापार मण्डल श्री गंगानगर, अध्यक्ष बार एसोसियेशन गंगानगर। इस ट्रस्ट का पंजीकरण 20-11-77 को किया गया। इस अस्पताल के निर्माण के लिए गंगानगर में सूरतगढ़ मार्ग पर वर्तमान अस्पताल के लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर एक उपयुक्त स्थान का चयन किया गया जिससे जनता के सहयोग से चन्दा इकट्ठा कर तीस-एकड़ जमीन पांच लाख तेइस हजार रुपये से खरीदी गई। राज्य सरकार ने अपने पत्र

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दिनांक 10 अप्रेल, 78 को, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं जब जनता पार्टी की सरकार आयी उन 200 शैयाओं को बढ़ाकर 300 शैयाएं कर दिया गया। स्थिति यह थी। निर्णय हुआ था उस सारी कमेटी में कि 2 सौ से 3 सौ शैयाएं करने का और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार का होगा। भवन निर्माण का और इकट्ठा कर रहे हैं, जनता ही केवल मात्र करेगी। अध्यक्ष महोदय, नए अस्पताल भवन निर्माण के लिए तत्कालीन राज्य मन्त्री श्री हीरालाल जी इन्दौरा के द्वारा 15-8-87 को शुरू किया 1970 से चला 87 में। बाद में धनराशि के अभाव में यह कार्य शुरू नहीं हो सका। श्री एम. डी. कोरानी तत्कालीन जिलाधीश के समय में स्वेच्छा से जिले में बिकने वाले डीजल के ऊपर पांच पैसा प्रति लीटर के हिसाब से दाम एकत्रित किए गए इसको जिला विकास खण्ड का नाम दिया गया। यह भी रेवेन्यू उस पर लायी गयी। यह फण्ड एम. डी. कोरानी तत्कालीन जिलाधीश द्वारा स्थापित किया गया। श्री प्रह्लादराय जी जिलाधीश के आने के बाद में बन्द कर दिया गया। इस प्रकार इसमें जितनी धनराशि एकत्रित हुई धनराशि जिला अस्पताल को दे दी गयी और निर्माण कार्य ब्रिज कारपोरेशन ने प्रारम्भ कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद नए जिलाधीश श्री रामलुभाय वहां पहुंच गए। गणमान्य व्यक्तियों की बैठक हुई, निर्णय लिया कि यह कार्य निर्माण समिति द्वारा कराया जाए। क्योंकि ब्रिज कारपोरेशन जयपुर को 15 प्रतिशत अतिरिक्त देना पड़ता है। क्योंकि 5 करोड़ रुपये इकट्ठे करने की योजना वहां के जन-सहयोग से उस कमेटी ने बनाने का तय किया था उसके हिसाब से 75 लाख की बचत निर्माण करने के कारण ब्रिज कारपोरेशन से हो सकती है। जिलाधीश द्वारा दो समितियों का गठन किया गया एक वित्त समिति जो कि धनराशि एकत्रित करने का कार्य करती है। दूसरा निर्माण समिति जो निर्माण कार्य की देखरेख करती है। उसी के कारण 1 करोड़ 48 लाख इसमें इकट्ठा हुए उसके कारण, मैं इसलिए बताना चाहता हूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर क्या फायदा हुआ। हमने इकट्ठा किया अध्यक्ष जी, सब कुछ किया यह उसमें अंगुली घोलेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार बिश्नोई (सूरतगढ़) : सरकार की कुछ देने की मन्शा है कि नहीं एक तो चर्चा की है वह ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राज्य सरकार ने जिन बातों की चर्चा की है इसके बारे में गांवों में निर्माण करने के लिए, छोटे अस्पतालों के लिए जो धनराशि जन सहयोग से होगी उसका यहां से उतना बराबर दिया जा सकेगा। किन्तु कोई कमेटी बना कर 5 करोड़ रुपये इकट्ठे करने का विचार, मैं जानता हूं प्रोफेसर साहब वहां के विधायक है। मुझे भी डेढ़ वर्ष रहने का मौका मिला है गंगानगर में बड़ी पोटेन्शियलिटी है उसमें उस पोटेन्शियलिटी को एक्सप्लायट करना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आवश्यक है। मैं कहना चाहूंगा आप और प्रयास करें। मेरे से सहयोग निश्चित रूप से लें वहां लोग इकट्ठे करेंगे पांच करोड़ की धनराशि देना राज्य सरकार के बूते से बाहर है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल। नम्बर बोलिये आप। सवाल नहीं पूछ रहे हैं। नम्बर बोलिए।

आयुर्वेद औषधालयों में औषधियों का अभाव

558. **श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)** : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में आयुर्वेद विभाग को कितने रुपये की दवाइयां खरीदने हेतु राशि आवंटित की गई थी ? क्या उसका पूरा उपयोग हो गया ? यदि नहीं तो कितनी राशि लैप्स हुई ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में आयुर्वेद औषधालयों में औषधियों का अभाव रहता है ? यदि हां, तो बजट प्रावधान होते हुए भी दवाइयां नहीं खरीदने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री जोगेश्वर गर्ग) : (1) वर्ष 1990-91 में कच्ची औषधियों एवं घटक द्रव्यों के क्रय हेतु पूर्व में 55.35 लाख रुपये का बजट आवंटित हुआ था। फरवरी 1991 में संशोधन उपरान्त यह बजट बढ़ाकर 73.35 लाख रुपये कर दिया गया। संशोधित बजट प्रावधान के उपयोग की कार्यवाही की जा रही है क्रय आदेश दिये जा चुके हैं। अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ दिवस बाकी है और विभाग द्वारा सम्पूर्ण राशि के उपयोग के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) जी हां, कच्ची औषधियों व घटक द्रव्यों के क्रय में विभाग के सम्मुख मुख्य बाधा यह है कि भावों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण निविदा-दाताओं द्वारा उनके पक्ष में अनुमोदित घटक द्रव्यों की प्रदत्त करने हेतु अनुबन्ध नहीं किये जाते तथा अनुबन्ध के उपरान्त भी अनेक मामलों में घटक द्रव्य प्रदत्त नहीं किये जाते इसके अतिरिक्त बार-बार टेण्डर आमन्त्रित करने पर भी कतिपय वस्तुओं के लिए टेण्डर प्राप्त नहीं होते तथा बहुधा व्यापारियों द्वारा आदेशित माल पूरी मात्रा में, उत्तम किस्म का विभागीय नमूने के अनुसार तथा समय सप्लाई नहीं किया जाता।

निविदा दाताओं द्वारा औषध सप्लाई में बाधा डालने की नियत से न्यायालयों में विवाद उपस्थित कर स्थगन प्राप्त करने से भी इस प्रक्रिया में बाधा आती है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, मेरे जो प्रश्न के दो भाग थे और दोनों का ही जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने सिर्फ यह बताया कि 55 लाख पहले औषधियों पर लगाया था उसको फरवरी में 73 लाख कर दिया। मैंने यह पूछा था उसमें से कितना उपयोग हो गया, उसका जवाब नहीं दिया, गोल हो गया। कितना

(श्री हेतराम बेनीवाल)

उपयोग किया है, इन्होंने सिर्फ यह बताया है कि हम कोशिश कर रहे हैं उसको उपयोग कर लेंगे। एक तो यह पूछना चाहता हूं कि जितना आवंटित हुआ था 55 लाख क्या उसको खर्च करने के बाद 73 लाख दिया या 73 लाख में से एक पैसा ही खर्च नहीं किया और अभी इन्तजार कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो इन्होंने यह बताया है, मैंने पूछा था कि कितनी राशि उसमें से लैप्स हो गयी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। दूसरा पूछिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा सवाल यह है कि औषधियों का जो अभाव रहता है इन्होंने माना है पर औषधियां जो खरीदने के बारे में बजट में प्रावधान होते हुये इन्होंने जो जवाब दिया है वह यह दिया है कि हमने टेण्डर किये किसी ने नहीं लिए। कोई टेण्डर लेट हो गया, कोई पीछे हो गया, कोई आगे हो गया। यह कोई जवाब नहीं। यह स्पष्टीकरण करें कि वाकई औषधियों के खरीदने के सिलसिले में इन्होंने कहां से कार्यवाही की, किन-किन को टेण्डर किया और किन को एप्रोच किया। वह सारा जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, 73 लाख 25 हजार का जो बजट प्रावधान है उसके पूरे क्रय आदेश जारी हो चुके हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पूरा पूरा बजट उपयोग कर लिया जायेगा कुछ भी लैप्स नहीं होगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसमें से पहले कितना खरीद लिया ? पहले खरीदा ही नहीं है। मेरा आरोप है कि इन्होंने एक पैसे की दवाई नहीं खरीदी 73 लाख की अब खरीद लेंगे दो दिन में।

श्री जोगेश्वर गर्ग : इस वित्तीय वर्ष में सारा पैसा उपयोग हो जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : सबसे बड़ा स्केण्डल ही यही है।

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : जवाब कहां दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं दे रहे। देंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : क्रय आदेश जारी हो चुके हैं। 31 मार्च तक सारा बजट यूटिलाइज हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी का बड़ा लम्बा भाषण आया था कि....

श्री हेतराम बेनीवाल : कितने रुपये की दवाई खरीद ली 1990-91 में ? 10 रुपये की, 5 रुपये की कितने की खरीदी यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में यह निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि आपके आयुर्वेद.... (व्यवधान) आपके आयुर्वेद औषधालय हैं उसमें आपकी दवाइयां तो मिलती नहीं हैं और आपके जो वैद्य लोग हैं

20

(डा. चन्द्रभान)

यह आपकी दवाइयां प्रेसक्राइब भी नहीं करते। एलोपैथिक ही प्रेसक्राइब करते हैं। यह सब एलोपैथिक मेडिसन, जनता को इसकी सही जानकारी नहीं रहती है और प्राइवेट प्रेक्टिस को चलाने के लिए वहां पर जो दवाइयां मिलती है वह ज्यादातर एलोपैथिक मिलती है और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनको बाजार में बेच दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं। पहला तो आरोप यह है कि औषधालयों में दवाइयां नहीं है। दूसरा आरोप यह है कि बेच दी जाती हैं। जब दवाइयां नहीं है तो बेची क्या गयी ? इसका मतलब दवाइयां हैं।

डा. चन्द्रभान : मैंने कहा जो थोड़ी बहुत दवाइयां हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बोलने तो दीजिए उनको।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैंने पूछा। मेरा सवाल सुन लीजिए 73 लाख ...

श्री अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग : 73 लाख 35 हजार में से अब तक 63 लाख 17 हजार का क्रय हो चुका है। शेष के लिए हाई परचेज कमेटी दिल्ली गयी थी, आदेश लेकर आयी है, कुछ 2-4 लाख बचा है वह यहां से हो रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : किस तरह से हुआ, कहां से हुआ ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जो भी थोड़ा बहुत बजट जाता है उसकी थोड़ी बहुत दवाइयां जाती है उनको बेच दिया। मैं नहीं कहता कि आपके पास दवाइयां नहीं हैं। एलोपैथिक मेडिसन खरीदीं। आयुर्वेद पद्धति को समाप्त करने की एक चाल है।

श्री अध्यक्ष : मो. माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद(झुन्झुनू): अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने जैसा कहा कि 31 मार्च तक, चालू वित्तीय वर्ष में दवाइयों का जो बजट था उसकी पूरे की दवाइयां खरीद ली जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, जितनी दवाइयां अब तक खरीदी गयी हैं....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल ही पूछ रहा हूं। वह दवाइयां कहां से खरीदी गयीं ? जो बचे, यह कह रहे हैं कि लैप्स है वह यूज कर लिये जायेंगे उसके लिए दिल्ली की एक ही फर्म को आदेश दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह भी बता देना कि फाइनेन्शियल ईयर में सब दवाइयां खा भी ली जायेंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी दवाइयां खा लीं तो विधान सभा के चुनाव दुबारा कराने पड़ेंगे।

श्री नत्थी सिंह : यह आपके मन में आ रहा है क्या ? (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सदस्य ने जो कहा है कि दिल्ली से एक ही दुकान से सारी दवाइयां खरीदी गई हैं। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहूंगा कि हाई परचेज कमेटी यहां से गई थी जिस में आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर, आयुर्वेद विभाग के डिप्टी सैक्रेटरी और वित्त विभाग के डिप्टी सैक्रेटरी जैसे उच्चाधिकार प्राप्त अधिकारी थे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं परचेज कमेटी के लिए नहीं पूछ रहा हूं कि परचेज कमेटी क्या है, मैं पूछ रहा हूं कि परचेजिंग कहां से की गई है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : उन्होंने दिल्ली के पूरे बाजार में एक-एक दुकान से जहां पर माल अच्छा और सस्ता लगा उन्होंने उचित समझा, खरीदा है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है इसमें मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि 63 लाख की दवाइयां खरीदी गई हैं, यह बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि इनके पास 55 लाख रुपये स्वीकृत थे और 55 लाख रुपये की बजाय इन्होंने 63 लाख की कैसे खरीद ली, यह इन्होंने बिल्कुल एट रेण्डम फर्जी जवाब दिया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं बहुत देर से 73 लाख बोल रहा हूं, 73 लाख 35 हजार।

श्री हेतराम बेनीवाल : 73 लाख तो आपने फरवरी में सशोधित किये। फरवरी में संशोधित करने के बाद कब खरीदे, किस-किस तारीख को खरीदे ?

श्री अध्यक्ष : मगर हेतराम जी अब इसका निर्णय होगा क्या यहां ? आप अपनी बात बता दीजिए, ठीक है मंत्री जी जानें। कह दिया जवाब उन्होंने।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह का जवाब देने में क्या सेंस है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अनुमति दें तो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्यों की चिन्ता स्वाभाविक है। मैंने इस सारी प्रक्रिया का अध्ययन किया है यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्ण हो भी नहीं सकती। आयुर्वेद की जो भी दवाइयां खरीदी जाती हैं उनका कोई साइन्टेफिक स्टैण्डर्ड नहीं हैं। बिना स्टैण्डर्ड के जैसा कि उदाहरण के लिए सदन को बताना चाहूंगा आंवला खरीदा, मूसली खरीदी और पीपल खरीदना है। अब उसके कोई स्टैण्डर्ड नहीं है एक जगह से टेण्डर आता है तो हाथ की हाथ शिकायत आती है कि पीपल खराब है, अब इसकी जांच किससे करायें कि पीपल खराब है या पीपल अच्छा है। रसायनशाला में भेजते हैं तो उनकी रिपोर्ट भी कन्ट्राडिक्टरी आ जाती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए खरीद की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें इन

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

सब चीजों का समाधान हो सके, समावेश हो सके, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो यह आयुर्वेद विभाग बन्द कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

बीकानेर के पर्यटन विकास की योजना

559. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर के पर्यटन विकास हेतु क्या कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ? योजना का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कोलायत सरोवर के लिये इस योजना में पर्यटन विकास हेतु प्रावधान किया गया है ?

(3) गजनेर के पर्यटन विकास हेतु क्या योजना बनाई गई है ?

(4) राजस्थान के पर्यटन विभाग ने गत एक वर्ष में बीकानेर के पर्यटन विकास हेतु कितनी राशि प्रदान की ? आठवीं पंचवर्षीय योजना में बीकानेर के पर्यटन विकास हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ?

पर्यटन मन्त्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) जी हां। बीकानेर के जूनागढ़ किले पर फ्लड लाइटिंग के लिये 7 92 लाख रुपये के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं ?

(2) जी नहीं। इस योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, किन्तु राज्य योजना वर्ष 1991-92 में कोलायत घाटों के विकास पर 8 00 लाख रुपये रखे गये है।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना में गजनेर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु 5.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(4) वित्तीय वर्ष 89-90 में बीकानेर के पर्यटन विकास हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था। (व्यवधान)

आठवीं पंचवर्षीय योजना में बीकानेर के निम्न पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 32.41 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है :

1-	बीका जी की टेकड़ी	4.41 लाख
2-	कोलायत घाटों का सुधार	8.00 ,,
3-	गजनेर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास	5.00 ,,
4-	केमल सफारी	10.00 ,,
5-	पर्यटक स्वागत केन्द्र की स्थापना	5.00 ,,

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बीकानेर के पर्यटन विकास हेतु लगभग 51 करोड़ रुपये की एक योजना बीकानेर जिलाधीश के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

माध्यम से अभी हाल ही में बनाई गई। वह योजना किस विभाग को भेजी गई है और वह योजना कहां पर विचाराधीन है? इसमें किन-किन स्थलों के विकास के लिए कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? दूसरा, क्या यह सही है कि डेजर्ट काम्पलेक्स की योजना जिसमें बीकानेर भी सम्मिलित है इस योजना की क्रियान्विति में ढिलाई बरती जा रही है? इस योजना की क्रियान्विति कब करा दी जायेगी?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, डेजर्ट ट्राइंगल योजना ए. फर्ग्युसन एण्ड कम्पनी दिल्ली को पूरा प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दी गई थी। इनका प्रोजेक्ट तैयार होकर आ गया है जिसके ऊपर राज्य सरकार विचार कर रही है विचार करने के के बाद यह 227 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है इसको केन्द्र सरकार के पास भेजा जा सकेगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : 227 करोड़ में बीकानेर को कितना है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर का कितना है?

सुश्री पुष्पा जैन : 227 करोड़ की यह डेजर्ट ट्राइंगल योजना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दें।

सुश्री पुष्पा जैन : विस्तार से क्या बताऊंगी। जब योजना की प्रोजेक्ट योजना बन जाय, अभी वह कमेटी के सामने है राज्य सरकार के सामने आयेगी तभी मैं इस पर विचार करके इसको भेजूंगी और आपको भी बता सकूंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्सट। श्री लक्ष्मीलाल।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं एक सवाल और लेना चाहता हूं बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर में पर्यटकों के ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं है तो पर्यटकों के ठहरने के लिए पर्यटन विकास निगम के माध्यम से क्या व्यवस्था की जायेगी?

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंटरी प्रश्न भी नहीं पूछने देंगे?

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सप्ली-मेंटरी। मन्त्री जी ध्यान रखेंगे, ये व्यवस्था करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, उसका जवाब तो दिलवा दीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : बीकानेर में हमारा टूरिस्ट बैंगलो है माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : टूरिस्ट बैंगलो में पर्याप्त स्थल नहीं है इसके लिए क्या आप भारतीय पर्यटन विकास निगम या राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम से अथवा निजी क्षेत्रों में शैयाओं की क्षमता बढ़ाने का विचार रखते हैं?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर का जो टूरिस्ट बैंगलो है अभी तक उसकी फुल आक्यूपेन्सी होती नहीं है। अगर माननीय सदस्य यह वायदा करें कि बीकानेर के टूरिस्ट बैंगलो की फुल आक्यूपेन्सी हो जायेगी तो मैं आपसे वायदा करती हूं कि वहां दूसरा भी ठहरने का इन्तजाम कर दिया जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आक्यूपेन्सी तो 70 प्रतिशत ही रहती है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीलाल।

आसीन्द के मन्दिरों हेतु वार्षिक राशि

560. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आसीन्द तहसील स्थित श्री सवाई भोज मन्दिर, आसीन्द और श्री देवनारायण मन्दिर, प्रतापपुरा को देवस्थान विभाग से अलक-अलग कितनी-कितनी वार्षिक राशि मिलती थी ?

(2) उक्त दोनों मन्दिरों को वार्षिक राशि का भुगतान कब तक हुआ ?

(3) क्या उक्त दोनों मन्दिर वर्ष 1981 से सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अधीन पंजीकृत हैं ? क्या ट्रस्ट मण्डल द्वारा निरन्तर आवेदन के बाद भी सेवा पूजा के लिए पुजारी को विभाग से वार्षिक राशि 1978 से नहीं मिल रही है ?

(4) क्या सरकार इन मन्दिरों की सेवा पूजा के लिए वार्षिक राशि पुनः चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार पिछली बकाया राशि का भी भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

देवस्थान मन्त्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा में स्थित श्री सवाई भोज मन्दिर आसीन्द को 446 रुपये 51 पैसे व श्री देवनारायण मन्दिर प्रतापपुरा को 109 रुपये 12 पैसे शाश्वत वार्षिकी (एन्युटी) की राशि स्वीकृत है।

(2) सवाई भोज मन्दिर को एन्युटी भुगतान दिनांक 30-6-78 तक तथा श्री देव नारायण मन्दिर, प्रतापपुरा को यह भुगतान 30-6-79 तक किया जा चुका है।

(3) जी हां। उक्त दोनों मन्दिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत देवस्थान विभाग में एक प्रन्यास के रूप में दिनांक 22–5–81 से पंजीकृत हैं। सवाई भोज मन्दिर आसीन्द के पुजारी का वर्ष 1978 में देहान्त हो जाने और देव नारायण मन्दिर प्रतापपुरा के पुजारी द्वारा वर्ष 1979 में सेवा पूजा छोड़कर चले जाने से उक्त दोनों मन्दिरों को क्रमशः दिनांक 30–6–78 व 30-6-79 के पश्चात् एन्युटी की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। नवगठित पंजीकृत प्रन्यास के पुजारी प्रबन्धक के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र में आदेश जिलाधीश जागीर भीलवाड़ा द्वारा जारी किया जाना शेष है।

(4) जिलाधीश जागीर भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर

(श्री रामकिशोर मीणा)

पुनर्ग्रहण अधिनियम" 1952 की धारा 39 [2] के अन्तर्गत संशोधित उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र 12 [अ] में जारी करने के पश्चात् देवस्थान विभाग द्वारा संशोधित उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान की आज्ञा निर्धारित प्रपत्र 12 [र] में जारी की जा सकती है। जहां तक पिछले बकाया के भुगतान का प्रश्न है, यह जागीर कलक्टर के निर्णय पर निर्भर करता है कि वह किस तिथि से उत्तराधिकारी घोषित करते हैं उसी अनुसार राशि का भुगतान किया जावेगा।

श्री लक्ष्मीलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर से स्पष्ट है कि 22-5-91 को इन दोनों मन्दिरों के लिए ट्रस्ट का निर्माण हो गया था और वह प्रबन्ध प्रन्यासी लगातार वहां की सेवा पूजा कर रहा है तो क्या कारण है कि पिछले 10-12 साल से इनको प्रपत्र 12 [ए] व 12 [बी] जारी नहीं किया गया? और इनके कन्टीन्युएशन में यह एन्युटी नहीं देने का क्या कारण है?

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 13-3-86 को कमिशनर देवस्थान ने इनके प्रबन्ध प्रन्यासी जो देव नारायण मन्दिर है और सवाई भोज मन्दिर है दोनों को चिट्ठी लिखी है और उसमें लिखा है कि इनके कन्टीन्युएशन, इनकी एन्यूटी के बारे में जिलाधीश जागीर, भीलवाड़ा से सम्पर्क स्थापित करने के लिए ट्रस्ट के नाम से संशोधित प्रपत्र 12 [ए] इस कार्यालय को प्रेषित करावें ताकि उसके अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके। अध्यक्ष महोदय, जागीर कलक्टर के यहां से बार-बार कहने के बावजूद भी अभी तक हमें यह प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है उसका प्रपत्र प्राप्त होते ही हम इसको जारी कर देंगे।

श्री लक्ष्मीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह साफ हो गया है कि यह सरकार स्वीकृति जारी नहीं कर रही है अतः एन्युटी की स्वीकृति जारी करें। जहां तक प्रबन्धक प्रन्यासी का सवाल है वह तो लगातार सरकार से इस बात का आग्रह कर रहा है तो मुझे मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि यह कब तक चुकारा हो जायेगा?

श्री रामकिशोर मीणा : जब यह अपने पक्ष में प्रपत्र जारी करवा लेंगे जागीर कलक्टर से, जागीर कलक्टर के यहां से तय होते ही हम उसके तुरन्त बाद ही जारी कर देंगे।

श्री लक्ष्मीलाल : यह सरकार का दायित्व है।

श्री रामकिशोर मीणा : लेकिन प्रन्यासी को खुद को जागीर कलक्टर के यहां से तय कराना होता है....

श्री लक्ष्मीलाल : वह तो रात और दिन जा रहा है लेकिन उसके बाद में जारी नहीं हो तो उसका आप क्या कर सकेंगे?

श्री रामकिशोर मीणा : नहीं, वह तो प्रन्यासी ही करा सकता है उसमें, प्रन्यासी अपने पक्ष में जारी कराने के बाद में देवस्थान से करा लेंगे।

(12.00 मध्याह्न)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चूंकि देवस्थान का मामला है, सैंसिटिव मामला है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय मन्त्री जी से कि इस तरह के राजस्थान में बहुत ज्यादा केसेज हैं, यह ही मन्दिर नहीं है, क्या इसको रेपिडली सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी या धर्म के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आने की कोशिश करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोविन्द सिह जी गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्षजी, जिन मन्दिरों का हवाला इस प्रश्न में दिया गया है वह बगड़ावत महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है, बगड़ावत महाभारत के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है और 11-12 साल से इन स्थानों के जो पुजारी हैं उनको एन्युटी नहीं मिलने के कारण मन्दिरों में जो अव्यवस्था हो रही है और यात्रीगण हजारों की संख्या में जाते हैं उनको वहां जो दृश्य देखने को मिलता है इसको देखते हुए आप किसी एक विशेषाधिकारी को लगा कर, देवस्थान विभाग के किसी आदमी को नियुक्त करके इस मामले को, जो उत्तराधिकार का चल रहा है, इसको आप, एक महीने में, दो महीने में जरूर निपटा दें ताकि लोगों की यह दिक्कत खत्म हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ (व्यवधान)।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, दल बदल रिट याचिका....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर शहर की अनधिकृत कालोनियों को सड़क, बिजली व अन्य सुविधाएं

897. श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अजमेर शहरी क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियां हैं ? यदि हां तो कितनी ? इन कालोनियों के नाम, उन स्थान के व इनमें निर्मित मकानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर शहर में बनी इन अनधिकृत कालोनियों को बने कितना-कितना समय हुआ है ? वर्षवार सूची मय कालोनी के नाम के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन तथाकथित, अनधिकृत कालोनियों में नगर सुधार न्यास द्वारा जनता की सुविधा के लिए सड़क, नालियां एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं ? यदि हां, तो इनके विकास का काम कब-कब हुआ व उस पर कितना-कितना खर्च हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर शहर की

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

अनधिकृत कालोनियों में सर्वे नहीं किया गया है। अतः कालोनियों एवं मकानों की सूची वर्तमान में दिया जाना सम्भव नहीं हैं।

(2) अनधिकृत कालोनियों के सर्वे रिपोर्ट तैयार होने पर ही यह बताया जा सकेगा।

(3) अनधिकृत कालोनियों का सर्वे पूर्ण होने और राज्य सरकार द्वारा नियमन के प्रश्न पर निर्णय करने के पश्चात् ही इस पर कार्यवाही संभव हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण के न्यायालय से बहाल हुए श्रमिकों को वेतन भत्तों का भुगतान

898. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ श्रमिकों को वर्ष 1988 में सेवा मुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि श्रमिक न्यायालय के निर्णयोपरांत उक्त श्रमिकों को पुनः बहाल किया गया ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्राधिकरण के आदेश क्र. प. 26 ( ) ( ) ज. वि. प्रा./श्रमि. 88/738 दि० 18-11-1989 द्वारा पुनः बहाल किया गया ? यदि हां, तो किन शर्तों एवं नियमों के आधार पर ?

(4) क्या उक्त आदेश के तहत पुनः बहाल किए गए श्रमिकों को सरकार नियमित वेतन एवं भत्ते देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि कुछ श्रमिकों को न्यायिक निर्णय के उपरांत भी अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार इन्हें भुगतान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रमिकों को काम की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्यों पर दैनिक वेतन पर मस्टररोल पर लगाया जाता है। इन श्रमिकों को लगाते समय न तो नियुक्ति पत्र जारी होते हैं और न ही हटाते समय मुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं। जैसे ही काम समाप्त हो जाता है इन्हें मौके पर ही आगे नहीं आने के लिए निर्देश दे दिये जाते हैं। वर्ष 1988 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने श्रमिकों को किसी आदेश द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया था अपितु मस्टररोल पर दैनिक वेतन पर लगाये जाने के कारण कार्यों की समाप्ति पर उन्हें आगे कार्य पर नहीं आने के लिए मौके पर ही निर्देश दिये गये थे।

(2) जी हां। श्रम न्यायालय से किये गये समझौते के उपरांत कुछ श्रमिकों को लगाया गया है। उदाहरण के लिए एल. सी. आर. 358/87 के सम्बन्ध में किये गये समझौते दिनांक 19-8-88 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(२८)

(नगरीय विकास मंत्री)

(3) आदेश क्रमांक-26 (जविप्रा/अभि/88/738 दि. 18.11.89 द्वारा समझौते की शर्तों के आधार पर उक्त श्रमिकों को पुनः नियुक्त किया गया है।

(4) जिन श्रमिकों को लगाया गया है उन्हें कार्य प्रभारित सेवा नियमों के अन्तर्गत अर्द्धस्थायी करने की कार्यवाही चल रही है। अर्द्धस्थायी घोषित होने के बाद ही इन्हें नियमित वेतन एवं भत्ते देय हो सकेंगे।

(5) जी नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

रेलमगरा, राजसमन्द एवं मावली (उदयपुर) में मदिरा से प्राप्त चुंगी

899. श्री शान्तिलाल चपलोत (राजसमन्द) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

उदयपुर जिले की रेलमगरा, रामसमंद एवं मावली तहसीलों में पृथक्-पृथक् देशी एवं विदेशी शराब के ठेकेदारों के द्वारा सत्र 1989-90 एवं 1990-91 में कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि चुंगी के रूप में जमा करायी गयी तथा शराब की किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी मात्रा पर चुंगी जमा हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1989-90 व 90-91 में उदयपुर जिले की तहसील रेलमगरा, राजसमन्द एवं मावली में ठेकेदारों द्वारा देशी व विदेशी शराब पर कोई चुंगी राशि जमा नहीं कराई गई और न ही इन तहसीलों की ग्राम पंचायतों में किसी भी श्रेणी की शराब पर कोई भी चुंगी की राशि जमा हुई है।

ब्यावर में हुए साम्प्रदायिक दंगों में पीड़ित परिवारों को सुविधाएं

900. श्री चम्पालाल जैन (ब्यावर) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या ब्यावर नगर में हुये साम्प्रदायिक झगड़े के पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन परिवारों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

जी नहीं। नगर परिषद की ऐसी कोई योजना नहीं है, न ही स्वायत्त शासन विभाग से इसका कोई सम्बन्ध है।

सलूम्बर (उदयपुर) की आवासीय योजना हेतु पंजीकरण

901. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर जिला उदयपुर में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के तहत पंजीकरण राशि जमा की गई थी ? यदि हां, तो कब व कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया और उनसे कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय योजनाओं में अब

(श्री फूलचन्द मीणा)

तक क्या प्रगति हुई है ? विलम्ब के लिए कौन जिम्मेवार है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सलूम्बर जिला उदयपुर में राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के तहत वर्ष 1989 में पंजीकरण राशि जमा की गई थी। इस योजना के लिये कुछ कुल 245 आवेदकों द्वारा पंजीकरण कराया गया एवं लगभग 5 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।

(2) इस योजना हेतु आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1990 में उपयुक्त भूमि अवाप्त करने हेतु खोज की गई, लेकिन वर्ष 1990 में उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण 18.2.91 को जिला कलक्टर, उदयपुर को 25 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया गया है, प्रस्ताव अभी कलक्टर कार्यालय में विचाराधीन है। भूमि के आवंटन के पश्चात् ही योजना का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव हो सकेगा। विलम्ब के लिये कोई जिम्मेदार नहीं है।

अध्यक्ष, नगर परिषद पाली द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कार्य

902. श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) एवं श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आयुक्त, नगर परिषद् पाली द्वारा अध्यक्ष, नगर परिषद्, पाली के गैर कानूनी कार्यों पर सहमति प्रकट करते रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आयुक्त व अध्यक्ष, नगर परिषद् पाली ने नगर परिषद् पाली की भूमि को नियम विरुद्ध आवटित की है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे आयुक्त को हटाने का विचार रखती है जो नियम विरुद्ध कार्य करने में लिप्त है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

नगर परिषद् टोंक द्वारा गत वर्ष व्यय की गई राशि

903. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोंक नगर परिषद् द्वारा वर्ष 1989-90 एवं 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किस-किस कार्य के लिये कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) क्या टोंक नगर परिषद् में आबादी के अनुपात में सफाई कर्मचारियों एवं अन्य कर्मचारियों की कमी है ? यदि हां, तो कितने समय में कर्मचारियों के पदों की बढ़ोतरी कर नियुक्तियां कर दी जावेंगी ?

(3) क्या सरकार टोंक नगर परिषद् में व्याप्त अव्यवस्था को दूर कर आम जनता को नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टौंक नगर परिषद् द्वारा वर्ष 1989-90 एवं 1990 से 15 फरवरी, 1991 तक किये गये कार्य एवं उन पर व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां। नगर परिषद् की आर्थिक स्थिति एवं भुगतान संतुलन सही नहीं होने के कारण अभी नयी नियुक्तियां करने का विचार नहीं है।

(3) नगर परिषद टौंक में नागरिक सुविधाएं सफाई, बिजली आदि की व्यवस्था है एवं विकास कार्य भी आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकतानुसार करवाये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

ग्राम खानसुरजापुर (रूपवास) में पाताल तोड़ कुएं

904. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की तहसील रूपवास के तालाब को भरवाने एवं गांव खानसुरजापुर में पाताल तोड़ कुएं खुदवाने हेतु वर्तमान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी द्वारा कोई घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी, नहीं।

खेरली जल-प्रदाय योजना का अधिग्रहण

905. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खेरली जल प्रदाय योजना को नगर पालिका से राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु दिनांक 4-6-1990 को स्वीकृति दे दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग ने जल प्रदाय योजना का अभी तक अधिग्रहण नहीं किया है ? यदि हां, तो अधिग्रहण की कार्यवाही अब कब तक पूरी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) अधिग्रहण हेतु स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(2) उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय की पेयजल समस्या

906. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भिनाय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल योजनाएं कहां-कहां पर, कौन-कौनसी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में उक्त क्षेत्र के कौन-कौन से गांव में कौन कौनसी योजना प्रस्तावित है ? मय नाम के सम्पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की जानकारी में है

(श्री सांवरलाल)

कि भिनाय विधान सभा क्षेत्र के गांवों में ग्रामवासियों को दूषित पेयजल पीने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची प्रस्तुत की जाय।

(4) सरकार द्वारा शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल हेतु क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए संवेदनशील नहीं है ?

(5) भविष्य में सरकार उपरोक्त ग्रामवासियों के लिये तात्कालिक क्या उपाय करने जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) वांछित सूचना प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(3) संदर्भित क्षेत्र के 55 ग्रामों में पेयजल की गुणवत्ता मापदण्डों से कम है। उनकी सूची प्रपत्र "स" में संलग्न है।

(4) भिनाय विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्रामों को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। भविष्य में पेयजल की गुणवत्ता में सुधार, पुनर्गठन इत्यादि, धन उपलब्धता के अनुसार संभव हो सकेगा।

(5) संदर्भित ग्रामों को बीसलपुर बांध से योजना प्रस्तावित कर, लाभान्वित किया जाना, धन की उपलब्धता के अनुसार संभव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील नावां एवं कुचामन शहर की पेयजल योजनाएं

907. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नावां तहसील के किन किन गांवों तथा ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ? उनकी लागत क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर पालिका क्षेत्र नावां व कुचामन शहर में जल व्यवस्था सुधार हेतु कितनी लागत की क्या क्या योजना है तथा यह प्रस्तावित कार्य कब तक किये जा सकेंगे ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संदर्भित तहसील के ग्राम मोहनपुरा के अतिरिक्त 1981 की जनगणनानुसार सभी ग्राम पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। इस ग्राम की योजना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष राजस्व ग्रामों अथवा ढाणियों में पेयजल व्यवस्था धन उपलब्धता के अनुसार की जा सकेगी।

(2) वर्तमान में योजना स्वीकृति हेतु विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर की पनघट योजना

908. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर):

(32)

(श्री हीरासिंह चौहान)

क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर(पाली) में राजस्व गांव गजनाई, खरनीखेड़ा, पचानपुरा, मालनी, बगड़ी, मेगडदा, रामगढ़, सेडोलान, अमरपुरा, लालपुरा सराधना सबलपुरा, जगमालपुरा, बडीपोल, रामावास खीबल, आसन जिलेलाव, केसरपुरा, धौलिया में जन प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित पनघट योजनाएं कब तक स्वीकृत हो जावेगी ?

(2) उपरोक्त राजस्व गांवों में वर्तमान में कितने-कितने हैण्डपम्प खुदे हुए हैं, कितने हैण्ड पम्प खराब हैं तथा कितने चालू हालत में हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हैण्डपम्पों से लाभान्वित ग्राम मेगदड़ा, रामगढ़ एवं सेडोलान हेतु क्षेत्रीय योजना स्वीकृत है। शेष ग्राम हेतु कोई योजनाएं प्रस्तावित नहीं है।

(2) विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

रायसिंहनगर के विभिन्न गांवों में नलकूप योजना में लगाये गये हैण्डपम्प

909. श्री रामस्वरूप मेघवाल (रायसिंहनगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में कुल कितने गांवों में नलकूप योजना में कितने-कितने हैण्डपम्प लगाये गये थे ?

(2) रायसिंहनगर में कितने पंचायत मुख्यालयों पर हैण्डपम्प लगाये गये थे ?

(3) पिछली पंचवर्षीय योजना में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे जिनमें कितने कहां कहां लगाये गये व कितने लगाने बाकी हैं ? इनमें से वर्तमान में कितने हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं ?

(4) रायसिंहनगर के प्रत्येक गांव को जल योजना से जोड़ने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र के 260 ग्रामों में 604 हैण्ड पम्प लगाये गये थे, जिनकी सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) उपरोक्त संदर्भित क्षेत्र में 26 पंचायत मुख्यालयों पर हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

(3) पिछली पंचवर्षीय योजना में रायसिंह नगर विधान सभा क्षेत्र में 604 हैण्डपम्प स्वीकृत कर लगाये गये। जिनकी सूची परिशिष्ट "अ' पर संलग्न है। अब कोई हैण्डपम्प लगाना शेष नहीं है। इनमें से वर्तमान में 530 हैण्डपम्प कार्यरत हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के पेयजल योजनाओं से शेष 48 अलाभान्वित ग्रामों में बजट उपलब्धता के अनुसार पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा सकेंगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खातीखेड़ा पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ में पेयजल व्यवस्था

910. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार खातीखेड़ा पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में पेयजल व्यवस्था हेतु जलदाय योजना लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सन्दर्भित ग्राम में हैण्डपम्प पेयजल योजना संधारण में है। अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है चूंकि मापदण्डों के अनुसार 8 हैण्डपम्प सही हालत में कार्यरत हैं।

अध्यक्ष, नगर परिषद द्वारा अवैधानिक रूप से भू-खण्ड आवंटन

911. श्री अचलाराम (देसूरी), श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) एवं श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि नगर परिषद, पाली के अध्यक्ष ने परिषद के अनुमोदन के बिना ही भू-खण्डों के पट्टे जारी किये हैं ? यदि हां, तो कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर परिषद, पाली के अध्यक्ष ने परिषद के प्रस्ताव से व भूमि विक्रय नियमों के अन्तर्गत भू-खण्डों के पट्टे जारी किये है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 912

(स्थगित)

नगरपालिका सूरतगढ़ के अधिक स्टाफ का अन्यत्र स्थानान्तरण

913. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, नगरपालिका में आवश्यकता से अधिक स्टाफ कार्य कर रहा है? यदि हां, तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त हैं व किन-किन पदों पर ? अतिरिक्त (Excess) स्टाफ का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार इन कर्मचारियों को अन्य नगरपालिकाओं में स्थानान्तरण करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 16 कर्मचारी अधिक कार्यरत है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अतिरिक्त कर्मचारियों के बारे में पूर्ण विवरण मंगवाया गया है। विवरण प्राप्त होने पर अन्यत्र समायोजन अथवा स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

(३५)

टौंक रोड जयपुर पुल के नीचे सफाई व्यवस्था

914. **श्री शम्भूदयाल बडगूजर** (केकड़ी) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टौंक रोड पर बने पुल के नीचे से एक बड़ी नाली बहती है जिसमें बजाज नगर, गांधीनगर, रेलवे स्टेशन की कालोनी आदि का पानी आता है ?

(2) क्या यह नाली मिट्टी और कचरे से भरी होने के कारण अक्सर ओवरफ्लो रहती है, जिससे पानी नाली के अन्दर बहने के बजाय सड़क पर फैलता रहता है और कई बार तो छोटा तालाब सा बन जाता है?

(3) क्या निरन्तर इस नाली का पानी सड़क पर फैलते रहने से पुल के नीचे जहां से यह नाली घूमती है, सड़क कट गई है जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं?

(4) क्या सरकार जनहित में इस नाली की सफाई की स्थायी व्यवस्था तथा इसके टूटे हुए भाग की शीघ्र मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जब यह नाली कचरे से भरी होती है तब इसका पानी ओवरफ्लो होता है।

(3) जी, हां। जब नाली से लगातार पानी ओवरफ्लो होता है तब कई बार सड़क कट जाया करती है।

(4) नाली की सफाई के लिये नियमित रूप से नगर परिषद ने अपना स्टाफ लगा रखा है जो नाले की सफाई समय-समय पर करता रहता है। परन्तु नाला पुल के नीचे तथा रेलवेलाइन के बीच में ढका हुआ होने से कभी-कभी रुकावट होती है जिसे खुलवा दिया जाता है। नाले के ओवरफ्लो होने से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत 30 अप्रेल, 1991 तक पूरी कर दी जावेगी।

बड़ोदिया बस्ती, जयपुर की सड़क पर अतिक्रमण

915. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित बड़ोदिया बस्ती में प्लाट संख्या 230 में रहने वाले रामकिशोर नामक व्यक्ति ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो इसे हटाने बाबत विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कालोनी के निवासियों ने प्राधिकरण में कोई शिकायत की है ? यदि हां, तो कब कब एवं इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त प्लाट के निर्माण हेतु प्राधिकरण से नक्शा पास कराया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या उक्त अतिक्रमण को हटाने

(श्री मोहनलाल चौहान)

हेतु विभाग द्वारा शिकायत प्राप्ति के पश्चात् कोई प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्लाट के मालिक श्री रामकिशोर द्वारा बिल्डिंग लाइन में तीन कमरे का निर्माण किया हुआ है जिस पर टीन डली हुई हैं तथा उक्त निर्माण काफी पुराना है तथा इस प्लाट के सामने सड़क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है।

(2) इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्राधिकरण द्वारा उक्त प्लाट के निर्माण हेतु नक्शा पास नहीं किया गया है।

(4) सड़क पर अतिक्रमण नहीं होने से उसे हटाने हेतु प्रयास किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

कोटा जिले में पेयजल समस्या

916. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले में कितने ग्राम पीने योग्य पानी से अभावग्रस्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अभावग्रस्त ग्रामों की सूचना सरकार को कब प्राप्त हुई ? इसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या तहसील बारां का ग्राम गोपालपुरा एवं तहसील मांगरोल का ग्राम खान की झोपड़ियां (पलायथा) में पीने योग्य पानी का अभाव है ? यदि हां, तो ग्रामवासियों को पीने योग्य पानी कब उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिले के उन 97 ग्रामों की सूची जहां पचास प्रतिशत या अधिक हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब अथवा परित्यक्त हैं, प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) सूचना फरवरी, 1991 में किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण पर आधारित है। समस्या का निदान धन की उपलब्धता के अनुसार सम्भव हो सकेगा।

(3) जी नहीं। दोनों स्थानों पर मापदण्डों के अनुसार हैण्डपम्प कार्यरत हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7, देखें)

जोधपुर के महामन्दिर क्षेत्र में सीवरेज लाइन

917. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर में महामन्दिर क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने कब स्वीकृति प्रदान की ?

(2) प्रस्तावित सीवरेज लाइन कहां से कहां तक डाली जायेगी ? उस पर कितनी राशि खर्च की जायेगी ? प्रस्तावित सीवरेज लाइन के लिए वर्ष 1989 में कितनी राशि आवंटित की गई थी और 1991 में कितनी कितनी राशि आवंटित की गई है ?

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(3) क्या इस सीवरेज लाइन का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं हुआ तो इसके क्या कारण रहे ?

(4) महामन्दिर के साथ प्रस्तावित सीवरेज लाइन शक्ति नगर, लक्ष्मी नगर और बी. जे. एस. कालोनी के सम्बन्ध में विभाग ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) राजस्थान जल प्रदाय एवं मल निकासी (सीवरेज) निगम की स्थापना के बाद राज्य में कौन-कौन से शहरों में इसकी योजनाएं बनाई गई हैं ? प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत राशि क्या है ? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त योजना में जोधपुर को शामिल नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि किया गया है, तो क्या योजना है ? विचाराधीन योजनाओं की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र हेतु योजना की दिनांक 8-8-89 को स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) स्वीकृत योजना में मुख्य सीवरेज लाइन महामन्दिर क्षेत्र से लक्ष्मीनगर तथा नदियों के डेरे तक एवं वहां से बनाड चुंगी चौकी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक तथा महामन्दिर क्षेत्र में छोटी सीवर लाइनें डालने का प्रावधान है। योजना पर वर्ष 89-90 में 0.86 लाख रुपये सर्वेक्षण कार्य हेतु व्यय किये तथा वर्ष 90-91 में 3 लाख रुपये बजट आवंटन किया हुआ है।

(3) योजना का कार्य तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ किया जावेगा।

(4) स्वीकृत योजना में सन्दर्भित क्षेत्रों में मुख्य सीवर लाइन डाले जाने का प्रावधान है। लेटरल सीवर लाइनें डाले जाने का प्रावधान नहीं है।

(5) योजनाएं बनाना निगम के कार्यक्षेत्र में नहीं है।

(6) बिन्दु 5 के उत्तर के अनुसार।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में लगे हैण्डपम्प

918. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कुल कितने हैण्डपम्प हैं ? प्रत्येक ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें। उसमें से कितने चालू कितने नकारा खराब तथा सूखे हुए हैं ?

(2) कितने हैण्डपम्प ग्रामवार स्वीकृत हैं ? इन स्वीकृत शुदा ग्रामों में सरकार कब तक हैण्डपम्प लगवा देगी ?

(3) ऐसे कितने गांव हैं जहां न तो हैण्डपम्प हैं और न ही नलों की व्यवस्था है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों में पेयजल योजना चल रही है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(32)

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(5) उक्त क्षेत्र के बरेखन व सांड़ ग्राम में अब तक हैण्डपम्प नहीं लगाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र में कुल 891 हैण्डपम्प हैं। वांछित सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। इनमें से 766 कार्यरत, 45 परित्यक्त, 79 अस्थायी रूप से खराब एवं 11 सूखे हैं।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 5 में उपलब्ध है। शेष हैण्डपम्पों को धन की उपलब्धता के अनुसार लगाना सम्भव होगा।

(3) वांछित ग्रामों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) सन्दर्भित क्षेत्र में वर्तमान 283 ग्रामों में पेयजल योजनाएं संधारण में हैं। वांछित सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) ग्राम बरेखन एवं सांड़, प्रत्येक में दो कार्यरत हैण्डपम्प लगे हुए हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नाका मदार (अजमेर) आवासीय योजना के लिए पेयजल सुविधा

919. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नाका मदार (अजमेर) आवासीय योजना जो आवासन मण्डल एवं नगर सुधार न्यास द्वारा निर्मित की गई है, उनमें पेयजल सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कब तक क्रियान्वित हो जायगी ?

(2) क्या इन आवासीय योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जलदाय विभाग द्वारा पानी दिये जाने का कोई प्रावधान रखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् तथा सम्बन्धित उपक्रमों से प्राप्त धनराशि के अनुसार कार्य करवाना सम्भव होगा।

(2) साधारणतः पेयजल योजनाओं की अभिकल्पना में नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्त पेयजल मांग का समावेश होता है।

सलूम्बर की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए योजना

920. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सलूम्बर पेयजल समस्या के निराकरण के लिए 45 लाख रु. की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां तो प्रशासनिक स्वीकृति कब तक मिलेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सलूम्बर अधिशाषी अभियन्ता खण्ड कार्यालय;

(श्री फूलचन्द मीणा)

उदयपुर मुख्यालय पर किराये भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो मुख्यालय सलूम्बर में क्यों ? नहीं रखा गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि सलूम्बर खण्ड का स्टोर बिना राज्यादेश उदयपुर खण्ड के अधीन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) अब तक इस खण्ड द्वारा खरीदी गई सामग्री से किस-किस उप खण्ड द्वारा कहां-कहां लाइनें लगायी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी हां। प्रशासनिक सुविधा के अनुरूप मुख्यालय उदयपुर रखा गया।

(3) राज्यादेश की आवश्यकता नहीं थी।

(4) खण्ड द्वारा द्वारा उपखण्डों में लाइने लगाने हेतु सामग्री का क्रय नहीं किया गया।

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा के गांवों की पेयजल योजनाएं

921. श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा जिला नागौर के गांवों को पेयजल सुलभ कराने के लिए राज्य सरकार ने कोई योजनाएं बनाई हैं ? यदि हां, तो उक्त दोनों पंचायत समितियों के लिए किस-किस वर्ष में क्या-क्या पेयजल योजनाएं बनायी गई ?

(2) क्या हैण्ड पम्प योजना से भी उक्त पंचायत समिति के गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो किस-किस गांव में कब-कब हैण्डपम्प लगाये गये ? गांववार योजना का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र के सभी हैण्डपम्प बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो गांववार चालू एवं खराब पड़े हैण्ड पम्पों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। समस्त योजनाएं संधारण में है, जिनका विवरण प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण प्रपत्र "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ग्रामवार चालू, खराब एवं परित्यक्त हैण्ड पम्पों की सूची प्रपत्र "स" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

घनी आबादी वाले शहरों की पेयजल समस्या का निराकरण

922. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या दो लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को पेयजल हेतु पानी

(श्री रामनारायण वर्मा)

नदियों में बांध बनाकर पहुंचाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने शहरों को ? ऐसी नदियों एवं शहरों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त श्रेणी के शहरों में से कुछ शहरों को वर्तमान में चल रही पेयजल व्यवस्था के अलावा भी नदियों में बांध या एनीकट निर्माण करके पेयजल उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन शहरों को, किस-किस नदी से पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या उक्त श्रेणी के शहरों में से एक जयपुर शहर को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के लिए विभाग द्वारा सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या अब इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) शहरों की पेयजल व्यवस्था हेतु भू-जल अथवा सतही स्रोत का चयन तकनीकी एवं वित्तीय आधार पर किया जाता है। वांछित विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर शहर को बनास नदी पर बनाये जा रहे बीसलपुर बांध अथवा चम्बल नदी से तथा उदयपुर शहर को मांसी वाकल बेसिन से जल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। अजमेर शहर को निर्माणाधीन बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य प्रगति पर है।

(3) जयपुर शहर को चम्बल नदी/बीसलपुर बांध इत्यादि से पेयजल उपलब्ध कराने की उपयुक्तता के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नीमकाथाना उपखण्ड में पेयजल सुविधाएं

923. श्री फूलचन्द (नीमकाथाना): क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वित्त वर्ष 1991–92 में नीम का थाना उपखण्ड में सुविधा की क्या-क्या नयी योजनाएं हैं ? नाम मय राशि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितनी योजनाएं अभी अधूरी हैं तथा उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(2) उपखण्ड नीमकाथाना के अन्तर्गत 15 योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं को धन उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट '9' देखें)

फतहसागर (उदयपुर) पर फिल्टर प्लांट की स्वीकृति

924. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) क्या फतहसागर (उदयपुर) पर फिल्टर प्लाण्ट बनाने की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की है ? यदि हां, तो इसके टेण्डर कब निकाले गये एवं किस व्यक्ति या फर्म का टेण्डर स्वीकृत हुआ तथा कब वर्क आर्डर दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि संबंधित फर्म या व्यक्ति ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई ?

(3) समय पर कार्य प्रारम्भ न होने से अब कितना प्रतिशत व्यय बढ़ेगा ? और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 2.4.1985 को टेण्डर प्राप्त किये जाकर मै. डी–आयोनिक दिल्ली. को 7 मार्च, 1987 को कार्यादेश जारी किया।

(2) जी हां। फर्म के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

(3) प्राप्त नयी निविदाओं के प्रारम्भिक आकलन के अनुसार लगभग 100 प्रतिशत अधिक व्यय होने का अनुमान है। उत्तर-दायित्व सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के गांवों को पेयजल सुविधाएं

925. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने ऐसे गांव हैं, जिन्हें अभी तक किसी पेयजल योजना से नहीं जोड़ा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन गांवों में कौन-कौन सी जलप्रदाय योजनाओं का कार्य चल रहा है और कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(3) क्या समस्याग्रस्त गांवों के लिए कोई योजना स्वीकृति हेतु सरकार के विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र के 1981 की जनगणनानुसार सभी 190 आबाद ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) विवरण प्रपत्र "क" पर संलग्न है। कार्यधन उपलब्धता के अनुसार पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

(3) समस्याग्रस्त ग्रामों हेतु योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

तहसील डेगाना के गांवों की पेयजल समस्या का निराकरण

926. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना), श्री मोहनलाल (जायल), श्री मोहनलाल (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डेगाना

(श्री मोहनलाल)

तहसील के करीब 60 गांवों में पेयजल की भीषण समस्या है तथा आने वाले गर्मी के मौसम में इसके और भी विकट होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि क्षेत्र के कुछ गांवों का पानी पीने योग्य नहीं हैं एवं खारा है ? क्या ग्राम महराणा में भी पानी पीने योग्य नहीं है एवं इसके पीने से व्यक्ति नपुंसक हो जाते हैं ? ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इस ग्राम को किस योजना के तहत जोड़ा जायेगा ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों में पेयजल वितरण व्यवस्था नियमित नहीं है, ऐसा क्यों ? क्या सरकार जल वितरण व्यवस्था को सुधारने हेतु दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या वर्ष 1991-92 के वित्त वर्ष में डेगाना क्षेत्र में नवीन पेयजल योजनाएं चालू की जायेंगी ? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन्दर्भित तहसील के कुल 174 लाभान्वित ग्रामों में, 4 ग्रामों में प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा का प्रदाय पचास प्रतिशत से कम होने के कारण समस्या है। इस समस्या के गम्भीर होने की सम्भावना नहीं है। निदान की दृष्टि से आवर्धन योजनाएं बनाकर स्वीकृत कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। पानी खारा अथवा फ्लोराइड युक्त है। ग्राम महराणा के व्यक्तियों के नपुंसक होने की सूचना नहीं है। इस ग्राम हेतु वैकल्पिक स्रोत का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है।

(3) पिछले तीन माहों में विद्युत की अनियमित आपूर्ति व कम वोल्टेज के कारण क्षेत्र के 35 ग्रामों में जल वितरण अनियमित रहा है। माह मार्च से इस स्थिति में सुधार हुआ है। किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(4) प्रपत्र "क" के अनुसार स्वीकृत योजनाओं की सूची संलग्न है। इन सभी योजनाओं के कार्य प्रगति में है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जोधपुर शहर की कच्ची बस्तियों में विकास कार्य

927. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर शहर के भीतर कितनी कच्ची बस्तियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) जोधपुर शहर की इन कच्ची बस्तियों के विकास हेतु राज्य सरकार ने 1985 से 1990 तक कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की ? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

में जो अनुदान राशि स्वीकृत हुई है वह कच्ची बस्तियों में हुई क्षतिग्रस्त न नई सड़कों, नालियों की मरम्मत व निर्माण हेतु खर्च हुई ? यदि हां, तो उन कच्ची बस्तियों की सूची राशि अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जोधपुर शहर की कच्ची बस्तियों की क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों के विकास के लिये अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति जारी हो जायेगी ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास क्षेत्र में 117 कच्ची बस्तियां हैं एवं नगर परिषद् क्षेत्र में 15 कच्ची बस्तियां हैं। इनकी सूची परिशिष्ट "अ" "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नगर सुधार न्यास क्षेत्र की इन कच्ची बस्तियों के विकास हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 85 से 90 तक 10,30,000/- रुपये की एवं नगर परिषद् क्षेत्र की बस्तियों के लिए रुपये 10,57,500/- रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की। सूची परिशिष्ट "स" व "द" पर सदन के पटल पर रख दी है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट "स" व "द" सदन के पटल पर दी गई है।

(4) जी हां। कच्ची बस्तियों की क्षतिग्रस्त सड़कों व नालियों के विकास के लिए दिनांक 18.3.91 को न्यास क्षेत्र के लिए 4.50 लाख रुपये एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिए 3.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपालिका सुमेरपुर में हुए विकास कार्यों की जांच

928. श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1980 से 1983 तक नगरपालिका सुमेरपुर में चल रहे विकास के निर्माण कार्यों की, तत्कालीन प्रशासक सुरेन्द्र सिंह गहलोत पर अनियमितताओं की शिकायतों की वजह से सरकार ने स्थगित कर जांच प्रारम्भ की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जांच पूर्ण होने पर विकास कार्य पुन: प्रारम्भ करवाये जाकर ठेकेदारों द्वारा पूरे करवाये गये थे ? यदि हां, तो जांच के परिणाम तथा निर्माण कार्यों का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन निर्माण कार्यों का भुगतान तथा जमा सिक्योरिटी राशि का भुगतान आज तक सम्बन्धित ठेकेदारों को नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सम्बन्धित ठेकेदारों को निर्माण कार्यों का भुगतान, तथा सिक्योरिटी राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) जी हां। जांच का परिणाम तथा निर्माण कार्यों का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट के अनुसार वसूली/भुगतान राशि की विस्तृत रिपोर्ट अभी नगरपालिका द्वारा तैयार नहीं होने के कारण सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है।

(4) नगरपालिका के शीघ्र रिपोर्ट भेजे जाने को कहा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर भुगतान करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)।

जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) द्वारा चुंगी चोरी

929. श्री हजारीलाल (खेतड़ी), एवं श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री निम्बाहेड़ा द्वारा हाईग्रेड लाइम स्टोन नगरपालिका सीमा से बाहर "भुहीरपुरा" से लाकर पालिका परिसर में चुंगी न चुकाने से नगरपालिका निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को करोड़ों रुपयों की चुंगी व जुर्माने की हानि हो रही है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार ने जे. के. सीमेंट से चुंगी की बकाया राशि वसूल करने व नियमित चुंगी नगरपालिका को प्राप्त हो, इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) इस विषय में सीमांकन का बहाना बनाकर पालिका को हानि पहुंचाने में किन-किन अधिकारियों का हाथ है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा हाई ग्रेड लाइम स्टोन "भुहीरपुरा" से नहीं लाया जाता है अपितु अहीरपुरा नामक खान से हाईग्रेड लाइम स्टोन लाया जाता है। इस पर चुंगी भुगतान नहीं करने से पालिका द्वारा चुंगी वसूली हेतु नोटिस दिये गये जिस पर फैक्ट्री ने न्यायालय से स्थगन आदेश ले रखा था जो दिनांक 15.3.91 को निरस्त हो गया है। नगरपालिका द्वारा चुंगी वसूली की कार्यवाही जारी है।

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में इसका उत्तर भी सम्मिलित है।

(3) जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा नगर पालिका सीमांकन को विवादित मानकर न्यायालय में चुनौती दी एवं चुंगी कर चुकाने के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। इसमें किसी अधिकारी का हाथ होने का प्रश्न नहीं है।

बूंदी जिले की ट्राइसम एवं स्काइट योजनाएं

930. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बूंदी जिले में वर्ष 89-90 एवं

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

90-91 में कितनी ट्राइसम एवं स्काइट योजनाएं कहां-कहां पर चलाई गई हैं ? विवरण नाम गांव/नगर योजना का प्रकार लाभान्वितों की संख्या, व्यय राशि, ऋण एवं अनुदान सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बून्दी जिले में वर्ष 89-90 एवं 90-91 में ट्राइसम एवं स्काइट योजना अन्तर्गत चलाये गये केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है। इन योजनाओं में ऋण व अनुदान उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की वर्षवार सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

नीम का थाना में 1990–91 में स्वीकृत निर्माण कार्य

931. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति नीम का थाना में वर्ष 1990–91 में कितने निर्माण कार्य स्वीकृत हुए ? योजना एवं ग्राम का नाम राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने पूर्ण हो गये तथा कितने शेष हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में 1991–92 हेतु कितने नये कार्यों के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नीम का थाना में वर्ष 1990–91 में विभिन्न योजनाओं में 353 कार्य स्वीकृत हुए। योजना एवं ग्राम के नाम की सूची संलग्न है।

(2) निर्माण कार्यों में से 147 कार्य पूर्ण हो गये, शेष 206 कार्य प्रगति पर हैं। सूची संलग्न है।

(3) वर्ष 1991–92 हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सीमा सुरक्षा बलों का गठन

932. **श्री सालिगराम** (बयाना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, गृह रक्षा द्वारा राज्य में अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बलों के गठन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार सीमा सुरक्षा की दृष्टि से व तस्करी की रोकथाम के लिए बटालियन गठित करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में सीमा गृह रक्षा दल की एक अतिरिक्त बटालियन सृजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(गृह मन्त्री)

(2) राज्य की सीमा सुरक्षा हेतु बी. एस. एफ. की चौकियां कार्यरत हैं। राज्य में सीमा गृह रक्षा दल की एक अतिरिक्त बटालियन सृजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अजमेर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरियां

933. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अजमेर शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सिपाहियों की कमी से गश्त पर्याप्त नहीं होने या पुलिस अधिकारियों की लापरवाही से यह घटनाएं बढ़ी हैं ?

(2) पिछले 6 माह में जिले में कुल कितनी चोरियां हुईं एवं कितने मामलों में चोर पकड़े गये और कितना माल बरामद किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर शहर में पुलिस थानों एवं चौकियों की कुल कितनी संख्या है तथा इनमें कुल कितने अधिकारी व सिपाही कार्यरत हैं ?

(4) क्या थानों व चौकियों में सिपाहियों की संख्या आबादी के अनुपात में पर्याप्त है ?

(5) क्या अजमेर में नये थाने व चौकियां खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(6) पिछले एक साल में अजमेर में कुल कितने पुलिस अफसरों व सिपाहियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले बनाये गये एवं कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अजमेर शहर में गत 6 माह में घटित चोरी की घटनाओं का विवरण गत वर्ष इसी अवधि का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :-

अवधि	पंजीकृत अपराध	नतीजा: अदम वकू	अदम पता	चालान	जैर तफतीश	गिरफ्तार व्यक्ति	चोरी गया माल रु०	बरामदगी रु०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.9.90 से 29.2.91	157	4	81	36	36	50	11,68,412	6,41,551
1.9.89 से 27.2.90	154	5	124	25	—	37	7,88,297	3,89,097

(गृह मन्त्री)

(गत अवधि का विवरण)

गत 6 माह (1–9–90 से 27–2–90 तक) एवं गत वर्ष इसी अवधि (1-9-89 से 27-2-90 तक) के आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि अजमेर शहर में चोरियों की वारदातों में नगण्य वृद्धि हुई है जो एक सामान्य स्थिति है। गत 6 माह में चालान, बरामदगी में वृद्धि हुई है अतः यह सत्य नहीं है कि अजमेर शहर में चोरी की वारदातों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उपरोक्त आंकड़ों का विश्लेषण करने से पुलिस की शिथिलता एवं लापरवाही प्रतीत नहीं होती है।

यह सही नहीं है कि अजमेर जिले में स्वीकृत नफरी के अनुपात में वर्तमान नफरी कम है। 200 नये भर्तीशुदा सिपाही प्रशिक्षण में चल रहे हैं। गश्त एवं अपराधों के अनुसंधान में कोई शिथिलता नहीं बरती जा रही है।

(2) इसकी सूचना भाग (1) में अंकित कर दी गई है।

(3) अजमेर शहर में कुल 8 पुलिस थाने एवं 20 चौकियां कार्यरत हैं जिनमें 2 पुलिस निरीक्षक, 10 उप निरीक्षक, 31 सहायक उप निरीक्षक, 13 हैड कानि. एवं 288 कानि. पदस्थापित हैं। इनके सुपरविजन हेतु पुलिस उप अधीक्षक एवं आर. पुलिस अधीक्षक के पद भी सृजित हैं।

(4) जी नहीं।

(5) आबादी में वृद्धि एवं कानून व व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से प्राप्त चौकी आनासागर, केसरबाग एवं मदार गेट को पुलिस थानों में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन हैं।

(6) पिछले एक वर्ष के दौरान राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक सहायक उप निरीक्षक, एक हैड कानि. व 27 कानि. के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई तथा नियम 17 के अन्तर्गत 22 पुलिस निरीक्षक, 115 उप निरीक्षक, 31 सहायक उप निरीक्षक, 28 हैड कानि. व 171 कानि. के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

जिला चित्तौड़गढ़ के थानों में दर्ज मामले

934. श्री छगनलाल (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990–91 में चितौड़गढ़ जिले के किन-किन थानों में किस-किस प्रकार के कुल कितने मामले दर्ज हुए ? उनमें से हत्या, चोरी, लूट, डकेती व तस्करी के कितने मामले थे तथा उनमें से कितने मामलों में कोर्ट में चालान हुआ और कितने मामलों में एफ. आर. लगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिले में उक्त अवधि में चोरी एवं डकेती के मुकदमों में माल बरामद हुआ ? यदि हां, तो कितना तथा यदि नहीं तो बरामदगी नहीं होने के क्या कारण रहे ? क्या सरकार चोरी एवं डकेती का मामला बरामद करावेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1990 में भारतीय दण्ड संहिता (भा. दं. सं.) के तहत कुल 5911 एवं लोकल एक्ट के तहत कुल 498 मुकदमे व जनवरी 91 में भारतीय दण्ड संहिता के तहत कुल 508 मुकदमे एवं लोकल एक्ट के तहत 44 मुकदमे दर्ज हुए। उनमें से हत्या, चोरी, लूट, डकेती एवं तस्करी के दर्ज अपराध एवं चालान व एफ. आर. के बाबत थानेवार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) चोरियों के मुकदमों में माल बरामद किया गया, कितना माल बरामद हुआ परिशिष्ट "अ" में अंकित है। डकेती का, चोरी का वर्ष 1990 व जनवरी 91 में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चोरियों के मुकदमों में शेष माल बरामद करने हेतु माल मुल्जिम की तलाश के भरसक प्रयत्न जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

थाना जमवारामगढ़ (जयपुर) में दर्ज एफ. आई. आर. नं. 2/91

935. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर अन्तर्गत थाना जमवारामगढ़ के अन्तर्गत एफ. आई. आर. नं० 2/91 किस तारीख को दर्ज की गई ? इस एफ. आई. आर. को दर्ज कराने का आवेदन किसने किया था ?

(2) क्या उक्त एफ. आई. आर. कोर्ट के आदेश से दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो यह आदेश किस कोर्ट का व किस तिथि का था ? यह आदेश पुलिस थाना जमवारामगढ़ में किस तारीख को प्राप्त हुआ था ?

(3) पुलिस थाना जमवारामगढ़ ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ? क्या अपराधकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या उक्त मामले की जांच के अन्तर्गत ग्राम-पंचायत खवारानी जी के दो पंचों ने बयान दिए हैं कि उन्होंने मौके पर पहुंच कर न तो कोई जांच की और न मौका मुआयना किया ? यदि हां, तो दोनों पंचों के बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस मामले में पुलिस द्वारा हल्का पटवारी से भी कोई रपट चाही गई थी ? यदि हां, तो पटवारी हल्का की क्या रपट आई ? सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थाना जमवारामगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 2/91 दिनांक 2-1-91 को दर्ज की गई है। इस एफ. आई. आर. को दर्ज कराने का आवेदन श्री मांगीलाल पुत्र छीतरमल माली निवासी खवारानी जिला जयपुर ने किया था।

(2) जी, हां। उक्त एफ. आई. आर. न्यायालय अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जयपुर जिला जयपुर के आदेश से दिनांक 2-1-91 को दर्ज की गई थी। उक्त आदेश थाने पर दिनांक 2-1-91 को ही प्राप्त हुआ था।

(गृह मन्त्री)

(3) पुलिस थाना जमवा रामगढ़ पर उक्त अपराध दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। सम्बन्धित रिकार्ड की प्रतियां प्राप्त की गईं, बाद अनुसन्धान विधि सलाह प्राप्त की गई तो सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने सरपंच, अंजीज खां के विरुद्ध अपराध साबित नहीं माना किन्तु पुलिस ने सरपंच को अपराधी मानते हुए पत्रावली वास्ते अभियोजन इजाजत जिलाधीश के पास भेजी हुई है।

(4) मामले की जांच के अन्तर्गत केवल एक पंच श्री मंगलाराम पुत्र मूलचन्द कोली ने बयान दिये हैं जो परिशिष्ट "अ" पर हैं।

(5) हल्का पटवारी से कोई रिपोर्ट चाहने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

राज्य में आरक्षण विरोधियों से हुई क्षति

936. श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एक वर्ष में राजस्थान में आरक्षण विरोधियों ने कितनी जान-माल की हानि की ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस को भी आरक्षण के विरोधियों को सहयोग देने का इशारा रहा ?

(3) क्या यह भी सही है कि सब है नुकसान होने के बाद सेना बुलाई गई और केवल इसलिए बुलवाई गई कि आरक्षण के पक्ष में केन्द्र के मंत्री की सभा न हो सके ?

(4) सेना कब बुलाई गई और अशांति कब आरम्भ हुई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 में आरक्षण विरोधियों द्वारा 194 पुलिस कर्मियों व 101 जनता के व्यक्तियों को घायल कर हानि पहुंचाई तथा कुल 53,20,137/– रुपये के मूल्य की सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) सेना की फ्लैग मार्च हेतु दिनांक 26.9.90 को अपराह्न 3.00 बजे 6 कालम्स की ट्रुप्स बुलाई गई थी। अशांति दिनांक 26.9.90 को दोपहर के आस-पास प्रारम्भ हुई।

ग्राम आभानेरी (बांदीकुई) से विवाहित महिला का अपहरण

937. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 20-2-1991 को पंचायत समिति बांदीकुई (जयपुर) के ग्राम आभानेरी से श्री किशोरी लाल शर्मा पुत्र श्री हीरालाल तिवाड़ी की धर्मपत्नी का श्री कमल कुमार गुर्जर पुत्र स्व. श्री नानगा गुर्जर निवासी (जस्सापाड़ा) आभानेरी एवं श्री लक्ष्मण गुर्जर पुत्र श्री भौंरीलाल गुर्जर निवासी (सेखपुरा) आभानेरी द्वारा अपहरण करने

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

की पुलिस को जानकारी है ? यदि हां, तो एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नामजद रिपोर्ट लिखाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने अभियुक्तों को जो आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अभी तक तलाश नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब कब तक अपराधियों को पकड़ लिया जायेगा एवं श्री किशोरी लाल की पत्नी को बरामद कर उसके घर वालों को सौंप दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक प्रवृत्तियों को भविष्य में रोके जाने के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3 एवं 4) एक अभियुक्त श्री जगदीश उर्फ भोला को गिरफ्तार किया जा चुका है शेष अपराधियों एवं श्रीमती चन्दा की बरामदगी हेतु पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। जी हां। राज्य सरकार आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हेतु सदैव जागरूक है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

लाल कोठी (जयपुर) में बमों की बरामदगी

938. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1989 में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान दिनांक 22 दिसम्बर, 1989 को जयपुर की लाल कोठी क्षेत्र में सड़क पर बैठकर साइकिलों की मरम्मत करने वाले से 21 बम बरामद किये गये थे ?

(2) यदि हां, तो बम की सूचना देने वाला कौन पुलिस कर्मचारी था? नाम, पद, विभाग सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बम किससे बरामद हुए तथा विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि बम बरामद कराने वाले पुलिस कर्मचारी को मात्र दस रुपये का इनाम देकर विभाग ने ऐसे निष्ठावान कर्मचारी को हतोत्साहित किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या बरामद बमों की प्रयोगशाला के विशेषज्ञों से जांच कराई गई थी ? यदि हां, क्या परिणाम सामने आये ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि यदि ये 21 बम एक साथ कहीं फट गये होते तो बड़ी भयंकर विनाशलीला होती ? यदि हां, तो क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने निष्ठावान कर्मचारी की उपेक्षा की है ?

(50)

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि वर्ष 1989 में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान दिनांक 22.12.89 को जयपुर शहर के लालकोठी क्षेत्र में सड़क पर बैठकर साइकिल की मरम्मत करने वाले अमीर बेग से 21 बम बरामद किये गये थे।

(2) इन बमों की सूचना देने वाला कोई पुलिस कर्मचारी नहीं था। बमों की सूचना मुखबिर ने दी थी।

(3) उक्त बम अमीर बेग पुत्र इस्माइल बेग उम्र 55 वर्ष निवासी नयागांव नाहरी का नाका, राणा कालोनी, जयपुर से बरामद किये जाकर मु.नं. 299/89 धारा 3 टाडा एक्ट में दर्ज किया जाकर अभियुक्त अमीर बेग के खिलाफ दिनांक 31.12.89 को डेजिगनेटेड कोर्ट अजमेर में चालान पेश किया गया है।

(4) बमों की सूचना मिलने पर बरामदगी हेतु पुलिस जाप्ता भेजा गया। इस प्रकरण में श्री बिरजू सिंह हैड कानि. नं. 2272 को 10/– रु. नकद मय प्रशंसा पत्र व अन्य को प्रशंसा पत्र दिया जाकर प्रोत्साहित किया गया है। किसी की उपेक्षा नहीं की गई है।

(5) बम निस्तारण दस्ते द्वारा बमों का मौके पर निरीक्षण करवाया गया जिसने बमों को घातक बताया। बमों को जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोग शाला में भेजा गया है जहां से अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(6) यह सही है कि यदि ये 21 बम एक साथ कहीं फट गये होते तो भयंकर विनाशलीला होती किन्तु मुखबिर द्वारा सूचना मिलते ही तुरन्त पुलिस दल भेज कर बमों को बरामद करवा लिया गया व बरामदगी करने वाले पुलिस कर्मियों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया गया है। किसी भी निष्ठावान कर्मचारी की कोई उपेक्षा नहीं की गई है।

शहरों में जवाहर रोजगार योजना

939. **श्री राजेन्द्र पारीक** (सीकर) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जवाहर रोजगार योजना शहरों में कब से लागू की गई ? राजस्थान के छः सम्भागीय मुख्यालयों में इस योजना के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं सम्भागवार कितने-कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरों में कितनी राशि व्यय की गई और कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, कितने मानव दिवस सृजित हुए ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जवाहर रोजगार योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही चलाई जाती है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(51)

ग्राम रोजदा (आमेर) में जीवनधारा योजनान्तर्गत कुओं का निर्माण

940. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति आमेर के ग्राम रोजदा में जीवन-धारा योजना अन्तर्गत कूप निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो किन-किन को ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्दिरा आवास योजना में जिनके पूर्व में पक्के मकान हैं, उन्हें भी स्वीकृति जारी की गई है ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जीवन-धारा के अन्तर्गत जिन्हें कुएं निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है उनके हिस्से की जमीन में पूर्व में ही कुएं निर्मित हैं ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इन आवेदन पत्रों की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) पंचायत समिति स्तर से जीवन-धारा के आवेदन पत्रों की जांच शिक्षा प्रसार अधिकारी एवं खादी ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी द्वारा की गई। मौके की जांच एवं पटवारी की रिपोर्ट की पुष्टि उन्हीं अधिकारियों द्वारा की गई। उसके पश्चात् विकास अधिकारी द्वारा चैक लिस्ट पर हस्ताक्षर किये गये। उसके पश्चात् जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर के प्रभारी अधिकारी द्वारा भी आवेदन-पत्रों की जांच कर स्वीकृति जारी की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

बांसवाड़ा शहर में देवझूलनी एकादशमी पर हुए गोलीकाण्ड की जांच

941. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डौली), श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) एवं श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांसवाड़ा शहर में देवझूलनी एकादशमी पर हुए गोलीकांड की जांच कराई गई ? यदि हां, तो किस स्तर से ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आदिवासी संस्कृति को आधुनिक फैशनेबल वस्तुओं के व्यापारियों द्वारा नष्ट करने का यह प्रयास था ? यदि नहीं, तो युवकों के उत्तेजित होने का क्या कारण था ?

(3) क्या यह घटना प्रशासन द्वारा जुलूस का रूट नहीं बदलने के कारण किन्हीं राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस पर पथराव के कारण हुई ? यदि नहीं, तो क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) दिनांक 1.9.90 को देवझूलनी

(गृह मन्त्री)

ग्यारस के दिन बांसवाड़ा शहर में फायरिंग की घटना हुई थी उसकी जांच सम्भागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा की जा रही है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। आदिवासी संस्कृति और आधुनिक वस्तुओं के व्यापारियों के मध्य कोई तनाव पैदा नहीं हुआ। युवकों के भड़कने का मुख्य कारण उत्तेजक नारे व निर्धारित रास्ते को छोड़कर पृथ्वीगंज से होकर जुलूस निकालने की जिद थी।

(3) यह घटना प्रशासन द्वारा रूट बदलने के बाद दिये गये लाइसेन्स की खिलाफवर्जी करने के खिलाफ हुई।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के थानों में दर्ज चोरी के मामले

942. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया उदयपुर में गत तीन वर्षों में किन-किन थानों में चोरी के कितने मामले दर्ज हुए हैं ? कितनी-कितनी राशि अथवा सामान की चोरी हुई है और उनमें से कितनी राशि अथवा सामान बरामद हुआ है ? कितने अभियुक्तों को सजा हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फलासिया क्षेत्र की भादड़ी पंचायत में चोरियों की वारदातें ज्यादा हुई हैं ? यदि हां, तो इन्हें रोकने के क्या उपाय किये गये ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "च" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। फलासिया क्षेत्र की भादड़ी पंचायत क्षेत्र में चोरियों की वारदात के वर्ष 1988 में 6 अभियोग, 1989 में एक अभियोग तथा वर्ष 1990 में दो अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं, जो ज्यादा नहीं हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा व्यय की गई राशि

943. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या ग्रामीण विकास अभिकरण (वि. यो.) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 1 जनवरी, 1989 से 31 जनवरी, 1991 तक कुल कितना रुपया किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया ? उसमें से कितना-कितना रुपया कब-कब, किस-किस मद पर खर्च किया गया ? ग्राम का नाम, स्थान, स्वीकृत राशि, व्यय की गई राशि दिनांक सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये एवं कौन-कौन से कार्य अधूरे रहे ? इनके अधूरे रहने के क्या-क्या

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

कारण रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधूरे कार्यों को सरकार शीघ्र ही पूर्ण करवाने का इरादा रखती है? -यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनवरी, 1989 से 31 जनवरी, 1991 तक विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी में ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किये गये कार्यों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की सूचना परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 9 व 10 व कार्य अपूर्ण रहने के कारण की सूचना कालम संख्या 11 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। अपूर्ण रहे कार्यों को नये कार्यों से प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सागवाड़ा क्षेत्र की स्वीकृत सड़कें

944. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1989 से 1990 तक सागवाड़ा क्षेत्र में कितनी सड़कें प्लान में स्वीकृत की गई थीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन स्वीकृत सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सागवाड़ा क्षेत्र में वर्ष 1989 से 1990 में कुल 9 सड़कें प्लान के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (टी.ए.डी.) के अन्तर्गत स्वीकृत की गई जिसकी सूची-1 संलग्न है।

(2) जी हां। स्वीकृति के अनुसार उक्त सभी कार्य वर्ष 1991-92 में पूर्ण होने की आशा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

कांकरोली बाईपास का निर्माण

945. श्री शान्तिलाल (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कांकरोली बाईपास सड़क निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया और अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाईपास सड़क को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस सड़क का निर्माण कार्य संवत् 2042 में एन. आर. ई. पी. के तहत शुरू किया गया जिसका कार्य आरम्भ होने की तिथि 1.3.1986 थी। इस सड़क के निर्माण पर अब तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत निम्न राशि खर्च की जा चुकी है :-

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

क्र. सं.	योजना का नाम	वर्ष	खर्च की राशि लाखों में
1.	एन.आर.ई.पी.	संवत् 2042	3.66
2.	अकाल-राहत	संवत् 2043	4.59
3.	अकाल राहत	संवत् 2044	3.14
4.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	3/90 तक	10.54
	योग :-		21.93

इस सड़क की पूर्ण लम्बाई 9.4 कि. मी. है। जिसमें से विभिन्न मदों में समय-समय पर प्राप्त स्वीकृतिनुसार 5.0 कि मी. डामरीकृत कर दी गई है। शेष 4.4 कि. मी. सड़क का निर्माण बाकी है।

(3) इस बाईपास सड़क को पूरा करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

ग्राम बापी (दौसा) के खेतों की अवाप्त भूमि का मुआवजा

946. **श्री प्रभूलाल (सपोटरा), श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) एवं श्री जियालाल बंशीवाल (दौसा)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दौसा से सैंथल सड़क के ग्राम बापी के खेतों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अप्रोच सड़क वास्ते अवाप्त किया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांव के किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि कब-कब अवाप्त की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अवाप्त की गयी भूमि का किसानों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किसको, किस-किस दर से किन नियमों के तहत ? अब तक किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मुआवजा राशि का कम भुगतान करने पर किसानों ने अवाप्ति अधिकारी को आपत्ति प्रकट की थी ? यदि हां, तो किन-किन किसानों ने कब-कब लिखित में आपत्ति प्रकट की ? आपत्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त किसानों की अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूमि की विक्रय दर सन् 1991 के अनुसार नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार वर्ष 1991 की निर्धारित दर से उक्त ग्राम के किसानों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि बापी ग्राम को दौसा सैंथल सड़क को पुलिया से आगे बढ़ाकर वर्तमान रोड से मिलाकर भी अलग से अप्रोच रोड बनाया जा रहा है ?

(श्री प्रभूलाल)

यदि हां, तो वे कौन-कौन से तकनीकी कारण हैं जिनके आधार पर यह अप्रोच रोड बनाना आवश्यक है ?

(6) क्या राज्य सरकार जनहित में वर्तमान सड़क को ही चौड़ा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ? अप्रोच रोड एवं वर्तमान रोड का मानचित्र सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि अप्रोच रोड के सर्वे के समय केवल एक ही खेत का जान बूझकर चयन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(8) क्या यह सही है कि अप्रोच रोड के लिये खसरा नं. 308 श्री घासीलाल शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा का खेत अवाप्त किया गया ? यदि हां, तो क्या उसको भूमि का मुआवजा विक्रय दर, सन् 1991 के अनुसार दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार उसे 1991 के विक्रय दर से भुगतान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बापी गांव के किसानों की अवाप्त की गई भूमि का विवरण संलग्न सूची-1 में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। अवाप्त भूमि का 80 प्रतिशत मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 की धारा 6 (17)(2) के अन्तर्गत जिन जिन किसानों को दिया गया है, उनका विवरण सूची-2 में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त या तो विवादास्पद टाइटल वाले किसानों को या जो मुआवजा लेने नहीं आये उनको नहीं दिया जा सका है।

(3) जी हां। जिन जिन किसानों ने लिखित में आपत्ति की थी। विवरण सूची 3 में संलग्न है।

(4) जी हां। भूमि अवाप्ति सम्बन्धी प्रावधानों के तहत विक्रय दर का आधार वर्ष धारा 4(1) की विज्ञप्ति प्रकाशन वर्ष माना जाता है। तदनुसार यह आधार वर्ष 1989-90 माना गया है। अतः वर्ष 1991 की निर्धारित दर से मुआवजा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) जी हां, तकनीकी कारणों से। क्योंकि पुलिया का निर्माण स्थल पुरानी सड़क से हट कर तकनीकी कारणों से किया गया है उससे मौजूदा सड़क को मिलाना जरूरी है एवं मौजूदा सड़क को नजदीक से मिलाना सम्भव नहीं था, चूंकि स्कूल एवं अन्य भवन बीच में आते हैं।

(6) जी नहीं। मानचित्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(7) जी नहीं।

(8) जी हां। उनकी भूमि का मुआवजा धारा 4 (1) की स्वीकृति वर्ष 1989 की विक्रय दर से दिया गया है। मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1984 के अन्तर्गत विक्रय दर 1991 से नहीं दिया जा सकता है।

(विवरण एवं मानचित्र विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

नसीराबाद जनरल हास्पिटल को मैचिंग ग्रान्ट की स्वीकृति

947. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नसीराबाद में जनरल हास्पीटल में वार्ड व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नसीराबाद नगर विकास समिति द्वारा कितनी राशि स्वयं के स्तर से व्यय की गई तथा कितनी मैचिंग ग्रान्ट राज्य की ओर से खर्च की जा चुकी है ?

(2) इस चिकित्सालय में कराया जा रहा नव निर्माण का कितना भाग बनना शेष है व उसके लिए कितनी धन राशि की आवश्यकता है ?

(3) राज्य सरकार इस निर्माण कार्य को पूरा करने में नसीराबाद नगर विकास समिति द्वारा व्यय किये गये धन के बराबर "मैचिंग ग्रान्ट" कब तक प्रदान कर देगी ?

उत्तर

(1) राजकीय जनरल अस्पताल, नसीराबाद में वार्ड एवं अन्य सुविधाओं के लिये नसीराबाद नगर विकास समिति द्वारा 7.73 लाख की राशि व्यय किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 2.50 लाख की ग्रान्ट मुख्य मन्त्री अस्पताल विकास कोष से दी गई है। इस प्रकार उक्त सुविधाओं के लिये अब तक कुल व्यय 10.23 लाख रुपये हुआ है।

(2) चिकित्सालय में चार वार्ड व अन्य सुविधाओं का कार्य करना शेष है। निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु 10,30,439 रुपयों की आवश्यकता होगी।

(3) चूंकि निर्माण कार्य नगर विकास समिति द्वारा करवाया जा रहा है, अतः इसे पूरा कराने की व्यवस्था भी समिति को ही करनी है।

बालोतरा खण्ड के ट्रान्सफार्मर्स

948 श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बालोतरा खण्ड में गत तीन वर्ष में कितने पावर के ट्रान्सफार्मर फेल हुए ? इनकी कीमत कितनी-कितनी थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मण्डल द्वारा निश्चित रख-रखाव नहीं होने की वजह से ये ट्रान्सफार्मर्स फेल हुए ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बालोतरा खण्ड के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कुल 12 पावर (33/11 के. वी.) ट्रान्सफार्मर फेल हुए हैं जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 31.05 लाख रुपये है।

(2) जी नहीं। निश्चित रख-रखाव के अभाव में उपरोक्त ट्रान्सफार्मर फेल नहीं हुए हैं, बल्कि तकनीकी कारणों से हुए हैं। चूंकि इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही

(ऊर्जा मन्त्री)

किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। अधिकांश ट्रान्सफार्मर ओवर लोड होने के कारण जलते हैं। काश्तकार समय समय पर बिना अनुमति के लोड बढ़ा लेते हैं। कई स्थानों पर अवैध कनेक्शन भी लगा लेते हैं। इन सबके फलस्वरूप ट्रान्सफार्मर जलने के मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं। जिस तेज गति से ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार हो रहा है, उस गति से अतिरिक्त स्टाफ लगाना सम्भव नहीं है, बल्कि पिछले 10 वर्षों से करीब करीब नियुक्तियां बन्द हैं इसका भी रख रखाव पर असर पड़ता है।

खींवसर जिला नागौर में 33 के. वी. पावर स्टेशन की देखभाल का अभाव

949. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खींवसर जिला नागौर में 33 के. वी. का पावर स्टेशन है और सहायक अभियन्ता कार्यालय मूण्डवा में स्थित है जिससे खींवसर पावर स्टेशन की देखभाल नहीं होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मूण्डवा में सहायक अभियन्ता कार्यालय होने से दूरस्थ गांवों के लोगों को आने जाने में काफी असुविधायें एवं आर्थिक हानि उठानी पड़ती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र के गरीब किसानों व ग्रामीणों को राहत पहुंचाने तथा खींवसर स्थित पावर स्टेशन व इतनी लम्बी बिजली की लाइन की देखभाल हेतु ग्राम खींवसर में सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। खींवसर 33/11 के. वी. सब स्टेशन सहायक अभियन्ता (प. एवं स), नागौर के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में हैं, जिस की देखभाल उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बराबर की जा रही है।

(2) सब ही स्थानों पर सहायक अभियन्ता के कार्यालय खोलना सम्भव नहीं है। अतः जो गांव विद्यमान कार्यालय से तुलनात्मक अधिक दूरी पर स्थित हैं उनके निवासियों को उक्त कार्यालय से सम्पर्क करने हेतु थोड़ी दूर जाने का कष्ट करना ही होगा।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लालसोट (जयपुर) में कृषि कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र

950. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट में तुरन्त प्राथमिकता योजना में कितने कृषि कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र किस-किस गांव के प्राप्त हुए हैं ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग ने 60 दिन में कृषि कनेक्शन देने के लिये तुरन्त प्राथमिकता योजना बनाकर प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये हैं ? यदि हां, तो किस-

(58)

(श्री परसादीलाल मीणा)

किस तिथि को प्राप्त कृषि प्रार्थना-पत्र पर अब तक किस-किस तिथि को कितने कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं ? विभाग की नीति के अन्तर्गत 60 दिवस में कितने आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के 2 माह तक तो तुरन्त प्राथमिकता योजना में आवेदकों को तकमीना बनाकर डिमाण्ड नोटिस भी जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सभी को तकमीना बनाकर डिमाण्ड नोटिस जारी किये जा चुके हैं ?

(4) क्या यह सही है कि लालसोट सहायक अभियन्ता कार्यालय द्वारा किसानों को कृषि कनेक्शन देने में जान-बूझकर देरी की जाती है ? यदि नहीं, तो डिमाण्ड राशि जमा कराने एवं 'एल' फार्म लगाने के बाद भी काफी संख्या में कृषि कनेक्शन नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट में तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत माह फरवरी, 1991 तक 100 ग्रामों में कुल 439 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं। प्राप्त आवेदनों की ग्रामवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां मण्डल द्वारा ऐसे आवेदक जो अपनी बारी का इन्तजार नहीं कर तुरन्त प्राथमिकता के अन्तर्गत लगभग दो माह में कनेक्शन लेना चाहते हैं उनके आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, लालसोट कार्यालय द्वारा माह फरवरी, 1991 तक दिये गये कनेक्शनों का ग्रामवार आवेदन की तिथि व जारी किये गये कनेक्शनों की तिथि सहित विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

(3) जी हां, यह सही है कि सभी आवेदनकर्ताओं को इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित समय के भीतर मांग पत्र बहुत अधिक मात्रा में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने व संसाधनों की कमी के कारण नहीं दिये जा सके। उपरोक्त योजनान्तर्गत सम्भावित आवेदक निराश नहीं हो, इसलिए अब मांग–पत्र जारी करने के उपरान्त एवं आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद तकनीकी साध्य कनेक्शनों को तीन माह में कनेक्शन देने के प्रयास किये जावेंगे। इस योजना में दिनांक 7–3–1991 तक 104 आवेदकों को मांग–पत्र जारी किये जा चुके हैं।

(4) जी नहीं। इस योजना के अन्तर्गत जिन आवेदकों से मांग पत्र राशि व "एल" फार्म प्राप्त हो गये हैं उनको कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। पिछले वर्ष 230 कनेक्शन हुए थे, उसके मुकाबले इस वर्ष अधिक कनेक्शन होने की सम्भावना है। मामला कार्य की शिथिलता का नहीं है अपितु नई नीति के फलस्वरूप लक्ष्य चार गुना बढ़ गये हैं। अतः सामान्य स्टाफ को इतना अधिक काम निपटाने में अधिक समय लगना स्वभाविक है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

59

ग्राम कुचेरा (नागौर) में 132 के. वी. जी. एस. एस. की स्वीकृति

951 श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम कुचेरा (नागौर) में 132 के. वी. जी. एस. एस. स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

(2) नागौर जिले में 132 के. वी. जी. एस. एस. कहां-कहां पर है तथा उन पर लगे पावर ट्रांसफार्मर्स की क्षमता कितनी है ? रबी की फसल 1990–91 तक हर ट्रांसफार्मर्स पर कितना विद्युत भार आने की सम्भावना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्युत मण्डल वर्ष 1990–91 की रबी की फसल में कृषि उपभोक्ताओं को उचित विद्युत दबाव के साथ पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति कर सकेगी ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो विद्युत मंडल इसके लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्राम सांजू (डेगाना) में 33/11 के. वी. जी. एस. एस. कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

(5) सभी 33/11 के. वी. जी. एस. एस. से निकलने वाली 11 के. वी. फीडर्स के वोल्टेज रेगूलेशन क्या हैं ? क्या यह विद्युत मण्डल के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो विद्युत मण्डल सुधार के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ग्राम कुचेरा (नागौर) में 132 के. वी. जी. एस. एस. का निर्माण आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

(2) नागौर जिले में निम्न स्थानों पर 132 के. वी. जी. एस. एस. प्रतिस्थापित है जिन पर वर्तमान में लगे पावर ट्रान्सफार्मरों की क्षमता व 31–3–90 तक दर्ज किया गया भार प्रत्येक के सामने दर्शा दिया गया है। वर्ष 1990–91 में 10% अधिक भार आने की सम्भावना है :–

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	ट्रान्सफार्मर का भार/क्षमता	अधिकतम लोड एम. वी. ए. में 31–3–1990
1	2	3	4
1.	मेकन्दा	1×10/12.5 एम. वी. ए. 132/33 के. वी.	11.47
2.	मेड़तासिटी	2×10/12.5 एम. वी. ए. 132/33 के. वी.	20.44

1	2	3	4
		1 × 6 एम. वी. ए./132/11 के. वी.	5.76
3.	कुचामन सिटी	2 × 10/12.5 एम. वी. ए./ 132/33 के. वी.	12.41
		1 × 6 एम. वी. ए./132/11 के. वी.	5.28
4.	मकराना	1 × 10/12.5 एम. वी. ए./ 132/11	9.00
		2 × 10/12.5 एम. वी. ए./ 132/33 के. वी.	24.10
5.	डीडवाना	2 × 10/12.5 एम. वी. ए. 132/33 के. वी.	25.31
6.	नागौर	1 × 10/12.5 एम. वी. ए. 132/33 के. वी.	10.90
		1 × 6 एम. वी. ए./132/11 के. वी.	5.86
7.	गोटन	1 × 6 एम. वी. ए./132/11 के. वी.	5.58

(3) जिन ट्रान्सफार्मरों पर क्षमता से अधिक भार है उन पर उपलब्धिनुसार उपयुक्त क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने के प्रयास जारी हैं। तब तक प्रभावित क्षेत्रों को कृषि हेतु विद्युत आपूर्ति दो या तीन पारियों में निर्धारित घन्टों में दी जाती है।

(4) ग्राम सांजू (डेगाना) में 33/11 के. वी. सब स्टेशन बनाना प्रस्तावित है, जिसका निर्माण कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों तथा 33 के. वी. के वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा। अत: अभी निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

(5) नागौर जिले में अधिकांश 33/11 के. वी. सब स्टेशन से निकलने वाले 11 के. वी. फीडरों पर वोल्टेज रेगूलेशन निर्धारित मानदण्डों से अधिक हैं उनके सुधार हेतु प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं तथा पूर्व स्वीकृत प्रस्तावों पर कार्य जारी है।

(61)

ग्राम पंचायत तलवास (बूंदी) में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण

952. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने हेतु चयन किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों की भी कोई भूमिका रही है ? यदि हां, तो इस बाबत विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत तलवास, तहसील नैनवां, जिला बूंदी द्वारा उक्त पंचायत क्षेत्र से कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन दिये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किये गये हैं ? यदि हां तो प्रस्ताव की नकल सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत पंचायत तलवास (Talwas) के लाभान्वित व्यक्तियों की सूची तथा चयन के बावजूद लाभान्वित होने से वंचित रहे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने हेतु चयन किये जाने के सम्बन्ध में आदेशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की कोई भूमिका नहीं रही है। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग व मण्डल द्वारा जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' व 'ब' संलग्न है।

(2) सरपंच, ग्राम पंचायत तलवास, तहसील नैनवा जिला बूंदी के पत्र दिनांक 11.1.91 द्वारा सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, नैनवा को उक्त योजना में 16 व्यक्तियों को विद्युत सम्बन्ध दिये जाने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति परिशिष्ट 'स' संलग्न है।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक 3 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। शेष सभी चयनित व्यक्तियों को सीमित लक्ष्यों व साधनों के कारण लाभान्वित करना सम्भव नहीं है। सूची परिशिष्ट 'द' संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखे)

विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के राजस्व गांवों का विद्युतीकरण

953. **श्री सुनील विश्नोई** (सूरतगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की तहसील सूरतगढ़, श्री विजय नगर, अनूपगढ़ व घड़साना तहसीलों के कितने राजस्व गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है व कब-कब ? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष के फैज्ड प्रोग्राम में कौन-कौन से गांवों को विद्युतीकरण हेतु लिया जा चुका है ? सूची गांववार एवं तहसीलवार सदन की मेज पर रखें। क्या इस विधान सभा क्षेत्र का विद्युतीकरण हेतु सर्वे किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या कोई क्षेत्र ऐसा भी है जिसका अभी तक सर्वे नहीं हुआ है ? यदि हां, तो

(श्री सुनील विश्नोई)

किस किस क्षेत्र का ? गांव व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें व इस क्षेत्र का सर्वे कब तक करवा दिया जायेगा ?

(4) क्या सरकार इस क्षेत्र के शीघ्र विद्युतीकरण करने हेतु तुरन्त सर्वे करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1981 की जनगणना पुस्तिका में अंकित तहसील सूरतगढ़ एवं तहसील अनूपगढ़ के क्रमशः 120 एवं 168 कुल 288 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। गांववार सूची 'अ' व 'ब' मय विद्युतीकरण तिथि के संलग्न है।

(2) इस वर्ष 1990-91 के फेज्ड प्रोग्राम में अनूपगढ़ क्षेत्र के 32 एवं विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित किया गया है। सूची 'स' संलग्न है। सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तहसीलों का सर्वे कर क्षेत्र में उपलब्ध भू-जल, विद्युत प्रणाली, भौगोलिक स्थिति एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत करवाई गई हैं। क्षेत्र में वर्तमान में चल रही योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम श्रेणी	स्वीकृत वर्ष	प्रस्तावित ग्राम	मार्च, 90 तक विद्युतीकृत	शेष स्वीकृत ग्राम
		तहसील सूरतगढ़			
1.	प. सं. सूरतगढ़ आर. एम. एन. पी.	83-84	50	16	34
2.	प. सं. सूरतगढ़ एस. यू. (रिप्ले)	88-89	40	13	36
3.	प. सं. सूरतगढ़ एस. यू. डी.	89-90	30	—	30
		तहसील अनूपगढ़			
1.	प. सं. अनूपगढ़ आर. एम. एन. पी.	84-85	48	11	37
2.	प. सं. अनूपगढ़ एम. एन. पी.-II	87-88	30	9	21
3.	प. सं. अनूपगढ़ एम. एन. पी.-III	87-88	21	8	13
4.	नात.आर. ई. सी.		—	—	2

(विद्युत मन्त्री)

(3) जी हां। शेष बचे हुए ग्रामों का सर्वे कर विद्युतीकरण योजना बनाना शेष क्षेत्र का सर्वे करवाया जाना योजना मद में उपलब्ध साधनों एवं उस क्षेत्र में उपलब्ध विद्युत प्रणाली पर निर्भर करता है। अतः फिलहाल सर्वे के सम्बन्ध में निश्चित समयावधि बता पाना सम्भव नहीं है।

(4) जी हां। सरकार का उद्देश्य राज्य का शीघ्रातिशीघ्र शत प्रतिशत विद्युतीकरण करना है, किन्तु यह योजना मद में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं उपलब्ध विद्युत प्रणाली व योजना बनाने हेतु अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं के पूर्ण होने पर निर्भर करता है। अतः निश्चित समयावधि बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम सभाओं द्वारा बेसहारा व्यक्तियों के परिवारों का चयन

954. श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य में ग्राम सभाओं द्वारा बेसहारा व्यक्तियों के परिवारों को चयनित कर लाभ दिलाने की कोई योजना चालू है? यदि हां, तो तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1989-90 में कितने व्यक्तियों को चयनित किया गया है? नाम व्यक्ति चयनित करने का दिनांक मय गांव व पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चयनित परिवारों को बैंकों द्वारा किश्तों में लाभ दिलाया जाता है? यदि हां, तो तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा में कितने चयनित परिवारों को किस-किस उद्देश्य से किन बैंकों द्वारा लाभान्वित किया गया व कितने परिवार लाभ लेने से शेष हैं? मय कारण सूची पंचायत वार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही कि श्री आलुडा पिता लसिया आदिवासी गांव रघुनाथ सिह का गढ़ी पंचायत रूजिया पंचायत समिति घाटोल को बैल व बैलगाड़ी खरीदने को सात हजार रुपये ग्रामीण बैंक शाखा देलवाड़ा के मार्फत डी. आर. डी. ए. द्वारा स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो चयनित आलुडा गांव रघुनाथ सिंह की गाड़ी के बैल जोड़ी व बैलगाड़ी खरीदने की पूरी किश्त क्यों नहीं दी गई है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1989-90 में परिवारों का चयन नहीं किया गया।

(2) जी हां। उद्देश्यवार, बैंकवार लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट I व II पर संलग्न है। शेष परिवारों को लाभान्वित न कराने का कारण सीमित लक्ष्यों का होना है।

(3) जी हां। पूरी किश्त दी जा चुकी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय रोडू (नागौर) में अध्यापकों के रिक्त पद

955. श्री मनोहर सिंह (शेरगढ़) :

(श्री मनोहर सिंह)

क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय रोडू, जिला नागौर में अध्यापिकाओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद गत सत्र से ही रिक्त पड़े हैं ? इन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ?

उत्तर

राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय रोडू (नागौर) में कुल 6 पद स्वीकृत है। तीन पद गत सत्र से ही रिक्त हैं। चयन प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

पंचायत समिति सवराड़ (मारवाड़ जंक्शन) के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

956. श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत सबराड़ पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के सरपंच की किन-किन आरोपों के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर द्वारा सरपंच पर लगाये गये आरोपों की जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक जांच करवा दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत के सरपंच को हटाने के बाद चार्ज जिस व्यक्ति को दिया गया है वह जनता द्वारा चुना हुआ नहीं है ? क्या अस्थायी चार्ज देकर जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया गया है ?

(4) सरपंच को हटाने के बाद ग्राम में किस-किस प्रकार के कार्य कहां-कहां पर प्रारम्भ किये गये तथा उन पर कितना व्यय हुआ है ? क्या उक्त सभी कार्य ग्राम हित के हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उपरोक्त परिस्थितियों में क्या सरकार एक समिति गठित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सवराड़ के पंचों द्वारा दिनांक 30.11.90 को श्री बगताराम चौधरी सरपंच के विरुद्ध आबादी भूमि से प्राप्त राशि का दुरुपयोग एवं नियमों का उल्लंघन कर राशि का भुगतान करने के आरोपों में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। जिस पर 21.12.90 को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के फलस्वरूप जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 19.1.91 को उन्हें सरपंच पद से हटाया गया।

(2) जिला कलक्टर, पाली को पूर्व सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच हेतु लिखा गया।

(3) जी नहीं। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद चार्ज उक्त ग्राम पंचायत के उप सरपंच श्री मांगीलाल को दिलाया गया जो चुनिन्दा उप सरपंच हैं।

(राज्य मन्त्री, पंचायती राज)

(4) सरपंच को हटाने के बाद निम्न कार्य ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्तावानुसार ग्राम हित में ही किये गये हैं। उन कार्यों पर जो खर्चा किया गया है उसका विवरण अंकित है :–

क्र.सं.	नाम कार्य	व्यय राशि
1.	मोढवासा रास्ता नाला व खंरेजी	13402/–
2.	सवराड से सिसरवादा रोड	20900/–
3.	ग्राम सवराड में अनुसूचित जाति के मौहल्ले में खंरजा नाली निर्माण	18808/–
4.	उच्च प्राथमिक शाला के भवन को पूर्ण करना	49514/–
5.	सोडवाड़ा घर रिसाणिया	17666/–
6.	शाला भवन में मूत्रालय ग्राम रिसाणिया	2685/–

(5) ग्राम पंचायत का कार्य विधिवत चल रहा है अतः कमेटी गठित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रायपुर व सोजत (पाली) के शिक्षा केन्द्र

957. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले की पंचायत समिति रायपुर व सोजत में वर्ष 1988–89, 1989–90 में कितने प्राथमिक विद्यालय या शिक्षा केन्द्र खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने इन प्राथमिक विद्यालयों पर शिक्षा केन्द्रों को जो बंद हो गये थे पुनः खोलने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

(3) अब सरकार कब तक इन्हें प्रारम्भ कर देगी ?

(4) क्या उक्त केन्द्रों के अलावा सरकार इस वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र रायपुर के प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय खोखरी गिरी, बोरवाड़-सेंदड़ा, बोयानाड़ी, कानूजा, कालीचूतरी, दीपावास, चांग गांव, सालरमाल, बीजागुडा, पोकरियानाडी, बीजागुडा, बाफोला कलालिया के खोलने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्ष 88–89 व 89–90 में पंचायत समिति सोजत में 27 व पंचायत रायपुर में 23 शिक्षा केन्द्र खोले गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) नवीन प्राथमिक विद्यालय अगले वित्त वर्ष में निर्धारित नीति के अनुसार खोले जायेंगे।

(4) जी नहीं।

पंचायत समिति छबड़ा की जीप मरम्मत पर व्यय

958. श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष छबड़ा पंचायत समिति की जीप जल गई थी ? यदि हां, तो कैसे ?

(2) क्या उससे पहले मार्च, 1990 से जुलाई, 1990 के बीच जीप की मरम्मत पर बड़ी राशि खर्च की गई ? मरम्मत पर कितनी राशि खर्च हुई और क्या उसकी स्वीकृति पंचायत समिति से ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) मरम्मत के लिये ली गई अग्रिम राशि का समायोजन 6 माह तक भी क्यों नहीं किया गया ?

(4) क्या प्रस्तावित मरम्मत पर ड्राइवर की राय ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या मरम्मत के बिल पर ड्राइवर के हस्ताक्षर कराये गये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जीप नं. आर. एस. ओ. 8156 आरक्षण विरोधी छात्रों द्वारा दिनांक 9.10.90 को जला दी गई।

(2) जी हां, उसकी मरम्मत पर रुपये 48,157.75 पैसे व्यय हुए हैं और इसकी स्वीकृति प्रशासन स्थायी समिति द्वारा ली गई है।

(3) छः माह में समायोजन कर लिया गया है।

(4) ड्राइवर की राय लेकर ही जीप को ठीक करवाया गया था एवं मरम्मत भी उसी के मार्फत कराई गई थी बिलों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था। अतः जांच विचाराधीन है।

सीमलवाड़ा (सागवाड़ा) क्षेत्र की पंचायतों को विद्युत मोटरें देने के नार्म्स

959. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विकास योजना के तहत आदिवासियों को विशेषकर सीमलवाड़ा पंचायत समिति की 22 पंचायतें (सागवाड़ा) तथा 22 पंचायतों के सीमलवाड़ा क्षेत्र को, कितने कुओं की मोटरें किन-किन को दी गई तथा कुओं पर कितनी मोटरें लगीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन मोटरों पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

(3) इन मोटरों को देने के क्या नार्म्स रखे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विकास योजना के तहत आदिवासियों को विशेषकर सीमलवाड़ा पंचायत समिति की 22 पंचायतें तथा 22 पंचायतें सागवाड़ा की, को निम्नानुसार 55 कुओं पर मोटरें दी गई हैं। जिनको मोटरें दी गई हैं उसकी सूची संलग्न है।

	सागवाड़ा क्षेत्र	सीमलवाड़ा क्षेत्र
अनु.जा.	1	–

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

अ.ज.जा.	6	7
अन्य	28	13
	35	20

(2) इन मोटरों पर कुल 2,47,500/- रु. खर्च हुए हैं।

(3) इन मोटरों को सीमान्त कृषकों को देने के नार्म्स रखे गये हैं। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लाभार्थियों को 5,000/– व अन्य को 4,500/– रुपये का अनुदान दिया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

ग्राम कुचलवाड़ा कलां ग्राम पंचायत ऊंचा की भूमि पर अतिक्रमण

960. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ऊंचा के कुचलवाड़ा कलां गांव की आबादी भूमि में सरपंच की सहायता से कुछ लोगों ने आदर्श विद्या मन्दिर के नाम से अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार इसे बेदखल करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में सरपंच के विरुद्ध सरकार के पास जांच लम्बित है ? यदि हां, तो जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं, एवं जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ? क्या सरकार सरपंच के विरुद्ध पंचायत अधिनियम की धारा 17/4 के तहत कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या खसरा नम्बर 599 की उक्त आबादी भूमि में ग्राम पंचायत ऊंचा द्वारा भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को पट्टा जारी किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन पट्टों में से कुछ को पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) ग्राम पचायत द्वारा जिन व्यक्तियों को भूखण्डों के पट्टे जारी किये गये हैं उनको कब्जा दिलवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। अतिक्रमण हटाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत ऊंचा द्वारा नोटिस दिये गये हैं व विधिवत कार्यवाही जारी है।

(2) जी हां। पूर्व सरपंच द्वारा रिकार्ड का पूर्ण चार्ज नहीं दिये जाने के कारण जांच लम्बित है, लेकिन उसको पूर्ण कराने की कार्यवाही जारी है। जांच के निर्णय के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। ग्राम पंचायत ऊंचा द्वारा पट्टा किस को, कहां व कितने दिये गये हैं यह भूतपूर्व सरपंच द्वारा वर्तमान सरपंच को चार्ज देने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

(3) पूर्व सरपंच द्वारा वर्तमान सरपंच को चार्ज नहीं देने के कारण मामला श्रीमान्

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

एम.जी.एम जहाजपुर के यहां विचाराधीन है, निर्णय होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। 33 व्यक्तियों की भूमि विक्रय मिसलें वित्त कर तथा प्रशासन स्थाई समिति मीटिंग पंचायत समिति जहाजपुर के निर्णय सं. 7 दिनांक 13.3.87 के अनुसार अनुमोदन कर ग्राम पंचायत ऊंचा को भेजी गई, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) एम.जी.एम. कोर्ट, जहाजपुर में मामला विचाराधीन है, जिसका निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

सिवाना एवं सिणधरी पंचायत समितियों में मरू विकास के तहत निर्मित टांके एवं कुएं

961. **श्री हुक्माराम (सिवाना)**: क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सिवाना पंचायत समिति एवं सिणधरी पंचायत समिति में वित्त वर्ष 1989-90 में मरु विकास के तहत कुल कितने व्यक्तिगत टांके एवं कुएं खुदवाये गये एवं कहां-कहां कार्य अभी चल रहा है? कितने कार्य की स्वीकृति मिलने के बावजूद भी आरम्भ नहीं किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सिवाना पंचायत समिति एवं सिणधरी पंचायत समिति में वित्तीय वर्ष 1989-90 में मरु विकास कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत 73 टांके एवं 37 कुएं स्वीकृत किये गये थे उसमें से 67 टांके एवं 29 कुएं खुदवाये गये हैं जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम पं.स.	स्वीकृत		खुदवाये		निरस्त	
		टांके	कुएं	टांके	कुएं	टांके	कुएं
1.	सिवाना	29	33	23	25	6	8
2.	सिणधरी	44	04	44	04	–	–
	योग :	73	37	67	29	6	8

स्वीकृत टांके एवं कुओं का कार्य अभी तक पंचायत समिति सिवाना एवं सिणधरी में कहीं पर भी नहीं चल रहा है। पंचायत समिति सिवाना के स्वीकृत 6 टांके एव 8 कुएं आरम्भ नहीं किये गये थे, उन्हें निरस्त कर दिये गये हैं।

केकड़ी पंचायत समिति के सरपंचों के विरुद्ध विभागीय जांच

962. **श्री शम्भूदयाल बडगूजर (केकड़ी)** : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) केकड़ी पंचायत समिति के कौन-कौन से सरपंच के विरुद्ध कब से विभागीय जांच लम्बित है? कितनी जांच पूरी हो गई तथा कितनी विचाराधीन है? कितनी-कितनी राशि का गबन किस-किस पंचायत के सरपंच ने वर्ष 1986-87 से 1990-91

(श्री शम्भूदयाल बडगूजर)

तक किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) केकड़ी पंचायत समिति की कितनी पाठशालाओं के पास भवन नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार जिन पाठशालाओं के पास भवन नहीं है उनके भवन निर्माण हेतु विशेष राशि आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) केकड़ी पंचायत समिति के अन्तर्गत संचालित पाठशालाओं में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) इस समिति की सभी प्राथमिक शालाओं के पास भवन उपलब्ध है।

(3) इस समिति में एक पद अध्यापक का रिक्त है। चयन की प्रक्रिया जारी है। शीघ्र भर दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

राज्य की पंचायत समितियों की जीपें

963. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत):** क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने राज्य की पंचायत समितियों को जीपें उपलब्ध करवाई हैं ? यदि हां, तो किन-किन को ? क्या सरकार शेष पंचायत समितियों को भी जीप उपलब्ध करवाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) कितनी पंचायत समितियों की जीपें खराब पड़ी हुई हैं ? क्या सरकार इन पंचायत समितियों की जीपें ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत समितियों ने जीप की मांग की है ? यदि हां, तो किन-किन ने कब-कब की ? क्या सरकार उन्हें जीप उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन पंचायत समितियों को वर्ष 89-90 में नई जीपें उपलब्ध कराई गई हैं उनकी सूची "ए" संलग्न है। हां, शेष पंचायत समितियों को जहां आवश्यकता और औचित्यता प्रतीत होगी, उपलब्ध कराने पर विचार किया जावेगा। जब भी वाहन उपलब्ध होंगे, उपलब्ध कराने पर विचार किया जावेगा।

(2) 94 पंचायत समितियों में जीपें खराब हैं। जो जीपें ठीक कराने की हालत में होगी, उन्हें तकनीकी जांच के आधार पर ठीक कराने पर विचार किया जावेगा।

(3) जी हां। जिन-जिन पंचायत समितियों ने जीपों की मांग कब की है, उसकी सूची "बी" संलग्न है। जी हां, वाहन

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

उपलब्ध होने पर पंचायत समितियों को उपलब्ध कराने पर विचार किया जावेगा। वाहनों के क्रय करने की कार्यवाही चल रही है, वाहनों के प्राप्त होने पर आवश्यकता, औचित्यता आदि के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

पंचायत समिति बामनवास के ग्रामों में संचालित विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य

964. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति बामनवास की प्राथमिक शाला लाडपुरा, बाढ कोयला बैरवा की ढाणी, कोहली प्रेमपुरा के भवनों का निर्माण कार्य चालू है, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) प्राथमिक शाला गुजर बड़ोदा, शाला गहनोली, सुखानन्दपुरा माधोपुरा, गुजर ठीकरया, लिवाली सतगोत्या की ढाणी, ढाणी लांक, सूरगढ़ को स्वीकृत एक एक लाख रुपये की राशि में से कितनी-कितनी राशि किस किस कार्य पर व्यय की गई ?

(3) क्या, प्राथमिक शाला लाडपुरा भवन निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? क्या इस मामले में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बामनवास की प्राथमिक शाला कोहली प्रेमपुरा में भवन निर्माण कार्य चालू है। प्राथमिक शाला लाडपुरा एवं बाढ कोयला बैरवा की ढाणी में अभी निर्माण कार्य चालू नहीं है।

प्राथमिक शाला लाडपुरा में निर्माण कार्य इसलिये आवश्यक नहीं है क्योंकि वहां पर पूर्व में ही प्राथमिक शाला भवन उपलब्ध है। प्राथमिक शाला बैरवा की ढाणी बाढ कोयला में प्राथमिक शाला भवन नहीं है, क्योंकि वहां पर पंचायत शिक्षा केन्द्र खोला गया था, जिसे राज्य सरकार के निर्णय अनुसार बंद कर दिया गया।

(2) नवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर निम्नांकित विद्यालयों में उनके नाम के सामने अंकित राशि का भुगतान मौके पर हुए निर्माण कार्य के अनुसार किया गया है :–

1.	प्रा.	शा.	गूर्जर बड़ौदा	25,000/–
2.	,,	,,	गहनौली	50,000/–
3.	,,	,,	सुखनंदपुरा	50,000/–
4.	,,	,,	माधोपुरा	50,000/–
5.	,,	,,	गूर्जर ठीकरिया	75,000/–
6.	,,	,,	लिवाली	75,000/–
7.	,,	,,	ढाणी लांक	50,000/–
8.	,,	,,	सूरगढ़	50,000/–

(3) इस प्रश्न का उत्तर भाग (1) में दिया जा चुका है एवं इसमें कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं है।

जिला टोंक की पंचायत समितियों के अधीन संचालित विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

965. **श्री रामनारायण बैरवा** (निवाई): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला टोंक में पंचायत समितियों के अधीन कितनी प्राथमिक शालाएं हैं तथा उनमें वर्तमान में कितने-कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

(2) ऐसे कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनमें अध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है ?

(3) अब सरकार कब तक इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में पंचायत समितियों के अधीन 622 प्राथमिक शालाएं हैं तथा इन शालाओं में वर्तमान में 1314 अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) अध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई में बाधा आ रही हो, ऐसा एक भी विद्यालय नहीं है।

(3) चयन प्रक्रिया की कार्यवाही पूर्ण होते ही रिक्त पद पर भर दिये जायेंगे।

पंचायत समितियों की भूमि एवं भवनों पर अनधिकृत कब्जे

966. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की पंचायत समितियों की कृषि एवं अन्य भूमि तथा क्षेत्र में स्थित भवनों पर अन्य संस्थाओं या व्यक्ति विशेष द्वारा कब्जे कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायत समितियों के भवनों या भूमि का हस्तान्तरण अन्य संस्थाओं को किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी पंचायत समितियों के भवन या भूमि का हस्तान्तरण किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार इन कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ख")

(3) ऐसे कब्जों के हटाने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

स्व. श्री गौरीशंकर नाई, अध्यापक, ग्राम पोस्ट डूलानिया, जिला झुन्झुनू के उत्तराधिकारी की नियुक्ति

967. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री किशनाराम नाई)

(1) क्या यह सही है कि श्री गौरी-शंकर नाई, अध्यापक, ग्राम पोस्ट डुलानिया वाया काजड़ा, पंचायत समिति सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू का स्वर्गवास सेवाकाल में ही हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि उनके पुत्र श्री गुमानीराम ने पंचायत समिति सूरजगढ़ में च.श्रे.क. के रिक्त पद हेतु नियमानुसार उत्तराधिकारी के रूप में आवेदन किया है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की है ?

(3) सरकार उक्त प्रार्थी को कब तक राज्य सेवा में लेने का विचार रखती है ?

(4) वर्ष 1987 से आज तक नियुक्ति नहीं देने के क्या कारण रहे एवं इसके लिए कौन दोषी है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। मृतक अध्यापक के आश्रित श्री गुमानी राम को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 14.2.91 को नियुक्ति दी जा चुकी है।

(3) पंचायत समिति झुन्झुनू के द्वारा दिनांक 14.2.91 को नियुक्ति दी जा चुकी है।

(4) वर्ष 1987 में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र जिला परिषद झुन्झुनू को प्रस्तुत किया था उस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरजगढ़ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त नहीं होना बताया। जिले की अन्य पंचायत समिति झुन्झुनू में पद रिक्त होते ही प्रार्थी को नियुक्ति दे दी गई है।

ग्राम पंचायत झाड़ोल (उदयपुर) द्वारा आवंटित पट्टे

968. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम पंचायत झाड़ोल जिला उदयपुर द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 में आबादी भूमि में आवासीय पट्टे किस-किस व्यक्ति को कब-कब, किस-किस भूमि पर कितनी-कितनी राशि के आवंटित किये गये ? आराजी नम्बर, प्रत्येक पट्टे की भूमि का क्षेत्रफल, ब्ल्यूप्रिन्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निःशुल्क पट्टे भी आवंटित किये गये ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को तथा इसमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कौन-कौन व्यक्ति हैं ? व्यक्तियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पट्टों के आवंटन से प्राप्त राशि के सम्बन्ध में दी गई रसीद संख्या एवं बुक संख्या का नम्बर एवं रोकड़ बुक की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत झाड़ोल ने वर्ष 88-89, 89-90 एवं 90-91 में आबादी भूमि में आवासीय पट्टे किसी भी व्यक्ति को कीमत आवंटित नहीं किये गये। अतः

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी हां। ग्राम पंचायत भाड़ोल द्वारा 69 व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टे दिये गये। जिसमें से अनु. जाति को 18 एवं सामान्य जाति के व्यक्तियों को 51 कुल 69 पट्टे दिये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ग्राम पंचायत भाड़ोल द्वारा उक्त अवधि में आबादी भूमि में आवासीय पट्टे कीमतन नहीं दिये जाने से प्राप्त राशि एवं रसीद संख्या बुक संख्या का विवरण अंकित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

पंचायत समितियों के अध्यापकों के नवीन वेतनमान का निर्धारण

969. **श्री रामेश्वर (जमवारामगढ़)** : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में कार्यरत अध्यापकों को नवीन वेतनमान 1-9-1988 से देकर वेतन निर्धारण 1989 में करना था परन्तु अभी तक भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनका वेतन निर्धारण (स्थिरीकरण) अभी तक नहीं किया गया है ?

(2) क्या नवीन वेतनमान में वेतन निर्धारित जिन अध्यापकों का कर दिया है उनको बकाया राशि का भुगतान कर दिया ? यदि नहीं किया गया तो क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनको 1 9 1988 से पूर्व सेवा में रहते हुए 15 वर्ष हो गये हैं उनको राज्य सरकार द्वारा चयनित वेतनमान दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापक चयनित वेतनमान के योग्य हैं तथा उनको अभी तक चयनित वेतनमान नहीं देने के क्या कारण हैं ? सूचना पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जो अध्यापक नियमित चयनित हैं उनका वेतन निर्धारण किया जा चुका है तथा जिन्होंने विकल्प आगे का दिया है उनका वेतन निर्धारण विकल्प की तिथि से कर दिया जावेगा।

(2) जी हां। कुछ अध्यापकों को एरियर का भुगतान प्रशासनिक कारणों एवं उचित बजट के अभाव में नहीं किया जा सका है।

(3) राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सेवा नियमों में चयनित वेतनमान दिये जाने हेतु वेतनमान 1989 के अनुसार दिनांक 2.1.91 को अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा उसके अनुसार चयनित वेतनमान के लिए अधिकृत अध्यापकों को चयनित वेतनमान दे दिया गया है तथा शेष को देने हेतु प्रक्रिया चल रही है।

दी राजस्थान रजिस्ट्रेशन आफ सरटेन मेडिकल प्रेक्टिसनर्स एक्ट, 1987

970. **श्री कन्हैयालाल (बस्सी)** : क्या

(74)

(श्री कन्हैयालाल)

आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में "दी राजस्थान रजिस्ट्रेशन आफ सरटेन मेडिकल प्रैक्टिसनर्स एक्ट, 1987" लागू है ?

(2) क्या सरकार राज्य में अनुभव के आधार पर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों को मान्यता देने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामों में आज भी सरकारी डाक्टर जाने से कतराते हैं ? यदि हां, तो फिर इन चिकित्सकों को चिकित्सा अधिकार देने का औचित्य क्या है ?

(4) क्या सरकार ने राज्य में होमियोपैथ्स, डेन्टिस्ट, आयुर्वेद, सिद्धाज, यूनानी आदि पैथियों के चिकित्सकों को एक बार सूचीबद्ध कर हमेशा के लिए प्रतिबन्धित किया है ? क्या सरकार इन वर्तमान एलोपैथिक चिकित्सकों को भी मान्यता देकर हमेशा के लिए प्रतिबन्धित करना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस आशय का एक बिल बनाकर केन्द्र सरकार की सहमति हेतु भेजा गया था जिस पर केन्द्र सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हो सकी।

(2) जी नहीं।

(3 एवं 4) जी नहीं। वर्तमान में योग्यताधारी चिकित्सक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र लोंगिया (अजमेर) में प्राप्त आवेदन-पत्र

971. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र लोंगिया (अजमेर) में इस वर्ष कितने कम्पाउण्डर्स द्वारा प्रशिक्षण हेतु आवेदन किये गये ?

(2) उक्त में से कितनों का साक्षात्कार होने के पश्चात् चयन किस-किस आधार पर किया गया ? चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि उक्त चयन में अनियमितताओं का सिलसिला पिछले दो वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जांच करवाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में नियमित चयन कब तक कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में प्रवेश चाहने हेतु चालू शिक्षण सत्र 1990-91 में 4430 वैध आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) प्रशिक्षण हेतु चयन का आधार साक्षात्कार न होकर निर्धारित शैक्षणिक

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

योग्यता परीक्षा में प्राप्तांकों की मेरिट है। मेरिट सूची को राज्य सरकार द्वारा गठित निम्न सदस्यों की समिति द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात आशार्थियों को प्रवेश दिया जाता है—

1– उप शासन सचिव (आयुर्वेद) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर — सचिव

2– आचार्य प्रभारी, राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर — संयोजक

3– उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर — सदस्य

4– आतुरालय प्रभारी, राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, लोंगिया, अजमेर — सदस्य

दिनांक 4.3.91 तक प्रवेश दिये गये आशार्थियों की सूची (परिशिष्ट "क") सदन की मेज पर रख दी गयी है। प्रवेश कार्य अभी जारी है।

(3) जी नहीं। चूंकि चयन नियमानुसार पूर्णतः मेरिट के आधार पर किया जाता है अतः चयन में अनियमितता होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। विभाग के पास ऐसी कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है जिसकी जांच करायी जावे।

(4) चयन मेरिट के आधार पर नियमानुसार ही किया जा रहा है। चयनित आशार्थियों द्वारा प्रवेश शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में ही प्रतीक्षा सूची एवं वरीयता सूची के अनुसार आशार्थियों को प्रवेश देने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-27 देखें)

राजकीय आयुर्वेद औषधालय कांकरोली (उदयपुर) का भवन

972. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कांकरोली स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय श्रीमती गीता देवी के निजी भवन में चल रहा है? यदि हां, तो कब से? इसे कब तक सरकारी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवन को खाली करने हेतु भवन मालिक ने समय-समय पर विभाग को आग्रह किया है? यदि हां, तो कब-कब?

(3) क्या यह सही है कि जब उक्त भवन किराये पर दिया गया तब उक्त भवन के मालिक अन्यत्र स्थान पर सरकारी सेवा में कार्यरत थे एवं सेवानिवृत्ति उपरान्त स्वयं के मकान में रहना चाहते हैं? यदि हां, तो उक्त भवन कब तक रिक्त कर उन्हें सुपुर्द कर दिया जायेगा?

(4) क्या यह सही है कि उक्त भवन के मालिक से विभाग के पत्र क्रमांक प. 25 (68) आयुर्वेद/90 दिनांक 14 नवम्बर, 1990 द्वारा यह कहा गया है कि आप भवन की व्यवस्था करावें? यदि हां, तो यह किन नियमों के अन्तर्गत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह औषधालय दिनांक 16-11-1977 से किराये के भवन में संचालित है। उपयुक्त सरकारी भवन अथवा किराये का भवन उपलब्ध होने पर औषधालय को उसमें स्थानान्तरित कर श्रीमती गीता देवी का भवन खाली कर दिया जावेगा।

(2) जी हां। वर्तमान में भवन मालिक ने दिनांक 13-6-90 को लिखकर भवन खाली कराने हेतु निवेदन किया है।

(3) भवन मालिक ने अपने प्रार्थना-पत्र में यह अंकित किया है कि भवन किराये पर देते समय वे राजकीय सेवारत थे और अब श्रीमती गीता देवी व उनके पति सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उपयुक्त भवन उपलब्ध होते ही भवन खाली कर मकान मालिक को सुपुर्द कर दिया जावेगा।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार ने अपने पत्र सख्या प. 25 [68] आयुर्वेद/90 दिनांक 14-11-90 द्वारा यह लिखा था कि कांकरोली में अन्य उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं होने से उनके भवन को खाली करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मकान मालिक को तो मात्र यह निवेदन किया गया था कि यदि वे उपयुक्त भवन विभाग को दिलवाने में सहयोग कर सकती हों तो चिकित्सा प्रभारी एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी से सम्पर्क कर सकती हैं।

राज्य के यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवेश

973. श्री मोहम्मद माहिर आजाद झुन्झुनू : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित राजस्थान व राजपूतना यूनानी मेडिकल कालेज तथा जोधपुर स्थित जुबेरिया यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रवेश देने हेतु 15 से 30 हजार तक का डोनेशन लिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान यूनानी मेडिकल कालेज की प्रबन्ध समिति की सदस्यता 500-500 रुपये लेकर की गयी थी ? यदि हां तो इसके कुल कितने व कौन-कौन सदस्य बने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रबन्ध कमेटी की कभी बैठक हुई ? यदि हां, तो कार्यवाही वृत्तान्त सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कालेजों को बन्द कर राजकीय यूनानी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ये कालेज नीजि क्षेत्र में संचालित हैं तथा इनके द्वारा प्रवेश हेतु डोनेशन लेने अथवा न लेने की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(2) कालेज से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबन्ध समिति की सदस्यता हेतु कोई राशि नहीं ली जाती है।

(3) राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं हैं।

(4) राज्य सरकार आठवीं पंचवर्षीय

(राज्य मन्त्री, आयुर्वेद)

योजनाकाल में एक राजकीय यूनानी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है।

उदयपुर जिले के आयुर्वेद औषधालय

974. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर जिले में कितने आयुर्वेद औषधालय है ? प्रत्येक औषधालय में वैद्य एवं कम्पाउण्डर के कितने पद सृजित है एवं कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले के प्रत्येक आयुर्वेद औषधालय में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की दवाइयां दी जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले के आयुर्वेद औषधालय में औषधी किन-किन फर्मों द्वारा सप्लाई की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग को इस प्रकार की शिकायत मिली है कि उदयपुर जिले के इन आयुर्वेद औषधालयों के ज्यादातर वैद्य ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं ? यदि हां, तो किस-किस वैद्य के विरुद्ध कब-कब शिकायत प्राप्त हुई और उसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में 266 आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत हैं। इनमें 274 आयुर्वेद चिकित्सक के एवं 317 नर्स/कम्पाउण्डर के पद सृजित हैं। सृजित पदों में से आयुर्वेद चिकित्सक के 34 पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर के केवल 2 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"क")

(2) विभागीय औषधालयों को उनकी गत वर्ष की उपलब्ध वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर वर्तमान में निम्न मानदण्ड के अनुसार निर्मित औषध बजट आवंटित कर विभागीय रसायनशालाओं द्वारा निर्मित औषधियों में से उपलब्धता के आधार पर औषधियों का वितरण किया जाता है–

अन्तरंग विभाग–तीन रु. प्रतिरोगी प्रतिदिन
बहिरंग विभाग–एक रु. प्रतिरोगी प्रतिदिन

नवीन स्वीकृत औषधालयों को एवं जिनकी रोगी संख्या उपलब्ध नहीं होती उनको न्यूनतम दो हजार रुपये का निर्मित औषध बजट आबंटित किया जाता है।

वर्ष 1990–91 का आबंटित औषध बजट एवं औषध वितरण की सूचना (परिशिष्ट–ख) सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(3) उदयपुर जिले के विभागीय औषधालयों को औषधियां राजकीय आयुर्वेद औषध वितरण केन्द्र, उदयपुर द्वारा वितरित की जाती हैं। निजी फर्मों से औषधियां सप्लाई नहीं की जातीं।

(राज्य मन्त्री, आयुर्वेद)

(4) यह सही नहीं है कि उदयपुर जिले में ज्यादातर चिकित्सक ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। गत दो वर्षों में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की शिकायत जिन चिकित्सकों की प्राप्त हुई तथा उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है, का विवरण (परिशिष्ट-"ग") सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज व शाहबाद सहरिया क्षेत्र (कोटा) में जनजाति उप योजना प्रारम्भ करना

975. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या किशनगंज व शाहबाद सहरिया क्षेत्र में भी सरकार जनजाति उप योजना लागू करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ने उप-योजना लागू करने के कोई नियम बना रखे हैं ?

(3) क्या किशनगंज व शाहबाद इन नियमों के अन्तर्गत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग में अभी ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र सम्मिलित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। विभाग को भारत सरकार से अभी ऐसा कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ हैं।

(2) जी हां। भारत सरकार ने उप-योजना लागू करने के नियम बना रखे हैं। इन नियमों के अनुसार क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों का बाहुल्य होना चाहिये तथा उस क्षेत्र में जनजाति जनसंख्या पचास प्रतिशत से अधिक होनी चाहिये।

(3) किशनगंज एवं शाहबाद उक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं हैं क्योंकि किशनगंज पंचायत समिति की कुल जनसंख्या (1981 जनगणनानुसार) 82418 है व जनजाति जनसंख्या 28547 हैं जो मात्र 34.64 प्रतिशत है तथा शाहबाद पंचायत समिति की जनसंख्या 63323 है व जनजाति जनसंख्या 19317 है जो मात्र 30.50 प्रतिशत है। अतः यह क्षेत्र नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है। 50% से अधिक (पंचायत समिति इकाई) के रूप में होनी चाहिये।

उदयपुर आयुक्त कार्यालय भवन निर्माण पर खर्च

976. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या उदयपुर में आयुक्त कार्यालय भवन निर्माण में विशेष केन्द्रीय सहायता मद की धनराशि प्राप्त हुई है ? यदि हां, उसमें से कितनी राशि खर्च हुई ?

उत्तर

आयुक्त कार्यालय भवन, उदयपुर के निर्माण हेतु वर्ष 1985–86 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद से निम्नानुसार 20.00 लाख रुपये स्वीकृत हुआ है :–

I. स्वीकृति क्रमांक एफ. [1]
टी. ए. डी./85-86
पार्ट-II दि० 13-12-85 5.00 लाख

II. स्वीकृति क्रमांक एफ. 1[1]
टी. ए. डी./85-86/पार्ट-II/
दिनांक 5–2–86 15.00 लाख

यह सम्पूर्ण राशि राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम, जयपुर के माध्यम से व्यय हो चुकी है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 977

(स्थगित)

सपोटरा क्षेत्र में कृषि प्रयोजनार्थ पाताल तोड़ कुओं का निर्माण

978. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या भू-जल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार ने कृषि प्रयोजनार्थ पाताल तोड़ कुएं बनवाने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो सवाई माधोपुर जिले में अब तक कितने कुएं बनवाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या सरकार सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में कृषि प्रयोजनार्थ पाताल तोड़ कुएं खुदवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) यद्यपि राज्य सरकार ने पाताल तोड़ कुओं के नाम से कोई योजना स्वीकृत नहीं की है तथापि वर्ष 1989-90 में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 6 जिलों (जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, सवाई माधोपुर एवं झुन्झुनू) के वाइट एवं ग्रे क्षेत्रों में पायलट आधार पर क्रियान्वित करने के लिये सामुदायिक नलकूप योजना स्वीकृत की थी। इस योजनान्तर्गत कृषक समूहों को लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है। सवाईमाधोपुर जिले में से प्राप्त 43 कृषक समूह के आवेदन प्राप्त हुए थे जिनका निगम द्वारा प्राथमिक भू-जल सर्वेक्षण कराये जाने पर यह पाया गया कि 15 समूहों की कृषि भूमि डार्क जोन होने से सामुदायिक नलकूप निर्माण की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी। शेष 28 समूहों में से 12 फिजिबल नहीं पाये गये। शेष 16 कृषक समूहों की भू-भौतिकी सर्वेक्षण हेतु रुपये 1500 प्रति समूह जमा करवाने हेतु अवगत कराया गया परन्तु कृषकों द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाने के फलस्वरूप अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी।

योजना में नलकूपों के असफल हो जाने पर कोई रिलीफ न होने तथा न्यूनतम सफल नलकूप के विकास का निर्धारण नहीं किये जाने तथा उपयुक्त केसेज में कृषक समूह के बैंक में ऋण डाकूमेन्टेशन पर उपस्थित नहीं होने, कृषकों द्वारा योजना में रुचि न लेने, आदि कारणों से योजना की क्रियान्विति नहीं हो पायी है।

(राज्य मन्त्री, भू-जल)

(2) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के किसी भी कृषक समूह से प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

विभाग द्वारा पाइपों की खरीद

979. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या भू-जल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भू-जल विभाग में सन् 1989-90 के वित्तीय वर्ष में कितने पाइप किस-किस माप के खरीदे गये ?

(2) क्या इनके लिये निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं ? यदि हां, तो किस-किस फर्म ने कितने-कितने राशि की निविदाएं दी थीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जो निविदाएं प्राप्त हुई उसमें सबसे महंगी दर की निविदा स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो वह कौन-सी फर्म थी ?

(4) क्या भू-जल विभाग ने पाइप अत्यावश्यक और तुरन्त खरीदे जाने की जरूरत महसूस की थी ? यदि हां, तो खरीद के एक वर्ष बाद भी जोधपुर के के सेन्ट्रल स्टोर में यह पाइप क्यों जंग खा रहे हैं ?

(5) इस खरीद में कौन-कौन अधिकारी लिप्त हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके खिलाफ अब कोई कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। फर्मों की सूची "ख" मय सूचना के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। पाइप खरीदे जाने की तुरन्त जरूरत थी। जो पाइप पड़े रहते हैं वे सीमा के अन्दर ही हैं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 28 देखें)

फसल बीमा योजनान्तर्गत किसानों को प्रदत्त राहत

980. **श्री बालचन्द** (डग) एवं **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में किसानों को राहत देने हेतु क्या फसल बीमा योजना लागू हो चुकी हैं ? इस योजना में राज्य के किन-किन जिलों में कितने-कितने किसानों को अब तक क्या-क्या राहत दी गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भविष्य में इस योजना में किसानों को और क्या-क्या लाभ देने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) खरीफ 1986 के बाद कोई फसल बीमा योजना राज्य में लागू नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की कृषि उपज मण्डियों में प्रशासकों की नियुक्ति

981. **श्री मोहनलाल (जायल) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान की कृषि उपज मण्डियों में प्रशासक के पद पर किस स्तर के अधिकारी लगाये जाते हैं ?

(2) राजस्थान कृषि विपणन निदेशक के पद पर किस स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं ?

(3) क्या कृषि विपणन निदेशक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के हैं ? यदि हां, तो राजस्थान की किन-किन मण्डियों में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है ?

(4) क्या कृषि उपज मण्डियों में प्रशासकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) क्या सरकार कृषि विपणन निदेशक के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) राजस्थान में किस-किस जगह पर प्रशासकों को मण्डी समितियों के वाहन एवं टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ? यदि कहीं नहीं करवाई गई है तो मंडियों के प्रशासनिक किन नियमों के अन्तर्गत इन सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार अपनी अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को कृषि उपज मण्डी समिति का प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(2) कृषि विपणन विभाग में निदेशक के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं ।

(3) जी हां । राजस्थान की निम्नांकित मण्डी समितियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशासक के पद पर नियुक्त हैं :–

1– कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड ।

2– कृषि उपज मण्डी समिति, आसीन्द ।

3– कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर ।

4– कृषि उपज मण्डी समिति, (फल, सब्जी), जयपुर ।

(4) कृषि उपज मण्डी समितियों में प्रशासकों की नियुक्ति राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम की धारा 27(ए) में अंकित प्रावधानुसार राज्य सरकार द्वारा की जाती है ।

(5) जी नहीं ।

(6) प्रशासनिक मण्डी समिति के कार्य हेतु मण्डी समिति में उपलब्ध वाहन एवं टेलीफोन का उपयोग करते हैं । वर्तमान में कोटा, जोधपुर एवं जयपुर (फल सब्जी) के प्रशासकों के निवास पर सम्बन्धित मण्डी समितियों के टेलीफोन हैं । बड़ी मण्डियां होने के कारण टेलीफोन सुविधा घर पर लगायी गयी है ।

वर्ष 1989 की खरीफ मौसम में ज्वार के शंकर बीज का वितरण

982. श्री हजारीलाल (खेतड़ी), एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1989 की खरीफ मौसम में ज्वार के शंकर किस्म के बीज सी. एच. एस.-5 का जो वितरण किया गया उसमें मिलावट पाई गई ? क्या यह भी सही है कि सौलह सौ क्विन्टल बीज के स्टॉक का वितरण बन्द कर दिया गया था और कुछ अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया ? यदि हां, तो किस आधार पर ऐसा किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बीज की जांच के लिये ग्रो आउट टेस्ट कराया गया और कृषि विभाग के वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक ने विस्तृत जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट में बीज को अनुपयुक्त मानते हुए किसानों को मुआवजे दिये जाने की सिफारिश की ? क्या तत्कालीन कृषि मन्त्री जी ने बीज मूल्य का पांच गुना मुआवजा देने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या मुआवजे की राशि बांट दी गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे दुष्प्रभावी बीज को नीलाम किया गया और व्यापारियों द्वारा उसे पशु आहार के रूप में बेचा गया ?

(4) इस सारे प्रकरण की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें एवं यह भी बतायें कि सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। खरीफ 1989 में शंकर ज्वार सी. एस. एच.-5 का जो बीज वितरण किया गया व बीज परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार तो ठीक था। उदयपुर व कोटा जिले में किसानों की शिकायतें आने पर जांच कराई गई और बाद में ग्रो आउट टेस्ट में इसमें मिश्रण पाया गया यह ज्ञात होने पर बीज का वितरण बन्द कर दिया गया और जिसकी मात्रा लगभग 1672 क्वि. थी। शिकायतों के आधार पर तीन अधिकारी जिनमें एक बीज प्रमाणीकरण संस्था तथा दो राज. राज्य बीज निगम के थे, को निलम्बित कर विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। जायद 90 में धरियाबाद फार्म पर खरीफ 88 में उत्पादित शंकर ज्वार सी. एस. एच.-5 को ग्रो आउट टेस्ट में लगाया गया। कृषि विभाग के वरिष्ठ शस्य वैज्ञानिक ने विस्तृत जांच कर बीज को अनुपयुक्त मानते हुए किसानों को पुनर्भरण देने की सिफारिश की थी। खराब बीज के मूल्य का पांच गुनी कीमत का बीज देने का निर्णय बीज निगम ने लिया था और इसके अनुसार सभी काश्तकारों की मांग के अनुसार बीज के बदले बीज दे दिया गया है।

(3) जी नहीं। अभी तक इस बीज को नीलाम नहीं किया गया है और न ही इसे व्यापारियों द्वारा पशु आहार के रूप में बेचा गया है। अब इसे नियमानुसार नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) इस प्रकरण की वरिष्ठ शस्य विज्ञानी की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट की

(कृषि मन्त्री)

प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। दोषी तीन अधिकारियों जिनमें एक बीज प्रमाणीकरण संस्था का तथा दो राजस्थान राज्य बीज निगम के थे, को निलम्बित कर विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा संभाग में कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव

983. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) :–क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या कोटा संभाग में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

वर्तमान में कोटा संभाग में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य में अन्य कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

कृषि विभाग में सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के स्वीकृत पद

984. श्री मोहनलाल (परबतसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि विभाग में सहायक अभियन्ताओं एव कनिष्ठ अभियन्ताओं के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) इन पदों में से कितने-कितने पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षित हैं ?

(3) इन आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने कितने सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता कब से नियुक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आरक्षित पदों की पूर्ति रोस्टर प्रणाली के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या कृषि विभाग ने सहायक अभियन्ताओं के 25 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को विज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(6) इन पदों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिये कितने-कितने पद आरक्षित किये गये हैं ?

(7) क्या इन पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षण की पूर्ति करने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग में सहायक अभियन्ताओं के 84 पद तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं के 273 पद स्वीकृत हैं तथा 41 सहायक अभियन्ता तथा 192 कनिष्ठ अभियन्ता प्रति-नियुक्ति पर हैं।

(2) उपरोक्त सहायक अभियन्ता तथा अभियन्ताओं के पदों में से अनुसूचित जाति

84

(कृषि मन्त्री)

तथा जनजाति के आरक्षित पद निम्न प्रकार हैं :-

आरक्षित पदों की सूची	अनु. जाति	अनु. ज. जा.
क. सहायक अभियन्ता पदोन्नति से भरे गये	9	7
ख. सहायक अभियन्ता, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद	11	8
ग. कनिष्ठ अभियन्ता, सीधी भर्ती	75	56

(3) सहायक अभियन्ताओं के पदों पर कोई भी अनुसूचित जाति तथा जन जाति के व्यक्ति नियुक्त नहीं हैं। कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों पर 16 अनुसूचित जाति के तथा 4 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नियुक्त हैं।

(4) कनिष्ठ अभियन्ता के पद की भर्ती आयोजना (जन शक्ति) विभाग में पंजीकृत कृषि अभियन्ताओं में से की जाती है। जितने भी योग्य पात्र उपलब्ध हुए उन्हें नियुक्ति दे दी गई है।

(5) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 सहायक अभियन्ताओं की भर्ती वास्ते माह मई, 90 में पत्र भेजा गया है।

(6) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भर्ती हेतु भेजे गए 25 पदों में से 5 पद अनुसूचित जाति व 5 पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित हैं।

(7) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा किये गये चयन के आधार पर आरक्षित पदों पर राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी।

कृषि उपज मण्डी, थानागाजी द्वारा सड़कों का निर्माण

985. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में पिछले 5 वर्षों में कौन-कौन सी सड़कें कृषि उपज मण्डी के तहत स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक सड़क पर लागत की स्वीकृति क्या थी एवं पूर्ण होने तक कितनी लागत आई? किन-किन सड़कों पर अभी तक कार्य चल रहा है और उनके पूर्ण होने की कब तक सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित सड़कें स्वीकृत की गई :-

1-	सं. सड़क भीकमपुरा से रामजी का गुवाड़ा	20.9.89 स्वीकृत दिनांक
2-	सं. पड़ाक से आमका	,,
3-	सं. प्रतापगढ़ थानगाजी रोड से झाकड़ी ग्राम	,,

(कृषि मन्त्री)

4- सं. गढवसई से हरनेर — 30.10.90 स्वीकृत दिनांक

5- सं. नारायणपुरा से झानपुर की ढाणी — ,,

(2) स्वीकृत सड़कों में कोई सड़क पूर्ण नहीं है निम्न 3 सडकों पर कार्य चल रहा है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि	कार्य की स्थिति	व्यय की गई राशि	सम्भावित पूर्ण होने का समय
1-	सं. सड़क भीकमपुरा से रामजी का गुवाड़ा	3.00	6.00	अपूर्ण	2.38	वित्तीय वर्ष 1991-92 तक
2-	सं. रड़ाक से ग्रामका	3.00	6.00	,,	0.20	,,
3-	सं. प्रतापगढ़ थानागाजी सड़क से झाकड़ी ग्राम	1.00	2.00	,,	0.38	,,

शेष दो सड़कों का कार्य जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कराया जाना है, जिसकी स्वीकृति राशि 14 लाख रुपये प्रति सड़क है, सड़कों की स्वीकृति दिनांक 13.2.91 को जारी की गई है। निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के दक्षिणी परिसर का स्थानान्तरण

986. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के दक्षिणी परिसर को उदयपुर में स्थापित करने और सह-कुलपति की नियुक्ति का प्रावधान विश्वविद्यालय के एक्ट के अन्तर्गत है? यदि हां, तो कब तक यह दक्षिणी परिसर उदयपुर में स्थापित कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर में दक्षिणी परिसर स्थापित करने की घोषणा राज्य सरकार पहले कर चुकी है? यदि हां, तो इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रो. वाइस चांसलर का प्रावधान राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 1987 के अध्याय 5 के 18 (ख) में है। प्रो. वाइस चांसलर के पद को उदयपुर रखने व दक्षिण परिसर बनाने हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का दक्षिणी परिसर उदयपुर रखने की घोषणा राज्य सरकार ने 1987-88 में

(८८)

(कृषि मन्त्री)

कर दी थी और इस परिसर में उपलब्ध सुविधायें राज्य सरकार की योजना के अनुसार बनाई रखी गई हैं।

विभाग द्वारा पोस्टर में देलवाड़ा जैन मंदिर के स्थान पर अन्य मंदिर को दर्शाये जाने पर प्राप्त शिकायतें

987. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) एवं श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जारी किये गये पोस्टर में देलवाड़ा के जैन मन्दिर के स्थान पर अन्य मन्दिर को दर्शाकर उसे देलवाड़ा का जैन मन्दिर बताया गया है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण था ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो इस मामले में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ऐसा होने के कारणों की जांच की जा रही है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में श्री जैन श्वेताम्बर मन्दिर देलवाड़ा की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी जांच के लिये जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 मार्च, 1991)

भदवासिया (पुन्दला) का कम्पोज प्लांट

415. श्री हरीश चन्द्र (नावां) एवं श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद् सीमा के अन्दर भदवासिया (पुन्दला) में 'कम्पोज प्लांट" निर्मित हुआ है ? उसके आस-पास की भूमि मास्टर प्लान में "ग्रीन-बैल्ट' व "औद्योगिक-क्षेत्र" है ? क्या शुद्ध वायुमण्डल के लिए इस प्लांट के आस-पास "ग्रीन बैल्ट" की आवश्यकता है?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं. 58/2 की भूमि को सरकार ने आबादी क्षेत्र में बदला है ? क्या राज्य सरकार जनहित में इस भूमि को "ग्रीन बैल्ट" में रखने पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद सीमा के अन्दर भदवासिया (पुंदला) में कम्पोज प्लांट निर्मित हुआ है। उसके आस-पास की भूमि मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट व औद्योगिक क्षेत्र है। शुद्ध वायुमण्डल के लिये इस प्लांट के आस-पास ग्रीन बैल्ट की आवश्यकता है।

(2) जी, हां। क्योंकि राज्य सरकार

(नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री)

द्वारा खसरा नं. 5812 की 12 बीघा भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक में आवासीय में परिवर्तन किया गया है अत: उक्त भूमि को ग्रीन बैल्ट में रखने पर पुनः विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(दिनांक 13 मार्च, 1991)

ग्राम घाटोल की आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन

538. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी भूमि के प्लाट बनाये जाकर बिक्री करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो पंचायत राज अधिनियम की कौन-कौन सी धाराओं के तहत कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को नीलामी से प्लाट देने का प्रावधान है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत घाटोल, पंचायत समिति घाटोल द्वारा 1989 से 15 फरवरी, 1991 तक ग्राम घाटोल की आबादी भूमि में भू-खण्ड आवंटित किये हैं ? यदि हां तो किस-किस स्थान पर कितने-कितने एवं किस-किस कीमत पर तथा किन नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 की धारा 264 के तहत पंचायत द्वारा आबादी भूमि के प्लाट बनाये जाकर बिक्री करने का प्रावधान है, किन्तु कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को प्राय: निःशुल्क प्लाट आवंटन किये जाते हैं।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत घाटोल द्वारा जनवरी, 1989 से फरवरी, 1991 तक नीलामी अथवा निःशुल्क भूखण्डों का आवंटन नहीं हुआ है।

(दिनांक 13 मार्च, 1991)

सोजत सिटी में गाड़िया लुहारों को बसाने हेतु भूमि आवंटन

569. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1956 में गाड़िया लुहारों को बसाने हेतु सोजत सिटी के पुराने खसरा नं. 387 रकबा 347/1 की भूमि का आवटन किया था ? यदि हां, तो उक्त आवंटन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के खसरा नम्बर सैटलमेंट के कर्मचारियों की लापरवाही से गलत इन्द्राज किये जाने से गाड़िया लुहारों को जमीन नहीं मिली ? यदि हां, तो क्या सरकार रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन कराकर गाड़िया लुहारों को जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। गाडोलिया लुहारों को बसाने हेतु आवंटित भूमि की राजकीय

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

स्वीकृति दिनांक 22–8–56 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सही है कि सैटलमेंट के समय भूमि वर्गीकरण में स्थल की स्थिति के अनुसार परिवर्तन कर दिया गया है। इसकी जांच करवाई जा रही है, परन्तु 38 गाड़िया लुहारों को अब तक निःशुल्क पट्टे दिये जा चुके हैं। इसलिए यह कहना कि गाड़िया लुहारों को भूमि नहीं मिली, सही नहीं है। गाड़िया लुहारों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नगर पालिका द्वारा आवंटन नियमानुसार कर दिया जावेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-29 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रतनाराम चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, दल बदल की रिट याचिका के फैसले के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि इस विधान सभा सत्र के दौरान इसका फैसला होगा और आज अखबारों में छपा है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहिये। यह व्यवस्था देने के बाद की बात है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आज सदन का अंतिम दिन है, पहले इसकी व्यवस्था होनी चाहिए.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है। पहले इसकी व्यवस्था दीजिए आप, आज विधान सभा भंग भी हो सकती है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आज इस हाउस में जवाब आना चाहिए, हमारे साथ न्याय करें.... (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : हमको कहा था 21 तारीख को फैसला दे देंगे, चैम्बर में 21 तारीख कही, फिर सदन के अन्त में कहा और अब तक इसको टाल रहे हैं। इसकी व्यवस्था के बारे में आप क्या कहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह : आसन ने व्यवस्था

(श्री नत्थी सिंह)

दी थी कि 27 तारीख के पहले फैसला कर देंगे, अभी तक फैसला नहीं दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : निश्चित तौर से अध्यक्ष को अपना फैसला सुनाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठिये। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन।

एक माननीय सदस्य : यह सरकार +++ चल रही है ..

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चन्द्रभानजी, प्लीज सिट डाउन।

एक माननीय सदस्य : दल बदल कर के राजनीतिक भ्रष्टाचार को सरकार कर रही है....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय ने यह विश्वास दिलाया था कि इन याचिकाओं का फैसला इसी सत्र में दे दिया जायेगा, आज सत्र का अन्तिम दिन है, यह फैसला होगा या नहीं होगा ? आज यह फैसला होगा या नहीं होगा, हम आसन से यह व्यवस्था चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

डा. चन्द्रभान : दल बदल याचिकाओं पर आज फैसला होगा या नहीं होगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन....

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस में यह व्यवस्था दी थी कि इसी सत्र में फैसला दे देंगे....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय ने इस सदन को आश्वस्त किया था कि इस सत्र के दौरान रिट याचिकाओं का फैसला होगा, अब यह होगा या नहीं होगा, इस पर व्यवस्था चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग से सवाल है, अलग से होगा। माननीय सदस्य, माननीय सैनी साहब। (व्यवधान) कृपया सहयोग कीजिए। (व्यवधान) कृपया सहयोग कीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : दल बदलुओं को बाहर करो, दल बदलुओं को बाहर करो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। पहले व्यवस्था सुन लीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया सहयोग कीजिए, प्लीज, माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन।

(विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य माननीय उपाध्यक्ष के आसन तक आकर नारेबाजी करने लगे।)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि व्यवस्था देंगे। वह देंगे। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह +++ यहां नहीं चलेगी, नारे लगाने हैं तो सड़क पर जाकर लगाओ....

एक माननीय सदस्य : खाली अखबारों में नाम छपवाने के लिए यों ही +++ कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्रीमती कमला भील एवं श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से सागवाड़ा कस्बे में दिनांक 24.3.90 को कुएं से मिली बालक राहुल सरैया की लाश के सम्बन्ध में निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी किये जाने से उक्त कस्बे में व्याप्त तनाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री जुबेर खान व चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा क्षेत्र के बापी ग्राम की काश्तकारों की उपजाऊ, चाही व बारानी भूमि को अप्रोच सड़क के लिए अवाप्त किये जाने के उपरान्त मुआवजे का भुगतान नहीं किये जाने से काश्तकारों के हितों पर कुठाराघात किये जाने से किसानों में व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।

3. श्री गोपालसिंह खण्डेला, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में दिनांक 17 3.91 को हरिजनों की श्मशान भूमि पर निर्मित पक्के डण्डे को नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा तुड़वाये जाने से हरिजनों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा।

4. श्री यदुनाथ सिंह, विधान सभा की ओर से भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर व अलवर जिले में रियासत के समय से विकसित की गयी सिंचाई प्रणाली के तहस नहस होने व जल स्तर एकदम नीचे चले जाने से क्षेत्र में भयंकर जल संकट होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उक्त स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं अतः माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

5. श्री चम्पालाल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर कस्बे में नगण्य पेयजल सप्लाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि :–

ब्यावर शहर की जन संख्या लगभग 1 लाख 20 हजार है जुलाई, 1990 से शहर में 48 घण्टे के अन्तराल पर लगभग आधे घण्टे जल वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 गैलन जलप्रदाय किया जाता है। आने वाले महीनों

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

में पानी की होने वाली कमी की पूर्ति 10 कुएं किराये पर लेकर की जावेगी। यह प्रयास है कि ब्यावर शहर में 11.25 लाख गैलन पानी प्रतिदिन वितरित होता रहे और जल वितरण का अन्तराल 48 घण्टे से अधिक न हो। मई-जून में परिवहन द्वारा भी जल की व्यवस्था की जा सकती है। पेयजल की कमी दूर करने के लिए बीसलपुर योजना का कार्य प्रगति पर है। अतः इस प्रस्ताव को मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि ओलावृष्टि शीत लहर से फसलों के नष्ट होने तथा अकाल की भयावह स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो गयी है। मैं इनको स्वीकार करने में असमर्थ हू। माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी :–

1. श्री ईश्वरलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्रामों में अत्यधिक ओलावृष्टि से खड़ी फसल को हुई क्षति।

2. श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले में भयंकर ओलावृष्टि से पक्की फसल के नष्ट होने के सम्बन्ध में।

3. श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला धौलपुर-अलवर के कई ग्रामों में ओलावृष्टि से खड़ी फसल को क्षति तथा राहत न प्रदान करने के सम्बन्ध में।

4. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत लहर और ओलावृष्टि से रबी की फसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में।

5. श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले के विभिन्न गांवों में शीत लहर से फसल के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप काश्तकारों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

6. श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जोधपुर की तहसील फलौदी के ग्रामों में भयंकर अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से भाखड़ा क्षेत्र के किसानों से सिंचाई परियोजना बैटरमेन्ट लेवी के नाम पर रुपये वसूल करने में मनमानी करने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

2. श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से स्कीम नं. 4 ग्राम मुरलीपुरा व नांगल जैसा बोहरा में भूमि मालिकों द्वारा रूपान्तरण शुल्क की 4 लाख रुपये की राशि जमा कराने पर भी कुछ लोगों द्वारा जमीन हड़पने के उद्देश्य से कब्जे किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य,

(श्री उपाध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से मकराना विधान सभा क्षेत्र में स्थित ढाणियों में पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

4. श्री नन्द किशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

5. श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से माण्डलगढ़ क्षेत्र में आरोली ग्राम के पास साइवाला वनीय क्षेत्र की भूमि पर मध्यप्रदेश के सिगोली ग्राम के निवासी द्वारा भू-प्रबन्ध तथा खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अनधिकृत कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री भरोसीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील हिण्डौन में डार्क जोन घोषित किये जाने से किसानों को भारी असुविधा होने के सम्बन्ध में।

7. श्री राजपालसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, सोडाला व अजमेर रोड आदि इलाकों में रिहायशी कालोनियों पर से निकाली गई हाईटेन्शन ट्रांसमिशन लाइनों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह अस्पताल के डा. छाजेड़ व डा. कमला माथुर एनेस्थेसिस्ट की लापरवाही से संजीव पारीक की अकाल मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में।

9. श्री हरिश्चन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुचामन सिटी की पंचायत समिति के प्रधान की हठधर्मी के कारण उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।

10. श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिलम संघ राजस्थान परियोजना, जालौर द्वारा सरसों व रायड़ा की खरीद बिलम्ब से करने के कारण किसानों में रोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

11. श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा में माही डेम की भूंगड़ा कैनाल का अधूरा पड़ा कार्य पूर्ण करवाया जाकर किसानों की भूमि को पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

12. श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की पीपल्दा तहसील के अठारहवां नामक क्षेत्र के 50 गांवों में एक नरभक्षी भेड़िये द्वारा आतंक फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13. श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के जिला परिषद स्कूलों तथा शिक्षा विभाग के स्कूलों में अध्यापकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

14. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्याधर नगर आवासीय योजना के सैक्टर 3 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमणों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य, विधान सभा की ओर से डेगाना क्षेत्र में

(श्री उपाध्यक्ष)

पेयजल की गम्भीर समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

16. श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के पांच बड़े नगरों में पानी व बिजली के उपयोग शुल्क पर व्यावसायिक दरों का प्रावधान किये जाने से आम जनता को हो रही परेशानी एवं असुविधा के सम्बन्ध में।

17. श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी सोजत के अधिकारियों द्वारा मेहन्दी व्यवसाय में गैर कानूनी एवं नियम विरूद्ध कार्य करने से व्यावसायिकों व काश्तकारों में भारी आक्रोश उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

18. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में कार्यरत विभिन्न जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों तथा बीकानेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ की समस्याओं एवं इनके सम्बन्धित फैडरेशन इकाइयों के जान बूझकर विलीनीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थितियों के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उसके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि नियम 295 के तहत लम्बित शेष प्रस्ताव पढ़े हुए माने जायेंगे।

(प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-30 देखें)

श्रीमती कमला भील। (व्यवधान) (नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है आप अपनी सीट पर बैठ कर बात कीजिए। श्रीमती कमला भील। जिस बात को हाइलाइट करनी हो, वह हाइलाइट कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान, श्री यदुनाथ सिंह, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री हेतराम बेनीवाल (व्यवधान) अभी तो दो-दो मिनट वाले स्थगन चल रहे हैं। उसके बाद लूंगा यह। (व्यवधान)

295 में श्री हेतराम बेनीवाल, श्री रामकरण सिंह। (व्यवधान) + + +

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की अवमानना करने वालों को बाहर निकालिए। +++

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। मेरा माननीय सदस्यों को निवेदन है कि कृपया आप अपनी सीट पर बैठिये। + + +

श्री अमृतलाल परमार : कार, बंगले, टेलीफोन याद आ रहे हैं इनको।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 295 के जितने भी प्रस्ताव हैं, पढ़े हुए माने जायेंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम 131 के अन्तर्गत श्री जुबेर खान, श्री परसादीलाल मीणा,

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री राम स्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा, राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ जिला अलवर में खोलने की आवश्यकता की ओर शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान) श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा प्रक्रिया के नियम, 131 के अन्तर्गत नगरपालिका गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा में अधिशाषी अधिकारी का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वायत्त शासन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जनार्दनसिंह गहलोत, श्री प्रद्युम्नसिंह, श्री परसादीलाल मीणा, श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा, सदस्य, विधान सभा जनाना अस्पताल, जयपुर में महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट में स्थान की कमी के सम्बन्ध में....(व्यवधान) ध्यान आकर्षित करेंगे। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही आधे घण्टे तक के लिए स्थगित की जाती है। (व्यवधान)

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 12.30 म. प. आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई।)

(पुनः समवेत होने पर)

(मध्याह्न पश्चात् 1.02 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र के अन्दर सदन का कोई भी सदस्य अपनी बात आसन तक और सदन में रखने का अधिकार रखता है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आसन तक नहीं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सुन लीजिए। आसन तक पहुंचाने का।

श्री नत्थी सिंह : +++अधिकार है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यहां आकर नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : कोई बात कहेगा तो+++मारेंगे क्या उसको ?

श्री भंवरलाल शर्मा : +++कौन मारेगा उसको।

श्री चन्दनमल बैद : आप परम्पराओं और आचरण की दुहाई देते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : +++हम प्रोत्साहित नहीं करते,+++हम बुरा मानते हैं चाहे कोई भी उठाये।

श्री हेतराम बेनीवाल : +++और रामेश्वरजी पर हमला किया है निश्चित तौर पर यह गम्भीर मामला है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : गलत है।

श्री हेतराम बेनीवाल : सबसे पहले इस पर विचार किया जाय। इनके आचरण पर विचार किया जाय।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय

+++शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामेश्वरदयाल यादव)

उपाध्यक्ष महोदय, जब वातावरण गर्म था और दोनों तरफ के हां पक्ष के और ना पक्ष के सदस्य आसन के नजदीक पहुंच गये। मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा। ऐसा वातावरण कई बार हुआ लेकिन टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने+++ निकाल कर (व्यवधान) जिस ढंग से.... (व्यवधान)...आप सुनिये। जो प्रदर्शन किया वह न सदन के लिए उपयुक्त है और मैं समझता हूं यह सदन की गरिमा के लिए उपयुक्त नहीं है बल्कि निंदनीय है। माननीय सदस्य ने सदन के अन्दर+++न केवल मुझे, चौमूं विधान सभा क्षेत्र के 1 लाख 42 हजार मतदाताओं का अपमान किया है बल्कि टौंक विधान सभा क्षेत्र के हर मतदाता का अपमान किया है.... (व्यवधान) और इस परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य को चुनौती देता हूं....(व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस+++ को निकाला जाय।

श्री हीरालाल आर्य : आसन के पास जाकर ठक-ठक करते हैं।+++

श्री रामेश्वर दयाल यादव : और अगर आपको असुविधा न हो तो अगले चुनाव में आप चौमूं विधान सभा क्षेत्र में आइये और अगर असुविधा हो आपको तो मैं अपने आपको टौंक में आने का निमन्त्रण देता हूं। मैं फिर भी मुख्य मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस ढंग से बीच बचाव किया, उनको रोका, अपने दल के सदस्यों को प्रताड़ित किया निश्चित रूप से मुख्य मन्त्रीजी इस बात के लिए सराहनीय हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी चुनौती देते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि टौंक से आने वाले माननीय सदस्य मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे।

श्री डूंगरराम पंवार : ....(व्यवधान) आपको+++आनी चाहिए....(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप बैठिये, आप मिनिस्टर हैं। इस बारे में मुख्य मन्त्रीजी कहें कि अगर मेरा दोष है, अगर मुख्य मन्त्रीजी मेरे को दोषी कहेंगे तो मैं सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा....

श्री डूंगरराम पंवार : आपने+++ दिखायी मैं कहता हूं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं आपकी बात नहीं मानता, आप दलबदलू हो। अगर मुख्य मन्त्रीजी मेरा दोष बतायेंगे तो रामेश्वर दयाल यादव सदन से त्याग-पत्र देकर एक मिनट में रवाना हो जायेगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह टौंक से आने वाले माननीय सदस्य के कारण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपको तो आदत पड़ गयी है उसी आदत के अनुसार +++ वरना आप अपनी बातों से सारे सदन को पता नहीं क्या-क्या कहते रहते हैं। आपको यह शोभा नहीं देता है। मैं

+++शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

कहता हूं आपको आज इस सदन में प्रताड़ित करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी, माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बात तो हो जाय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से कहा है यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको बैठाइये। जिन्होंने अशोभनीय आचरण किया है उनको बैठाइये।....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मैं ऐसा मानता हूं कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री राजेन्द्र पारीक : इतने अशोभनीय आचरण के बाद भी कोई आदमी खड़ा होकर बोलने का प्रयास करता है.... (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : पारीक साहब, कृपया शान्त रहें। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामप्रताप कासनिया : उपाध्यक्ष महोदय, इनको कोई मना करने वाला नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं मना करने वाले।

श्री राजेन्द्र पारीक : कौन पूछता है आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि सीधे एक-दूसरे को इंगित नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको सदन से निकालिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब।

श्री डूंगरराम पंवार : ज्यादा करनी है क्या ? आ जाओ। इतनी देर हो गयी। बाहर आना बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार के मन्त्री हैं आप। आपको मन्त्री पद की गरिमा का अहसास नहीं है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है। इनके स्वास्थ्य की दृष्टि से....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : टीबी से आने वाले माननीय सदस्य को टी. बी. है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुख्य मन्त्रीजी तो शान्त कर रहे हैं और मन्त्री महोदय प्रवोक कर रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी इस सदन को शान्त कर रहे हैं और मन्त्री महोदय इस सदन को प्रवोक कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शान्त रहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह नये कन्वर्टेड हैं। +++ वही हो रहा है माननीय मन्त्रीजी को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीरजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पहले तो यह हो रहा है और उप मन्त्री महोदय ने कहा आओ बाहर देखूंगा। यह सदन की गरिमा है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय महावीरजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : देख लेंगे जनता के बीच जाइये।....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य की चुनौती को स्वीकार करता हूं और साथ में यह चुनौती देता हूं कि टौंक से और चौमूं दोनों से यह भी चुनाव लड़ेंगे और टौंक और चौमूं दोनों जगह से मैं भी चुनाव लड़ूंगा। मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं और यदि माननीय सदस्य के चौमूं विधान सभा क्षेत्र से इन से कम वोट मिल गये तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दलबदल की रिट याचिका का फैसला क्या कर रहे हैं ? दलबदल का फैसला हो गया क्या ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : व्यक्तिगत रूप से लड़ेंगे या पार्टी से लड़ेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आपसे मेरा निवेदन है माननीय चन्द्रभानजी का अभी जो प्रश्न चल रहा है उसको ओवर होने दीजिए। उसके बाद दूसरी बात आरम्भ होगी।

डा. चन्द्रभान : यह सब उसी के कारण हो रहा है। उपाध्यक्षजी, यह जो वाक आउट हुआ है, यह फैसला नहीं होने के कारण हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टौंक के इतिहास में.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं है वह लोक सभा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए, पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक : यदि चौमूं में आकर चुनाव लड़ते हैं, इससे चौमूं की जनता का अपमान होता है।

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग कीजिए। माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए। महावीरजी, अपना कथन पूरा करो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल चौमूं की जनता का ही

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अपमान नहीं है, सारे राजस्थान की जनता का अपमान है। जो दृश्य, आज यहां आधा घण्टे तक सदन में जिस प्रकार की नारेबाजी की और, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ईश्वरलाल सैनी : इसलिए+ + + यह सफाई दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह क्या मारेंगे, नहीं मारेंगे, यह बताऊंगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अगर हमने कानून की अवहेलना की है तो हमको अधिकार है, आपको नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारा सदन इस बात का गवाह है, सारी प्रेस गैलरी और दर्शक इस बात के गवाह हैं, दर्शक दीर्घा में जो बैठे हैं, वह भी इस बात के गवाह हैं।

श्री नत्थी सिंह : दर्शकों को सम्बोधित नहीं कर सकते।

श्री हेतराम बेनीवाल : एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : वह अपना कथन पूरा कर रहे हैं, कृपया शांत रहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप स्वयं इस दृश्य के गवाह हैं। आसन की व्यवस्था पर हमला किया गया, आक्रमण किया गया। उस समय मैंने यह निवेदन किया माननीय सदस्यों से कि कम से कम आप यहां....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय सदस्य जिस तरह से सम्बोधित कर रहे हैं निश्चित रूप से यह विधान सभा के, हमारे संविधान के खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को अपना कथन पूरा कर लेने दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे अर्ज कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए। सहयोग कीजिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से यह व्यवधान डाल रहे हैं और सही बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको रोका जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय विपक्ष के नेता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप स्वयं गवाह हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी, कृपया बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ... कि वहां पर खड़े होकर....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, उनको बैठ जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिस प्रकार

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

से यहां खड़े होकर+++उस समय मैं यहां पर जब आया और उन्होंने कहा कि +++मैं मारूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। प्लीज। वह अपना कथन पूरा कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विपक्ष के नेता बोलते हैं तो सारा सदन सुनता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। कृपया शांत रहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय विपक्ष के नेता खड़े होते हैं तो पूरा सदन सुनता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। प्लीज।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता को समय मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने खुद ने निवेदन किया है, आपको बैठने के लिए निवेदन किया है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक बार इनकी बात पूरी होने दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि महावीरजी को अपना कथन पूरा करने दें, यह मेरा निवेदन है कि उनको अपनी बात पूरी करने दें। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, क्या है व्यवस्था का प्रश्न?

श्री हेतराम बेनीवाल : सदन में उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था देंगे, या कोई और देंगे?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि महा-महिम राज्यपाल महोदय को....

एक माननीय सदस्य : इनकी नैतिक शिक्षा की जरूरत है पहले।

श्री उपाध्यक्ष : इनका पाइण्ट आफ आर्डर है। माहिर आजादजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह व्यवस्था के खिलाफ है। यह राजस्थान के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा गया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने हाउस को सम्बोधित नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूरा करने दीजिए पहले।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग .. (व्यवधान)

+++अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत जल्दी ही अपना कथन पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया बैठें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे पास +++नहीं है। मैंने किसी प्रकार की +++....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। उनको अपना कथन पूरा करने दें। यह बहुत जल्दी ही अपना कथन पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया बैठें। (व्यवधान) आपको मौका दिया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य मन्दिर में चढ़कर या शपथपूर्वक यह कह दें कि मैंने पहले+++उठाई हो तो मैं सदस्यता छोड़ने के लिये तैयार हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो कहें वह सजा भुगतने को तैयार हूं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह पूरा कर्त्तव्य क्या हो रहा है। यह आप क्या कर रहे हैं ?

श्री रामप्रताप कासनिया : यह कह रहा हूं कि हमें तो नेता महोदय मना कर रहे हैं और आपको कोई मना करने वाला है नहीं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इनको क्षमा याचना करनी चाहिए, इसके अलावा इन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने आसन पर आक्रमण किया, इन्होंने आक्रमण किया....

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपकी योग्यता का पता चल गया। आपको तो माफी मांगनी चाहिये, जैन साहब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गलत बात करते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आसन की व्यवस्था देंगे, अध्यक्ष महोदय। आसन की व्यवस्था देने वाले उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, आप क्या देंगे, आसन की व्यवस्था। बैठिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : महावीर जी अपनी बात कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं, व्यवस्था दीजिए इस पर।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने तो +++ उसकी तो बात कीजिए। आप +++ अगर मुख्य मन्त्री जी नहीं होते तो आज आप+++ चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को आप +++

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, बैठिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष जी व्यवस्था देंगे, आप कौन हैं।

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब, कृपया बिराजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप इनको क्यों नहीं कहते।

श्री उपाध्यक्ष : हां वह बैठेंगे, अपने आप। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया शांत रहिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : विपक्ष के नेता का नाम आपने पुकार लिया था।

श्री उपाध्यक्ष : महावीर जी, आप भी बैठिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को बैठा दिया था, उसके बाद भी उन्होंने आपके आदेशों का पालन नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ आर्डर नहीं, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री हरिसिंह : प्रतिपक्ष के नेता को उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बैठो तो सही, पूरी बात होने दो।

श्री हरिसिंह : प्रतिपक्ष के नेता का नाम पुकार लिया, हम नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

प्रतिपक्ष के नेता को पुकार लिया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने का और मौका मिल जायेगा, लेकिन एक बार उनको बोल लेने दीजिये। माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया उस पर महावीर जी का स्पष्टीकरण आ रहा है कि बीच में +++ किया जा रहा है यह ठीक नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपने विपक्ष के नेता को बुला लिया उसके बाद फिर दो बार स्वास्थ्य मन्त्री जी के कहने पर उधर बुलवाना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि एक बार मैंने उनका नाम पुकार लिया, उनको बोलने का मौका दीजिये। उसके बाद वे और भी अपना कथन जारी रख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : महावीर जी को तो शोक प्रकट करना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

महोदय, माननीय सदस्य महावीर जी बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायण जी, कृपया शान्ति बनायें। कृपया शान्त रहिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : महावीर जी की बात पहले पूरी करायी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। कृपया शान्त रहिये। (व्यवधान)

श्री निर्भय लाल (रूपवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य की योग्यता का पता तो पूरा राजस्थान को चल गया कि जैन साहब की योग्यता क्या है। जैन साहब की योग्यता का सवाल ही तो है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुलाब सिंह जी, प्लीज सिट डाउन।

श्री निर्भय लाल : जैन साहब की योग्यता का पता पड़ गया कि जैन साहब की योग्यता क्या है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दवे साहब, प्लीज सिट डाउन।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय सदस्य महावीर जी बात कह रहे थे, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं। पहले महावीर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री निर्भय लाल : ++++ सरकार चलाना चाहते हो? गरीबों का शोषण करना चाहते हो? (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : आप दबाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने का और मौका दिया जायेगा कृपया बैठें।(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : पहले महावीर जी का कथन पूरा होने दीजिये।

श्री नत्थी सिंह : ये आसन को डिक्टेट करेंगे?

श्री निर्भय लाल : डण्डे के बल पर सरकार नहीं चलाने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : दवे साहब, कृपया विराजें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिये, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की व्यवस्था का भी ख्याल रखिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उनको मौका दीजिये अपनी बात कहने का।

श्री उपाध्यक्ष : आसन के निर्देशों का ख्याल रखिये।

श्री हरिसिंह : विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाय।

++++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परम्पराओं का इनको ज्ञान नहीं है। जब सदन में विपक्ष के नेता बोलते हैं तो सारा सदन सुनता है। (व्यवधान)।

प्रतिपक्ष के नेता महोदय को पुकार लिया है। इनको समझाओ कि सदन की कुछ परम्पराएं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विपक्ष के नेता जब बोलते हैं तो हमें शान्त रहना चाहिए।

डा चन्द्रभान : इनको परम्पराओं का ज्ञान ही नहीं है कि प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं तो उनको सुनना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष के नेता नहीं बोल पायेंगे तो सदन के नेता कैसे बोलेंगे। विपक्ष के नेता को ही नहीं बोलने दे रहे हैं ये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए। सैनी साहब।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जब आपने व्यवस्था दे दी है....(व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए। माननीय दवे साहब, प्लीज सिट डाउन।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले उनको बुलवाइये, उनको समय दीजिये, उनको अपना कथन पूरा करने दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : पहले नेता बोलेगा। अगर हाउस चलाना है तो पहले विपक्ष के नेता बोलेंगे। अगर वाकई सरकार चाहती है....

श्री कालीचरण सराफ : पहले महावीर जी के बाद ही विपक्ष के नेता बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहिये। माननीय विपक्ष के नेता।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाय। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुख्य मन्त्री जी पहले ही इशारा कर देते।

श्री हरिदेव जोशी : मैं पांचवीं बार बैठ रहा हूं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही तकलीफ की बात है कि कल आप उपाध्यक्ष के इस पद पर चुने गये और आज आपकी स्थिति असहाय हो गयी है कि आप सदन में किसी को कण्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिकाज आफ दैम।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप वापस लीजिये ये शब्द। यह आरोप है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह : इसमें क्या बात है ? क्या ऐसा कह दिया जो ऐसा कर रहे हैं ?

श्री निर्भयलाल +++ नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : यह बड़े खेद का विषय है। मैं उस समय सदन में था नहीं,

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

अगर प्रश्न पैदा होता है कि डिफेक्शन के मामले में अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्णय देने का, यह जो घटना घटी थी उसके बाद में मुख्य मन्त्रीजी के अनुरोध पर हम लोग अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बैठे थे वहां चर्चा हुई थी और मुख्य मन्त्रीजी के सुझाव पर एक तारीख तय की गयी। मैंने अध्यक्ष की गरिमा को ध्यान में रखकर उस तारीख को आउट नहीं किया। वह तारीख बीत चुकी है। मैंने रिमाइण्ड भी किया। मुख्य मन्त्री जो गवाह हैं, वे ना कह दें। इसके बावजूद भी अध्यक्ष के द्वारा अपने वचन का पालन नहीं करना ब्रीच आफ ट्रस्ट मानता हूं। इससे अधिक कोई कड़ी बात मैं कह नहीं सकता। टोटल एक प्रकार से किसी में विश्वास खत्म हो जाय, ऐसी स्थिति पैदा हुई है। डेमोक्रेसी में अमुक विश्वसनीयता रहती है उस विश्वसनीयता को आप निभा नहीं सकें तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। आज यह स्थिति क्यों पैदा हो रही है? बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों के नया होने के कारण अथवा अनुभव नहीं होने के कारण वे जरूरत से ज्यादा उत्तेजित होते हों. मगर, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता और चेयर का यह फर्ज हो जाता है कि सदन की मान्यता और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाय। गलियों में क्या हो रहा है, सड़कों पर क्या हो रहा है, वह तो एक बात है, मगर राजस्थान के सदन के चालीस वर्षों के इतिहास में किसी ने +++ निकालकर दिखाया हो, यह पहली शर्मनाक घटना है इसलिए हमको डूब मरना चाहिए। (व्यवधान)।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वर जी यादव ने भी +++ दिखायी है तो क्या यह गरिमामय है? धक्का दिया, +++ दिखायी....

डा. चन्द्रभान : कोई +++ नहीं दिखायी। एकदम गलत।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कह दें रामेश्वर जी यादव कि नहीं बतायी है। मैंने आंखों से देखा है।

एक माननीय सदस्य : यह जातिवाद का एक खुला स्वरूप है। आप पक्ष ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : लीडर आफ दी अपोजिशन भैरोंसिंह शेखावत व्यक्तिगत रूप में भी कुछ अमुक मान्यताओं को स्थापित करने पर जोर देते रहे हैं। मगर उनकी उपस्थित में भी जो घटनाए हो रही हैं, जिस प्रकार आज निराशा पैदा हो रही है, वह एक ही चीज है कि सदन के अन्दर सदस्यों की भावनाओं की कद्र नहीं करना, उनकी बातों को नहीं मानना, उनकी बातों को नहीं सुनना। मुझे यह बतलाया गया कि जब यह सवाल सामने आया तब आप अगली कार्य सूची पढ़ने लगे। उसमें कांग्रेस के सदस्यों का नाम था। आपने पुकारा।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिदेव जोशी)

वे बोलने के लिए खड़े हुए। मगर आपकी रेलगाड़ी चलती चली गयी। उसमें कोई गार्ड नहीं था, उसने झण्डी नहीं बतायी।

एक माननीय सदस्य : आप ही के लोग खड़े थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री हरिदेव जोशी : आखिर उनके कुछ अधिकार हैं इस सदन के अन्दर और अगर यही आप सोचते हैं कि मैजोरिटी है आपके पास में इसलिए आपको सब कुछ औंधा सीधा करने का अधिकार है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुप हो जाओ भाई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सैनी साहब।

श्री हरिदेव जोशी : और यदि उच्च अधिकारी उसके अन्दर पार्टी बन जाते हैं तो फिर निराशा के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता है। आप कर लीजिये, आपका बहुमत है मगर दीवार के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिये। यह ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मुझे तकलीफ है यह सब कुछ कहने में और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आपकी आस्था यदि लोकतन्त्र में है और जो आश्वासन आप देते हैं उसको आप पूरा कीजिये। सदन के अन्दर सदन के अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई ऊंची हस्ती नहीं है। वह एक आश्वासन देते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनकी ड्यूटी हो जाती है कि जिनको उन्होंने आश्वासन दिया है उनको बुलाकर समझायें कि यह कारण हुआ है। हम आपसे इतनी-सी कर्टसी की अपेक्षा नहीं कर सकते, आपसे यह भी आशा नहीं कर सकते कि आप बैठकर उसका समाधानकारक रुख अपनायेंगे और अपने + + + को खड़ा कर देंगे, बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, साहब यह शब्द वापस लीजिये आप। वापस लीजिये यह शब्द। वापस लीजिये, नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरासर असत्य।

एक माननीय सदस्य : कम से कम आप अपनी वरिष्ठता का ध्यान तो रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जोशी जी, सत्ता गई होश में रहो।....

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपमान करने की भावना से नहीं कह रहा हूं।...

एक माननीय सदस्य : क्या + + + बोल रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय जोशीजी, 40 साल तक सत्ता में रहने के बाद में आप से यह उम्मीद थी कि आप

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

इस राजस्थान विधान सभा में और.... (व्यवधान) वाक्य के लिये माफी मांगेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : +++ शब्द एक्सपंज किया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं भी यही कह रहा था कि मेरी भावना किसी को तकलीफ पहुंचाने की नहीं थी, अगर आपको मेरे शब्द बुरे लगे, मैं उनको वापस लेता हूं और +++ की जगह अनरुली कहता हूं। आप अनरुली सदस्यों को खड़े करके और यह टेकटिक्स अपनायें कि कार्यवाही आगे बढ़े नहीं, फिर तरीके यह सब जानते हैं। हमें यह भी मालूम है कि आपका बहुमत है, आप पास करवा सकते हैं मगर यदि आप विश्वास के साथ चलना चाहते हैं तो आप को अपनी परिपाटी बदलनी पड़ेगी। चेयर को और विपक्ष को विश्वास में लेना पड़ेगा, शासक पार्टी को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना होगा और अगर यह नहीं करेंगे तो विपक्ष फिर किसी प्रकार का को-आपरेशन दे नहीं सकेगा।

मैं ऐसा मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है जिन माननीय सदस्य ने +++।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिन माननीय सदस्यों ने।

श्री हरिदेव जोशी : उसके लिए, अपने आचरण के लिये सदन से क्षमा मांगनी चाहिये और अध्यक्ष महोदय ने जो वायदा किया था मेरे साथ में मुख्य मन्त्रीजी की उपस्थिति के अन्दर, उनके सजेशन के ऊपर उसका पालन आज होना चाहिये। इसके बगैर हमें दूसरी चीज में विश्वास नहीं है। क्योंकि आप कुछ कहेंगे, कहते रहे हैं, बहलाते रहे हैं और आये दिन चलाते रहे हैं। आप यह समझते होंगे कि इस टेकटिक्स को हम समझते नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री हरिदेव जोशी : हम सब समझते हैं आप सदन जब तक चले तब तक इसको किसी न किसी प्रकार से बहलाते/टहलाते आगे चले चलें। यह चीज आपको पे नहीं करेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि सदन में आज इस प्रकार का वातावरण बना। यह मांग की गई कि अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था आज ही दें। यह कल भी मांग की गई थी। कल अध्यक्ष महोदय ने मांग के उत्तर में एक बात कही, 19 या 20 तारीख मुझे याद नहीं है, 20 तारीख तक दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर सका हूं और 20 तारीख तक सुनवाई करने के बाद मुझे अपना निर्णय लिखने में समय लगेगा और सम्भवतया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक उदाहरण भी दिया कि सुनवाई के बाद 14 दिन तक जजमेंट हो जाना चाहिये। यह एक पक्ष है।

अध्यक्ष महोदय निर्णय देंगे वह अध्यक्ष जी को देने का अधिकार है। पर मेरे यह समझ में नहीं आता है कि अध्यक्ष महोदय पर किस सीमा तक दबाव डाला जा सकता है। एक तरफ उनको आसन की व्यवस्था

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बनाये रखने का उत्तरदायित्व देते हैं, दूसरी तरफ उनका सम्मान करने की बात करते हैं। सदन की गरिमा बढ़े, इस सम्बन्ध में सदन के अध्यक्ष महोदय का सहयोग चाहते हैं। अब उस अध्यक्ष के ऊपर किस सीमा तक दबाव बढ़े या उनके यहां पहुंच कर दबाव डाला जाय, यह, जोशीजी, मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि क्या अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार का दबाव लाना लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल है? और यदि यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल है तो मैं आपसे ही यह पूछना चाहता हूं कि आज जो सदस्य वहां मेज थपथपा रहे थे, स्पीकर की मेज पर मुक्का लगा रहे थे, क्या आप उसको लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल मानते हैं ?

पहला प्रश्न आता है कि अध्यक्ष के ऊपर दबाव डालकर कोई व्यवस्था करवाना क्या आप उचित समझते हैं ? और क्या आप जिसको उचित समझते हैं उस बात को पूरा करवाने के लिए अध्यक्ष का घेराव कर सकते हैं, सामने आकर खड़े हो सकते हैं, मेजें थपथपा सकते हैं ? आप उचित मानें तो मान लें पर मैं इसको उचित नहीं मानता हूं और मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष में मैं भी लगभग 40 वर्षों तक बैठा हूं....

श्री चन्दनमल बैद: और बैठेंगे।

श्री कालूलाल गूजर (राज्यमंत्री, खनिज): यह तो समय बतायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ ना, क्यों बीच में बोलते हैं ? मैं भी बैठा हूं, मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता है कि मैं कभी अध्यक्ष की मेज के पास गया हूं। मैंने कभी, आज तक अध्यक्ष की मेज के पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैम्बर्स कई बार आ भी गये, विपक्ष के मैम्बर्स, उनको वापस ले जाकर बैठाया है, बैठाने की कोशिश की है। आज मुझे इस बात का खेद हुआ, सदन की परम्पराओं में उत्तेजना कई बार आ जाती है, स्वाभाविक है मैं उस पर आपत्ति नहीं करता हूं, कई बार उत्तेजना जैसे शब्दों का अपने भाषण में उच्चारण भी कर जाते हैं यह भी समझ में आता है लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि कोई भी विपक्ष में बैठा हुआ जिम्मेदार सदस्य आज अध्यक्ष की मेज पर मुक्के थोपे जाय उसको रोकने की हिम्मत नहीं करें। अब इससे आप अन्दाज लगा लें कि परम्पराएं बनाने का काम केवल आपका ही नहीं है और केवल हमारा ही नहीं है। सदन के पूरे सदस्यों को मिल कर परम्पराएं बनानी हैं। आज तक की विधान सभा की परम्परा में अध्यक्ष के ऊपर दबाव नहीं डाला गया और इस परम्परा को आपने तोड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है कि अध्यक्ष महोदय आसन पर बैठे हुए हैं, वह अपना काम कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दें, जो कुछ व्यवस्था दे रहे हैं उनको व्यवस्था नहीं देने दें। क्या आप यह समझते हैं कि अध्यक्ष महोदय के काम को रोका जाये और यह सही परम्परा बनेगी ? हिन्दुस्तान के नहीं लोकतांत्रिक इतिहास में कहीं आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि आप अध्यक्ष को काम करने से रोकें। यह परम्परा का और विशेषाधिकारों का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उल्लंघन है। आपने अध्यक्ष को काम करने के लिए रोका और रोकने के साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे कहते हैं परम्परा बनाने के लिए। उपाध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के नेता का कहना मानने के लिए तैयार हूं, वह खड़े होकर कह दें, क्या राज्यपाल महोदय के हाथ से अभिभाषण छीना जा सकता है, यह परम्परा है ? (व्यवधान)

यदि इसको आप परम्परा बनाना चाहते हैं तो मुझे, परम्पराएं क्या होगी उस बारे में आपसे और बाकी के लोगों से बैठकर विचार करना पड़ेगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को छीन लिया जाये, उसको फाड़ कर फेंका जाये और विपक्ष का नेता उसको कण्डेम नहीं करे हाउस में खड़ा रह कर। आज आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी उस दिन होती और मैं आपका बड़प्पन मानता कि हाउस में पहले ही दिन आकर विपक्ष के नेता खड़े होकर कहते कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को उनके हाथ से छीना गया यह खेदजनक घटना है और विपक्ष की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं। उस समय तो आप मौन रहे। उस मौन का क्या कारण हुआ, परिणाम उसका क्या हुआ ? परिणाम उसी का है कि यदि उस समय आप अपनी पार्टी को कन्ट्रोल करते और उस समय पार्टी को परम्पराओं की याद दिलाते और उस समय आसन का सम्मान किस प्रकार से बढ़े उस प्रकार की बात करते, आसन से किस प्रकार से अपने काम की मांग की जाये उसकी चर्चा करते तो मैं समझता हूं आज लोग आसन के सामने आकर उनकी मेज को नहीं थपथपाते।

मैं कहना चाहूंगा, विपक्ष के नेता महोदय, आपका नियंत्रण विपक्ष पर नहीं है। विपक्ष अपनी मर्जी से जिस प्रकार के काम कर रहा है उस प्रकार से कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, यहां +++ का जिक्र आया। रामेश्वरजी ने कहा +++ दिखाई। महावीर जी के पैरों को मैंने देखा उनके पैरों में +++ ही नहीं है और कांग्रेस के सब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि +++ दिखाई। +++ दिखाई पैरों में तो.... (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : पैर कब देखे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेरे समझ में नहीं आता कि यह +++ का जादू क्या हो गया.... (व्यवधान)

मैं तो आपके तर्क के आधार पर ही कह रहा हूं। आपने सब लोगों ने +++ देखी है ...

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मुख्य मन्त्रीजी, मैंने आप पर पहले ही छोड़ दिया कि इसमें अगर मेरी गलती हो और उनकी गलती नहीं हो, मैं यह त्यागपत्र खाली कागज पर देता हूं, मैं यहां सदन में बैठना ही नहीं चाहता।

आप मेरा दोष है मेरा दोष बताइए, उनका दोष है उनका दोष बताइए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइए। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कि महावीर जी जैन की +++ में ऐसा कौनसा जादू है +++ में कि दिखाए +++ और लोगों को +++ दिखे, इस चमत्कार को तो मैं जानता नहीं लेकिन आप लोगों को सबको +++ की जगह +++दिख गई तो आपके दिखने का कितना अन्तर है यह आप अन्दाज लगा लें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं जो घटना है.... (व्यवधान)

मैंने जोशी जी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं कि परम्पराओं की बात और +++ की बात इन दोनों को यदि आप सारे वातावरण के आधार पर देखेंगे, +++ मैं नहीं कहता कि रामेश्वर जी ने पहले दिखाई या महावीर जी ने, मैंने नहीं देखी इसलिए मैं गलत बात नहीं कह सकता.... (व्यवधान)

मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि किसने +++ दिखाई, पहले किसने दिखाई और बाद में किसने दिखाई। जो कुछ भी +++ किसी ने पहले दिखाई हो चाहे बाद में दिखाई हो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसको कोई भी एप्रीशिएट नहीं करता। मैं इसलिए कहता हूं +++ के मामले में कि अगर हम आज यहां +++ दिखाने की बात करें और +++ दिखाने का मामला गम्भीर है इसको मैं मानता हूं। माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि +++ पहले हाउस में नहीं दिखाई गई। मुझे लगता है कि शायद मेरी स्मरण शक्ति खराब नहीं हुई हो तो एक बार पहले भी इस प्रकार की +++ दिखाई गई थी। रामचन्द्र आर्य ने एक बार +++ दिखाई थी।

श्री केदारनाथ शर्मा : उन्होंने कहा कि अगर संवैधानिक तरीके से हमारी मांगें नहीं मन्जूर होती हैं तो हम यह भी कर सकते हैं। सीट से दिखाई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वो सीट से दिखाई इसलिए दूसरे ने नहीं दिखाई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन माननीय नेताजी, उन्होंने माफी मांगी थी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बार +++ दिखाने के बाद यहां माफी मांगी या नहीं मांगी यह प्रश्न नहीं है। क्वेश्चन यह है कि +++ दिखाई गई कि नहीं। माननीय जोशी जी ने कहा कि आज तक इस हाउस में +++ नहीं दिखाई गई। उनकी याददाश्त के लिए मैं कहना चाहता हूं +++ एक बार पहले भी दिखाई गई है.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : एक बार दिखा दी इसलिए +++ दिखाना जायज हो गया यही कहना चाहते हैं ना आप ? मुझे अफसोस है आपकी बुद्धि पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं केवल उन्होंने जो बात कही उसका उत्तर देना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : इश्यू को नान इश्यू बना करके सारी बात को उड़ा देना

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहते हैं। भैरोंसिह जी, आप एक बात बतला दीजिए किसी भी तरह से हो, कैसे भी हो, अध्यक्ष जी ने कोई तारीक आपके सजेशन....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं जवाब देऊंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे को जवाब इतना ही चाहिए कि हां दिया था कि नहीं दिया था ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरा एक ही सवाल बता दीजिए कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण छीना वह अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था ?

श्री नत्थी सिंह : इसे डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरा एक ही सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उनके हाथ से छीना, क्या जोशी जी इसको उचित समझते हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं कभी उसकी ताईद नहीं करता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : गलत काम किया ना इन्होंने ?

श्री हरिदेव जोशी : आप लोग कर चुके हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुखदेव प्रसाद जी के साथ क्या हुआ था जब कुर्ता फाड़ डाला सुखदेव प्रसाद जी का ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि इनका कन्ट्रोल नहीं है; इनके खड़े होने के बाद आप खड़े हो जाते हैं। कोई इधर से खड़ा हो जाओ देखें। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप यह कहना चाहते हैं कि आपके कन्ट्रोल के कारण से +++ दिखाई गई, इस वास्ते +++ दिखाई गई ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप दल के तानाशाह हैं, लोकतांत्रिक परम्पराएं हैं पार्टी के अन्दर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप दोनों में तय कर लेओ कि कौन बोलेगा।

श्री हरिदेव जोशी : आप यह बातें करके मुझे बहला नहीं सकते।

श्री भैरोंसिह शेखावत: जोशीजी, आप उम्र में मेरे से ज्यादा हैं, मैं आपको क्या बहला सकता हूं। आपने जितने पापड़ बेले हैं मैंने उतने पापड़ ही नहीं देखे।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है, आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं। मगर मैं एक बात कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है इस जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। अगर आप महसूस नहीं करते तो जनमानस यह बनेगा कि आखिरी दिन भगदड़ के अन्दर बजट पास करवा करके आप भाग गये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जोशी जी जब भी मुख्य मन्त्री रहे हैं इन्होंने इस सदन में भागने की परम्परा डाली है.... (व्यवधान)

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं उस परम्परा को नहीं निभाऊंगा। मैं उस परम्परा को तोड़ूंगा। आज वो मुझे कह रहे हैं भागने की बात, मैं क्यों भागूं, कौनसा डर है मुझे जो मैं भागूं....

श्री नत्थी सिंह : धन्यवाद प्रस्ताव पर ही भाग गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भागा नहीं हूं, हम भागे नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : पांच दिन की डिबेट को एक दिन में समाप्त करके। इसको सारा राजस्थान जानता है।

श्री हरिदेव जोशी : फिर क्या कारण था कि कांग्रेस वालों का नाम पुकारा गया तो ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो तय करो कि दोनों में कौन नेता है।

श्री हरिदेव जोशी : कांग्रेस के सदस्यों का नाम पुकारा गया और उपाध्यक्ष आगे बढ़ते चले गये और उनको बोलने का मौका नहीं दिया इसका कारण क्या था?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष ने सबको मौका दिया और ज्यों ही वह खड़े होने लगे, कांग्रेस के सदस्यों ने जाकर बैठा दिया....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : यह असत्य है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मुझे बड़ा अफसोस है कि सदन के नेता और राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी इतना असत्य बोल सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नाम पहले पुकारा गया। ये खड़े होकर बोलने लगे। मेरा नाम तीन नम्बर पर था और उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह पार्टी के पदाधिकारी हैं और कल अध्यक्ष महोदय ने एक बात बताई थी कि राजस्थान विधान सभा में असंसदीय शब्दों का प्रयोग होने के कारण से विधान सभा काफी अपमान का कारण बनी हुई है। (व्यवधान) बैठ तो जाइये। इनको यह पता नहीं है कि +++शब्द असंसदीय है और बोले जा रहे हैं। एक्सपंज करिये आप, उपाध्यक्ष महोदय, इसको।

श्री चन्दनमल बैद : यह भाषण आप कृषि मन्त्रीजी को दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : +++शब्द एक्सपंज कीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++की जगह असत्य लिख लीजिए। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्दनमलजी बैद फरमा रहे हैं, मेरी तो सिर्फ दूसरी टर्न है और जितने शब्द कहे जा सकते थे मैंने अध्यक्षजी को निवेदन किया कि किस वातावरण में वह भाषण हुआ था फिर भी मेरा चाहें तो पूरा भाषण निकाल सकते हैं। लेकिन अभी-

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री सम्पत सिंह)

अभी जिनकी सारी उम्र, जिन्होंने महात्मा गांधी के साये में आजादी की तमाम लड़ाई लड़ने के तमाम वातावरण और सारे युद्ध देखे वह माननीय सदस्यों को+++कह रहे हैं। बड़े करे तो लीला और छोटे करे तो पाप। (व्यवधान) आज अगर महात्मा गांधी हों तो आप लोगों को इस सदन से नहीं दुनियां से बाहर निकाल दें। खाली सफेद टोपी पहनने से और सफेद बाल हो जाने से आदमी की इज्जत नहीं होती है.... (व्यवधान) आपका यह इशारा करना शोभा देता है क्या? आप 80 बरस के आदमी हैं। (व्यवधान) 8-8, 10-10 करोड़ रुपये के घोटालों का आरोप लगा हो....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह सब इसलिए हुआ कि एक गरीब बृजेश शर्मा....

डा. चन्द्रभान : वह सब आपकी वजह से हुआ है। (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, डा. चन्द्रभान, कि यह सब झगड़ा मेरी वजह से हुआ है। मैं तो पिछले....(व्यवधान) मेरी मान्यता यह बनी है कि एक महीने के सत्र को देखने के बाद। मैं तो पांच बरस पहले भी मौजूद था, माननीय सभी नेतागण जानते हैं कि मैंने कहीं भी कोई मर्यादा का उल्लंघन किया हो। अगर दलबदल की बात कहते हैं उस वक्त के नेता बिराजे हुए हैं। इनके निवास पर दो नवम्बर को बैठक हुई थी, जनता दल के सभी सदस्यों को मेरा ही यह प्रस्ताव था कि हम 55 के 55 सदस्य इस्तीफा दे देते हैं आम जनता से फैसला दुबारा ले लेंगे।

डा. चन्द्रभान : कोई फैसला नहीं हुआ और 2 के बाद 6 तारीख की मीटिंग होनी थी, 6 को आप आये नहीं मीटिंग में....(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हेतराम बेनीवाल : इस हाउस में जो बिजनेस चल रहा है उस पर आइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। शांत रहिये। सम्पतसिंहजी, बैठिये।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अन्तिम बात कह कर समाप्त करता हूं।

डा. चन्द्रभान : दलबदल रिट याचिका का फैसला हुआ या नहीं हुआ ? (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : किस बात के लिए इनको अलाऊ किया है।

श्री सम्पत सिंह : डा. चन्द्रभान ने मेरा नाम लिया है। दूसरे माननीय सदस्यों ने मेरा नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, किस बात की चर्चा हो रही है। आपने इनको अलाउ किस बात के लिए किया है। (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : पाइन्ट आफ आर्डर।

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री टीकमचन्द कान्त : आप क्यों कर रहे हो अभी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये। श्री हेतरामजी।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था दीजिए कि जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं उसको किस रूप में चलाना चाहते हैं उस पर आप व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस व्यवस्था के तहत बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : I am already in possession of the floor; Sir. मेरा नाम लिया है। (व्यवधान) आप सुबह से +++रहे थे हम तो सुन रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतजी कृपया बिराजिये।

श्री सम्पतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाया।

श्री परसराम मदेरणा : आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है और विपक्ष के नेता जब सदन के, हाउस के पजेशन में हो। बिना आसन की अनुमति के आप वरिष्ठ सदस्य, केबिनेट के मन्त्री हैं। सदन के नेता बोल रहे तो आप....

श्री सम्पतसिंह : मेरा नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सबसे मोटा प्रश्न आता है क्या अध्यक्ष महोदय पर दबाव डालना उचित है? क्या अध्यक्ष महोदय, के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना उचित है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष फैसला दें इसके अन्दर आप पार्टी थे कि नहीं। आप इस फैसले की पार्टी में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठिये मैं सारा सुनाता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : सपोर्ट करना चाहिए था आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सपोर्ट हमेशा करता रहा हूं

श्री हरिदेव जोशी : हमेशा करते रहे हो मैं इसको गलत मानता हूं कि आप इसको लम्बा करके....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लम्बा करके मैं जाऊंगा कहां। भागूंगा नहीं चन्दनमल जी भागने वाला तो मैं हूं नहीं। उस गली में पैदा ही नहीं हुआ कि भाग जाऊं। मैंने तो भगाया है भागा नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष के ऊपर दबाव देना। You were party to this decision.

(2.00 म. प.)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से निवेदन कर रहा था, मैं फिर रिपीट करूंगा। क्या अध्यक्ष के ऊपर दबाव डाला जाय नम्बर एक। क्या दबाव डालकर उन पर रूलिंग ली

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाय, नम्बर दो। क्या अध्यक्ष महोदय के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाय? क्या राज्यपाल महोदय के हाथ से कागज छीने जाय, यह शोभा देता है? तो जोशी जी आपकी परम्पराओं की मैं दाद देता हूं मैं इन परम्पराओं का पालन नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष की सहन शक्ति की भी सीमा है एक अध्यक्ष को कहते हैं कि विधान सभाध्यक्ष दस्तावेजों की हेराफेरी व जालसाजी के प्रकरण में खुद लिप्त हैं और इस रूप में दिग्विजय सिंह (ग्रुप) की मुलजिमों की पार्टी के साथ वे भी मुलजिम हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया हुआ है। (व्यवधान) यह प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया हुआ है। Let it come to the privilege committee. (व्यवधान) वहां से आने तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री नत्थी सिंह : यह प्रिविलेज कमेटी में है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि माननीय नेता बोल रहे हैं। उसमें डिस्टर्ब नहीं हो सकता।

श्री हरिदेव जोशी : उस इश्यू को डिस्कस करना और ये सारी बातें तो उस दिन हो चुकी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी : आपको ना कह चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे मालूम है यह आपकी कमजोरी है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था।

श्री हरिदेव जोशी : आपको उस दिन साफ-साफ कह देना चाहिए था कि स्पीकर से मत कहिये कि वो करेंगे। आप बैठे हैं आपने मीडिएट किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विपक्ष के नेता महोदय, आप भी इस सदन में बैठे हैं आपने कभी अध्यक्ष को मुलजिम कहा है क्या, आपने कभी अध्यक्ष को फोर्जरी का दोषी कहा क्या? यहां तक कहा कि अध्यक्ष तो खुद फोर्जरी में शामिल है, वह फैसला करेंगे ही नहीं। अब अध्यक्ष पर आप इस प्रकार के आरोप लगायें, अध्यक्ष पर आप दबाव डालें, अध्यक्ष को आप धमकायें, यह तो कोई भी सहन नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : अगर भैरोंसिंहजी आप एक दिन.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए। प्लीज। माननीय सदन के नेता बोल रहे हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब एक बार इस सदन में धरना लगाया गया था....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और धरना लगाने के बाद घोषणा कर दी गई कि हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं वह घोषणा शायद जोशी जी ने आवेश में आकर कर दी थी।

एक माननीय सदस्य : आपको दया आ गई।

श्री भैरोंसिह शेखावत : दया आने का सवाल नहीं था, मेरे लिए चिन्ता का विषय था कि जोशी जी अन्न-जल ग्रहण नहीं करेंगे तो सदन के नेता के रूप में मुझे भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करना होगा यह मैंने अपने मन में ठान ली थी और आपकी घोषणा के बाद....

कुछ माननीय सदस्य : आपने दोस्त हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसमें कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दोस्त हैं, दोस्त ही रहेंगे इसलिए आपको चिन्ता की बात नहीं। हमारी दोस्ती में आपको नाराजगी क्यों हो रही है। मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने जब यह घोषणा सुनी उसके बाद में मेरी तरफ से यही प्रमाण दे सकता हूं कि मैं जर्दा खाता हूं, पान खाता हूं....

श्री हरिदेव जोशी : अब सारी कहानी को कौन नहीं जानता जिसको आप बता रहे हैं। आप टाइम खराब करके जो इश्यू है उसको अलग कर देना चाहते हैं यह शुरू से आपकी आदत रही है। आप सही बात पर आते ही नहीं हैं, लोगों को इधर-उधर भटकाना चाहते हैं। (व्यवधान) You were party to the decision.

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके नेता बोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : एक तो बैठे, दोनों में से कोई एक तो बैठे।

श्री हरिदेव जोशी : आप पार्टी थे कि स्पीकर इस दिन फैसला कर देंगे, नहीं थे तो आप कह दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बोल रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : आप कह रहे हैं कि हां थे आप पार्टी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बोल रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : तब फिर एक बात बहुत साफ है कि आपने मेरे साथ भी धोखा किया और अध्यक्ष के साथ में भी धोखा किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो मैं जवाब तो दे दूं।

श्री हरिदेव जोशी : जवाब कैसे देने दूंगा मैं आपके साथ में था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जोशी जी, जवाब तो देने दो।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं। (व्यवधान) मैं फालतू बातों पर गौर नहीं करूंगा। आप बैठ जाइये, आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब होता तो आप फट से कह देते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं जवाब नहीं देने दूंगा क्योंकि आप इस तरह के धन्धे करके सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अब मैं क्या करूं जवाब दूं या नहीं दूं।

श्री हरिदेव जोशी : कुछ नहीं, आप तो बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह लो।

श्री हरिदेव जोशी : इश्यू यह है कि अध्यक्ष को मुझे कान्फिडेन्स में लेना चाहिए था यदि उन्हें ज्यादा समय चाहिए था तो। आपको भी पूछना चाहिए था और आपने ऐसा न करके ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है। उपाध्यक्ष जी ने कांग्रेस के लोगों को नहीं बोलने देकर और अपनी रेलगाड़ी चलाई उससे यह तात्पर्य होता है कि कांग्रेस वालों को बोलने नहीं देना बहुमत के आधार पर दबाव डालना यह अच्छी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हरिदेव जोशी : अब आप फिर क्या कहने लग गए। (व्यवधान) क्या कहना है आप तो कह चुके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि सदन के नेता को अपना कर्त्तव्य पूरा करने दो।

श्री हरिदेव जोशी : बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बैठ जाता हूं आप बोलिए।

श्री हरिदेव जोशी : बस बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप दोनों हमको + + + बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह नहीं होने दूंगा। जिम्मेदारी लीजिए आपस में भाई-चारा बनाए रखने की, जिम्मेदारी लीजिए इस बात की कि पदाधिकारियों के ऊपर अविश्वास पैदा नहीं हो, जिम्मेदारी लीजिए इस बात की कि जो कुछ भी आज सदन में होता है और आप यह मानते हैं कि यह वाजिब बात है उसको करने की कोशिश कीजिए इसमें यह तनाव बढ़ता जायेगा चाहे वह गवर्नर के साथ में हो, चाहे मुख्य मन्त्री जी के साथ में हो, चाहे विरोधी दल के नेता के साथ में हो इसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे।

कुछ माननीय सदस्य : होने दो।

श्री हरिदेव जोशी : होने दो, मुझे कोई एतराज नहीं है आपकी पार्टी....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं होने देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : विश्व हिन्दू परिषद के नेता वैद्य अवैधनाथ ने कहा था कि ऐसे मसले पर अगर गृह युद्ध भी होता है तो होने दो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप भी कह रहे हैं यही बात।

श्री हरिदेव जोशी : उन्होंने कही।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप भी यही कह रहे हो ना।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अलोपित किया गया।

श्री हरिदेव जोशी : मैं नहीं कहता हूं, इसलिए आपने यहां पर होने दो कह करके अच्छा नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अच्छा नहीं किया कहने वाले ने।

श्री हरिदेव जोशी : हां आप समझते नहीं हैं या आपकी चलती नहीं है। (व्यवधान) इसलिए आप पहला काम यह कीजिए कि अध्यक्ष महोदय के पास जाइये और कहिये कि हरिदेव जोशी ने इस चीज को बहुत बुरा माना है कि आपने जो विश्वास किया था उसका ब्रीच आफ ट्रस्ट किया है। That is breach of trust.

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावनाओं की कद्र की जाएगी, माननीय नेता महोदय को कथन पूरा करने दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं करने देंगे वे।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा है मैंने आज तय कर रखा है कि कोई चक्करबाजी की बात करेंगे तो मैं नहीं होने दूंगा। आप सीधी सी बात कीजिए I am there.

श्री नत्थी सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहते हैं क्या यह बात सही हैं या नहीं कि आपके साथ माननीय विपक्ष के नेता मैं, माननीय हेतराम जी बेनीवाल अध्यक्ष जी के यहां गए, एक फैसला हुआ वो तारीख निकल गई उसके बाद हमने उनसे अर्ज किया, निवेदन किया कि आपने सदन में यह कहा है हम सदन के अन्त तक फैसला कर देंगे। इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, मुझसे कहा कि मैं टाइप करा रहा हूं, उसके बाद कल जब हमने यह बात उठाई तो 14 दिन की बात आ गई। स्वाभाविक तौर से, हमारे दिमाग में अध्यक्ष महोदय का अनादर नहीं है, हमें लगता है, दबाव आप हमसे डालने की बात करते हो, हमें लगता है दबाव आपकी ओर से डल रहा है कि सत्र निकल जाय और फैसला न हो। इसीलिए हमारी चिन्ता है, इसीलिए हम अर्ज कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय का आदर रहे, सम्मान रहे, उनके आसन पर कोई अंकुश नहीं लगाये, कोई उन पर तोहमत नही लगाये और वह किसी तरह से एक्जीक्यूटिव के प्रभाव में नहीं आवें, हम तो इतना ही चाहते हैं। आज फैसला किस वक्त करेंगे, यह बता दिया जाय हमको। इतना ही निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय पर किसी का प्रभाव नहीं है, नम्बर एक।

श्री चन्दनमल बैद : आपका तो प्रभाव है....

डा. हरिसिंह : आपका अध्यक्ष महोदय के ऊपर दबाव है, आप दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और दबाव खुद डाल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता....

श्री ईश्वरलाल सैनी : प्रद्युम्न सिंह जी और हम सभी अध्यक्ष जी के पास, जब रोला हो रहा था, गये थे ...

(118)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब....

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं, मैं एक इन्फार्मेशन दे रहा हूं, साहब

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक इन्फार्मेशन हैं, साहब, जब यहां....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जब यहां रोला हो रहा था तो प्रो० साहब, मैं और प्रद्युम्न सिंह जी अध्यक्ष जी के पास गये हैं और अध्यक्ष जी ने यह कहा है कि मैं यही तो देख रहा हूं, यही फैसला कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब, You have completed your version.

श्री ईश्वरलाल सैनी : निवेदन ही तो कर रहा हूं मैं....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, सैनी साहब।

श्री ईश्वरलाल सैनी : और उन्होंने यह कहा था कि मैं यही फैसला लिख रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्वेरी बाद में कर लीजिए....

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना फैसला लिख लिया है, कृपया वह सदन में आयेगा नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब, प्लीज सिट डाउन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि मैंने अपनी तरफ से इस मामले मे अध्यक्ष महोदय से कभी बात नहीं की, एक मेरा दबाव होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब यदि अध्यक्ष महोदय के ऊपर सदन के नेता का दबाव होता है, इस प्रकार की परम्परा है तो जोशी जी स्वीकार कर लें कि पहले वाले अध्यक्ष पर उनका दबाव था।

डा. हरिसिंह : पहले नहीं था, अब है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर आपने अध्यक्ष जी से बात नहीं की तो मेरे साथ में अन्याय किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके साथ तो अन्याय किया है मैंने उलटा।

श्री हरिदेव जोशी : क्या अन्याय किया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको भूख हड़ताल से उठा दिया।

श्री हरिदेव जोशी : आपने मुझे भूख हड़ताल से उठा करके मेरे साथ धोखा किया है....

श्री नत्थी सिंह : विश्वास देकर उठाया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न्याय किया है मैंने।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. साहब, प्लीज।

डा चन्द्रभान : यह अध्यक्ष मोहदय, ने धरने से पहले आश्वासन दे दिया था कि मैं इस सत्र के अन्त तक फैसला दूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. साहब, माननीय सदन के नेता बोल रहे हैं और विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी परम्परा है, बीच में आप लोगों को नहीं उठना चाहिये।

डा. चन्द्रभान : उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया था, पहले ही आश्वासन दे दिया था कि इस सत्र के अन्त तक फैसला दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : सम्माननीय सदन के नेता महोदय, हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि आपने अध्यक्ष महोदय को अपनी कैसी भी अभिव्यक्ति देकर के दबाव नहीं डाला है लेकिन जैसा कि अभी प्रतिपक्ष के नेता कह रहें हैं, आप जिस तरह से आंखों से, इशारे से, आपकी जो अप्रसन्नता से दबाव देने की, जितने भी दूसरे जरिये हो सकते हैं, +++हो सकते हैं, अगर नहीं था तो महारावल लक्ष्मण सिंह जी जैसा आदमी, अफ्राइडेड हो, आपने कुछ नहीं कहा उनको, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, आपके दबाव के कारण।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो मेरी वाणी ही आपत्तिजनक हो रही थी, अब आंख और नाक भी आपत्तिजनक हो गये हैं, यह तो मेरा बहुत ही दुर्भाग्य है। अब काटे तो जा नहीं सकते....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो तारीफ करते हैं कि आप समाज कल्याण मन्त्री जी को तो ड्राइवर बना देते हो पैट्रोल वाले मामले में और+++को +++बना देते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं जोशी जी, कि इस सम्बन्ध में न तो मेरा कोई हस्तक्षेप है न, मैं अध्यक्ष महोदय पर दबाव डाल सकता हूं, न अध्यक्ष महोदय को कह सकता हूं, उनका निर्णय किस समय देना है यह उनके विवेक का प्रश्न आता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज मुझे जो जोशी जी ने यह कहा कि अध्यक्ष महोदय को मुझे कान्फीडेन्स में लेना चाहिए था। मैं एक इतनी जानकारी कर सकता हूं जोशी जी आपसे, कि यहां पर नारेबाजी करने से पहले क्या आप अध्यक्ष महोदय से चैम्बर में बात नहीं कर सकते थे कि आज आप व्यवस्था दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वहां भी तो बात कर सकते थे।

श्री हरिदेव जोशी : देखिये, अब मैं जो पर्सनल बातें हैं उनको इस रूप में नहीं लेना चाहता, अवाइड करता हूं मैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अवाइड ही करिये।

श्री हरिदेव जोशी : मगर पहले तो मैं आपसे अपेक्षा करता था कि आप बात करते कि अमुक कारणों से यह नहीं हो सकता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बात करता तो आप कहते कि दबाव डालते हैं।

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हरिदेव जोशी : यह कोई दबाव नहीं होता है। यह एक जेन्टलमेन्स एग्रीमेंट था....

डा. हरिसिंह : इस सदन को बाजीगर की जरूरत नहीं है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाक्टर साहब क्या कह रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह एक जेन्टल मेन्स एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट को जेन्टल-मेनली ही लेना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बाजीगर के डमरू पर आप जैसे नाचने वाले हों तो बाजीगर की भी जरूरत रहेगी।

श्री हरिदेव जोशी : अब रहा सवाल, मुझे कुछ कहना चाहिये तो मैं मौन रहना ही ठीक समझता हूं कारण कि इससे और ज्यादा तनाव आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपकी सलाह मैं भी मानता हूं और मैं भी मौन बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खां जी, माननीय महावीर जी। माननीय विपक्ष के नेता महोदय, उनको इस व्यवस्था के साथ बैठाया था, आप बीच में कथन इस बात का दे रहे थे इसलिए उनको पूरा करके....

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दल बदल रिट याचिका पर फैसला होगा या नहीं होगा, यह व्यवस्था आप दे दीजिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नेता महोदय और विपक्ष के नेता, दोनों ने ही मौन स्वीकार कर लिया, महावीर जी को अब बोलने की जरूरत है क्या, आप इस सदन को कड़वाहट में डालना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे सामने दो प्रस्ताव आये हुए हैं। माननीय महावीर जी।

श्री सुनील विश्वनोई : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री नत्थी सिंह : मैं इतना आप से निवेदन कर रहा हूं, आप आसन पर हैं, हम तो यह जानना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय, आज इन याचिकाओं पर निर्णय सुनायेंगे या नहीं ? इतना पूछना चाहते हैं, क्या हो गया इसमें ?

श्री सुनील विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे एक बात बता देवो आप। अध्यक्ष महोदय पर दबाव डाल रहे हैं, आप नारेबाजी लगा रहे हैं, आप उन पर चार्जेज लगा रहे हैं ...

श्री नत्थी सिंह : उनका वचन है, हम अध्यक्ष महोदय के वचन का पालन करना चाहते हैं। उनका वचन है कि इस सत्र के अन्त तक दूंगा, इसी सत्र में दूंगा। उनका वचन है। उनके वचन का पालन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अध्यक्ष के वचन की गरिमा रहे, यह चाहते हैं हम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गरिमा रखने का यह तरीका है क्या कि यहां नारे लगाये जायें, उनको....

श्री नत्थी सिंह : बहुत रिक्वेस्ट करी है, कल भी करी, वहां भी करी फिर भी कोई जवाब नहीं आये तो पूछेंगे तो सही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो यही कहना है, तो सम्मान रखने का तो प्रश्न नहीं आया। आप उनके ऊपर वाणी से चार्जेज लगाओ, आप शारीरिक रूप से वहां खड़े रह कर उनको धमकाओ, तो इसके बाद में आप फैसला लेना चाहते हो तो मैं यह कहना चाहूंगा कि धमकियों में अध्यक्ष महोदय नहीं आयेंगे।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था 6 मार्च को, जब मैंने स्पेसिफिक डेट पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं इस सत्र के अन्त तक दे दूंगा फैसला। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें कि फैसला होगा या नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को मुझे निवेदन करना है कि आपकी भावनाओं का आदर किया जायेगा। माननीय महावीर जी।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बिजनेस ही नहीं है, कौनसा पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री सुनील कुमार विश्नोई : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, हेतराम जी और हमने....

श्री उपाध्यक्ष : कौन से नियम के तहत है ?

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता महोदय, कृपया एक बात और बता दीजिए कि अध्यक्ष महोदय को एन्टी डिफेक्शन के मामले में अपनी व्यवस्था देने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय का सदा सम्मान करता रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, उनको अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा ? Because the rumours are, at large, that Assembly is going to be dissolved and if the Assembly is going to be dissolved then it can only be known to you and none-else.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको यह बता दूं कि असेम्बली डिजोल्व नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कौन सी तारीख तक ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आपकी चिन्ता का ध्यान है और इसीलिए मैंने एश्योरेंश दिया है क्योंकि हमसे ज्यादा तो चिन्तित उधर बैठे हुए हैं। जो आये हैं, कहते हैं कि दोबारा आयेंगे या नहीं आयेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं भैरोंसिह जी....

श्री ईश्वरलाल सैनी : हम तो इधर तो सब पुराने बैठे हैं, उधर नये-नये हैं वह।

श्री परसराम मदेरणा : हैलोज दिल्ली दूरस्थ, हैलोज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी बहुत दूर है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई चिन्ता की बात नहीं है, देखेंगे, देख लिया और रोज देखते रहेंगे, कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : दस साल में एक बार ढाई साल के लिए आए थे, फिर दस साल में एक बार कुछ समय के लिए आए थे और अब एक साल पूरा होने के पहले विदाई समारोह हो गया है आपको, मुझे यह निवेदन करना है कि आप अध्यक्ष महोदय को कह दीजिए....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कह दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : कि वह राजस्थान की इस घटना पर अपना निर्णय दे दें कि उनके व्यक्तित्व पर आंच नहीं लगे।

श्री परसराम मदेरणा : फिर जनता फैसला कुछ और दे देगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करता हूं, आप चिन्ता ही मत करो, यह आपको देखती रही है और देख लिया है और इन चुनावों में भी आपको हरा कर बता दूंगा कि कैसा कांग्रेस पार्टी का काम हुआ है, इसकी चिन्ता छोड़ो, मैदान की बातें मैदान में करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : राजस्थान विधान सभाध्यक्ष के बारे में यह चार्जेज आयेंगे....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं घबराने वाला नहीं, भागने वाला नहीं, पिछले चालीस वर्षों से आपको भुगता है, आपसे संघर्ष किया है, मेरा संघर्ष वही चालू होगा और आपको पता तब पड़ेगा....

श्री परसराम मदेरणा : पहले भाग गये थे आप....

श्री हरिदेव जोशी : वही स्थिति हमारी है...

श्री रतनाराम चौधरी : पहले आपको बैठाया था तो ढाई साल में भाग गये....

श्री परसराम मदेरणा : आपने यह स्थिति कर दी राजस्थान की कि राजस्थान की जनता यह महसूस कर रही है कि यह सबसे अकर्मण्य और असफल सरकार है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : देखा है, देख रहा हूं और देख लेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह विषयान्तर हो कर राजनीति में दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। यह जो विषय है मैं समझता हूं कि आप विधान सभा को जो सब्जेक्ट है उस पर चलाइये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष को अपना फैसला देने दीजिए। उनके ऊपर दबाव मत दीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद सेवा करते हैं अध्यक्ष की।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय पर मेरी तरफ

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

से कोई दबाव नहीं है लेकिन अध्यक्ष महोदय पर आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर, उनको आंखें दिखाकर और यहां +++ कर यदि दबाव डालना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय उससे भी दबेंगे नहीं। जहां अध्यक्ष महोदय को निर्णय देना है उनका अपमान कर के आप निर्णय लें इस प्रकार की भी परम्परा इस सदन में कभी आयी नहीं। जहां तक जोशी जी ने कहा....

श्री हरिदेव जोशी : यह तो हमारी भलमनसाहत थी इसलिए नहीं आयी। यहां पर कोई ऐसी अनुशासनहीनता नहीं हुई इसलिए हमारे जमाने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जो स्थितियां पैदा कर रहे हैं उसका परिणाम यह होता है कि अध्यक्ष महोदय कुछ भी कहें उस पर विश्वास मत करो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप भी बोल लेना। आपको भी जवाब दूंगा। जवाब देने में कोई कमी नहीं है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जोशी जी ने मुझे कहा कि एक साल में मैं चला जाऊंगा। जोशी जी आप जैसा आदमी इस तरह की बात कहे। आपको तो एक वर्ष में ही श्री शिवचरण जी ने हटा दिया था। मैं तो उस समय भी आपके प्रति सहानुभूति रखता था। मैंने शिवचरण जी को कहा कि इनका लिहाज तो रखते। बैठे रहने देते क्या बिगड़ता है।

श्री हरिदेव जोशी : हां, हां।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह तो चतुर्वेदी जी की कमजोरी है कि कहीं आप नहीं हथिया लें। इनको कोशिश करनी चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : देखिये, मैं आपके अन्दरुनी मामले में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास और बातें हैं कहने को। आपके पास और कुछ नहीं है कहने को इसलिए शिवचरण जी को ले आये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपने ज्योतिष के आधार पर मेरी भविष्यवाणी कर दी कि मैं तो एक साल के लिए आया हूं। यह भविष्यवाणी के आधार पर कहते हैं। जो भविष्यवाणी दूसरों के लिए करता है वह अपनी जन्मपत्री तो देख लेता ताकि उनको पता लग जाता कि शिवचरण जी के गृह किस समय प्रबल होते हैं और किस समय मेरे गृह कमजोर होते हैं। कब मैं जाऊंगा और कब रुकूंगा। यह आप दूसरों को कह सकते हैं तो यह तो लोकतंत्र की व्यवस्था है दो महीने रहे, तीन महीने रहें, 6 महीने रहें– मैं कोई जबरदस्ती यहां पर नहीं आया हूं। जनता ने मुझे भेजा है और जनता मुझे वापस बुला लेगी तो सहर्ष उस निर्णय को स्वीकार करूंगा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं जोशी जी कि जनता ने चुन कर मुझे भेजा है, 5 साल के लिए भेजा है। 5 साल के पहले यदि आप को तो अधिकार मुझे हटाने का है नहीं

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और जनता मुझे हटाती है तो जनता का निर्णय मुझे शिरोधार्य करने में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपकी भविष्यवाणी से मैं हट जाऊंगा ऐसी कच्ची कौड़ी मैं भी नहीं हूं। इसलिए आप यह ध्यान रख कर चलें कि भविष्यवाणी करने से पहले खुद ही अपनी जन्मपत्री देख लें कि आपके आने का कोई चान्स है क्या ? कोई चान्स नहीं है। आप बता दें दोनों में से किस का है ? शिवचरण जी का है या नाथूराम जी का है या इनका है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह भविष्यवाणी तो दिल्ली से होगी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन का कोई जवाब नहीं आ रहा है। विषयान्तर हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नेता महोदय बार-बार यह कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय पर दबाव डाला जा रहा है। दबाव नहीं, 6 मार्च को अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने यह व्यवस्था दी थी कि रविराय जी ने अन्तिम दिन फैसला दिया था। उन्होंने यह कहा था कि रविराय जी ने जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने अन्तिम दिन फैसला दिया था और....

श्री सम्पत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंह जी।

श्री नत्थी सिंह : बोलेंगे।

श्री सम्पत सिंह : फिर हम भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उनको अपना कथन पूरा करने दीजिए।

डा चन्द्रभान : कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके कारण तो बोलना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना है कि स्वयं अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि इस सत्र के अंत तक मैं फैसला दे दूंगा। तो यदि अध्यक्ष महोदय आज फैसला देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं, यह बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर दूं कि सत्र पहले 6 अप्रेल तक होने वाला था। अब सत्र आ गया 27 पर। आप अध्यक्ष महोदय पर दबाव डालकर यह कहें कि सत्र के अन्त तक उनको फैसला करना चाहिए था तो अन्त तो 5 दिन 10 दिन पहले ही आ गया। अब उनके विवेक पर छोड़ना चाहिए कि वह अपना फैसला कब दें।

डा. चन्द्रभान : 6 अप्रेल तक चलाओ कौन मना करता है। 6 अप्रेल तक चलाओ।

श्री हरिदेव जोशी : आपके सामने तय हुआ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई तय नहीं हुआ था। मुझे आपको भूख हड़ताल पर से उठाना था।

श्री हरिदेव जोशी : अब आप बदल जाओ तो आप जानो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अध्यक्ष महोदय के विवेक की बात है कि वह अपना फैसला कब देंगे।

श्री हरिदेव जोशी : यह अध्यक्ष जी के विवेक की बात नहीं है। उनके वचन की बात है। उन्होंने जो वचन दिया उसकी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष जी का सवाल है। अध्यक्ष जी इस पर कुछ गम्भीरता से निर्णय ले रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे और इस बात को जैसा माननीय सदन के नेता महोदय कह चुके हैं आप बार-बार दबाव डाल रहे हैं और बार-बार उसी बात का रिपीटिशन कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, कहां यह बीच में आते हैं। सदन 27 मार्च तक चलेगा या 6 अप्रेल तक चलेगा। उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जब सत्र का समापन होगा उससे पहले दिया जायेगा। आप सदन को बढ़ा दीजिए। सत्र को 6 अप्रेल तक कर लीजिए हम कुछ नहीं कहेंगे। आज अन्तिम दिन है। यदि यह सत्र 6 अप्रेल तक चले तो हम आज मांग नहीं करेंगे। यदि यह सत्र आज-आज ही चलेगा तो हमारी स्पष्ट मांग है कि इस याचिका का फैसला आज होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया कि 21 तारीख को सारी सुनवाई खतम हुई है और 21 को माननीय जोशी जी कह रहे हैं कि फैसला दे देते तो यह कैसे फैसला दे सकते हैं जिस अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को 21 को सुनकर सुनवाई अन्त की है वह 21 को कैसे फैसला दे सकते थे....

श्री हरिदेव जोशी : 21 तारीख की गिनती आपने की थी या मैंने की थी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 21 तारीख अध्यक्ष ने तय की थी। दोनों से राय लेकर उन्होंने 21 तारीख निश्चित की थी।

श्री हरिदेव जोशी : 21 तारीख की बात आपने कह दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने नहीं कही।

श्री हरिदेव जोशी : गलत बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कैसे कह सकता हूं। मैं अध्यक्ष नहीं हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक शब्द कहना है....

डा. चन्द्रभान : हरियाणा में फैसला हो गया, गोवा में फैसला हो गया और केन्द्र में फैसला हो गया। यह राजस्थान में फैसला क्यों नहीं होता?

श्री उपाध्यक्ष : होगा, आप विश्वास तो रखिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष जी, मुझे दो शब्द इस सिलसिले में कहने हैं। यहां पर जब हमने धरना दिया और जोशी जी धरने पर बैठे, हम सारे लोग धरने पर बैठे थे, मुख्य मन्त्री जी ने और हम तीन लोगों ने जो तारीख मुख्य मन्त्री जी ने कही है हमने अभी तक तीनों में से किसी ने भी पब्लिक के सामने या किसी सदन के सदस्य

(श्री हेतराम बेनीवाल)

के सामने वह तारीख नहीं बताई जो उस वक्त हमने कहा था और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी ने हमको एक बात कही थी कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो आप कोई भी पांच आदमी नहीं बतायें–एक अध्यक्ष किसी को बतायेंगे नहीं और ना आप चारों बतायेंगे। हम तीनों ने उस बात को अभी तक निभाया है। किसी को तारीख नहीं बताई कि वह कौन सी तारीख को फैसला करेंगे। उस तारीख को मुख्य मन्त्री जी और जोशीजी इन दोनों ने आपस में यह तारीख तय की। माननीय अध्यक्ष जी चुप रहे। इस बात को सुनते रहे। इन्होंने कहा 21 को कर दो और वह चुप बैठे रहे और उसके बाद 25 तारीख को नत्थीसिंह जी और मैं उनके पास गये। हमने यह प्रार्थना की कि आपने जो बात कही थी हमारे सामने उसको निभाओ। उन्होंने कहा कि मैंने जोशीजी से बात कर ली। यह चैम्बर में कहा है कि मैंने टेलीफोन पर बात कर ली जोशी जी से और जोशी जी भी इस बात को मानते हैं कि आपको समय दिया जाये। तो मैंने कहा कि आप बता दो। तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही इसका फैसला आप सोचते हैं कि असेम्बली खतम होने के बाद आप रह जायेंगे। जब असेम्बली सैशन में है इसका फैसला मैं सुना दूंगा। हम दोनों उनके चैम्बर से सुनकर आ गये। उन्होने हमें यह भी कहा कि मेरे साथ यह हुआ। 20 तारीख को मिले, 7 दिन लगें, 8 दिन लगें, ठीक है। हम चुप रहे। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह समझता हूं कि मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं' फैसला चाहे कोई भी हो, किसी तरह का भी हो इस सरकार पर पता नहीं असर पड़े या नहीं पड़े लेकिन उनको यह निश्चित चाहिए। इस तरह की स्थिति में एक बात कह कर अगर वह मुकर जाते हैं तो राजस्थान की 3 करोड़ जनता क्या समझेगी? क्या असर पड़ेगा? उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा कि असेम्बली में कहते हैं। वह समझेंगे कि सब कुछ कर रहे हैं। असेम्बली में कह रहे हैं और उसके लिए निश्चित कहा गया कि बहुत गम्भीर मामला है उनको चाहे हम दबाव की बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इस बात के लिए उनको जरूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको फैसला करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि हाउस में जो कुछ सारे लोगों से कहा, सारे लोगों को पता लगा उसको निभाना चाहिए और मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी इस मामले में हमारे साथ में थे, हम उनके साथ गये हैं यह हाउस में बैठक लगने पर उनके पास आये और उन्होंने इस तरह से वातावरण स्वस्थ्य बनाया उस वातावरण को कायम रखने का तरीका यही है कि इस बात को उठाकर वह स्वयं अध्यक्ष जी से कहें। मैं समझता हूं माननीय जोशी जी और माननीय भैरोंसिंह जी दोनों जाकर उनसे कहें कि हम आपसे कहते हैं यह फैसला कर दें, वह फैसला कर देंगे। फैसला हो जायेगा बात क्या है इसमें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। एक बात तो स्पष्ट हो गई, बेनीवाल साहब प्रत्यक्ष गवाह के रूप में हैं उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि अध्यक्ष जी मौन बैठे रहे, उन्होंने कोई तारीख तय नहीं की और इस बात को भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कह दिया कि मैं और जोशी जी दोनों कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी कोई तारीख तय कर दें। इसलिए जोशी जी का यह कहना कि 21 तारीख तय कर दी, वह बात तो अपने आप ही साफ हो गई। दूसरा प्रश्न यह आता है कि वह फैसला 26 तारीख के पहले पहले या आज के दिन वह फैसला दें। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हू कि उन्होंने 21 तारीख को सारी सुनवाई की है और सुनवाई करने के बाद में जैसे कल कहा, सुबह 9-10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कोई व्यक्ति यहां बैठा रहे फिर उनसे कहें कि वह जजमेंट लिख दें, मैं समझता हूं, यह सम्भव नहीं है और इसलिए उन्होंने अपनी विवशता सदन में कल स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दी कि मैंने 21 तारीख को सुनवाई समाप्त की है और मैं उसका निर्णय दे दूंगा। तो निर्णय तो होगा। अब मैं उन को तारीख के लिए कहूं कि अमुक तारीख को दें तो फिर कोई न कोई बोलेगा कि दबाव दे रहे हो, तारीख तय कर रहे हो। फैसला अध्यक्ष को करना है, तारीख आप तय कर रहे हो, यह दोनों बातें चलेगी नहीं इसलिए आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी और सदन की भावनाओं के आधार पर माननीय अध्यक्ष को निवेदन कर सकता हूं कि इसका फैसला जल्दी से जल्दी करें।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस समस्या का एक समाधान और है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतरामजी बोल रहे हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न काफी देर से सदन के सामने उपस्थित है। जिस दिन यहां धरने पर बैठे थे उस दिन दो प्रश्न थे और मैंने उसी दिन भी कहा था कि अध्यक्ष महोदय का निर्णय एक जुडिशियल निर्णय होगा। वह क्या निर्णय देते हैं यह उनके विवेक पर निर्भर करेगा वह उसको देख लेंगे। टाइम फैक्टर के बारे में जो आप अर्ज करते हैं वह करें। मैं एक बात कहता हूं कि अध्यक्ष महोदय इसको जल्दी करके एग्जोनरेट कर दें किस्सा खतम हो। अगर नहीं निकालना है, नहीं निकालें, निकालना है तो निकाल दें। यह जो अध्यक्ष महोदय को व्यवस्था देनी चाहिए वह माननीय मुख्य मन्त्री जी दे रहे हैं, यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय यहीं हैं। वह स्वयं आसन पर आयें और जो कुछ उनको कहना है वह कह दें, सारा किस्सा खतम हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे सामने नियम 119 के अन्तर्गत एक संकल्प की सूचना मिली है....

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या अध्यक्ष महोदय को फैसला सुनाने का अवसर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह जी, चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : अगर आज फैसला नहीं हो रहा है तो हम इस व्यवस्था के खिलाफ सदन से वाक आउट करते हैं।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री रतनाराम चौधरी : यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं दे सका था। आज हमारे क्षेत्र के काफी लोग आये हैं ...(व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत-पत्र

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के विधान सभा के समक्ष दिये गये अभिभाषण के सन्दर्भ में राजस्थान के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमालसिंह जी यादव, परिवहन मन्त्री, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 31 मार्च, 1986 का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों के बारे में फैसला नहीं होने के कारण से कांग्रेस पार्टी भी सदन से बहिर्गमन कर रही है।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन

डा. रतनलाल जाट (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, श्री रघुवीरसिंह जी कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, राजकीय उपक्रम समिति 1990–91 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1974-75) से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रतनाराम चौधरी द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा, सभापति, जन लेखा समिति।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं, सभापति, जन लेखा समिति, 1990–91 समिति के निम्नांकित चार प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :–

(1) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के जन स्वा. अभि. विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1978-79 अनुच्छेद 4.10, वर्ष 79-80 अनुच्छेद 1.11, 4.6, वर्ष 1981–82 अनुच्छेद 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2 एवं 5.3 वर्ष 82-83 अनुच्छेद 4.3, 4.4, 4.10, वर्ष 1983-84 अनुच्छेद 4.3, 4.4, 5.4 से सम्बन्धित पचासवां प्रतिवेदन।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) विनियोग एवं वित्त लेखे तथा उन पर भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट कृषि विभाग से सम्बन्धित वर्ष 1984–85 का अंकेक्षण अनुच्छेद सं. 2.4(7) व वर्ष 1985–86 का अंकेक्षण अनुच्छेद सं. 3.4, 3.5, 3.14 व 7.1 से सम्बन्धित छब्बीसवां प्रतिवेदन।

(3) विनियोग एवं वित्त लेखे (सिविल) वर्ष 1985-86 व 1986-87 एवं उन पर भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में समाविष्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद वर्ष 1985-86 का 5.6 व वर्ष 1986-87 का 2.6, 4.6, 4.7, 4.8 तथा 4.9 से सम्बन्धित सत्ताइसवां प्रतिवेदन।

(4) विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 1984–85 के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वन विभाग से सम्बन्धित अंकेक्षण अनुच्छेद सं. 3.5 से सम्बन्धित अट्ठाइसवां प्रतिवेदन।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुर:स्थापन

राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मन्त्री राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मन्त्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह, प्रभारी मन्त्री, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक,

(श्री उपाध्यक्ष)

1991 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मन्त्री, विधेयक को पुर:स्थापित करें।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमालसिंह यादव, प्रभारी मन्त्री। राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991

डा. रतनलाल जाट (राज्य मन्त्री, उच्च शिक्षा) : मैं आपकी अनुमति से राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मन्त्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. रतनलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर विधेयक, 1991 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991। श्री भैरोंसिंह शेखावत, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री रमाकांत शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने दिनांक 25.2.91 को लोकहित में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा था। माननीय राज्यपाल महोदय जब 22 तारीख को यहां पर अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, उस समय यहां पर माननीय सदस्य सर्वश्री सुरेन्द्र व्यास, श्री चन्द्रभान, श्री राजेन्द्र पारीक, श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री नत्थी सिंह, श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री महिपाल यादव, श्री रामनारायण वर्मा, श्री नाथूराम आर्य, श्री बी. डी. कल्ला, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री रामस्वरूप मीणा ने आक्रामक रुख अपनाकर उनके हाथ से भाषण ले लिया, भाषण फाड़ डाला, उनके सामने का माइक तोड़ डाला, उनके सामने की लाइट हटा दी। वह प्रस्ताव मैंने रखा था। आज आखिरी दिन है। इस प्रस्ताव पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और चर्चा चाहता हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हमने दो प्रस्ताव दे रखे हैं, इनके बारे में क्या व्यवस्था है और इस पर अब मिथ्या भाषण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्षजी से इसके बारे में बातचीत करके निर्णय लिया जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये असत्य भाषण कर रहे हैं। आप किसलिए इन्हें अलाउ कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारे जो स्थगन प्रस्ताव हैं उन पर व्यवस्था होनी चाहिए। हमने जो प्रस्ताव दिये हैं उन पर व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विनियोग विधेयक, 1991 पर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ? (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : हमने जो प्रस्ताव दिये हैं, उन पर व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विनियोग विधेयक, 1991....

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर आप उन्हें आज्ञा देते हैं तो हमें भी दी जाय।

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अन्तिम दिन है और मेरा प्रस्ताव आ चुका है, मैं प्रस्ताव पढ़ चुका हूं, प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय के सामने अनुमोदन हो चुका है, इस पर चर्चा कर व्यवस्था होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अवैधानिक सरकार थी, उसके प्रति हमने रोष प्रकट किया है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमने कोई गलत काम नहीं किया है। वे गलत कह रहे हैं। वह अवैधानिक सरकार थी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। ऐसा है, मैं इसमें नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता है।

श्री रमाकांत शर्मा : इससे पहले मेरी व्यवस्था होनी चाहिये। इसके बाद ही आगे की कोई बात हो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री रमाकांत शर्मा : मैं व्यवस्था चाहता हूं, मुझे व्यवस्था दें। क्या होगा, आज आखिरी दिन है।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में निवेदन किया था कि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अब आप बोलने वालों को मौका दीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने वालों को मौका दो।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। आप हमें बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल इस सदन में रखा गया है। इसके सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में हमारे मुख्य मन्त्री जी ने बजट को रखते हुए बहुत सराहा था कि इस बजट में बहुत कुछ कटौती करके जो बजट में घाटा था, उसकी मैंने काफी पूर्ति की है। उस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जो घाटा पूरा किया गया है, उसका मुख्य मुद्दा यह था कि यहां पर कोई विकास का कार्य नहीं किया गया।

सबसे पहले तो यह था कि पांचना बांध की जो परियोजना है, उस पर 153 लाख रुपये खर्च होने थे, उसमें केवल 94 लाख रुपये खर्च किये गये और 59 लाख रुपये लैप्स कर दिये गये। यही नहीं, खण्ड महावीरजी के लिए भी 67 लाख रुपये खर्च करने थे, उसमें तीन लाख लैप्स हो गये। इसी प्रकार इस सरकार ने बहुत से काम नहीं करके बजट को लैप्स किया है और यही कारण है कि इतने घाटे की पूर्ति की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने, जो हमने पिछली दफा 5500 स्कूल खोले थे, उन स्कूलों को इन्होंने बन्द कर दिया और केवल इस साल थोड़े से स्कूल, जो कि मैं समझता हूं इस राजस्थान की 4 करोड़ की आबादी के लिए अपर्याप्त हैं, सारे राजस्थान में और कोई विकास की गति नहीं हो, शिक्षा की गति नहीं हो सकेगी।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने बहुत से प्रश्न दिये थे लेकिन वे प्रश्न लगे नहीं है। आज हमारे राजस्थान प्रदेश में सबसे बड़ी कठिनाई है, वह महंगाई है। हमारे मुख्य मन्त्री जी जब आये थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि पिछली सरकार में जो यह गई है उसे हम पूरी तरह से कम कर देंगे लेकिन मुझे अफसोस है कि महंगाई कम करना तो दूर रहा, पिछले साल बजट भाषण में हमारे माननीय श्री चन्दनमल बैद ने भाग लिया था और उन्होंने

(2.45 म. प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

आंकड़े बताये थे हमारी कांग्रेस सरकार के और इस सरकार के जो मिलीजुली सरकार थी। उन्होंने आंकड़े बताये और उन आंकड़ों ने सिद्ध कर दिया कि उस वक्त में और इस वक्त में महंगाई में दिन और रात का अंतर है। 15 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है महंगाई में। श्रीमन्, मैं सबसे बड़ा आंकड़ा यह ले सकता हूं कि इस सरकार में गेहूं 5 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक गया है, डीजल ब्लैक में 10 रुपये प्रति लीटर तक बिक चुका है। मैं मेवात

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

क्षेत्र से आता हूं और वहां हर चीज पर महंगाई बढ़ रही है। वहां पर एक कहावत है जो इस सरकार पर चरितार्थ होती है। मैं मेवात के इलाके की छोटी सी कविता सुनाता हूं जो कि महंगाई से सम्बन्धित है :

यार हम लोग क्यूं आजमायो जा रह्यो है
जामे घुसे न सुई, वामे मूसल घुसायो जा
रह्यो है
यार हम तो खुश थे उस कांग्रेस के ही
वखत में
अब तो बीजेपी को छुरो चलायो जा रह्यो है
यार हम लोग क्यूं आजमायो जा रह्यो है।

साथियों, मैंने अपने प्रश्न दिये थे, वे लगे नहीं है। मैं एक ही मिसाल देना चाहता हूं। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि इस प्रदेश में निश्चित रूप से जो यहां पर भ्रष्टाचार है, उसको मिटायेंगे लेकिन इस भ्रष्टाचार को मिटाना तो दूर रहा, भ्रष्टाचार में इन्होंने काफी वृद्धि की है। अब आप इसको इसी से समझ लीजिये। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि मैंने एक आई. ए. एस. अफसर को गिरफ्तार कराया बी. के. मीणा को। मैं इसमें कहना चाहता हूं कि बी. के. मीणा को गिरफ्तार इन्होंने नहीं कराया, यह रिपोर्ट तो कांग्रेस के टाइम में उनके खिलाफ दर्ज हो गई थी लेकिन बी. के. मीणा से ज्यादा चैक तो धर्मवीरजी ने काटे थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई लेकिन इसीलिए सिद्ध करने के लिए कि हम एक आई ए एस. अफसर को भी दण्डित कर सकते हैं बी. के. मीणा को 9 रोज तक पुलिस हिरासत में रखा, ए. सी. डी. ने उनके साथ ज्यादती की लेकिन, श्रीमन्, एक पैसा भी उनके घर से, उनकी जेब से, और कहीं से भी बरामद नहीं हुआ। उनको जुडिशियल में भेज दिया। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक दिन बाइज्जत बहाल होंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने जो रिपोर्ट दर्ज करायी वह इसलिए नहीं कराई अरेस्ट करके पुलिस हिरासत में भेज दें। हमने जांच के लिए लिखा था उन्होंने गिरफ्तार कराया।

श्री यदुनाथ सिंह : ठीक है। आई. ए. एस. आफिसर आपसे भी नाराज हो गए और हम से भी नाराज हो गये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की थी कि हम भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ेंगे। अखबार में निकला है कि भ्रष्ट-भ्रष्ट आफिसरों की फाइलें मुख्य मन्त्री ने मांग ली। किस लिए +++ सही बात यह थी कि अगर इन फाइलों पर कार्यवाही होती तो निश्चित तौर पर वह पकड़ में आते। ऐसे कई अधिकारी हैं। आई. ए. एस. आफिसर हैं लेकिन चूंकि उनके खिलाफ फाइलें आज भी मुख्य मन्त्री के बस्ते में बन्द पड़ी हैं मेरे पास एक जवाब आया है कि कितने सरकारी दफ्तर प्राइवेट बंगलों में चल रहे हैं या अधिकारियों के बंगलों में चल रहे हैं। उसका जवाब यह है कि 97 तो किराये के मकान ले रखे हैं बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों के और 103 ऐसे हैं जो छोटे कर्मचारियों ने किराये पर लिये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

बंगले लिये हैं 10 साल से पूर्व लिये गये हैं इसका मतलब यह है कि जो बंगले किराये पर लिये गये थे उन बड़े अधिकारियों को, उन मकानों की जरुरत नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन बंगलों का सरकार अधिगृहण कर ले क्योंकि उन्हें इनकी जरूरत नहीं है। जब 10 साल से किराये पर चल रहे हैं। सभापति महोदय मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह भी कहा था कि मेरे पास जो भी पत्र आयेगा मैं उसका जवाब दूंगा और जो मेरे पास घोटाले हैं उनकी भी व्यवस्था करूंगा। निश्चित तौर पर पकड़ूंगा।

जब हड़ताल चल रही थी रोडवेज की, 77 दिन हड़ताल चली और उस बीच में हमारा जो सबसे बड़ा पर्व आता है दीपावली का उसमें भी लोग तड़प गये। मैंने तीन लेटर लिखे पर मेरे पास मुख्य मन्त्री जी का कोई जवाब नहीं आया। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार की फाइल पकड़ी है। इस बात के लिये तो बधाई देता हूं कि उन फाइलों को उन्होंने इन्क्वायरी के लिये ए. सी. डी. को भेज दिया लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने जो पत्र लिखे अगर उनका जवाब देते तो मुझे सन्तोष होता क्योंकि और भी मुद्दे उठाये थे भ्रष्टाचार के। निश्चित तौर पर कार्यवाही करते। मुख्य मन्त्री ने खुद माना है कि उन की फाइल भेज दी गई है। सभापति महोदय, अब मैं आपको ऐसा प्रकरण सामने लाना चाहता हूं जो आपके मन्दिर विभाग से है। आपने बीड़ा उठाया कि हम जहां राम का जन्म हुआ है वहां मन्दिर बनायेंगे। बहुत से लोग, आपके कार्यकर्ता गये, बहुत से लोगों को जत्था बनाकर भेजा इसमें एम. पीज भी थे एम. एल. ए. भी थे लेकिन आपने उनको इस बात के लिए भेजा कि आप जेल में गये भी तो हम आपको प्रमाण-पत्र देंगे ताकि आपको बाद में काम आयेगा और इसके लिए आपने जेलों को डायरेक्शन दे दिये कि फलां फलां को आप प्रमाण-पत्र दीजिए। चाहे जेल गये या नहीं गये। मेरे पास ऐसे जेलों के ब्लेक परिपत्र हैं, जेल की चिट्ठी है, प्रमाण-पत्र हैं उस पर जेलर के दस्तखत हैं। प्रशांत प्रेस फतेहगढ़, फोन नं. 918। स्थान फतेहगढ़। यह प्रेस में छपा है और इसमें जेलर के दस्तखत हैं। यह ऐसा जेल का ब्लैक प्रमाण-पत्र है। ऐसे एक नहीं बहुत से आपको मिल जायेंगे। आप चाहते हैं कि आपके कार्यकर्ता जेलों में गये हैं जो वहां गये हैं उनको प्रमाण-पत्र देवें। आप यह साबित करना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसी मसले पर जो ब्लेंक आदेश जारी हुए हैं और जो मेरे पास ब्लेंक आदेश हैं उस पर सरकार को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह फतेहगढ़ कहां का है। यू. पी. का है या राजस्थान का है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरे पास है, मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। केन्द्रीय कारागार अधीक्षक, फतेहगढ़। इतना ही लिखा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : राजस्थान सरकार का है क्या ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं तो आपके जो कार्यकर्ता जेलों में गये हैं उनका बता रहा हूं। यह मुझे पता नहीं हैं यह कहां है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मुलायम सरकार की जेलों के अन्दर गये थे वहां से सर्टिफिकेट दिये होंगे। यहां से इसका क्या लेना देना है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : फतेहगढ़ की प्रेस लाइन है और केन्द्रीय कारागार अधीक्षक के दस्तखत हैं और यह ब्लेंक है। आपको सर्टिफिकेट चाहिए, मिलेगा।

सभापति महोदय, दलबदलुओं का प्रकरण बहुत आया है। इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। उसमें बहुत चर्चा हो गई है। भाषण भी हो गये लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कही थी। वहां क्या हुआ ? आपने जो उत्तर प्रदेश में और गुजरात में आपने क्या किया है। मैं उसका निश्चित तौर पर जवाब दे रहा हूं। न तो उत्तर प्रदेश में और न गुजरात में ही हमारी पार्टी ने दलबदल नहीं किया है। हमारी पार्टी ने तो बाहर से समर्थन दिया है यह जो प्रकरण है यह दलबदल में आता है। मुझे खुशी होती अगर 55 के 55 माननीय सदस्य जनता दल के आपके साथ चले जाते तो दलबदल की बात नहीं आती लेकिन मुख्य मन्त्री ने हमारे ऊपर यह लांछन लगाकर कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में और गुजरात में क्या किया ? इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं —

"ओ चुनाव के थके साथियों, हर मिली,
विश्राम न समझो;
पद लोलुपता और त्याग का एकाकार
नहीं होने का,
भानुमति के इस कुनबे से बेड़ा पार नहीं
होने का।

श्री हेतराम बेनीवाल : अब तो एक-एक लड़ रहे हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने मुख्य मन्त्री को और भी पत्र लिखे पर जवाब नहीं आया। मैंने इस सन्दर्भ में भी पत्र लिखा कि बहुत से आई. पी. एस. और आई. ए. एस. बड़े अधिकारियों के पास एक से ज्यादा प्लाट हैं। मैंने प्रश्न भी लगाया था। माननीय राजेन्द्र गहलोत का प्रश्न आया दो चार दिन पहले तो मुझे खेद है कि आपकी सलाह से उनको वहां से हटा दिया गया जबकि वह मौके पर थे, चले गये। उसका जवाब आया है एक अधिकारी एक से ज्यादा प्लाट रख सकता है। आपने निर्णय ले लिया मुझे इसमें एतराज नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आज इस सदन में अगर रखता है तो आप उससे यह तो पूछ सकते हैं कि एक-एक अधिकारी के सात-सात प्लाट बने हैं, वह बने किस पैसे से, उनकी आमदनी क्या है ? कहां से इतनी आमदनी आयी है। एक मकान ही लाखों में बनता है प्लाट भी दिल्ली, प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी है। मुख्य मन्त्री जी जिन्होंने राजस्थान से भ्रष्टाचार समाप्त करने का बीड़ा उठाया है इसको सी. आई. डी सी. बी. आई. बी. में देने की हिम्मत करेंगे, मैं कहता हूं नहीं करेंगे।

आपने एक समिति बनायी गृह निर्माण सहकारी समिति के घोटाले निकालने के लिए और एक तेज कुमार कमेटी आपने बैठायी, तेज कुमार को अध्यक्ष बनाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब उस तेज कुमार कमेटी ने यहां पर अपना फैसला दे दिया तो मुख्य मन्त्री ने उसको अपने बस्ते में क्यों बन्द कर रखा है। उसके ऊपर क्यों चुप्पी साधे हैं। उन्होंने स्पष्ट फैसला दिया फलां के पास प्लाट है, किस किस के पास

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

प्लाट है, किस-किस के पास एक से ज्यादा प्लाट हैं, करोड़ों का घोटाला है, बहुत सी गृह निर्माण सहकारी समितियों ने करोड़ों का घोटाला किया है। एक एक प्लाट को चार-चार बार बेचकर पैसे कमाये। उनके खिलाफ मुख्यमन्त्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी जुबान बन्द है, वह जुबान क्यों बन्द है ? आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव नजदीक हैं और आपको पैसा चाहिए इसलिए आप यह प्रकरण बन्द कर रहे है। उसमें+++

मेरा आपसे आगे भी निवेदन है। सभापति महोदय, ऐसे 27 आई. ए. एस. और आई. पी एस. अधिकारी हैं जिनके पास दो-दो या तीन-तीन प्लाट हैं और बीबी बच्चों के नाम से भी प्लाट हैं। मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जब आप भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं तो आपकी एण्टी करप्शन पर भी एण्टी करप्शन बैठाने पड़ेगा क्योंकि एक ए. सी. डी. के एस. पी. आपने शायद इस शिकायत पर उसका तबादला किया होगा उसके पास भी तीन-तीन प्लाट हैं। 60 लाख का तो जयपुर में ही है और सब जगह भी हैं। आपने तबादला तो कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप उसकी जांच कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं उसके पास तीन-तीन मकान कहां से आये कौन सी कमाई से आये। वह कमाई है या बेईमानी की, जो कमाई बेईमानी से की गई हैं जो ए. सी. डी. में बैठकर बेईमानी करते हैं। नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आप कहेंगे कि....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अब तो अन्वेषण ब्यूरो बन गया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अगर मुख्य मन्त्री जी में हिम्मत है तो जो उन्होंने कहा है कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा तो मुख्य मन्त्री जी आप इसको अन्वेषण ब्यूरो में दें आप इनकी इन्क्वायरी करा लें। आप एक से ज्यादा प्लाट दे सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं हैं। आपने जवाब दिया है लेकिन यह तो जांच करा लें कहां से पैसा आया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा और है। इसमें एक और निवेदन करना चाहता हूं मैंने एक प्रश्न लगाया था लाटरी विभाग का लेकिन बदकिस्मती से सदन में चर्चा नहीं हुई। मैं उसको यहां रखना चाहता हूं। सदन में यह एक बहुत बड़ा अहम् मसला है।

मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बेहतर यह है कि यह जो हमारी सरकार नहीं कर सकी वह आपको निश्चित करना चाहिए। आपकी वाहवाही होगी। इस लाटरी विभाग को बन्द कर दीजिये। मुझे गलत जवाब दिया गया। मैंने जवाब मांगा था कि किन-किन अधिकारियों के टिकट बेचे हैं और उनके पास कितना-कितना पैसा है। समय बहुत लग जायेगा, इसीलिये संक्षेप में बोलता हूं। पर उसमें आया नहीं। उसमें केवल यह दिया कि 9 लाख की टिकटें बिकी हैं, और करोड़ों रुपये इनके हैं। और आन्ध्र प्रदेश

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

सरकार ने दावे किये, वह भी इसमें मान लिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक ही आदमी के खिलाफ 85 लाख रुपये हैं। आप उनसे वापस करा सकेंगे? नहीं करा सकेंगे।

(3.00 म.प.)

मैं यह कहना चाहता हूं कि जबरदस्त घोटाला है इसमें, और यह घोटाला मैं साबित कर सकता हूं। इस लाटरी में एक तो आम नम्बर निकालता है और दूसरा है कि एक से 10 तक नम्बर भी निकालना होता है इस लाटरी में। इसमें क्या हुआ है कि सट्टा और लगने लग गया कि एक से नौ नम्बर में एक तो खुलेगा ही खुलेगा, तो लग गया और सट्टा। इस सट्टे में लोग दीवाने हो गये और सब कुछ होने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं बचा, तो उन्हें ब्लैकमेल कर परेशान किया जाता है, और परेशान होकर अपनी बीवी-बच्चों के जेवर गिरवी रख देते हैं। मैं फोटो दिखाना चाहूंगा सदन में कि उनको ब्लैकमेल करके ऐसी नंगी फोटो उनकी निकालते हैं और इस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है। दो नम्बर या तीन नम्बर यदि उनका नहीं निकला, तो वह पैसे से महरूम रह गये, घर बिक गया, उसके बाद भी पैसा पूरा नहीं हुआ। यह शर्म की बात है। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं।

एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा कि यहां पर नकली टिकट भी बेचे जाते हैं। इसलिये कि जो नम्बर उनको निकालना होता है, वह नम्बर बाद में छाप देते हैं। मेरे पास एक ऐसा भी टिकट है जिसमें दो नम्बर हैं, ऊपर तो लिखा है 599999 और नीचे है 599099। अब आप देख सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है इस विभाग में। करोड़ों रुपये इन लोगों में है जो उगाये नहीं जाते हैं।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ठेके पर दे रखे हैं इनको, तो देहली में भी, जयपुर में भी और कलकत्ता में भी किस बात के दफ्तर हैं? ठेका दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ठेका हमारा आ जायेगा, तो दफ्तर फिर क्यों बम्बई और कलकत्ता में लगा रखे हैं? इसलिये मेरा निवेदन है कि इस डिपार्टमेंट को आप बन्द कर दीजिये।

सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी नहर के बारे में मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या इन्दिरा गांधी नहर के सम्बन्ध में कोई आयोग बिठाया था एक आई. ए. एस. आफिसर के खिलाफ और एक चीफ इन्जीनियर के खिलाफ? उन्होंने कहा कि हां। आयोग बिठा दिया और आयोग की रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है बेरी कमीशन की रिपोर्ट, तो कहने लगे कि हां, रिपोर्ट भी आई है। तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है? कहते हैं कि कार्यवाही कहीं बस्ते में बन्द कर रखी है, उस पर विचार हो रहा है। तो कब तक विचार होगा? अब आप कहेंगे कि हमारी सरकार ने क्या किया। तो आप क्या यह चाहते हैं कि जो हमारी सरकार ने किया उसी को नुक्तेनजर रख कर आप भी करना चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बजट में हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जवाहरात और खरड़ और हीरों पर टैक्स माफ किया।

श्री सभापति : जल्द समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : बस दो मिनट। हमने निवेदन किया था कि गरीबों को इस टैक्स से क्या फायदा मिलेगा, तो उन्होंने यह जवाब दिया था कि हमारे विदेशी व्यापार को इससे फायदा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब विदेश में हमारा माल जायेगा, वह तो सारे हिन्दुस्तान में फ्री है, उसमें टैक्स का कोई लेना-देना ही नहीं। जब से हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इस टैक्स को माफ किया है, मैं पूछना चाहूंगा कि कितने गरीबों को फायदा हुआ है। एक भी गरीब को फायदा नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, बड़े-बड़े सेठों की वजह से इस टैक्स को माफ किया गया और आने वाले चुनावों के लिये और आपके जो अध्यक्ष आये थे; उनके लिये भी उगायी की करोड़ों रुपयों की, यह मैं साबित कर सकता हूं। (व्यवधान) मैं नाम नहीं बता सकता, वर्ना यह सब अभी बिगड़ जायेंगे। (व्यवधान) मैं नाम बता रहा हूं। यह आदमी बी.जे.पी. का है। (व्यवधान) बोल दूं ? बोल दूं ? यह हैं रामदास जी अग्रवाल और इनकी चार-चार फर्म्स हैं यह आपको बताना चाहता हूं। उन्हीं के कहने से यह सारे हीरे जवाहरात पर टैक्स माफ किया गया था और उसके बाद करोड़ों रुपये की उन्होंने वसूली की थी।

श्री मदनलाल सैनी : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें। बहुत समय हो गया। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक निवेदन और है। मैंने मुख्य मन्त्री जी को दो-तीन पत्र हमारे विद्युत मण्डल के बारे में लिखे। बड़ा अहम मामला है। हमारे विद्युत मण्डल में यह +++ आदेश निकलते हैं, एकल दो तीन चार पांच छः और इन +++ आदेशों के बारे में पूर्व विद्युत मंत्री, श्रीमती सुमित्रा जी ने भी एक इन्टरव्यू में यह एक्सेप्ट किया कि मेरी इस विभाग पर नहीं चलती। और मजे की बात तो यह है कि आज आदेश निकाले और दूसरे दिन उन्हीं आदेशों को बदल दिया। यह है हमारे विद्युत मण्डल की हालत।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो +++ आदेश निकलते हैं, मैंने एक पत्र लिखा था, इस बोर्ड से एक आदमी विदेश जाना था, और उसमें यह था कि टेक्निकल मैम्बर ही जायेगा। पंजाब विद्युत मण्डल से वहां के टेक्निकल मैम्बर ही को विदेश भेजा ट्रेनिंग के लिये, और यहां से भी टेक्निकल मैम्बर को भेजना था....

श्री हेतराम बेनीवाल : 132 में इसका नोटिस भी है निन्दा प्रस्ताव का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में लम्बे-चौड़े कारण नहीं दिये जाते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : लेकिन गया कौन ? एक तो चीफ इन्जीनियर जो अभी रिटायर होने वाले हैं और दूसरे स्वयं श्री

+++ शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

भण्डारी जी चले गये। और एक, सभापति महोदय, भण्डारीजी स्वयं चले गये, कोई बात नहीं चले गये। उस वक्त हमारे पास एक्सचेन्ज की बहुत कमी थी। वह अपनी दस दिन की ट्रेनिंग में गये, लेकिन बीवी, बच्चों को लेकर घूम रहे हैं। अपनी बीवी, बच्चों को ले गये और एक महीने में आये। मैं पूछना चाहता हूं वह पैसा कहां से आया। मैंने मुख्य मन्त्री जी को लैटर लिखे हैं, दो लैटर लिखे हैं कि इस तरह से इनको रोकिये, यह पैसे का दुरुपयोग है।

श्री सभापति : बात आ गई है, समाप्त कीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : और यह एक महीने के लिए जाने जा रहे हैं।

श्री सभापति : 25 मिनट हो गये, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : सभापति महोदय, अब मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मेरा एक पाइण्ट जिसमें मुझे जवाब लेना है। ओलावृष्टि पर बोल रहा हूं। ओलावृष्टि पर मुझे अध्यक्षजी ने समय दिया था, ओलावृष्टि पर मुझे बोलना था।

श्री सभापति : आप ओलावृष्टि पर पहले बोल चुके हैं। सदन के सामने बात आ चुकी है, बस मेन्शन कर दीजिए कि ओलावृष्टि हो गई।

श्री ईश्वरलाल सैनी : राजस्थान में भयंकर ओलावृष्टि हुई। मेरा क्षेत्र उससे बहुत प्रभावित हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ : कागज गायब हो गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए अब। माननीय सैनीजी, आपकी बात आ गई है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जवाब नहीं आया है। मुख्य मन्त्रीजी से जवाब लेना है, मुख्य मन्त्री जी जवाब देंगे। ओलावृष्टि के लिए मुझे मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि अप्रोप्रियेशन पर बोलना मैं इसका जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं....

श्री सभापति : कि इसका जवाब आये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कि ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है....

श्री सभापति : उस पर जवाब आये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर.... साहब, जल्दी क्यों कर रहे हो ? मैं मेरी...

श्री सभापति : बहुत समय हो गया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं मेरे हिस्से का ही तो समय लूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया है। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए आप। मेरा नम्र निवेदन है कि समाप्त कीजिए आप। बहुत समय हो गया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अप्रोप्रियेशन बिल पर माननीय मुख्य मन्त्री जी निश्चित तौर से जिनको नुकसान हुआ है, उन पर ...

श्री सभापति : जवाब देंगे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं अब समाप्त करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं, इस सरकार से। अब हमारी कांग्रेस की तो थोड़ी बात कहूं....

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त कीजिए। बहुत समय हो गया। इतना समय बाकी लोगों को नहीं दिया गया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अब हजारों लहरें कांग्रेस की छूट रही हैं, सम्भालो, बी. जे. पी. वालों, आपकी किश्ती डूब रही है। अऊ मैं....

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरी बात....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए। (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : अलवर के मेवात बोर्ड में भी मुख्य मन्त्रीजी ने जो पैसा दिया है उस पर अभी घोषणा करके रिप्रजेण्ट करेंगे। मेवात बोर्ड में पैसा....

श्री सभापति : ठीक....

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप भी अलवर के रहने वाले हैं।

श्री सभापति : ठीक है। समय की भी सीमा है, माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेवात में भी प्रभावित हैं। दूसरा, लास्ट में एक पाइण्ट है कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर में भिवाड़ी और एक है बहरोड़, यह तीन क्षेत्र आ गये हैं और अभी-अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा श्रीमन् कि केन्द्र के 10-15 जो बड़े-बड़े आफिस हैं, उनको नजदीक बदला जा रहा है और मैं समझता हूं, 2-3 आफिस अलवर में आने वाले हैं। उन्होंने उनको तो खुश कर दिया, नन्दकिशोर जी को कि वहां पर उन्होंने उनको मेडिकल कालेज दे दिया। इसलिए मैं आपसे और मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं, आप अलवर से आने वाले विधायक को भी खुश करेंगे। मेडिकल कालेज क्या, दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है, किसानों की, जो बहुत दिन से चली आ रही है। निश्चित तौर से क्योंकि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा में है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी पैसे डालकर नौगांवा में या अलवर में किसानों के लिए वहां पर किसान कालेज खुलवायेंगे, मेरी यह मांग है। अन्त में एक दोहा पढ़ दूं, साहब।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आधा घण्टा हो गया। दस मिनट बोलना है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा कांग्रेस का समय है, साहब।

श्री सभापति : आप क्षमा करेंगे। थोड़ा समय का, अनुशासन का ध्यान रखें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : श्री राजीव ने ऐसा जगाया है, चेतन यहां कि ज्वाला भी जिसको भस्म न जला सकी, इनका दीपक सेवा से भरा है, सदा आंधियां भी जिसको बुझा न सकी।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सभापति महोदय, मेरा काण्ड, सुनीता काण्ड, ओ.पी. मीणा का हत्याकाण्ड और महावीर जी के एनीकट का काम और सिद्ध के एनीकट का काम और सीमेण्ट फैक्ट्री के मामले मैंने उठाये थे, उनके बारे में....

श्री सभापति : कृपया आप तशरीफ रखिये। व्यवस्था रखिये। माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके बारे में मुझे व्यवस्था दिलायें, साहब पहले।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह।

श्री रामस्वरूप मीणा : इतना गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : कृपया बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : और उसके बाद भी वहां पर कुछ नहीं हो रहा है।

श्री सभापति : आप आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले व्यवस्था दिलाइये।

श्री सभापति : कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है।

श्री सभापति : कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : एनीकट बनाना, आप इसके बारे में पहले मन्त्री महोदय से बोलें....

श्री सभापति : कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप इसके बारे में पहले मन्त्री महोदय से कहें।

श्री सभापति : आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : सुनीता हत्याकाण्ड हुआ, ओ.पी. मीणा बैंक मैनेजर का हत्याकाण्ड हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं किया जावे।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : माननीय, आसन ग्रहण कीजिए। अंकित नहीं हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : आप जो बोल रहे हैं, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : आप आवेश में बोल रहे हैं, अंकित कुछ नहीं हो रहा है।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : कुछ नहीं अंकित हुआ है।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : मैंने माननीय श्री रघुवीरसिंह कौशल का नाम ले लिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : आप कृपया विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : इस तरह से नहीं चलेगा, जैसे आप चलाना चाहते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप बिराजिये। ऐसे नहीं चलता सदन।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सचेतकजी से निवेदन करूंगा क्योंकि....

श्री सभापति : आप बिराजिये। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप आसन ग्रहण कीजिए। अनुशासित रहें।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए। आपका नाम नहीं है, यहां पर। कोई तरीका नहीं है यह। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : कृपया बिराजिये, आप। आसन ग्रहण कीजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : कुछ नहीं अंकित हो रहा है, आप बोले जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : कुछ नहीं अंकित हुआ है अभी तक।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : आपकी पार्टी का कोई समय नहीं है। सबका एक-एक नाम बोल हूं मैं। आपकी पार्टी के जो नाम आये हैं, वह बोलता रहूंगा मैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री सभापति : मैं पार्टी के सचेतक महोदय से निवेदन करता हूं कि आपने नाम दिये हैं, उनका नाम सबका यहां मौजूद है। मैं नाम बोलूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : कृपया अनुशासन रखिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल ; सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर यह बोल सकते हैं।

श्री सभापति : यह अनुशासन तो नहीं है। आपने नाम दिये हैं, मैं नाम ले रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री सभापति : समय अपने सचेतक महोदय से कहें, उन्होंने मुझे नाम दिये हैं।

सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित व्यक्तियों का धरना

श्री बुलाकीदास कल्ला : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन। सभापति महोदय; आज पिछले कई दिनों से राजस्थान लोक सेवा आयोग से जो लोग परीक्षा में चयनित हैं वह धरने पर बैठे हैं, राज्य सरकार को उनसे बात करनी चाहिये, हाईकोर्ट ने भी इनके पक्ष में फैसला दिया है कि जिनके 37.5 प्रतिशत नम्बर आ गये हैं, उनको राज्य सरकार को नौकरी देनी चाहिये। दो चीजों की दिक्कतें आ रही हैं, एक तो राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक बैन लगा रखा है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में नौकरी नहीं दी जायेगी, तो बैन हटा कर और 800 वैकेन्सीज जो राजस्थान में है, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित हो गये हैं, उनसे वार्ता करके उनको नौकरी दी जानी चाहिये और राज्य सरकार के सम्बन्धित मन्त्रीजी को उनसे वार्ता करके इसका कोई समाधान निकालना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया आप बिराजिये। इतना समय नहीं चलेगा। बिराजिये आप। कोई तरीका नहीं है।

श्री हरिसिंह : मैं तो आसन की इजाजत से....

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये। आसन आपसे निवेदन कर रहा है तो आप बैठ जाइये। आप बिराजिये। आप समय जाया कर रहे हैं। आधा घण्टा हो गया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं यह निवेदन कर रहा हूं....

श्री सभापति : आप तशरीफ रखिये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय कल्ला जी आप अपने माननीय सदस्य को समझाइये।

श्री सभापति : माननीय रघुवीरसिंह कौशल। ऐसा तरीका नहीं है।

श्री हरिसिंह : वक्तव्य दें।

श्री सभापति : एक-एक माननीय सदस्य का मैं नाम ले रहा हूं, वह बोलेंगे। कृपया अनुशासन बनाइये।

श्री हरिसिंह : बेरोजगारी दूर करने के बजाय सरकार बेरोजगारी बढ़ा रही है।

श्री सभापति : आप बैठ जाइये। आप आसन ग्रहण कीजिये। कृपया आप आसन

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(१५५)

(श्री सभापति)

ग्रहण कीजिए यह कौन सा तरीका है, वह यह कौनसा अनुशासन है।

विधेयक पर विचार

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति जी, हम विनियोग विधेयक पर आज सदन में चर्चा कर रहे हैं। बजट प्रतिवर्ष प्रस्तुत होता है। बजट में आंकड़े होते हैं, गांव और गरीब की प्रगति की, विकास की चर्चा होती है। किन्तु वस्तुस्थिति में बजट में भावना क्या है, बजट की आत्मा क्या है, उसके पीछे बिल क्या है, बजट कैसा प्रस्तुत हुआ है, यह देखने से इसका आंकलन किया जा सकता है। यदि हम इस बजट को देखते हैं तो उससे यह आभास होता है कि बजट प्रस्तुत करने वालों की नीयत राजस्थान के विकास की ओर है। यह इस बजट की भावना है वर्ना बजट में आंकड़े सब जगह होते हैं कि इतनी सड़कें बनेंगी, कितना क्या बनेगा। लेकिन यदि भावना नहीं होती तो जैसे आत्माहीन पुरुष होता है वही स्थिति बजट की होती है। इस दृष्टि से इस बजट को आज हम देखते हैं तो, माननीय सभापति जी, यह बजट सचमुच राजस्थान के विकास का एक दस्तावेज है। आज चाहे कांग्रेस पक्ष वाले हों या कोई हों, गरीब के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उनकी प्रगति की बात करते हैं, गांव की प्रगति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं लेकिन वस्तुस्थिति में उनके लिए क्या किया गया? क्या आज रिजर्वेशन का फायदा गांव वाले शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी उठा पाते हैं? यदि आज एक क्लर्क भी बनना हो तो उसके लिए टाइपिस्ट होना जरूरी है। क्या मेरे गांव का आदमी टाइप सीख सकता है गांव में रहकर? ये बातें ध्यान में नहीं रखी गयीं। उसका नतीजा यह हुआ कि दो क्लासेज हो गयीं। नौकरी मिलेगी शहर के आदमी को, जो शहर के वातावरण में रहता है, जो टाइप जानता है, जो और प्रशिक्षण ले सकता है। मेरे गांव का शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का आदमी लाभ नहीं उठा सकता रिजर्वेशन का। बजट में प्रोविजन किया गया है कि इनके लिए प्रशिक्षण संस्थान बनाये जायं। जहां जनजाति के बन्धु ज्यादा रहते हैं वहां एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान और जहां शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं वहां अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान। उनमें टाइप और जो जो बातें होती हैं उनका प्रशिक्षण गांव के आदमियों को दिया जायेगा गरीब शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब को, तो नौकरियां मिलेंगी। ये दो वर्ग हो गये हैं, जिनमें से केवल शहरी वर्ग फायदा उठाता है और गांव का रह जाता है। इस बजट में यह प्रोविजन किया गया है कि उनके लिए प्रशिक्षण संस्थान हों।

इस बजट में यह प्रोविजन किया गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट के 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या के जो गांव हैं उन गांवों को सलैक्ट किया जाय, उन गांवों में सम्पूर्ण विकास की योजनाएं बनायी जायं। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के ऐसे 100-100 गांव छांटे गये हैं। उनकी क्या आवश्यकता है, कहीं पर लिफ्ट सिंचाई की आवश्यकता है, कहीं सड़क की है, और कोई भी आवश्यकता है, ऐसे गांवों के सम्पूर्ण विकास की योजनाएं बनायी जायं। क्या अब तक शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ऐसी योजना कभी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

बनायी थी, जिससे उनको यह महसूस हो कि सरकार हमारी चिन्ता कर रही है।

मान्यवर, इनके लिए सामुदायिक विकास केन्द्र बनाये गये, जहां ये लोग बैठ कर अपनी चर्चाएं कर सकते हैं। अम्बेडकर भवन बनायें, इसमें उनका भी कुछ लगाव हो, ये स्वयं बैठें। यदि लगाव नहीं होता है तो भवन खाली पड़े रहते हैं। आजकल ऊपर से जो योजनाएं आती हैं उनके अन्तर्गत जो भवन बनते हैं वे खाली पड़े रहते हैं। ऊपर से एक योजना आयी हाट बाजार लगाने की। माननीय सभापति महोदय, हाट बाजार जितने बने हैं उनमें से 90 प्रतिशत खाली पड़े हैं, उनमें कोई बाजार नहीं लगाता। लेकिन अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत वे सामुदायिक विकास केन्द्र बनाये जायेंगे, जिसमें उनका भी कुछ न कुछ योगदान होगा जिससे उनका लगाव हो, यह एक भावना उनमें पैदा की गयी। रिजर्वेशन की बात आती है तो कहा जा रहा है कि इतने पर्सेण्ट बढ़ाओ, इतने पर्सेण्ट बढ़ाओ। इस बजट में इसकी क्रियान्विति कर दी गयी है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जितनी योजनाएं बनी हैं उनमें उनको 50 पर्सेण्ट रिजर्वेशन की बात आ गयी। फोर्थ क्लास, क्लर्क में उनको 50 पर्सेण्ट देकर उसी इलाके में नौकरियां मिलें, इसका प्रयत्न किया जायेगा ताकि उनका जो स्टैण्डर्ड आफ लिविंग पड़ता है, जन-जाति के लोग उनसे सहयोग ले सकें और अपना रहन-सहन ऊंचा कर सकें। यह योजना गरीब की योजना है, उन बन्धुओं की योजना है जिनके नाम पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर दिये किन्तु जो जहां के तहां बैठे हैं। सारे रिजर्वेशन का फायदा शहर के लोग उठा रहे हैं. पर इस बार गांव के बारे में सोचा गया। इसलिए मैंने निवेदन किया, सभापति महोदय, कि इस बजट की भावना क्या है। माननीय सभापति महोदय, अपना गांव अपना काम योजना आयी। इसके अन्तर्गत 1/3 पैसा गांव वाले इकट्ठा करते हैं और 2/3 सरकार देती है। आज यदि किसी जगह सरपंच गड़बड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, सरकार का पैसा होता है खा जाते हैं कई लोग, तो उससे गांव वालों को कोई मतलब नहीं है कि सरकार का पैसा आया। किन्तु जिसमें गांव का कन्ट्रीब्यूशन होगा एक तिहाई उसमें एक-एक पैसे का हिसाब गांव वाले लेंगे। गांव वालों का लगाव होगा कि इतना पैसा इसमें खर्च हुआ है। आज यह योजना गांवों में इस ढंग से अपनायी जा रही है कि पैसा कम पड़ गया है। यह मुफ्त का पैसा नहीं है। हमारे विकास से जन-जीवन का जो लगाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए वह इससे हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, विकास के लिए पैसे की जरूरत होती है, विकास के लिए प्रशासन की चुस्ती की जरूरत होती है। मैं मुख्यमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तीन जिले बनाये। मैं तो उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनको कई जिले बनाने चाहिए। जो जिले बड़े हैं उनको छोटा करने से प्रशासन में चुस्ती आयेगी, उस क्षेत्र का विकास होगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी बारह साल की मांग थी कि बारां जिला बनाओ। दौसा जिला बना, राजसमन्द जिला बना और बारां जिला बना। मेरा बारां क्षेत्र ऐसा है जो कोटा से सैकड़ों मील शाहबाद है, जहां

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

जनजाति की योजनाएं चल रही हैं किन्तु कई कलक्टर आये और चले गये, उन्होंने वह क्षेत्र देखा ही नहीं। उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया मानिटरिंग नहीं होने के कारण। आज बारां जिला बना है, प्रशासन चुस्त होगा, विकास योजनाएं सफलतापूर्वक चलेंगी और पिछड़ा जिला होने से उद्योग आयेंगे। ये जड़ बातें पकड़ी हैं कि किन बातों से उन क्षेत्रों का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने उन्हीं योजनाओं को हाथ में लिया है।

मेरे क्षेत्र में कैचमैंट, सिंचित क्षेत्र विकास के नाम पर किसानों के नाम लाखों रुपये दिये गये, उनके दस्तखत नहीं कराये। योजना इतनी डिफेक्टिव थी कि जो काम एक हजार में होना चाहिए वह पांच हजार में हुआ। किसी के नाम पच्चीस हजार, किसी के नाम पचास हजार तो किसी के नाम एक लाख रुपये लिखे हुए हैं। हम 12 साल से निरन्तर यह प्रयत्न कर रहे थे कि हम कर्जा नहीं देंगे, यह कर्जा हमारे नाम गलत लिखा हुआ है। प्रदर्शन हुए, जेलें भरी गयीं। गंगानगर भी हमारे साथ रहा, गंगानगर के लोगों ने प्रदर्शन किये, जेलें भरीं। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि झूठे कर्जे जो किसानों के नाम लिखे गये थे, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने उन्हें वसूल नहीं करने की घोषणा कर दी है। किन्तु मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि वह स्पष्ट घोषणा करें कि माफ कर दिया गया है। किसान वैसे भी इस कर्जे को देने वाले नहीं है। कर्जा झूठा है गलत योजनाओं के नाम पर उनके नाम लिखा गया है, यह कर्जा माफ होना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, राजाओं के राज से लेकर कांग्रेस के राज तक कभी भी किसान का लगान माफ नहीं किया गया। जब भयंकर अकाल पड़े तब भी उसको स्थगित कर दिया गया किन्तु माफ नहीं किया गया। 1977 में जब भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार आयी थी तब असिंचित बारह बीघा का लगान माफ किया गया था और इस बार उन्होंने सारी असिंचित जमीन का लगान माफ कर दिया है क्योंकि असिंचित जमीन एक अनइकानामिक है, अनार्थिक जोत है, घाटे का धन्धा है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने असिंचित जमीन का लगान माफ कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, कोटा क्षेत्र कांग्रेस के राज में बहुत उपेक्षित रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज खुला। सारे डिवीजन प्लेसेज पर मेडिकल कॉलेज थे, कोटा ही ऐसा था जहां नहीं था। मेडिकल कॉलेज खोला गया, मैं इस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

मान्यवर सभापति महोदय, विकास की एक राजनीतिक इच्छा जिसमें राजनीतिक भेदभाव न हो, जैसे मैंने अपना गांव अपना काम योजना की चर्चा की थी। 10 लाख रुपए तक की सिफारिश करने का विधायक को अधिकार दिया था। यह सरकार ने बिना भेदभाव के प्रत्येक एम. एल. ए. को दिया, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का एम. एल. ए. हो। क्या कांग्रेस के राज में ऐसा एक भी उदाहरण मिल सकता है कि जहां विरोधी दलों के विधायकों को इस प्रकार के अधिकार दिये गये हों। माननीय

(श्री रघुबीरसिंह कौशल)

सभापति महोदय, 30 जिले छांटे गये। 30 जिलों में कौनसी प्रायोरिटी होगी, जिले की कौनसी प्रायोरिटी रहेगी। मैं इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि हर जिले की प्रायोरिटी पर उन्होंने ध्यान दिया है लेकिन यह प्रायोरिटी कौन तय करेगा, क्या आफिसर्स तय करेंगे या इसमें जन-प्रतिनिधियों का कोई योगदान होगा? कई जगह समस्याएं हैं, सभापति महोदय, आज जैसे झालावाड़ में लिफ्ट इरिगेशन की है, भरतपुर में खारे पानी की है यह योजनाएं ली जाकर इन योजनाओं से उस जिले का विकास होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि विकास के बारे में नीचे से जो कल्पना है, योजनाएं नीचे से बनकर आये, वहां बैठकर योजनाएं तय हों, किस चीज का विकास चाहिए, कैसा चाहिए, प्रायोरिटी किसकी रखी जाय। यह नीचे से तय होता है। अब जयपुर के कमरों में बैठकर तय नहीं होता है। इससे जिलों का विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकास की योजनाएं बनाते समय अनेकों बातें ध्यान में रखी जाती हैं। गांव में लिफ्ट इरिगेशन पर इस बजट में विशेष चर्चा नहीं हुई है, गांव के लिए, किसान के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां गांव में कहावत है कि "वही खेती रानी जिसके माथे पर पानी" लेकिन लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में बजट में चर्चा कम हुई है इसलिए मुझे वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को यह निवेदन करना है कि लिफ्ट इरिगेशन पर विशेष ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, बजट बनता है करोड़ों रुपये का, किन्तु बजट खर्च कैसे होता है यह भी देखने की बात है। बजट का प्रमुख हिस्सा मार्च में खत्म होता है, इसमें गड़बड़ घोटाले होते हैं। मैं इस बात के लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बी.एफ.सी. की मीटिंग भी हो ली, यानी बजट पास होते ही। अप्रेल से नये बजट खर्च करने की इजाजत सरकार से मिल गई और उसके खर्च करने का तरीका भी 3 महीने में, एक-एक तिमाही में कितना-कितना रुपया खर्च किया जाय, यह एक-एक पैसे का सदुपयोग के बारे में सोचने वाला ही बात कर सकता है। आज तक 40 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्च के महीने में बी.एफ.सी. की मीटिंग हो जाय और क्लियरेन्स दे दी जाय खर्च करने की, यह पहली बार हुआ है। यह आफिसर्स आपके थे परम्पराएं आपकी थीं इसलिए उनमें विलम्ब हुआ। यह बी.एफ.सी. की मीटिंग हो गई यह बहुत अच्छा हो गया। एक-एक पैसे का सदुपयोग होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कई बार मुख्य मन्त्रीजी से मिलता हूं खर्चे के लिए वह हमेशा एक बात कहते हैं कि हम सरकार में मालिक नहीं हैं, मालिक, हम ट्रस्टी हैं, एक-एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिये। जिसके मन में यह गलतफहमी हो कि हम सरकार के मालिक हैं वह गलतफहमी दूर कर ले। यह बात जो वह कहते हैं वह इस बजट में दिखाई देती है। पैसे का सदुपयोग कैसे होगा, विकास योजनाओं के लिये पैसा कहां से जुटाया जाय? खर्चे में कमी की जाय, पैसा लाया जाय विकास के लिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

हूं कि खर्च में कमी के बारे में सरकार ने तय किया, तय सब सरकारें करती हैं खर्च में कमी करने की पर उसके पीछे बिल होनी चाहिये, यदि बिल नहीं है तो वह क्रियान्विति ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। मान्यवर, सरकार ने अपने खर्च में कमी की है 34 करोड़ रुपये की आज मंत्री इतवार को गाड़ी में नहीं जा सकते हैं, आई.ए.एस. आफिसर्स को बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि वह बिना गाड़ी के नीचे पांव नहीं रखते हैं पर एक बार जब नियम बन गया तो उसकी पालना हो रही है। अब चाहे मंत्री हो और चाहे आई.ए.एस. आफिसर हो और उससे हमने 34 करोड़ रुपये बचा लिये, अल्प बचत में लक्ष्य 295 का था 400 करोड़ कर लिया, एक्साइज में 219 का था 254 कर लिया। इस प्रकार से सैल्स टैक्स में और सब में वसूली ज्यादा हुई है, क्योंकि भ्रष्टाचार कम हुआ इसलिये हमारा पैसा बचा और विकास के लिए बाहर से पैसा लाने की योजना बनीं। अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिनमें राजस्थान को पैसा मिला है। विश्व बैंक की एकीकृत वाटर शैड 75 करोड़ रुपये की, अरावली वृक्षारोपण 145 करोड़ की, सिद्धमुख नहर 156 करोड़ की, आज तक जो कागजों में दबी पड़ी थी भारत सरकार ने स्वीकृत कर दी है और अब विश्व बैंक को जा रही है। मेरा निवेदन है कि खर्चे में बचत यदि बिल हो, इच्छा शक्ति हो तो कमी की जा सकती है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो घोषणाएं हुई है इन घोषणाओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी यह बात कहते रहे हैं कि घोषणाएं, घोषणाएं नहीं रहनी चाहिये यह क्रियान्वित होनी चाहिये। लेकिन क्रियान्विति के लिए मानीटरिंग चाहिये। अब मानीटरिंग यदि ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ दिया गया तो मानीटरिंग नहीं हो सकती है। हमारे चीफ सैक्रेटरी ने एक घण्टे में 40 डिपार्टमेंट का रिव्यू कर दिया। यह मानीटरिंग ठीक नहीं है। मुख्य मंत्रीजी स्वयं ही मानीटरिंग करते हैं, अकेले करते हैं। मुझे ध्यान है कि 1978 में जब वह मुख्य मंत्री थे तब अन्त्योदय योजना और फूड फार वर्क की प्रगति के सम्बन्ध में प्रति दिन टेलीफोन से प्रत्येक कलक्टर्स से जानकारी लेते थे तो कलक्टर को भी लगता था कि कल हिसाब देना है, प्रगति होनी चाहिए, मानीटरिंग होनी चाहिये। और आज मानीटरिंग के लिए मुख्य मंत्रीजी अकेले हैं। उनको मानीटरिंग करने के लिए एक टीम बनानी चाहिये। यह जो प्रशिक्षण संस्थान उन्होंने खोला है मंत्रियों का उनमें से कुछ तो ट्रेण्ड हो गए होंगे जो फर्स्ट डिविजनर्स हैं, उन फर्स्ट डिविजनर्स की टीम बनानी चाहिये। यदि क्लोज वाच नहीं रही, मानीटरिंग नहीं हुई तो छोटी से छोटी योजना सफल नहीं होती है।

मान्यवर सभापति महोदय, बजट में है कि हमारी योजनाओं का आकार इन 2 सालों में 46 पर्सेन्ट बढ़ गया पर बजट में शिक्षा के लिए कुछ ज्यादा नहीं आया। मैंने एक प्रश्न पूछा था इसी विधान सभा में और अभी कल ही उत्तर आया है, शिक्षा का प्रतिशत हमारे यहां क्या है? मुझे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बताया कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सबसे नीचे है। राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत यह है लेकिन इसके बावजूद भी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

शिक्षा के लिए जो किया जाना चाहिए वह, सभापति महोदय, नहीं किया गया है। स्कूलें खोलने की एव अन्य तरह के शिक्षण की योजनाएं गांवों के लिए कांग्रेस सरकार ने चलाई थी एक अशिक्षित अध्यापकों को रखने की वह फेल हो गई। लेकिन इस विषय में योजनाएं बननी चाहिए। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम अरुणाचल प्रदेश से ऊपर हैं जो बिल्कुल पहाड़ी और जंगली प्रदेश है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। यदि शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ तो फैमिली प्लानिंग नहीं होगा, फैमिली प्लानिंग तो तभी होगा जब शिक्षा की प्रगति होगी.... (व्यवधान)

माननीय शिक्षा मन्त्रीजी कह रहे हैं कि मैंने फैमिली प्लानिंग कर रखा है।

श्री सभापति : पक्का सुनिश्चित।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : बिल्कुल गलत है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अभी उम्र बाकी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पशु चिकित्सालय कम खुले, शिक्षा के लिए जितने प्रयास इस बजट में दिखने चाहिए थे उतने नहीं दिख रहे हैं, साक्षरता की योजनाएं जो चल रही हैं उन पर मानीटरिंग होनी चाहिये। यह प्रौढ़ शिक्षा फ्राड है राजस्थान में, मैंने देखा है कि प्रौढ़ शिक्षा कहीं नहीं चल रही है, यह एक फ्राड है। क्लोज वाच, मानीटरिंग जब तक नहीं होगी तब तक यह चलेगी नहीं।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने बहुत कहा है, उन्होंने एक वातावरण बनाया है, एक अन्वेषण ब्यूरो बना दिया सी.बी.आई. टाइप का। वातावरण तो बना है पर आज जन-जीवन में यह विश्वास जागृत नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार समाप्त होने जा रहा है। इसके लिए जनता में जब तक यह विश्वास प्राप्त नहीं होगा यह भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, 2-4 लोगों को पकड़ने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। इसके लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा वह वातावरण हमारे यहां पूरा तैयार नहीं है :

सभापति महोदय, मैं औद्योगिक नीति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, मैं उद्योग मन्त्री जी को इस बात के लिए तो बधाई दूंगा कि औद्योगिक नीति उन्होंने बनाई लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो रही है। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि नीति क्रियान्वित हो रही है। वन विन्डो सिस्टम लागू नहीं हुआ है। जो वातावरण उद्योग का बनना चाहिए, बाहर के लोग हमारे यहां आयें, आज आसाम से लोग उखड़ रहे हैं वह हमारे यहां आयें, वैसा वातावरण बन नहीं पा रहा है चार-पांच महीने हो गए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण पैदा किया जाए। अधिक से अधिक उद्योग आयें।

मैं आखिरी में बेरोजगारी पर बताना चाहता हू। बेरोजगारी पर चर्चा बहुत होती है। मुख्य मन्त्री जी ने बेरोजगारी मिटाने के लिए कमेटी भी बनाई है, कमेटी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

की 2–3–4 मीटिंग भी हो गई है । सभापति जी, बेरोजगारी के लिये गम्भीर प्रयास चाहिए । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रदेश है जहां समुन्द्र और बर्फ को छोड़कर सब कुछ है यदि हम वातावरण बनाएं । एक फाइव स्टार होटल के पीछे पांच हजार लोगों को नौकरी मिलती है । दर्जी, धोबी, नाई, कठपुतली वाले, ढोलक वाले, नाचने वाले, ऊंट वाले, घोड़े वाले, हाथी वाले और वहां कई काम्पलेक्स बन जाते हैं, कई दुकानें हो जाती हैं, हाथ के कारीगरों को काम मिलता है । तो आज यदि हम यह वातावरण बनाना चाहें तो राजस्थान की इकानामी इससे बहुत बढ़ सकती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कई प्रदेश तो ऐसे हैं जो केवल पर्यटन उद्योग से ही चल रहे हैं । स्पेन, रोम, सिंगापुर, हांगकांग इनकी 80 प्रतिशत केवल पर्यटन से इनकम है । तो यदि हम आज यह वातावरण बनाना चाहें हमारे यहां कितने किले आज बंजर हैं जिनमें चमगादड़ें रह रही हैं । हमारा जैसलमेर का मरूस्थल आकर्षण का केन्द्र है लेकिन आज यदि इसके पीछे योजनाबद्ध प्रयास हों, हमें राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाना है, 50 लाख लोगों को काम मिल सकता है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, वह अलग है पर इसमें योजनाबद्ध प्रयास नहीं है । यहां जो होटल खोलना चाहते हैं उनको भी न्याय नहीं मिल रहा हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके काम में भी रोड़े अटका रही है ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए एक योजनाबद्ध प्रयास की आवश्यकता है । यदि योजनाबद्ध प्रयास हुआ तो यह हमारा पर्यटन केन्द्र बहुत बड़ा बन सकता है । (व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लिया जाए । पर्यटन केन्द्र बनाने के लिए, तो इसमे यह भी थ्री टायर सिस्टम है इस थ्री टायर सिस्टम में हम पर्यटन का विकास कर सकते हैं, राजस्थान की इन्कम बढ़ सकती है, राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है ।

सभापति महोदय, मैं बजट की प्रशंसा करते हुए कि ऐसा बजट और कोई दूसरा पेश ही नहीं किया जा सकता था, इससे अच्छा भी, यह अपने आप में बहुत श्रेष्ठ बजट है जिसकी भावना प्रदेश की प्रगति, प्रदेश का विकास चाहती है इसके पीछे यह भावना है । यह कहते हुए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सभापति महोदय, आज हम इस बजट को पास करने के अन्तिम चरण में हैं । सभापति महोदय, कोई भी बजट मात्र हिसाब-किताब का लेखा-जोखा नहीं होता, मुनीम का बही-खाता नहीं होता । बजट किसी भी पापुलर गवर्नमेंट का क्या दृष्टिकोण है, वह किस प्रकार से राज्य का और राज्य की जनता का भला करना चाहती है, विकास की ओर बढ़ना चाहती है उसका एक दस्तावेज होता है । मुझे पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वोट आफ थैंक्स रखने का मौका मिला था और मैंने उस समय एक चर्चा उठाई थी कि राजस्थान जिस प्रकार

(श्री यदुनाथ सिंह)

की इकानामी से गुजर रहा है, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति राजस्थान की बनी है उससे लगता नहीं है कि राजस्थान में हम तेजी से विकास कर पायेंगे। मैंने उस सदन का ध्यान, जिस प्रकार का इकानामी का राजस्थान में ट्रेन्ड है उसकी ओर इशारा किया था। मैंने कहा था कि जिस बजट में रेवेन्यू अकाउन्ट्स से खर्चा ज्यादा किया जाए उसको केपीटल अमाउण्ट से पूरा किया जाए उस राज्य में विकास सम्भव नहीं हो सकता, विकास गति नहीं पकड़ सकता। मैं ज्यादा बजट डिटेल को नहीं देख पाया, सरसरी तौर पर जो कुछ मैंने देखा है इस बार एक बहुत खतरनाक ट्रेन्ड हमें और देखने को मिला है कि हमारी जो नोन टैक्स रेवेन्यू है उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई है। यदि राज्य के कोष में पैसे की आमदनी का जरिया और टैक्स रेवेन्यू को हम बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, इनफ्लेशन बढ़ेगा और उसके रहते राजस्थान की जनता पर भार पड़ेगा, उसकी परचेजिंग पावर घटेगी, महंगाई तेजी से बढ़ेगी और वही हमें आज बाजार में दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें गम्भीर प्रयास करने चाहिए। सरकार का यह कहना कि हम 30 करोड़, 34 करोड़ की बचत कर पाए हैं मुझे खोखला और थोथा नजर आता है क्योंकि हमने न तो रेवेन्यू खाते में कोई बढ़ोतरी कर पाए हैं और न केपीटल से रेवेन्यू ट्रान्सफर का जो ट्रेन्ड है उसको रोक पाए हैं, ना हम नोन टैक्स रेवेन्यू को ही बढ़ा पाए हैं। हम जो कुछ रेवेन्यू राजस्थान में ज्यादातर प्राप्त कर रहे हैं वह टैक्स रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं और यह इण्डेक्स हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है और नोन टैक्स रेवेन्यू घट रहा है, यह राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

मैं राजस्थान का विकास किस प्रकार से हो, राजस्थान कैसे चहुंमुखी विकास करे, पूरा हिन्दुस्तान जिस प्रकार से विकास कर सकता है उस प्रकार से राजस्थान विकास कर सकता है। खेती की पैदावार को जब तक हम दुगुना और तिगुना इस प्रदेश में नहीं कर लेंगे तब तक इस राज्य का भला नहीं होना है। राज्य की आमदनी बढ़ने की उम्मीद नहीं है लेकिन हम कैसे पूर्ति करेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान में 26.7 मिलियन हैक्टेयर जमीन ऐसी है जिसमें खेती की जा सकती है लेकिन यह दुर्भाग्यशाली प्रदेश है जहां पर न तो पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। पूरे देश की 13.7 प्रतिशत भूमि हमारे पास होते हुए भी हमारे पास पानी सिर्फ एक प्रतिशत है। यहां बड़ी-बड़ी चर्चा की जाती है कि राजस्थान की इन्स्टाल्ड कैपेसिटी लगभग 3 हजार मेगावाट के करीब पहुंच गई है लेकिन नहीं, हम 500 मेगावाट से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो कुछ हमारे हाथ में मेन स्विच है 500 मेगावाट तक। आज तक 40 साल की आजादी के बाद जो प्रगति की है 500 मेगावाट बिजली हम राजस्थान में पैदा कर रहे हैं, दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। पंजाब की तरफ देखते हैं, मध्यप्रदेश की तरफ देखते हैं, उत्तरप्रदेश की तरफ देखते हैं। उनके सामने खड़े होकर भिखारी की हैसियत से बिजली मांगने का काम करते हैं। हम 40 साल की आजादी के बाद राजस्थान का यह विकास कर पाए हैं। सभापति जी, मुख्य मन्त्री जी जब विपक्ष के नेता थे, लगातार आवाज उठाया

(श्री यदुनाथ सिंह)

करते थे कि राजस्थान में जो पानी, बिजली के मसले हैं उनका निराकरण होना चाहिए। यह भी कहा करते थे कि जो पिछली सरकारें हैं वह केन्द्र सरकार के सामने घुटने टेककर राजस्थान के हितों की बलि चढ़ाती रही हैं। मुझे कोई प्रगति पिछले एक वर्ष में होती नजर नहीं आई कि हम अन्तर्राज्यीय चाहे नदी जल विवाद हो, चाहे बिजली के विवाद हों उनमें हम एक कदम आगे बढ़ पाये हों।

सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि 26.7 मिलियन हैक्टेयर जमीन में हम पूरा रावी व्यास का पानी ले लें, माही का पानी ले लें, चम्बल के पानी का उपयोग कर लें जो कुछ हमारी योजनाएं हैं, तो सिर्फ हम 6 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई कर सकते हैं। 30 मिलियन हैक्टेयर जमीन को हम क्या आने वाली पीढ़ी के लिए सूखा, बन्जर और रेगिस्तानी रखना चाहते हैं यह हमारे सामने गम्भीर चुनौती का प्रश्न है, इसलिए सभापति महोदय, बहुत जरूरी है कि बाहरी नदियों में राजस्थान का जो कुछ लेजिटिमेट हिस्सा बनता है उस हिस्से को प्राप्त करने के गम्भीर प्रयास किये जायें। जब हम ऐसी दृष्टि डालते हैं कि आस-पास के राज्यों में हमारा कहां हिस्सा हो सकता है तो हमारी दृष्टि गंगा और जमुना के पानी पर जाती है। गंगा और जमुना के पानी से जो बिहार और उत्तर प्रदेश में पानी तबाही मचाता है उस बाढ़ के पानी को राजस्थान लेने में अब तक सफल नहीं हुआ। यह हमारे लिए लज्जा की बात है। हम पूरे राजस्थान में 10 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई, अगर हम वहां के पानी को प्राप्त कर लें तो हम भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, चूरू, झुन्झुनू, बीकानेर, गंगानगर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर इन जिलों के पूरी 10 मिलियन हैक्टेयर जमीन की सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन उसमें कोई गम्भीर प्रयास नहीं हुये। जब-जब मांग की गयी तो उत्तरप्रदेश यह दलील देता रहा कि गंगा नदी में अधिशेष पानी नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश जाने का मौका मिला था। जमुना के पानी में से भरतपुर में लाने के लिए वहां बहुत तबाही मची थी पीने के पानी के लिए भी उस समय वहां उत्तरप्रदेश में मुझे जानकारी मिली कि उत्तरप्रदेश लगातार गंगा में से नहरें निकाल कर उस पानी का उपयोग कर रहा है। गंगा के पानी को सोखने का काम कर रहा है नेरोड़ा और बिजनौर के पास से। लगातार बड़ी-बड़ी नहरें निकाल कर हमारे गंगा के पानी को सोखने का कार्य कर रहा है। जबकि विभिन्न मीटिंग्स में यह तय हो चुका है कि जब तक पश्चिमी राज्यों का फैसला नहीं हो जाये कोई भी प्रदेश इन नदियों पर कोई डवलपमेंट नहीं करेगा। उसका ब्रीच हो रहा है, उसके गम्भीर प्रयास नहीं किये गये या राजस्थान के साथ, जब-जब भी पंजाब के साथ कोई समझौता हुआ, राजस्थान के लोगों में भय व्याप्त होता रहा कि हमारे हितों की बलि चढ़ाई जाती रहेगी। राजस्थान किसी मामले में पानी के नाम से कोई विवाद पक्ष नहीं है उसको बार-बार घसीटना राजस्थान के हितों के साथ हमेशा कुठाराघात है। सन् 1981 का समझौता ले लीजिए, 1984 का समझौता ले लीजिए, 1985 का समझौता ले लीजिए। इन समझौतों में

(श्री यदुनाथ सिंह)

राजस्थान के हितों की जिस प्रकार से बलि चढ़ाई गई है किसी राज्य ने अपने हितों की बलि नहीं चढ़ाई होगी। 81 के समझौते में हमने, 6 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब उसका उपयोग करता रहे। पंजाब उससे डवलपमेंट कर लेगा, नहरें बना लेगा तो उस पानी को पीने का काम होगा नहीं, 84 में हमारे जो भाखरा के सिस्टम्स है, जो बिजली पैदा होती है, बिजली के विवाद का विषय बनाया गया, उस पानी को विवाद का विषय बनाया गया। वह मामला आज तक अधरझूल में है। सुप्रीम कोर्ट को सौंपा तक नहीं गया है। मैं आशा करता था कि मुख्य मन्त्रीजी, पिछली सरकार, चाहे वी. पी. सिंहजी की सरकार हो, चाहे चन्द्रशेखरजी की सरकार हो इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट को तो दिलवाने का काम करेंगे। मुझे खेद है कि वह इस काम को नहीं कर पाये। फिर लोंगोवाल-राजीव समझौता हुआ उसमें नीचे जो 1.11 मिलियन एकड़ फिट पानी अतिरिक्त उपलब्ध है उसका बंटवारा हरियाणा और पंजाब के बीच कर दिया राजस्थान को उस पानी में से उसके हिस्से के बारे में नकार देना, राजस्थान के साथ विश्वासघात, राजस्थान के साथ धोखा और राजस्थान को नुकसान पहुंचाने वाला है। जब 1955 में तय हो गया। रावी व्यास नदी के बंटवारे के बारे में इण्डसट्रीटी 1960 में हो रही थी, तब तय हो गया कि राजस्थान, रेगिस्तान के लिए इन नदियों के उपयोग का आधार बनाया गया। 55 में तय हो गया। जब-जब पानी की उपयोगिता बढ़ेगी प्रोरेटा राजस्थान का हिस्सा भी बढ़ेगा। 1.11 मिलियन पानी में से राजस्थान को हिस्सा नहीं देना और उसके लिए अपनी आवाज को बुलन्द नहीं करना हमारी कमजोरी का एक नमूना रहा है।

राजस्थान में बिजली की बेहद कमी है। जैसा मैंने कहा कोटा थर्मल और माही के अलावा हमारे पास किसी भी पावर स्टेशन का मेन स्विच हाथ में नहीं है। हम दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे राज्यों की तरफ देखते रहते हैं। पिछले दिनों जो लोक हितकारी सरकार, मैं तो भैरोंसिंहजी से उम्मीद करता था, किसानों को, जो बिजली नीति है। किसानों को लूटने वाली इससे ज्यादा बुरी नीति राजस्थान में कभी आ नहीं सकती। कोई किसान 50 हजार के बिना कोई कनेक्शन ले नहीं सकता। गरीब किसान के कभी ट्यूबवैल चलेगा नहीं, गरीब किसान कभी खेती कर पायेगा नहीं। बिजली नीति को तुरन्त वापस लेने की घोषणा होने के बावजूद ये बिजली नीति आज हमारे यहां चल रही है। दलील यह दी जाती है कि सरकार बिजली महंगी खरीदती है, किसान को बिजली सस्ती देती है। इसलिए भाव बढ़ाने पड़ते हैं, किसान का इसमें कोई दोष नहीं है। आप योजना बनाते हैं, 10 करोड़ की योजना बनी, समय पर पूरी नहीं करते हैं वह योजना दो सौ, तीन सौ, पांच सौ, हजार, करोड़ पर आप उसको पहुंचा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इसका दण्ड राजस्थान के किसान को दिया जाय इसको मैं उचित नहीं मानता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहता हूं कि राजस्थान में आपको अगर तरक्की करनी है, रेगिस्तान का रिक्लेमेशन करना है तो आपको पानी के सवालों को ढंग से उठाना पड़ेगा, राजस्थान का जो हिस्सा है उस हिस्से का

(श्री यदुनाथ सिंह)

उपयोग करना पड़ेगा। मुझे दुःख होता है कहते हुये सभापति महोदय, एक ओर 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी के लिए राजस्थान में इतनी बहस की जाय, राजस्थान को दिल्ली में रीप्रजेन्ट करना पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, ट्रिब्यूनल के सामने जाना पड़े, दूसरी तरफ हमारे खुद का चम्बल में 10 या 15 एकड़ मिलियन फिट पानी व्यर्थ बहकर निकल जाता है उसके लिए कोई योजना नहीं बने यह अच्छी बात नहीं है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो पानी राजस्थान में उपलब्ध है उस पानी का पूरा-पूरा उपयोग किया जाय, चम्बल में से एक से डेढ़ करोड़ फीट पानी प्रति वर्ष जो बहकर निकल जाता है उसका उपयोग कोटा से लगाकर भरतपुर तक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बून्दी इन जिलों में सिंचाई की, इन सब इलाकों में उस पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। जब ही राजस्थान की आमदनी बढ़ेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी और जब ही मासेस परचेजिंग पावर आयेगी। जब ही इण्डस्ट्रीलाइजेशन होगा। पूरे संसार की इण्डस्ट्री लाकर भी अगर राजस्थान में लगा दें तब भी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वह इण्डस्ट्री चल जाय। क्योंकि जब तक परचेजिंग पावर मासेस के पास नहीं आयेगी, आम आदमी के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। Those Industries will come to a griending halt very soon.

इसलिए यह जरूरी है कि राजस्थान के आम आदमी की माली हालत को सुधारने का काम किया जाय। उसकी हालत को सुधारने का काम किया जाय और चूंकि राजस्थान का मासेस गांव में रहता है, खेती पर निर्भर करता है उसकी माली हालत को सुधारने के लिए इन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी बातों को यहीं समाप्त करने से पहले भरतपुर की एक बहुत विकट समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और अपना कर्त्तव्य समझता हूं। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय, पिछले 10 साल के अन्दर खाली भरतपुर की एक मिलियन हेक्टेयर जमीन खारी और कल्लर हो गयी है। जमीन में पानी खत्म हो गया है। पीने के लिये एक-एक बून्द पानी के लिए तरस रहे हैं। यहां चर्चा की जाती है कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, मैं भी स्वीकार करता हूं कि पानी की कमी है। लेकिन वहां दूसरी प्रकार की समस्या है। वहां पानी गहरा ज्यादा है। ओंडा ज्यादा है, नीचा ज्यादा है। उसको निकालने के लिये शक्तिशाली पम्प्स की आवश्यकता है, शक्तिशाली मशीनों की आवश्यकता है उसके क्वेरी करने के लिए क्योंकि दूर-दूर गांव बसे हुये हैं, ढाणियां बसी हुई हैं। उसको ले जाने की समस्या है लेकिन भरतपुर की जमीन के अन्दर पानी है ही नहीं और जो है वह कड़वा और खारा पानी है। इस पानी को मीठा करने के लिए, जमीन के खार को मिटाने के लिए भी रियासत के समय में जो इनन्डेशन सिस्टम बनाया गया था, जिसको चीन तक ने भरतपुर प्रणाली के नाम से अपनाया है वह प्रणाली आज तहस-नहस पड़ी है उस प्रणाली में ज्यादा खर्चा होना नहीं है। बहुत तेजी से जमीन खारी हो रही है लैण्ड इरोजन हो रहा है उसमें तीन-चार करोड़ रुपये में आप उस व्यवस्था को सुधार सकते

(श्री यदुनाथ सिंह)

हैं लेकिन इन छोटे-छोटे कामों की ओर हमारे इन्जीनियर्स का ध्यान नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि प्रणाली किस प्रकार से विकसित की जा सकती है वह तो बड़े-बड़े की कल्पना करते हैं। इसलिये राजस्थान में पीने के पानी के सवाल को अगर हल करना है तो जो हमारे ट्रेडीशनल जो भी सोर्सेज के सिस्टम हैं, ट्रेडीशनल जो प्रणालियां थीं उन प्रणालियों को हमें फिर से रिवाइव करना होगा। उनको उपयोगी बनाना होगा इतना ही कहते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री हेतराम बेनीवाल (अनुपस्थित)।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत। (अनुपस्थित)।

श्री राजपाल सिंह।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदय, जिस पार्टी का सदस्य उपस्थित नहीं हो तो दूसरे सदस्य को मौका दे दें।

श्री सभापति : शायद वे अभी वापस आ जाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उस समय आयें तो मौका दे देना। अभी मैं उपस्थित हूं, मुझे मौका दे दीजिए, मेरा नाम है। ऐसा है, डिबेट में दो आदमी उधर से बोलें, फिर इधर के बोलें, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : कल्ला साहब, नाम पुकार लिया है, अब बोलने दें, यह ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति : आप प्रैस करते हैं तब तो कोई बात नहीं है।

श्री टीकमचन्द कान्त : कल्ला साहब, यह ज्यादा नहीं बोलेंगे। इनका नाम पुकार लिया है। अब आपकी बारी है, नेक्स्ट कर लें। उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा नाम है इसमें, मेरे सामने दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : किस-किस का नाम है ताकि अनुपस्थित न रहें। (व्यवधान)

श्री सभापति : कांग्रेस के श्री जनार्दन सिंह गहलोत, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री राजेन्द्र पारीक, श्री परसादी लाल मीणा के नाम हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : माननीय सभापति महोदय, एप्रोप्रिएशन के ऊपर मुझे कुछ बिन्दुओं पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। इस बजट में जिस प्रकार की निराशाजनक स्थिति इस राजस्थान को मिली है वैसी शायद पहले कभी देखने को नहीं मिली। जहां राजस्थान के विकास की ओर देखा जाय, पिछले साल के अन्दर राजस्थान में विकास की दृष्टि से बिलकुल नगण्य स्थिति रही है। हम यह आशा करके चलते थे कि राजस्थान की सरकार गरीबों को सुविधायें उपलब्ध

(156)

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

करायेगी, उसके मुकाबले में नगण्य स्थिति देखने को मिली है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बेरोजगारी को समाप्त करने का प्रश्न हो, चाहे पानी मुहैया कराने का मामला हो। यह कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजस्थान में राजस्थान की जनता ने जिस दृष्टि से इस सरकार को सत्ता में भेजा था तो ऐसी कल्पना की जाती थी कि आते ही विकास की नदियां बहा देगी लेकिन लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो यह सोचकर बैठी रही कि अभी तो पांच साल बाकी है। इनको यह मालूम नहीं था कि दिल्ली की सरकार से इनको समर्थन वापस लेना पड़ेगा और दिल्ली की सरकार चली जायेगी। ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी इसी नजरिए में राजस्थान के विकास को बिल्कुल नगण्य कर गये। इस स्थिति में जो भी फैसले राजस्थान सरकार ने लिए हैं, मैं सोचता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं।

जहां चुंगी का मामला था उसको आज यह कह करके टाला जा रहा है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। इन्होंने वादा किया था कि हम चुंगी समाप्त कर देंगे लेकिन कमेटी की आड़ में आज तक चुंगी समाप्त नहीं की। जिस किसी भी मामले को मुख्य मंत्री जी टालना चाहते हैं उसकी कमेटी बनाने में बड़ी भागीरथी हासिल की हुई है और ऐसे जो भी मामले आते हैं उनको कमेटी को सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन मैं यह कहूं कि आज राजस्थान सरकार की आय बढ़ाने का जहां मामला है इस बजट के अन्दर और इस साल के अन्दर, अन्य क्षेत्रों में देखा जाय तो उसके मुकाबले में खनिज से जितनी रेवेन्यू इन्होंने हासिल की है ऐसा लगता है सरकार के कोपभाजक खनिज उद्योग में लगे हुए लोग हो रहे हैं। पिछले साल के अन्दर 40 से 70 प्रतिशत रायल्टी बढ़ायी गई। आज यह कहें कि इस रायल्टी क्षेत्र में कौन काम करता है, खास तौर से अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा हैं और आज उनको रोजगार उसी से उपलब्ध हो रहा है। लेकिन इसकी रायल्टी में इतनी बढ़ोतरी करने से, 40 प्रतिशत से 70 प्रतिशत बढ़ोतरी करने से आज सारा भार केवल खनिज उद्योग में लगे हुए लोगों को हो रहा है।

सभापति महोदय, माननीय खनिज मंत्रीजी ने अभी नया-नया एक फैसला किया कि अब रायल्टी सरकार वसूल नहीं करेगी, अब रायल्टी ठेकेदार वसूल करेगा। आज राजस्थान में जितने भी रायल्टी होल्डर्स थे उनके ऊपर भी जिलों के ठेकेदार बना दिए। चाहे वह जयपुर जिले का मामला हो, चाहे सवाई माधोपुर जिले का मामला हो, चाहे धौलपुर जिले का मामला हो, आज उन ठेकेदारों के ऊपर ठेकेदार बना दिये। उससे यह साफ जाहिर होता है कि सरकार बिल्कुल असफल रही है। उन अधिकारियों को, जो रायल्टी वसूल करने के अन्दर सफल नहीं हो पाये, अच्छा होता सरकार यह कहती। खास तौर से भैरोंसिंह जी और अभी दो दिन पहले ललित किशोर जी चतुर्वेदी बड़ी मेजें थपथपाकर कह रहे थे कि राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है और हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लगे हुए हैं। उस स्थिति में मेरा यह कहना है कि जब सरकार ने यह नीति इसलिए

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

बदली कि वहां पर रायल्टी की चोरी हो रही है तो आज कितने अधिकारियों को इन्होंने रायल्टी चोरी के मामलों में सस्पेण्ड किया, कितने लोग पकड़े गये। आपकी इस नीति से यह बिल्कुल खुला धन्धा हो गया कि उनको आज कोई रवन्ना लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी और सिर्फ ठेकेदार चुंगी वसूल करा करेंगे, उससे क्या सरकार इस चोरी को रोक पायेगी, बल्कि आप चोरी को और बढ़ावा दे रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आप को इस सम्बन्ध में यह कहना है कि सरकार इस नीति को प्रोसेसन के तौर पर मान रही है लेकिन निश्चित तौर से मेरा मानना है कि इसके अन्दर राज्य सरकार को बहुत उपलब्धि होने वाली नहीं है बल्कि चोरी और बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक महगाई का प्रश्न है, आज राजस्थान और हिन्दुस्तान में जिस प्रकार महंगाई इस पिछले वर्ष में देखने को मिली, वैसी पहले कभी नहीं मिली। आज अगर कोई भावों में कमी कराने की बात होती तो समझ में आती। लेकिन राजस्थान सरकार की उपलब्धि यह रही कि उसने शराब के भाव जरूर सस्ते कर दिए। इस राजस्थान की सरकार ने शराब को सस्ती दरों पर बेचकर निश्चित तौर से काम किया है लेकिन महंगाई को रोकने में यह सरकार टोटल फेल रही है और आज यह कहा जाय कि भैरोंसिंह जी की सरकार की अगर एक उपलब्धि मानी जाय तो यह मानी जाय कि अब इनके राज में शराब सस्ती बिकेगी ताकि राजस्थान में ज्यादा शराब पी जाय।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इस बजट के अन्दर तीन जिलों की घोषणा की और राजस्थान में खास तौर से करौली को जिला बनाने की घोषणा नहीं की। भैरोंसिंह जी ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर उस दिन जब जबाव दे रहे थे तो मजाक में लिया और कहा कि अगर गहलोत साहब पहले सिफारिश करते तो मैं करौली को जिला बना देता। यह केवल मात्र जनार्दनसिंह गहलोत का मामला नहीं है। आज हमारी दुविधा इस बात की है कि सवाई माधोपुर हैडक्वार्टर दूर है। आज करौली क्षेत्र, हिण्डौन क्षेत्र, सपोटरा क्षेत्र, मण्डायल क्षेत्र के अन्दर अगर कोई डकेती हो जाती है या कोई व्यक्ति उठा लिया जाता है तो एस. पी. को पहुंचने के अन्दर भी 4-6 घण्टे लग जाते हैं क्योंकि उसका लिंक, सवाई माधोपुर का लिंक आज टोडाभीम, महुआ, हिण्डौन व सपोटरा से कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की थी कि करौली को जिला बनाते। हमारी सरकार के जमाने में एक कलक्टर व एस. पी. बचा था, सारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर पहुंच चुके थे, एक्स. ईएन. पी.डब्ल्यू.डी. वहां है, इंस्पेक्टर आफ स्कूल वहां है, सी. एम.एच.ओ वहां है। हमने सारे आफिसेज, ए. डी. एम. और एडिशनल एस. पी. तक वहां बनाये। केवल मात्र एस. पी. और कलक्टर की जरूरत थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्य मंत्रीजी ने भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधि मण्डल मिलने गया तो उनको एक बात कह कर टाल दिया कि

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

15 करोड़ रुपये मेरे पास नहीं हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से कलक्टर और एस.पी. की नियुक्ति के अलावा और कोई काम वहां पर करने की आवश्यकता नहीं थी, सारे आफिसेज आलरेडी उसके अन्दर हैं। यह बात दूसरी है कि एक साल के अन्दर वहां से कुछ आफिसेज उठाये गये, वहां से बदलने की कोशिश की गई और कुछ आफिसेज वहां से हटे भी। माननीय ललित किशोर जी ने स्वास्थ्य मंत्री के नाते जो नई नीति निर्धारित की, सी.एम.एच.ओ. के आफिस को उन्होंने पहले सवाई माधोपुर में लगा दिया था लेकिन आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम उस निर्णय को बदल कर प्रतापगढ़ और करौली के अन्दर उन नियुक्तियों को दोबारा करके हमारे आगे के क्लेम को तो जिंदा रखा कि कलक्टर और एस.पी.....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपका अधिकार था, उसको सुरक्षित रखा है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उसके लिए आपको धन्यवाद। खास तौर से स्वास्थ्य मंत्रीजी से सम्बन्धित जो मामला आज ध्यानाकर्षण के जरिये मुझे रखना था, उसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रीजी देने वाले थे कि कई दिनों के अन्दर जयपुर में और खास तौर से स्वास्थ्य मंत्रीजी ने बार-बार अपने भाषणों और वक्तव्यों में कहा है कि हम जयपुर के जनाना अस्पताल को अब महिला चिकित्सालय के अन्दर बदल देंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमें इसमें कतई आपत्ति नहीं लगती, आपकी अगर मंशा है कि जयपुर के अन्दर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ें और उसी नीयत से अगर आप महिला चिकित्सालय के अन्दर जनाना अस्पताल को बदलते हैं तो हमें कतई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि पिछली सरकार के अन्दर भी कई बार जिला अस्पताल बनने की बात पहले भी आई थी, कांग्रेस सरकार के समय भी एक जिला अस्पताल बनाने की बात आई थी और हमारी सरकार ने भी घोषणा की थी। लेकिन उस समय उनको मजबूर होकर नहीं करना पड़ा, उसके कारण क्या थे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की फेसिलिटीज मिल नहीं पायी थी, आज महिला चिकित्सालय के अन्दर उतने बैड्स लगाने की जगह नहीं है। वहां पर इतनी फेसिलिटीज उपलब्ध नहीं हैं। जितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से वहां पर उपलब्धता नहीं हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस विषय पर तो काफी बातचीत हो गई है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपकी उस भावना से मैं कहीं अलग नहीं हूं, मैं आपकी राय से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि मेडिकल कालेज और हमारे कालेज, चूंकि टीचिंग स्टाफ को पढ़ाने का काम भी इसके अन्दर होता है, जनाना अस्पताल बहुत दूर पड़ता है, महिला चिकित्सालय के लिए अगर आप वहां पर जनाना अस्पताल बनाते हैं लेकिन फेसिलिटीज पूरी हो जाने के बाद अगर जनाना अस्पताल बदलते हैं तो हम आपके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आज जनाना अस्पताल में 446 बैड हैं, अगर आप फेसिलिटीज की बात जहां कहते हैं कि हम

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

जयपुर में फेसिलिटीज बढ़ा रहे हैं और आज महिला चिकित्सालय में 176 है, दोनों को मिला कर स्ट्रेन्थ कम से कम 600 के ऊपर हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 600 बैड लगाने की स्थिति महिला चिकित्सालय में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जोर मार लें तो 200-225 कर सकते हैं, इससे ज्यादा की गुंजाइश वहां नहीं है। तो जयपुर के मरीज, जो अच्छी फेसिलिटीज लेने वाले लोग हैं, वह उस सुविधा से वंचित होंगे....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वैसे मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, मैंने आपसे उस दिन भी निवेदन किया था कि टोटल नम्बर आफ बैड्स जो फिमेल के हैं, 225 तो यहां रखेंगे और बाकी बचे हुए उसमें रखेंगे, उसके साथ और फैकल्टीज डवलप करके जिला अस्पताल बनायेंगे, इसलिए महिलाओं के बैड्स में कमी नहीं आने देंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जो बात कही है वह ठीक है लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर बैड्स तो आप वहां नहीं बदलेंगे लेकिन वह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चला जायेगा डायरेक्टोरेट के अन्दर, डायरेक्टोरेट में जाने के बाद उसको अच्छी फेसिलिटीज, आज आपने सैटेलाइट अस्पताल बनाये, आपने जयपुर का प्रेसर कम करने के लिए जयपुर जिले के अन्दर और भी बनाये, यहां पर वही केस आते है जो रैफर होकर आते हैं चाहे चौमूं से आते हों, चाहे कोटपूतली से आते हों, चाहे वह फुलेरा से आते हों....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : चौमूं नहीं बना, अभी नहीं बना है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : वहां से जो लोग लौट कर आते हैं, रेफर्ड केस आते हैं, मैं आपसे जिस बिंदु का जिक्र कर रहा हूं, आपने 400 बैड वहां रख लिए, उससे उनको वह फेसिलिटीज नहीं उपलब्ध करा पाये क्योंकि प्रोफेसर, रीडर्स और सीनियर डाक्टर्स की जो फेसिलिटीज मिलती हैं वह उस जनाना अस्पताल में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनवाओगे, उसमें वह फेसिलिटीज नहीं मिल पायेंगी। क्योंकि वह डायरेक्टोरेट के अण्डर में चला गया, सी.एस. कोई बैठेगा, सिम्पल सी.एस. लेवल का डाक्टर बैठेगा। वहां पर प्रोफेसर और उनको शायद आप नहीं लगा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उससे बहुत फायदा नहीं होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके बदलने पर भी आपको काफी खर्चा करना पड़ेगा। आप वहां पर बिल्डिंग्स बनायें, उसका दरवाजा पीछे मेडिकल कालेज की तरफ खोलिये, फेसिलिटीज जो यहां पर है, वह सारी उपलब्ध हो जाय, उसके लिए आपने बजट में कुछ प्रावधान भी किया है, वह आपकी जब बन जाय, दो-चार-छह महीने में कोई अन्तर नहीं पड़ता, उसको अगर आप पूरा बना लेते हैं, उसके बाद अगर बदलते हैं तो मैं सोचता हूं, आपको मैं यह रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं, इसके पीछे मेरा कोई इन्टेंशन नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई मैं गलत बात कहना चाहता हूं। क्योंकि आज दोनों अस्पतालों की मिला कर 9 यूनिट है, 9 यूनिटें नहीं रहती है तो डाक्टर्स की फेसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए उस सारे अन्तर को, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपने

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

पूरी स्टडी की है, मैंने भी कुछ फिगर्स तैयार किये हैं, मैं आपको लिखित में चिट्ठी भेज दूंगा, जो आप उचित समझें, करें। जयपुर के अन्दर जो आप फेसिलिटीज देना चाहते हैं, मैं तो उसके नजरिये को सामने रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर मुख्य मन्त्रीजी ने एक घोषणा की थी, सात दिन के अन्दर हम ओलावृष्टि के मामले में स्टेटमेंट दिलायेंगे। आज तक वह स्टेटमेंट नहीं आया। राजस्थान भर में किसानों को जो नुकसान हुआ है और बड़ी उदारतापूर्वक मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि कांग्रेस वालों से ज्यादा दूंगा और आज तक कोई फेसिलिटीज चालू नहीं हुई, किसानों को बड़ी निराशा हो रही है। सरकार ने क्या व्यवस्था की है और क्या करने जा रही है, कम से कम उसके ऊपर प्रकाश तो डालें तो मैं समझता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी सही, उचित काम करेंगे।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं समाप्त करने ही जा रहा हूं। सभापति महोदय, आज जयपुर की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जयपुर के अन्दर हाउसिंग बोर्ड मकान दे नहीं रहा, नगर विकास न्यास तो आज डवलपमेंट आथोरिटी बन गया, उसका कोई नया अलाटमेंट हो नहीं रहा, गृह निर्माण सहकारी समिति की अपेक्स बाडी जो आपकी बनी हुई है वह कोई मकान बनाकर दे नहीं रही। जयपुर के आम साधारण लोगों ने जमीनें गृह निर्माण सहकारी समितियों से खरीद ली और आज लाखों की जमीन उनके ऊपर है। स्थिति यह है कि सरकार में आने से पहले माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने, भंवरलालजी शर्मा, लोकल बाडी मिनिस्टर ने, इनके एम. पी. गिरधारी लालजी, जिन्होंने, चुनाव लड़ा, उन्होंने बड़े पैमाने पर घोषणा की कि राजस्थान सरकार ने, हरिदेव जोशी की गवर्नमेंट ने 45/- डवलपमेंट चार्जेज लगाये उसको हम 25/ करेंगे। बल्कि यहां तक भी कह रहे थे कि हम 15/- तक करेंगे। अगर आप कम नहीं कर रहे हैं, तो हम सरकार से कहना चाहते है, 45/- में लोगों के मकान बनाने के लिए परमिशन तो देना शुरू करिये। आज हालत यह है कि जे. डी. ए. सफेद हाथी बन चुका है। जे. डी. ए. में इतने चीफ इन्जीनियर रैंक के, एस. पी. रैंक के और डी. आई. जी. रैंक के अधिकारी लगा दिये जिन्होंने आज सफेद हाथी का रूप ले लिया। उनका काम जयपुर की गरीब जनता का शोषण करने के अलावा और कोई नहीं है। आज मकानों का बंधा हुआ काम है, जो इन्स्पेक्टर जाता है, तय करके आता है कि नीचे से लेकर प्लिन्थ तक लाओगे उसकी पांच हजार रेट है और प्लिन्थ के ऊपर जायेगा तो उसकी दस हजार रेट है। मतलब आज जे. डी. ए. में जो लोग बैठें हैं, सही मायने में जयपुर के लोगों को लूट रहे हैं और सरकार की नीति घोषित नहीं होने के कारण आज कोई नक्शा पास नहीं हो रहा हैं, न कोई डवलपमेंट हो रहा है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके पीछे और लम्बी बातों में मैं जाना नहीं चाहता। बड़े-बड़े शिविर यहां लगाये गये। हम तो सोचते थे कि इन शिविरों से फायदा होगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उनके अन्दर भी, मैं मन्त्रीजी के लिए नहीं कहना

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

चाहता, न सरकार के लिए मैं कहना चाहता हूं लेकिन सहकारी विभाग में जितने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, शायद राजस्थान के किसी भी विभाग में नहीं हैं। आज इन शिविरों के नाम पर जितना पैसा इन अधिकारियों ने बटोरा, शायद ऐसा राजस्थान के अन्दर कभी नहीं हुआ। बल्कि मैं कहूंगा कि, मुख्य मन्त्रीजी आज एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं, आज सहकारी विभाग जितना निकृष्टतम काम कर रहा है, जितने पैसे खा रहे हैं, इन सहकारी समितियों से पैसे ऐंठ-ऐंठ कर अधिकारी लोग धनाढ्य हो गये हैं आज। एक छोटा सा इन्स्पेक्टर लेवल का, ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार लेवल का आदमी करोड़पति हो गया है। इन शिविरों का उन्होंने फायदा उठाया है, सही मायने में, गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। इसलिए इस मामले में जनता का शोषण रुक सके उसके लिए सरकार को निश्चित तौर से कोई घोषणा करनी चाहिए।

श्री सभापति : अब समाप्त करिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : बस समाप्त ही कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं एक बात कल भी कहना चाहता था, आज करौली नगरपालिका की हड़ताल चार महीने से चल रही है। केवल मात्र कुछ आर्थिक संकट है। सरकार को मध्यस्थता करनी चाहिए। भाजपा की नगरपालिका है, मैंने उनसे भी कहा। मैंने वहां चेयरमैन को भी कहा कि मेरे लायक कोई सहयोग हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं क्योंकि आज उसका हमारा कोई राजनीतिक फायदा उठाने की नीयत नहीं है। लेकिन करौली की जनता परेशान हो रही है। आज वहां लोग बीमारियों से त्रसित हो रहे हैं। राज्य सरकार को हस्तक्षेप करके इस हड़ताल को जल्दी समाप्त कराना चाहिए जिससे लोगों के जीवन और माल की रक्षा हो सके और क्योंकि आज लोगों को बीमारियां हो रही हैं, सारा शहर सड़ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करे।

श्री सभापति : श्री राजपालसिंह।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क): माननीय सभापति महोदय, जिस एप्रोप्रियेशन बजट बिल पर जिस पैसे को एप्रोप्रियेट करने की परमीशन राजस्थान विधान सभा मांगी गयी है उसके पैसे की एलोकेशन और बजट में दिये गये आंकड़े, रिसीट्स और एक्सपेन्डीचर के आंकड़ों से जो तस्वीर बनती है और प्रदेश के विकास की शुरूआत जैसा कि माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने गये वर्ष की, उसको नया आयाम देने वाले हैं। ऋणों से राहत योजनाओं के बाद आये खर्च, बारानी भूमि पर लगान माफ करने से जो एडीशनल बर्डन पड़ा वह, दस्तकारों और कामगारों को छूट देने के बाद वार्षिक योजना के बढ़े हुए आकार, इन चीजों से जो वित्तीय तकलीफें पैदा हुई, इन कान्सटेन्ट्स के बीच भी बजट घाटे को नियन्त्रित रखना अपने आपके अन्दर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस प्रकार गये वर्ष में 59 करोड़ के घाटे को सरकार ने फाइनेन्शियल मैनेजमेंट से 9 करोड़ रुपये का किया उससे हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के बजट घाटे को बिना किसी अतिरिक्त कर के जिस तरह का वादा किया गया है, प्रापर टैक्स कलेक्शन से या

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

अल्प बचत जैसी योजनाओं से पैसा और इकट्ठा करके इस घाटे को पूरा किया जायेगा। सम्पूर्ण बजट जो पेश किया गया है वह एक ऐसे दर्शन और चिन्तन को दिखाता है, आपको ध्यान होगा-गये साल जब सरकार आई तो उस वक्त की आर्थिक स्थितियां बड़ी चरमराई हुई थी लेकिन जिस वक्त गये साल इस सरकार के आने के बाद में जिस सोच और चिन्तन के साथ में बजट नया पेश किया गया उसी सोच को और उसी विकास को गति देने के प्रयास में यह बजट पेश किया गया है, वह निश्चित रूप से गति प्रदान करेगा।

पर-केपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है, जी. डी. पी. भी बढ़ा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ा है। पर-केपिटा एक्सपेंडीचर जो पहले 910 रुपये था, बढ़कर 1012 हो गया। पर-केपिटा प्लान आउट ले 218 से बढ़कर 257 रुपये हुआ। जिस तरह की विकास की नीति का निर्धारण किया गया है एक कर-मुक्त बजट देकर, इकानामिक एक्टीविटी को बढ़ावा देने की जिस प्रकार से एक कोशिश की गयी है दस्तकारों, कामगारों और किसानों को जिस तरह की छूट देकर, गरीबों के उत्थान की बात की गयी है, कोर सेक्टर के अन्दर जिस तरह का एलोकेशन पहले हुआ उस एलोकेशन को जिस तरह से बढ़ाया गया है उससे निश्चित तौर से प्रदेश के विकास को जो दिशा मिली है उस दिशा के अन्दर त्वरित विकास सम्भव हो पायेगा। चाहे गाडगिल फार्मूले के अमेण्डमेंट की बात हो, चाहे रेगिस्तान को विशेष समस्या मान लेने का गाडगिल फार्मूले में अमेण्डमेंट आया हो, राजस्थान के विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए जो पहले 10 पर्सेण्ट मिलता था उसको 15 पर्सेण्ट करना, रेगिस्तान की समस्या को विशेष समस्या में ले आना और मुख्य मन्त्री जी ने न केवल राजस्थान की आर्थिक दशा को और विकास को नये आयाम देने के लिए जिस प्रकार केन्द्रीय राजस्व बंटवारे में अपने राजस्थान और प्रदेशों की हिस्सेदारी की बात की और जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिसके लिए इस तरह का दबाव डाल रहे हैं उससे राजस्व के केन्द्रीयकरण की नीति और राजस्व का जो केन्द्रीयकरण हो रहा है लगातार, उसके अन्दर रुकावट आयेगी और रुकावट की स्थितियों से राजस्थान को निकाल कर जिस तरह 3 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में नये निकाले गये, दे दिये ही गये, वह अपने आपके अन्दर एक रिमार्केबल काम है।

डी सेन्ट्रेलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ, अपना गांव-अपना काम की योजना है, चाहे 30 जिले और 30 काम की बात है, लोकल लेवल पर लोगों के इन्वाल्वमेंट के साथ में और प्लान के डीसेन्ट्रेलाइज करके उसको गांव और जिले की यूनिट बना करके जिस तरह के विकास करने की बात अपने चुनाव के अन्दर भैरोंसिहजी शेखावत ने की उस चुनाव में की गयी बात, उस मैनीफेस्टो को पूरा की दृढ़संकल्पता और साहस इसके अन्दर नजर आता है। यह सही है कि जहां तक सिचाई का मामला है, विद्युत का मामला है, उद्योग का मामला है हमारे प्रदेश में तकलीफें रही और तकलीफें दूर एक साल के अन्दर नहीं की जा सकतीं। विद्युत के अन्दर डिमाण्ड और सप्लाई में गहरा अन्तर है। विद्युत की योजनाएं पूरी तैयार भी नहीं हो पायी हैं लेकिन यह तय बात है

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कि जिस तरह की प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गयी है इलेक्ट्रिसिटी के अन्दर, उस प्राइवेटाइजेशन से विद्युत के प्रोडक्शन को नये आयाम मिलेंगे। 600 करोड़ रुपये के घाटे के आस-पास होने के बावजूद आर. एस. ई. बी. में डेट इक्विली रेशो को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा आर. एस. ई. बी. को दिये गये ऋण में जिस तरह उसको इक्विटी में बदल दिया गया है उससे आर. एस ई. बी. के कार्यकलापों में कोई नया आयेगा ऐसा नजर नहीं आता। सिंचाई की योजनाएं और लघु योजनाओं को पूरा करने की बात, जवाहर योजना के अन्दर उसको पूरा करने की बात जो आई है उससे मैं सोचता हूं कि सिंचाई योजनाओं को भी बड़ा आयाम मिलेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री केदार नाथ शर्मा (गंगानगर) : मान्यवर, एप्रोप्रियेशन बिल का बहुत लिमिटेड स्कोप है। जो डिमाण्ड्स यहां पर डिस्कशन में नहीं आई, उनके बारे में हम लोग अच्छी तरह से बोल सकते हैं या जो डिमाण्ड्स डिस्कशन में आ गयी और पॉलिसी मैटर पर अस्पष्टता है सरकार की ओर से, उसके ऊपर भी अपने विचार रख सकते हैं। मान्यवर, यह इलेक्शन ईव है और मुझे डर लगता है, इस देश में जो एबनार्मल कण्डीशन्स हैं इस देश के पूंजीपति इकट्ठे होकर काला धन इस्तेमाल करेंगे, लोगों को खरीदने में, बूथ कैपचरिंग में और अन्य अनेक तरीके हैं ताकि आप इलेक्टोरेट अपना फेयर वोट नहीं दे पाये, और फेयर इलेक्शन ना हो पायें।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ जो माफिया गैंग देश में पैदा हो गया, हमारे पर तो खैर उसका कम असर हुआ, पिछले चुनाव में बहुत कम इन्स्टान्सेज मिले जहां बूथ कैपचरिंग हुआ मगर सारे देश की एबनार्मल कन्डीशन्स का असर यहां भी पड़ा है। माफिया गैंग यहां आकर वही हेबोक-क्रियेट कर सकता है जो उसने बिहार और यू पी. में किया।

तीसरे, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, कम्युनल फ्रेंजी आज इस देश में और विशेष तौर से राजस्थान के इलाकों में जो मौजूद है वह कहीं बढ़ न जाये इलेक्शन ईव के साथ-साथ, मुझे डर है इस बात का। उसके लिए हमारी मौजूदा जो फोर्स स्ट्रक्चर है जो ग्रास रूट एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस का, उसके लिए तैयार नहीं है, इसको कोप-अप नहीं कर पायेगा। यह मेरा अपना एप्रीहैन्शन है। पिछली बार जब कम्युनल राइट्स हुए, हमारा मौजूदा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फैल हो गया। इसलिए अगर हम उस समय स्पेशल फोर्स लगा देते, लोगों के चालान कर देते, बेलआउट न होते और जिनका नुकसान हुआ है उनको पूरा मुआवजा दे देते तो माईनोरिटी में एक आत्म विश्वास रहता। वह सोचते कि इस मौजूदा सरकार में हमारी सिक्योरिटी है और हमें जो पूरे अधिकार दिये गये हैं कांस्टीट्यूशन में, उनको पूरा करने के लिए हमें पूरी छूट है।

मैं मान्यवर, इसलिए कह रहा हूं यह सारी चीजें कि इलेक्शन की ईव में यह चीजें आ सकती हैं कि कुछ लोग इधर मिलें और कुछ इधर। नेशनल लेवल पर अलायेंस भी होंगे और स्टेट लेवल पर भी सीटों के

(श्री केदारनाथ शर्मा)

ग्ररेन्जमेन्ट्स हो सकते हैं। हमारी पार्टी को कुछ लोग छोड़कर चले गये मुझे एतराज इस बात का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिन लोगों के भरोसे पर थे और जो बेनीफियशरी रहे कांग्रेस के रूल में भी और जनता दल के रूल में भी बेनीफिशरी रहे, उनको टर्न-कोट करना या एकदम समरसाल्ट करना देश की राजनीति से खिलवाड़ करना है। विट्रेयल है यह। इसलिए मान्यवर, ग्राम ग्रादमी को मौजूदा सिस्टम से ग्रविश्वास पैदा हो गया है।

इन्दिरा गांधी जब जिन्दा थी तब एक नारा लगाया था लोगों ने कि प्रेसिडेंसियल फार्म की सरकार ठीक रहेगी इस देश में ग्रौर मौजूदा सिस्टम इस देश की बेकारी ग्रौर भूख को नहीं मिटा सकता रीजनल इम्बैलेन्स नहीं मिटा सकता, बेरोजगारी की समस्या की समाप्ति नहीं कर पाएगा ग्रौर इस देश को गरीबी से नहीं निकाल पायेगा। यह ग्राम ग्रादमी की धारणा थी। उस वक्त जो लोग विरोध करते थे वही ग्राज प्रेसिडेंसियल फार्म की वकालत कर रहे हैं। मैं यहां पर यह बात कह कर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मौजूदा सिस्टम में इतनी गिरावट, डीजनरेशन, लोगों का ग्रविश्वास इसलिए हो गया कि ग्राम ग्रादमी की पूछ, प्रतिष्ठा, स्थान मौजूदा प्रशासन में नहीं रहा। सोशल स्टेटस में नहीं रहा। मैंने बजट भाषण में जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो पोजिटिव फीचर्स हैं, जो रिलीफ दी, जो टैक्स उठाये ग्रौर विकास की नई धाराए दीं, मेनी टाइम्स दी मगर मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। क्या इससे रीजनल इम्बैलेन्स मिट जायेगा? बजट डिमाण्ड हमने पास कर दी, पैसा ले रहे हैं। इससे फोलो-ग्रप इम्पेक्ट क्या होगा सारे देश की इकानोमी पर? इम्बैलेन्स मिट नहीं पायेगा। जो ग्रन-एम्पलायमेंट का बैक लॉग है वह बड़ा बैक लॉग है। 25-30 लाख का जिसमें पढ़े-लिखे भी ग्राते हैं ग्रौर ग्रनपढ़ भी ग्राते हैं, इस साल पांच लाख ग्रौर जुड़ेंगे, इस बेकारी का कोई हल इसमें नजर ग्रा नहीं रहा। ग्रापने सरफेस से इस का इलाज करने की कोशिश की है इसमें कोई शक नहीं लेकिन बुनियादी तौर से वह हल निकल नहीं पायेगा।

तीसरी बात मैं कह रहा था, इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एण्ड ग्रार्डर की मशीनरी का मोरल ग्रब भी ठीक नहीं है। मैं ग्रब भी मानता हूं इस बात को कि जो इंटरनल डिफरेंसेज हैं हमारी पुलिस फोर्स में, न टेररिस्ट घुस पाये न कम्युनल फोर्सेज घुस पायी, ना ग्रनसोशल एलिमेंट उसमें पेनीट्रेट कर पाया मगर ग्रब भी उसको री-जुविनेट करने की बहुत जरूरत है। ग्रासरूट एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस का है वह बहुत ही निकम्मा, कमजोर है। ग्राम जनता के प्रति उसको कैसे री-जुविनेट कर पाग्रोगे ग्राप? कैसे मौजूदा ट्रेण्ड को री-ग्रोरिएंट कर पाग्रोगे? ग्राप मौजूदा जो रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे मोबिलाइज कर पायेंगे, कैसे बढ़ा पाग्रोगे? यह बहुत बड़ा दायित्व है हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पर।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो बोर्डर के बारे में ग्राप एक प्लान लाये वहां सीज करने के लिए, फ्लड लाइट्स करने के लिए, वायर का ग्ररेंजमेंट करने के लिए, इतना पूरा हो ग्रगर सेंटर ग्रापको पूरा पैसा दे दे तो मेरे

(श्री केदारनाथ शर्मा)

ख्याल से कुछ रास्ता निकल पायेगा क्योंकि, मान्यवर, हम बार-बार यहां पर इश्यू नहीं रेज करना चाहते। अभी 80-डी में 5 आदमी मारे गये मिलिटेंट्स के मार्फत, और दो-चार रोज में फिर मिलिटेंट्स आये, मुकाबला किया, कुछ पकड़े गये कुछ भाग गये। क्योंकि जब से पंजाब की मिलिट्री पीछे थी, मिलिट्री को सौंप दिया, वैसे तो नहीं सौंपा मगर कुछ लाइन पर खड़े कर दिये इन्तजाम के लिए ताकि बोर्डर को क्रास नहीं कर पायें। जो बहुत बड़े सैंसिटिव प्लेसेज थे गुरदासपुर का, होशियारपुर का, उस प्रेशर का यह हुआ कि हमारा अनूपगढ़ का सारा बोर्डर वलनरेबल हो गया। इसलिए आम तौर पर वह छोड़ कर सारे मिलिटेंट्स इस इलाके में आना शुरू हो गये। काफी इन्तजाम हुआ। ऐसी बात नहीं है। पहले से पोजीशन बैटर ही है मगर और बैटर करनी है। उस इलाके के मोरल को आपको ऊंचा करना है उसके लिए आपको कुछ इकानामिक मैजर्स भी उठाने पड़ेंगे, कुछ सोशल एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे और अपनी ओर से प्रचार भी करना पड़ेगा। हमारे बोर्डर के इलाके में आपकी ओर से कुछ प्रोपेगण्डा करना पड़ेगा कि हमारे यहां की बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए क्या सरकार कर रही है। जो बोर्डर पर बैठे हैं वहां बहुत कम प्रचार है और इकानोमिक वेजेज भी बहुत कम है, पंजाब के मुकाबले में बहुत कम है। उन लोगों ने बोर्डर के काफी लोगों को सहुलियत दी है, हमारे यहां सहुलियत नहीं है, यह बात ठीक है।

दूसरी बात मैंने कही थी होम डिपार्टमेंट में, वह हो नहीं पाया। आज आम तौर पर यह धारणा बन गई केन्द्र सरकार की कि ला एण्ड आर्डर की जो मौजूदा मशीनरी है यह ला एण्ड आर्डर को, कम्युनल राइट्स को फेस करने में फैल हो गई। यह कंपोजिट करेक्टर पुलिस का बना है हालांकि मैं उस मत का हूं कि जो पुलिस में भर्ती हो वह क्लास बेसिस पर न हो, कम्युनल बेसिस पर न हो, इससे और ज्यादा खराबी पैदा होगी। मैं इस मत का भी हूं कि जो सोशल स्ट्रक्चर है हमारे देश का उसका रेफरेन्सेज भी होना चाहिए रिक्रूटमेंट में। उसे इग्नोर भी हम न करें और बैकवर्ड कम्युनिटीज को नुमाइंदगी मिले पुलिस फोर्स में चाहे वह किसी नाम से हो, उनको जरूर नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। मान्यवर, यहां मैं सोच रहा था, कि जितनी भी वेकेन्सीज हैं अनुसूचित जाति और जन जाति की वह एकदम ट्रेण्ड करके आप भर दोगे उसके बारे में मुख्य मंत्री जी अपने रिप्लाई में मेन्शन कीजिए आज। आपके बजट स्पीच में उसका कोई मेन्शन नहीं, रिप्लाई में कोई मेन्शन नहीं, आज मैं सोचता हूं कि यह इस सत्र का आखिरी दिन है। 4 जून को क्या होगा, देश की परिस्थितियां क्या होंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन पार्टी आयेगी यह भी कोई नहीं कह सकता क्योंकि गैर-कांग्रेसवाद को हमने दफना दिया। नेशनल गवर्नमेंट की बात हमने समाप्त कर दी, कोप्रलिशन गवर्नमेंट में विश्वास समाप्त हो गया इसलिए क्या सत्ता आगे इमर्ज करेगा इलेक्टोरेट यह हम कह नहीं सकते। उधर दक्षिण में विवाद चल रहा है, सरफेस पर आ नहीं सकते। इसलिए आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी वेकेन्सीज हैं, कम से कम एस.सी., एस.टी. चाहे दूसरी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हो, वह कम से कम दो माह में भर दीजिए। आपको फायदा देगी। जो एट्रोसिटीज होती है शिड्यूल्ड कास्ट्स पर मान्यवर, उनके स्पेशल कोर्ट्स नहीं बना पाये। आपने सैल तो क्रिएट कर दिये को-आर्डिनेशन के लिए इन्वेस्टीगेशन में डी.एस.पी. लेवल तक मगर स्पेशल कोर्ट के नाम पर कुछ नहीं कर पाये आप। समरी ट्रायल हो। आपने जमीन अलाट कर दी। मैंने कब्जा कर लिया। चार साल लगेंगे वापस रेस्टोर करने में। वह फाइट नहीं कर पायेगा, अदालत में आकर के बराबर फाइट नहीं कर पायेगा। इसलिए ऐसा मैं कम्युनल वेब्ज के बारे में चाहता हूं, ऐसा शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में चाहता हूं। यह ठीक है कि आपने शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काफी काम किया पर जब तक उनके कब्जे बहाल नहीं करेंगे आप, जब तक जो नेचरल प्रोड्यूस है उसमें हिस्सा नहीं दोगे, उसमें आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा। ठीक है आपने कुछ मजदूरी बढ़ा दी और रिजर्वेशन आपने 50% कर दिये मगर जब तक बुनियादी तौर पर उनके जो जमीन के कब्जे हैं 15–20 साल से उनको रेगुलराइज नहीं करोगे आप, जो प्रोड्यूस है, पैदा करता है उसमें हिस्सा नहीं दोगे आप तब तक उनमें आत्म विश्वास पैदा नहीं हो सकता।

मान्यवर, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी जब इस बेंच पर बैठते थे तब रेवेन्यू लॉज के बारे में एक कमीशन बैठा टिनेन्सी लॉज के बारे में और उस कमीशन के विहाफ पर हमने इसी हाउस में एक सलेक्ट कमेटी गठित की, उनकी रिपोर्ट आ गई मगर आज तक हम कभी काम्प्रीहेंसिव लॉ बना नहीं पाये। पीस-मील में तो हमने कई अमेण्डमेन्ट किये। आप तो, मान्यवर, अच्छे आफीसर रहे हो। पीसमील अमेण्डमेण्ट में सारा एसेंस समाप्त हो चुका है रेवेन्यू लॉज का। जो टिनेन्सी लॉ से इम्पेक्ट होना चाहिए आम काश्तकार पर वह सारा समाप्त हो गया। वह काम्प्रीहेंसिव लॉ कब बनेगा ? हमारे उस पर अपने कमिटमेन्ट्स हैं। वह सैटलमेन्ट्स का सारा आपरेशन कब समाप्त होगा ? रेवेन्यु के इसी विभाग में कुछ सैल क्रिएट कर दिये गये जिस पर हम और आप खूब भाषण दिया करते हैं उस पर मैं चाहता हूं आप कोई घोषणा करें।

मान्यवर, इंटर-स्टेट डिस्प्यूट के बारे में, बिजली, पानी के बारे में, हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको मैं एक्सपर्ट मानता हूं। मान्यवर, यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं. पंजाब का इश्यू यहां मैं रेज नहीं करना चाहता और उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि स्टेटमेन्ट देना भी ठीक नहीं है। पोजीशन एग्रीवेट हो चुकी है, इस बात को मैं मानता हूं मगर जो हमारा लिंक है, वहां जो व्यास का लिंक है और रावी का पानी आता है, हरीके में डालते हैं वह सारा कच्चा है। लिंक कैनाल पक्का नहीं है। उसके आसपास खेत पड़ते हैं वहां कुछ स्लोप होता है और कुछ किसान लेते हैं पानी, नेचरल है। इसलिए काश्तकारों ने लोअर कोर्ट से स्टे ले लिये। लोअर कोर्ट इन्टर-स्टेट मसले में स्टे नहीं दे सकता, उस की काम्पीटेंस नहीं है। पंजाब की कोई कोर्ट इन्टर स्टेट के मसले में, जिसमें 5 स्टेट का इन्ट्रेस्ट हो और पार्लियामेन्ट में बाई एक्ट इम्फोर्स किया गया हो, उसके उत्तर में लोअर कोर्ट यह स्टे दे दे कि नहीं, यह 10,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, इसको

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बंद किया जाय। इसको बंद करना पड़ा। यह ठीक है आज जो कमी है उस कमी को हम पूरी कर रहे हैं। हमारा पोंग डेम और पंजाब की जो कमी है, वह हरियाणा से जो एक्सेस पानी ले रहे हैं, उससे उसकी कमी पूरी हो जाती है। अप्रेल-मई में जब डायर नीड होगी तब बहुत मुश्किल होगी। यदि छूट मिलती गई, हाई कोर्ट में पंजाब की गवर्नमेंट गई मगर वह इफेक्टिवली पैरवी नहीं करेंगे जैसी होनी चाहिए इसलिए हमारा खुद का आदमी, अच्छा वकील हाई कोर्ट में जाये। माननीय मुख्य मन्त्रीजी खुद प्राइम मिनिस्टर से बात करें, राज्यपाल से बात करें और जो हमारे इरिगेशन के माननीय मन्त्री हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक टीम एम. एल. एज की भेजें, आप खुद जाओ और वहां पर मौका देखो, उसका एक साइकलोजिकल असर पंजाब सरकार पर पड़ेगा और हमारे राज्य के लोगों पर असर पड़ेगा। ऐसे ही पिछली बार संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य श्री हेतरामजी बेनीवाल ने कहा कि भाखरा का वाटर लेवल 5 फुट कम हो गया है, हमारे पोंग डेम का वाटर लेवल भी कम हो गया है। वह इसलिए कर दिया क्योंकि हम उनको मुआवजा नहीं दे पाये। थोड़ा बहुत मुआवजे को सस्पेंड किया। ये बातें मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि ये मसले कुछ ऐसे हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी, आपने 1984 के तहत खुद कहा था कि जो एग्रीमेंट बिजली का हुआ था, 5 प्रोजेक्ट थे, इनमें से 3 तो कमीशन हो गये, 2 कमीशन होने वाले हैं और यह जो हमारा बिजली का हिस्सा है, रेफरेंस आप अभी तक नहीं कर पाये, यह तो हमें मालूम नहीं....

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं किया है।

श्री केदार नाथ शर्मा : हो सकता है, आपने बात की हो। प्राइम मिनिस्टर से बात की हो और आपने पत्र लिखा हो रेफरेंस के लिए कि सुप्रीम कोर्ट रेफरेन्स करें, नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट कोई जज नियुक्त कर दे। तीसरी बात, पंजाब का फिजिकल कन्ट्रोल उनके हाथों में है, सारे हैड वर्क्स का कन्ट्रोल है, उसके बारे में भी आपने मूव किया होगा। यह इसलिए अर्ज करते हैं क्योंकि यह एप्रोप्रियेशन बिल है। इसके बाद आपका समय आ जायेगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी रिप्लाई के वक्त में इन बातों को मेंशन करें ताकि हमें मालूम पड़ जाये कि आपने 6 महीने में, 8 महीने में इन्टर-स्टेट मसलों में क्या कोशिश की ?

मान्यवर, मैं यहां पर ज्यादा न बोलता हुआ जो एम्प्लायमेंट की पालिसी है, उसके बारे में भी बोलना चाहता हूं। जो सिक मिल्स हैं, सैकड़ों मजदूर आज बेकार हैं, न उनको वेतन मिल पाया है और न फण्ड मिल पाया है और न कोई इन सिक मिल्स को चला पाया है। आपने खुद कहा था सीमेन्ट फैक्ट्री के बारे में। आपके खुद के रेजीडेंस पर बड़ा अच्छा एजीटेशन चला था और सेन्टर से पैसा भी पहुंचा और कुछ फार्मूला निकला था। आपने कहा था हम इसको चला देंगे लेकिन वह चल नहीं पाया दूसरे कारखाने कैसे खुलेंगे जब हमारे पुराने कारखाने आलरेडी बन्द हो गये ? आम मजदूर, जो टोईलिंग मिलियन्स हैं, लोअर क्लास को है, उसमें विश्वास समाप्त हो गया है क्योंकि उनका फण्ड भी गया, वेतन भी गया और रोजगार भी नहीं दिया।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

राजस्थान के सारे लैण्ड स्केप में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ स्थान एम्प्लायमेंट के नाम से है तो, मान्यवर, यह लेबर की बात थी।

मैं यहां पर राजस्थान कैनाल के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। आई. जी. एन. पी. की कालोनाइजेशन पालिसी भी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है आपने वसूली बन्द कर दी, बहुत अच्छा किया, उसको माफ करने के लिए सेन्टर से बात की। हमारी खुद की मन्जूरी का सवाल है। वह भी आपके सामने है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही चीज है, जो गवर्नमेंट लैण्ड पर है, वह अलाटमेंट हो जाय, उस जमीन को बेचने की मंजूरी कलेक्टर से लेनी पड़ेगी। यह मेण्डेटरी है, मैं इस बात को मानता हूं कि ला इन्फोर्स तो होना ही चाहिये मगर जो पुराने खातेदार हैं, ओल्ड सैटलर्स हैं, जो हिस्सेदार हैं, इनका फण्डामेंटल राइट है, इनको अपनी जमीन को डिस्पोज आफ करने में किसी प्रकार की कानूनी दिक्कत आनी ही नहीं चाहिये। वह ठीक है, वे लोग हाई कोर्ट में नहीं गये यदि वहां से स्टे आ जाता, ये सारा इन्फ्रक्टस है, ये वोइड है, ऐसी कभी हिदायत थी। माननीय मुख्य मन्त्री जी, यह आपने नहीं किया, यह ठीक बात है। वह, 84 में हमारे दोस्तों ने अमेण्डमेन्ट किया था। जो हमारे दोस्त थे, उन एम. एल. ए. को यह मालूम नहीं था कि इससे राज्य पर क्या असर पड़ेगा। माननीय माथुर साहब मुख्य मन्त्री थे, हमने बहुत कहा कि इससे बुरा असर पड़ेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी जानते हैं, उसके बारे में प्रयास करेंगे, फ्रेगमेंट का सवाल है।

इसलिये मैं जनरल बात कहता हुआ अपनी बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। अब आपको जो इलेक्शन ईव है, अपनी ला एण्ड आर्डर, जो ट्रांसफर्स हैं आपने किये, आइन्दा यह ट्रांसफर्स बन्द होने चाहिये। मैं इस बात को मानकर चलता हूं, ला एण्ड आर्डर की मशीनरी को री-इन्फोर्स कीजिये, उनको स्पेशल ओरियन्टेशन दीजिये कि चुनाव में कैसे डील करें बूथ कैप्चरिंग से, अनफेयर मीन्स से। तीसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि साम्प्रदायिक हिंसा पैदा न हो, इसमें आपकी शोहरत होगी। इस राजस्थान की धरती पर चुनाव की ईव में हिंसा न होने पाये, कम्यूनल वायलेंस के बाद लोगों का दिमाग बदल जायेगा, लोगों की सोच बदल जायेगी। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्शन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा इस देश की इकोनोमी को तय करने में, पोलिटिकल लाइफ को तय करने में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को तय करने में। यहां पर कांग्रेस की पार्टी ने स्टेबिलिटी का नारा दिया ठीक है, वे दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने राम और रोटी का नारा दे दिया और हमारे पास माइनोरिटी बची है, बैकवर्ड कम्युनिटीज है, सोशल जस्टिस के नाम से हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। क्या गिनती होगी, कहां पावर कैप्चरिंग करेंगे, किस स्टेट में हमारा क्या स्थान होगा, यह मैं आज नहीं कह सकता अगर हमारा सेक्यूलर फिलोसोफीके नाम से, सोशल जस्टिस के नाम से हम चुनाव के दंगल में दाखिल हो रहे हैं और इसी बीच में स्टेबिलिटी निकलेगी, इसी की बीच में

(श्री केदारनाथ शर्मा)

से टोईलिंग मिलियंस, देश की बेकारी, भूख मिटेगी, रीजनल इम्बैलेंस समाप्त होगा, और हिन्दुस्तान के अन्दर जनता दल ऐसी पिक्चर पेश कर देगी जो अभी तक किसी पार्टी ने की नहीं और ना ही आगे करने वाली है।

श्री सभापति : श्री बी. डी. कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर कुछ सुझावों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा।

राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां कच्चा माल बहुतायत में होता है। चाहे खनिज पदार्थों को ले लें या कृषिगत पदार्थों के उत्पादन को ले लें, कच्चे माल का हमारा प्रदेश एक निर्यातक प्रदेश रहा है और निर्मित माल हम सदैव बाहर से मंगाते आये हैं। इसलिए जब तक हम अपने ही प्रदेश में अपने खनिज पदार्थों का और कच्चे माल का निर्मित माल के रूप में परिवर्तन करके इसका उपयोग नहीं करेंगे और दूसरे प्रदेशों में और देश के बाहर अधिक से अधिक उसका निर्यात नहीं करेंगे तब तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। दूसरी बात हमारे यहां विक्रय कर और बिजली शुल्क का जो बकाया है वह बहुत अधिक मात्रा में है। करीब-करीब एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य सरकार का विभिन्न विभागों का बकाया लगभग 250 करोड़ से ऊपर है। इन बकाया विक्रय करों का, बिजली की दर का और अन्य विभागों की जैसे रायल्टी वगैरह है, खनिज विभाग वगैरह की एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इनकी बेहतर वसूली की जाय, बकाया वसूली की जाय और जो कर अपवचना हो रही है उसको रोक दिया जाय तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने नोन टैक्स रेवेन्यू के बारे में अपने विचार दिये, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि प्रदेश की नोन टैक्स रेवेन्यू निरन्तर बढ़ती रहनी चाहिये, इसमें जो गिरावट आयी है वह चिन्ता का विषय है और इस बारे में वित्त मन्त्रीजी को ध्यान देना चाहिये।

जहां तक पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों का प्रश्न है, स्वयं माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पब्लिक अण्डरटेकिंग के चैयरमेन के रूप में बहुत सी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की हैं और उसका लुब्बे-लुबाव सारांश यह है कि जो पब्लिक सैक्टर के उद्योग घाटे में चलते हैं उनको अविलम्ब बन्द कर दिया जाय। अब एक वर्ष की अवधि और उससे ऊपर आपकी सरकार की हो गई है, इस बजट में हम यह उम्मीद कर रहे थे कि पब्लिक सैक्टर के वे उद्योग, जो घाटे में चल रहे हैं और व्हाइट एलीफेंट की तरह राज्य की अर्थव्यवस्था के ऊपर भार बने हुए हैं, उनको किसी तरह से या तो पब्लिक आक्शन करके उनको निपटा दिया जायेगा अथवा उसको समाप्त कर एक नई व्यवस्था आप लाने वाले थे, उसके बारे में विचार कर आपको तुरन्त निर्णय करना चाहिये और पब्लिक सैक्टर के जो उद्योग घाटे में चल रहे हैं जिनको बन्द करने की आपने सिफारिशें लागू की हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उनको आने वाले समय में बंद किया जायेगा। जहां तक प्राकृतिक साधनों का प्रश्न है, आज भी प्राकृतिक साधनों का

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दोहन जिस गति से हो रहा है उसमें त्वरित गति लाने की आवश्यकता है। राजस्थान के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन करके उसका अधिकतम उपयोग नहीं किया जायेगा तब तक राजस्थान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए प्राकृतिक साधनों का दोहन करके उसका अधिकतम उपयोग किया जाना जरूरी है। इसी तरह से राज्य के शहरों की स्थिति, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, बहुत दयनीय है। वह अपनी सफाई की व्यवस्था और तनख्वाह की व्यवस्था भी पूरी तरह नहीं कर सकते हैं। इसलिए राज्य में चुंगी की दरों को समान करना चाहिए या चुंगी को पूरी तरह समाप्त करके विक्रय कर के रूप में कुछ वसूल करके और नगरपालिका को या नगर परिषद् को निश्चित हिस्सा दे दिया जाय तो इससे नगरपालिकाओं की स्थिति जहां एक ओर सुदृढ़ होगी और बार-बार लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वह भी दूर हो सकेंगी।

अब मैं पिछले एक वर्ष में राजस्थान में क्या स्थिति रही है उसके बारे में कहना चाहूंगा। पिछला वर्ष राजस्थान में एक तरह से ऐसा वर्ष रहा है जिसमें मूल्यों में वृद्धि हुई, जिसमें किसानों को डीजल-पेट्रोल और आवश्यक चीजें मिलनी चाहिए वह समय पर मुहैया नहीं हुईं। कीमतें इतनी अधिक बढ़ गयी कि गरीब व्यक्ति का जीवन दूभर सा हो गया। गुड़, चीनी से महंगा बिका गांवों में। तेल की कीमतें लगभग दुगुनी हो गयी और अनाज की कीमतें भी काफी मात्रा में बढ़ीं। इसके कारण गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को एक तरह से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पिछले वर्ष राज्य में 6 महीने से अधिक समय तक हमारी शिक्षण संस्थाएं बंद रहीं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक प्रभावित हुई और दंगों में लगभग 100 के करीब लोग प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मारे गये, अकेले जयपुर में ही 50 आदमी मारे गये। जो साम्प्रदायिक सद्भाव प्रदेश में काफी पहले से कायम था वह साम्प्रदायिक सद्भाव कमजोर हुआ। उसको वापस लाने की आवश्यकता है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सदस्य, व्यवधान के लिए क्षमा। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की निर्धारित कार्यसूची अर्थात् राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991, राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1991 एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के पूरे होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है कि चाहे गये अनुसार सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1991

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, साम्प्रदायिक सद्भाव को जब तक हम प्रदेश में कायम नहीं रखेंगे, हमारा प्रदेश जो सांस्कृतिक विरासत रखता है और हमेशा नैतिक मूल्यों में आस्था रखता है और हम सब लोगों ने मिलजुल कर इस प्रदेश को बनाया है, इसलिए साम्प्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए

(4.55 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और जो पीड़ित पक्ष है उसकी मदद की जानी चाहिए। अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। गत वर्षों में प्राकृतिक आपदायें भी हालांकि पूर्व वर्षों की तरह अधिक नहीं रही। लेकिन जोधपुर, जालौर क्षेत्र में बाढ़ आयी, तो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली के क्षेत्र में अकाल की भयावह स्थिति रही है। इस अकाल में आज भी उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले जैसे क्षेत्रों में, जैसलमेर जिले जैसे क्षेत्र में चारे की भयंकर कमी है, कई जगह पेयजल की कमी है और रोजगार अभी तक मुहैय्या नहीं कराया गया है। केन्द्रीय सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत पाने के लिए 64 करोड़ की राशि राज्य सरकार को दी है लेकिन यह राशि अब तक अकाल ग्रस्त और अभावग्रस्त गांवों में पहुंच नहीं रही है। बीकानेर ज़िले के अकतासर, भोलासर, आसूड़ी, गजनेर और कोलायत तहसील के अनेक गांवों में ऊपर में डियागरा तक और बीकानेर तहसील के गांवों में अकाल और अभाव की भयंकर स्थिति बनी हुई है। वहां पर चारे के अभाव में गायें मर रही हैं और रोजगार उपलब्ध नहीं होने से लोग पलायन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि अब केवल मात्र तीन महीने रह गये हैं-अप्रैल, मई और जून, जुलाई में सामान्यत: वर्षा हो जाती है, तीन महीने में, जो गिरदावरी रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर अभावग्रस्त गांवों में रोजगार मुहैय्या कराना चाहिए और सबसे पहले पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था अविलम्ब तुरन्त प्रभाव से आपको करनी चाहिए ताकि अभावग्रस्त एरिया के पशुओं को राहत मिल सके।

इसी तरह मैं डेयरी से सम्बन्धित दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। आज राजस्थान में प्रति दिन चार लाख लीटर दूध इकट्ठा हो रहा है और दूध की कीमत किसान को 3.65 रु प्रति लीटर मिल रहा है। जबकि वह दूध के एक लीटर के उत्पादन 4.65 रु. खर्च करता है, ऐसी स्थिति में एक लीटर पर एक रुपये का घाटा और चार लाख लीटर पर किसानों को चार लाख का घाटा प्रति दिन हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी व्यवस्था है कि एक लीटर दूध पर किसानों को एक रुपया सरकारी अनुदान दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि महाराष्ट्र की पद्धति पर राजस्थान के पशुपालकों को भी कम से कम एक रुपया अनुदान देंगे तो किसान लागत के आधार पर अपने दूध का विक्रय कर सकेगा और किसी भी प्रकार का कम से कम आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

आज राजस्थान में 16 जिला दुग्ध उत्पादक संघ बने हुए हैं। उनमें से 12 जिला दुग्ध उत्पादक संघों को तो प्लांट सौंप दिये गये हैं लेकिन बीकानेर सहित चार जिला दुग्ध उत्पादक संघों को प्लांट नहीं दिये हैं जिसके कारण वहां की स्थिति बहुत कमजोर हो रही हैं और प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये की राशि डेयरी फैडरेशन इन जिला दुग्ध उत्पादक संघों से प्राप्त कर रहा है। अकेले बीकानेर जिला उत्पादक संघ से दस करोड़ रुपए डेयरी फैडरेशन ने अब तक प्राप्त किए हैं। यह सारी राशि डेयरी फैडरेशन कब जिला दुग्ध उत्पादक संघों को चुकायेगी, यह विचारणीय प्रश्न है। अब हाल ही एक निर्णय हुआ कि 16.50 करोड़ की लागत से मिल्क पाउडर का एक प्लांट बीकानेर में स्थापित किया जायेगा। उसका मूलधन और ब्याज वहां के जिला दुग्ध उत्पादक संघ को देना पड़ेगा। तो संघ के पास यदि प्लांट नहीं आयेगा और डेयरी फैडरेशन के प्लांट का और संघ का विलीनीकरण जब तक नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में कैसे वह मूल धन और ब्याज को चुकायेगा। अभी तक राजस्थान डेयरी फैडरेशन के संचालक मण्डल का चुनाव नहीं हुआ है। इसके संचालक मण्डल के चुनाव होने चाहिए। इसके साथ-साथ पिछले कई वर्षों से जो आडिटिंग नहीं हो रही है तो आडिट होना चाहिए और जो चार संघ हैं उनका विलीनीकरण जब तक नहीं किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि एक तरह से सौतेला व्यवहार रहेगा। माननीय मुख्य मन्त्रीजी आ गये हैं। राजस्थान में आपने बजट में जो तीन जिले बनाये हैं और कोटा में मेडिकल कॉलेज खोला, यह तो अच्छी बात है लेकिन ब्यावर, करौली और हनुमानगढ़ को जिला नहीं बनाया इससे स्पष्ट होता है कि इन जिलों के साथ अन्याय हुआ है।

इसी तरह से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कालूलाल श्रीमाली कमेटी ने राजस्थान में तीन विश्वविद्यालय बनाने की सिफारिश की थी, उसके आधार पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन से साल में ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज से करीब 15 साल पहले। 1987 में राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जी जोशी ने इतिहास पुरुष बनकर तीन विश्वविद्यालय, कोटा, अजमेर और बीकानेर में बनाये। आप भी इतिहास पुरुष बन सकते हैं। आपने केवल कोटा के साथ न्याय किया लेकिन बीकानेर और अजमेर के साथ अन्याय किया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में था कि अजमेर और बीकानेर में इन्जीनियरिंग कॉलेज खोला जायेगा। यदि आप यह इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलते तो मैं आपकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करता लेकिन आपने अजमेर और बीकानेर से साथ अन्याय किया है और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ाया है। कोटा में मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के बाद में खोला है। इन्जीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस के वक्त में खोला और एक साथ वहां पर यह तीनों चीजें आ गयीं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अभी शुरू ही किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आने से पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोटा का विरोध अभी शुरू हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कोटा का का विरोध नहीं किया । मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आपने कोटा के साथ तो न्याय किया है लेकिन उससे ऐसा लगता है कि जहां से कांग्रेस के लोग जीतकर आये हैं वहां पर आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीकानेर को आपने ही चालीस वर्षों में कुछ नहीं दिया, मैं तो फिर भी दूंगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीकानेर को पुल दिया है । बीकानेर में ढाई करोड़ का रोड ओवर ब्रिज दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इससे सारी समस्याओं का समाधान हो गया । पार करने के लिए पुल बनवा दिया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विश्वविद्यालय बीकानेर को दिया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर में तो ननिहाल है । कम से कम ननिहाल का तो ख्याल रखें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह याद कराओ तो मैं निहाल करूंगा । आप यह बार-बार कहते जाओ कि मुख्य मन्त्री का ननिहाल है तो निश्चित रूप से आपका काम करूंगा ।

श्री रामकिशन : इसका मतलब यह हुआ कि जहां ननिहाल होगा या ससुराल होगा, वहां ही विकास करोगे, बाकी राजस्थान का नहीं करोगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब देखिये, ससुराल वाले और ननिहाल वाले भी चाहते हैं कि हमारे यहां का आदमी, हमारे परिवार का आदमी जब बन गया है तो मैं उनको कुछ दूंगा, यह तो उम्मीद करते हैं । अगर दूंगा तो आपको क्या आपत्ति हो गयी ।

श्री रामकिशन : बाकी राजस्थान का विकास नहीं करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपेक्षा का सवाल नहीं है । किसी हिस्से की उपेक्षा नहीं करेंगे । लेकिन ननिहाल वाले उम्मीद तो करते हैं कि हमारा भानजा हमारे लिए कुछ करे । करता हूं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक कहावत है नर नानेरे जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सीकर का भी ख्याल है । आपका भी ध्यान है । और सीकर का भी ध्यान है । सीकर का ज्यादा ध्यान है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक कहावत है– नर नानेरे जाय, आप ज्यादा ननिहाल की तरफ चले गये हैं । सीकर तो जन्मभूमि है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और सारे राजस्थान में मैं इसी तरह घूम रहा हूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में बहुत अच्छी योजनाओं के नाम गिनाये गये हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा ? जैसे भागीरथ योजना यहां बनाई । भागीरथ योजना में एक साल में राजस्थान के लोगों को क्या मिला ? कितने लोगों को इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया और कितने लोगों ने उसके बाद राजस्थान की जनता को लाभ दिया ? एक तरफ यह कहते हैं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कि एकलव्य और अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान और कुछ रोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोलेंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो 5000 स्कूल हमने खोले थे गांवों में, उनको तो आपने बन्द कर दिया। जब गांवों में साक्षरता नहीं रहेगी, तो आप प्रशिक्षण किसको देंगे? जो 5 हजार स्कूल खोल दिये गये थे, उन स्कूलों को बन्द करने के बाद अब गांवों में आप किन लोगों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं? अगर उन 5 हजार स्कूलों को चालू रख कर एक हजार स्कूल और खोलते, तो हम उसका स्वागत करते, लेकिन आपने पुराने खोले हुए स्कूलों को बन्द करके नये एक हजार स्कूल खोले हैं और मिडल स्कूल वगैरह तो इतने कम हैं कि मैं समझता हूं कि एक-एक विधायक को एक-एक स्कूल भी नहीं मिलेगा। सैकण्डरी स्कूल भी बहुत कम खोले।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कितने चाहिये? मांग करो।

(5.00 सायं)

श्री बुलाकीदास कल्ला : कम से कम 400 सैकण्डरी स्कूल तो खोलने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से पेयजल योजनाओं के बारे में बड़ी-बड़ी योजनाएं बना दी गईं। बीकानेर के पास पानी बिल्कुल आया हुआ है इन्दिरा गांधी नहर का। आठ-दस साल वह मामला न्यायालय के विचाराधीन पड़ा रहा, इसके कारण हम उसे आगे नहीं बढ़ा पाये। लेकिन उसको लेकर केवल मात्र यह कहना कि इस योजना को टेक्निकल मैम्बर के पास देकर अटका दिया गया है, यह बीकानेर के साथ धोखा है, अन्याय है। विश्व बैंक के साथ यह वादा किया गया था कि 80 प्रतिशत पानी नहर से देंगे और 20 प्रतिशत पानी हम कुओं से देंगे। लेकिन हो यह रहा है कि 80 प्रतिशत पानी कुओं से दिया जा रहा है और 20 प्रतिशत पानी नहरों से दिया जा रहा है। हमारे कुएं सूख गये हैं और शेष कुएं भी यदि सूख गये, तो 350 किलोमीटर्स की दूरी में कहीं पर भी कोई पानी इनको नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में, उस योजना में जो बीसावाल में जो होल्डिंग टैंक हैं, उसकी स्वीकृति यदि जल्दी नहीं दी गई, तो बीकानेर शहर के लोग निश्चित रूप से प्यासे रहेंगे। यह सरकार का कर्तव्य है कि इस योजना को अविलम्ब प्रारम्भ किया जाय।

श्री सभापति : माननीय कल्ला साहब, थोड़ा संक्षेप में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अजमेर में और बीकानेर में स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से रंगमंच बनाये जाने थे। इन रंगमंचों के बनाने के लिये रंगकर्मियों ने बार-बार आन्दोलन किया। जयपुर में भी जब यहां 250 वां वर्ष मनाया गया था उस समय रंगमंच की मंजूरी दी गयी थी। वह रंगमंच तो खटाई में गये और हमारे यहां जो पांच सदी समारोह हुआ उसमें रंगमंच के लिये 20 लाख रुपया राज्य सरकार को देने थे, 6 लाख की पहली किश्त मिल गयी लेकिन बाकी 14 लाख की स्वीकृति जो स्वायत्त शासन विभाग को देनी थी वह जान बूझकर के नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी विभाग के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसा लगता है कि पिछले एक वर्ष में न तो इनके पास सीमेण्ट रहा, न डामर रहा। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

का काम निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां 90 हजार मैट्रिक टन सीमेण्ट की आवश्यकता थी, वहां पर केवल 49 हजार मैट्रिक टन सीमेण्ट उपलब्ध हुई। इससे ऐसा लगता है कि जो भौतिक लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किये थे उसका 50 प्रतिशत हिस्सा भी आप पूरा नहीं कर पायेंगे।

जहां तक भ्रष्टाचार को मिटाने की बात है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले सवा साल में आपने जिन जिन मामलों को पकड़ा है उनके बारे में एक श्वेत पत्र जारी करें और श्वेत पत्र जारी करके लोगों को बता दें कि कौन-कौन से मामले आपने पकड़े तो मैं समझता हूं कि सारे मामलों का खुलासा हो जायेगा।

मेरी अनुपस्थिति में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात यहां कही। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिये केन्द्र सरकार के माध्यम से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी। चीफ सैक्रेटरी उसके अध्यक्ष थे और डायरेक्टर ऑफ पंचायत व डायरेक्टर प्राइमरी एण्ड सैकण्डरी एजूकेशन, उप सचिव (वित्त) उस कमेटी के सदस्य बनाये थे। शिक्षा विभाग का कोई लेना-देना उसमें नहीं था। उसके बावजूद भी मैं मांग करता हूं कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड पर भी किसी भी व्यक्ति ने कोई घोटाला किया है तो उसका आप पर्दाफाश करिये। हम आपको उसमें सहयोग देंगे। लेकिन केवल मात्र ट्विस्ट करके किसी के बारे में कुछ कह दें तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। मेरे वक्त में तो इस प्रकार की कोई खरीद नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खरीद तो आपके ही वक्त में हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हुई है तो बता दें। उसमें राज्य सरकार के विभाग का कोई लेना देना नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : सारी खरीद आपके समय में हुई है, पर आप अपने पर शक क्यों कर रहे हैं ? हमने तो कुछ नहीं कहा, जांच तो चल रही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप अपने ऊपर शक क्यों कर रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कोई शक नहीं कर रहा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो फिर सफाई क्यों दे रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं यह कहना चाहता हूं कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में....

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक मिनट। यह पाइन्ट आपने रेज क्यों किया ? आप किस की सफाई दे रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आप तो मेरा समर्थन करें कि जो करप्शन के मामले पकड़े गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शिक्षा विभाग इसमें कहीं भी बीच में नहीं आता। क्योंकि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

शिक्षा विभाग को तो एक्सक्लूड किया गया था इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शायद आपको लग रहा है (व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं कि पकड़ा गया, गड़बड़ मालूम हुई है, इसमें तो आपको....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं इसलिये बोला, मुख्य मन्त्री जी, आपने कहा कि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार मुझे सूझा नहीं। तो मेरे वक्त में तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिकायत नहीं आई, यही तो अफसोस है मुझे। आपके विभाग में गड़बड़ होती रही और आपको जानकारी नहीं हो पायी। उस समय आप ही शिक्षा मंत्री थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको तो स्वयं को मालूम है कि यह सारी खरीदें मार्च के अन्त में होती हैं, और मैं तो जुलाई में ही हट गया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय आप शिक्षा मंत्री थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जुलाई में हट गया था, दूसरे शिक्षा मन्त्री आ गये थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब आपकी कांग्रेस के दूसरे शिक्षा मन्त्री थे, उनका....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा विभाग के माध्यम से खरीद हुई ही नहीं। भारत सरकार की गाइड लाइन्स के आधार पर कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने ही खरीद की थी। उसमें कोई भी बात हुई है तो उसकी जांच करवालें, हमें इसमें कुछ नहीं कहना।

कुछ मामले, उपाध्यक्ष महोदय, हमने सदन में उठाये, उनकी भी आप बेरी कमीशन से जांच करवा लें। कुछ जमीनों से सम्बन्धित हैं और कुछ आपके अलग-अलग आफिसर्स के बारे में मामले यहां आये। आपने बेरी आयोग को कुछ मामले दिये। आज सदन समाप्त हो रहा है, तो आप बतायें कि बेरी आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? जैसे पंडित रामकिशन जी ने कई बार मैसर्स कल्याण सुन्दरम् के सीमेन्ट के मामले को उठाया। ऐसे अनेक मामले आपके सामने आये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडितजी ने जो मामला उठाया है, वह सही है या गलत है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सही उठाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडितजी ने मामला तो सही उठाया, यह मामला सही है या गलत है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : सही उठाया है मामला।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही उठाया है, तो यह आपके राज में हुआ है घोटाला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपको एक बात बता दूं, उस समय हमने इसकी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जांच करा दी थी, कोर्ट में भी हम ही लेकर गये थे। तो ऐसे मामलों में आपसे यह उम्मीद की जाती है कि कम से कम आप भ्रष्टाचार को संरक्षण तो न दें। जो-जो मामले सदन में डिस्कस हुए हैं, आप बेरी आयोग को दे दें। एक मामला, उपाध्यक्ष महोदय, 131 के अन्तर्गत उठाया गया था, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा। विद्याधर नगर में यहां पर जे.डी.ए. ने कुछ लोगों को जमीन अलाट की है। सरकारी कर्मचारी हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन्होंने जे.डी.ए. में पैसे जमा करा दिये। जिन्होंने पैसे भरे हुए हैं, जे.डी.ए. में और जे.डी.ए. से जमीन आवंटित हुई है, उन्हीं को मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे मामलों के ऊपर आप ध्यान दें। एक आपने जे. डी. ए. का विकास शुल्क आपके कई लोगों ने, नेताओं ने, भंवरलाल जी का नाम मैं लेना चाहूंगा, गिरधारीलाल जी भार्गव ने कहा 25 रुपये कर देंगे। आपको जो भी करना है 45 रुपये रखने हैं, 40 करने हैं, 50 करने हैं उसके बारे में फैसला करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भी बता दो जो गई पिछली सरकार ने, आप वाली सरकार ने जो फीस रखी, वह वाजिब थी ना ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमने जो परिस्थितियां देखी थीं, उस समय जो रखी थी, वह ठीक रखी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रखी तो वाजिब ही थी ना ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : लेकिन आपने 25 रुपये की घोषणा की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह हमने की होगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो रखी वह तो वाजिब थी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपके चक्कर में आऊंगा नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह राइट आफ रिप्लाई है। आप बीच में डाइवर्ट क्यों करते हो इनको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप उसको 25 रुपये करिये। क्योंकि आपके लोगों की यह घोषणा है, नहीं तो यह लोगों के साथ वायदा खिलाफी होगी।

इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कोलायत गजनेर लिफ्ट, साहवा चूरू लिफ्ट, पोकरण और फलौदी लिफ्ट और पलाना लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट का काम भी पिछले सवा वर्ष में आगे नहीं बढ़ सका है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप आगे बढ़ायेंगे।

राजस्थान के पर्यटन विकास के लिए जो डेजर्ट काम्पलेक्स, मेवाड़ काम्पलेक्स और सैंट्रल काम्पलेक्स, यह तीनों जो योजनाएं बनी थीं, इन योजनाओं की क्रियान्विति भी सही ढंग से नहीं हो रही है। आज हमारा जयपुर गोल्डन ट्राइंगल के अन्तर्गत आता है। जयपुर, दिल्ली, आगरा। जयपुर के

(178)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पर्यटन स्थलों का विकास सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। अलवर, भरतपुर यहां के सैण्ट्रल काम्पलैक्स का भी विकास एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर किया जाना चाहिये। जैसलमेर बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर और जालौर, जो हमारे रेगिस्तानी इलाके हैं और जहां कैराडू जैसे 11 वीं शताब्दी के पुराने मन्दिर बने हुए हैं और जहां पुरानी कलाकृतियां बनी हुई हैं, उनको हमको संरक्षण देना चाहिये और डेजर्ट काम्पलैक्स का एक समयबद्ध विकास किया जाना चाहिये। आर्ट एण्ड कल्चर डिपार्टमेण्ट में नेशनल स्कूल आफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक जिसके बारे में कांग्रेस शासन के वक्त में पुरजोर मांग की गई थी और जो निर्णय की स्थिति में थी, उसकी आज क्या पोजीशन है, इसके बारे में कला और संस्कृति मंत्रालय, मैं समझता हूं कि उदासीन है। इसको आगे बढ़ाना चाहिये। इसके माध्यम से, 50 लाख रुपये की लागत से यह स्कूल हमारे यहां आ सकता है और जो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर का जो पुराना संगीत का घराना है, उनको हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। ऐसे अनेक बिन्दु उपाध्यक्ष महोदय हैं लेकिन मैं समय सीमा को ध्यान में रखता हुआ अंत में एक बात कहना चाहूंगा, माननीय मुख्य मन्त्रीजी आपके साथ हमारे पूर्व विधायक स्व गोकुलप्रसाद जी इस सदन में रहे उनके नाम से मूर्ति लगाने का निर्णय पिछले एक-दो साल से पैण्डिग है। कम से कम ऐसे निर्णयों के बारे में तो आप मंत्रियों को कहें कि जो इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं, जिनकी पब्लिक लाइफ रही है उनके नाम से यू. आई. टी. सर्वसम्मति से निर्णय करके भेजें, उनके फैसले तो कम से कम जल्दी से जल्दी किये जायें। आज गोकुलप्रसाद जी की मूर्ति बीकानेर में लगे, मुरलीधरजी की भी लगे, यह कांग्रेस के शासन में लगाई है और जो सार्वजनिक जीवन में रहते आये हैं, उन लोगों के बारे में सवा-सवा साल तक स्वायत्त शासन विभाग फैसला नहीं ले, मैं समझता हूं कि इसके कारण से आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो निर्णय विचाराधीन हैं, उन निर्णयों को जल्दी से जल्दी करेगी और अंत में एक सुझाव कि कांग्रेस के शासन में भी आप इस बात को एप्रीशिएट करेंगे कि विश्वविद्यालयों में, नगर विकास न्यासों में विधायकों के नोमिनेशन होते रहे हैं। जब हमारे वक्त में यू.आई.टी बनी हुई थी तो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य उसमें एज एम.एल.ए. वहां पर थे, लेकिन आज पूरे राजस्थान में एक्स आफिशियो मैम्बर नगर विकास न्यासों में और अलग-अलग स्थानों पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक्स आफिशियो एम. एल. ए. जो है, वह किसी भी पार्टी का नहीं है, इसके बारे में आपको निर्णय लेना चाहिये, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मांग के अनुसार शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, लगभग 12 वक्ता बोलने वाले हैं। मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी साढ़े 6 बजे इसका जवाब देवें, इसके लिए संक्षेप में 10-10 मिनट का समय निर्धारित किया जाये तो उत्तम रहेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह अभी गाज क्यों गिर रही है। एक घण्टे बाद ही दे देंगे जवाब। बात क्या है ?

सुश्री पुष्पा जैन : पर्यटन विभाग सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए ही सिर्फ बता दूं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो केन्द्र सरकार ने पांच सालों में 170 लाख रुपये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। प्लीज। (व्यवधान) कृपया बिराजिये। कृपया सहयोग कीजिये। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप अभी जवाब दे रही हैं। और सदस्य भी बोलेंगे, सरकार जवाब दे, बाद में। आप बीच में खड़े होकर कल्लाजी की बात को सपोर्ट कर रही हैं। नहीं यह मिली भगत से कुश्ती लड़ना चाहेंगी, हाउस में यह नहीं चलेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : She would be the Chief Minister.

सुश्री पुष्पा जैन : मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी साहब। कान्त साहब।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या-2 को पारित करने जा रहे हैं। साल भर हुआ है हमको, दो बार हमने बजट पेश किया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण हुए और उसके अन्दर से तीन चीजें विशेष रूप से बाहर आई, संवेदनशील सरकार, नम्बर एक, पोलिटिकल बिल, दो और समग्र विकास। इन तीनों चीजों पर हमारा बजट खरा उतरा या नहीं। हमने जिस प्रकार से इस बजट की रचना की, जिस प्रकार से खर्चों की रचना की, वह बराबर उतरा या नहीं, इस परिप्रेक्ष्य के अन्दर हम देखने जायें तो हमारा बजट पूर्णतया खरा उतरा है। उससे पहले थोड़ी सी सामाजिक न्याय की बात मेरे समक्ष आई थी तो मैं पूछता हूं कि सामाजिक न्याय के अन्दर आने वाले मूल वर्गों को इस बजट से पूरा लाभ मिला है या नहीं। मैं ज्यादा आंकड़ों के अन्दर तो जाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे आंकड़ों की बाजी ज्यादा आती नहीं है। लेकिन उसके कारण जो वास्तविक चीज है, वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जैसे अर्थशास्त्रियों की इस पर टिप्पणी रही थी कि इस बजट के अन्दर कर नहीं तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। बजट के अन्दर घाटों की चरम माला लगी हुई है। हमेशा घाटे वाला बजट प्रस्तुत होता रहा है। इस बार बजट के अन्दर घाटा कम है। इन सब चीजों को देखते हुए, अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से बजट तो प्रशंसनीय है ही। बाकी हम इसके अन्दर हमारी मांगें प्रस्तुत करते हैं, राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस बजट के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय की दृष्टि से उस अन्त्योदय के रूप में उस गरीब को संभाला गया है या नहीं, पहली दृष्टि इसी पर जाती है। सामाजिक न्याय की अगर बात आती है तो इस प्रान्त के अन्दर रहने वाला 80 प्रतिशत किसान, उसकी तरफ ध्यान गया है कि नहीं। गांवों का प्रदेश यह राजस्थान उसके अन्दर 62 प्रतिशत बजट उसके अन्दर

(श्री टीकमचन्द कान्त)

गया है कि नहीं। दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए, रोजगारों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके ऊपर सैल्स टैक्स कम हुआ है या नहीं। इस प्रकार से जिन ढाणियों को आज तक नहीं सम्भाला गया है, न गांवों को आज तक सम्भाला गया है, आज वह भी अन्त्योदय की श्रेणी में आते हैं। उन तक पानी पहुंचाने की योजना हम कर रहे हैं कि नहीं। इन सारी बातों को देखते हुए सम्पूर्ण सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण इस बजट से ही प्रकट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रान्त के अन्दर, या देश के अन्दर चरित्र नहीं हो, तो वह प्रान्त या देश आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी जनता के अन्दर चरित्र नहीं है तो यह पहला प्रयास है, आज भैरोंसिहजी मुख्य मन्त्री का जिसमें नैतिक शिक्षा के नाम पर एक पाठ्यक्रम शुरू किया, जिससे नागरिक ऐसे तैयार होंगे कि इस प्रदेश के लिए कुछ कर पायेंगे, देश में चरित्र निर्माण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई की बात कर रहे थे। हमको आंकड़े दे रहे थे। महंगाई राजस्थान प्रदेश के कारण नहीं बढ़ी है, हमने बजट वह पेश किया है जिसमें महंगाई बढ़ने का कोई कारण नहीं है। छद्मवेश में बैठी हुई कांग्रेस, केन्द्र में आगे चन्द्रशेखर जी थे पीछे कांग्रेस थी, कारण है महंगाई का। इसके पीछे एक आधार लिखा था ...

श्री रतनाराम चौधरी : वी. पी. सिंह के पीछे कौन था ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : रतनारामजी, हम साथ थे लेकिन हमने कहा था, वी. पी. सिंहजी, बेरोजगारी आपके कारण बढ़ रही है, आपके कारण महंगाई बढ़ रही है, आपके कारण यह सब कुछ हो रहा है, हम किसी भी समय आपका साथ इन मुद्दों पर छोड़ देंगे। वह मुद्दा भी शामिल है। इसलिए महंगाई हमारे कारण नहीं बढ़ी, राजस्थान के बजट के कारण महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई बढ़ने का कारण कांग्रेस है। कांग्रेस के आज से पहले तक जो भी बजट आये, जो भी योजनाएं आयीं उनसे दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती गयी। उसका कारण कॉंग्रेस रही है, उपाध्यक्ष महोदय, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी या राजस्थान सरकार नहीं रही।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पिछले वर्ष के बजट भाषण और राज्यपाल के अभिभाषण की तरफ ले जाना चाहूंगा। शायद 769 करोड़ की वार्षिक योजना थी। पिछली बार बात करते हुए माननीय रामकिशनजी ने कहा था कि 20-22 प्रतिशत बजट तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर 769 करोड़ को पहले ही वर्ष में 956 करोड़ नहीं करवाया होता तो आज 1166 करोड़ की वार्षिक योजना नहीं होती। यह पहले वर्ष का प्रयास है कि पहले वर्ष में ही हमने 769 करोड़ को 956 करोड़ तक बढ़ाया है, तब आगे जाकर 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1166 करोड़ हम भोग रहे हैं। नहीं तो अधिक से अधिक 924 करोड़ की होती इस वर्ष की योजना, इससे अधिक नहीं बढ़ती। प्रयास इस सरकार ने आते ही प्रारम्भ किये हैं कि इस प्रान्त को कितना अधिक पैसा मिले, इसकी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

योजनाएं कितनी विस्तृत हों, किस प्रकार यह प्रदेश आगे बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, बात कही गयी राम और रोटी की। जवाब तो देना पड़ेगा, हालांकि बहुत-सा जवाब माननीय नेता ही देंगे क्योंकि मैं भी उस पार्टी का आदमी हूं। राम से हमारा मतलब राम राज्य से है। राम राज्य की कल्पना इस देश के अन्दर स्वतन्त्रता से पूर्व की गयी, उसके आधार पर पूरा स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा गया। गांधीजी राम राज्य की बात कहते कहते चल बसे। हमारा इस राम से मतलब राम राज्य से है और राम राज्य से मतलब है सम्पूर्ण सामाजिक न्याय, सम्पूर्ण समाज के अन्दर न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, एक-एक अंग को न्याय, कोई भेदभाव नहीं। राम से हमारा मतलब राम राज्य से है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार कुछ देगी तभी मिलेगा राम राज्य में।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया : ये तो राम, रहीम और राज्य की बात कर रहे हैं। वही विषय है, नारा एक ही है।

श्री टीकमचन्द कान्त : इस बार अगर चुनाव लड़ा जायेगा तो चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा कि अब तक स्पष्ट नीति वाली भारतीय जनता पार्टी ने शासन नहीं किया। आज तक हम किसी को सहारा देने में ही रहे। सिर्फ इस बार हमने ललकार मारी है, इस बार हम अकेले केन्द्र के अन्दर शासन करना चाहते हैं, नयी दिशा देना चाहते हैं। नयी नैतिकता, नया चरित्र और राम राज्य हम लाना चाहते हैं। यह कारण है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इन 26 को क्या दोगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप राम के नाम पर जीतकर नहीं आये हो। जनरल सीट पर लड़ो तब। शिड्यूल्ड कास्ट के वोटों पर जीते हो, शिड्यूल्ड कास्ट की सीट पर जीते हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री टीकमचन्द कान्त : ऐसा है, लड्ढा साहब कि हम और आप तो एक ही कमेटी में बैठे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप शिड्यूल्ड कास्ट पर जीत पर जीतकर आये हो।

श्री टीकमचन्द कान्त : हां, मैं शिड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट की बात आयी। यह डा. अम्बेडकर का शताब्दी वर्ष है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मन्त्रीजी को. आज तक के बजट उठाकर देख लीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, किसी योजना के तहत डा. अम्बेडकर के नाम पर कुछ नहीं चलाया गया। आज हमारे इस बजट में बालमीकी के नाम पर, एकलव्य के नाम पर, डा. अम्बेडकर के नाम पर संस्थाएं चलाने की बात, प्रशिक्षण केन्द्र चलाने की बात कही गयी है। कुछ नाम होते हैं जो किसी के सीने के साथ जुड़े हुए होते हैं, हृदय के साथ जुड़े होते हैं, आत्माओं

(श्री टीकमचन्द कान्त)

से जिनका सम्बन्ध होता है। चालीस साल तक....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह डा. अम्बेडकर की ही मेहरबानी है....

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को डा. अम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने तो डा. अम्बेडकर को हराया, आपको मालूम है। डा. अम्बेडकर कभी कांग्रेस में नहीं थे, डा. अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी आफ इण्डिया अलग बनायी। डा. अम्बेडकर ने कहा था, हरिजनों! कांग्रेस के अन्दर रहकर तुम समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी राजनीति समाप्त हो जायेगी, तुम्हारी पावर समाप्त हो जायेगी। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में और डा. अम्बेडकर में कोई सम्बन्ध ही नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत की तीन पुस्तकें पवित्र मानी जाती हैं-बाल्मीकि रामायण, भारत का पवित्र संविधान और महाभारत, जिसमें गीता का ज्ञान है। आज ये बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, दलितों ने, पिछड़ों ने इस समाज को कुछ दिया ही है, लेकिन इन्होंने आज तक हमको याद नहीं किया। रामायण के रचियता हैं बाल्मीकि, जो पिछड़ा हुआ था दलित था। महाभारत, गीता का ज्ञान देने वाली, के रचियता जिसको पिछड़ी जाति का कहते हैं वह यादव था। भारत के संविधान के रचियता डा. अम्बेडकर, वह भी दलित था। इस समाज को दलितों ने कुछ दिया है, पिछड़ों ने दिया है। आज हमारी सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। मैं भावनाओं की कद्र करता हूं रुपया कितना आयेगा वह देखा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सूखा अरावली इस प्रदेश में, मरु भूमि इस प्रदेश में, बंजर भूमि इस प्रदेश में, पानी का घाटा इस प्रदेश में। सब तरफ सोचने का जहां तक विचार था इस बजट में सम्पूर्णतया सोचा गया। अरावली की पहाड़ियां हरी-भरी हो जायं, मरु प्रदेश का विकास हो जाय,... मरु भूमि का विकास हो जाय....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 40 साल से मेरा रेवदर पिछड़ा है, उसके विषय में कहना चाहूंगा। इस बीच में घण्टी नहीं बजायें मेहरबानी करके। 3-4 चीजें कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, रेवदर पिछड़ा हुआ इतना पिछड़ा रहा कि उसके विकास की आधार भूमि भी तैयार नहीं हो पायी। सड़कों का वार्षिक औसत देखना चाहें तो प्रति सौ वर्ग किलोमीटर वह है 55 किलोमीटर का, राजस्थान में देखना चाहें तो वह 17 आता है और रेवदर में यह जाकर साढ़े सात-आठ का बैठता है। इतना बड़ा असन्तुलन उस क्षेत्र के साथ है। आप देखना चाहें तो सिराही से मण्डार-रेवदर होती हुई जो सड़क जाती है उस पर ट्रैफिक कितना बढ़ गया है कि साढ़े तीन हजार से पांच हजार वाहन उस पर से निकलते हैं। वह रोड जाकर गुजरात में मिलती है। क्या आज तक सी. आर. एफ. का पैसा नहीं आ सकता था, इण्टर स्टेट बार्डर मानकर

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उस पर पैसा खर्च नहीं किया जा सकता था ? आज तक उस क्षेत्र पर पैसा खर्च नहीं हुआ। सिर्फ बाकोलिया जी, बूटासिंह जी या फिर गढ़वी साहब, जो पालनपुर के थे, की राजनीति के कारण रेवदर पिछड़ा बना रहा। हमारा सौभाग्य है कि आबू हमारे पास है। राजस्थान में आबू से बहता हुआ चार हजार क्यूबिक फीट पानी आज भी गुजरात बहकर जा रहा है। करीबन 1200 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र है, जिसमें एक लाख हैक्टेयर भूमि को पानी पिलाया जा सकता है। चार हजार क्यूबिक फीट पानी को रोकने की योजना आज तक इन लोगों ने नहीं सोची। सूकड़ी सेर वाला बांध बन जायेगा, आज तक यह आश्वासन देते रहे। बूटासिंहजी वहां आये और आश्वासन देकर चले गये। यहां पहले बैठे बाकोलियाजी ने ढोल बजाकर गुड़ भी खा लिया लेकिन सूकड़ी सेर वाला बांध नहीं बना पाये। आज भी रेवदर की जनता यह कह रही है कि मुझे सूकड़ी सेर वाला बांध दिया जाय। किरोड़ीधज जैसे बांध से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी रोका जा सकता है, वहां की जमीन को सरसब्ज बनाया जा सकता है करोड़ों रुपये खर्च हुआ वह योजना आज तक किस स्टेज पर है और 50 लाख का तो 10 लाख के बाद में तो बहुत कुछ हो गया होगा। ढाई करोड़ रुपये के ऊपर, 2 करोड़ 12 लाख की बन गई आदिवासी योजना, आदिवासी क्षेत्र की योजना है अब तक उस पर इस बीच में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि इस पर सिंचाई मंत्रीजी इस क्षेत्र को खुद देखें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नींद आ रही है सिंचाई मन्त्रीजी को।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं वह गंभीरता से सुन रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहनी है कि जन सहयोग से जो सारे कार्य हो रहे हैं वह बहुत ठीक हो रहे हैं। 30 और 70 पर्सेण्ट वह भी ठीक है लेकिन शिक्षा के मामले में थोड़ा चाहूंगा कि अभी हमारे बजट की स्थिति ठीक नहीं है, पैसा अगर हमारे पास नहीं है मगर जब तक नहीं कर रहे हैं, नहीं खुलते हैं और हम नहीं कर पाते हैं तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए जिन-जिन गांवों के अन्दर वह नार्म्स में आते हों कि इतने लड़के, इतनी दूरी हो उन स्थानों पर आप कह दीजिये कि मान्यता प्राप्त अग्रिम कक्षाएं प्रारम्भ कर दें। हम गांव वालों को आधा पैसा देने के लिए कह देंगे, आधा पैसा सरकार दे दे, दोनों मिलकर हम इस कार्यक्रम को चलायें। एक शिक्षा समिति बनाई जाय ऊपरी तौर पर और जब 2 साल, 3-साल के बाद में आप अपने पूर्ण अधिकार में उनको ले लें तब तक के लिये हमको कहिये। गांव वाले तैयार हैं आधा खर्च देने के लिये। इस प्रकार की शिक्षा के अन्दर, हमारे बजट के अन्दर नम्बरों की कमी पड़ रही है उसको बढ़ाया जा सकता है और इसका भी स्वागत होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि 100वीं शताब्दी वर्ष डा. अम्बेडकर की, एक काम तो कीजिये, हालांकि हम लोग जब दिल्ली पहुंचे तब

(श्री टीकमचन्द कान्त)

कहीं जाकर डा. ग्रम्बेडकर का चित्र दिल्ली के ग्रन्दर सैन्ट्रल हाल के ग्रन्दर लगा है। ग्रब मैं चाहता हूं कि राजस्थान के ग्रन्दर, मैं जानता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जनजाति के प्रति उनका कितना हित है वह बजट के ग्रन्दर देखने को मिल जायेगा। मैं चाहता हूं कि उनकी यादगार के ग्रन्दर प्रत्येक जिला कार्यालयों पर, यानी जिला कलेक्टर्स जहां बैठते हैं, जहां एस.डी. एम. या उप खण्ड ग्रधिकारी बैठते हैं उनके कक्ष के ग्रन्दर डा. ग्रम्बेडकर की तस्वीर लगाना इस बार ग्रनिवार्य कर दें कम से कम।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा में डा. ग्रम्बेडकर का फोटो लगना चाहिए, मुख्य मन्त्री जी को इसकी घोषणा करनी चाहिये यहां ग्राज।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापका सुझाव सुन्दर है।

श्री रामनारायण वर्मा : इस सम्बन्ध में हम सबका पूरा समर्थन है। प्रस्ताव ले लिया जाय। गवर्नमेन्ट को ग्रौर मुख्य मंत्री जी को बाध्य किया जाय कि डा. भीमराव ग्रम्बेडकर की फोटो लगे ऐसी व्यवस्था की जाय। (व्यवधान)

श्री ग्रोमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : परचे पकड़ना मत सीखो ताकि चोरी पकड़ी जाय। इन्होंने बोल दिया ग्रौर ग्राप भी बोलने लग गए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जरूरी है कार्यालयों के ग्रन्दर ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जनजाति के लोगों की नौकरियों के ग्रन्दर बैकलाग रहा कौन है इसका कारण ?

श्रीमती तारा भण्डारी : कांग्रेस।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पिछले वर्ष में कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जब कि डी.पी.सी. बैठने वाली है ग्रौर लगता है कि उसके ग्रन्दर ग्रनुसूचित जाति के कर्मचारी या ग्रधिकारी का प्रमोशन हो जायेगा उसके पहले....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। क्या पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है ? कहीं पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज नहीं होता है। ग्राप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : लड्ढा साहब ग्राप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि डा. ग्रम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाय....

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप बिराजिये। वह बोल रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी बात पूरी ग्रा जाने दीजिये। माननीय सदस्य डा. ग्रम्बेडकर की बात कह रहे हैं यहां राज्यपाल के पद पर श्री सुखदेव प्रसाद जी हो गये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप सुन तो लीजिये। उनका यहां बरामदे में चित्र लगा हुआ है उसमें उनके नाम के आगे माननीय नहीं लिखा हुआ था। शिड्यूल्ड कास्ट के राज्यपाल थे इसलिये माननीय नहीं लगता और आप डा. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति का रहा हुआ बैकलाग उसको पूरा करवाया जाय और इसके साथ डी.पी.सी. बैठने की है और डी.ई. खोली गई, मान लीजिये 11 तारीख को डी. पी. सी. बैठ रही है और 7 तारीख को अनुसूचित जाति के कर्मचारी/अधिकारी के ऊपर डी. ई. खोल रहे हैं, कैसे उसका प्रमोशन होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुराने समय से चलती आ रही हैं जिनको आज तक संरक्षण मिला आ रहा है। उस संरक्षण को हटायें। इस बारे में चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्रीजी श्री भैरोंसिहजी शेखावत एक साथ उन सब फाइलों को मंगायेंगे और जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग पदोन्नति से वंचित रह गये हैं उनका बैकलाग पूरा करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : एक चीज और पुलिस के अन्दर 5 मार्क्स हमारे लोगों के कम कर दिये गए। 5 मार्क्स का हमको लाभ मिलता था वह 5 मार्क्स हमारे कम कर दिये गये। यह भी अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि वह 5 मार्क्स का लाभ हमको दिया जाय।

मैं तो एक और चाहूंगा कि हमारी जितनी जनसंख्या है उनके अनुपात में थाने और पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ी है क्या, और यदि नहीं बढ़ी है तो विशेष भरती अभियान चलाया जाय और एस.सी. और एस टी. के लोगों को शारीरिक दृष्टि से कोई रियायत नहीं दी जाय, शारीरिक दृष्टि से पूर्ण पुष्ट व्यक्ति, रियायत हमको नहीं चाहिये उन लोगों की भर्ती की जाय और कमी पूरी की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पूरा कीजिये। समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री टीकमचन्द कान्त : कुल मिलाकर मैं अपनी तरफ से इस बजट का पूर्ण समर्थन करते हुए, इस बिल का पूर्ण समर्थन करते हुए वित्त मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी, श्री भैरोंसिह जी को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पण्डित रामकिशनजी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मैं सदन में नहीं था आप निर्वाचित हुए, मेरे पड़ौस में बैठते थे इसलिये आशा करता हूं कि मेरे साथ थोड़े आप विनम्र रहेंगे।

(श्री रामकिशन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक का मतलब केवल इतना सा है कि सरकार की दिशा की हमें जानकारी मिल गई, किस विभाग को कितना पैसा मिला, विभाग की गतिविधियां क्या होंगी इसकी जानकारी इस बिल के मार्फत सदन को हो चुकी है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि सब माननीय सदस्य जानते हैं सरकारी पक्ष के भी और प्रतिपक्ष के भी कि राजस्थान एक पिछड़ा राज्य है लेकिन यह पिछड़ा हुआ राज्य केवल इसलिये नहीं है कि यहां पर आर्थिक संसाधन नहीं हैं। आप जानते हैं कि यहां पर प्राकृतिक सम्पदा उड़ीसा के बाद कई राज्यों से बहुत ज्यादा है लेकिन उस सम्पदा का उपयोग नहीं होने की वजह से इन पिछले 40 सालों में जितना हमें विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं कर सके। और इस बजट से अब यह अन्दाजा नहीं लग पा रहा है कि इस विकास की गति को हम आगे बढ़ा पायेंगे ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे देश में महगाई है, भ्रष्टाचार है और बेरोज-गारी है और यह इस गति से बढ़ रही है और इस तरह से देश भर में बढ़ रही है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा समाज इन तीन समस्याओं के समाधान के बगैर चाहे टूट जाय, तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानकारी करना चाहूंगा कि क्या इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास कोई विकल्प है, उनकी कोई योजना है ? जिस दिन इस बजट पर बहस शुरू हुई थी उस समय तारानगर से आने वाले मान-नीय सदस्य ने महंगाई की चर्चा की थी। आज महंगाई किस कदर बढ़ रही है इसका सरकार के पास कोई इलाज है ? तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को इतना तो दुरुस्त करना चाहता हूं कि महंगाई केवल राजस्थान में ही नहीं है। महगाई कर्नाटक में भी है, महंगाई आंध्रप्रदेश में भी है, महंगाई उड़ीसा में भी है, महंगाई बिहार में भी है और महगाई उत्तर प्रदेश में भी है अर्थात् सभी दलों की सरकारों में महंगाई है। सवाल यह उठता है कि इतनी महगाई आखिर है क्यों ? इतनी महगाई बढ़ने का कारण क्या है ? यह महंगाई की चर्चा करने से महंगाई नहीं रुकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि जो माननीय वित्त मन्त्रीजी ने बजट की समीक्षा पेश की हमारे सामने उसमें यह साफ लिखा हुआ है हमारे राजस्थान के नागरिकों की साल भर की आमदनी में 4.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ है एक वर्ष में। राज्य की आय में बढ़ोतरी हुई है 7.3 पर्सेन्ट और मुद्रा स्फीति की दर है दस पर्सेन्ट। जब मुद्रा स्फीति की दर 10 पर्सेन्ट है और राज्य की आमदनी में 7.3 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है और प्रति व्यक्ति आमदनी 4.6 पर्सेन्ट बढ़ी है तो सवाल यह है कि 35 पर्सेन्ट महंगाई कैसे हो गई ? इसके जिम्मेदार कौन हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो ठीक-ठीक अर्थशास्त्र को समझते हैं वह इन्फ्लेशन और प्रति व्यक्ति आमदनी इन दोनों के रेश्यो को निकालने से ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे यहां महंगाई 12–13 पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यह 35 पर्सेन्ट महगाई है तो इसका सीधा मतलब कोई आर्थिक बुनियाद नहीं है। बल्कि राज्य का, प्रशासन का व्यापार

(श्री रामकिशन)

से, समाज से सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया है। ऐसा लगता है मुझे कि सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है अन्यथा हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, हमारे यहां बरसात अच्छी हुई है, अनाज की पैदावार एक करोड़ टन से भी ज्यादा होने वाली है, चीनी का उत्पादन भी अब की साल एक करोड़ पन्द्रह लाख टन हो रहा है देश भर में, तेल का उत्पादन भी बढ़ा है। जब सारे उत्पादन बढ़े हैं और प्रति व्यक्ति आमदनी भी राष्ट्रीय आय से एक प्रतिशत कम है तो राजस्थान में 35 पर्सेन्ट महंगाई इसलिए बढ़ी है कि इस सरकार का बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं है, इस वजह से यह महंगाई बढ़ी है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं महंगाई की दृष्टि से हमारे यहां पांच बड़े-बड़े शहर हैं, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलौर, दिल्ली, मद्रास, लेकिन आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में हम से बेंगलौर आगे है, प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में हमसे बम्बई आगे है लेकिन महंगाई के मामले में जयपुर बेंगलौर के बाद सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, तो मैं इस सम्बन्ध में सरकार से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में....

श्री सम्पत सिंह : माननीय सदस्य, बम्बई के तो भिखारी की भी आमदनी यहां के प्रोफेसर से ज्यादा है।

श्री रामकिशन : इसीलिए कह रहा हूं कि जहां परचेजिंग पावर ज्यादा है वहां महंगाई ज्यादा होनी चाहिए लेकिन परचेजिंग पावर कम होते हुए भी जयपुर में महंगाई ज्यादा है। इस सम्बन्ध में यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी विचार करेंगे तो वह खुद पायेंगे कि उनका प्रशासनिक ढांचा बुरी तरह से चरमरा गया है कोई नियत्रण नहीं है। मनमानी लूट हो रही है उपभोक्ता की ओर इस सम्बन्ध में सरकार कुछ कर नहीं पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसका एक दूसरा कारण और भी है कि जनता दल की सरकार को गिरा कर, बी. जे. पी. ने समर्थन वापस लेकर यह सारा अपराध किया है। अगर सरकार केन्द्र में होती तो आपने देखा होगा जिस दिन जनता दल की सरकार गिरी थी उस समय तक बजट के घाटे में पिछली साल के मुकाबले 1500 करोड़ की कमी कर दी थी लेकिन उस सरकार के जाने के बाद आज स्थिति यह है कि बजट का घाटा बढ़ता चला गया। मुद्रा स्फीति की दर उस समय जो 7 पर्सेन्ट थी वह बढ़ कर 14 पर्सेन्ट हो गई और महंगाई की मार से सारा देश कराह रहा है। खास तौर से वह उपभोक्ता जिनकी आमदनी निश्चित नहीं, जिनके पास आमदनी के कोई जरिये नहीं है वह कराह रहे हैं और कोई भी सरकार इलाज नहीं कर पा रही है।

तो मैं एक तो इस सरकार पर यह दोष लगाना चाहता हूं कि इस सरकार ने जान बूझकर, भारतीय जनता पार्टी ने जान बूझकर बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता दल की सरकार को गिराया था। जिससे बड़े व्यापारी करोड़ों रुपये का मुनाफा कमा सकें। यह जो मैंने आंकड़े दिए हैं उससे साबित हो जायेगा कि सारा अपराध जान बूझकर सरकार ने और इस

(श्री रामकिशन)

दल ने किया है, इसकी वजह से इस देश में महंगाई है, राजस्थान में महंगाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, बेरोजगारी का सवाल ना भैरोंसिंह जी दूर कर सकते हैं न कोई विश्वनाथ प्रताप सिंह खत्म कर सकते हैं और ना कोई चन्द्रशेखर खत्म कर सकते हैं। सारे मामले को मैं समझ रहा हूं लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं कि आज राजस्थान में सरकारी सेवाओं में काफी स्थान रिक्त पड़े हैं, नौजवानों में जो निराशा है, कई नौजवान जो आत्म हत्या कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने किसी नौजवान ने आत्म हत्या कर ली थी, अगर यह रिक्त स्थानों की प्रक्रिया चालू रहे जगह को भरते रहें तो बेरोजगारी तो नहीं मिटेगी लेकिन जो नौजवानों में निराशा है, नौजवानों में जो आक्रोश है, नौजवानों में जो क्रोध है उसे हम कम कर सकते हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से, माननीय भैरोंसिंह जी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस सरकार ने इन पर पाबन्दी लगा रखी थी, यह सही है कि हमारे देश का बजट हमारे देश के राज्य कर्मचारियों की वजह से बिल्कुल प्रभावहीन हो गया है। हमने शुरू में सरकारी सेवाओं का इतना विस्तार कर दिया कि आज हमारे देश में विकास के लिये कोई पैसा उपलब्ध नहीं है। यह संकट है, इस संकट को हम भी समझते हैं। लेकिन मैं उनसे इतना निवेदन करूंगा कि इन पांच सात साल में देश में बेरोजगारी से जो विस्फोट होगा जिस प्रकार की देश में हिंसा हो रही है, जिस प्रकार की देश में निराशा है और जिस प्रकार की देश में मारकाट मच रही है उसमें सबसे बड़ा कारण है कि नौजवान बेरोजगार हैं, उनके पास कोई दिशा नहीं है। इसलिए शिक्षा नीति में परिवर्तन कब होगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कब होगा, संविधान में कब हम काम की गारण्टी की योजना ला सकेंगे, यह सब बातें तो है देर की लेकिन तत्काल हम एक काम कर सकते हैं जिसका कोई बड़ा असर नहीं सही लेकिन निराशा दूर करने के लिये नौजवानों में विश्वास जमाने के लिये हम यह कर सकते हैं कि जो स्थान रिक्त हैं उन सब रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी। अगर ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि सरकार सकारात्मक दृष्टि से कोई चिन्तन कर रही है। अन्यथा यह कह देना कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम इतने लोगों को रोजगार देंगे यह बिलकुल काल्पनिकी बात है। क्योंकि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह का आधुनिक करण हो रहा है, मैं समझता हूं बेरोजगारी घटने की बजाए बेरोजगारी बढ़ेगी।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अब की साल केन्द्रीय सरकार ने अलग-अलग विभागों में 14 हजार करोड़ का नियोजन किया है और 14 हजार करोड़ का नियोजन करने के बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे केवल सेवा में बढ़ोतरी हुई है 24 हजार की। इसका मतलब यह कि नई मशीन आने से रोजगार बढ़ने की बजाए रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। एक तरफ तो हम जा रहे हैं आधुनिकीकरण की तरफ, दूसरी तरफ बढ़ रही है बेरोजगारी, तीसरी तरफ देश में बढ़

(श्री रामकिशन)

रही है जनसंख्या । जनसंख्या के जो प्रांकड़े प्राए हैं प्रापने देखा होगा पिछले दस सालों में देश में साढ़े सोलह करोड़ लोग बढ़ चुके हैं । तो माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में मेहरबानी करके वह बेरोजगारों को रोजगार देने, जो नियुक्तियों पर पाबन्दी लगी हुई थी इस कदम को उठाकर वह एक नई शुरूप्रात कर सकते हैं, लोगों में विश्वास जमा सकते हैं ।

जहां तक खर्च कम करने का सवाल है माननीय वित्त मन्त्री जी जायेंगे वह जरूर कहेंगे....(व्यवधान) तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहेंगे कि यह पैसा कहां से प्राएगा, पैसे का क्या होगा, तो मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह केवल एक महकमे की फाइल को मंगाए प्रौर फाइल को मंगाकर देखें कि हम कितने पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं । मैं खास तौर पर उनको तीन चार मिसाल दिए देता हूं, ज्यादा तो नहीं, पर मैं तीन-चार मिसाल जलदाय विभाग की उनको देना चाहता हूं । जलदाय विभाग के मन्त्री जी यहां है नहीं प्रौर वह मन्त्री जी भी ऐसे हैं, भैरोंसिंह जी ने उनको सर्टिफिकेट दे रखा है कि उनसे ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं मन्त्री प्रौर मैं भी मानता हूं कि ईमानदार ही होंगे । लेकिन मेरा एक प्रारोप जरूर है कि वह अपने काम के मामले में गम्भीर नहीं हैं, बिल्कुल गम्भीर नहीं हैं । ईमानदार होंगे, ईमानदारी से काम भी करते होंगे लेकिन काम के मामले में उनकी कोई गम्भीरता नहीं है इसलिए प्रगर हम देखें तो हम यह पाएगें कि हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, वेकेन्सीज जो खाली हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं । कुछ विभागों की फाइल हम पकड़ लें प्रौर उनकी कमियों को देख लें तो हम देख सकते हैं हमारा पैसा बचाया जा सकता है । विभाग की हालत यह है उपाध्यक्ष महोदय, प्राज कोई विभाग पर बहस नहीं है लेकिन मैं तीन चार मिसाल इसलिए देना चाहता हूं कि किस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हो रहा है ।

इस विभाग ने प्रब से कुछ दिन पहले एल. एम. पी. से 25 रिग खरीदी थी, बोर करने की मशीन खरीदी थी 25, कई सौ करोड़ की मशीन खरीदी प्रौर प्राप देखेंगे साल भर से मशीन बेकार पड़ी हैं, मशीन खरीद ली, मशीन का काम चालू नहीं हुप्रा प्रौर तब तक मशीन खराब हो गई तो प्राप जांच करें कि जिम्मेदारी किस पर है ? यानि 25 मशीन एल. एम. पी. से पिछली सालों में खरीदी गई प्रौर वह मशीनें बेकार पड़ी हैं प्रौर विभाग वाले यह कह रहे हैं कि यह मशीन काम के लायक नहीं है । तो इसका मतलब है कि खरीद में कम से कम तीन-चार करोड़ का घोटाला हुप्रा है । इसी प्रकार से यह बडी योजना है, जयपुर के पानी लाने के लिए हमने एक योजना चालू की थी, प्राज हालत यह हैं कि वहां नलकूप बन गए, नलकूपों में पत्थर डाल दिए गए, करोड़ों रुपए के पाइप वहां पड़े हुए हैं । तो प्राज प्रगर इस विभाग को कसा जाए, जहां सबसे ज्यादा खरीद होती है तो मैं समझता हूं, हम लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं प्रौर

(श्री रामकिशन)

साथ ही हम मितव्ययता भी कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल यह है जैसा मैंने पहले कहा था कि मुख्य मन्त्री जी ने सारा काम अपने हाथ में ले रखा है और दिक्कत यह हो रही है कि इन विभागों को जितना कसना चाहिए उतना कस नहीं पा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करें।

एक चीज मुझे उनसे और कहनी है। मैंने बजट पर बहस शुरू करते हुये, मुझे पता नहीं कल परसों में क्या बहस हुई। मैं चला गया था बाहर स्वर्गीय डा. राम मनोहर लोहिया के जन्म दिन पर अकबरपुर में मेला था। मैं वहां गया हुआ था। इसलिए मुझे जानकारी नहीं कि मुख्य मन्त्री जी ने क्या किया है लेकिन उन्होंने एक सर्टीफाइड बीज की बात कही थी उस पर हम कन्सेशन देंगे। सर्टीफाइड बीज पर। मुझे पता नहीं वह दे पायेंगे या नहीं क्योंकि बीज खरीदा जाता है तो उसे फूड कार्पोरेशन खरीदता है उस समय पर्चेज टैक्स लग जायेगा तो वह टैक्स पेड आइटम हो गयी। उसमें से पचास प्रतिशत किस प्रकार से छूट देंगे। इसी प्रकार से मैंने कापी कागज का एक विरोधाभास था इस सम्बन्ध में मैंने जानकारी दिला दी थी। मुझे पता नहीं इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने क्या फैसला किया वित्त मन्त्री की हैसियत से मैं समझता हूं दोनों चीजों को साफ करना चाहिए।

तीसरा मेरा निवेदन खास तौर पर अभी माननीय सदस्य यह बोल रहे थे कि हम राम का राज्य लायेंगे। राम का राज्य आ जाएगा तो इससे बढ़िया दिन हिन्दुस्तान के कभी हो नहीं सकते लेकिन आप इस बात का मजाक तो मत करो। कम से कम इन शब्दों का इस्तेमाल, राजनीति से लोगों का विश्वास हट गया है, व्यापार से लोगों का विश्वास हट गया और अर्थतन्त्र से लोगों का विश्वास हट गया। कम से कम आप एक नाम तो ऐसा रहने दो जहां पर विश्वास जमा रहे। आप जो इस प्रकार के मजाक करते रहते हो बार बार राम का राज्य हम राम राज लायेंगे, हम रोटी लायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें तो भी कोई नुकसान नहीं होगा आप वाणी से नहीं आप कर्म से करके दिखाइये। मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी अब आप राम भक्त हो गये, आपका दल भी राम भक्त हो गया। कम से कम एक आध तो प्रमाण ऐसे दीजिए जिससे हमें ऐसा लगे कि सचमुच आप इस दिशा में बढ़ रहे है। आपने मन्त्रिमण्डल बनाया 40 का। आप जब इधर बैठते थे जब क्या कहते थे। तो शायद आप यह कहेंगे कि मैं संकट में था तो रामायण की चौपाई कही है : "धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिये चारी' तो आपके धीरज की परीक्षा पहली बार हुई थी और इसमें आप फेल हो गये। कहां है आप राम भक्त, हैं? कहां आप राम की मर्यादाओं पर चलने वाले? आप मर्यादाओं पर चलने वाले कहां हैं? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था इन सारे सवालों को आप इससे मत जोड़िये।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, परसों 25 तारीख को अयोध्या में था। अकबरपुरी

(श्री रामकिशन)

से अयोध्या गया था। अकबरपुरी से अयोध्या में मैं राम के मन्दिर में दर्शन करने भी गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस हुआ कि हिन्दुस्तान के तीर्थ जितने गन्दे हैं शायद संसार का कोई तीर्थ स्थान गन्दा नहीं है। जिस तरह अयोध्या की हालत थी हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मन्दिर बनाना चाहते हैं लेकिन अयोध्या की हालत देख कर मुझे ऐसा लगा कि संसार में कोई अगर दूसरा नर्क है आज की तारीख में तो अयोध्या है। तो हम सारे अपने तीर्थ स्थानों को पवित्र करने के लिए योजना बनायें, इस पर दबाव दें सरकारों पर केन्द्रीय सरकार पर भी दबाव दें। हमारे राज्य में जहां इस प्रकार के स्थान स्थान को पवित्र रखें इससे आकर्षण बढ़ेगा और लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है देश की। जहां हम लोग गये, लाखों दर्शन करने वाले लोग थे लाखों लेकिन मैंने तो एक भी चमकता हुआ चेहरा दर्शन करते हुए नहीं देखा। राम का चेहरा मुर्झाया हुआ था, जो हजारों वर्षों से कुपोषण की शिकार औरतें, बुढ्ढे और बालक केवल राम का दर्शन कर रहे थे। कोई चमकदार चेहरा राम का दर्शन करते देखा नहीं परसों। इतनी भयंकर गरीबी और उस गरीबी में इस तरह की गन्दगी। हमारे तीर्थ स्थानों को पवित्र करने के लिए मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा, मैं पुष्कर बहुत दिनों से नहीं गया हूं। लेकिन उनसे निवेदन करना चाहता हूं हमारे चार धाम में पांचवा पवित्र धाम पुष्कर है तो मैं कम से कम चाहूंगा वह अपने राज्य में पुष्कर को इतना आकर्षक बना दें कि हर स्थान, चाहे मस्जिद हो, चाहे मन्दिर हो, चाहे गुरूद्वारे हो अपने राज्यों में आकर्षक बनायें। आदर्श बनायें। आप अयोध्या को नहीं सुधार सकते, आप पुरी में सुधार नहीं कर सकते, लेकिन पुष्कर को आप पवित्र कर देते हैं, आकर्षक बना देते हैं, मर्यादाओं का पालन करने वाले कुछ वहां सूत्र कर देते हैं वह संस्थान खड़ा कर देते हैं तो अन्य राज्य सरकारें आपसे प्रेरणा लेगी और मैं मान कर चलता हूं सकारात्मक होगा आपका यह कदम।

मुख्य मन्त्री जी मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। आज बेकारी और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, महंगाई यह ऐसे सवाल हैं जो हिन्दुस्तान के सारे सार्वजनिक जीवन को निगल रहे हैं। संस्थाओं को तोड़ रहे हैं, विश्वासों को तोड़ रहे है। इन सारे के सम्बन्ध में मुझे आपसे इतना सा कहना है कि आप अब नई शुरुआत कर सकते है। आपको नई शुरूआत करनी चाहिए और जो दबे पिछड़े लोग हैं, आपने जो बजट रखा है निश्चित तौर से आपने कुछ अच्छे कदम भी उठाये हैं जिसकी सराहना मैं पहले कर चुका हूं। अच्छे कदम, लेकिन आपको आगे बढ़ कर इन रिक्शा चालकों की तरफ देखना चाहिये, हमारे असंगठित मजदूरों की तरफ देखना चाहिए, हमारे देश की जो हालत है उसकी तरफ देखना चाहिये। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आज इस देश में जितने रिक्शा है संसार के किसी भी देश में रिक्शा नहीं है। इस देश में जितनी वेश्यायें हैं, संसार के किसी भी देश में उतनी वेश्यायें नहीं है। तो मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं आदमी पर आदमी चढ़े इससे

(श्री रामकिशन)

ज्यादा कोई अपराध हो सकता है ? आप और घोषणा करें या नहीं करें और सब काम बाद में हो जायेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार रिक्शा चालकों को मुफ्त में रिक्शा दे रही है। मैं रिक्शा चलाने का विरोधी हूं। रिक्शा नहीं चलना चाहिए। लेकिन यदि रिक्शा बन्द नहीं हो तो कम से कम रिक्शा चालकों का शोषण तो बन्द हो जाना चाहिए। आज जो कुछ कमाते हैं आधा हिस्सा मालिक ले लेते हैं। आप बड़ा काम कर सकते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे। आज हमारी हालत यह है कि आसाम से राजस्थानी आ रहे हैं। आज देश चारों तरफ से टूट रहा है। देश में लग रही है आग। आज आ रहे हैं आसाम से लोग। मैं निवेदन करना चाहता हूं आसाम से जो लोग आ रहे हैं उनको बसाने की बात तो आप बाद में करेंगे लेकिन उनके बच्चों का एडमीशन नहीं हो रहा है। इसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी आप कुछ कर सकते हैं, बच्चों का एडमीशन, आसाम से आने वाले जो शरणार्थी हैं जो पुरुषार्थी हैं, जो किसी वजह से यहां आ रहे हैं वह अपने बच्चों को नहीं रख सकते। वह अपने बच्चों को एडमीशन नहीं दिला पा रहे हैं, स्कूलों में इसलिए कई प्रकार की समस्यायें खड़ी हो रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज ज्यादा लम्बी बात नहीं कर, मैं बजट में पहले कह चुका हूं। आज भी मैंने मुख्य मन्त्रीजी कुछ सुझाव दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बात पर गम्भीरता से विचार करें और अपने विनियोग विधेयक के समय आप एक आध ऐसी घोषणा करें जिससे गरीबों को सहारा मिले, गरीबों के लिए कोई रास्ता मिले। यहां माननीय थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने बजट की बहस शुरू करते समय एक बात कही थी कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी को रात-भर नींद नहीं आई। हर गरीब की उन्हें चिन्ता थी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है कि नींद दो प्रकार के लोगों को नहीं आती रात में ज्यादातर या तो जिसने किसी की हत्या कर दी हो या जिसकी पत्नी अत्यधिक सुन्दर हो। शुक्राचार्य ने दो ही सूत्र बताये हैं कि या तो किसी की हत्या की हो या किसी की पत्नी अत्यधिक सुन्दर हो। उपाध्यक्ष महोदय मैं मानता हूं आपने हत्या तो की नहीं

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसको पत्नी का डर हो।

श्री रामकिशन : यह हो सकता है। यह आप जानें। शुक्राचार्य ने दो बात कही है या तो हत्या की हो तो मैं मानता हूं आपने हत्या नहीं की। चरित्र हत्यायें तो जरूर की हैं। और अगर आपकी पत्नी अत्यधिक सुन्दर हो मैं नहीं मानता आपसे ज्यादा मेरी पत्नी बहुत सुन्दर है। मुझे खूब नींद आती है लेकिन आपको नींद नहीं आती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मेसेज भेज दूंगा तो आज रात का तो संकट टला।

श्री केदारनाथ शर्मा : जिनके पत्नी नहीं है उसे भी नींद नहीं आती है।

श्री रामकिशन : मैं इन चन्द शब्दों के बाद उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो मुद्दे मैंने उठाये बजट के समय आप उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमाकान्त शर्मा ।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर दुबारा कहना चाहूंगा....

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है दो उधर से बोलते हैं एक इधर से बोलता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह क्रम कब से कर दिया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : हमेशा का क्रम है। आगे अब आपका ही नाम है।

(6.00 सायं)

श्री रमाकान्त शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी इस बजट को बनाने के अन्दर मुख्य मन्त्रीजी ने खयाल रखा है पिछले चालीस वर्षों का बजट देखता आ रहा हूं। इस प्रकार का खयाल नहीं किया। पिछले सालों के अन्दर जब-जब बनता था केवल मात्र ब्यूरोक्रेसी, एक आय व्यय की फीगर्स बना देती थी और बजट के अन्दर वह आय व्यय का शब्दों के अन्दर विवरण दे दिया जाता था। अब इस पर बहुत भारी सोच किया गया है कि इस बजट के द्वारा हर वर्ग को कितना लाभ मिल सकता है। खास तौर से बजट के अन्दर जो 4-5 बातें होती हैं, बजट से किस प्रकार का आर्थिक परिवर्तन आया है, बजट से किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन आया है, बजट से किस प्रकार का क्षेत्रीय असतुलन बढ़ने वाला है या घटने वाला है, बजट से सैक्टरों के असंतुलन का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अन्दर क्या होगा, तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने वित्त मन्त्री की हैसियत से, जैसा मैंने बजट भाषण में कहा, उन सब बातों के बारे में बहुत गम्भीर चिन्तन के साथ में, एक नये सोच के साथ में यह बजट उन्होंने हमारे सामने रखा है। परन्तु मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेक्रो लेवल पर सोच है अभी वैसा सोच माइक्रो लेवल पर नहीं आ पाया है। ग्राउण्ड लेवल पर जो लोग काम करने वाले हैं या ब्यूरोक्रेसी जो सेक्रेटेरियट के अन्दर हैं उनका जो सोच है उनका सोच माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सोच के साथ में नहीं हैं।

मैं कुछ फीगर्स दे करके इस बात को बताना चाहूंगा। जैसे कृषि है, यह बात सही है कि कृषि के अन्दर इस साल में सरसों के उत्पादन में सारी दुनिया में हम प्रथम नम्बर पर आ गये हैं। तिलहन के अन्दर हमारी पैदावार 24.80 लाख टन है परन्तु देखने की बात यह है कि एक तरफ तो पैदावार या जी. डी. पी. के अन्दर इतना सारा कन्ट्रीब्यूशन कृषि का, उसी कृषि पर जो केपिटल फार्मेशन के अन्दर पैसा खर्च होना चाहिए था उद्योग के मुकाबले में, वह उतना नहीं खर्च हो पा रहा है। आप देखेंगे मेरे पास कई फिगर्स लिखे हुए थे, कृषि जो इनकम देती है या जी. डी. पी. कहिए या पर केपिटा इनकम कहिए या नेशनल इनकम कहिए वह 30.7 पर्सेण्ट है जबकि कृषि के केपिटल फार्मेशन के अन्दर हम केवल मात्र 12.3 पर्सेण्ट दे पा रहे हैं। और इनके पैरेरल यदि आप उद्योग को देखें तो वह पर केपिटा इनकम के अन्दर केवल 20 पर्सेण्ट दे पाती है जबकि उसके केपिटल फार्मेशन के अन्दर हम 25 पर्सेण्ट खर्च कर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रहे हैं। कृषि में हम जो कुछ भी केपिटल फार्मेशन में खर्च करते हैं उसका लाभ हमको तत्काल मिलता है, भावों को एकदम अरेस्ट करके रखता है लेकिन उद्योग के अन्दर केपिटल फार्मेशन के अन्दर जब खर्च करते हैं तो उसके अन्दर गेस्टेशन पीरियड बहुत लम्बा होता है और उस गेस्टेशन पीरियड के लम्बा होने के कारण से इन्फ्लेशन बढ़ता है और बाजार के अन्दर भाव बढ़ते हैं। तो हम जब भी कोई बजट बनायें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक हालत के अन्दर जितने भी ज्यादा से ज्यादा केपिटल फार्मेशन हैं वे गांवों के अन्दर हों इस बात का ध्यान माइक्रो लेवल पर रखें। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन की बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। ध्यान देने की बात यह नहीं है कि हम एक साल के अन्दर कितने अस्पताल खोलेंगे कितनी डिस्पेंसरियां खोलेंगे कितने बाल पोषण आहार केन्द्र खोलेंगे। ध्यान देने की बात यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो लोग शहर के स्लम्ब के अन्दर रहते हैं और जो लोग गांवों के अन्दर रहते हैं, तो यह आर्थिक इन्डीकेटर है जो सप्लीमेंटरी फूड है उस पर कौन कितना खर्च कर रहा है। जो स्लम डवेलर हैं जितना सप्लीमेंटरी फूड पर खर्च करते हैं उसका आधा हिस्सा गांव का साधारण आदमी खर्च करता है। सप्लीमेंटरी फूड से मेरा मतलब यह है कि अनाज के अलावा जो दूसरी चीजों पर खर्च होता है। तो आज गांव और शहर में इतना अन्तर है।

इसी प्रकार से मैं स्वास्थ्य के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कितने अस्पताल हम खोलना चाहते हैं, कितनी डिस्पेंसरियां खोलना चाहते हैं, यह ठीक है अर्थमेटिकल तरीके से जो गोल बनाकर 5 किलोमीटर में यह करेंगे, 15 किलोमीटर में यह करेंगे, तो आप ध्यान दीजिये गांवों के अन्दर जो मृत्यु दर है वह शहरों से 63 पर्सेण्ट ज्यादा है और इसी प्रकार से जो बाल मृत्यु दर है वह गांवों के अन्दर 69.30 पर्सेण्ट से ज्यादा है तो हम क्या काम कर रहे हैं जिसको हम देख करके सोच सकें कि इतनी भारी मृत्यु दर है यह मृत्यु दर कैसे है। क्या उनमें कुपोषण है इसकी वजह से है या उन्हें स्वास्थ्य के लिए जो फेसिलिटीज मिलनी चाहिए वे नहीं मिल रही हैं। जब तक इन चीजों पर खासतौर से माइक्रो लेवल पर ध्यान नहीं देंगे तब तक बजट के अन्दर जो माइक्रो लेवल पर हमने बात सोची है कि 62 पर्सेण्ट गांवों में खर्च करना चाहते हैं इससे गांवों का बहुत विकास होगा वह नहीं होगा।

इसी प्रकार से मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने पहले भी कही थी क्षेत्रीय असंतुलन की बात, शुरू से ही अंग्रेजों के राज से उनका गांवों से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने शहरों को बढ़ाया और शहरों के अन्दर इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कमीटेड एक्सपेंडीचर इतना ज्यादा है कि आज किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे शहरों के अन्दर सम्पत्ति का निर्माण हो गया है, केपिटल का निर्माण हो गया है, उसकी मेंटीनेन्स पर ही आज हमारे बजट का 50 पर्सेण्ट खर्च हो जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और असंतुलन पैदा हुआ है, वह है अकाल के कारण से, स्पेशल स्कीम्स के कारण से। यह बहुत अच्छी बात है राजस्थान के अन्दर वर्ल्ड बैंक की बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम बनने वाली हैं, 170 करोड़ रुपये की स्कीम

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सेंक्शन हो गई, 500 करोड़ रुपये की वहां पर सेंक्शन होने वाली है या वर्ल्ड बैंक में चली गई, 700 करोड़ रुपये की और बन रही है, 1400 करोड़ रुपये की और बन रही है परन्तु ये सारी की सारी स्कीम राजस्थान में यूनीफार्म तरीके से है नहीं। आप देखेंगे कि यदि इतना भारी व्यय इन स्पेशल स्कीम के ऊपर, चाहे वह अरावली के ऊपर पेड़ लगाने की बात हो, चाहे किसी 4 जिलों के अन्दर भू-संरक्षण की बात हो चाहे किसी एक जिले के अन्दर कहीं दूसरी सड़क की बात हो, तो केवल 5 या 10 वर्ष के बाद इतना असंतुलन बढ़ जायेगा कि अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो जो गरीब हैं वे गरीब होते चले जायेंगे और जो अमीर हैं वे अमीर होते चले जायेंगे। तो इन वर्ल्ड बैंक की योजनाओं के मामले में मेरा निवेदन है कि बहुत ज्यादा खयाल रखने की जरूरत है।

मैं शिक्षा के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां खुशी हुई सबने कहा कि 5 कॉलेज और नये खुलेंगे, कुछ ने कहा कि 5 बहुत कम हैं, 5 से क्या बनने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 में एक की भी आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो पढ़े-लिखे बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ हम ये कॉलेज खोलना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से एवं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 5 कॉलेजेज की जगह वे 10 पोलिटेक्निकल कॉलेज खोलें। क्योंकि एक कॉलेज की कीमत पर 2 पोलिटेक्निल कॉलेज खुल सकते हैं। आज हमें आवश्यकता है आई. टी. आई. ट्रेन्ड्स की। अतः हमको उसके अन्दर खर्च करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं, मुझे तो खुद को घण्टी से एलर्जी है। पिछली बार यहां पर बजट के डिस्कसन पर कहा गया था कि अच्छी सरकार वह होती है जो घाटे की परवाह नहीं करें और राजस्व में व्यय करती चली जाय। मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूं कि राजस्व घाटा ही परेशानी का मूल कारण है। राजस्व व्यय के अन्दर कभी घाटा दिखाना ही नहीं चाहिए। राजस्व व्यय में घाटा होगा उसमें भी 2 सैक्टर हैं एक डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर व दूसरा नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर उसमें स्थिति यह होती है कि नान डवलपमेंट में खर्चा होता चला जाता है। मैं मुख्य मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने खास तौर से नान डवलपमेंट एक्सपेंडीचर के अन्दर मितव्ययता करके राजस्व घाटे में कमी की है।

मैं एक बात यह बताना चाहूंगा कि बिजली के लिये यह अच्छी बात है, इसमें 600 करोड़ रुपये कर्जे का था उसको इक्विटी में बदल दिया है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से यह ध्यान दें कि 26 पर्सेन्ट हमारे यहां पर लाइन लोसेज होते हैं जो वर्ल्ड के अन्दर कहीं भी नहीं होते हैं, और एक पर्सेन्ट का मतलब है 100 करोड़ रुपये। अगर बिजली विभाग एक पर्सेन्ट कम कर दें, चोरी को कम कर दें तो 100 करोड़ का भार नहीं पड़ेगा, इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं एक बात कह कर खत्म करना चाहता

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हूं हमारे यहां पर सिंचित क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, वह हिन्दुस्तान के अनुपात में बहुत कम है। जहां हिन्दुस्तान के अन्दर 179 मिलियन हैक्टेयर टोटल कल्चरेबल लेण्ड है उसमें 79.44 मिलियन हैक्टेयर सिंचित है उसी के अनुपात के अन्दर हमारे यहां पर 180 लाख हैक्टेयर है उसमें सिर्फ 41 लाख अथवा 23 पर्सेन्ट करीबन सिंचित है। तो इसकी वजह से सारे भारत के हिसाब से हमारा क्षेत्रीय असंतुलन बहुत बढ़ जायेगा, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दिया जाय। मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र पारीक।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष जी, मेरा क्या हुआ? मेरा पहले का नाम था।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है, आप तैयार हो जाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली की रेट कम करने के बारे में जो निवेदन किया था उसके बारे में मन्त्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।

(6.10 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रान्त का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का वातावरण कैसा है। वातावरण का सम्बन्ध मैं इसलिये मानता हूं कि पिछले दिनों सरकार ने ऐसा ठोस कोई बजट पेश नहीं किया है जिसके चलते विकास में कुछ परिवर्तन आने की सम्भावनायें होती। लेकिन फिर भी यदि कुछ थोड़ी बहुत संभावनायें ऐसी बन भी पाती, पिछले दिनों जिस तरह का वातावरण राजस्थान प्रांत में रहा, उससे अपने आप ही विकास की गति रूक सी गई। कारण? जिस तरह से साम्प्रदायिक दंगे राजस्थान में हुए, उसके पीछे कौन ताकतें थी, इनमें न जाकर के मैं विशेष रूप से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को कम से कम अपना यह एक नैतिक दायित्व मानना चाहिये कि इस तरह के साम्प्रदायिक दगों पर विशेष रूप से ध्यान दें। जब माननीय मुख्य मन्त्री महोदय सारी अच्छी बातों का श्रेय अपने ऊपर लेते हैं तो इस तरह की साम्प्रदायिक घटनाएं जहां कहीं भी होती हैं, उनका जिम्मा भी अपने ऊपर लेकर के इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण बन्दोबस्त किया जाना चाहिए। तभी राजस्थान का विकास सम्भव हो सकता है। अन्यथा हम भले ही कितने ही करोड़ रुपये की व्यवस्था कर लें, कितनी ही विकास की बातें कर लें, इन सब बातों के होने के बावजूद भी विकास की प्रक्रिया तब तक अपने आयाम को नहीं पा सकेगी जब तक कि एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण वातावरण यहां पर नहीं बन सकेगा। पिछले दिनों जो हादसे हुए, जवान लोगों की जो मौतें, साम्प्रदायिक दंगे हुये, राजस्थान के 25 जिलों में पुलिस और सेना की व्यवस्था की गई, इससे आप अन्दाजा लगाइये कि बाकी विकास की व्यवस्था क्या

(श्री राजेन्द्र पारीक)

रह गई ? जब सरकार की पूरी की पूरी मशीनरी शान्ति व्यवस्था कायम करने में ही लगी हुई हो तो हम इन हालात में विकास की बात कहां तक सोच पायेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से विशेष रूप से कानून व्यवस्था को सुन्दर बनाने के लिये जोर देने के लिये निवेदन है। एकमात्र यही एक ऐसा जरिया है जिसके चलते हम अपने विकास को नये आयाम दे पाने की स्थिति में होंगे।

पुलिस की भूमिका के बारे में वैसे तो काफी जिक्र हो चुका। जयपुर की एक छोटी सी समस्या है, समस्या बहुत छोटी सी है लेकिन आम आदमी को इससे कितनी तकलीफ होती है. मुख्य मन्त्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहूंगा। जयपुर के आटो-रिक्शाओं की मनमानी आज जिस तरह से जयपुर में हो रही है, मैं जहां तक समझता हूं, जितने भी माननीय विधायक यहां हैं, इनको रोजमर्रा के जीवन में इन आटो-रिक्शाओं में आने जाने का काम पड़ता है, वे स्वयं भी इस बात को भली-भांति महसूस करते होंगे कि इससे कितनी बड़ी तकलीफ हो रही है। और यह पूरा का पूरा जिम्मा पुलिस विभाग को जाता है। पुलिस विभाग को आप इस मामले में पूर्ण रूप से सतर्क करिये कि वह आटो रिक्शाओं की मनमानी को रोकें ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का भी विशेष ध्यान खींचना चाहूंगा। वैसे साधारण सी समस्या है लेकिन आम आदमी जब अर्जेन्सी में इस समस्या के सामने जब पड़ता है, उस वक्त यह समस्या छोटी सी होने के बावजूद भी बड़ी भारी समस्या बन जाती है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार का पिछली बार जो भारी बहुमत से विजयी होना था, उसके पीछे इनकी कुछ विशेष घोषणायें थी जिनमें ऋण राहत योजना, महंगाई पर रोक, भ्रष्टाचार मिटाना, यह कुछ ऐसे बिन्दु थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपका विकास किस गति पर जा रहा है ? आपने चूड़ियों पर, चुटिलों पर या बिन्दी पर इतना टैक्स कम कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जाकर इस बात की जानकारी लीजिए कि जिन वस्तुओं की कीमत आपके टैक्स कम करने के पहले जितनी थी, यदि टैक्स कम करने के बाद उसकी कीमत में कहीं कुछ कमी आई हो तो आप व्यक्तिगत रूप से इस बात की जानकारी करवाइये। हम विधान सभा में बैठ करके टैक्स कम करने की बात कर लेते हैं लेकिन व्यवहार में महंगाई आज भी अपनी स्थिति पर पूर्ण रूप से कायम है। महंगाई पर यदि रोक नहीं लगाई तो भले ही आप कितना ही कुछ करें, आम आदमी को इससे राहत नहीं मिल पायेगी। साथ ही बेरोजगारी की समस्या है।

माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का मैं विशेष रूप से ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, कई दिनों से आपके बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक बाहर धरने पर बैठे हुए हैं, एक ओर आप यह चाहते हैं कि प्रांत से बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन हो, इसके लिए आप स्वरोजगार योजना में बैंकों की ऋण योजना को सरलीकरण करके लोगों को ऋण सुविधायें उपलब्ध करवाने की बात करते हैं, आपकी सरकार की तरफ से कई डिपार्टमेन्ट्स में इस

(श्री राजेन्द्र पारीक)

निरीक्षकों के पद की उपयोगिता बताते हुए इसके लिए नियुक्तियों का प्रोवीजन किया गया है, इसके बावजूद भी आज आठ दिन से वह आदमी आमरण अनशन पर बैठा हुआ है, यह आपकी सूचनार्थ है। आमरण अनशन पर बैठे हुए आदमी को कम से कम आपका कोई भी एक नुमाइन्दा जाकर उस आदमी से बात करता, उसे कम से कम इतनी तसल्ली तो देता कि भाई, हम सरकार में इस पर कुछ करने की स्थिति में हैं या नहीं। बेरोजगारी खत्म करने वाली सरकार यदि उन लोगों को मरने के लिए छोड़ कर जा रही है तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी निन्दनीय बात होगी। ऐसे लोग जो बाहर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, यह सही नहीं है कि आप जाकर के उन लोगों से बात ही करने की स्थिति में नहीं हों। उन लोगों के अपने अधिकार की बात थी, युवा लोग हैं, कहीं जोश में आकर उन्होंने यह घोषणा कर दी कि मैं आमरण अनशन कर रहा हूं जब तक कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो कम से कम आपका कोई नुमाइन्दा जाकर के उन लोगों से बात करे और उन लोगों को यह तसल्ली और यह समझ तो दे कि सरकार उन लोगों के रोजगार के लिए अपने दिल में जगह रखती है और निश्चित तौर से ऐसा कोई कार्यक्रम पेश करेगी जिससे आप लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी तरह से आपके चयनित कनिष्ठ लिपिकों की समस्या थी। तो रोजगार की समस्या का आपके पास में कोई इलाज ही नहीं है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके इस बजट में भी बेरोजगारी के लिए केवल मात्र यह कहने से कि हमने बैंकों के नियमों में सरलीकरण करके स्वरोजगार योजना के माध्यम से रोजगार दिलवाले की व्यवस्था कर दी है, कुछ होने वाला नहीं है। आप स्वयं अपनी किसी समिति के द्वारा इस बात की जांच करवायें कि कितने लोगों को इस तरह की योजनाओं से रोजगार मिल पा रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री राजेन्द्र पारीक : रोजगार की योजना।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : सात मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा मैं, अब आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : सात मिनट से ज्यादा नहीं मिलेंगे, अब बिराजिए आप। बहुत लोग बोलने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। सिर्फ एक, छोटा सा, केवल एक छोटा सा निवेदन....

श्री अध्यक्ष : हां, करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि रोडवेज में भ्रष्टाचार खत्म करने का जरा सा भी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इनका संकल्प है, वैसे तो मन्त्री महोदय कई घोटालों के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं, सरकार नहीं चाहती है, लेकिन मैं तो उससे अलग हटकर एक छोटा सा निवेदन यह करना चाहूंगा कि यदि राज्य सरकार रोडवेज में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है तो इसमें पैसेंजर फाल्ट लागू किया जाय ...

श्री अध्यक्ष ठीक है।

श्री राजेन्द्र पारीक : हरियाणा सरकार ने तो लागू कर दिया....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका। श्रीमती तारा भण्डारी, शुरू करिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी पूर्व चर्चा में माननीय पण्डितजी कह रहे थे कि भैरोंसिहजी को नींद क्यों आती। मैं समझती हूं कि भैरोंसिहजी को नींद नहीं आने का एक बड़ा कारण यह बजट भी रहा। यह जो बजट है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह हमारे मन्त्रिमण्डल और माननीय भैरोंसिहजी कई रातों के जागरण के उपरांत गहरी सूझ-बूझ के बाद यह हमारे सामने आया है और यही कारण रहा होगा। माननीय सदस्य बार-बार एक ही चर्चा किये जा रहे हैं कि इस सरकार ने पांच हजार प्राथमिक विद्यालय बन्द कर दिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो पांच हजार प्राथमिक विद्यालय बन्द किये, उनकी स्थिति क्या थी ? नाम के विद्यालय थे, कागजों में विद्यालय है तो बालक नहीं, बालक है तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था हो गई तो अध्यापकों की व्यवस्था नहीं। इस प्रकार जो खोले गये विद्यालय थे, जिनमें न विद्या का पठन-पाठन होता था, न कोई उनमें अच्छी पढ़ाई के आसार थे, इस कारण से इस सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि यह पांच हजार विद्यालय, जो किसी काम के नहीं, न वहां कोई शिक्षण होती है, बन्द करने पड़े। यह बात सही है कि राजस्थान का शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है या, जैसा कहा गया, अन्तिम दूसरे नम्बर पर है, इन सबको देखते हुए विद्यालयों को बढ़ाया जाना भी आवश्यक है। हजार विद्यालय की जो घोषणा की गई है बजट में, मैं मानती हूं कि यह कम है। राज्य का शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ विद्यालय बढ़ाने पड़ेंगे लेकिन विद्यालय बढ़ाने के साथ उनमें अध्यापकों की, उनके बैठने की, उनके पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था हो, इस प्रकार के विद्यालय खोले जायें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो बजट बना है, इसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि राजस्थान का समग्र, सर्वांगीण विकास हो।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के बारे में भी चर्चा की गई है। हमारे मुख्य मन्त्री की यह इच्छा रही है कि राजस्थान से बाहर रहने वाले प्रवासी बन्धु भी राजस्थान में आकर यहां उद्योग लगायें, यहां के धन्धों को बढ़ावा दें, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आज राजस्थान के उद्योगों की स्थिति क्या है। जिस वातावरण को हम बनाना चाहते थे वह वातावरण आज नहीं बन पाया है और मुझे क्षमा करेंगे प्रवासी राजस्थानियों से जब हम उद्योग लगाने की

(श्रीमती तारा भण्डारी)

बात करते हैं तो वे डरते हैं कि राजस्थान में बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं, समुचित पानी की व्यवस्था नहीं, जो भी भौगोलिक स्थितियां हैं वह राजस्थान के पक्ष में नहीं। तो इस बात पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि आज हमारे उद्योगों की स्थिति क्या है। आज आर.एफ. सी. और रीको की हालत क्या है। यह आर. एफ. सी. राजस्थान के उद्योगों के विकास के लिए है या राजस्थान का सबसे बड़ा आक्शन हाउस है, जो रोज ही, इकाइयों के प्रोडक्शन में आने से पहले ही कमजोरी की हालत में आ चुकी हैं, लीगल नोटिसेस देकर अपने बड़े-बड़े ताले लिये हुए उपस्थित रहते हैं। उन इकाइयों को चलने देने के लिए उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। आर.एफ.सी. का लोन मिलने के 18 महीने बाद उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। 18 महीने में बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाती हैं, मशीनें फिट नहीं हो पातीं, प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही किश्तें शुरू हो जाती हैं और किश्तें नहीं दें तो आर. एफ. सी. का ताला तैयार खड़ा है लघु उद्यमियों के खिलाफ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, कृपा करें। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने आर. एफ. सी. वगैरह को खड़ा किया है। आज सिरोही जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अनेकों इकाइयां स्थापित हो गयीं लेकिन आर. एफ. सी. के कारण जो इकाइयां शुरू नहीं हो रही थीं उनको सब के लीगल नोटिस चले गये थे। मैं लम्बी बात नहीं कहूंगी क्योंकि आप घंटी बजा रहे हैं, शार्ट में यह कहना चाहती हू कि उद्योगों को वास्तव में पनपाना है, उन्हें वास्तव में अगर प्रोडक्शन में लाना है तो किश्तों का जो भी हमारे यहां लेने का तरीका है उसका फिर से री-सैटलमेन्ट किया जाये। जो यह ब्याज की दरें, और दण्डनीय ब्याज की दर 7 प्रतिशत है, अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रान्त में 1 या 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह सब सुविधायें उसमें दी जायें। हमारे सिरोही जिले में जो लक्ष्मी सीमेन्ट बड़ा उद्योग लगा हुआ है, बहुत बड़ा धन्ना सेठ है लेकिन पिछले 6 महीनों से वहां का मजदूर लक्ष्मी सीमेन्ट के दरवाजे पर संघर्ष कर रहा है, धरना दे रहा है। आज मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय हो गयी है। वही मजदूर आज राजस्थान विधान सभा के दरवाजे पर भी हैं। अध्यक्ष महोदय, बड़ा रोना आता है उनको देखकर कि धन्ना सेठों के कारण उन मजदूरों की स्थिति क्या हो गयी है। उन लोगों ने गुण्डागर्दी करके उन को पिटवाया, उनकी औरतों के साथ छेड़-छाड़ और उनकी औरतों को बेइज्जत करने की कोशिश की। ऐसी लक्ष्मी सीमेन्ट फैक्ट्री के अन्दर हमारे इन श्रमिकों को हक दिलाने के लिये मैं सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन करती हूं कि लक्ष्मी सीमेन्ट को बन्द किया जाये और उन श्रमिकों को सुविधायें दी जाये, रोजगार दिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में सत्ता पक्ष के लोगों ने इसका समर्थन करते

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हुए जो कहा है कि यह हमारा दस्तावेज है, नीति का विकास का दस्तावेज है, अगर वास्तव में नीति है, मैं समझता हूं कि अब देश में जो चुनाव के दंगल में उतर रहे हैं वह सारे ही नीतियां छोड़कर उतर रहे हैं। जो पिछला चुनाव लड़ा मुझे अच्छी तरह से याद है नारा "बिजली पानी का प्रबन्ध, भ्रष्टाचार बन्द" मेरी समझ में यह माननीय मुख्य मन्त्री जी के चुनाव प्रचार में बिल्कुल दो शब्दों का नारा सारे प्रदेश में गूंजा। आज बिजली के प्रबन्ध के सिलसिले में हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस के लिये बिजली का प्रबन्ध हुआ। आज बिजली की नीति जो सरकार ने तय की है उस से इस प्रदेश के बड़े-बड़े किसानों और इस प्रदेश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों के सिवाय उन गरीबों को बिजली नहीं मिल रही है। जो गरीब किसान हैं, साधारण हैं और जिनके पास 10-15 हजार की पूंजी है वह कभी ट्यूबवैल लगाने की या बिजली लेने की कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरी तरफ झुग्गियों में करोड़ों लोग रहते हैं। मुख्य मन्त्री जी, आपकी बिजली की नीति एक तरफ के पक्ष में है और दूसरे पक्ष में आपने एक भी किसी जगह बिजली देने की क्या योजना बनाई है, जिस तरह बिजली पहुंचायेंगे, आपका उपयोग एक ही आदमी करेगा वह है 'अमीर आदमी, इस देश का उद्योगपति और इस प्रदेश का बड़ा किसान।

जहां तक दूसरे मामले, पानी के प्रबन्ध, की बात है, मैं भुगतभोगी हूं इस बात का। राज्य सरकार का जो अन्तर्राज्यीय विवाद था पानी के बंटवारे का उसमें जो इन्होंने केन्द्रीय सरकार से झुक कर हमारा पानी पंजाब को दिया, उनके आगे सरेण्डर किया, बिजली का शेयर हम नहीं ले सके, हमें इस बात का बड़ा अफसोस था, और आपके होते हुए भी, माननीय मुख्य मन्त्री जी, पिछले एक साल के अन्दर हमारा पानी घटा है। हमारे डैम को नीचा रखा गया है। हमारा पानी डाइवर्ट करके पाकिस्तान की तरफ गया है आपने उसके बारे में क्या किया? मैं यह जरूर कहूंगा कि आपने अपने विभाग के अन्दर क्या हालत कर रखी है। यह मन्त्री जी बैठे हैं, पूरे विभाग में 8 बड़े-बड़े चीफ इन्जीनियर्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं। जो हमारा चीफ इन्जीनियर है उसकी जगह आपने एडीशनल चीफ इन्जीनियर को लगा रखा है। हमारे यहां एडीशनल चीफ का दफ्तर खोल रखा है। एडीशनल चीफ का दफ्तर खाली है पिछले तीन महीनों से। सिर्फ दफ्तर है, कुर्सी है पर एडीशनल चीफ नहीं है। क्या आप समझते हैं कि बिना हथियार के, बिना योग्य अधिकारी के हम उनका मुकाबला कर सकेंगे? यदि आप वास्तव में पानी देना चाहते हैं और इसका शेयर राजस्थान में लेना चाहते हैं तो आप को चाहिए कि उस पाइन्ट पर हमारा चीफ इन्जीनियर बैठे। उनके मुकाबले में हमारा जो एडीशनल चीफ है वह उनके सामने जाता है तो उनका एक्स. ईएन. उससे बात नहीं करता। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप वाकई में यदि पानी के लिए सीरियस हैं और इस प्रदेश को पानी पिलाने का प्रबन्ध करें तो आपको इस विभाग को भी पूरी तरह से इक्विप करना चाहिए जो किसानों की परिस्थितियों को जाने और पानी को जाने और पंजाब से उस स्थिति में पानी ले सके।

आपने तीसरी बात जो कही है, मैं

(श्री हेतराम बेनीवाल)

समझता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में आपने प्रदेश को पूरी तरह से स्वच्छंद कर रखा है। मैं पुलिस की डिमाण्ड पर बोल चुका हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अन्दर यह स्थिति है कि सारा प्रदेश साम्प्रदायिक वातावरण के अन्दर पूरी तरह से बंटा हुआ है। आज प्रदेश के अन्दर कुछ हिस्सों में इस तरह की स्थिति है कि आतंक की छाया में वहां के निवासी हैं। पड़ौस के प्रान्त हैं उनसे आतंकवादी जिस तरह से आते हैं, स्वच्छंद घूमते हैं, क्या नीति है आपकी उसके बारे में ? क्या आप ने पुलिस को इविवप किया है ? मैं आपको इस सिलसिले में यह कहना चाहूंगा कि यहां सारे हाउस में इसकी चर्चा हुई। लोगों ने मांग की क्योंकि संगरिया में दो सवर्णों का कत्ल हो गया बाजार के बीच में। उनको तो माननीय मन्त्री जी ने एलान कर दिया एक एक लाख रुपये देने का लेकिन आज उसके बाद 5 गरीब हरिजनों को जिस तरह से भून दिया, राज्य सरकार मौन रह गयी बिल्कुल। राज्य के मन्त्री जी जाकर आये। दो-तीन घरों का चक्कर काट आये और एक पैसा आज तक उनके लिए एलान नहीं किया। इससे लगता है राज्य सरकार की इस मामले में नीति क्या है, क्या सोच रही है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप इन्तजाम नहीं कर सकते, पुलिस का चरित्र जिस तरह से बना दिया है और जिस तरह से पक्षपात पुलिस के ट्रान्सफर में और पुलिस के थानों के बांटने में आपने किया है, निश्चित रूप से यह हालत बन गयी है राजस्थान में कि आज राजस्थान में प्रशासन नाम की चीज नहीं है। आज आपने इस तरह से जातिवाद का जहर फैलाया है ट्रान्सफर की नीति में। आज अगर भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है तो आपकी ट्रान्सफर की नीति बनी हुई है, जिस तरह से आप ट्रान्सफर करते हैं और जिस तरह से उन जगहों पर लगाते हैं। आज जिन पाइन्ट्स के ऊपर यह आतंकवादी स्वच्छंद घूमते हैं और जिन पाइन्ट्स पर पुलिस की व्यवस्था बनी हुई है क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि वहां किन-किन लोगों को आपने लगाया है और उनका क्या चरित्र है। इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रान्त को इस आतंक से बचायें, आप यह चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में जनता के साथ खड़े रह कर इस व्यवस्था को कर सके तो उसका एक ही इलाज है कि आप निष्पक्षता से इस मामले में उनके काम में दखल देने के बजाय यह जो आपने ट्रान्सफर की नीति बना रखी है इसको रोकिये। माननीय गृह मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप गंगानगर जिले में सरेआम जिस तरह के कत्ल हो रहे हैं जिस तरह से उग्रवादी धड़ल्ले से किसी भी जगह, किसी भी बाजार में, किसी भी ढाणी में किसी को भी चैलेन्ज देकर मार सकते हैं या उठा सकते हैं, आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते। आप एक तो बात कर सकते हैं कि आप हमको पैसों से हथियार दे दें। आपने हम को बान्ध रखा है। एक तरफ इन उग्रवादियों के आगे हम को निहत्था छोड़ रखा है दूसरी तरफ आपकी पुलिस इस तरह की है कि जिस तरफ से उग्रवादी आते हैं, पुलिस दूसरी तरफ भागती है और दूसरे दिन काम करती है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम हाउस में यह तो कहें कि हम को छुट्टी दें हमारे

(श्री हेतराम बेनीवाल)

पास अगर पैसा है, कोई भी जायदाद है तो हम बेच कर हथियार खरीदेंगे और उन लोगों का मुकाबला करेंगे। मैं निश्चित तौर से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा गंगानगर जिला इस तरह की परिस्थितियों में है कि वहां ढाई तीन लाख माइनोरिटी कम्युनिटी के हैं पंजाब से मिले हुए हैं, उनमें वातावरण इस तरह का बना हुआ है कि वह राजस्थान के नागरिक हैं, राजस्थान के साथ रहना चाहते हैं उनकी यहां जायदाद और सब कुछ है, उसके बावजूद भी उग्रवादियों ने जिस तरह पानी को रोक कर, बिजली को रोक कर और उनको दिन-दहाड़े मार कर जो स्थिति पैदा कर दी उस इलाके में उससे वहां यह वातावरण बनता जा रहा है कि हम राजस्थान के साथ रहें या क्या करें। अगर हम राजस्थान के साथ रहें तो पानी बिजली नहीं मिलेंगे और हम निहत्थे होकर मारे जायेंगे। इस तरह का वातावरण उस इलाके में बन रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार का फर्ज है कि इस मामले में पुलिस को, वहां के लोगों को हथियार दे।

पंजाब की सरकार, चाहे वहां किसी तरह की सरकार हो, चाहे वहां के अधिकारी किसी तरह के हों, उसके बावजूद भी पड़ौस के जो क्षेत्र हैं उन्होंने अपने हथियार दिये हैं। हम उस क्षेत्र में हथियारों की परमीशन नहीं दे सकते। मैं निश्चित तौर से चाहूंगा कि इस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में तो मैं निवेदन नहीं करूंगा, वजह उसकी एक है कि मैं जिसका नाम लूंगा उसकी तरक्की हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है....

श्री अध्यक्ष : कइयों का भला कर दीजिए आप आज।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक शब्द कहना चाहता हूं आपको। इस हाउस में पहली बार आया हूं, मैं यह समझता था, हाउस में जो भी कहा जाए उसकी बहुत बड़ी कीमत है और कोई मुख्य मन्त्री कह दे तो उसके बाद रहता क्या है? मुख्य मन्त्री जी ने संगरिया की चर्चा में कहा था कि ऐसा ए.डी.एम. कौन है जिसने बयान बदल दिये। मुझे आज पता लगा कि वह ए. डी. एम. जिसने बयान बदल दिये वह दुबारा गंगानगर में मेरे यहां जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं जा रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं जा रहा है, आपने बदल दिया होगा। आपने पता लगाया होगा कि उसको नहीं भेजना, इसलिए नहीं भेजा। पर हो तो गया पहले।

श्री अध्यक्ष : श्री महीपाल यादव।

श्री महीपाल यादव : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा जो अहम् सवाल है वह है शिक्षा का। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां बिराजे हुए हैं, मेरे बहरोड़ क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय है और बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें आज तक भी अध्यापक नहीं पहुंचे हैं। एक विद्यालय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था गांव के लोगों ने जमीन दान दी और उसमें तीन कमरे बनाये, चारदीवारी बनायी और सरकार को दान पत्र लिखा। आज उस विद्यालय में 115 बालक पढ़ रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक गलत आदेश पता नहीं किस दबाव

(श्री महीपाल यादव)

में आकर दिया और गांव से डेढ़ कि.मी. दूर उस विद्यालय को स्थानान्तरित किया गया एक नाले पर जिसमें दो छोटे-छोटे कमरे हैं। आज वहां पर 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और 115 में से 110 आज अन्धकार में हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। बनड़ गांव जो कि रोड पर है और विद्यालय रोड के किनारे पर बना हुआ है, आज गांव के लोग अपना चन्दा इकट्ठा करके, अध्यापक लगा कर उस विद्यालय में अपने बालक पढ़ा रहे हैं। तो गांव के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया है। आज वह लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे मिडल स्कूल हैं जहां अध्यापक नहीं हैं। शिक्षा के क्षेत्र मे इस सरकार ने थोथी घोषणाएं की हैं। बालिकाओं के विद्यालयों में आज तक अध्यापिकाएं नहीं पहुंची हैं, कितने ही साइस के विषय के अध्यापक आज तक नहीं गये हैं।

जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है सौ-सौ साल के जो कुएं हैं वह सब सूख गये हैं, उनमें पानी नहीं है। सरकार की कोई ऐसी योजना सामने नहीं आ रही कि जिन गांवों में पानी नहीं है उनमें पानी की व्यवस्था की जाय। जितने भी हैण्ड पम्प लगे थे वह सब सूख गये। माननीय मन्त्री जी ने हैण्ड पम्प कुछ स्वीकृत किये लेकिन आज तक उनका वहां बजट नहीं गया है। पूरे स्कूलों की हालत यह है कि बच्चे बोतलों में पानी ले जाते हैं तब जाकर उनका गुजारा होता है। घोषणा की कि किसानों का बारानी का टैक्स माफ करेंगे, वह कर दिया, इसके लिए तो मुख्य मन्त्रीजी को हम बधाई देते हैं, लेकिन किसान अपनी जमीन कंसोलिडेट करना चाहता है क्यों नहीं वह बिल लाया गया जिससे किसान को करोड़ों रुपये का फायदा होता। कितने किसान अपनी जमीन इकट्ठी न होने के कारण अपने कुएं नहीं बना सकते। देश का राष्ट्रीय उत्पादन कोई करता है तो किसान करता है। उद्योगों में हमने जितना कर्जा दिया है उतना ही उद्योगों ने घाटा दिया है। इसी तरह बिजली कनेक्शन में आज किसान को 30-30 हजार रुपये देने पड़ते हैं और हिमायत करते हैं कि हम किसान के हमदर्द हैं।

मेरे क्षेत्र में रेफरल हास्पीटल है। हिन्दुस्तान और संसार में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बेहरोड़ और कोटपूतली के बीच नेशनल हाई-वे पर होते हैं लेकिन आज तक उसमें कोई सर्जन, जूनियर सर्जन नहीं है, वहां सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है और सरकार कहती है कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि कर रहे हैं। यहां एस.एम.एस. अस्पताल में आज तक कोबाल्ट मशीन नहीं आई। केन्सर के रोगियों को बीकानेर या दिल्ली जाना पड़ता है और कह रहे हैं कि हम राजस्थान का विकास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा बेहतर हो कि आप किसानों पर ध्यान दें। घोषणाएं तो आपने इतनी कर दी कि शायद गिनीज बुक में आपका नाम चला जाय। तो यह जो स्थिति हमारे प्रदेश की बनी है, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, हर मामले में सरकार विफल रही है और साम्प्रदायिकता का जहर घोल दिया है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में आज साम्प्रदायिक माहौल हो रहा है और मानवता नष्ट कर दी गई है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, 62% बजट आज गांवों में दिये जाने के सम्बन्ध में जो सरकार का निश्चय है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के कार्यों....

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि जिस फैसले की बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, विनियोग बिल कर लें आप, मैं वही सुनाऊंगा पहले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं प्रशंसा करना चाहूंगी, गांव-गांव में आज फिर से 1977 और 1980 के बाद में यह स्थिति आई है कि लोग इस बात की ताईद करते हैं कि भैरोंसिंह जी ने पहले ही गांवों में कार्य किये, अभी वह फिर करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं बरसात के कारण भूमि का कटाव हो जाता है। मेरे इलाके में रामगढ़ इलाका अरावली की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ जयपुर तक चला आया है। इसमें इतने कटाव आ गये हैं कि जब भी मैं इन्हें बन्द की बात करती हूं तो यह सोचा जाता है जैसे मैंने सिंचाई को बंद करने की बात की, और उस बात को छोड़ दिया जाता है। मेरे इलाके में इस तरह के करीब 10 बांध हैं लेकिन सबसे भयंकर बांध मूंडला का है जिसने आने-जाने का रास्ता काट दिया और घूम करके जाना पड़ता है। भूमि संरक्षण का कार्य विभाग द्वारा टेक अप करके ये 10 बांध ले लिये जायं तो निश्चित रूप से वहां लोगों को आने-जाने की असुविधा नहीं रहेगी और साथ ही पानी के अभाव में कुओं में जो सीम चली गई है, वह भी वापस लौट आयेगी। इस शहर में नाग तलाई का नाला जो सदैव बाढ़ की सी स्थिति लिये खड़ा रहता है, बरसात आने के पहले ही आतंकित कर देता है, इससे उसका बहाव भी ठीक स्थान पर पहुंचेगा और कटाव नहीं कर पायेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृषि उपज मण्डी के माध्यम से कुछ सड़कें बनायी जा रही थीं, वह सड़कें अधूरी पड़ी हैं। विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो सम्पर्क सड़क बनाई जा रही है, अधूरे पड़े कार्यों को कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ले लिये जाय तो जो 2 कि.मी., 3-4 कि.मी. की छोटी-छोटी सड़कें हैं, इनके बनाये जाने से वहां के लोगों को बहुत सुविधा हो जायेगी।

माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां बैठे हैं, मैं एक बात का लोभ संवरण नही कर पा रही हूं, आपने पहले भी मेरे आग्रह को मानकर जो लेख पत्र है उस पेटे 17 प्रतिशत घटा कर साढ़े बारह प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का रखा था और उसकी तिथि 31 मार्च तक के लिए बढ़ायी थी लेकिन यह 31 मार्च के बजाय सदैव के लिये बढ़ा दी जाय और जे.डी.ए. के मकान हैं या हाउसिंग बोर्ड के मकान हैं उन पर स्टाम्प ड्यूटी को सामान्यतया लिया जाय तो निश्चित रूप से कोई घाटा भी नहीं होगा और यदि कृषि के मकान हैं, सोसाइटी के मकानों पर पाबन्दी हटा दें तो काफी रुपया सरकार को प्राप्त होगा और इस स्टाम्प ड्यूटी से कमी की घाटा पूर्ति हो जायेगी। मुझे आशा है मुख्य मन्त्री जी मेरी इस बात को मानेंगे।

मैं फिर दोहराना चाहूंगी मेरी बात को कि कृषि भूमि पर बनी गृह निर्माण सहकारी समितियों के काफी मकान जयपुर में हैं,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लगभग लाखों मकान हैं, वो लोग बहुत दुःखी है, विकास शुल्क की दर के बारे में आप घोषणा करें, जिनसे उनका भय मिटे और उनके मकानों का नियमन हो जाय। पिछली सरकार ने जो कार्य रोका है, नियमन का कार्य भी रोक दिया उन्होंने 1982 से पैसा जमा करा रखा है, वह कार्य नियमन हो जाय और उनके लिए विकास शुल्क की अड़चन ना रहे तब तो आप भले ही घोषणा मत करें लेकिन विकास शुल्क जमा कराने पर ही नियमन होगा तो उसकी दर तय करना आपके माध्यम से जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगी आज आप सदन में घोषणा करें....

श्री यदुनाथ सिंह : क्या यह सही है कि आपकी डिग्री फर्जी है ? आप खुद अपनी खांसी का इलाज नहीं कर पायी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप देख रहे हैं एक तो खाड़ी युद्ध की हवा आ रही है पोल्यूशन की, दूसरे इस सदन में जो स्थिति है कभी गरम कभी ठंडा, आपकी उम्र के लोग तो इसको बर्दाश्त कर लेते हैं मेरी उम्र में थोड़ी सी दिक्कत है।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे नगर में एक ऐसा सर्किल बन रहा है जिसमें जे. डी. ए. ने करोड़ों रुपये का सतूना बना रखा है। जिस शहर में कच्ची बस्ती में लोग रहते हो, जहां सड़कों का अभाव है, पानी का अभाव है, बिजली का अभाव है, उस शहर में एक करोड़ रुपये के सर्किल का क्या उपयोग होने वाला है जो एयरपोर्ट के पीछे बनने वाला है ? ऐसे अपव्यय वाली चीजों को आप रोकें तो निश्चित रूप से कार्य चलेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, दो ब्रिज हमारे यहां बनने वाले थे, एक तो बाइस गोदाम पर और दूसरा झोटवाड़ा पर। केन्द्र सरकार की ओर से पैसा आ चुका है, राज्य सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट नहीं गई है इसके कारण से वह कार्य रुका पड़ा है। ऐसे कार्यों में त्वरिता जरूरी है। आप मैचिंग ग्रांट का पैसा उसमें लगायें तो निश्चित रूप से कोई बात सिद्ध होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक दो निवेदन और करना चाहती हूं। मैंने स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन किया था मेरे गांव में सैटेलाइट अस्पताल खोला जाय। माननीय मन्त्री महोदय, अस्पताल तो खोल दिया लेकिन मुझे जो उत्तर मिला वह यह है कि गांवों में सैटेलाइट अस्पताल नहीं खोले जा सकते। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वो किसी भी स्कीम में गांवों में यह व्यवस्था कर सकते हों तो जो अन्दर रहने वाले मरीज हैं, तो निश्चित रूप से उनको चार-पाइयों की सुविधा उपलब्ध होगी और इस से लोग शहर में नहीं आयेंगे यदि इस तरह से हम उनको चिकित्सा सुविधा पहुंचा पायेंगे। यह मेरा निवेदन ही नहीं, नीतिगत प्रश्न है।

मैं निवेदन करना चाहती हूं वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन में हमने कुछ उम्र की बाधा लगा दी है। मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मन्त्री जी बहुत सहृदय हैं, कि जिनके बेटे हैं लेकिन वे उनको रोटी नहीं देते हैं, जो इतने असहाय हैं, जिनको पुत्र की कल्पना मात्र से एलर्जी हो गई है

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तो माननीय मुख्य मन्त्री जी बेटे की तरह बन कर उनको पेंशन सुविधा उपलब्ध करायें। दस बीघा भूमि पर सीमा लगाई गई है, उसकी पाबन्दी हटायें क्योंकि दस बीघा की सीमा पूरे परिवार की है, अब 10 बीघा में कुछ पैदा नहीं होता, पानी है नहीं, तो मेरा यह निवेदन है, मेरी इन बातों को स्वीकार करके उत्तर देंगे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामकिशन जी ने कुछ बात कही है कि मैंने 25 रिग्स खरीदी....

श्री रामकिशन (भरतपुर) : आपने नहीं, विभाग ने।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस सरकार के आने के बाद विभाग ने एक भी रिग नहीं खरीदी है 1988 में खरीदी गई थी, उसके बाद.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपके आने के बाद खरीदी गई है।

श्री भंवरलाल शर्मा : 1988 में खरीदी गई है, इस सरकार के आने के बाद एक भी रिग नहीं खरीदी गई है। (व्यवधान) हां, 1988 के बाद कोई रिग नहीं खरीदी गई।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : डिपार्टमेन्ट ने तो खरीदी है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बहस क्यों कर रहे हो ? ये अपनी बात कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : 1988 के बाद कोई रिग नहीं खरीदी गई है। मैं उस वक्त था नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुनील विश्नोई। आर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप पर अक्षमता का चार्ज नहीं लगाया, आप पर बेईमानी का चार्ज नहीं लगाया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : ये क्षमता का सर्टिफिकेट आप ही के पास है क्या ? हरेक को देती रहती हो आप। दुनिया में आप ही काबिल हो क्या ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने नहीं कहा, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई भी कहें, आप भी कहती रहती हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने कहा था +++ है, बेइमान नहीं है लेकिन +++ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप इतनी वयोवृद्ध हो....

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य का टाइम ले रहे हैं। माननीय मन्त्री जी, हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमेशा सर्टिफिकेट देती तो। आप ही काबिल हो क्या ? दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आपके अलावा।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने नहीं कहा, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको संयम रखना चाहिये इतनी बूढ़ी हो गई हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनील विश्नोई।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट मैंने बढ़ा दिया है आप बोलते रहिये।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please-let it be concluded. आप बोलिये।

श्री सम्पत सिंह : इनकी +++ और उनके वयोवृद्ध दोनों ही शब्द निकाल दो।

श्री अध्यक्ष : अब आप छोड़िये।

श्री सुनील विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी सरकार कोई नया बजट पेश करती है उससे पहले उनके पास एक दिशा होती है, एक डाइरेक्शन होती है, एक लक्ष्य होता है जिससे सरकार के मन्तव्य का पता पड़ता है कि वो क्या करना चाहते हैं। और किस क्षेत्र की योजनाएं लेते हैं, उसकी दिशा का मार्गदर्शन होता है। इस सरकार का जो बजट रखा गया मुझे असंतुलित बजट लगा, पता नहीं किस तरह इन्होंने बंटवारा किया, कुछ क्षेत्रों में तो इन्होंने ज्यादा चुना और कुछ क्षेत्रों को बिलकुल नेग्लेक्ट कर दिया। गंगानगर जिले को तो इन्होंने बिलकुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। जिस तरह से गंगानगर जिले को नेग्लेक्ट किया, मैं यह कह देना चाहता हूं गंगानगर जिला इनको भी पूरी तरह नेग्लेक्ट कर देगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी गंग कैनाल के मोडर्नाइजेशन के प्रोग्राम पर विचार काफी समय से चलता आ रहा है। प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन कुछ क्रियान्विति नहीं होती है। उस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, कोई प्लान्स नहीं है। यदि आज ये गंग कैनाल का मोडर्नाइजेशन करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां पर डेढी इरिगेशन हो सकती है और सरकार का मोडर्नाइजेशन करने में जो पैसा लगेगा वह एक साल में, दो साल में पूरा का पूरा रिकवर हो जायेगा। गंगानगर जिला ऐसा जिला है जो पूरे राजस्थान के लिये खाद्यान्न उत्पन्न करता है। राजस्थान की खाद्य समस्या के समाधान में उसका सबसे बड़ा योगदान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी चीज जो देखने में आयी, मैं पिछले दिनों बीकानेर गया पिछड़े इलाके में, घूमता हुआ गया था, वहां देखा कि वहां जमीनों का अलाटमेण्ट नहीं हुआ है। काश्तकार मौजूद नहीं है। आबादी मौजूद नहीं है। जंगल के अन्दर विभाग द्वारा खाले बनाये जा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुनील विश्नोई)

शून्य है, जहां कोई धरणी धरी नहीं हो, कोई सम्भालने वाला नहीं हो, काश्तकार देखने वाला नहीं हो और वहां वाटर कोर्सेज बन रहे हैं। उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट स्टेज पर भी वाटर कोर्सेज बने थे, अलाटमेण्ट के पहले बने थे पर वह सारे के सारे वाटर कोर्सेज कामयाब नहीं हुए, बेकार चले गये। किसी का लेबल खराब हो जाता है, कहीं रेती चली जाती है। मेरा निवेदन है कि अलाटमेण्ट हो जाय, काश्तकार बस जाय, एक साल तक कच्चे खालों में पानी चला जाय, वाटर टेबल वहां पर स्टेब्लाइज हो जाय, यह पता लग जाये कि यहां से पानी अच्छी तरह से जा सकता है, जो चेन्ज होना है उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाय, तो उसके बाद खालों को पक्का करें तो हमें ज्यादा फायदा हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी गंग कैनाल का सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है। सारा का सारा एरिया आबाद है। आज सरकार को चाहिए कि उस इलाके में वाटर कोर्सेज बनाएं, उस इलाके के खालों को पक्का करें, उस इलाके में पानी की व्यवस्था ठीक करें, आज उस इलाके में वाटर कोर्सेज बनते हैं या खाले पक्के होते हैं तो उस इलाके को काफी लाभ हो सकता है। उस इलाके के किसान को भी लाभ हो सकता है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं; माननीय मुख्य मन्त्री जी भी बैठे हैं, उन्होंने कई बार इस हाउस में इस बात को उठाया है और पिछले सत्र में भी कई बार कहा करते थे बी. बी. एम. बी. को हैड वर्क्स सौंपे जाने चाहिये। इस सम्बन्ध में न तो कोई संकेत दिया न गवर्नमेण्ट को तैयार किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट शब्दों में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं जब तक बी. बी. एम. बी. को हैड वर्क्स का कण्ट्रोल नहीं दिया जायेगा तब तक राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, होता क्या है जब पानी की जरूरत होती है, डिमाण्ड होती है तो उसी समय पंजाब में भी मांग होती है और हरियाणा में भी मांग होती है। चूंकि जिनके हाथ में हैड वर्क्स है, जिनके हाथ में कण्ट्रोल है वह पंजाब के आफिसर हैं, तो वे अपनी डिमाण्ड पहले पूरी करते हैं और बचा हुआ पानी हमें देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमें पानी की जरूरत नहीं होती है, पानी की मांग नहीं होती है, उस समय हमें पानी ज्यादा देते हैं और इसलिए पानी बेकार फैलाना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की व्यवस्था का पैमाना पुलिस होती है। जिस प्रकार का पुलिस का फंक्शन होगा, जिस प्रकार की पुलिस की इमेज होगी, वही इमेज सरकार की सफलता और असफलता को मापती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखने में आया है कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में वारदातें हो रही हैं और पिछले एक साल से देखलें तो एक दिन के बाद दूसरे दिन रोज वारदातें हो रही है। गंगानगर जिले में तो आतंकवादी अपनी जड़ें जमाते जा रहें हैं। माननीय अध्यक्ष महो-

(श्री सुनील विश्नोई)

दय, आज के अखबार में भी आपने देखा होगा रायसिंह नगर में सात आतंकवादी पकड़े गये, उन्होंने मकान खरीदा, उन्होंने अन्य प्रोपर्टी खरीदी। आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, आम काश्तकार प्रोपर्टी खरीदना चाहे, आम काश्तकार जमीन खरीदना चाहे तो 6-6 महीने तक धक्के खाता है, उसको कलक्टर से इजाजत नहीं मिलती है पर यह आतंकवादी आकर बस गये, प्रोपर्टी बना ली। हम को पता नहीं पड़ सकता है। पंजाब की पुलिस ने पकड़ा, उनके पास से कुछ लड़कियां भी बरामद हुई हैं जिनको पंजाब से उठाकर लाये थे, वह अच्छे-अच्छे घरों की लड़कियां थी जिनको लेकर बैठ गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ के बारे में भी सुना, कुछ दिन पहले दो आदमियों को दिन दहाड़े गोली से मार दिया गया। अनूपगढ़ के पास ही थाने से तीन-चार किलोमीटर होगा। हरिजन परिवार के पांच व्यक्तियों को भूनकर रख दिया। गोली से उड़ा दिया और पुलिस सोती रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान (अनुपस्थित)

श्री हीरालाल आर्य (अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल पटवा।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : पंचायत समिति के अन्दर विकास अधिकारी को मारा....

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : मुझे एक मिनट में खत्म करने दें।

श्री अध्यक्ष : पूरे सात मिनिट दे दिये। हर एक आदमी एक मिनिट मांगेगा। एक मिनिट नहीं एक बात।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : एक बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी कर्मचारी, विकास अधिकारी, उसे दफ्तर में डेढ बजे नीचे पकड़ कर खींच ले गये, वहां पर स्टेट होम मिनिस्टर मौजूद हैं, एस. पी. मौजूद हैं, कलक्टर मौजूद है। पंचायत समिति में उसको बुरी तरह लहू लुहान कर दिया और ऐसे आदमी को राज्य सरकार संरक्षण दे इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विनियोग विधेयक पर विचार कर रहे हैं। जो बजट पेश किया गया है, पिछले चालीस वर्षों में जितने भी बजट बने हैं उन से पिछले वर्ष के और इस वर्ष के बजट को कम्पेयर किया जाय तो यह राजस्थान की धरती से जुड़ा हुआ बजट मिलेगा। और पिछले सालों में मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं लेकिन डिसक्रिमिनेशन, भेद हर मामले में बढ़ता गया और चाहे सड़क का मामला हो, चाहे हैण्ड पम्प का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला हो उसमें भेद बरता गया और उसका दुष्परिणाम यह निकला कि राजस्थान में कई गांवों में पानी की व्यवस्था का अभाव रहा, कई मामलों

(श्री बंशीलाल पटवा)

में सड़कें तो सैंक्शन कर दी गई लेकिन फण्ड उसके लिए नहीं दिये गये। पिछले वर्ष उनके लिए फण्ड अलाट करना पड़ा और नयी सड़कें बनी नहीं। पिछले काल में इसी तरह से सैंक्शन कर दी गयी। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और काम ऐसे क्षेत्रों में हुए जिसके कारण दूसरे क्षेत्र वंचित रहे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आज तक जो साफ सुथरा और कोम्पीटेण्ट व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वह पिछले काल में नहीं मिली। भैरोंसिंह जी की सरकार आयी, मैं यह नहीं कहता कि सारे अच्छे काम हो जायेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि इस सरकार का मन है कि साफ सुथरी व्यवस्था हो। पिछले चालीस साल में आज दिन तक साफ सुथरी व्यवस्था, प्रशासन नहीं मिला।

श्री यदुनाथ सिंह : ढ़ाई साल को छोड़कर।

श्री बंशीलाल पटवा : ढाई वर्ष का समय मिला था, काम भी किये थे। मेरा निवेदन है कि यह गांधी जी के नाम लेते हैं और गांधी जी ने राम राज्य की बात कही, स्वदेशी की बात कही। क्या पिछले चालीस साल में, ढाई साल को छोड़कर, कुछ हुआ है? आज राम राज्य की बात करते हैं तो उसके बारे में आपत्ति की जाती है। राम एक राष्ट्रीय पुरुष थे और आदर्श पुरुष थे और उसके अनुरूप व्यवस्था की जाय और राज्य को चलायें तो उसमें आपत्ति क्या है? आखिर में जब राष्ट्रीय पुरुष के रूप में स्वीकार किया है तो उसके अनुरूप कुछ व्यवस्थाएं हों।

भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में मैं यह नहीं कहता कि मिट जायेगा। राम के राज्य में भी कई लेकुना, लीकेज रहे होंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार का मन साफ है और इस बार जो बजट बनाया गया है उसमें 22 प्रतिशत पिछले वर्ष से ज्यादा है। गांवों पर 62 प्रतिशत खर्च किया जायेगा। गरीब की चिन्ता की गयी है। बिजली और पानी की बात कही गयी लेकिन पिछले चालीस वर्षों में ढ़ाई साल को छोड़कर क्या पिछली सरकारों ने बिजली जनरेट करने के सम्बन्ध में कोई कारगर कदम उठाये हैं? नहीं उठाये। इन सारी चीजों को कम्पेयर करेंगे तो बुराई किस में कम है, अच्छाई किस में ज्यादा है।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट। मेरा निवेदन है कि हर क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ने की योजनाए हैं और इसके साथ-साथ गरीब का और अन्त्योदयी, गरीबी की रेखा के नीचे जो दबा पड़ा है गांवों के आदमी, गांव की साझेदारी से काम कर सकें। इस दृष्टि से एक को-आर्डिनेशन बैठाकर के अच्छा प्रशासन, अच्छा साफ सुथरा प्रशासन देने का संकल्प भैरोंसिंह की सरकार ने किया है। इनकी अपनी एक विश्वसनीयता है और साख है, इस दृष्टि से मेरा निवेदन है जो कुछ बजट में कहा गया है और विनियोग विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी।

(7.00 सायं)

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, महंगाई के बारे में एक तरफा बातें

(श्री रतनाराम चौधरी)

कही गयी हैं। जो किसानों के खेतों में पैदावार होती है उस पर कहा गेहूं महंगा हो गया, सरसों महंगी हो गयी। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आज चालीस साल से किसानों की क्रोप हैं उसके भाव तो सिर्फ दो प्रतिशत ही बढ़े हैं। मतलब जैसे पहले एक रुपये में 5 किलो आता था, आज एक रुपये में ढ़ाई किलो। मतलब डबल हो गई। परन्तु आज देखा जाय, हमारी औद्योगिक वस्तुओं में जाते हैं, जीप को लीजिये, ट्रेक्टर को देखिये। ट्रेक्टर आज से 20 साल पहले सिर्फ 16,000 रुपये में आता था, आज एक लाख साठ हजार रुपये में आ रहा है। जीप जो 20,000 रुपये में आ रही थी, आज एक जीप की कीमत दो लाख रुपये हो गई। मतलब उनकी 10 गुणा बढ़ गई। और काश्तकारों को अपनी उपज का अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। काश्तकार के घर, फेफड़े वह की वह ही है। इस बजट में किसान की क्राप का उचित मूल्य दें। इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह चाहूंगा कि वे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य दिलायें। उद्योग और कृषि दोनों को बराबरी से देखकर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलावें वरना किसान दिनों दिन गरीब होता जा रहा है, दिनों दिन नये कर्जे में डूबता जा रहा है और शहरी लोगों के पास पहले एक मंजिला था, आज 10-10 मंजिल बन गई, एयरकण्डिशनर में रहने लग गये और किसानों के वहीं फेफड़े, वही झोंपड़ी, वही कच्चा मकान, वह वाला मकान जो पहले था वह आज भी है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी नदियां बारह मास बहने वाली नदियां हैं। उनका पानी गुजरात में जाता है। अपने राजस्थान में आज दिन तक उस पानी को रोकने की कोई स्कीम मंजूर नहीं की गई है। इसलिये कृपा कर जैतपुरा नदी और बड़गांव नदी का जो उन दोनों नदियों का पानी गुजरात में जाता है, वह कृपा कर उनका तत्काल सर्वे कराकर के पानी को रोककर अगर अपने राजस्थान के किसानों को, जिला जालौर के किसानों को अगर दिया जाता है तो हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मान्यवर, पहले इस जैतपुरा नदी पर एक पुल बनाने की योजना थी, आज 20 साल से वहां शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है परन्तु आज दिन तक जैतपुरा नदी पर पुल नहीं बनाया गया। जिला जालौर सिरोही जिला और गुजरात को वह पुल सबसे लिंक जोड़ता है। इसलिये जैतपुरा नदी पर पुल बनाने की अनुपम कृपा करें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय दिया जाना चाहिए था। यह दैवीय विपदाओं पर भी कुछ....

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। आई से, सिट डाउन। आई वांट गिव यू।

श्री प्रेमसिंह बहिया : एक मिनट का समय लूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन। मुख्य मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने विनियोग विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। मैं उन विधायकों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये और सरकार की व्यवस्था में किस प्रकार रचनात्मक परिवर्तन किये जाय, इस सम्बन्ध में सुझाव दिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से मना नहीं करता कि राजस्थान में कोई समस्या नहीं है। अनेकों समस्याएं हैं। कई समस्याएं बहुत ही गम्भीर हैं और इनका शीघ्रातिशीघ्र समाधान होना चाहिये। जितनी आपको चिन्ता है, उससे कम चिन्ता मुझे नहीं है। परन्तु यह विचार करना पड़ेगा कि ये समस्याएं पैदा क्यों हुई ? समस्याओं का स्वरूप क्या है ? और उसका समाधान कैसे हो सकता है ?

यहां पर, अध्यक्ष महोदय, जिक्र किया गया महंगाई का, यहां जिक्र किया गया बेकारी का, और यहां पर जिक्र किया गया कानून और व्यवस्था का और यहां जिक्र किया गया साम्प्रदायिक जहर का। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई बढ़ने का कारण राज्य सरकार है या केन्द्रीय सरकार की नीतियां हैं। मैं समझता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में कोई भी यदि विचारवान व्यक्ति होगा तो निश्चित रूप से यह मानेगा कि महंगाई का कारण आर्थिक नीतियां हैं और विशेष तौर पर केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियां इस महंगाई का मूल कारण हैं। अब विचार करना पड़ेगा कि इस आर्थिक नीतियों के निर्माता कौन हैं ? यदि आप यह समझते हों कि आर्थिक नीतियों की रचना मैंने मुख्य मन्त्री के नाते की है, मैं स्वीकार भी करूंगा तो भी विश्वास नहीं करेंगे। अब आर्थिक नीतियां कब बनीं, उसका भी उल्लेख करना मैं नहीं चाहूंगा लेकिन इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि सन् 1947 से लेकर 1989 तक केवल ढाई वर्ष का काल छोड़कर यहां पर केन्द्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस थी। अब यह कांग्रेस की आर्थिक नीतियां हैं जिनका फल महंगाई के रूप में आज सारा देश भुगत रहा है। ऐसा लगता है, आप चाहे इसका जिक्र करें कि इस समय महंगाई बढ़ रही है लेकिन यह महंगाई का पेड़ आपके जमाने में लगाया गया था, आपने इसको पानी दिया, आपने इसको बढ़ाया, आपने इसको खाद दिया और जब इस पेड़ के फल आने लगे तो आप कहने लगे कि महगाई हमारे कारण से नहीं किसी अन्य के कारण से बढ़ी है। मैं इस सदन को इतना ही कह सकता हूं कि 40 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने जिन आर्थिक नीतियों की रचना की है, वह आज इस महंगाई के लिये जिम्मेदार है। वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। आज यह सब जानते हैं कि कांग्रेस का शासन गया उस समय केन्द्र में कितना डेफिसिट था, उस समय, सब जानते हैं, महंगाई कितनी थी, आयात-निर्यात की क्या स्थिति थी, फौरेन एक्सचेंज का किस प्रकार का करेंट्स था। यह भी सब जानते हैं कि सरकारी विनियोजन से कितना घाटा हो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहा था, किस प्रकार अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, कितना कर्जा हो गया था, कर्जे के चुकारे के लिये कितना ब्याज देना पड़ता था और ब्याज की अदायगी के लिये हम आई. एम. एफ. से लोन लेते थे। यह सारी व्यवस्था अब मैं इसको व्यवस्था कहूं या अव्यवस्था, यह सारी अव्यवस्था कांग्रेस शासन की देन है और उसका प्रतिफल आज हिन्दुस्तान की जनता को भोगना पड़ रहा है।

अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य महंगाई का उल्लेख कर रहे थे। अच्छा होता जिस समय आपका शासन था, उस समय कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन आर्थिक नीतियों में किया जाता, महंगाई के ऊपर कुछ अंकुश लगाते, महंगाई के सम्बन्ध में किसी प्रकार की व्यवस्था की जाती लेकिन उस समय भी कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई जिससे महंगाई पर नियन्त्रण हो सकता।

आज महंगाई के दो पहलू हैं। एक तरफ किसान मांग करता है कि उसको अपनी उपज पर कीमत ज्यादा मिले। यदि गेहूं के भाव बढ़ते हैं, बाजरा के भाव बढ़ते हैं, किसान की अन्य जिन्सों के भाव बढ़ते हैं तो एक तरफ से त्राहि-त्राहि मचती है कि चीजों के भाव बढ़ गये। भाव नहीं बढ़ते तो किसान को अपनी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती। कीमत नहीं मिलेगी तो खेत में विनियोजन नहीं होगा, विनियोजन नहीं होगा तो पैदावार आगे नहीं बढ़ेगी और पैदावार नहीं बढ़ेगी तो खाद्यान्नों की कीमत और बढ़ जायेगी। किसान तो तबाह होगा ही, लेकिन उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति पर भी निश्चित रूप से विपरीत असर पड़ेगा और दूसरी तरफ प्रश्न आता है कि कारखानों से जो माल पैदा हो, उसकी कीमत पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं हो। आज किसान मांग करता है कि मेरी उपज के ऊपर तो सरकार नियन्त्रण कर रही है और कारखानों से जो माल पैदा होता है, उस पैदा होने वाले माल पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं हो। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता, लेकिन कारखानों से चाहे साबुन बने, कारखानों से चाहे जूते बने चाहे कपड़ा बने, चाहे अन्य उपभोक्ता सामग्री का निर्माण हो, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है, कोई उसकी कोस्ट अकाउंटिंग नहीं है और न उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्पादन मूल्य कितना आता है और उस उत्पादन मूल्य पर कितना लाभ लेना वाजिब है और उस वाजिब के बाद में उपभोक्ताओं को किस भाव से विक्रय किया जाना चाहिये, इस प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं है और यह माथुर साहब आपकी नीति मेरी बनाई हुई नहीं है, यह आर्थिक नीति कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई है कि आज जो कहते हैं, पण्डितजी कह रहे थे कि व्यापारी के कारण, जैसे यह पार्टी बड़े व्यापारियों की हो, लेकिन इस पार्टी में आप हाथ लगाकर देखेंगे तो व्यापारी नहीं है। इस पार्टी के अन्दर या तो किसान बैठे हैं, या आदिवासी बैठे हैं, या हरिजन बैठे हैं या एस. सी. और एस. टी. बैठे हैं, या साधारण आदमी बैठे हैं। अब आपकी नजर में बड़े व्यापारी हों तो आपकी नजर की खराबी है। मैं समझता हूं पार्टी में किसी प्रकार का दोष नहीं है। मैं इसी आधार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर कहना चाहता हूं कि आप कम से कम इस बात पर तो विचार करें कि जो 40 वर्षों में बुराइयां हुई हैं, इस आर्थिक नीति के कारण जो देश में एक विषैला वातावरण बना है, क्या एक वर्ष में मेरे पास कोई जादू था, जिस जादू के जरिये मैं पूरे 40 वर्ष का कचरा एक झाडू की झटकार में साफ कर देता, यह सम्भव नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज आर्थिक नीतियों में जो विषमता पैदा हो गई, आर्थिक नीतियों में जो खराबी पैदा हो गई, उस खराबी के कारण से महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और उसको रोकना न तो अकेले मेरे बस की बात है और न अकेले और कोई यहां बोल जायें, उनके बस की बात है। हम सबको मिलकर इस बात की चिन्ता करनी पड़ेगी कि अब की बार केन्द्र में किस प्रकार की सरकार आये, जो सरकार निश्चित रूप से आर्थिक नीतियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ले आये और पिछले 40 वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक नीतियों में बुराई पैदा की है, उस बुराई को खत्म कर दे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिक्र किया गया बेकारी का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जरा आत्मविलोचन करें और आत्मविलोचन करके देखें कि देश में बेकारी क्यों बढ़ी है? इस बेकारी के बढ़ने का कारण क्या है? यहां पर लोगों की आदत डाल दी कि बेकारी की समस्या का समाधान केवल मात्र एक ही है कि सरकारी सेवाओं में उनको नियुक्ति दे दी जाये, मैं समझता हूं बेकारी की समस्या का समाधान यह नहीं है। देश में रोजगार बढ़ें, देश में काम-धन्धे बढ़ें, देश में हर व्यक्ति को किस प्रकार से काम मिले, उसकी व्यवस्था की जाय। लेकिन हालत यह हो गई कि धीरे-धीरे पिछले 40 वर्षों में उत्पादन के केन्द्र कुछ लोगों के हाथों में चले गये। आज मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा, मेरे बचपन में मैंने देखा है, मेरे गांव के अन्दर लकड़ी का एक कोल्हू तेल पिलाने के लिए चलता था, आज एक कोल्हू नहीं है। वहां से कोल्हू निकालकर पास में रेनवाल कस्बा है, वहां एक छोटी सी तेल की मिल लग गई, वह सारे कोल्हू का धन्धा उस तेल मिल में चला गया और तेल मिल के बाद में बड़ी-बड़ी मिल बड़े-बड़े शहरों में लग गई और छोटी मिलें खत्म हो गई। आज मैं कहूं कि उस कोल्हू को किसने बंद करवाया, छोटी तेल मिल को किसने बन्द कराया, तो साफ तस्वीर सामने आयेगी कि कांग्रेस की औद्योगिक नीति इस प्रकार की थी कि उद्योग कुछ हाथों में केन्द्रित हो जाये और कुछ हाथों में केन्द्रित होने के बाद सब लोगों का शोषण किया जाये, यह शोषण किया है। जिसके कारण से छोटे उद्योग पनपते नहीं रहे, छोटे उद्योग चालू नहीं हुए और छोटे उद्योग चालू नहीं हुए उसके कारण से देश को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है और मैं समझता हूं कि आज उस नीति को शनैः शनैः तो बदला जा सकता है, इस प्रकार की सरकार ने चिन्ता की है और मुझे कहने में खुशी है कई बार पूर्व प्रधान मन्त्रीजी से मेरी बात हुई थी, वह इस सम्बन्ध में काफी चिन्तित थे कि किस प्रकार से इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये जिसके कारण से छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे पनपें और पनपाने में भारत सरकार किस प्रकार से इन उद्योगों का विकेन्द्रीकरण कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकें। अब प्रश्न यह आता है कि कांग्रेस ने उद्योगों का केन्द्रीयकरण किया, केन्द्रीयकरण करने में कुछ पूंजीपतियों का साथ दिया। कुछ पूंजीपतियों ने मिलकर सारे हिन्दुस्तान के उद्योग धन्धों को अपने हाथ में लिया और जब उद्योग उनके हाथ में चले गये, धीरे-धीरे सारे सिस्टम का आटोमेटिक सिस्टम बनने लगा, बेकारी अपने आप बढ़ने लगी। आज मुझे दोष दिया जाता है कि आपके राज में बेकारी बढ़ गई, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि क्या उद्योगों का केन्द्रीयकरण भैरोंसिंह ने कराया? या आपकी सरकार ने कराया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह छोटे-मोटे उद्योग किसके राज में बंद हुए और किसके राज में उनका पनपना बंद हुआ, यही कारण है कि आज देश के अन्दर बेकारी की समस्या बढ़ रही है। पंडितजी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि बेकारी की समस्या पर हमने काबू नहीं किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी केन्द्र में सरकार थी, हम तो सरकार से अलग बैठे थे, हम सरकार का समर्थन दे रहे थे, उस समय आपने और आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि हम जनता को काम का मौलिक अधिकार देंगे। यह मौलिक अधिकार का संशोधन क्यों नहीं लाया गया? क्या यह संविधान में संशोधन लाने का काम मेरा था।

श्री रामकिशन : मैं अभी तक बीच में नहीं बोलना चाहता। आप बोल लीजिए। आपने सरकार ही इसलिए गिराई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह बता दूंगा कि न तो कोई बिल आया। जो बिल आया उससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वह तो बिल केवल इसलिए पेश किया था कि आपके नेता के दिमाग में थी कि चुनाव आ रहा है और लोग यही प्रश्न करेंगे, तो एक ऐसा लगड़ा-लूला बिल पेश कर दो, जिससे न बेकारी की समस्या का समाधान हो और जनता में जाकर हम यह कह सकें कि हम तो बिल ले आये थे। अब बिल में कौन जाये? बिल में कोई घुसे तो बेकारी की समस्या का समाधान हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बोलने के पहले कम से कम हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि हमारा कितना उत्तरदायित्व था और इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए हमने अब तक किस प्रकार की कोई कार्यवाही की है। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बात की चिन्ता है कि बेकारी की समस्या का समाधान होना चाहिए और इसी दृष्टि से आपने बजट भाषण में देखा होगा कि मैंने राजस्थान के छोटे-छोटे जो गांव गांव के अन्दर काम फैले हुए हैं, दस्तकारी के काम फैले हुए हैं, छोटे-मोटे काम फैले हुए हैं, उन कामों में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाये, उन कामों को बढ़ाया जाये और सबसे बड़ी जो समस्या आती थी कि उनका विक्रय सही मूल्य पर और सही स्थान पर नहीं होता था, इसलिए मैंने तय किया कि विक्रय मूल्य जिस भाव से वह लें, उस भाव से तो पहले उनको कच्चा माल दो। कच्चा माल देने के बाद में उनको छूट दो कि अपने माल की बिक्री कर लें और जो माल नहीं बिकता हो, उसको राजस्थान सरकार खरीदे, ताकि वह उद्योग पनपते रहें और उसके कारण से उन लोगों का काम धंधा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चालू हो, इस दृष्टि से मैंने काम किया है। यह कोई मामूली काम नहीं है। मैं इसमें घाटा खाने को तैयार हूं और घाटा केवल इसलिए खा रहा हूं कि छोटे-मोटे लोगों के हाथों में जितने भी काम हैं, वह काम करते रहें और काम करने के साथ-साथ वह स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत चलें, बैंक उनको सहायता करे, राज्य सरकार उनको सहायता करे और सहायता करके वह पनपें। आज आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत कम ऐसे क्षेत्र बचे होंगे जिनमें उनकी विशेषता नहीं हो। कहीं पर मिट्टी का काम होता है, कहीं पर हाथी दांत का काम होता है, कहीं पर लोहे का काम होता है, कहीं पर लकड़ी का काम होता है, कहीं चमड़े का काम होता है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिस क्षेत्र की कोई विशेषता नहीं हो। लेकिन यह क्षेत्र इसलिए नहीं पनप पाये कि उनकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। 40 वर्ष तक आप लोगों ने राज किया। 40 वर्षों में आप मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं कर पाये, हमने तय किया है, हम घाटा खायेंगे और उनका माल जिसका विक्रय नहीं हो रहा है, उस माल को खरीदेंगे और कच्चा माल उनको देंगे और मैं आज आपको कह सकता हूं कि अगले एक वर्ष में आप देखेंगे कि राजस्थान में कोई कुटीर उद्योग या दस्तकारी का काम करने वाला व्यक्ति, यह बेकार नहीं रहेंगे। बेकारी की समस्या का समाधान ही नहीं होगा बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा। यहां अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न उठाया गया कि देश में साम्प्रदायिक तनाव बहुत है। मैं समझता हूं कि राम मन्दिर के प्रश्न को लेकर आप साम्प्रदायिकता की बात कह रहे हैं। कांग्रेस के मित्र भी जब बोलते हैं तो मुझे चिन्ता होती है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि पिछले 40-50 वर्षों में आपका केवल एक ध्येय रहा कि हिन्दू और मुसलमान में एकता पैदा नहीं होनी चाहिए, गांव का विकास नहीं होना चाहिए, गरीब को रोटी नहीं मिलनी चाहिए, हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट को शोषण का डर बने रहना चाहिए ताकि किसी कारण से लोग कांग्रेस की झोली में पड़े रहें। इस झोली में मुसलमानों को कहा जाता था कि यदि कांग्रेस का राज नहीं रहा तो मुसलमानों की तबाही हो जायेगी, यह कहा जाता था हरिजनों को कि यदि कांग्रेस का राज नहीं रहा तो हरिजनों का शोषण होगा। जो लोग आज किसी प्रकार के धन्धे में नहीं हैं, गरीब हैं उन गरीबों को कहा जाता था कि हिन्दुस्तान के अन्दर गरीबी केवल कांग्रेस ही मिटा सकती है, गरीबी मिटाने के लिए कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो गरीबी बढ़ेगी। आज, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रचार किया गया। पहली बार कांग्रेस की दुकान उठी है, पहली बार अल्पसंख्यक यह समझने लगा है कि कांग्रेस का साथ देने से हम बाकी के समाज से अलग होंगे। जब तक हिन्दू समाज हमारी सुरक्षा के लिए नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी हमको नहीं बचा सकती। यह पहली बार अन्दाजा अल्पसंख्यकों को इस बार हुआ है। कांग्रेस के लोग किस मुंह से बोल रहे हैं। जिस समय मिजोरम में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ था कि मिजोरम में क्रिश्चियन स्टेट बनेगी। हिन्दुस्तान में आज तक किसी भी पार्टी ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस प्रकार की घोषणा नहीं की। आप थियोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं, आप धर्म राज्य की बात करते हैं। कांग्रेस की कलम उस समय टूट गयी थी जिस समय मिजोरम का घोषणा पत्र बनाया और मिजोरम के घोषणा पत्र में यह लिखा कि यहां पर क्रिश्चियन राज्य कायम होगा ? मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिकता के आधार पर तो कांग्रेस उसी दिन डूब गयी। आज खड़ी है तो उसके तिनके खड़े हैं, वह कांग्रेस नाम की वस्तु नहीं। जिस कांग्रेस को महात्मा गांधी ने जन्म दिया, जिस कांग्रेस को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पनपाया आज वह कांग्रेस वोट के लालच में क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए तैयार हो जाय और दूसरा संगठन यदि राम के मन्दिर की मांग करे तो मन्दिर की मांग करने वाला तो साम्प्रदायिक हो गया और क्रिश्चियन स्टेट की घोषणा करने वाले वे कहते हैं कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। यह धर्म निरपेक्षता की पोल खुल रही है, यह छद्म धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती। हिन्दुस्तान की जनता ने आपका धर्मनिरपेक्ष देख लिया। देखने के बाद जनता की यह मान्यता बन गयी कि धर्मनिरपेक्षता की चर्चा करना कांग्रेस का फरेब है. इस फरेब के आधार पर वह वोट लेने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, गांव का कांग्रेस पार्टी ने शोषण किया. 1947 के बाद 40 वर्षों में हिन्दुस्तान में गांवों की समस्या का क्या समाधान नहीं हो सकता था ? (व्यवधान) क्या बोल रहे हैं, बोल लें। मुझे आपत्ति नहीं, बोलना चाहें तो बोल लें।

अध्यक्ष महोदय, हरिजन का नाम लगातार लिया जाता रहा। इन्दिरा आवास योजना बन रही है, हरिजनों के लिए कभी 11-12 सूत्री कार्यक्रम बन रहे हैं, कभी 20 सूत्री कार्यक्रम बन रहे हैं, कहीं विशिष्ट योजनाएं बन रही हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि 40 वर्षों से जो गरीबी मिटाने की बात कर रहे थे, सन् 1947 से लेकर अब तक गरीबों की दुहाई देते गये, कितनी गरीबी मिटी ? आप आंकड़ों के आधार पर गरीबी मिटाना चाहते हैं। यह मैं मानता हूं कि आंकड़ों से आपने गरीबी मिटायी है। लेकिन माथुर साहब, आपको तो ध्यान होगा, जोशीजी को भी ध्यान होगा कि सरकार ने आंकड़े बनाने की जो प्रक्रिया बनायी वह इतनी चतुराई से बनायी कि उससे आंकड़े अपने आप कम हो जायं। दुनिया जानती है कि राजस्थान में गरीबी बहुत है, सरकार मानती है, योजना आयोग मानता है, फाइनेंस कमीशन मानता है कि राजस्थान में गरीबी बहुत है। उस राजस्थान में, आप कहते हैं कि गरीबी कम होती जा रही है। गरीबी कम होती जा रही है तो पिछली सरकार ने कई बार भारत सरकार को कहा कि गरीबी के आंकड़े बनाने का सिस्टम गलत है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अब आप अन्दाजा लगा लें कि गरीबी मिटी नहीं, 40 वर्षों में गरीबी मिटी नहीं। मुझे याद है छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राजस्थान में 46 प्रतिशत गरीब थे। जब सातवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने लगी तो आंकड़े घटकर एकदम 38 प्रतिशत आ गये। 46 प्रतिशत नहीं 56 प्रतिशत। 56 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत आ गये। मैंने इसी विधान सभा में पूछा था। मैंने कहा, यह कौनसा जादू है ? हमने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गरीब के घर में जादू नहीं देखा, गरीब की झोंपड़ी में जादू नहीं देखा। जादू हमने कहीं देखा नहीं और 56 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत हो गया ? तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने प्लानिंग कमीशन को पत्र लिखा कि आंकड़े जो घटाये गये हैं वे सही नहीं हैं। अब 38 प्रतिशत के बाद 33 प्रतिशत हो गयी गरीबी और अब तो लेटेस्ट जानकारी मिली है कि 23 प्रतिशत हो गयी। उसी बात को लेकर अभी आपके कांग्रेस के अध्यक्ष जब भाषण दे रहे थे उन पूरे भाषणों में उन्होंने कहा है कि जब मैंने शासन लिया था उस समय 38 प्रतिशत गरीबी थी आज वह घट कर 23 प्रतिशत रह गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह गरीब के साथ सबसे क्रूर मजाक है। गरीबी मिटी नहीं, आंकड़ों में उसको मिटाने की आपने कोशिश की। गरीब के नाम पर जो पैसा आया उसको लूटा गया। मैं लूटने की बात नहीं कहना चाहता, आपके कांग्रेस के भाषणों का उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले चुनावों में जब वे भाषण देने जाते थे तो कहते थे कि मैं दिल्ली से खजाने से सौ रुपये भेजता हूं, गरीब के पास केवल पन्द्रह रुपये पहुंचते हैं बाकी 85 रुपये बीच में ही खराब हो जाते हैं। उस आधार पर चिन्ता कर लें कि क्या गरीबी मिटी है ? क्या गरीबी मिटाने का ईमानदारी से प्रयास किया गया है ? क्या गरीब की झोंपड़ी में बत्ती लगाने की बात कही गयी है ? क्या गरीब की झोंपड़ी में रोजी-रोटी का इन्तजाम किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने गरीबी मिटाने का नाम लेकर गरीबों का शोषण किया है।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के निर्माताओं ने कभी यह कल्पना नहीं की थी। जब संविधान बना उस समय व्यवस्था की थी कि 10 वर्षों में रिजर्वेशन के कारण शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ठीक हो जायेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान के निर्माताओं की यह जो कल्पना थी उस कल्पना को साकार किसने नहीं होने दिया ? हरिजनों का उत्थान किसने नहीं होने दिया ? हरिजनों का आर्थिक और सामाजिक विकास किसने नहीं होने दिया ? इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आज उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। आज ये कह सकते हैं कि हर बार हमने रिजर्वेशन 10 वर्ष और बढ़ा दिया, 20 वर्ष और बढ़ा दिया। लेकिन डाक्टर अम्बेडकर की इस कल्पना को कि 10 वर्ष में हिन्दुस्तान में सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के सामने न कोई सामाजिक समस्या रहेगी, न आर्थिक समस्या रहेगी, सबसे बड़ा कुठाराघात किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया जिसने हरिजनों की समस्याओं को बनाये रखा ताकि हरिजन उनको डरते हुए वोट देते रहें। वोट लेते वक्त तक उनका राज चलता रहा।

अध्यक्ष महोदय, गांवों का शोषण भी इसी प्रकार किया गया। गांवों में 1947 में जाते थे, 1952 का मैंने चुनाव लड़ा था। मुझे पता है कि जिस समय गांवों में जाते थे तो लोग कहते थे कि सड़क बना देगा उसको वोट देंगे, स्कूल बना देगा उस को वोट देंगे, यहां पर कोई पानी का इन्तजाम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करा देगा उसको वोट देंगे। गांवों की समस्याओं के समाधान की मांग करते थे। 40 वर्षों के बाद आज भी जब गांवों में जाते हैं तो गांव के लोग कहेंगे, कि बिजली देगा उसको वोट देंगे, प्राइमरी स्कूल खोलेगा उसको वोट देंगे, पशु चिकित्सालय खोलेगा उसको वोट देंगे या और कोई विकास का काम करेगा उसको वोट देंगे। जिसके हाथ में सत्ता होती है वह उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। पिछले 47 वर्षों में गांवों का शोषण किया, गांवों का विकास नहीं होने दिया। आपको याद है कि 1977 में मैंने "काम के बदले अनाज" योजना चलायी थी। गरीब को मजदूरी मिली और गांवों में काम की गंगा बही। उस समय जब मैंने चालू की आप ही लोग कहा करते थे कि सारा गेहूं सरपंच खा रहे हैं। वे सरपंच भी आपके थे, मेरे सरपंच नहीं थे, लेकिन अपने सरपंचों के बारे में कहते थे कि सारा का सारा पैसा और धन सरपंच खा रहे हैं। मैंने उस समय कहा था कि यह गेहूं किसी नेता के घर का नहीं है, यह गेहूं किसी पार्टी का नहीं है यह हिन्दुस्तान के काश्तकार का गेहूं है, सरकार ने डण्डे मार कर उसको वसूल किया है। आज वह गेहूं यदि गांवों में जाता है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस पार्टी के दिमाग में हुआ कि गांवों में गेहूं चला गया। गांवों में गेहूं कोई सड़ा नहीं, जिस मजदूर ने कभी होली-दीवाली भी गेहूं नहीं देखा था, जिस मजदूर ने कभी गेहूं खाने की कल्पना नहीं की थी, 1977 से लेकर 1980 का वह एक जमाना था कि उस समय गरीब के घर में गेहूं पड़ा मिला और गरीब ने एक दिन नहीं 12 महीने तक गेहूं खाया। इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि गांवों में किसी प्रकार की बेकारी नहीं रही, ये सब कुछ व्यवस्थाएं थीं। आपने शोषण किया और शोषण करने के कारण सारे राजस्थान का विकास नहीं हो पाया, सारे देश का विकास नहीं हो पाया। पिछले एक वर्ष से हम शासन करने लग गये तो सारी जिम्मेदारी आज जैसे हमारी हो गयी, यह कह कर आप पीछे हट गये।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने "काम के बदले अनाज योजना" की जगह "अपना गांव अपना काम" योजना चालू की है। बड़ा विरोध हुआ था जिस समय शुरू हुई कि जनता की इसमें भागीदारी नहीं होगी। मेरे सामने दो प्रश्न थे कि सरपंचों के खिलाफ और पंचायत समिति के प्रधानों के खिलाफ आये दिन आरोप लगते थे कि जवाहर रोजगार योजना के अन्दर इतना रुपया खा लिया, इतने रुपये का फर्जी हिसाब बना दिया, इतना काम गलत कर दिया। या तो मेरे सामने प्रश्न आया कि मैं इन सरपंचों और पंचायतों को खतम करूं और इनके स्थान पर दूसरा चुनाव करवाऊं या मेरे सामने यह समस्या थी कि इन्हीं सरपंचों से काम लेऊं। मैंने उनको ईमानदार बनाने की कोशिश की और आप लोग यह चाहते हैं कि उनको ईमानदार मत बनाओ, जिस तरह से खाते थे उसी तरह से खाने देओ। ईमानदार डण्डे से नहीं बना रहा हूं, व्यवस्था में परिवर्तन करके उनको ईमानदार बना रहा हूं। और व्यवस्था में परिवर्तन किया कि 30 प्रतिशत गांवों का पैसा होगा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

70 प्रतिशत रुपया सरकार का होगा। 30 प्रतिशत गांव का पैसा होगा जो लोग भी उस 30 प्रतिशत धनराशि में योगदान करेंगे वह 30 प्रतिशत गांव का और 70 प्रतिशत सरकार का होगा, वह इसकी पूरी निगरानी रखेंगे। उसके कारण से करप्शन अपने आप कन्ट्रोल होगा। अभी आप जाकर गांवों में देख लें, गांवों में जो काम के बदले अनाज योजना के समय जिस प्रकार की हवा बनी थी आज उसी प्रकार की हवा बन रही है। मुझे खुशी है कि हमारे पक्ष के एम.एल.ए. और आपके पक्ष के एम एल ए. कम से कम आज यह तो कहने लग गये कि इस योजना का आकार और बढ़ाया जाय, इसमें और धनराशि का प्रावधान किया जाय। गांवों में जोश आया है उस जोश को ठण्डा नहीं होने दिया जाय। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि इस सरकार के खजाने में जितना पैसा है उसमें से अधिकांश पैसा मैं गरीब की रोटी के इन्तजाम मे लगाऊंगा, गांव के विकास में लगाऊंगा, किसान के हित में लगाऊंगा। अपना काम अपना गांव जो योजना है उसके लिये और धनराशि की आवश्यकता हुई उस धनराशि की मैं पूर्ति करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां प्रश्न यह भी आया कि मैंने 3 जिले खोल दिये और बाकी करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मेरा जिला क्यों नहीं खोला। अभी एक माननीय सदस्य बोल गए कि यहां पर 4-5 जिलों की और मांग हुई थी। अब कम से कम मांग करने लगे, मांग करने से पहले यह तो सोचते कि 10 वर्षों से यह मामला पैण्डिग है और 10 वर्षों से नहीं तो राजस्थान के बनने के बाद एक भी जिला नहीं बना। 1977 में मैंने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के आधार पर धौलपुर जिला बनाया जाय उसको प्रस्तावित किया और प्रस्तावित करने के बाद में आप कह सकते हैं कि हम चले गए लेकिन उस प्रस्ताव के अनुसार धौलपुर जिला बन गया। उस समय रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद जिला बनाने की बात कही गई। 10 वर्ष तक वह जिला बनाने की बात बस्ता-ए-खामोश पड़ी रही। मैंने आकर 3 जिले बना दिये। 3 जिले बनाकर कोई अपराध नहीं किया। लोगों की समस्या तत्काल स्थान के उपर समाधान हो जाय। मैंने केवल व्यवस्था की है। अब करौली से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरे इलाके का नहीं हुआ....

श्री यदुनाथ सिंह : करौली से अब नहीं आ रहे हैं, जयपुर से लड़ रहे हैं। छोड़ो इसकी चर्चा मत करो अब आप। अब ज्यादा इन्ट्रस्टेड नहीं हैं उसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसा नहीं है, क्या....

श्री यदुनाथ सिंह : ज्यादा इन्ट्रस्टेड नहीं है कि करौली बनायें। करौली बनाने के लिए ज्यादा इन्ट्रस्टेड नहीं हैं। जयपुर से लड़ रहे हैं ये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्रथम चुनावी भाषण के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इस बात की खुशी है कि अब आप धैर्यपूर्वक इसको

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सुन रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री यदुनाथ सिंह : यह टोकेंगे नहीं, आज आपको थका कर छोड़ेंगे यह लोग। यह तो मैं ही मदद के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी मिली भगत है ऐसा मालूम पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यदुनाथसिंह जी का आभारी हूं और आभार मैं समय-समय पर प्रकट करना चाहता हूं।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि आखिर तारीफ करनी चाहिए थी इस बात की कि एक काम की शुरुआत तो हुई, 3 जिले तो हुए, अब 3 जिलों के बाद में और कौन से जिले खुलते हैं – साधनों की और प्रशासनिक व्यवस्था की जिस समय पूर्ति हो जायेगी तो मैं समझता हूं कि बाकी जिलों पर भी विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से तहसीलें और उप तहसीलें खोलने की मांग चल रही है। इस सदन में मैंने कई बार कहा है, पंडितजी सही कहते हैं हम सब लोग कई बार बोले हैं लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। मुझे इस बात की तो खुशी है कि जो हमारी सुनवाई नहीं करते थे वह आज अब मेरे से मांग कर रहे हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है। भगवान करे वह मांग करते रहें और मैं उनकी सुनवाई करता रहूं।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन कर रहा था कि तहसीलें और उप तहसीलें, निश्चित रूप से कई तहसीलें बढ़ी हैं, काश्तकारों के पहुंचने में कई समस्याएं सामने रहती हैं उनके सामने और दूरी के कारण से खर्चा भी बहुत होता है। इसलिए तहसीलें और उप तहसीलें बनानी आवश्यक हैं लेकिन उसके लिए कोई कमीशन अभी तक नहीं बैठा है। मैंने अपने बजट भाषण में यह कहा था कि मैं वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर रहा हूं। मुझे आशा है कि वह समिति शीघ्र ही रिपोर्ट देगी और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि तहसीलें खोलने से जन समस्या का समाधान होता है वह तहसीलें हों और उप तहसीलें हों मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी।

मैं इसी आधार पर कहना चाहता हूं कि यहां पर मुकदमों की संख्या तो गिनाई जाती है कि हाई कोर्ट और बाकी के जुडिशियल कोर्ट्स में मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ी है। यह बात सही है कि बहुत बढ़ी हुई है। अगर संख्या के आधार पर आज की व्यवस्था देखें तो मैं खुद मानता हूं कि यह पूर्ण नहीं है, यह उपयुक्त नहीं है लेकिन इस व्यवस्था में पिछले 40 वर्षों मे क्या परिवर्तन किया गया ? कोई परिवर्तन नहीं किया गया। केवल अब एक परिवर्तन आया है। यह मुकदमों की संख्या बतायी जा रही है, उस संख्या को कम करने के दो ही तरीके हैं एक तो ज्यादा से ज्यादा अदालतों का, जुडिशियल कोर्ट्स का गठन किया जाय और उस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने व्यवस्था की है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में गुणावगुण (मैरिट्स) के आधार पर जो सरकार ने पैरा मीटर्स तय किये हैं उनके आधार पर जहां-जहां आवश्यकता होगी हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कोर्ट्स का गठन करेंगे। दूसरा तरीका, अध्यक्ष महोदय, यह है कि जो ऐसे मामले अदालतों में वर्षों से चल रहे हैं जिनका कोई लेना-देना नहीं है। मेरे कुछ मामले नोटिस में आये हैं जिनमें कुछ आदिवासी जो इण्डियन पेनल कोड की धाराओं में गिरफ्तार हुए या किसी माइनर एक्ट की धारा में गिरफ्तार हुए मैक्सिमम पनिसमेंट हैं अगर वह अपराध स्वीकार कर लेते हैं और जज पूरी सजा दे देता है तो उस सजा की अवधि के उपरान्त भी वह लोग कई वर्षों से जेलों में पड़े हुए हैं, अभी जेलों में पड़े हुए हैं। इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि गरीबों के ऊपर जिसमें आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग शामिल हैं ऐसे माइनर एक्ट के मुकदमे बने हुए हैं और उन मुकदमों के अन्दर कोई सरकार को लाभ होने वाला नहीं है, तारीख पेशी पर जाने से और उस पर खर्चा करने से गरीब की तबाही हो रही है। मैंने कल ही निर्णय लिया है कि इस प्रकार के मुकदमे का जल्दी से जल्दी निस्तारण का एक ही तरीका हो सकता है कि इस प्रकार के गरीबों के मुकदमे सारी कोर्ट्स से वापस ले लिये जायं। मैं समझता हूं कि इससे उनको वास्तव में रिलीफ मिलेगी और मैं रिलीफ देने के पक्ष में हूं।

अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के बारे में यहां पर कल मांग की जा रही थी कि आदिवासी क्षेत्र में शराब के ठेके नहीं दिये जायं, वहां पर महुआ की शराब निकालने की अनुमति दी जाय। अनुमति तो नहीं दी गई लेकिन कोई आदिवासी महुआ से शराब बना लेता है तो उसका चालान होता है। हमने फैसला किया है कि एक्साइज एक्ट में जितने मामले आदिवासियों के खिलाफ बने हुए हैं वह सब विथड्रा किये जायं। अब इस कारण से आदिवासियों की समस्याओं का समाधान होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी आधार पर कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के मित्र यहां पर 40 वर्षों से बैठे हुए हैं। इन 40 वर्षों में एक आदिवासी आई. ए. एस. नहीं बना है, एक आदिवासी आई.पी.एस. नहीं बना है केवल दो लोग आर. ए. एस. और आर. पी. एस. में आये हैं। इसके अलावा ज्यादा का सलेक्शन नहीं हुआ, जो उनके वोट तो लिये कभी इस बात की चिन्ता नहीं की कि इन गरीबों को किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाय जिसके आधार पर आई.पी.एस. और आई.ए.एस. में उनका सलेक्शन हो। आपने कभी इसकी चिन्ता नहीं की कि कान्स्टेबिल में उनकी भर्ती नहीं है, कनिष्ठ लिपिक में उनकी भर्ती नहीं है, अध्यापक में उनकी भर्ती नहीं है, चपरासी में उनकी भर्ती नहीं है, कहीं भी उनको नौकरी नहीं मिलती है। मुझे इस बात की घोषणा करने में गर्व है कि आदिवासी क्षेत्र में 50 प्रतिशत का मैंने रिजर्वेशन किया है और इस कारण अगले वर्ष ही आप देखेंगे इन लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में शाहबाद और किशनगंज का सहरिया क्षेत्र भी आना चाहिये। मैं उनको तसल्ली देता हूं कि आदिवासी क्षेत्र में यदि वह नहीं आता है तो उसको निश्चित रूप से शामिल करेंगे इसके बारे में परेशान होने की जरुरत नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसलिये मैंने आपको कहा है कि आज जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि गरीबी नहीं मिट रही है, बेकारी नहीं मिट रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में बिगाड़ हो रहा हैं। इस बात का कारण मैं नहीं हूं, कारण ये हैं और आप जब तक असल कारण नहीं पकड़ेंगे तब तक समस्या का समाधान, हेतराम जी नहीं होगा। आप उधर बैठे हैं समस्या के जनक और हम सब को मिल कर जनकों का सफाया करने की कोशिश करनी चाहिये तभी जाकर इन समस्याओं का समाधान होगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर हमारे भूत-पूर्व उपाध्यक्ष महोदय....

श्री यदुनाथ सिंह : अभूतपूर्व।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभूतपूर्व मैं हूं और भूतपूर्व आप हो।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर कई चीजों का उल्लेख किया मैं समझता हूं कि इस विषय पर उनका अध्ययन है। मैं उनकी राय से सहमत हूं, आपकी इस राय से सहमत हूं कि 1980 में....

श्री यदुनाथ सिंह : 1981 में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह समझौता आपने और मैंने नहीं किया। यह समझौता सामने बैठे हुए लोगों ने किया। 1984 का समझौता आपने और मैंने नहीं किया था, यह सामने बैठने वालों ने किया था।.... और यह किसलिए किया, राजस्थान के हित में नहीं अपनी कुर्सी को बचाने के हित में किया कि हमारी कुर्सी कैसे बचे, राजस्थान की बिजली दे दी राजस्थान का पानी दे दिया। प्रो. केदार कह रहे थे कि हेड वर्क्स हमारे नियन्त्रण में नहीं है। यह सही है कि हैड वर्क्स हमारे नियन्त्रण में नहीं है। पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट में यह व्यवस्था की गई है कि हैड वर्क्स बी. बी. एम. बी. को दिया जाए। पिछले दस वर्षों से हम मांग करते रहे हैं लेकिन 1981 का जो समझौता हुआ इस समझौते में हैड वर्क्स की मांग करते रहे हैं लेकिन दिया और यह कहकर समझौता कर लिया और इस समझौते की पुष्टि में मैंने पंजाब में जो समझौते के आधार पर एक व्हाइट पेपर बनाया था वह इस सदन में रखा था और उस व्हाइट पेपर में इस बात का उल्लेख था कि अब हैड वर्क्स का विवाद राजस्थान और हरियाणा के बीच में मिट गया और यहां पर तत्कालीन मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी ने कहा था कि आज तक हम मीटर की रीडिंग नहीं कर सकते थे, मीटर गेज नहीं ले सकते थे। हम माधोपुर हैड वर्क्स पर जाकर इसकी जांच कर सकेंगे। भाखड़ा छोड़ दिया, हरीके छोड़ दी और माधोपुर पहुंच गये। आज माधोपुर में भी मीटर आप नाप नहीं सकते, न पानी की रिलीज की मात्रा आप तय कर सकते। आज आप कहना चाहते हैं पिछले 1981 में और 1984 में उसी प्रकार के समझौते कोल डेम के मामले में हमने किए। कोल के मामले में, कोल पार्वती के मामले में जिसमें सही आंकड़े तो शिवचरण जी माथुर को याद होंगे, उन्होंने रुपया दिया था। एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये हमने हिमाचल की सरकार को दिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिये। अब यह सब कुछ आज मेरे सामने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समस्या आई है इस समस्या का समाधान करने के लिये देश के वातावरण के ऊपर आपको चिन्ता करनी पड़ेगी ।

मैं समझता हूं अगर मैं होता तो न 1984 का समझौता करता मैं होता तो न 1981 का समझौता करता और आज अगर समझौता हो गया और मेरे ऊपर अगर उस समय पार्टी का दबाव पड़ता तो मैं पद छोड़कर चला जाता लेकिन आत्मघाती समझौता नहीं करता । आज इस सदन को सजा देनी चाहिये तो शिवचरण जी माथुर और हरिदेवजी जोशी को सजा देनी चाहिये जिन्होंने राजस्थान को अन्धेरे में रखा, जिन्होंने राजस्थान को सूखा रखा । अब इस समझौते को लागू करने का प्रश्न आता है । लागू करने के सम्बन्ध में मैंने क्या एफर्ट्स किये हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान के हित में यदि कोई माननीय सदस्य मुझसे बात करना चाहे मैं बताऊंगा, मैंने जो एफर्ट्स किये हैं बताऊंगा लेकिन उसमें समस्या कहां पैदा हुई है वह समस्या भी बताऊंगा और उस समस्या को सुनने के बाद, समझने के बाद यदि यह सदन मुझे निर्देश देता है तो जो मैंने एक्शन प्लान बना रखा है उस एक्शन प्लान पर भी मैं जाने की कोशिश करूंगा । यहां पर प्रो. केदार ने और हेतराम जी ने कल भी प्रश्न उठाया था, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कह सकता हूं कि मैं कुछ बोलूंगा मुझे भय है कि इसके कारण से किसी दूसरे क्षेत्र में इरिटेशन पैदा न हो, कहीं रेसिस्टेंस पैदा न हो इसलिए मैंने उनसे बातचीत की है और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की केन्द्रीय सरकार है, केन्द्रीय सरकार की जिस प्रकार की स्थिति है आतंकवादियों का जिस समय आतंक है, उस स्थिति में क्या रास्ता निकल सकता है, वह रास्ता मेरे ध्यान में है । दो तीन दिन में ही मैं इसका समाधान करने की कोशिश करूंगा । उसका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में आतंकवादियों का आतंक फैल रहा है, इस बात का आरोप लगाया गया और यह भी लगाया कि पुलिस भ्रष्ट है लेकिन मैं समझता हूं कि आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं जो पुलिस को भ्रष्ट कहते हैं, मैं समझता हूं कभी कान में भी मुझे कह सकते थे, मुझे लिखकर भी दे सकते थे । कहीं कान में कहा नहीं, कहीं लिखकर दिया नहीं और भगवान मैं हूं नहीं । भगवान मैं नहीं हूं कि दूर से ही पहचान जाऊं । मेरे पास ऐसी कोई दूरबीन नहीं है जिससे मैं अन्दाज लगा लेऊं, मैंने कोशिश की है गंगानगर पाकिस्तान की सरहद पर है, गंगानगर पंजाब की सरहद पर है, सरहद बहुत बड़ी है । वहां पर वायर फेंसिंग हुआ है, वहां पर फ्लश लाइट्स का इन्तजाम किया गया है । अनूपगढ़ का कुछ क्षेत्र बाकी है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है । अनूपगढ़ की घटना के बाद मैंने निश्चित रूप से भारत सरकार से कहा है, अतिरिक्त सैनिक पुलिस बल भी मांगा है और वहां पर पंजाब एक्शन प्लान की तरह से राजस्थान की सीमा को कवर करने की मांग भी की है । लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि तीन जिलों में अघोषित फौज भी वहां बैठी है, वहां पर पुलिस भी बैठी है, और आतंकवादी कभी तीस को मारते हैं, कभी चालीस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

को मारते हैं, कभी पचास को मारते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि आतंकवाद को दबाया नहीं, कभी कांग्रेस वालों ने आत्म विलोचन किया है, कभी गर्दन नीची करके अपने मन में देखा है। भिंडरवाला को पहले पैदा किया और पैदा करने के बाद में जो समस्याएं पैदा हुई उन समस्याओं के लिये मुझे दोषी बता रहे हैं कि पंजाब की समस्या का समाधान नहीं हुआ। उसी भिंडरवाला को आपके कांग्रेस अध्यक्ष ने सन्त कहा। वो ही सन्त भिंडरवाला, उनके कारण से आज सारे पंजाब में आतंकवाद फैल रहा है और उसके कारण से मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस समस्या का समाधान आज के प्रधान मन्त्री करने में लगे हुए हैं। मैं उस आदमी की हिम्मत की प्रशंसा करूंगा कि उसने धड़ाके से कह दिया कि इस समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी स्तर पर जाकर किसी से बात कर सकता हूं। आपने लोंगोवाल का समझौता किया, बातचीत नहीं हुई, बातचीत के परिणाम उल्टे निकले। आज सिख मांग कर रहे हैं लोंगोवाल समझौता कहां गया ? न आज की सरकार जवाब दे सकती, न दूसरे जवाब दे सकते लेकिन इस व्यक्ति ने एक हिम्मत की एक वातावरण बनाया और इस समय जब मामले का फैसला होने वाला था तो कांग्रेस ने दो सिपाहियों का बहाना बनाकर उस सरकार से अपना समर्थन वापिस लिया और जनता के सामने एक हजार करोड़ के खर्चे के इस चुनाव की घोषणा करवा दी।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि बात करना तो आसान है। यहां पर मांग की गई कि सीमा के ऊपर सब प्रकार की व्यवस्था की जाय, मैंने सीमा का एक एक चप्पा-चप्पा देखा हुआ है, सीमा के लोगों से मैं परिचित हूं .. (व्यवधान)

श्री ईश्वरलाल सैनी : आज तो पानी पीकर बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी उम्र में आओगे तो पानी नहीं दूध पीकर बोलोगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सन्दर्भ में माननीय हेतराम जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। वह मेरी आलोचना करें आपको छूट है, जितनी चाहे उतनी आलोचना करें, आलोचना सही होगी तो मुझे खुशी होगी। आलोचना में किसी प्रकार का और भाव होगा तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया दूसरे प्रकार की होगी। लेकिन आज आपने एक बात कही कि गंगानगर जिले का सिख और हिन्दू यह समझ रहा है कि गंगानगर जिले में नहीं रहकर, यदि आतंकवाद की गतिविधियां नहीं रुकती हैं तो हमें पंजाब में शामिल होना चाहिए। मैं आज आपको कहता हूं, गंगानगर जिले को जितना आप जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं। गंगानगर जिले में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आतंकवाद से डरकर पंजाब में शामिल होने के लिये तैयार हो जाये। एक व्यक्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार का भाषण, यदि यह भाषण वहां की जनता के पास पहुंचता है तो उनके दिमाग में जो चीज नहीं आयी वह चीज दिमाग में स्वतः ही उत्पन्न होगी और इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाषण में कम से कम ऐसे गम्भीर मामलों पर हमें चर्चा करने से पहले कुछ विचार करना चाहिए।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बात की नाराजगी हो सकती है कि कई जगह पीने के पानी की समस्या है। भरतपुर में खास तौर से उसका जिक्र किया गया। भरतपुर की इननडेशन स्कीम, यदुनाथ सिंह जी आप जानते हैं, उसको मैंने खराब नहीं किया इन्होंने किया है। मैं आपको एक ही विश्वास देता हूं कि भरतपुर के सब विधायक बैठ जाएं और बैठकर वह स्कीम बना लें और इस साल करोड़, दो करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से इस इननडेशन स्कीम को ठीक कराने के लिए देऊंगा, आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां शिक्षा के सम्बन्ध में मांग की गई, कई तो कहने लगे 25 मिडिल स्कूल खोले गए कोई कहने लगा हजार प्राइमरी स्कूल खोले गये। आप भी जानते हैं सरकार के साधन सीमित हैं। आपने यह अच्छी तरह से देखा मैंने कोई टैक्स नहीं लगाये। मैंने टैक्स में रिलीफ दी है, लोगों को और कई प्रकार की रिलीफ दी है और इस रिलीफ के जमाने में आप यह मांग करें कि स्कूल ज्यादा नहीं खोले, हजार प्राइमरी स्कूल खोले हैं माननीय सदस्य चाहें तो पांच सौ स्कूलों की संख्या में और बढ़ा सकता हूं। और इस आधार पर गांवों में इस प्रकार की भी स्थिति बन जाएगी... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : एक हजार एक हजार।

श्री भैरोंसिह शेखावत : भाई आप मांग कर रहे हैं वह तो कर ही नहीं रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आपको रिलीफ मिलेगा पानी पियो आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 6 हजार बन्द किये हैं उन सबको खोलो खोलना हो तो, यह डिसीजन क्यूं कि आप दो हजार अपने अपने क्षेत्र में खोल दो बाकी की जनता में नहीं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान में इस प्रकार के स्कूलों की आवश्यकता बहुत अधिक है मैं इस बात को मना नहीं करता। यहां कालेजेज कई वर्षों से नहीं खुले, यहां मिडिल स्कूल कई वर्षों से नहीं खुले। और इस कारण से निश्चित रूप से यह समस्या है लेकिन इस समस्या का समाधान करने में एक वर्ष नहीं लगेगा इस समस्या के समाधान में कई वर्ष लगेंगे। आज जब मैं टैक्स लगाता हूं तो आप विरोध करते हैं। यहां पर सब प्रकार की मांग रखते हैं और मैं समझता हूं अब की बार इस सदन में टैक्स लगाने की बात नहीं कही। यहां कोई माननीय सदस्य बोला है तो यही बोला कि सेल्स टैक्स पूरा खत्म कर दिया जाय। आक्ट्राय ड्यूटी पूरी खत्म कर दी जाय....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने टैक्स लगाने की शिकायत की है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो बड़े बुद्धिमान हैं पर गलत जगह पर बैठ गये। आप बड़े माहिर हैं। अभी आधे ही पहुंचे हो पूरे पहुंचोगे तो पूरी ठीक हो जायेगी और आप में हिम्मत है, आप सबके सामने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही कह सकते हो आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि यहां पर किसानों की हालत खराब है। बड़ा जिक्र किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : शिक्षा पर बोल रहे थे पहले उस बात को पूरी करो। स्कूलों पर बोल रहे थे पहले उसे ही पूरा करो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो पूरा कर दिया। आपके कहने से, आप लोगों की मांग पर पांच सौ स्कूल और खोल रहा हूं। नहीं खोलूं। अध्यक्ष महोदय, अब मेरी समझ में नहीं आता कि काश्तकारों की हमदर्द यह कांग्रेस पार्टी कब से हो गयी।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : हम खोलेंगे बाकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कपड़े खोलोगे कि स्कूल खोलोगे यह नहीं कह सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि जनता खोले उसका अधिकार है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस कब से किसान की वफादार है यह मेरी समझ में नहीं आता। हम किसान के वफादार हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सुमित्रा जी, 10 वर्ष तक हम दोनों ने मिलकर इनको गालियां निकालीं, हमने इनको किसान विरोधी कहा, किसानों का शोषण करने वाला कहा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 6 महीने में क्या परिवर्तन आ गया कि ये किसान के पक्ष में हो गये और मैं किसान विरोधी हूं। मैं किसान विरोधी इसलिये हो गया कि लगभग 370 करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ किया इसलिये किसान विरोधी हो गया। मैंने बारानी जमीन का लगान माफ किया इसलिए मैं किसान विरोधी हो गया। खालों की कीमत वसूल की जा रही थी उस वसूली को रोका और माफ करूंगा इसलिये मैं किसान विरोधी हो गया। किसानों ने जो भूमि पर अतिक्रमण किया था और तहसीलों में मुकदमों में फंसे हुये थे उनको रेगुलराइज कराने का फैसला कर दिया इसलिये मैं किसान विरोधी हो गया। मैंने स्प्रिंकलर्स का, ट्यूब वेल्स का, नालियों का और इसके लिये विशेष योजना बना कर किसानों को लाभ पहुंचाया इसलिए मैं किसान विरोधी हो गया। मैं समझता हूं किसान-विरोधी नहीं हूं। अब आप ये कहेंगे कि बिजली के मामले में किसान विरोधी हूं। इसके बारे में भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिजली में किसानों से ज्यादा पैसा लिया जाय इसके पक्ष में मेरा जैसा व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। मेरे सामने दो अहम सवाल थे। कि मैं राजस्थान में बिजली के कुओं पर कनेक्शन देऊं या गांवों का विद्युतीकरण करूं या नहीं? दूसरा प्रश्न यह था कि बिजली की खरीद का पैसा कैसे चुके? अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 6 सौ करोड़ रुपये का तो इक्विटी केपिटल में हमने जो साहसिक निर्णय लिया है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत सुधारेगा। और माथुर साहब, आप जानते हैं 1983 में आपने समझौता किया था। मैं फिर जिक्र करना चाहता हूं, परियोजनाओं से राजस्थान को जितनी बिजली

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का हिस्सा, इसके बारे में फार्मूला तय हुआ। उस फार्मूले में दो बातें तय कर ली गयी कि जिस-जिस राज्य में परकेपिटा कंजम्पशन ज्यादा होगा और परकेपिटा और परकेपिटा प्लान असिस्टेंट ज्यादा मिलेगी उसी अनुपात के अन्दर केन्द्रीय परियोजनाओं से बिजली मिलेगी। दुर्भाग्य से राजस्थान में परकेपिटा प्लान इन्वेस्ट-मेन्ट, यह राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में कम है और इसलिए केन्द्रीय परि-योजनाओं से जो हमको अतिरिक्त बिजली मिल सकती है वह बिजली मिली नहीं। बिजली की खपत ज्यादा, बिजली के कुएं बन्द कराऊं या महंगे भाव से बिजली लेऊं। सुमित्राजी, और किसी को जान-कारी है या नहीं लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि आपस में बात जब अपन करते थे पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कह रहा है कि तीन दिन की बिजली के बकाये का भुगतान नहीं किया तो मैं बिजली नहीं देऊंगा। उत्तर प्रदेश कह रहा है और दिल्ली की सरकार कह रही है कि यदि हमारे रुपये का भुगतान नहीं किया गया, हम बिजली नहीं देंगे। राजस्थान में पूरा अन्धेरा हो जायेगा। और कोई गवाह है या नहीं लेकिन आप इस बात की गवाह हैं कि हमने पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और जहां-जहां से बिजली ली उन सबको कभी एक करोड़ दिया, कभी दो करोड़ दिया और बिजली का स्त्रोत चालू रखा। बिजली का स्त्रोत चालू हुआ तो हमें सस्ती दर पर बिजली नहीं मिलती। वह ग्लोबल रेट के आधार पर मिलती है। जो उस यूनिट के अन्दर सबसे महंगी बिजली है और उसकी जो रेट है वह हम से वसूल की जाती है उस वसूली के कारण हमको ज्यादा कीमत देनी पड़ी, ज्यादा कीमत देनी पड़ी तो प्रश्न यह आया कि महंगी बिजली लेकर मैं सस्ती देऊं या महंगी बिजली लेकर उस बिजली के अंश के रूप में कुछ वसूल करूं। मेरे सामने दो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे कि मैं राजस्थान को अन्धेरे में ले जाऊं या राजस्थान के कुछ लोगों से पैसा लेकर पूरे राजस्थान में प्रकाश रखूं और बिजली का कनेक्शन लोगों को देऊं। मैंने हिम्मत की और हिम्मत करके यह फैसला किया कि जो साधन सम्पन्न लोग हैं यदि वह बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं, प्रायोरिटी तौर पर कनेक्शन लेना चाहते हैं उनसे वसूली दूसरे ढंग से होगी और जो सामान्य श्रेणी में आते हैं उनसे दूसरी प्रकार से वसूली होगी और आपको सुन कर इस सदन में कोई मुगालता नहीं रहे कि हमने सारे जितने भी साधन को पैसे लेकर बिजली दी है। एक जयपुर जिले उदा-हरण देना चाहता हूं कि 70 प्रतिशत लोग तो वह हैं जो सामान्य श्रेणी में आये हैं। और 30 प्रतिशत लोग वह हैं जो इस असा-धारण श्रेणी में या प्राथमिकता की दृष्टि से आये हैं। यह सभी जिलों की स्थिति होगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिन्ता इस बात की करनी चाहिए कि काश्तकार को बिजली मिले और इस योजना पर भी जो भी घोषणा कर चुके हैं माननीय विद्युत मन्त्री जी मैं उस सम्बन्ध में जाना नहीं चाहता, हम भी विचार करते हैं। संकट एक और खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय, कि एन. टी. पी सी. का रुपया नहीं चुका और एन. टी. पी. सी. ने पहली बार हिन्दुस्तान में यह फैसला कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिया कि एन. टी. पी. सी. का रुपया नहीं चुकता है तो जिस स्टेट को प्लान असिस्टेंस मिल रही है बिजली के लिए उस प्लान असिस्टेंस की कटौती कर दी जाय। 41 करोड़ रुपये की कटौती वह हो गयी। अब एक तरफ 41 करोड़ की कटौती है, एक तरफ बकाया बढ़ गयी, ब्याज की राशि बढ़ गयी, कोयले की कीमत बढ़ गई, फ्यूल चार्जेज बढ़ गये और चार्जेज बढ़ने के बाद हम काश्तकार से वसूल करते हैं 32 पैसे और 32 पैसे मैं कह सकता हूं कि कास्ट ऑफ जनरेशन और कास्ट ऑफ डिस्ट्रिब्यूशन कितनी आती है उसके मुकाबले में लगभग मैं कह सकता हूं इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन 129 करोड़ रुपये का घाटा खा कर हम देते हैं। ये 129 करोड़ रुपया घाटा नहीं है यह किसान को सब्सिडी देते हैं और इस सब्सिडी के रूप में यदि हमने बिजली का प्रबन्ध किया है तो कोई अभिवक्ता का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बात सही है वह केवल किसान को अनुदान नहीं दिया जाता है जो सभी श्रेणी के उपभोक्ता हैं उन सबको मिला करके 129 हैं केवल किसान का नाम लेकर यह मत कहो कि आप उन्हीं को देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन के अन्तर्गत जो स्कीम्स आयी हैं उसका घाटा हुआ वह बता रहा हूं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप सभी उपभोक्ताओं को ही देते हैं केवल किसान को ही नहीं देते हैं। किसान पर कोई विशेष मेहरबानी नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कन्सेशन मैंने नहीं दिये हैं कन्सेशन देने वाले सामने बैठे हैं। इन्होंने मोदी एल्कलीज को....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरे लिये तो आप और ये दोनों ही बराबर हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो बिल्कुल ही +++ हो। मैं एक आपको निवेदन करना चाहता हूं, और निवेदन यह करना चाहता हूं कि कन्सेशन इण्डस्ट्रीज को मैंने नहीं दिये हैं। कन्सेशन पुरानी सरकार ने दिये थे। और पुरानी सरकार के कन्सेशन ये मैंने समाप्त किये हैं। आज मोदी एल्कलीज का और श्रीराम विनाइल केमीकल्स का। इस आधार पर मैं काश्तकार का और गरीब का शोषण करना नहीं चाहता। मैंने तो रियायतें दी थीं उन रियायतों को विथड्रा किया और विथड्रा करने में हिम्मत दिखाई है। मैं चाहता था कि सदन इस प्रकार की बात की प्रशंसा करता लेकिन सदन इस पक्ष को भूल गया। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिए यह निवेदन कर रहा था कि यहां पर भ्रष्टाचार का जिक्र किया गया और एक माननीय सदस्य ऐसे बोल गए कि राजस्थान में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है और जो बोल रहे थे मैं तो आपका मुख्य मन्त्री उस प्रकार का हू जिस मुख्य मन्त्री से किसी भी समय कोई भी व्यक्ति मिल सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आपसे

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री यदुनाथ सिंह)

अकेले में बात करना बड़ा मुश्किल है। 25 होंगे तो सबको बैठा लेंगे कोई बात नहीं कर सकता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : आप कहां पर हैं यह लोकेट करना ही बड़ा मुश्किल है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, श्री यदुनाथ सिंह जी ने कहा कि बुला कर बैठा लेते हैं। अब जिनकी आदत उठने की नहीं है उन्हें मैं धक्का तो दे नहीं सकता जो आकर बैठ जायं, उठे ही नहीं उनको पान खिलाऊं, चाय पिलाऊं, मिठाई खिलाऊं और फिर उनकी बातें सुनूं और उसके ऊपर यह इनाम और कि लोगों को बैठा लेते हो।

श्री यदुनाथ सिंह : आप उन चीजों में से कोई चीज खरीदकर नहीं लाते हो। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं खरीदता हूं या नहीं खरीदता हूं लेकिन कम से कम आपने यह तो स्वीकार किया कि मैं आपको खिलाता हूं इसका बिल आपसे लेने वाला नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार की समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है। यह सिस्टम में आ गया, खून में यह रोग पैदा हो गया है और इस सारे खून का परिवर्तन आप एक इंजेक्शन से कर दें यह सम्भव नहीं है। आज करप्शन के नाम को लेकर सारा सिस्टम पेरेलेटिक है, अब इस सारे सिस्टम को रिमूव कैसे किया जाय। मैं दावा नहीं करता लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने मेरी दृष्टि से जितने भी प्रयास हो सकते हैं, किए हैं और उसका रिजल्ट निकला है। वह रिजल्ट कम से कम यह तो निकला कि आपने पुराने मामले तो इस सदन में उठाये हैं नये मामले उठे नहीं। अब इससे आप अन्दाज लगा लें और कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बारे में कह सकता हूं हम सब इस चीज में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो लेकिन जो मैंने बताया कि सिस्टम में इस प्रकार की बुराई आ गई उस सिस्टम की बुराई को दूर करने के लिए आज मुझे कई प्रकार की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। आज किसी अधिकारी के खिलाफ यदि संविधान, संविधान के नीचे बने हुए सेवा नियम और सेवा नियमों को देखे बिना मैं किसी को सजा देऊं या कोई भी सजा देने की कार्यवाही करूं तो दूसरे दिन हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ जायेगा। अब जहां इस प्रकार के बंधन लगे हुए हैं वहां पर हथोड़े से भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते। उस सिस्टम की बुराइयों को निकालना है, कानून की खामियों को दूर करना है और कम से कम मुझे इस बात का संतोष है कि जिस दिशा की ओर मैं बढ़ रहा हूं उस दिशा के कारण से इस भ्रष्टाचार पर मैं अंकुश लगा पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिक्र किया गया कि भीलवाड़ा में जो दंगा हुआ उस,

(8.04 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दंगे में हमें जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वह व्यवस्था नहीं की। मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ मैं समझता हूं साम्प्रदायिक हमें कहा जाय यह आप कह सकते हैं आप का अधिकार है लेकिन किसी मसले को साम्प्रदायिकता के आधार पर रखें वह मेरे समझ में नहीं आता। कहीं गोली चल जाय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधान सभा में वर्षों से हूं, हमने भी मांग की है, कहीं लाठी चार्ज हो जाय कांग्रेस के सदस्य मांग करेंगे ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो, गोली से कोई मर जाय तो मांग करेंगे कि एक लाख रुपये की राहत उसे दी जाय। मुझे माफ करना उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से मर गए इस सदन में किसी ने मांग नहीं की कि जुडिशियल इन्क्वायरी की जाय, इस सदन में किसी ने मांग नहीं की कि इनको एक-एक लाख रुपये की राहत दी जाय।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग मैंने की थी।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : हिण्डौन के बारे में और भीलवाड़ा दोनों जगहों के लिए मांग की थी।

एक माननीय सदस्य : हमने मांग की लेकिन हिण्डौन में किया नहीं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप जुडिशियल इन्क्वायरी की बात करते हो एक तरफ आपने विश्व हिन्दू परिषद् से दब कर उस एस.पी. का ट्रांसफर कर दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने मांग की उस समय मैं नहीं था, इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन मुझे वेदना जरूर हुई और वेदना इस बात की हुई कि इस माग के मामले में भी यदि हम इस आधार को देखने की चिन्ता करेंगे तो कोई आधार ही नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं इस मामले में आपको ज्यादा जानकारी दूं कि साम्प्रदायिक तनाव क्यों होता है और क्यों नहीं होता है इसको कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अभी इराक अलाइज फोर्सेज की लड़ाई हुई। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया कब्जा कर लिया एक मुस्लिम कन्ट्री ने दूसरे मुस्लिम कन्ट्री पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस पार्टी से कुवैत को खाली कराया जाय इसकी मांग नहीं की बल्कि सद्दाम हुसैन का समर्थन किया आपके कांग्रेस के अध्यक्ष विदेश में गए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में डिस्टर्ब करने का आदी नहीं हूं लेकिन मुख्य मन्त्री जी लगातार ऐसी बात कहते जायं जो गलत हो वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने इराक का समर्थन नहीं किया ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपने कुवैत की बात की, इराक की बात बाद में कीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने इराक का समर्थन किया कि नहीं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं कुवैत की बात कर रहा हूं आपके सामने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वित्त मन्त्री की तरह आप नहीं बोल रहे हैं, चौपड़ की तरह भाषण कर रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल पर जो बोलना है वही बोलें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इराक का केवल इसलिए समर्थन किया कि माइनोरिटीज हाथ से निकल रही थी उनको सद्दाम के नाम से अपने साथ लिया जाय लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। जब आप विदेश नीति में भी साम्प्रदायिकता का आधार लेते हैं तो देश का क्या होगा अपने आप अन्दाज लगा लें। गए थे विदेश यात्रा में खुदाई खिदमतगार बनने और खुदाई खिदमतगार तो बने नहीं जिसका समर्थन इराक को दिया उस इराक को तबाह करवा दिया। आपका अध्यक्ष जिस पार्टी को समर्थन दे उसको भगवान ही बचाये वरना वह तो डूबे बिना रहेगा ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं चाहे विदेश नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, चाहे और किसी प्रकार के प्रश्न हों इन प्रश्नों को छोड़ कर अब चुनाव आ रहे हैं जोशी जी कह गये कि राइटिंग ऑन दी वॉल को पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति अन्धा नहीं होगा।

श्री यदुनाथ सिंह : वोटर ज्यादातर बिना पढ़ा-लिखा है +++ (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता इसमें जितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बुद्धि है इस राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता को साधुवाद दिये बिना नहीं रह सकता। यह जनता जानती है कि कांग्रेस के पिछले 40 सालों के शासन ने जड़ता पैदा की है, प्रशासन में जड़ता आ गई है, नीतियों में जड़ता आ गई, गलत आर्थिक नीतियों के कारण से महंगाई बढ़ गई, गलत नीतियों के कारण देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ गए, गलत नीतियों के कारण से बेकारी बढ़ गई। आज वे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये तो एक वर्ष में ही चले गए, मैं समझता हूं राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता में बहादुरी है कि एक वर्ष के अन्दर दुनिया में हिन्दुस्तान की जनता ने जो भूचाल पैदा किया आप तो 40 वर्षों से बैठे हो रोज मुख्य मन्त्री बदलते थे आज मुख्य मन्त्री आराम से सो रहा है। दो बजे रात को टेलीफोन आया मुख्य मंत्री बदल गया माथुर साहब आपको तो बहुत बड़ा अनुभव है दूसरों को तो है या नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि स्थायित्व होते हुए भी जड़ता पैदा की, आज दुनिया को आप मुगालता नहीं दे सकते कि एक वर्ष के शासन के कारण से महंगाई बढ़ी है, एक वर्ष के शासन के कारण से बेकारी बढ़ी है, एक वर्ष के शासन के कारण से अराजकता बढ़ी है ये सारे बीज कांग्रेस पार्टी ने बोए हैं यह हिन्दुस्तान की जनता दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ती है और चुनाव का मैदान आ रहा है उस चुनाव के मैदान में जिस ढंग से पहले के चुनाव में 25 के 25 उम्मीदवारों को घर बिठाया था उसी प्रकार से घर बिठाकर यह जनता आपको बता देगी कि जनता किसके साथ है मैदान में आइये वहीं देखेंगे।

(8.10 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री पारित का कहेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिह दहिया, बोलना है आपको।

श्री नत्थीसिह : ओलावृष्टि के बारे में बात हुई थी ओलावृष्टि के बारे में नीति का आप कर रहे थे वह आपने नहीं की।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिह दहिया। आपको बोलना है। बोलना है, हां बोलिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नत्थीसिहजी ने ओलावृष्टि के सम्बन्ध में कहा और उस ओलावृष्टि के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना भूल गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने 1986 में इस सम्बन्ध में व्यवस्था की थी और उस व्यवस्था के आधार पर दो सौ रुपये प्रति हैक्टेयर लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए दिया था, मैं दो सौ रुपये को बढ़ाकर तीन सौ रुपये करता हूं और सब लोगों को इस प्रकार की सहायता मिलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां श्री प्रेमसिह दहिया, जल्दी आप, प्लीज, श्री प्रेमसिह दहिया, अब आप बैठिये, बिराजिए। आप बैठिये, आप क्यों....नहीं बोलना चाहते, अच्छी बात है....

श्री प्रेमसिह दहिया : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी उसके बाद आप चल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1991 पारित किया गया।

दल-बदल याचिकाओं पर निर्णय

मैं, माननीय सदस्यों को जिस दल-बदल के सम्बन्ध में सदन में और सदन के बाहर जिस प्रकार की चर्चाएं हुईं और आज जब मैं अपना निर्णय लिखाने के लिए गया, उसके पीछे से जो दृश्य यहां हुए और यह भी कहा गया कि अध्यक्ष पर दबाव डाला जा रहा है, मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज की घटनाओं के बाद भी मैंने कोई दबाव महसूस नहीं किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी के किसी अंग का कोई दबाव मेरे पर कभी नहीं रहा। लेकिन इस दल-बदल के संबंध में आसन को लेकर जो चीजें बाहर और हाउस में ऐसी कही गयीं कि जिससे आसन की गरिमा गिरती है वह नहीं कही जातीं तो अच्छा होता। मैं कानून से बंधा हुआ हूं। दसवीं सूची और उसके अन्तर्गत बने हुए प्रक्रिया के नियम, उनका पूर्ण तौर से पालन किये बिना मैं अपना निर्णय नहीं दे सकता था और इसलिए उस प्रक्रिया को पूरा करने में जितना समय लगा वह मेरी मजबूरी थी। यदि मेरे ऊपर किसी का दबाव था तो मैंने जो इस सदन में कमिटमेंट किया, सदन का दबाव मेरे पर था। क्योंकि मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि इसी सत्र में अपना निर्णय मैं दूंगा। और वह दबाव निश्चित

(श्री अध्यक्ष)

रूप से मेरे पर था। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता ने किसी तारीख का पता नहीं उल्लेख किया या नहीं, लेकिन उस दिन कक्ष में मैंने कोई तारीख घोषित नहीं की, किसी तारीख को मैंने स्वीकार नहीं किया बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं, जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तारीख देने की स्थिति में नहीं हूं। अब सदन के नेता और विपक्ष के नेता ने कोई तारीख तय कर ली आपस में, मैंने स्पष्ट कहा, मैं उससे बंधा हुआ नहीं हूं। इसलिए यह कहना कि मेरे पर जो विश्वास था सदन के, विपक्ष के नेता का, वह डिग रहा है, उन्होंने तो इससे कड़े शब्द कहे थे, मैं माइन्डली कह रहा हूं, यह कहना कहां तक उचित था, इस पर सदन विचार करे, मेरा कोई कमेन्ट उस पर नहीं है। इसके साथ में आज यह सारा, अब आपको थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा और चूंकि आज छह घण्टे में बहुत जल्दबाजी में मैंने लिखाया है, लम्बा है, कहीं कुछ तारीखें रह गई हैं, कहीं कुछ शब्द भी आ सकते हैं, वह बाद में मैं भर दूंगा लेकिन आप लोगों का आग्रह और मेरा अपना कमिटमेंट, इसको देखते हुए मैं उचित समझता हूं कि यह सदन के समक्ष अपना निर्णय सुनाऊं।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (इसके पश्चात् संविधान की दसवीं अनुसूची से सम्बोधित) के प्रावधानों के अधीन एवं राजस्थान विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1989 (इसके पश्चात् निरर्हता के नियम, 1989 से सम्बोधित) के प्रावधानों के अधीन जो उपरोक्त वर्णित 22 याचिकाएं मेरे समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुई हैं, उनमें अन्तर्निहित विवाद बिन्दुओं के न्यायोचित निर्णय के लिए मैं यह उचित समझता हूं कि तथ्यात्मक स्थिति का उल्लेख उस समय से प्रारम्भ किया जावे जब कि भारत में संसद के लोक सभा के पिछले आम चुनाव वर्ष 1989 में दिसम्बर माह में हुए थे। यह एक सर्व विदित तथ्य है कि आजादी के पश्चात् भारत में अधिकांश समय मे कांग्रेस दल सत्ता में रहा। मात्र लगभग ढाई साल की अवधि में कांग्रेस के अतिरिक्त जनता पार्टी शासन में रही। तत्पश्चात् श्री चरणसिंह प्रधान मन्त्री बने परन्तु जनता पार्टी पांच साल की अवधि का अपना शासन पूरा नहीं कर सकी क्योंकि जनता पार्टी का निर्माण करने वाली विभिन्न पार्टियों के घटकों के बीच मतभेद रहे और नेताओं के मध्य भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण मतभेद रहे। पुनः कांग्रेस सत्ता में आई और जिस समय संसद के लोक सभा के चुनाव 1989 में कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तब यह महसूस किया गया कि एक ही दल के पास लम्बे समय तक सत्ता रहने से सत्ता का दुरुपयोग होने की सम्भावना अधिक रहती है। यही कारण रहा कि 1989 के लोक सभा के चुनावों के समय विभिन्न राजनैतिक दलों ने कांग्रेस-इ पार्टी का एकजुट होकर विरोध करने का निर्णय लिया। यह सोचा गया कि पूर्व में चुनावों के समय यद्यपि वोटों का बहुमत कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहा फिर भी विरोधी राजनैतिक पार्टियों में एकता के अभाव के कारण कांग्रेस सत्तारूढ होती रही। इसी विचारधारा के फलस्वरूप विभिन्न दलों के मध्य लोक सभा के चुनाव हेतु विभिन्न सीटों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में आपसी

(श्री अध्यक्ष)

समझौते से उम्मीदवारों को खड़ा किया गया। लोक सभा के चुनावों के पश्चात् नतीजा स्पष्ट रूप से सामने आया कि कांग्रेस-आई पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी हालांकि इसे एक दल के रूप में सबसे अधिक लोक सभा की सीटें मिलीं। लोक सभा के चुनावों के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन हुआ जिसे वामपंथी दलों एवं भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से बाहर रहते हुए समर्थन दिया। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार की प्रधान मन्त्री के रूप में आरक्षण सम्बन्धी जो नीति रही, उस कारण देश में हिंसात्मक आन्दोलन हुए और जन-धन की हानि हुई। प्रतिक्रियास्वरूप इस नीति के समर्थन में प्रतीकारात्मक आन्दोलन भी हुआ। इस प्रकार आरक्षण से सम्बन्धित आन्दोलन के प्रश्न पर शासक दल में आपसी मतभेद उभर कर सामने आये। इस स्थिति के साथ ही श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का जो रवैया रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद के सम्बन्ध में रहा और जिस प्रकार की कार्यवाही इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार द्वारा की गई जिसमें श्री एल. के आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार करना सम्मिलित है उससे भारतीय जनता पार्टी में भारी विरोध पैदा हुआ और अन्ततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस प्रकार विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार को समर्थन नहीं देने से विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार को लोक सभा में बहुमत प्राप्त होने के सम्बन्ध में शंकाएं उत्पन्न हुई। इस पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 7.11.90 को विश्वास मत प्राप्त करने के लिए श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को निर्देशित किया। इस प्रकार के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिये जाने के पश्चात् जनता दल के लोगों में खुले रूप से मतभेद उभर कर सामने आये तथा अन्त में जनता दल दो भागों में विभक्त हुआ। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक गुट के नेता रहे व श्री चन्द्र शेखर दूसरे गुट के नेता प्रकट हुए। राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल में यह जो विघटन हुआ, इसका प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल पार्टी ने राजस्थान में जनता दल विधायक दल के उन सदस्यों को भैरोंसिंह शेखावत मन्त्री मण्डल से बाहर आ जाने व अपना समर्थन वापस लेने के निर्देश दिये जो कि भैरोंसिंह सरकार में मन्त्री थे। जनता दल के राष्ट्रीय नेताओं के इस प्रकार के निर्देशों के फलस्वरूप राजस्थान में जनता दल के जितने भी विधान सभा सदस्य भैरोंसिंह मन्त्री मण्डल में थे, उन सभी ने सिवाय श्री देवीसिंह भाटी के, भैरोंसिंह मंत्री मण्डल से इस्तीफा दे दिया तथा उन इस्तीफों को राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार की परिस्थितियों में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान विधान सभा में पूर्ण बहुमत में होना शंकापूर्ण हो गया, अतः महामहिम राज्यपाल महोदय ने श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मन्त्री को निर्देश दिये कि वे दिनांक 8.11.90 के विधान सभा के विशेष सत्र में अपना बहुमत सिद्ध करें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि माह नवम्बर सन्

(श्री अध्यक्ष)

1990 के प्रारम्भ में राष्ट्रीय स्तर पर एवं राज्य के स्तर पर जनता दल पार्टी में विभाजन होने का वातावरण परिलक्षित होने लग गया था। लोक सभा में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो दल बदल की याचिकाओं के सम्बन्ध में निर्णय दिनांक 14.1.91 को दिया गया है उससे ऐसा प्रकट हो रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के जनता दल में दिनांक 5.11.90 को विभाजित होकर दो धड़े प्रकट हुए जिसमें कि एक धड़ा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का प्रकट हुआ व दूसरा धड़ा, जिसका नाम जनता दल-समाजवादी (स) रखा गया है, श्री चन्द्र शेखर के नेतृत्व में प्रकट हुआ। घटनाक्रम को संक्षिप्त करते हुए यही अंकित करना पर्याप्त होगा कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह चूंकि लोक सभा में बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे, अतः उन्हें अपनी सरकार का इस्तीफा देना पड़ा और श्री चन्द्रशेखर ने कांग्रेस (आई) के बाहरी समर्थन के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री पद भार ग्रहण किया।

इस अवधि में राजस्थान में जनता दल विधायक दल की कई सभाएं विभिन्न स्थानों पर हुई और समाचार पत्रों ने राजस्थान जनता दल के विधायक दल के सदस्यों में आपसी मतभेद की खबरों को उजागर किया। समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित हुई और जिनकी कतरनें मेरे समक्ष इन याचिकाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुई हैं, उनके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि राजस्थान जनता दल का एक धड़ा कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में आने के प्रयास में था जबकि दूसरा धड़ा इस विचारधारा का प्रकट हुआ कि चूंकि पिछले चुनाव में खुले रूप से जनता दल गैर कांग्रेसवादी और इसी आधार पर जनता से मत प्राप्त किया है अतः सैद्धान्तिक रूप से कांग्रेस के साथ किसी प्रकार की साठ-गांठ का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से विरोध में रहा। दूसरे शब्दों में ऐसी धारणा प्रकट हुई कि ऐसा करना जनता के साथ विश्वासघात करना होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर व राज्य स्तर पर राजनीतिक घटनाचक्र का उपरोक्त प्रकार से उल्लेख करने के पश्चात् अब मेरे समक्ष प्रस्तुत प्रकरण पर राजस्थान में तिथिवार घटनाक्रम किस प्रकार रहा, उसका उल्लेख करना मैं प्रासंगिक समझता हूं।

दिनांक 27.10.90 को प्रातः 10 बजे श्री नत्थीसिंह, राजस्थान जनता दल विधायक दल के नेता ने मेरे समक्ष एक पत्र (प्रदर्श पी-1) प्रस्तुत किया, जिस पत्र के द्वारा सूचना दी गई कि जनता दल के मन्त्रियों ने राजस्थान मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसी पत्र के प्रदर्श-1 द्वारा यह भी सूचित किया गया कि राजस्थान विधान सभा में जनता दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करेगा, इस दल के राजस्थान विधान सभा में 55 सदस्य हैं और वही मान्य विरोधी दल हैं। इस प्रकार का पत्र प्रस्तुत करते हुए मेरे से अनुरोध किया गया कि जनता दल को राजस्थान विधान सभा में विरोधी दल के रूप में मान्यता दी जावे एवं चूंकि श्री नत्थीसिंह विधान सभा में जनता दल विधायक दल के नेता हैं अतः उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देकर घोषणा की जावे। इस पत्र द्वारा यह भी चाहा गया कि राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा में जनता दल के लिए प्रतिपक्ष में सीटें आवंटित की जायं।

श्री नत्थीसिह द्वारा इस प्रकार का पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदर्श-2 द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि वे बदली हुई परिस्थिति में माननीय अध्यक्ष की सूचना अपने दल के समस्त विधायकों की सूची उनके प्रत्येक के घोषणा पत्र सहित वे प्रत्येक सदस्य के जनता दल के नेता के रूप में उनके प्रति आस्थावान होने सम्बन्धी सामग्री भिजवायें। ताकि माननीय अध्यक्ष इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय ले सके। इसकी सूचना तत्समय के प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस के श्री हरिदेव जोशी को भी भेजी गई। मेरे द्वारा जो सूचना श्री नत्थीसिह से प्रदर्श-1 के सम्बन्ध में चाही गई, वह सूचना श्री नत्थीसिह द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई और इस प्रकार श्री नत्थीसिह को प्रतिपक्ष का नेता घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जा सका।

इसके पश्चात् दि. 6 11.90 को प्रात: 11.45 बजे श्री नत्थीसिंह ने एक पत्र (प्रदर्श पी-2) मेरे समक्ष प्रस्तुत किया कि राजस्थान जनता दल के विरुद्ध (प्रतिनिधियों) (गलत टंकित हो गया है, सही शब्द गतिविधियों प्रकट हो रहा है) में लिप्त होने के कारण अनुशासनहीनता में निम्नांकित विधायकों को राजस्थान जनता दल विधायक दल से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है—

(1) श्री दिग्विजयसिंह, उनियारा विधान सभा क्षेत्र

(2) श्री भंवरलाल शर्मा, सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र

(3) श्री मान्धाता सिंह, भीम विधान सभा क्षेत्र

(4) श्री जगतसिंह दायमा, बामसूर विधान सभा क्षेत्र

(5) श्री उम्मेदसिंह, डीडवाना विधान सभा क्षेत्र।

दि. 6.11.90 को ही प्रात: 11.45 बजे फतेहसिंह, विधायक, राजस्थान जनता दल ने मेरे समक्ष एक पत्र प्रस्तुत कर सूचित किया कि समाचार पत्रों में जो इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि उन्होंने जनता दल छोड़कर श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अन्य 11 विधायकों के साथ श्री भैरोंसिह शेखावत मन्त्रिमण्डल में विश्वास प्रकट करने वाले प्रस्ताव के समर्थन में मत देने का निश्चय किया है तथा जनता दल का अलग गुट बनाने में वे शामिल हुए हैं, यह कतई गलत है। फतेहसिह ने यह भी अंकित किया कि वे सिद्धान्त की राजनीति में विश्वास रखते हैं और राजस्थान जनता दल विधायक दल के नेता श्री नत्थीसिंह में विश्वास रखते हैं और उनके नेता, जनता दल विधायक दल के नाते उनके द्वारा जारी किये गये व्हिप के अनुसार दि. 8.11.90 को श्री भैरोंसिह शेखावत मन्त्रिमण्डल में विश्वास प्रकट करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करेंगे। अन्त में यह भी अंकित किया कि इनका नाम समाचार पत्रों में अन्य 11 विधायकों के साथ भैरोंसिह शेखावत के समर्थन के सम्बन्ध में जो छापा गया है, वह बिल्कुल गलत है। इस पत्र को मेरे द्वारा इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रदर्श डी-2 के रूप में चिन्हित किया गया है।

इसके पश्चात् दिनांक 6.11 90 को

(श्री अध्यक्ष)

सायंकाल 5.45 बजे राजस्थान जनता दल विधायक दल के श्री दिग्विजय सिंह सहित 20 विधायकों ने मेरे निवास पर उपस्थित होकर हस्ताक्षरयुक्त एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा इसे प्रदर्श डी-3 चिन्हित किया गया है। प्रदर्श डी-3 में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है उसे अक्षरश: यहां अंकित करना उचित होगा :

"देश में जनता दल दो भागों में बंट चुका है। फलस्वरूप जनता दल राजस्थान भी विभाजित हो गया है। देश में पैमाने पर हुई टूट का प्रतिबिम्ब जनता दल विधायक दल, राजस्थान में भी पड़ा है। हम निम्नलिखित विधायकों का एक ग्रुप वर्तमान जनता दल विधायक दल में से पृथक बन गया है जो जनता (ग्रुप) विधायक दल के नाम से जाने जायेंगे। इस ग्रुप में हम वर्तमान में 20 विधायक सम्मिलित हैं। हमारे नेता विधान सभा में श्री दिग्विजयसिंह हैं।"

"निवेदन है कि विधान सभा में हमें जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के नाम से मान्यता प्रदान करने का कष्ट करें।"

दिनांक 6.11.90 को सायंकाल 5.45 बजे प्रदर्श डी-3 मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसके साथ ही इसमें हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक राजस्थान जनता दल विधायक दल के सदस्य ने मेरे समक्ष निरर्हता नियम, 1989 के नियम फार्म-3 में पृथक-पृथक अपने घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किये जो इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा प्रदर्श डी-8 से डी-27 चिन्हित हैं।

यहां यह अंकित करना अप्रासंगिक नहीं होगा पत्र (प्रदर्श पी-2) में वर्णित 5 जनता दल विधायक दल सदस्यों श्री दिग्विजयसिंह आदि को असम्बद्ध घोषित करने सम्बन्धी कोई प्रार्थना श्री नत्थीसिंह द्वारा नहीं की गई थी और राष्ट्रीय स्तर पर लोक सभा अध्यक्ष द्वारा कतिपय लोक सभा सदस्यों को असम्बद्ध घोषित करने की कार्यवाही से संकेत लेते हुए श्री नत्थीसिंह ने दिनांक 7-11-90 को प्रात: 10.22 बजे एक पत्र (प्रदर्श पी-3) मेरे समक्ष प्रस्तुत कर यह सूचना दी कि राजस्थान विधान सभा में जनता दल विधायक दल के 55 सदस्य थे जिसकी सूची संलग्न है, इनमें से निम्नांकित 5 सदस्य जनता दल विधायक दल से अनुशासनहीनता के कारण निष्कासित कर दिये गये हैं जिसकी सूचना इनके द्वारा दिनांक 5-11-90 को दे दी गई थी। इस प्रकार की स्थिति अंकित करते हुए मेरे से यह मांग की गई कि सर्वश्री दिग्विजयसिंह, भंवरलाल शर्मा, मान्धाता सिंह, उम्मेदसिंह व जगतसिंह दायमा, सदस्य राजस्थान विधान सभा को असम्बद्ध घोषित करने की कार्यवाही करूं।

दिनांक 7-11-90 को ही 12.30 पी. एम. पर सर्वश्री देवीसिंह भाटी एवं श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ ने मेरे समक्ष विधान सभा सचिवालय में उपस्थित होकर पृथक-पृथक इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया कि जनता दल विधायक दल (ग्रुप) का श्री दिग्विजयसिंह के नेतृत्व में गठन किया है, उसमें वे अपने आपको सम्मिलित करते हैं। यह भी अंकित किया गया कि ग्रुप के नेता ने इन्हें उपरोक्त ग्रुप का सदस्य

(श्री अध्यक्ष)

स्वीकार कर लिया है। यह घोषणा-पत्र श्री दिग्विजय सिंह द्वारा भी हस्ताक्षरित है जहां उन्होंने इन दोनों के अपने ग्रुप में सम्मिलित करने की सहमति अंकित की है। श्री देवीसिंह भाटी एवं श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़, विधायकों द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये इन घोषणा-पत्रों को इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान प्रदर्श डी–28 व प्रदर्श 29 चिन्हित किया गया है।

दिनांक 7–11–90 को ही श्री नत्थीसिंह, नेता, जनता दल विधायक दल का हस्ताक्षरित पत्र (प्रदर्श पी–4) मेरे समक्ष श्री सुखदेव आर्य ने 12.50 पी. एम. पर प्रस्तुत किया जिस पत्र में यह अंकित किया गया कि आज राजस्थान जनता दल विधायक दल से अनुशासनहीनता के कारण चार सदस्यों को निष्काषित कर दिया गया है। पत्र मे इन सदस्यों के नाम श्री देवीसिंह भाटी (उनियारा क्षेत्र), श्री गुलाम मुस्तुफा (नागौर क्षेत्र), श्री सांवरलाल (भिनाय क्षेत्र) और डा. रतनलाल (सहाड़ा) अंकित किये गये एवं प्रार्थना की गई कि इन्हें असम्बद्ध घोषित किया जावे। इस पत्र के साथ-साथ श्री सुखदेव आर्य ने श्री नत्थीसिंह द्वारा हस्ताक्षरित पत्र (प्रदर्श पी 5) भी 12.50 पी. एम. पर दिनांक 7–11–90 को ही मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसके अनुसार सूचना दी गई कि श्री रामेश्वर दयाल यादव (विभाजन संख्या 150) को जनता दल विधायक दल का सचेतक मनोनीत किया गया है।

दिनांक 7.11.90 को ही सायंकाल 4.35 बजे श्री सम्पतसिंह का हस्ताक्षरित पत्र एक श्री चौहान ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जिसे मेरे द्वारा सुनवाई के दौरान प्रदर्श डी–32 चिन्हित किया गया है। इस पत्र के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 6 11–90 को राजस्थान जनता दल विधायक दल (ग्रुप) के पदाधिकारियों का चुनाव श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान 11, सिविल लाइन्स पर सर्वसम्मिति से सम्पन्न हुआ। पदाधिकारियों का चुनाव निम्न प्रकार हुआ :–

(1) श्री दिग्विजय सिंह – नेता, विधायक दल

(2) श्री अब्दुल हादी – उप नेता, विधायक दल

(3) श्री सम्पतसिंह – सचिव, विधायक दल

(4) श्री भंवरलाल शर्मा – पूर्ववत सचेतक, विधायक दल

(5) श्री शम्भूदयाल बड़गूजर – कोषाध्यक्ष

(6) श्री जगमाल सिंह यादव – प्रवक्ता, विधायक दल

घटनाक्रम को अग्रसर करते हुए यहां यह अंकित करना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 7–11–90 को सायंकाल 8.00 बजे ही नफीस अहमद खां, सदस्य, जनता दल विधायक दल ने मेरे समक्ष एक टंकित पत्र प्रस्तुत कर प्रकट किया कि जनता दल विधायक दल से पृथक होकर जिन 22 विधायकों ने जनता दल विधायक दल (ग्रुप) का श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठन किया है, उसमें यह अपने आप को सम्मिलित करते हैं और ग्रुप के नेता ने भी इन्हें ग्रुप का सदस्य स्वीकार कर लिया

(श्री अध्यक्ष)

हैं। इस पत्र पर श्री दिग्विजय सिंह की सहमति उनके हस्ताक्षरित अंकित है। इस पत्र को याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा प्रदर्श डी–37 चिन्हित किया गया है।

दिनांक 7–11–90 तक की घटनाओं का इस प्रकार का उल्लेख करने के पश्चात् 8–11–90 को घटनाक्रम इस प्रकार रहा। दिनांक 8–11–90 को प्रातः 9.30 बजे श्री रामनारायण विश्नोई ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित में अपना घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया कि जनता दल विधायक दल से पृथक हो रहे विधायकों ने जनता दल विधायक दल (ग्रुप) का श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठन किया है, उसमें मैं सम्मिलित हूं और ग्रुप के नेता ने मुझे सदस्य स्वीकार कर लिया है। यह घोषणा-पत्र भी श्री दिग्विजय सिंह की सहमति अंकित करते हुए उनका हस्ताक्षरित है। इसे सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा प्रदर्श डी–34, चिन्हित किया गया है।

इसी दिवस 8–11–90 को ही प्रातः 9.30 बजे श्री रामस्वरूप मेघवाल ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना घोषणा-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि जनता दल विधायक दल से पृथक होकर जिन 22 विधायकों ने जनता दल विधायक (ग्रुप) का श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठन किया है, उसमें यह अपने आपको सम्मिलित करते हैं और ग्रुप के नेता ने इन्हें ग्रुप का सदस्य स्वीकार कर लिया है। यह घोषणा-पत्र भी श्री दिग्विजय सिंह की सहमति अंकित करते हुए हस्ताक्षरित है जिसे इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा प्रदर्श डी–35 के रूप में चिन्हित किया गया है।

अभिलेख पर दिनांक 8–11–90 को प्रातः 10.45 बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ एक पत्र श्री एस. आर. बोम्मई का हस्ताक्षरित हुआ प्रकट हो रहा है जिस पर 7–11–90 की तारीख अंकित है और इसमें मुझे यह सूचना दी गई है कि राजस्थान विधान सभा में जनता दल के नेता श्री नत्थीसिंह ने नीचे लिखे सदस्यों को जनता दल से निष्कासित किया है :– (1) श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत), (2) श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर), (3) श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर), (4) श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा), (5) प्रो. सांवरलाल (भिनाय), (6) श्री मान्धाता सिंह (भीम), (7) डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा), (8) श्री गुलाम मुस्तुफा खां (नागौर), एवं (9) श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)। इस पत्र में अन्तिम पंक्तियां निम्न प्रकार अंकित की गई हैं :–

"श्री नत्थीसिंह द्वारा की गई इस कार्यवाही को मैंने स्वीकृति दी है। आपके सूचनार्थ और रिकार्ड के लिए यह पत्र लिख रहा हूं ताकि आप उचित कार्यवाही कर सकें।"

याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा इसको प्रदर्श पी–6 चिन्हित किया गया है।

दिनांक 8–11–90 को ही सायंकाल 3.40 बजे श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर ने मेरे समक्ष एक घोषणा-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि राजस्थान विधान सभा में जनता दल विधायक दल (ग्रुप) जिसके

(श्री अध्यक्ष)

नेता श्री दिग्विजय सिंह हैं और उसे अलग ग्रुप के रूप में मान्यता दी जाई चुकी है, उसमें यह सम्मिलित होती है। इस ग्रुप के नेता श्री दिग्विजय सिंह ने भी सहमति दे दी है। इनके द्वारा यह भी प्रार्थना की गई कि इनकी इस ग्रुप में सदन में बैठने की व्यवस्था की जावे। इसी पत्र पर श्री दिग्विजय सिंह द्वारा श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर को ग्रुप की सदस्यता की स्वीकृति देना अंकित किया गया है और यह श्री दिग्विजयसिंह द्वारा हस्ताक्षरित अंकित है। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इस पत्र को मेरे द्वारा डी–36 चिन्हित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित घोषणा-पत्रों के सम्बन्ध में सचिवालयी कार्यवाही जो की गई वह यह है कि दिनांक 7–11–90 को बुलेटिन संख्या 90 द्वारा श्री दिग्विजय सिंह ने नेतृत्व में जनता दल विधायक दल (ग्रुप) के गठन को मेरे द्वारा मान्यता प्रदान की गई। और 22 सदस्यों को इस ग्रुप में सम्मिलित होने की सूचना बुलेटिन संख्या 90 दिनांक 7–11–90 द्वारा माननीय सदस्यों को दी गई।

मेरे ही आज्ञानुसार विधान सभा सचिवालय द्वारा बुलेटिन संख्या 97 दिनांक 8–11–90 को जारी की गई जिससे माननीय सदस्यों को सूचित किया गया कि सर्व श्री नफीस अहमद खां, रामनारायण विश्नोई व रामस्वरूप मेघवाल को भी जनता दल विधायक दल (ग्रुप) में सम्मिलित होने की मान्यता मेरे द्वारा प्रदान की गई है।

इसी क्रम में यहां यह भी अंकित करना समीचीन होगा कि दिनांक 8–11–90 को सायंकाल 3 40 बजे श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर ने जो घोषणा-पत्र जनता दल विधायक दल (ग्रुप) में सम्मिलित होने का मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था उसको सचिवालय द्वारा पत्रावली पर टीप संख्या 121, 126 पर 8–11–90 को ही डील कर दिया गया था परन्तु इस सम्बन्धी बुलेटिन मेरे द्वारा दिनांक 9–11–90 को आज्ञा दिये जाने के पश्चात् सचिवालय द्वारा 19–11–90 को जारी किया गया।

यहां यह अंकित करना भी समीचीन होगा कि सरकारी पक्ष द्वारा श्री भैरोंसिंह शेखावत के मन्त्रिमण्डल में विश्वास मत प्रकट करने सम्बन्धी जो प्रस्ताव विधान सभा के विशेष सत्र में दिनांक 8–11–90 को विचारार्थ लिया गया, उसका मत विभाजन रात्रि 10.12 बजे हुआ। श्री भैरोंसिंह शेखावत के प्रस्ताव के पक्ष में 116 मत पड़े और विरोध में 80 मत पड़े। इस तथ्यात्मक स्थिति के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद मेरे समक्ष नहीं उठाया गया है।

अलबत्ता इस प्रक्रम पर ही एक विवादास्पद पत्र का उल्लेख कर देना भी प्रासंगिक होगा जो पक्षकारों के मध्य इस विवाद के उत्पन्न होने के पूर्व से ही चल रही इस सचिवालय के सामान्य शाखा की पत्रावली संख्या एफ 1 (32)(1)(सा. शा.)(विस) 90 के पृष्ठ संख्या 105 पर लगा हुआ है। यह पत्र इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान मेरे द्वारा प्रदर्श डी–6 चिन्हित किया गया है। इसकी विषय वस्तु निम्न प्रकार है :–

(श्री अध्यक्ष)

"जनता दल का देश में विभाजन शुरू हो रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान जनता दल विधायक दल में टूट (Split) हो रही है। इस सन्दर्भ में 20 सदस्यों की हस्ताक्षरयुक्त सूची आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी सन्दर्भ में यह भी निवेदन है कि निम्नांकित विधायक सदस्यों के इस नये ग्रुप में सम्मिलित हो चुके हैं जिनके हस्ताक्षर युक्त आवेदन-पत्र आपको अलग भिजवाये जा रहे हैं।

सदस्यों के नाम

(1) श्री नफीस अहमद खां, पिड़ावा क्षेत्र
(2) श्री रामनारायण विश्नोई, ओसिया क्षेत्र
(3) श्री रामस्वरूप मेघवाल, रायसिंहनगर क्षेत्र
(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, चूरू क्षेत्र
(5) श्री देवीसिंह भाटी, कोलायत क्षेत्र
(6) श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर, डीग क्षेत्र

ह०/-
6-11-90
(दिग्विजय सिंह)
नेता,
जनता दल, विधायक दल (ग्रुप)"

यहां यह भी अंकित कर देना प्रासंगिक होगा कि समय व तारीख के क्रम में जिन-जिन दस्तावेजात का मेरे द्वारा ऊपर उल्लेख किया गया है, वे सभी इस सचिवालय की सामान्य शाखा की इसी पत्रावली में सम्मिलित है।

उपरोक्त घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में अब मैं सीधे ही दिनांक 1-12-90 को मेरे समक्ष हुई कार्यवाही का इन याचिकाओं के सम्बन्ध में उल्लेख करना प्रासंगिक समझता हूं क्योंकि दिनांक 9-11-90 की मेरे द्वारा बुलेटिन जारी करने की आज्ञा के बाद एवं 1-12-90 से पूर्व के बीच की घटनाओं का इन याचिकाओं से प्रसंग नहीं है।

दिनांक 1-12-90 को मेरे समक्ष श्री गोपाल सिंह खण्डेला, सदस्य, राजस्थान विधान सभा एवं उसके दो अन्य जनता दल विधायक दल के साथी विधायकों सर्व श्री रामेश्वरदयाल यादव एवं डा. चन्द्रभान ने प्रत्येक ने 7-7 पृथक याचिकायें, इस प्रकार कुल 21 याचिकायें भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची एवं राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्हरता के नियम, 1989 के अधीन प्रस्तुत की। श्री गोपाल सिंह खण्डेला ने सर्वश्री गणपतराय, डा. रतनलाल जाट, मिश्रीलाल चौधरी, रामनारायण विश्नोई, गुलाम मुस्तुफा खां, बाबूलाल खांडा एवं अब्दुल हादी के खिलाफ, श्री रामेश्वर दयाल यादव ने सर्वश्री सम्पत सिंह, शम्भूदयाल बड़गूजर, जगमाल सिंह यादव, नफीस अहमद, डा. जितेन्द्र सिंह, सांवरलाल एवं श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर के खिलाफ तथा डा. चन्द्रभान ने सर्व श्री देवीसिंह भाटी, राजेन्द्रसिंह राठौड़, रामस्वरूप, डूंगर राम पंवार, गंगाराम चौधरी, लालचन्द डूडी एवं श्री चुन्नीलाल के खिलाफ याचिकाएं प्रस्तुत की।

इन 21 याचिकाओं के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि कमोवेश रूप से ये सभी याचिकायें समान ही हैं एवं एक ही प्रकार के समान तथ्य एवं समान आधार प्रकट करते हुए प्रस्तुत की गई हैं। मुख्य रूप से

(श्री अध्यक्ष)

जो 21 व्यक्तियों के विरुद्ध आपत्तियां ली गई हैं, वे निम्न प्रकार हैं :-

(1) कि उपरोक्त वर्णित 21 अप्रार्थीगण ने, जो कि राजस्थान दल के सदस्य थे, दिनांक 8-11-90 को विधान सभा के विशेष सत्र में भैरोंसिंह शेखावत सरकार में विश्वास प्रकट करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में जनता दल विधायक दल के द्वारा जारी व्हिप के विपरीत मतदान किया है और इस प्रकार ये 21 अप्रार्थीगण संविधान की 10 वीं अनुसूची के चरण संख्या 2 (1) (ख) के अधीन राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहने से निरहरित हो गये हैं।

(2) कि संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 3 के प्रावधानानुसार मूल राजनीतिक दल के विभाजन की स्थिति में उस दल के विधायक दल के सदस्य यदि मूल राजनीतिक पार्टी छोड़ते हैं तो वे सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाते हैं और ऐसी अयोग्यता से बचाव केवल उस सूरत में है जबकि विधायक दल के सदस्य कोई गुट बनावें और वह गुट मूल राजनीतिक दल के विभाजन से उत्पन्न हुए किसी धड़े का प्रतिनिधित्व करता हो और उसकी सख्या विधायक दल के सदस्यों की सख्या के 1/3 से कम नहीं हो। प्रार्थीगण का इस सम्बन्ध में अंकित करना है कि चूंकि प्रत्येक याचिका का अप्रार्थी उसकी स्वयं की घोषणा के अनुसार मूल राजनीतिक दल के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए किसी धड़े का प्रतिनिधित्व नहीं करता है इसलिए ऐसे गुट को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती और ऐसे गुट के सदस्य सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित होने से बच नहीं सकते।

(3) तृतीय रूप से जो आपत्ति ली गई है, वह तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक याचिका के चरण संख्या 18 में अंकित है। चूंकि मेरी राय में चरण संख्या 18 में जो यह आपत्ति अंकित की गई है, वह स्पष्ट नहीं है। अतः उसे अक्षरशः उद्धृत यहां किया रहा है :–

> "उपरोक्त के अतिरिक्त यह निवेदन है कि जनता दल एक राष्ट्रीय दल है और राजस्थान जनता दल उसकी प्रादेशिक इकाई है। जनता दल के श्री एस.आर. बोम्मई राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष हैं और प्रदेश स्तर पर श्री हरजीराम बुरड़क अध्यक्ष हैं। दल के विधायक मण्डल के नेता श्री नत्थीसिंह हैं, जनता दल ने राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन राजस्थान विधान सभा का विशेष सत्र 8.11.90 को होने तक नहीं हुआ था इसलिए श्री दिग्विजय सिंह ने जो दिनांक 6.11.90 को सायंकाल 5.45 बजे उनके निवास स्थान पर 20 विधायकों के द्वारा पृथक ग्रुप बनाने की जो सूचना देकर अनुसूची के 10 के पैरा 3 का जो लाभ लेना चाहा था, लेने के हकदार नहीं हैं।"

(4) चतुर्थ आपत्ति जो ली गई है, वह इस प्रकार अंकित की गई है। श्री दिग्विजय सिंह ने 6.11.90 को सायंकाल जिन 20 विधायकों को सम्मिलित करके पृथक दल के निर्माण करने की सूचना अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को दी उससे पूर्व जनता दल विधायक दल के नेता श्री नत्थी सिंह ने 5

(श्री अध्यक्ष)

विधायकों को सर्वश्री दिग्विजयसिंह, भंवरलाल शर्मा, उम्मेदसिंह, जगतसिंह दायमा और मान्धाता सिंह को दिनांक 5.11.90 को दल से निष्कासित कर दिया था और इसकी सूचना अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को 6.11.90 को प्रात: 11.45 पर दे दी थी। इन 5 विधायकों को दल से निष्कासित किये जाने के पश्चात् 5.11.90 को दल की सदस्य संख्या 55 से घटकर 50 रह गई थी अत: श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में (निष्कासित 5 विधायकों को छोड़ कर) अवशेष 15 विधायक सर्वश्री लालचन्द डूडी, डूंगरराम पंवार, चुन्नीलाल इन्दलिया, बाबूलाल खांडा, गणपत राय, सम्पत सिंह शम्भू दयाल बड़गुर्जर, गंगाराम चौधरी, अब्दुल हादी, डा. जितेन्द्र सिंह, मिश्रीलाल चौधरी, जगमाल सिंह यादव, सांवरलाल, डा. रतनलाल जाट, गुलाम मुस्तुफा खां विधान सभा की सदस्यता से संविधान की अनुसूची 10 के पैरा 2 उप पैरा 1 के अन्तर्गत अयोग्य हो गये थे क्योंकि उस वक्त विधान सभा में जनता दल विधायक दल के सदस्यों की कुल संख्या 50 थी इसलिए इन उपरोक्त 15 विधायकों की संख्या के एक तिहाई से कम होने के कारण ये संविधान के अन्तर्गत अनुसूची 10 के पैरा 3 का लाभ पाने के हकदार नहीं रहे।

(5) कि दिनांक 6.11.90 को जनता दल विधायक दल के विधान सभा में विधायकों की संख्या जो पूर्व में 55 थी, वह 5 सदस्यों के निष्कासन से 50 रह गई थी और उसी दिन स्वेच्छा से दल छोड़ने के कारण 15 विधायकों के अयोग्य हो जाने के कारण दल की संख्या विधान सभा में 6.11.90 को सिर्फ 35 रह गई थी।

(6) कि दिनांक 7.11.90 को जनता दल विधायक दल के विधान सभा में जो 35 सदस्य थे, उनमें से सर्वश्री देवीसिंह भाटी और राजेन्द्रसिंह राठौड़ ने उसी दिन 12.30 बजे दोपहर अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को लिखित में सूचित किया कि वे जनता दल विधायक दल से पृथक होकर जो 20 विधायकों का श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अलग दल गठित किया गया है उसमें अपने आपको शामिल करते हैं। इस प्रकार उक्त दोनों विधायकों ने स्वेच्छा से जनता दल विधायक दल को छोड़ दिया।

(7) कि दिनांक 7.11.90 को ही विधायक श्री नफीस अहमद ने भी सायंकाल 8 00 बजे अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के समक्ष लिखित में यह प्रस्तुत किया है कि वे भी जनता दल विधायक दल से पृथक हुए 20 विधायकों के जनता दल (ग्रुप) विधायक दल, जो श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित किया है, में अपने आपको शामिल करते हैं। इस प्रकार विधायक श्री नफीस अहमद ने भी जनता दल विधायक दल को दिनांक 7.11.90 को स्वेच्छा से छोड़ दिया।

(8) कि दिनांक 7.11.90 को राजस्थान जनता दल विधायक दल के 3 सदस्य गण सर्वश्री देवीसिंह भाटी, राजेन्द्र सिंह राठौड़ और नफीस अहमद ने जब अपने आपको दिग्विजय सिंह ग्रुप में सम्मिलित करने की घोषणा की, उस दिन राजस्थान जनता दल विधायक दल की कुल सदस्य संख्या 35 थी और इन तीनों विधायकों

(श्री अध्यक्ष)

सर्वश्री देवीसिंह भाटी, राजेन्द्र सिंह राठौड़ और नफीस अहमद की संख्या तीन, 35 का एक तिहाई से कम होने के कारण संविधान की अनुसूची 10 के पैरा 3 के अन्तर्गत ये इसका लाभ पाने के अधिकारी नहीं रहे और सविधान की अनुसूची 10 के पैरा 2 के उप पैरा 1 के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता के अयोग्य हो गये हैं।

(9) कि दिनांक 7.11.90 को जनता दल विधायक दल के नेता श्री नत्थीसिंह ने दल के विधायक सर्वश्री देवीसिंह भाटी, गुलाम मुस्तुफा खां, सांवरलाल और डा. रतनलाल जाट को अनुशासनहीनता के लिए दल से निष्कासित कर दिया था और उसकी सूचना दिनांक 7.11.90 को अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को दे दी थी, किन्तु उक्त निर्णय लेने से पूर्व उक्त चारों विधायक तीन विधायक सर्वश्री गुलाम मुस्तुफा खां, सांवरलाल व डा. रतनलाल जाट दिनांक 6.11.90 को व श्री देवीसिंह भाटी 7.11.90 को स्वेच्छा से जनता दल विधायक दल छोड़ने के कारण अयोग्य हो चुके थे। इसलिए जनता दल विधायक दल के नेता का उक्त निष्कासन का निर्णय इन विधायकों की सदस्यता पर प्रभावहीन रहा।

(10) कि दिनांक 8.11.90 को प्रातः 90.30 बजे जिस समय सर्वश्री रामनारायण विश्नोई और रामस्वरूप मेघवाल, अप्रार्थियों ने जनता दल विधायक दल को छोड़कर श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित दल में अपने आपको सम्मिलित किया, उस समय राजस्थान जनता दल विधायक दल की सदस्य संख्या 32 थी और 8.11.90 को सायंकाल 3.40 बजे विधायिका कृष्णेन्द्र कौर ने जनता दल विधायक दल से स्वेच्छा से अलग होकर श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित दल में अपने आपको शामिल करने की सूचना दी। इस प्रकार दिनांक 8.11.90 को जनता दल विधायक दल के तीन विधायक सर्वश्री रामनारायण विश्नोई, रामस्वरूप मेघवाल व श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर स्वेच्छा से जनता दल विधायक दल छोड़ कर अलग हो गये। उस दिन विधान सभा में जनता दल की कुल सदस्य संख्या 32 थी और इन तीनों विधायकों की संख्या कुल संख्या की एक तिहाई से कम होने के कारण इन्हें संविधान की अनुसूची 10 के पैरा 3 का लाभ नहीं मिल सकता है और ये तीनों विधायक अनुसूची 10 के पैरा 2 के उप पैरा 1 के अन्तर्गत अयोग्य हो गये हैं।

इन 21 याचिकाओं के प्रत्येक अप्रार्थी ने अपना-अपना पृथक जवाब प्रस्तुत किया है जो प्रत्येक पत्रावली के साथ संलग्न है। प्रत्येक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जवाब का सारांश यही है कि श्री नत्थीसिंह को किसी भी सदस्य को जनता दल से निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है और श्री नत्थीसिंह द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही शुरू से आखिर तक अवैध, बेमानी, गैर कानूनी व कानून की निगाह में शून्य है। ऐसी कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होना भी बताया गया है क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही के पूर्व न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया।

(2) कि दिनांक 5.11.90 को देश में बड़े पैमाने पर जनता दल में टूट शुरू हो

(श्री अध्यक्ष)

गई थी। उसी विभाजन के परिप्रेक्ष्य में जनता दल, राजस्थान में भी टूट हो गई। राजस्थान में जनता दल से अलग हुए धड़े ने अपने आपको जनता दल (ग्रुप) के नाम से सम्बोधित किया तथा विधान सभा में उसके विधायकों ने अपने आपको जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के नाम से अपना संगठन व पहचान बनाई।

(3) कि दिनांक 6.11.90 को राजस्थान के जनता दल विधायक दल में एक बड़ा विभाजन हो गया और उस विभाजन में 26 विधायक शामिल हो गये थे। 20 विधायकों ने 6.11.90 को अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके विधान सभा में जनता दल विधायक दल (ग्रुप) के नाम से मान्यता प्रदान करने का निवेदन किया। 20 विधायकों द्वारा ऐसे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये तथा श्री दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र देकर सूचित कर दिया था कि सर्वश्री नफीस अहमद खां, रामनारायण विश्नोई, रामस्वरूप मेघवाल, राजेन्द्र सिंह राठौड़, देवीसिंह भाटी एवं श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर इस संगठन में शामिल हो चुके हैं। जिनके हस्ताक्षरयुक्त आवेदन अलग से भिजवाये जा रहे हैं।

(4) जनता दल में टूट व विभाजन की प्रक्रिया राजस्थान में दिनांक 6.11.90 को ही शुरू हो गई थी और वह प्रक्रिया दिनांक 6 नवम्बर से लगाकर दिनांक 8 नवम्बर, 1990 तक चलती रही है।

(5) कि दिनांक 7.11.90 को चार सदस्यगण अर्थात् सर्वश्री देवी सिंह भाटी, गुलाम मुस्तुफा खां, सांवरलाल व डा. रतनलाल जाट को जनता दल विधायक दल से निष्कासित करने की कार्यवाही भ्रामक, असत्य व गैर कानूनी है क्योंकि ये चारों ही विधायक 6 नवम्बर को ही जनता दल व जनता दल विधायक दल से अलग होकर जनता दल (ग्रुप) व जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के सदस्य बन गये थे। निष्कासन की कार्यवाही जनता दल के संविधान के विपरीत होने से भी अमान्य व शुरू से आखिर तक अवैध व शून्य बताई गई है।

(6) 26.10.90 को जनता दल का समर्थन भैरोंसिंह शेखावत मंत्री मण्डल से वापस लेने की कार्यवाही राजस्थान जनता दल के निर्णय के अनुसार नहीं थी क्योंकि उस दिन विधायक दल की या संगठन की कोई बैठक ही नहीं हुई।

(7) 2.11.90 की बैठक जो श्री नत्थी सिंह के निवास स्थान पर किये जाने का प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किया गया है, उसके सम्बन्ध में प्रत्येक अप्रार्थी का जवाब है कि जिस प्रकार का निर्णय प्रार्थीगण 2.11.90 की बैठक में लिये जाने का उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

कि दिनांक 8.11.90 को शेखावत सरकार में विश्वास व्यक्त करने के विरोध में मतदान किया जावे बल्कि जनता दल विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विधायक दल की बैठक दिनांक 6.11.90 को पुनः बुलाई जावे और उसमें दिनांक 8.11.90 की विधान सभा की बैठक के सम्बन्ध में शेखावत सरकार में विश्वास

(श्री अध्यक्ष)

व्यक्त करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाये।

(8) प्रत्येक अप्रार्थी के अनुसार 2.11.90 की बैठक में बहुमत विधायकों द्वारा सरकार के खिलाफ मतदान करने के सम्बन्ध में व्हिप जारी करने के प्रस्ताव का भी विरोध किया गया। अप्रार्थी के अनुसार सरकार के विरुद्ध बैठक में मतदान करने की राय अल्पमत में थी। यही कारण है कि जनता दल विधायक दल के सचेतक श्री भंवरलाल शर्मा ने व्हिप भी जारी किया। श्री नत्थी सिंह के सम्बन्ध में अंकित किया गया है कि उन्हें व्हिप जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं थी।

(9) अप्रार्थीगण द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि जनता दल का देश में जो विभाजन हुआ है, वह स्पष्ट है और उसी विभाजन की पृष्ठभूमि व परिप्रेक्ष्य में राजस्थान जनता दल विधायक दल में भी विभाजन हुआ। 26 विधायक जिन्होंने जनता दल, राजस्थान की टूट के फलस्वरूप जनता दल (ग्रुप) का अलग संगठन बनाया व जनता दल (ग्रुप) विधायक दल नाम का अलग धड़ा बनाया है, वे जनता दल के राजस्थान में 55 विधायकों की संख्या का 1/3 से अधिक हैं। जनता दल के विभाजन के फलस्वरूप उनका जो राजनीतिक संगठन जनता दल (ग्रुप) बना है, उसका दिनांक 24 दिसम्बर, 1990 को राजस्थान जनता दल (डी) के नाम से प्रथम सम्मेलन हो चुका है। यह भी अंकित किया गया है कि देश में हुए विभाजन के साथ ही जनता दल राजस्थान में भी विभाजन हुआ है और मूल जनता दल के साथ अब 25 विधायक हैं और जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के साथ 26 विधायक हैं और जनता दल (स) के साथ 4 विधायक हैं। जिनके नाम निम्न प्रकार हैं:-

(1) श्रीमती मदन कौर
(2) श्रीमती सुचित्रा आर्य
(3) श्री अजय सिंह एवं
(4) श्री मनीराम सियाग।

(10) अप्रार्थीगण के अनुसार कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार विभाजन के पश्चात् राजनीतिक दल दो ही धड़ों में बंटे। कानून की निगाह में दल दो या दो से अधिक कितने ही धड़ों में बंटने का स्वतंत्र है। इस प्रकार प्रार्थीगण का यह आरोपित किया जाना सही नहीं है कि अप्रार्थी राजनीतिक दल के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए किसी धड़े का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अप्रार्थी राजनीतिक दल के विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए धड़े का प्रतिनिधित्व करता है और उनके गुट को राजस्थान विधान सभा में मान्यता भी दे दी गई है।

(11) कि दिनांक 6.11.90 को सायंकाल 5.45 बजे श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर 20 विधायकों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर व 6 अनुपस्थित विधायकों द्वारा उसमें पूर्व सहमति देकर सम्मिलित होकर जनता दल राजस्थान से टूट कर पृथक जनता दल (ग्रुप) व जनता दल (ग्रुप) विधायक दल बनाने की जो सूचना अध्यक्ष, विधान सभा को दी जाकर दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ नं 3 में जो स्पलिट की परिभाषा व परिस्थिति का लाभ लेने का

(श्री अध्यक्ष)

दावा किया गया है, वह पूर्णतया विधि संगत है।

दिनांक 30.1.91 को अर्थात् श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने के ढाई माह से अधिक की अवधि के पश्चात् श्री सुरेन्द्र व्यास ने 27 अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता) नियम, 1989 के नियम 6 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस याचिका का आधार दैनिक "नवभारत टाइम्स (जयपुर) में दिनांक 6.11.90 को प्रकाशित समाचार" "प्रदेश में भी जनता दल टूट गया" शीर्षक से जो प्रकाशित हुआ है उसे बनाया गया है। श्री व्यास का इस याचिका में तर्क है कि यह जो समाचार प्रकाशित हुआ है इसके अनुसार तत्समय के जनता दल विधायक दल के 12 सदस्यगण सर्वश्री दिग्विजय सिंह, मान्धाता सिंह, भंवरलाल शर्मा, जगमाल सिंह, सम्पत सिंह, डा. जितेन्द्र सिंह, डूंगरराम पंवार, फतेह सिंह, जगत सिंह दायमा, मिश्रीलाल चौधरी, उम्मेद सिंह, बाबूलाल खाण्डा ने एक हस्ताक्षरयुक्त वक्तव्य जारी कर राजस्थान विधान सभा का सदस्य रहने का अधिकार उसी क्षण खो दिया है जिस क्षण जनता दल विधायक दल की सदस्यता छोड़ी थी।

(2) चूंकि तत्कालीन जनता दल विधायक दल के उपरोक्त 12 सदस्यों ने उक्त हस्ताक्षरयुक्त वक्तव्य 5.11.90 को समाचार पत्रों को जारी कर जनता दल विधायक दल की अपनी सदस्यता छोड़ दी अतः दिनांक 6.11.90 को सायंकाल 5.45 बजे जिन 20 माननीय सदस्यों ने श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक अलग ग्रुप का गठन माननीय अध्यक्ष को जो सूचित किया, उस समय तक उपरोक्त 12 सदस्य तो सदन की सदस्यता खो चुके थे और निम्न 9 सदस्य भी स्वेच्छा से जनता दल विधायक दल की सदस्यता छोड़ने के कारण संविधान के परिशिष्ट-10 के अन्तर्गत छोड़ने के कारणवश उसी समय सदन की सदस्यता के लिये अयोग्य हो गये। इन 9 सदस्यों के नाम श्री व्यास द्वारा अंकित किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं : (1) श्री लालचन्द डूडी, (2) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, (3) श्री गणपतराय गाडेगावलिया, (4) श्री शम्भुदयाल बड़गूजर, (5) श्री गंगाराम चौधरी (6) श्री अब्दुल हादी, (7) श्री सांवरलाल जाट, (8) श्री गुलाम मुस्तुफा खान, व (9) डा. रतनलाल जाट।

(3) कि 7.11.90 को सर्वश्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) एवं श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (चूरू) ने माननीय अध्यक्ष को 12.30 बजे जो लिखित सूचना दी, उससे उनके द्वारा जनता दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी गई। इसलिए इस प्रकार ये लोग सदन की सदस्यता के अयोग्य हो गये हैं।

(4) कि 8 नवम्बर, 1990 को जब विधान सभा की बैठक चल रही थी तब 4 अन्य माननीय सदस्यों ने (सर्वश्री रामनारायण विश्नोई, रामस्वरूप मेघवाल, नफीस महमद एवं श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर) ने स्वेच्छा से जनता दल विधायक दल की सदस्यता छोड़ दी तथा वे भी सदन की सदस्यता के अयोग्य हो गये हैं।

(5) श्री व्यास द्वारा यह भी आपत्ति

(श्री अध्यक्ष)

ली गई है कि दिग्विजय सिंह ग्रुप के 26 माननीय सदस्यों ने किसी भी स्तर पर अथवा समय पर यह दावा नहीं किया है कि जनता दल जो कि एक राजनीतिक दल है, उसमें राजस्थान के स्तर पर भी श्री दिग्विजय सिंह ग्रुप के नाम विभाजन हुआ हो। इस प्रकार उनके द्वारा जनता दल विधायक दल की सदस्यता छोड़कर एक अलग दिग्विजय सिंह ग्रुप बनाना सर्वथा संविधान के परिशिष्ट-10 की मंशा एवं भावना के प्रतिकूल है क्योंकि विधायक दल के एक अलग ग्रुप बनाने की परिस्थिति संविधान की अनुसूची 10 के अन्तर्गत तब ही पैदा हो सकती है जब कि मूल राजनीतिक दल के अन्दर विभाजन हुआ हो।

उपरोक्त चार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त वर्णित 22 याचिकाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रत्येक अप्रार्थी को याचिका सम्बन्धी सूचना जारी की गई। दिनांक 5.1.91 को श्री नत्थी सिंह ने अपने दल के 3 सदस्यगण सर्वश्री डा. चन्द्रभान, रामेश्वर दयाल यादव एवं गोपाल सिंह खण्डेला द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का समर्थन करते हुए अप्रार्थीगण को अयोग्य घोषित करने की प्रार्थना की, जबकि जनता दल विधायक दल (ग्रुप) के नेता श्री दिग्विजय सिंह ने 4.2.91 को जवाब प्रस्तुत कर याचिकाएं खारिज करने की प्रार्थना की। सर्वश्री गोपाल सिंह खण्डेला, डा. चन्द्रभान एवं रामेश्वर दयाल यादव, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के प्रत्येक अप्रार्थी ने 31.1.91 को अपने जवाब प्रस्तुत किये। श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा प्रस्तुत याचिका के नोटिस भी सभी 27 अप्रार्थीगण को जारी किये गये। साथ ही श्री व्यास की याचिका के सम्बन्ध में नोटिस श्री नत्थीसिंह, नेता जनता दल विधायक दल एवं श्री दिग्विजय सिंह, नेता जनता दल विधायक दल (ग्रुप) को भी जारी किये गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास की याचिका का 11.2.91 को सर्वश्री जगतसिंह दायमा, मान्धाता सिंह, गंगाराम चौधरी, डा. रतनलाल जाट, मिश्रीलाल चौधरी, चुन्नीलाल इन्दलिया, शम्भू दयाल बड़गूजर, गुलाम मुस्तुफा खां, उम्मेद सिंह, डा. जितेन्द्र सिंह, अब्दुल हादी, बाबूलाल खाण्डा, डूंगरराम पंवार एवं सम्पत सिंह ने 13.2.91 को सर्वश्री लालचन्द डूडी, नफीस अहमद खां, जगमाल सिंह यादव, गणपतराय गाडेगावलिया, रामस्वरूप मेघवाल, रामनारायण विश्नोई, राजेन्द्र सिंह राठौड़ एवं श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर ने तथा 14.2.91 को सर्वश्री देवीसिंह भाटी, प्रो. सांवरलाल, भंवरलाल शर्मा, दिग्विजय सिंह एवं नत्थी सिंह ने अपने जवाब प्रस्तुत किये। श्री सुरेन्द्र व्यास की याचिका पर श्री फतेह सिंह अप्रार्थी का जवाब भी सम्मिलित है।

श्री सुरेन्द्र व्यास की याचिका में श्री नत्थीसिंह और श्री फतेहसिंह को छोड़कर शेष 25 अप्रार्थीगण ने जो जवाब प्रस्तुत किया है, उसका सारांश निम्न प्रकार है :–

(1) याचिका के साथ समाचार पत्र की जो कतरन उपाबन्ध के रूप में श्री व्यास द्वारा प्रस्तुत की गई है, उस उपाबन्ध की जो व्याख्या श्री व्यास द्वारा की गई है, उसे पूर्णतया गलत, निराधार एवं विद्वेषपूर्ण बताया गया है। उपाबन्ध के सम्बन्ध में जिन 12 अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हुए

(श्री अध्यक्ष)

हैं, उन 12 अप्रार्थीगण का जवाब है कि इस उपाबन्ध की श्री सुरेन्द्र व्यास, प्रार्थी द्वारा की गई व्याख्या न सिर्फ निराधार है बल्कि विद्वेषपूर्ण और तथ्यों के विपरीत है। इन प्रार्थीगणों के अनुसार इन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि इन्होंने स्वेच्छा से जनता दल छोड़ दिया है। इन 12 अप्रार्थीगण के अनुसार दिनांक 5.11.90 को दिल्ली में जो जनता दल के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई उस प्रक्रिया के फलस्वरूप राजस्थान के जद विधायकों व जद नेताओं में विभिन्न स्तरों पर आपसी सलाह-मशविरा शुरू हुआ और 12 विधायकों का आरोपित वक्तव्य बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति पर उनकी प्रतिक्रिया मात्र है।

(2) इन 12 अप्रार्थीगण के अनुसार इसके अतिरिक्त 8 अन्य विधायकों ने दिनांक 6.11.90 को सायंकाल 5.45 बजे श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा से मुलाकात की एवं एक हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र दिया और एक अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके जनता दल के 20 इन विधायकों के अतिरिक्त 6 अनुपस्थित विधायकों की ओर से भी सूचना दी कि वे भी नये ग्रुप में सम्मिलित हैं। इस प्रकार वास्तव में 26 विधायकों ने अन्य जद नेताओं व कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक साथ जनता दल से अलग होकर एक राजनीतिक संगठन जनता दल को विभाजित कर जनता दल का एक धड़ा जनता दल (ग्रुप) बनाया। अप्रार्थीगण के अनुसार जनता दल के विभाजन की कार्यवाही देश के पैमाने पर दिनांक 5.11.90 को शुरू हुई और राजस्थान में भी उसी प्रकार की कार्यवाही दिनांक 6.11.90 को सायंकाल 5 बजकर 10 मिनट पर सम्पन्न हुई और इस प्रकार जनता दल के संगठनात्मक ढांचे में विभाजन की कार्यवाही पूर्ण हो गई जिस में उपस्थित 20 विधायकों व अनुपस्थित 6 विधायकों के अलावा अनेक सख्या के करीब गैर विधायक, जनता दल के प्रमुख नेता व कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जनता दल के नाम से जनता दल के ही एक धड़े ने एक नया राजनीतिक संगठन बनाया और जनता दल के उक्त विभाजन के बाद उक्त धड़े में निष्ठा रखने वाले विधायकों ने उसी दिन 5 बजकर 30 मिनट पर उस धड़े से सम्बन्धित विधायकों का एक नया विधायक दल जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के नाम से बनकर जनता दल विधायक दल को विभाजित किया गया जिसकी सूचना सायंकाल 5 बजकर 45 मिनट पर अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को दे दी गई। इस प्रकार श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा 12 विधायकों व 9 अन्य विधायकों की अयोग्यता के संबंध में जो अलग-अलग टूट मानकर उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए स्थिति अंकित की गई है उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार किया गया है एवं यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि व्याख्या वैधानिक रूप से भी पूर्णतया गलत है।

(3) अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह भी स्थिति अंकित की है कि 6 अप्रार्थीगण सर्वश्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, देवीसिंह भाटी, नफीस अहमद खां, कृष्णेन्द्र कौर, रामनारायण विश्नोई व रामस्वरूप मेघवाल ने नवगठित जनता दल विधायक (ग्रुप) में सम्मिलित होने की सूचना 6.11.90 को किस प्रकार किस समय दी।

(श्री अध्यक्ष)

(4) अप्रार्थीगण का वह स्पष्ट जवाब है कि राजस्थान में जनता दल टूट गया और जनता दल में टूट के फलस्वरूप उसी के एक धड़े ने नया राजनीतिक संगठन जनता दल (ग्रुप) नाम का बना लिया है और उसमें निष्ठा रखने वाले विधायकों ने जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के नाम से अपनी पहचान व संगठन बनाया है। ऐसा करने के पश्चात् अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा को निनांक 6.11.90 को सूचित किया गया है। यह सब कार्यवाही दसवीं अनुसूची के अनुसार विभाजन की परिभाषा में आती है।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिवचन, दस्तावेज एव शपथ पत्रों के आधार पर मेरे द्वारा वाद बिन्दुओं की संरचना दिनांक 27 फरवरी, 1991 को की गई तथा इससे सभी पक्षकारान को 27.2.91 को ही सूचित किया गया और दिनांक 6.3.91 सुनवाई हेतु तय की गई। तत्पश्चात् दिनांक 6.3.91 को सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पूर्व में निश्चित किये गये वाद बिन्दुओं को अन्तिम रूप दिया गया। अन्तिम रूप से संरचित वाद बिन्दु निम्न प्रकार है :-

निर्णयार्थ विनिश्चत वाद बिन्दु

(1) क्या दिनांक 2 नवम्बर, 1990 को जनता दल विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि, दिनांक 8.11.90 को भैरोंसिह मंत्रिमण्डल में विश्वास प्रकट करने वाले प्रस्ताव का विरोध किया जायेगा ?

(सिद्धि भार प्रार्थी पर)

(2) क्या इस दिनांक, 2.11.90 की बैठक में जनता दल विधायक दल द्वारा लिये गये निर्णय की पालनार्थ आवश्यक अधिकारिता रखने वाले व्यक्ति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को व्हिप जारी करने सम्बन्धी सूचना दी गई :-

(सिद्धि भार प्रार्थी पर)

(3) क्या जैसा कि प्रार्थी श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा अभिकथित किया गया है, दिनांक 5.11.90 को श्री दिग्विजय सिंह के निवास पर इकट्ठे होकर तत्समय के जनता दल के 12 विधायकों में सर्वश्री दिग्विजय सिंह, मान्धाता सिंह, भंवरलाल शर्मा, जगमाल सिंह, सम्पत सिंह, जितेन्द्र सिंह, डूंगरराम पंवार, फतेह सिंह, जगत सिंह दायमा, मिश्रीलाल चौधरी, उम्मेद सिंह और बाबूलाल खाण्डा ने समाचार पत्रों हेतु हस्ताक्षरित बयान जारी किया ? यदि हां, तो क्या ऐसे बयान के आधार पर इन सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से जनता दल की सदस्यता छोड़ा जाना माना जा सकता है ?

(सिद्धि भार प्रार्थी पर)

(4) क्या दिनांक 6.11.90 को श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर तत्समय के जनता दल के जिन 20 विधायकों की बैठक हुई उस समय तक सर्वश्री देवीसिंह भाटी, राजेन्द्र सिंह राठौड़, रामस्वरूप मेघवाल, रामनारायण विश्नोई, नफीस अहमद तथा श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर ने श्री दिग्विजय सिंह को उनके द्वारा जनता दल से पृथक होकर जनता दल (ग्रुप) के गठन के सम्बन्ध में अपनी-अपनी सहमति देते हुए अपने आपको ऐसे नवगठित ग्रुप में

(श्री अध्यक्ष)

सम्मिलित किया ? यदि हां, तो इसका याचिका पर क्या प्रभाव होगा ?

(सिद्धि भार प्रार्थी पर)

(5) क्या विधायक श्री फतेह सिंह ने 5.11.90 को तत्समय के अन्य ग्यारह जनता दल विधायकों के साथ हस्ताक्षरित बयान प्रेस हेतु जारी किया; यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव है ?

(सिद्धि भार प्रार्थी पर)

(6) क्या विधायक श्री फतेह सिंह ने दिनांक 6.11.90 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार खण्डन करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय को एवं विधान सभा सचिवालय को पत्र प्रेषित किया ? यदि हां, तो इसके क्या प्रभाव हैं ?

(सिद्धि भार श्री फतेह सिंह)

(7) दिनांक 8.11.90 से पूर्व राजस्थान विधान सभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता नियम, 1989 के नियम 3 की अनुपालना में विधान सभा के विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा आवश्यक सूचना अध्यक्ष को अथवा विधान सभा सचिवालय को नहीं देने का क्या प्रभाव है?

(8) क्या मूल जनता दल में राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन हुआ जिस विभाजन के परिणामस्वरूप राजस्थान में भी भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या तीन में दर्शाये अनुसार विभाजन हुआ और क्या अप्रार्थी श्री शम्भू दयाल बड़गुर्जर (केकड़ी विधायक), अपने अन्य 25 साथियों सहित जिनके कि नाम सर्वश्री दिग्विजय सिंह (उनियारा विधायक), जगतसिंह दायमा (बानसूर विधायक), गणपतराय (दूदू विधायक), (डा.) रतन लाल जाट (सहाड़ा विधायक), मिश्री लाल चौधरी (बिलाड़ा विधायक), रामनारायण विश्नोई (ओसिया विधायक), गुलाम मुस्तुफा (नागौर विधायक), बाबू लाल खाण्डा (सूरजगढ़ विधायक), अब्दुल हादी (चौहटन विधायक), सम्पत सिंह (नगर विधायक), जगमाल सिंह यादव (तिजारा विधायक), नफीस अहमद (पिड़ावा विधायक), श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग विधायक), डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर विधायक), प्रो. सांवरलाल (भिनाय विधायक), देवीसिंह भाटी (कोलायत विधायक), राजेन्द्रसिंह राठौड़ (चूरू विधायक), रामस्वरूप (रायसिंहनगर विधायक), डूंगरराम पंवार (टीबी विधायक), गंगाराम चौधरी (बाड़मेर विधायक), लालचन्द डूडी (भादरा विधायक), चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा विधायक), उम्मेदसिंह (डीडवाना विधायक), मान्धाता सिंह (भीम विधायक) एवं भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर विधायक) हैं, ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह का गठन करता है जो उनके मूल राजनीतिक दल, जनता दल के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है ? एवं इस समूह में तत्कालीन जनता दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य हैं।

(9) क्या भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के सन्दर्भ में किसी भी मूल राजनीतिक दल, जैसा कि इसे भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या एक (ग) में परिभाषित किया गया है, में विभाजन होना व इसके विधायक दल में

(श्री अध्यक्ष)

विभाजन होना एक ही दिन एवं एक ही समय में घटित होने वाली एक घटना है अथवा क्या किसी मूल राजनीतिक दल के विभाजन के फलस्वरूप इसके विधायक दल विभाजन में कुछ अवधि अन्तराल, चाहे वह अन्तराल लघु हो, आवश्यक है ?

(10) क्या दिनांक 5.11.90 को सर्वश्री दिग्विजयसिंह (उनियारा विधायक), भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर विधायक), उम्मेद सिंह (डीडवाना विधायक), जगत सिंह दायमा (बानसूर विधायक) एवं मान्धाता सिंह (भीम विधायक) को मूल जनता दल अथवा राजस्थान जनता दल विधायक दल व जनता दल से निष्कासित किये गये ? यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव है ?

(11) क्या दिनांक 7.11 90 को सर्वश्री देवी सिंह (कोलायत विधायक), गुलाम मुस्तुफा (नागौर विधायक), प्रो. सांवरलाल (मिनाय विधायक) एवं डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा) को राजस्थान जनता दल विधायक दल से निष्कासित किया गया ? यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव है ?

(12) अप्रार्थीगण ने जनता दल विधायक दल के नेता द्वारा जारी किये गये व्हिप के विपरीत 8.11.90 को मतदान किया और व्हिप के अनुसार मतदान न करने की अनुमति भी दल के नेता से नहीं ली, उसका क्या प्रभाव है ?

दिनांक 9.3.91 को प्रार्थीगण को सुना गया एवं 14/15.3.91 अप्रार्थीगण को सुना गया। अप्रार्थीगण द्वारा पुस्तकें, विनिर्णय एवं चार्ट प्रस्तुत करने हेतु समय 18.3.91 तक का चाहा गया। 18.3.91 को विनिर्णय प्रस्तुत किये गये मगर चार्ट प्रस्तुत करने हेतु 19.3.91 तक का समय मांगा गया। 19.3.91 को चार्ट प्रस्तुत कर दिया।

उपरोक्त प्रकार से समस्त स्थिति अंकित करने के पश्चात् अब मैं इन याचिकाओं के सम्बन्ध में मेरे द्वारा निर्णयार्थ विनिश्चित किये गये वाद बिन्दुओं पर क्रमवार निर्णय करने की ओर अग्रसर होता हूं।

वाद बिन्दु संख्या-1

इस वाद बिन्दु का निर्णय अपने पक्ष में प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण ने दिनांक 2.11.90 को श्री नत्थी सिंह के सिविल लाइन्स, जयपुर स्थित निवास स्थान पर हुई जनता दल विधायक दल की मीटिंग के कार्यवाही वृतान्त को आधार बनाया है। प्रार्थीगण का कहना है कि दिनांक 2 11.90 को दिन में दो बजे प्रारम्भ हुई इस मीटिंग में सर्वसम्मति से सरकारी पक्ष की ओर से श्री भैरोंसिह शेखावत मंत्रिमण्डल में विश्वास प्रकट करने सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध करने का निर्णय लिया गया एवं इस संबंधी व्हिप जारी करने का भी निर्णय लिया गया। अप्रार्थीगण का इस सम्बन्ध में तर्क है कि यह कार्यवाही वृतान्त असत्य है एवं अप्रामाणिक है। अप्रार्थीगण का कहना है कि इस कार्यवाही वृतान्त में जो कुछ घटित एवं निर्णय होना अंकित किया गया है, वह असत्य है। अप्रार्थीगण का तर्क है कि जनता दल द्वारा कांग्रेस का सहयोग लिया जाना, मध्यावधि चुनाव नहीं हो सके इस

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में प्रयास करना एवं शेखावत मंत्रि-मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर उसको हटाने का कार्य, सभी एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए विषय थे कि यदि शेखा-वत मन्त्रिमण्डल को हटाया जाता है तो मध्यावधि चुनाव को तभी टाला जा सकता है जबकि जनता दल द्वारा कांग्रेस (आई) के साथ गठबन्धन कर सरकार बनाई जाय। इसी क्रम में अप्रार्थीगण का तर्क है कि पिछले आम चुनावों में अप्रार्थीगण द्वारा खुले रूप से घोषणाबद्ध तरीके से कांग्रेस (आई) की खिलाफत कराने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए इनके द्वारा शेखावत मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध मत देने के किसी प्रस्ताव में सहमति देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता है। मेरा ध्यान दिनांक 2.11.90 की उक्त बैठक के पश्चात् जयपुर से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों की निम्न कुछ कतरनों की ओर आकर्षित किया गया है जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं :–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	समाचार पत्र का नाम	दिनांक
1.	डी-50	नव भारत टाइम्स	2.11.90
2.	डी-52		
3.	डी-53	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	2.11.90
4.	डी-54	राष्ट्रदूत, जयपुर	2.11.90
5.	डी-55	टाइम्स ऑफ इण्डिया, जयपुर	2.11.90
6.	डी-57	दैनिक नवज्योति, जयपुर	3.11.90
7.	डी-60	राजस्थान पत्रिका, जयपुर	3.11.90
8.	डी-61	दैनिक नवज्योति, जयपुर	3.11.90

इस कथन के अवलोकन से ऐसा प्रकट हो रहा है कि 2.11.90 की कथित जनता दल विधायक दल की बैठक के कार्यवाही वृतान्त (प्रदर्श पी–12) में सर्वसम्मति से शेखावत मंत्रिमण्डल के विरुद्ध मत देने का निर्णय लिये जाने व इस सम्बन्धी व्हिप जारी करने का निर्णय लिये जाने की जो बात कही जा रही है, वह सही प्रतीत नहीं हो रही है। इस कार्यवाही वृतान्त में जो यह स्थिति वर्णित की गई है, शेखावत मन्त्रि-मण्डल को अविश्वास के मत द्वारा सत्ता से हटाने के बाद कांग्रेस (आई) से सहयोग किया जाए अथवा नहीं, इस बिन्दु मात्र पर ही असहमति थी, स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं हो रहा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 2.11.90 की बैठक के इस कार्यवाही वृतान्त (प्रदर्श पी-12) में दिनांक 6.11.90 को पुनः श्री नत्थीसिंह के निवास स्थान 13, सिविल लाइन्स, जयपुर पर बैठक बुलाने की भी बात कही गई है। यह एक बहुत ही सन्देहास्पद स्थिति प्रकट करने वाला तथ्य है कि जब सर्वसम्मति से शेखावत मन्त्रि-मण्डल के विरुद्ध मत देने व इसी सम्बन्धी व्हिप जारी करने का निर्णय ले लिया गया था तो फिर 6.11.90 को पुनः बैठक की तारीख निर्धारित करने का क्या मन्तव्य था एवं क्या आशय था।

इसी सम्बन्ध में एक अन्य परिस्थिति की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। कार्य-

(श्री अध्यक्ष)

वाही वृतान्त जनता दल विधायक दल की बैठक दिनांक 2.11.90 (प्रदर्श पी-12) में उपस्थित विधायकों की जो उपस्थिति अंकित की गई है, वह पृष्ठ संख्या-1 पर एवं पृष्ठ संख्या-2 के नीचे की चार पंक्तियों को छोड़कर है। ऐसा किस कारणवश किया गया है, इस सम्बन्ध में किसी भी पृष्ठ के पीछे कोई कार्यवाही अंकित नहीं की गई है।

इसी के साथ-साथ यह भी विचारणीय है कि कार्यवाही वृतान्त प्रदर्श पी-12 के क्रम संख्या 45 पर श्री फतेहसिंह, विधायक का नाम भी अंकित है और उनके हस्ताक्षर भी प्रकट हो रहे हैं। श्री फतेहसिंह की इस प्रकार उक्त उपस्थिति के सन्दर्भ में ही जब श्री फतेहसिंह द्वारा दिनांक 6.11.90 को दिन के 11.45 बजे माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श डी–2 का अवलोकन किया जाता है तो कार्यवाही वृतान्त प्रदर्श पी–12 में अंकित तथ्यात्मक स्थिति के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न होता है। जहां प्रदर्श पी-12 के अनुसार यह प्रकट किया जा रहा है कि इस दिवस 2.11.90 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शेखावत मन्त्रिमण्डल के विश्वास के प्रस्ताव के विरुद्ध जनता दल विधायक दल के सदस्य मतदान करेंगे और इस सम्बन्धी व्हिप जारी करने का भी निर्णय लिया गया वहीं दिनांक 6.11.90 को श्री फतेहसिंह माननीय अध्यक्ष के समक्ष यह लिखकर प्रदर्श डी–2 प्रस्तुत करता है जिसमें ऐसे किसी निर्णय लिये जाने का एवं 2.11.90 को व्हिप जारी करने के निर्णय लिये जाने का कोई उल्लेख नहीं होता है। श्री नत्थी सिंह द्वारा व्हिप जारी करने का उल्लेख इस प्रदर्श डी-2 में अवश्य है परन्तु 2.11.90 की कार्यवाही वृतान्त का प्रदर्श पी 12 का कोई उल्लेख इसमें नहीं है।

एक अन्य स्थिति भी इस सम्बन्ध में ऐसी है जो प्रदर्श पी–12 में अंकित तथाकथित सर्वमान्य रूप में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न करती है। श्री नत्थीसिंह द्वारा प्रदर्श पी-18 पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है और उसके साथ सर्टिफिकेट ग्राफ पोस्टिंग से 54 जनता दल के सदस्यों को व्हिप डाक द्वारा भेजने के प्रमाण-पत्र की फोटो कापी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना-पत्र प्रदर्श पी-18 में श्री नत्थी सिंह ने अंकित किया है कि 8.11.90 की विधान सभा की बैठक के सम्बन्ध में अपने सदस्यों को जारी किया गया व्हिप (सचेतक की सूचना) उनके स्थाई व जयपुर के पतों पर यू. पी. सी. से भेजी जाने वाली रसीदों की फोटो प्रतिलिपियां प्रस्तुत करता हूं। बड़ी विचित्र स्थिति प्रकट हो रही है कि जहां प्रदर्श पी–12 में सर्वसम्मति से व्हिप जारी करने सम्बन्धी निर्णय की बात कही जा रही है और उसी दिवस को अर्थात् 2.11.90 को ही तैयार किये गये व्हिप की प्रतिलिपि भी प्रदर्श पी–7 के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। वहां एक भी जनता दल विधायक दल के सदस्य द्वारा बैठक 2.11.90 में ऐसा व्हिप प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति ने कोई शपथ पत्र प्रस्तुत करने का भी साहस नहीं जुटाया है। बड़ी विचित्र स्थिति यह भी है कि सभी 54 विधायकों को व्हिप यू. पी. सी. सर्टिफिकेट ग्राफ पोस्टिंग के अधीन 3.11.90 को भेजे जाते

(श्री अध्यक्ष)

हैं। सम्भावना यही प्रतीत हो रही है कि बैठक के दौरान कतिपय सदस्यों में श्री नत्थीसिंह अथवा उनके समर्थक विधायकों के प्रस्तावों के प्रति भारी विरोध रहा और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

बिन्दु संख्या 2

जिस प्रकार का निर्णय मेरे द्वारा बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में अंकित किया गया है, उसे दृष्टिगत रखते हुए स्थिति यही प्रकट हो रही है कि दिनांक 2.11.90 को जनता दल विधायक दल की बैठक में कोई सर्वसम्मत निर्णय व्हिप जारी करने संबंधी लिया जाना सन्देहास्पद है। अतः ऐसी किसी बैठक की कार्यवाही की पालनास्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा व्हिप जारी करने की अधिकारिता प्राप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

आया जनता दल विधायक दल का नेता व्हिप जारी करने की अधिकारिता रखते हैं अथवा उस दल के सचेतक ही यह कार्य कर सकते हैं, इस विवाद के सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई निर्णय किये जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

वाद बिन्दु संख्या–3

इस वाद बिन्दु का सम्बन्ध राजस्थान विधान सभा के 12 अप्रार्थी विधायकगण सर्वश्री दिग्विजय सिंह, मान्धाता सिंह, भंवरलाल शर्मा, जगमाल सिंह, डा. जितेन्द्र सिंह, डूंगरराम पंवार, फतेहसिंह, जगतसिंह दायमा, मिश्रीलाल चौधरी, उम्मेदसिंह एवं बाबूलाल खाण्डा से है।

प्रार्थी श्री सुरेन्द्र व्यास ने अपनी याचिका में अभिकथित किया है कि दिनांक 6.11.90 को जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवभारत टाइम्स में "प्रदेश में भी जनता दल टूट गया" शीर्षक से समाचार छपा था जिसकी कि फोटो प्रति उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है, जिसे कि इन याचिकाओं के विचार के दौरान मेरे द्वारा प्रदर्श पी-8 से चिन्हित किया गया है। समाचार पत्र की इस कतरन (प्रदर्श पी-18) के आधार पर प्रार्थी का तर्क है कि इन 12 अप्रार्थी विधायकगण ने संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 2(क)(1) के अधीन अपने राजनैतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है क्योंकि प्रदर्श पी-8 इन अप्रार्थी विधायकगण द्वारा प्रेस को जारी एक हस्ताक्षरित बयान पर आधारित है। यद्यपि समाचार पत्र दैनिक नवभारत टाइम्स की कतरन प्रदर्श पी-8 तो श्री व्यास द्वारा प्रस्तुत की गई है परन्तु इस समाचार पत्र की कतरन का जो तथाकथित हस्ताक्षरित बयान आधार प्रकट किया जा रहा है उस हस्ताक्षरित बयान को न तो श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा प्राप्त किया गया है और न ही इसे मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके विपरीत अप्रार्थी विधायकगण का कथन है कि दिनांक 5.11.90 को जो इन 12 अप्रार्थी विधायकगण द्वारा बयान दिया जाना कहा जा रहा है और जिसके आधार पर प्रदर्श पी-8 समाचार पत्र दैनिक नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है उसकी व्याख्या प्रार्थी श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा सन्दर्भ से हटकर की गई है और यह व्याख्या पूर्णतया गलत की गई है। प्रदर्श पी-8 के सम्पूर्ण अवलोकन के पश्चात् यह धारणा नहीं की जा सकती है कि इस समाचार पत्र

(श्री अध्यक्ष)

से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया गया हो।

प्रदर्श पी-8 के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को यहां उद्धत करना प्रासंगिक होगा जो निम्न प्रकार है।

"राजस्थान में भी जनता दल टूट गया है। दल के एक गुट ने भाजपा मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार को समर्थन देने का इशारा किया है तथा नेता नत्थीसिंह को अपने दल का नेता मानने से इंकार कर कर दिया है।... पूर्व कृषि मन्त्री दिग्विजय सिंह के निवास पर देर रात हुई बैठक में 12 विधायकों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा पूर्व विधायक माणकचन्द सुराणा भी इस बैठक में मोजूद थे। प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के साले मान्धाता सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे।.... इस गुट ने अपने साथ 26 विधायकों का होना बताया है जिसमें से आठ ने इस गुट का समर्थन देने की मंजूरी दे दी है लेकिन वे विधायक आज जयपुर में नहीं थे और इन आठ विधायकों में पशुपालन मन्त्री भाटी भी बताये जाते हैं।....

दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल तक हम शेखावत सरकार में संगठन व भागीदारी बनाये हुए थे। संसदीय लोकतन्त्र में सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी से हम किनारा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा दो सप्ताह पहले हम जिस सरकार में भागीदार थे उस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रकट करने का कोई नैतिक अधिकार हमारे पास नहीं हैं।

इस बैठक में 12 विधायकों ने एक हस्ताक्षरयुक्त बयान जारी कर रहा है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रकट करने का मतलब होगा कि विधान सभा को भंग करवाना और मध्यावधि चुनाव को निमन्त्रण देना।

बयान में कहा गया है, हम मध्यावधि चुनाव कराये जाने के पक्ष में नहीं हैं। हमने जनता से वायदा किया था हम यथा सम्भव पांच साल सरकार चलाने के बाद ही आपके बीच आयेंगे। इस वायदे को पूरा करने की दृष्टि से और राजनैतिक अस्थिरता खतम करने के लिए हमने निर्णय किया है कि हम मौजूदा राज्य सरकार में अपना पूरा विश्वास प्रकट करेंगे।"

"विश्वास प्रकट करेंगे"

समाचार पत्र की उक्त कतरन प्रदर्श पी-8 के आधार पर मेरी राय में यह निष्कर्ष लेना कि इस समाचार से सम्बन्धित व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने दल से अपनी सदस्यता को त्याग दिया है, उचित नहीं होगा। यदि यह कहा जाये कि इस कतरन से अधिक से अधिक यह संकेत मिलता है कि तत्समय के जनता दल के सदस्यों में इस प्रकार के एक सोच की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। इस सम्बन्ध में इस परिस्थिति की अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस समाचार पत्र की कतरन (प्रदर्श पी-8) से श्री फतेहसिंह को भी जोड़ा गया है। श्री फतेह सिंह ने इस समाचार के कथित समाचार पत्र में प्रकाशित होने के दिवस ही अर्थात् दिनांक 6-11-90 को ही मुझे को एक पत्र प्रस्तुत कर यह प्रकट कर दिया था कि वे जनता दल के पूर्व की तरह अभी तक

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य चल रहे हैं और उनकी आस्था श्री नत्थीसिंह के नेतृत्व वाले जनता दल में है। इस प्रकार श्री फतेहसिंह के इस समाचार पत्र की कतरन, प्रदर्श पी-8 से जोड़े जाने के सम्बन्ध की किसी भी जनता दल के सदस्य को कोई शिकायत कभी नहीं रही और इस सम्बन्ध में जनता दल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई कार्यवाही श्री फतेह सिंह के सम्बन्ध में नहीं की गई। इसके विपरीत काफी विलम्ब के पश्चात् अर्थात् 8-11-90 के बाद बहुत विलम्ब से 31-1-91 को श्री सुरेन्द्र व्यास ने अपनी याचिका प्रस्तुत कर श्री फतेहसिंह को भी राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से इस आधार पर अयोग्य घोषित करने की प्रार्थना की कि उन्होंने इस प्रकार के समाचार से अपने आपको जोड़कर स्वेच्छया जनता दल से अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया है।

कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा है कि प्रदर्श पी-8 की जो व्याख्या अब श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा की जा रही है वैसी व्याख्या करने का सोच कभी भी किसी भी जनता दल के सदस्य के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ हो।

इस प्रकार से इन परिस्थितियों में वाद बिन्दु संख्या 3 प्रार्थीगण के विरुद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत एवं उचित प्रतीत होता है।

इसी वाद बिन्दु के सन्दर्भ में उन नौ अप्रार्थीगण अर्थात् :

सर्वश्री लालचन्द डूडी, भादरा क्षेत्र
चुन्नीलाल इन्दलिया, नोखा क्षेत्र
गणपतराय गाडेगावलिया, दूदू क्षेत्र
शम्भुदयाल बड़गुर्जर, केकड़ी क्षेत्र
गंगाराम चौधरी, बाड़मेर क्षेत्र
अब्दुल हादी, चौहटन क्षेत्र
सांवरलाल जाट, भिनाय क्षेत्र
गुलाम मुस्तुफा खान, नागौर क्षेत्र

डा. रतनलाल जाट, सहाड़ा क्षेत्र का उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है जिन्होंने कि अन्य 11 अप्रार्थीगण के साथ सम्मिलित होकर दिनांक 6-11-90 को 5.45 पी एम. पर मेरे निवास स्थान पर प्रदर्श डी-3 मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया इन नौ सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत घोषणा-पत्र भी मेरे समक्ष उसी दिवस को पृथक-पृथक प्रस्तुत किये थे। इन नौ अप्रार्थीगण के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व्यास का यह कहना है कि इन लोगों ने भी संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 2 (1) (क) के अन्तर्गत स्वेच्छा से जनता दल से अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया है जिस समय कि इन्होंने 11 के साथ मिल कर मेरे निवास स्थान पर संयुक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रदर्श डी-3 में पेश किया। क्योंकि इन नौ के अतिरिक्त 11 सदस्यों ने दिनांक 5-11-90 को ही श्री व्यास के कथनानुसार एक अन्य श्री फतेहसिंह के साथ मिलकर दैनिक नवभारत टाइम्स समाचार पत्र की उक्त कतरन प्रदर्शता के आधार पर अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया था।

इस सन्दर्भ में यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अन्य प्रार्थीगण ने श्री सुरेन्द्र व्यास से भिन्न इस सम्बन्ध में इन अप्रार्थीगण के विरुद्ध मामला प्रस्तुत किया है। अन्य प्रार्थीगण अर्थात् डा. चन्द्रभान, रामेश्वर दयाल यादव एवं गोपालसिंह खण्डेला के

(श्री अध्यक्ष)

अनुसार प्रदर्श डी–3 से सम्बद्ध 20 सदस्यों में से 5 सदस्यों को श्री नत्थीसिंह द्वारा (प्रदर्श पी–2) जनता दल से निष्कासित कर दिया गया था और शेष रहे 13 सदस्यों के सम्बन्ध में यही माना जायेगा कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया और चूंकि यह 15 सदस्य जनता दल विधायक दल के कुल सदस्य सख्या 50 के एक तिहाई से कम थे अतः इन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 3 का कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

इस सम्बन्ध में यही अंकित करना पर्याप्त होगा कि श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा दैनिक समाचार पत्र नवभारत टाइम्स की कतरन प्रदर्श पी–8 के आधार पर जो 11 सदस्यों के विरुद्ध मामला प्रस्तुत किया गया है उसे मेरे द्वारा अस्वीकार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष अंकित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है कि सभी 20 सम्बन्धित सदस्यों ने दिनांक 6–11–90 को अपने पूर्व के दल जनता दल से सम्बन्ध विच्छेद किया है।

वाद बिन्दु संख्या 4

इस वाद बिन्दु का सम्बन्ध 6 अप्रार्थीगण अर्थात् सर्वश्री देवीसिंह भाटी, राजेन्द्र सिंह राठौड़, रामस्वरूप मेघवाल, रामनारायण विश्नोई, नफीस अहमद खां तथा श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर से है।

प्रार्थीगण का कथन है कि इन 6 सदस्यों ने मेरे समक्ष अपने दस्तखती एवं लिखित घोषणा पत्र दिनांक 7–11–90 एवं 8–11–90 को प्रस्तुत कर जनता दल से स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया है और इस प्रकार यह सदस्य दिनांक 7–11–90 एवं 8–11–90 को विधान सभा के सदस्य रहने से निर्रहित हो गये हैं।

इसके विपरीत इन 6 सदस्यों का कथन है कि इन्होंने पृथक जनता दल (ग्रुप) विधायक दल में सम्मिलित होने सम्बन्धी स्वीकृति दिनांक 6–11–90 को श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर हुई उस बैठक के दौरान दे दी थी जिसके पश्चात् 20 जनता दल विधायक दल के सदस्यों ने मिल कर हस्ताक्षरित सयुक्त पत्र प्रदर्श डी–3 मेरे समक्ष मेरे निवास स्थान पर प्रस्तुत किया और यह इस प्रकार उसी दिवस को जनता दल (ग्रुप) विधायक दल से जुड़ गये थे।

मेरी राय में इन 6 अप्रार्थीगण सदस्य गण के मामले पर मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर पृथक-पृथक विचार करना उचित होगा।

(1) अप्रार्थी श्री नफीस अहमद खां : श्री नफीस अहमद खां का इस सम्बन्ध में कहना है कि दिनाक 1–11–90 से दिनांक 6–11–90 तक वह बीमार थे और बिमारी के कारण पिड़ावा जिला झालावाड़ में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। इनका यह भी कहना है कि इन्होंने श्री दिग्विजय सिंह नेता, जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के माध्यम से विधान सभा अध्यक्ष को दिनांक 6–11–90 को सूचना भिजवा दी थी कि वे भी नये जनता दल (ग्रुप) विधायक दल में नये विधायकों के साथ शामिल हो रहे हैं और इसकी सूचना श्री दिग्विजय सिंह द्वारा अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा

(श्री अध्यक्ष)

को दे दी गई थी। श्री नफीस अहमद खां ने इस प्रकार का जबाब प्रस्तुत करते हुए एक शपथ पत्र भी, प्रदर्श डी-43, दिनांक 14-2-91 को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि इन्हें अखबारों एवं विस्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 6-11-90 को श्री दिग्विजय सिंह, भूतपूर्व कृषि मन्त्री, राजस्थान के नेतृत्व में एक नये राजनैतिक दल का गठन जनता दल, राजस्थान के टूट के फलस्वरूप किया जा रहा है। मूल जनता दल के 20 विधायक श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाले दल में शामिल हो रहे हैं। श्री नफीस अहमद खां का शपथ पत्र में आगे कहना है कि राज्य के इन राजनैतिक हालात को मद्दे नजर रखते हुए बीमार होते हुए भी इन्होंने दिनांक 6-11-90 को दोपहर पश्चात् पिड़ावा से कार नम्बर आर. एस. एल 8054 से झालावाड़ पहुंच कर झालावाड़ से दिनांक 6-11-90 को सायंकाल लगभग 5 बजे अपने सहयोगी के टेलीफोन नम्बर 2215 से श्री दिग्विजय सिंह जी से जयपुर उनके निवास स्थान पर वार्ता की और हालात जानकर इन्होंने दूर भाष पर ही श्री दिग्विजय सिंह जी को अपनी स्वीकृति उक्त जनता दल (ग्रुप) में व उसके विधायक दल में शामिल होने की दे दी तथा श्री दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने अधिकृत किया कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा एवं अन्य विधायकों को दे देवें।

इनका यह भी शपथ पत्र में कहना है कि श्री दिग्विजयसिंह द्वारा तत्काल इनको जयपुर पहुंचने के लिये कहने के कारण यह दिनांक 7-11-90 को प्रातः झालावाड़ से रवाना होकर सायंकाल जयपुर पहुंचे और सात बजे पहुंच कर इन्होंने व्यक्तिगत रूप से श्री दिग्विजय सिंह से मुलाकात की और उनसे 6-11-90 को जयपुर में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा उसके साथ तुरन्त ही अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के समक्ष सायंकाल आठ बजे दिनांक 7-11-90 को ही उपस्थित होकर श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल (ग्रुप) व विधायक दल में शामिल होने की पुष्टि की और एक फार्म भी हस्ताक्षर कर अध्यक्ष महोदय को दिया।

श्री नफीस अहमद खां ने अपने शपथ पत्र के समर्थन में अपना इलाज सम्बन्धी प्रेस्क्रिप्शन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, रेफरल चिकित्सालय पिड़ावा, जिला झालावाड़ के डा. एस. के. शर्मा का दिनांक 1-11-90 से 6-11-90 छह दिवस का रोगी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है और कार्य पर जाने पर सक्षम कार्य समर्थता का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र दिनांक 6-11-90 भी प्रस्तुत किया है जिसमें इनके कार्य पर जाने को 7-11-90 को सक्षम बताया है।

(2) **श्री रामस्वरूप मेघवाल** : श्री रामस्वरूप मेघवाल ने इस सम्बन्ध में अपने जवाब में अंकित किया है कि उन्होंने श्री दिग्विजय सिंह, नेता, जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के माध्यम से अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा को दिनांक 6-11-90 को सूचना भिजवा दी थी कि वे भी जनता दल विधायक दल से एक साथ अलग होकर नये जनता दल (ग्रुप) विधायक दल में

(श्री अध्यक्ष)

सम्मिलित हो रहे हैं। यह सूचना दिनांक 6–11–90 को ही अध्यक्ष, विधान सभा के निवास पर उन्हें दे दी गई थी।

श्री रामस्वरूप मेघवाल ने अपना शपथ पत्र भी दिनांक 14–2–91 को प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि 6–11–90 को यह गंगानगर में थे। तारीख 25–10–90 को इनके चार वर्ष के पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण यह तारीख 5–11–90 तक रायसिंहनगर में ही थे। बच्चे की मृत्यु के 12 दिन बाद यह गंगानगर 6–11–90 को सुबह पहुंचे और इन्होंने दिनांक 6–11–90 को रास्थान पत्रिका दैनिक अखबार पढ़ा तो इन्हें 8 नवम्बर, 90 को आगामी राजस्थान विधान सभा की बैठक के सम्बन्ध में जनता दल के विधायकों की गतिविधियों व देश के परिप्रेक्ष्य में जनता दल के विभाजन के समाचार पढ़ने को मिले। श्री रामस्वरूप के अनुसार 6–11–90 को दोपहर 3.30 बजे करीब इनकी दूरभाष पर गंगानगर से (दूरभाष संख्या 21829) श्री दिग्विजयसिंह से जयपुर उनके निवास स्थान पर वार्ता हुई और दूरभाष पर इन्हें इनके अनुसार श्री दिग्विजयसिंह ने जानकारी दी कि जनता दल के 20 विधायक उनके यहां इकट्ठे हो गये हैं और जनता दल, राजस्थान का विभाजन करके नया जनता दल (ग्रुप) बनाने के निर्णय पर विचार विमर्श चल रहा है। श्री रामस्वरूप मेघवाल के अनुसार दूरभाष पर इन्होंने अपनी स्वीकृति श्री दिग्विजयसिंह के नेतृत्व वाले जनता दल (ग्रुप) में व उसके विधायक दल में शामिल होने की दे दी और इन्होंने श्री दिग्विजयसिंह को अधिकृत किया कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा व अन्य विधायकों को भी दे देवें।

श्री मेघवाल का शपथपूर्वक कहना है कि दूरभाष पर श्री दिग्विजय सिंह ने इनको शीघ्रातिशीघ्र जयपुर पहुंचने को कहा, इस पर 8–11–90 को सुबह जयपुर पहुंचने का आश्वासन दिया क्योंकि यह दिल्ली से अपने पिता श्री बेगाराम जी चौहान को साथ लेकर आयेंगे।

(3) श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ ने इस सम्बन्ध में अपने जवाब में अंकित किया है कि जयपुर से बाहर होने के कारण इन्होंने दूरभाष पर श्री दिग्विजयसिंह को जयपुर में यह सूचना दे दी थी कि वे जनता दल के विधायक दल से अलग होकर जनता दल (ग्रुप) व उसके विधायक दल में शामिल हो रहे हैं। इसके समर्थन मे श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपना शपथ पत्र, प्रदर्श डी 47, प्रस्तुत कर शपथ पूर्वक बयान किया है कि वह दिनांक 4–11–90 से 6–11–90 तक श्री देवीसिंह भाटी के साथ दिल्ली में राजस्थान हाउस में ठहरे हुए थे जहां उन्होंने 8 नवम्बर, 90 को होने वाली राजस्थान विधान सभा की आगामी बैठक तथा जनता दल विधायक दल की गतिविधियों के बारे में समाचार पढ़े।

श्री राठौड़ ने शपथपूर्वक यह भी अंकित किया है कि 6–11–90 को दोपहर तीन बजे के करीब दूरभाष पर उनकी व श्री देवीसिंह भाटी की श्री दिग्विजय सिंह से जयपुर में वार्ता हुई। इनके अनुसार

(श्री अध्यक्ष)

श्री दिग्विजयसिंह ने दूरभाष पर इन्हें जानकारी दी कि जनता दल के 20 विधायक उनके यहां इकट्ठे हो गये हैं और जनता दल राजस्थान का विभाजन करके नया जनता दल (ग्रुप) बनाने के निर्णय पर विचार विमर्श चल रहा है। तो श्री राठौड़ ने उसी समय दूरभाष पर श्री दिग्विजयसिंह को जनता दल (ग्रुप) में अपने शामिल होने की स्वीकृति दे दी तथा श्री दिग्विजयसिंह को इस बात के लिये अधिकृत किया कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा व अन्य विधायकों एवं प्रेस को भी दे देंगे।

(4) **श्री देवीसिंह भाटी :** जिस प्रकार का जवाब श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने प्रस्तुत किया है लगभग वैसा ही जवाब श्री देवीसिंह भाटी ने भी प्रस्तुत किया है तथा जिस तरह का शपथ पत्र श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने प्रस्तुत किया है लगभग वैसा ही शपथ पत्र, प्रदर्श डी-45 श्री देवीसिंह भाटी ने भी प्रस्तुत किया है।

(5) **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :** श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि श्री दिग्विजय सिंह से दूरभाष पर 6.11.90 को वार्ता करके जनता दल, राजस्थान के विभाजन से बन रही नयी पार्टी जनता दल (ग्रुप) में सम्मिलित होने की स्वीकृति उन्होंने दे दी थी। इस सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर ने अपना शपथ पत्र, प्रदर्श डी-46, प्रस्तुत कर शपथपूर्वक बयान किया है कि दिनांक 6.11.90 को वह भरतपुर में थीं जहां से 7 बजे उन्हें मथुरा जाना था क्योंकि उस दिन उनके पिता राजा मानसिंह की हत्या के मुकदमे में पहली बार शहादत हो रही थी। भरतपुर आकर उन्होंने समाचार पत्रों में 8 नवम्बर, 90 को राजस्थान विधान सभा की होने वाली आगामी बैठक व जनता दल विधायक दल के विभाजन के समाचार पढ़े। उन्होंने शपथपूर्वक यह भी अंकित किया है कि 6.11.90 को दोपहर करीब 4.15 से 4.30 के बीच में उनका टेलीफोन खराब होने की वजह से उन्होंने अपने सहयोगी के दूरभाष संख्या 2392 से श्री दिग्विजय सिंह से जयपुर में उनके निवास स्थान पर वार्ता की। इनके अनुसार इन्हें श्री दिग्विजय सिंह ने दूरभाष पर जानकारी दी कि जनता दल के 20 विधायक उनके यहां इकट्ठे हो गये हैं और जनता दल, राजस्थान का विभाजन करके नया जनता दल (ग्रुप) बनाने पर विचार विमर्श चल रहा है। इन्होंने शपथपूर्वक आगे यह भी बयान दिया है कि उसी समय दूरभाष पर इन्होंने भी श्री दिग्विजयसिंह को नये जनता दल (ग्रुप) में अपने सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी थी और श्री दिग्विजय सिंह को इस बात के लिये अधिकृत किया कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा व अन्य विधायकों को भी दे देवें।

इनका शपथपूर्वक यह भी कहना है कि इनके पिता राजा मानसिंह की हत्या के मुकदमे के सिलसिले में 7.11.90 तक इन्हें मथुरा में रहना पड़ेगा तथा 8.11 90 को सुबह 11.00 बजे तक जयपुर पहुंचने का वह प्रयत्न करेंगी। इन्होंने आगे यह भी अंकित किया है कि दिनांक 8.11.90 को श्री दिग्विजय सिंह जी, नेता, जनता दल

(श्री अध्यक्ष)

(ग्रुप) के साथ अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के समक्ष दोपहर 3.40 बजे उपस्थित होकर जनता दल (ग्रुप) में शामिल होने की इन्होंने पुष्टि की तथा एक फार्म भी हस्ताक्षर कर अध्यक्ष महोदय को दिया।

(6) श्री रामनारायण विश्नोई : श्री रामनारायण विश्नोई ने इस सम्बन्ध में अपने जवाब में अंकित किया है कि श्री दिग्विजयसिंह से इन्होंने व्यक्तिगत रूप से 6.11.90 को ही वार्ता करके जनता दल (ग्रुप) विधायक दल में शामिल होने की सहमति दे दी थी। अपने इस कथन के समर्थन में श्री रामनारायण विश्नोई ने अपने शपथ पत्र, प्रदर्श डी–48, प्रस्तुत कर शपथपूर्वक बयान किया है कि दिनांक 6.11.90 को यह श्री दिग्विजयसिंह जी से सायं करीब चार बजे अलग से उनके निवास स्थान पर मिले थे तथा उनसे राजनैतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की थी। श्री विश्नोई ने यह भी अंकित किया है कि श्री दिग्विजयसिंह ने उन्हें यह बताया कि उनके निवास स्थान पर ही जनता दल को विभाजित करने के बारे में मीटिंग चल रही है जिसमें जनता दल के अनेकों कार्यकर्ता, नेता व 20 विधायक उपस्थित हैं।

श्री विश्नोई ने शपथपूर्वक यह भी अंकित किया है कि श्री दिग्विजयसिंह ने यह भी बताया कि श्री देवीसिंह भाटी व श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ व श्री रामस्वरूप मेघवाल ने जनता दल के विभाजन से बन रहे नये जनता दल (ग्रुप) में शामिल होने की सहमति प्रदान कर दी है।

श्री विश्नोई ने अपने शपथ पत्र में आगे शपथपूर्वक यह भी बयान दिया है कि उन्होंने भी श्री दिग्विजयसिंह को उस समय नये बन रहे जनता दल (ग्रुप) में अपने सम्मिलित होने की सहमति दे दी थी।

श्री विश्नोई ने आगे यह भी बयान किया है कि उक्त वार्तालाप के बाद उन्हें दिनांक 6.11.90 को तत्काल ही आवश्यक कार्यवश जयपुर से बाहर जाना पड़ गया था।

श्री रामनारायण विश्नोई ने अपने शपथ पत्र में यह भी बयान किया है कि मेरे द्वारा एवं जनता दल (ग्रुप) विधायक दल में सम्मिलित अन्य सदस्यों द्वारा सूचना दिये जाने पर आप द्वारा (अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, द्वारा) मान्यता भी प्रदान कर दी गई थी उसके बाद ही उन्होंने व अन्य सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया है।

इस प्रकार इन 6 सदस्यगण अर्थात् सर्वश्री नफीस अहमद खां, रामस्वरूप मेघवाल, राजेन्द्रसिंह राठौड़, देवीसिंह भाटी, रामनारायण विश्नोई तथा श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर के जवाब व शपथ पत्रों के अवलोकन के पश्चात् व इनके द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्र, (श्री देवीसिंह भाटी का प्रदर्श डी 28, प्रपत्र प्रदर्श डी–31, राजेन्द्रसिंह राठौड़ का प्रदर्श डी-29, प्रपत्र प्रदर्श डी–30, नफीस अहमद खां का घोषणा पत्र प्रदर्श डी–33, रामनारायण विश्नोई का घोषणा पत्र प्रदर्श डी–34, रामस्वरूप मेघवाल का घोषणा पत्र प्रदर्श डी–35 व श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर का प्रदर्श डी 36) के अवलोकन के पश्चात् मैं यह अंकित करना चाहूंगा कि श्री रामनारायण विश्नोई का

(श्री अध्यक्ष)

जवाब व शपथ पत्र के अवलोकन से निम्न प्रश्न अवश्य ही उत्पन्न होते हैं :-

(I) कि यदि श्री रामनारायण विश्नोई दिनांक 6.11.90 को 4.00 पी. एम. पर श्री दिग्विजयसिंह के निवास स्थान पर गये तो फिर इन्होंने वहां चल रही बैठक में भाग क्यों नहीं लिया ?

(II) श्री रामनारायण विश्नोई के घोषणा पत्र, प्रदर्श डी-34, पर श्री दिग्विजयसिंह के हस्ताक्षर के नीचे 6.11.90 की तारीख अंकित है। यदि श्री रामनारायण विश्नोई ने 6.11.90 को ही यह घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर दिया तो यह घोषणा पत्र उन्होंने अपने पास क्यों रखा ? और इसे श्री दिग्विजयसिंह को क्यों नहीं सुपुर्द किया गया ?

(III) श्री रामनारायण विश्नोई ने वे कारण अपने शपथ पत्र में अंकित नहीं किये जिनके कारण उन्हें 6.11.90 को 4.00 पी.एम. के बाद जयपुर छोड़कर जाने के लिये बाध्य होना पड़ा।

(IV) श्री रामनारायण विश्नोई ने प्रदर्श डी-34 जो मेरे समक्ष प्रस्तुत किया उसमें यह सब तथ्य क्यों नहीं अंकित किये गये ?

जहां तक श्री रामनारायण विश्नोई का प्रश्न है, इनके शपथ पत्र व सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात के अवलोकन के पश्चात् उपरोक्त वर्णित संदेहास्पद बिन्दु अवश्य ही प्रकट होते हैं परन्तु मेरे द्वारा इस परिस्थिति की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि जिस प्रकार सर्वश्री राजेन्द्र सिंह राठोड़, रामस्वरूप मेघवाल, नफीस अहमद खां, देवीसिंह भाटी तथा श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर के शपथ पत्रों को प्रार्थीगण की ओर से चुनौती नहीं दी गयी है और जिस प्रकार इन सदस्यों को साक्ष्य में बुलाकर इन से जिरह कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया गया है उसी प्रकार श्री रामनारायण विश्नोई के शपथ पत्र को भी प्रार्थीगण की ओर से न कोई चुनौती दी गयी है और न ही इनसे कोई प्रतिपरीक्षण किया गया है।

संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 8(1)(घ) में इस प्रकार की याचिका प्रस्तुत होने पर उसकी जांच करने का प्रावधान भी किया गया है।

इसी प्रकार निरर्हता नियम, 1989 के नियम 7 (4) में भी जांच करने का प्रावधान किया गया है। निरर्हता नियम, 1989 के नियम 7 (7) में यह भी प्रावधान किया गया है कि जांच के लिये उसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जो विशेषाधिकार भंग किये जाने के किसी प्रश्न का अवधारण करने के लिये किया जाता है।

जांच के सम्बन्ध में श्री बी.ए. मसोदकर की पुस्तक "लॉ रिलेटिंग टू इलेक्टोरल डिसक्वालिफिकेशन (फ्राम डिसएबिलिटी टू डिफैक्शन)" के पृष्ठ संख्या 147 पर जो राय व्यक्त की गयी है, वह निम्न प्रकार है :-

" 'Inquiry' suggests investigation into facts, causes, effects as

(श्री अध्यक्ष)

well as relations generally. Inquiry is a road to reach the real state of truth, because by that path, resolution of the question is expected to be made. It may not always indicate a judicial inquiry, but the context is decisive of the character of its content. The context of the present inquiry under sub-paragraph (1) of Paragraph 6, as already indicated, is clearly to impose disqualification and such inquiry should partake ordinarily in that of judicial inquiry. The term 'inquiry', therefore, would indicate that the procedure that is required to be laid down should approximate itself to a judicial inquiry whereunder parties are called upon to meet the allegations and are given opportunity to even lead evidence to substantiate their claims."

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ऐसा कोई संकेत मिलता हो कि इन 6 सदस्यगण, जिसमें कि श्री रामनारायण विश्नोई भी सम्मिलित हैं, को प्रार्थीगण के जनता दल के साथ 6.11.90 के पश्चात् कोई सम्पर्क करते हुए भी किसी व्यक्ति द्वारा देखा गया हो।

इस प्रकार की इन परिस्थितियों में मात्र सन्देह के आधार पर इन 6 अप्रार्थीगण में से किसी को भी संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन विधायक दल की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने में मैं कठिनाई का अनुभव करता हूं क्योंकि इस प्रकार के सन्देह मात्र के आधार पर इन्हें अयोग्य घोषित करने का अर्थ इन्हें कठोर शास्ति से अधिरोपित करना होगा, जो मामले की समस्त परिस्थितियों में उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि लोकसभा के अध्यक्ष, माननीय श्री रविराय ने भी अपने निर्णय के चरण संख्या 7 में निम्न उपपत्ति अंकित की है :-

"Wrile from the above, it will be clearly seen that there is no evidence to show that the split occurred prior to expulsion, since there are claims and counterclaims about timing of the splits vis-a-vis timing of expulsion and since both the actions of expulsion and the meeting of the splinter group have been challenged, I hold that the benefit of doubt should go to the Respondents, who would become disqualified in the event of my not recognising the split to have taken place prior to the expulsion."

इसी सन्दर्भ में अप्रार्थीगण की ओर से मेरे समक्ष ए. आई. आर., 1956 सुप्रीम कोर्ट, पृष्ठ संख्या 554 का न्याय निर्णय प्रस्तुत किया गया है जिसमें सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न स्थिति को प्रतिपादित किया गया है :-

(श्री अध्यक्ष)

"Pursuant to clause 6 of the High Denomination Bank Notes (Denometisation) Ordinance, 1946, the assessee firm on 18.1.1946 encashed high denomination notes of Rs. 1000/- each of the face value of Rs. 61,000. The account books of the assessee showed that on the relevant date, i. e., 12.1.1946 the assessee had 67 high denomination notes each of Rs. 1000 out of which 61 notes could be encashed on 18.1.1946. The entries in the account books were supported by affidavits. The account books were accepted by the income tax authorities but the Tribunal thought that the cash balance on 18.1.1946 could not have sixty one high denomination notes. It came to the conclusion that the assessee appeared to have put in high denomination notes in the cash balance and taken the other notes away. It accepted the assessee' Sexplanation only in regard to 31 notes and directed the assessment of Rs. 30,000/- from out of the sum of Rs. 61,000 representing the value of high denomination notes.

"Held that the decision of the Tribunal must rest not on suspicion but on legal testimoney. The conclusion of the Tribunal that it was impossible for the assessee to have 61 high denomination notes in the cash balance in their hands on 12.1.1946 was pure surmise and had no basis in the evidence. The Assessee had furnished a reasonable explanation for the possession of the high denomination notes of the face value of Rs. 61,000 and there was no justification for having accepted it in part and discarded it in relation to a sum of Rs. 30,000 There were therefore no materials to justify the assessment of Rs. 30,000 from out of the sum of Rs. 61,000 for Income-tax and Excess Profits Tax purposes representing the value of the high denomination notes which were encashed on 18.1.1946."

इसी प्रकार इण्डियन फैक्ट्रीज एण्ड लेबर रिपोर्ट्स, 1973 वाल्यूम, 27, पृष्ठ संख्या 248 का गोगराज बनाम स्टेट आफ यू. पी. का सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय भी प्रस्तुत किया गया जिसमें सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णीत किया गया है कि :—

"The High Court, after considering the affidavit filled on behalf of the State, which were not controverted by the appellant, has recorded findings against the

(श्री अध्यक्ष)

appellant on all the three questions. Mr. Sharma, appearing on behalf of the appellant, has contended that the affidavit by a clerk in the Secretariat was insufficient to justifythe findings recorded by the High Court.

"We are unable to agree with that contention. If the appellant desired to challenge the averments made in the affidavit, he should have filed an affidavit inreply, and the High Court would then have considered the matter on affidavits or evidence viva voca, if the High Court thought that evidence viva voca should be ordered to be recorded in the case But on the factsworn to affidavit, we are unable to hold that the evidence was not sufficient to justify the findings recorded by the High Court."

अप्रार्थीगण की ओर से ए. आई. आर. 1962, इलाहबाद, पृष्ठ संख्या 439 का न्याय निर्णय से भी अपने कथन का समर्थन प्राप्त किया गया है। इस न्याय निर्णय में सम्माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय दिया गया है :—

"The position of aff davits is that of a statment on oath. Their importance is enhanced in proceedings like a writ where no parol evidence is recorded and if a party makes a definite allegation and the other party does not controvert it, nor summons the deponent of that affidavit for cross-examination, the only conclusion at which courts can arrive is that the allegations being uncontroverted and not challenged by cross-examination must be accepted."

यद्यपि प्रश्नगत इन 6 अप्रार्थी विधायकगण से सम्बन्धित जवाब, दस्तावेजात, शपथ पत्र आदि के सम्बन्ध में जो तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति मेरे द्वारा ऊपर अंकित की गयी है वह श्री देवीसिंह भाटी, अप्रार्थी विधायक के सम्बन्ध में भी लागू हो रही है, परन्तु श्री देवीसिंह भाटी के सम्बन्ध में मेरी जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य भी आये हैं, जिनका उल्लेख करना यहां प्रासंगिक होगा।

श्री देवीसिंह भाटी के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि दिनांक 8.11.90 के पूर्व निर्विवाद रूप से यह जनता दल के सदस्य थे। जनता दल के टिकट पर कोलायत क्षेत्र से चुनाव जीतकर यह विधान सभा के सदस्य बने और राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल के बीच साझा सरकार बनाने के परिणाम स्वरूप यह राज्य मन्त्री बने। 25.10.90 को श्री लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के पश्चात् केन्द्र में श्री वी. पी. सिंह के प्रधानमन्त्रित्व की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना बाहरी समर्थन वापस ले लिया। इसी घटनाक्रम के फलस्वरूप जनता दल के राष्ट्रीय उच्च कमान द्वारा राजस्थान में जनता दल के जो विधायक श्री भैरोंसिंह शेखावत के मन्त्रिमण्डल में मन्त्री थे उन्हें इस्तीफा देने के निर्देश दिये गये तथा इन्हीं निर्देशों के फलस्वरूप श्री भैरोंसिंह शेखावत मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित जनता दल के सभी विधायकों मन्त्रियों ने

(श्री अध्यक्ष)

अपने इस्तीफे भेज दिये, जिन्हें महामहिम राज्यपाल द्वारा मुख्य मन्त्री की सिफारिश पर स्वीकार कर लिया गया। परन्तु श्री देवीसिंह भाटी ने जनता दल राष्ट्रीय उच्च कमान के निर्देशों की पालना नहीं की और दिनांक 8.11.90 तक, जिस रोज कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने श्री भैरोंसिंह शेखावत को विधान सभा के विशेष सत्र में विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया, उस रोज तक भी श्री देवीसिंह भाटी श्री भैरोंसिंह शेखावत के मन्त्रिमण्डल में राज्य मन्त्री बने रहे और उन्होंने मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा नहीं दिया।

इस सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि श्री देवीसिंह भाटी ने इस प्रकार का स्पष्ट व्यवहार जनता दल के राष्ट्रीय उच्च कमान के निर्देशों की अवहेलना करते हुए जो प्रदर्शित किया है उससे संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 2(1)(क) के अधीन यही माना जाना चाहिए कि इन्होंने जनता दल से स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ दी है।

यह तर्क भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि बाद में दिनांक 6.11.90 को अथवा उसके बाद भी जो राजनीतिक घटनाएं राजस्थान प्रदेश में राजस्थान जनता दल (ग्रुप) व जनता दल विधायक दल (ग्रुप) के निर्माण की घटित हुई उनसे श्री देवीसिंह भाटी अपने आपको नहीं जोड़ सकते और इन बाद की घटनाओं से वह कोई लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

निःसन्देह श्री देवीसिंह भाटी के संबंध में यह जो स्थिति प्रकट की जा रही है वह महत्वपूर्ण एवं विचारणीय है।

ऐसी स्थिति के बावजूद भी मेरे समक्ष एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कठिनाई उत्पन्न होती है और वह यह है कि किसी भी प्रार्थी द्वारा श्री देवीसिंह भाटी के विरुद्ध ऐसे तथ्यों को उसे अयोग्य घोषित करने का अपनी याचिका में आधार नहीं लिया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी स्थिति में ऐसे किसी आधार के सम्बन्ध में श्री देवीसिंह भाटी को अपना बचाव करने का अवसर न तो मिला और न ही मिल सकता था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान याचिकाओं के आधार पर श्री भाटी को अयोग्य घोषित करना मेरी राय में निष्पक्ष व्यवहार के सिद्धान्त एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अनदेखी करना होगा।

ए.आई.आर., 1987, पंजाब एण्ड हरियाणा, पृष्ठ संख्या 263, प्रकाश सिंह बादल बनाम यूनियन आफ इण्डिया का सम्मानित पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय (फुल बैंच) के निर्णय का चरण संख्या 40 का अंश इस सम्बन्ध में प्रासंगिक प्रकट हो रहा है :–

"It has already been discussed above in detial that the Speaker would be a Tribunal while acting under page 6 and the proceedings before him of quasi-judicial nature. Any order passed by him under that paragraph without issuing notice or affording any opportunity of hearing to the interested party, therefore, would be non est

(श्री अध्यक्ष)

and ineffective against such a party. As before passing the order, Annex. P-3, neither the political party nor any other person interested in the matter was heard, it would bind none and in that sense it can be said to be an order void ab initio."

अत वर्तमान परिस्थितियों में श्री भाटी को अयोग्य घोषित करना मैं कठिन समझता हूं।

यदि यह मान भी लिया जाय कि इन प्रश्नगत 6 अप्रार्थी विधायकगण ने 6.11.90 को श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर हुई मीटिंग के समय तक अपनी सहमति पृथक ग्रुप बनाने में नहीं दी और वे बाद में 7.11.90 व 8.11 90 को इस नये गुट में सम्मिलित हुए तो भी इन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 3 के लाभ से वंचित करना उचित नहीं होगा।

जहां तक संविधान की दसवीं अनुसूची का प्रश्न है, "विभाजन" अर्थात् "split" को परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जन साधारण द्वारा मान्य रूप से शब्द "विभाजन" का जो अर्थ समझा जाता है उसी अर्थ को दृष्टिगत रखते हुए संविधान की दसवीं अनुसूची के सन्दर्भ में भी "विभाजन" शब्द के निर्वचन करने की आवश्यकता है।

वेब्स्टर्स एनसाइक्लोपीडिया अनअब्रिज्ड डिक्शनरी आफ दी इंग्लिश लैंग्वेज, संस्करण 1989 में "split" शब्द का अर्थ निम्न प्रकार बताया गया है :-

"To separate (a part) by such division; to divide (persons) into different groups, factions, parties, etc. as by discord; to split a political party."

इन याचिकाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने के दौरान मेरे ध्यान में बम्बई उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बी. ए. मसोदकर द्वारा लिखित पुस्तक "Law Relating to Electoral Disqualification (From Disability to Defection)" by B.A. Masodkar, Frist Edition 1986 published by N.M. Tripathi Pvt. Ltd; Bombay. में पृष्ठ संख्या 143 पर निम्न व्याख्या की गई है:-

"It is significant that the split has not been specified by any numerical strength. On the other hand the split is an independent condition, while the numerical strength of one-thrid concerns the legislature party The split, thus, may be of any kind, even by a small group from the original political party, and that would satisfy the first part and then if the numerical strength of the legislature party is less, the provision would become unworkable."

इसी पृष्ठ 143 पर आगे Split and Merger' के शीर्षक में अंकित किया गया है कि :-

(श्री अध्यक्ष)

"The term 'split' is not a term of art nor of law. It simply suggests the process of division... Even a single member may, therefore, split away from the party, vice versa may merge in other."

यह विभाजन जब एक समूह की तरफ से किया जाता है तो विभाजन और गुट निर्माण की प्रक्रिया एक दलीय गतिविधि है जिसके कि क्रम में व्यक्तिगत गतिविधियां यथा; अपना मत प्रकट करना, दूसरों से सम्पर्क करना आदि आवश्यक हैं। इस प्रक्रिया में विभाजन व गुट निर्माण को औपचारिक रूप देने में समय लगना आवश्यक है। राजस्थान में नये जनता दल (ग्रुप) व जनता दल विधायक दल (ग्रुप) के गुट के निर्माण की प्रक्रिया व्हिप की पालना व विश्वास प्राप्ति के प्रस्ताव पर मतदान होना-यह तीनों प्रसंग घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में नये ग्रुप का निर्माण 8.11.90 को मत विभाजन के समय स्पष्ट रूप से हुआ और ऐसा उसी वक्त ही हो सकता था।

मेरी राय में इस मत निर्धारण में लोक सभा अध्यक्ष, माननीय श्री रविराय का निर्णय दिनांक 14 जनवरी, 1991 मेरे समक्ष के तथ्यों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार बाधक नहीं माना जा सकता क्योंकि माननीय श्री रवि राय द्वारा उन्हीं सांसदों को अयोग्य घोषित किया गया है जो 7.11.90 को श्री वी. पी. सिंह द्वारा विश्वास प्राप्ति के प्रस्ताव पर मत विभाजन के समय श्री वी. पी. सिंह के पक्ष में रहे परन्तु बाद में उन्होंने श्री चन्द्रशेखर की सरकार की ओर से प्रस्तुत विश्वास मत के प्रस्ताव का 16.11.90 को भी समर्थन कर दिया। मेरी राय में विभाजन एक समय की घटना होना, यह तभी कहा जा सकता है जबकि विभाजन सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी हो जावें अर्थात् सम्बन्धित पार्टी के संविधान के अधीन अधिकारिता रखने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त सूचना देते हुए दल की बैठक औपचारिक रूपसे आयोजित की जावे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभाजन एक समय की घटना है या नहीं है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

इस सन्दर्भ में इण्डियन एक्सप्रेस दिनांक 29.1.91 में "Reforming the Defection Law" शीर्षक के अधीन श्री ए. जी. नूरानी द्वारा जो लेख लिखा व प्रकाशित कराया गया है उसके निम्न अंश उद्धृत करना भी प्रासंगिक होगा, पैरा 3(बी) जो निम्न प्रकार है :-

"Para 3(b) deems the lagislative group to have come into existence 'from the time of such split', that is, the split in the organisational wing.

Such deeming is what is known as a fiction of the law. Actually there would necessarily be some interregnum, albeit brief, between the split in the organisational wing and its reflection in the lagislative wing."

(श्री अध्यक्ष)

अब इस प्रक्रम पर एक ऐसे दस्तावेज पर विचार करना भी उचित होगा जो दस्तावेज इन याचिकाओं से सम्बन्धित विवाद के मेरे समक्ष उत्पन्न होने से पूर्व इस सचिवालय की सामान्य शाखा में रखी जा रही पत्रावली संख्या एफ 1 (132) (1) सा. शा./विस/90 में पृष्ठ 105 पर लगा हुआ है।

इस सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व्यास ने 16.2.91 को जो अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है उसमें भी इस दस्तावेज को फर्जी बताने का प्रयास किया है। श्री व्यास ने इस सम्बन्ध में 24 2.91 को भी एक पत्र प्रेषित कर और उस पत्र का हिन्दी अनुवाद प्रेषित कर उक्त पत्रावली के पृष्ठ संख्या 105 को फर्जी बताने का प्रयास किया है। 24.2.91 का पत्र मेरे द्वारा प्रदर्श पी-26 व इसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श पी-27 से चिन्हित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अप्रार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस दस्तावेज को फर्जी बताने का कतई कोई आधार अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी कोई सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री दिग्विजय सिंह द्वारा जो 6.11 90 की तारीख अंकित की गई है वह 6.11.90 के बाद किसी दिवस को अंकित की गई हो।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि श्री सुरेन्द्र व्यास का यह तर्क तो प्रथम दृष्टया रूप से ही हास्यास्पद प्रकट हो रहा है कि 14 जनवरी, 1991 को लोक सभा अध्यक्ष द्वारा उनके समक्ष लम्बित निरहर्ता सम्बन्धी याचिकाओं का निर्णय दिये जाने के पश्चात् अप्रार्थीगण को यह महसूस हुआ कि विभाजन एक समय घटित होने वाली घटना है और यही कारण है कि 6.11.90 की तारीख बाद में अंकित करते हुए यह दस्तावेज सम्बन्धित पत्रावली में डलवा दिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से एवं श्री सुरेन्द्र व्यास के तर्क से यह प्रकट हो रहा है कि सम्भवतः श्री व्यास इस दस्तावेज के फर्जी होने का आधार यही ले रहे हैं कि इस दस्तावेज पर विधान सभा सचिवालय का प्राप्ति का कोई पृष्ठांकन अंकित नहीं है तथा इस पत्र के पूर्व में 7.11.90 व 8.11.90 के दस्तावेज लगे हुए हैं।

इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के अधिकारी स्तर पर जांच करवाई गई है एवं जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में निम्न स्थिति अंकित की है :–

"मैंने इस मामले की जांच के दृष्टिकोण से पत्रावली में लगे पत्रों का अवलोकन किया जिससे पृष्ठ 57 से 105 पर लगे पत्रों के विवरण निम्न प्रकार प्रकट होते हैं :–

पृष्ठ संख्या	पत्र प्रेषण की तिथि	पत्र प्राप्ति की अंकित की गई तिथि
1	2	3
57 एवं 58	6.11.90	6.11.90
59 एवं 60	5.11.90	6.11.90

(श्री अध्यक्ष)

1	2.	3
61	7.11.90	7.11.90
62	7.11.90	अंकित नहीं
63 से 67	7.11.90	7.11.90
68	7.11.90	अंकित नहीं
69	6.11.90	6.11.90
70 एवं 71	7.11.90	7.11.90
72 एवं 73	अंकित नहीं	7.11.90
74	6.11.90	7.11.90
75 एवं 76	6.11.90	अंकित नहीं
77 से 96	6.11.90	6.11.90
97 एवं 98	7.11.90	विधान सभा द्वारा जारी
98	7.11.90	7.11.90
99	7.11.90	7.11.90
100	अंकित नहीं	7.11.90
101	अंकित नहीं	7.11.90
102	6.11.90	6.11.90 फोटो प्रति
103 एवं 104	7.11.90	विधान सभा से जारी बुलेटिन
105	6.11.90	अंकित नहीं
106	7.11.90	7 11.90
107 एवं 108	6.11.90	8.11.90

उपरोक्त विवरण से प्रकट हो रहा है कि पृष्ठ संख्या 98 दो पत्रों पर अंकित हुआ है, तीन पत्रों पर प्रेषण की तिथि अंकित नहीं की हुई है और चार पृष्ठों पर प्राप्ति की तिथि अंकित नहीं की हुई है तथा फाइल पर लगे हुए सभी पत्रादि तिथि के क्रम के अनुसार भी नहीं लगे हुए हैं।

ये सभी पत्रादि एक ही पदाधिकारी को नहीं दिये गये बल्कि अध्यक्ष, सचिव, विधान सभा और अध्यक्ष के विशिष्ट सहायक को दिये गये हैं जैसा कि विवरण से स्पष्ट है। 50 पत्र दो तिथियों अर्थात् 6 एवं 7 नवम्बर को प्राप्त हुए।"

इसी प्रकार अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता श्री मानिकचन्द सुराना ने 19.3.91 को एक चार्ट प्रस्तुत किया है (जिसे मेरे द्वारा निर्णय के समय प्रदर्श डी-99 से चिन्हित किया गया है) श्री सुराना द्वारा प्रस्तुत चार्ट भी इस सचिवालय के अधिकारी द्वारा जो तथ्यात्मक स्थिति अंकित की गई है उसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार की समस्त स्थिति प्रकट करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है, तथ्यात्मक रूप से इस दस्तावेज को फर्जी बताने का जो प्रयास श्री सुरेन्द्र व्यास द्वारा किया जा रहा है वह कयासी दलीलों पर आधारित है।

यद्यपि इस विवाद के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि बहुत ही सारगर्भित रूप से श्री व्यास की कयासली दलीलों का खण्डन किया जा सकता है परन्तु चूंकि कतिपय समाचार पत्रों में कुछ ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं कि जिनसे मुझे जोड़ने का संकेत दिया गया है, ऐसी अवस्था में अत्यधिक इच्छा रखते हुए भी मैं कुछ भी कहना उचित नहीं समझता हूं और इन याचिकाओं के सम्बन्ध में यही अंकित करना पर्याप्त समझता हूं कि यह विवादास्पद दस्तावेज सीधे रूप से इन याचिकाओं के निर्णय के

(श्री अध्यक्ष)

लिए प्रासंगिक नहीं है और जिस प्रकार का लाभ श्री सुरेन्द्र व्यास के कथनानुसार अप्रार्थीगण इस दस्तावेज से प्राप्त करने का प्रयास करते दृष्टिगोचर हुए हैं उस पर मेरे द्वारा इन याचिकाओं को निर्णीत करने पर कोई विचार नहीं किया गया है।

इस वाद बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में उपरोक्त विवेचन के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि दिनांक 6.11.90 को श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर तत्समय के जनता दल के जिन 20 विधायकों की बैठक हुई उस समय सर्वश्री देवी सिंह भाटी, रामस्वरूप मेघवाल, राजेन्द्र सिंह राठौड़, रामनारायण विश्नोई, नफीस अहमद खां तथा श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर ने श्री दिग्विजय सिंह को उनके द्वारा जनता दल से पृथक होकर जनता दल (ग्रुप) के गठन के सम्बन्ध में अपनी सहमति देते हुए अपने आपको ऐसे नवगठित ग्रुप में सम्मिलित कर लिया था। हर अवस्था में चूंकि राजस्थान में नये गुट जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के निर्माण की प्रक्रिया "व्हिप की पालना व विश्वास प्राप्ति के प्रस्ताव पर मतदान होना, तीनों प्रसंग घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और श्री दिग्विजयसिंह के नेतृत्व वाले ग्रुप का निर्माण 8.11.90 को स्पष्ट रूप से मत विभाजन के समय हुआ और ऐसा उसी वक्त ही हो सकता था, अतः इस वाद बिन्दु से सम्बन्धित 6 अप्रार्थीगण के 7.11.90 व 8.11.90 को सम्मिलित होने से इन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 3 से विभाजन के संदर्भ में जो लाभ मिल सकता है उस लाभ से वंचित करना उचित नहीं होगा।

वाद बिन्दु संख्या 5 व 6 :

वाद बिन्दु संख्या 5 व 6 श्री फतेहसिंह से सम्बन्धित है। वाद बिन्दु संख्या 5 व 6 के अधीन यह निर्णीत किया जाना है कि क्या विधायक श्री फतेहसिंह ने 5.11.90 को तत्समय जनता दल के अन्य 11 विधायकों के साथ हस्ताक्षरित बयान प्रेस हेतु जारी किया ? जैसा कि ऊपर अन्य वाद बिन्दु संख्या 3 का निर्णय देते समय निर्णीत किया जा चुका है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई हस्ताक्षरित बयान प्राप्त नहीं किया गया है। जहां तक इस कथित हस्ताक्षरित बयान के आधार पर जो अखबारों में दिनांक 6.11.90 को छपा, प्रदर्श पी-8 व अन्य कतरनों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में भी यह निर्णय दिया जा चुका है कि इन तीन समाचार पत्रों की कतरनों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है कि इन समाचार पत्रों की कतरनों से सम्बन्धित 12 विधायकों द्वारा अपने जनता दल से उस समय स्वेच्छा से सदस्यता त्याग दी हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि विधायक श्री फतेह सिंह ने दिनांक 6.11.90 को ही समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का खण्डन करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय को एवं विधान सभा सचिवालय को पत्र प्रेषित कर दिया था कि उनका समाचार पत्रों में प्रकाशित इस सम्बन्धी समाचार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अतः वाद बिन्दु संख्या पांच व छह का निर्णय श्री फतेह सिंह के पक्ष में किया जाता है एवं यह निर्णीत किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र व्यास की याचिका श्री फतेहसिंह के सम्बन्ध में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं

(श्री अध्यक्ष)

है और श्री फतेहसिंह को विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

वाद बिन्दु संख्या -7

निरर्हता नियम, 1989 का नियम 3 निम्न प्रकार है :—

"विधायक दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना :-(1) प्रत्येक विधायक दल का नेता (ऐसे विधायक दल से भिन्न जिसमें केवल एक सदस्य हो) सभा की पहली बैठक की तिथि से तीस दिन के भीतर या जहां ऐसे विधायक दल का गठन ऐसी तिथि के बाद किया गया है, वहां उसके गठन की तिथि से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :–

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधायक दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से सम्बन्धित अन्य विवरण होंगे जैसा कि प्रपत्र 1 में है और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल ने इन नियमों के प्रयोजनों के लिये अध्यक्ष से पत्र-व्यवहार करने के लिये प्राधिकृत किया है;

(ख) सम्बन्धित राजनैतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) और

(ग) जहां ऐसे विधायक दल के कोई पृथक नियम और विनियम हैं (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति।

(2) जहां किसी विधायक दल में केवल एक सदस्य हैं वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तिथि से तीस दिन के भीतर या जहां वह ऐसी तिथि के बाद सदन का सदस्य बना है वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तिथि से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को उप नियम (1) के खण्ड में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेगा।

(3) ऐसे किसी विधायक दल की संख्या में जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर उप नियम (1) के उपबन्ध ऐसे विधायक दल के सम्बन्ध में वैसे लागू होंगे, मानो वह विधायक दल उस तिथि को बनाया गया है जिसको उसकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(4) जब कभी किसी विधायक-दल के नेता द्वारा उप नियम (2) के अन्तर्गत दी सूचना में कोई परिवर्तन हो तो वह उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देगा।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तिथि को विद्यमान सदन की दशा में उप नियम (1) और उप नियम (2) में सदन की पहली बैठक की तिथि के लिये निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि के लिये निर्देश है।

(श्री अध्यक्ष)

(6) जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्देश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, तो सम्बन्धित विधायक दल का नेता या जहां ऐसे सदस्य, ऐसे विधायक दल का यथास्थिति, नेता या एक मात्र सदस्य है, तो ऐसा सदस्य, ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने की तिथि से पन्द्रह दिन की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के तीस दिन के भीतर प्रपत्र दो के अनुसार अध्यक्ष को यह सूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के लिए ऐसे राजनैतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ/क्षमा किया या नहीं।

स्पष्टीकरण :-"किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जायेगा जब वह मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान से विरत रहेगा।"

इस नियम के पठन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि यह नियम आज्ञात्मक नहीं है। इस नियम का पालन न करने की स्थिति में किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान इन नियमों में कहीं नहीं किया गया है। इससे भी यही प्रकट होता है कि यह नियम आज्ञात्मक नहीं बल्कि निदेशात्मक ही है और इस तरह इस नियम की विधान सभा के विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा पालन करते हुए इस सचिवालय को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का कोई प्रभाव नहीं है। यह वाद बिन्दु इसी प्रकार वर्णित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 8 व 9

इन वाद बिन्दुओं के अधीन यह निर्णीत किया जाना है कि क्या मूल जनता दल में राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन हुआ जिस विभाजन के परिणामस्वरूप राजस्थान में भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 3 में दर्शाये अनुसार विभाजन हुआ और क्या इस वाद बिन्दु में दर्शाये गये अप्रार्थीगण ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह का गठन करते हैं जो उनके राजनैतिक दल जनता दल के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है।

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में वाद बिन्दु संख्या 9 के अधीन यह निर्णीत किया जाना है, क्या भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के सन्दर्भ में किसी भी राजनैतिक दल में विभाजन होना व उसके विधायक दल में विभाजन होना एक ही दिन, एक ही समय होने वाली घटना है या क्या किसी मूल राजनैतिक दल में विभाजन के फलस्वरूप कुछ अवधि अन्तराल आवश्यक है, चाहे वह अवधि अन्तराल लघु अवधि का हो।

इन विवादकों का निर्णय करने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत

(श्री अध्यक्ष)

रखना आवश्यक एवं उचित प्रतीत हो रहा है :—

(I) यह निर्विवाद स्थिति है कि जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन दिनांक 5.11.90 को हुआ।

(II) जनता दल पार्टी का जो संविधान, प्रदर्श पी-11, प्रस्तुत हुआ है उसके अवलोकन से प्रकट है कि राजस्थान जनता दल जैसी कोई राष्ट्रीय जनता दल से पृथक अस्तित्व रखने वाली पार्टी नहीं है।

(III) यह भी निर्विवाद स्थिति है कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त थी।

(IV) राष्ट्रीय जनता दल के संविधान, प्रदर्श पी-11, से यह भी प्रकट हो रहा है कि जनता दल का राजस्थान सैक्शन राष्ट्रीय जनता दल के अनुशासन में ही है।

इस सम्बन्ध में इस क्रम पर ही "ला रिलेटिंग टू इलेक्टोरल डिस्क्वालीफिकेशन" (फ्राम डिस्एबीलिटी टू डिफेक्शन)" श्री बी. ए. मसोदकर द्वारा लिखित पुस्तक के पृष्ठ संख्या 131 का निम्न अंश समर्थन स्वरूप उद्दृत किया जा सकता है :—

"In view of the Explanation in this form, the term 'original political party' is indicative of that political party which had set up a candidate for the purpose of election...."

इस सम्बन्ध में भी कोई विवाद नहीं है कि समस्त अप्रार्थी विधायकगण ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें चुनाव में चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आवंटित किया गया और उस दल ने उन्हें चुनाव में खड़ा किया।

ऊपर वर्णित निर्विवाद परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने में किसी कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहा हूं कि जनता दल के राजस्थान विधान सभा के विधायकगण राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 5.11.90 को हुए विभाजन का उपयोग एक अलग गुट का निर्माण कर नया गुट गठित करने में कर सकते हैं और यदि ऐसे विधायकगण राजस्थान विधान सभा में जनता दल के विधायकों की संख्या से एक तिहाई या उससे अधिक हैं तो ऐसे सभी विधायकगण भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 3 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

एक तर्क मेरे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय सविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या 3 का लाभ पाने के लिए यह आवश्यक है कि राजस्थान जनता दल में भी राष्ट्रीय दल के विभाजन से पृथक कोई विभाजन होवे। मुझे खेद है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह तर्क स्वीकार करना उचित नहीं समझता हूं।

संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन यह तर्क स्वीकार करना भी उचित नहीं समझता हूं कि जनता दल में विभाजन के फलस्वरूप जो 26 विधायकों को पृथक ग्रुप राजस्थान जनता दल (ग्रुप) विधायक दल का राष्ट्रीय

(278)

(श्री अध्यक्ष)

स्तर पर जनता-दल में हुए दो धड़ों में से किसी एक धड़े से सम्बद्ध होना आवश्यक हो। अर्थात् राष्ट्रीय स्तर पर श्री वी. पी. सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल व श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाले जनता दल (स) से इस गुट के 26 विधायकों का सम्बद्ध होना आवश्यक नहीं है।

यद्यपि यह ऊपर वर्णित उपपत्तियों की पुनरावृत्ति होगी फिर भी मैं पुनः यहां यह अंकित करना प्रासंगिक समझता हूं कि जब कोई विभाजन एक समूह की तरफ से किया जाता है तो विभाजन और गुट निर्माण की प्रक्रिया एक दलीय गतिविधि है जिसके कि क्रम में व्यक्तिगत गतिविधियां यथा, अपना मत प्रकट करना, दूसरों से सम्पर्क करना आदि आवश्यक है और इस प्रक्रिया में विभाजन और गुट निर्माण को औपचारिक रूप देने में समय लगना आवश्यक है।

जनता दल के राजस्थान के विधायकगण द्वारा नये जनता दल (ग्रुप) विधायक दल के निर्माण की प्रक्रिया-इस सम्बन्ध में जारी व्हिप की पालना व विश्वास प्राप्ति के प्रस्ताव पर मतदान होना, यह तीनों प्रसंग घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और श्री दिग्विजय सिंह के नये ग्रुप का निर्माण 8.11.90 को स्पष्ट रूप से मत विभाजन के समय हुआ और ऐसा उसी वक्त ही हो सकता था।

उल्लेखनीय है, मैं यह पहले भी अंकित कर चुका हूं कि मेरे मत निर्धारण में माननीय श्री रवि राय का निर्णय मेरे समक्ष के तथ्यों में बाधक नहीं बनता है और इसका कारण भी ऊपर अंकित किया जा चुका है।

इन दोनों ही वाद बिन्दुओं में उपरोक्त किये गये विवेचन के आधार पर मैं यह निर्णीत करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल में विभाजन हुआ और वाद बिन्दु संख्या 8 में जिन अप्रार्थीगण 26 विधायकों के नाम अंकित हैं वे एक ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मूल राजनैतिक दल जनता दल के विभाजन के परिणामस्वरूप गठित हुआ है। इस ग्रुप की सदस्य संख्या राजस्थान में जनता दल विधायक दल की सदस्य संख्या से एक तिहाई से अधिक है। इस प्रकार यह दोनों वाद बिन्दु इसी प्रकार निर्णीत किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 10 व 11

इन दोनों वाद बिन्दुओं का सम्बन्ध जनता दल विधायक दल के नेता श्री नत्थीसिंह द्वारा 5.11.90 एवं 7.11.90 को जनता दल विधायक दल के जिन सदस्यों का निष्कासन किया गया है उससे है।

यह तो पक्षकारान के मध्य स्वीकार्य स्थिति है कि श्री नत्थीसिंह ने इस प्रकार का निष्कासन इन सदस्यों का किया। अलबत्ता पक्षकारान के मध्य जो विवाद है वह इस प्रश्न को लेकर है कि इस निष्कासन का जनता दल विधायक दल का जो पृथक गुट श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित हुआ है, इस सम्बन्ध में क्या प्रभाव है।

तथ्यात्मक रूप से यह स्थिति ऊपर अंकित की जा चुकी है कि दिनांक 2.11.90 को 2.00 पी.एम. पर जनता दल विधायक दल के नेता श्री नत्थीसिंह के

(श्री अध्यक्ष)

निवास पर जनता दल विधायक दल की एक मीटिंग आयोजित हुई। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय ऊपर लिया जा चुका है कि जिस प्रकार के सर्वसम्मत निर्णय लिये जाने की बात प्रार्थीगण द्वारा प्रदर्श पी-12 के आधार पर कही जा रही है वह अमान्य है। यह भी ऊपर अंकित किया जा चुका है कि दिनांक 6.11.90 को 11.00 ए.एम. पर जनता दल विधायक दल के कुछ सदस्य एवं पार्टी सदस्यों की एक बैठक अप्रार्थी श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर प्रारम्भ हुई।

इस प्रकार की तथ्यात्मक स्थिति के सन्दर्भ में मेरे समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 6.11.90 को 11.00 बजे से श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर जनता दल विधायक दल के लगभग 20 सदस्यों के सम्मिलित होते हुए बैठक प्रारम्भ होने की कार्यवाही की जानकारी मिलते ही श्री नत्थीसिंह ने उसी दिवस 6.11.90 को 11.45 ए.एम. पर अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित होकर प्रदर्श पी-2 प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष को सूचित किया कि राजस्थान जनता दल के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होने के कारण अनुशासनहीनता में श्री दिग्विजयसिंह, श्री भंवरलाल शर्मा, श्री मान्धाता सिंह श्री जगतसिंह दायमा, एवं श्री उम्मेदसिंह को तत्काल प्रभाव से राजस्थान जनता दल विधायक दल से निष्कासित कर दिया है।

अप्रार्थीगण की ओर से तर्क है कि श्री नत्थीसिंह की यह कार्यवाही प्रथम दृष्टया रूप से ही असंवैधानिक, बिना अधिकारिता के इस कारण की गई है कि वे श्री दिग्विजय सिंह के निवास स्थान पर एकत्रित हुए, विधान सभा के सदस्यों एवं पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा की जा रही कार्यवाही को पूर्व ही निष्प्रभावी करने का प्रयास मात्र है।

इसी सन्दर्भ में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब 7.11.90 को श्री नत्थीसिंह को यह जानकारी हो गई कि श्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाले गुट में 22 व्यक्ति सम्मिलित हो चुके हैं तो उन्होंने 7.11.90 को 12.50 पी.एम. पर चार अन्य अप्रार्थीगण सर्वश्री देवीसिंह भाटी, गुलाम मुस्तुफा खां, प्रो. सांवरलाल जाट एवं डा रतनलाल को असम्बद्ध घोषित करने का प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में दिनांक 8.11.90 को राजस्थान विधान सभा के विशेष सत्र में मेरे समक्ष असम्बद्ध घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रश्न को उठाया गया था और उस समय भी ऐसे किसी निष्कासन के सम्बन्ध में शंकापूर्ण वैधानिक स्थिति की ओर मेरे द्वारा इंगित किया गया था।

इन याचिकाओं के सम्बन्ध में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अप्रार्थी विधायक गण के निष्कासन की जो कार्यवाही श्री नत्थीसिंह द्वारा की गई है वह पार्टी के किसी मंच या प्राधिकरण के समक्ष तो निर्णय का बिन्दु हो सकता है परन्तु जिस प्रकार का प्रकरण मेरे समक्ष है, ऐसे प्रकरण में ऐसे किसी निष्कासन की वैधानिकता एवं इसके औचित्य का निर्णय करने में हर कोई व्यक्ति सहज ही कठिनाई का अनुभव कर सकता है।

(श्री अध्यक्ष)

श्री नत्थीसिंह, नेता, जनता दल ने याचिकाओं की अन्तिम बहस के समय यह मुद्दा उठाया कि उपरोक्त पांच प्रार्थीगण श्री दिग्विजय सिंह, श्री उम्मेद सिंह, श्री भंवर लाल शर्मा, श्री जगतसिंह दायमा व श्री मान्धाता सिंह संविधान की दसवीं अनुसूची की धारा 2(1)(ख) के अधीन राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित घोषित किये जावे क्योंकि उनको जनता दल से निष्कासित करने के बाद संविधान की दसवीं अनुसूची की मंशा के अनुसार या तो उन्हें अपने जनता दल के निष्कासन को सक्षम न्यायालय में निरस्त करवाया जाना चाहिये था अन्यथा वे वर्तमान स्थिति में ही सदन में रहकर उन्होंने राजस्थान में निर्मित नये जनता दल (ग्रुप) में शामिल होकर अपनी स्थिति में बदलाव ला दिया है।

इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि जनता दल के सर्वश्री चन्द्रभान, रामेश्वर दयाल यादव व गोपाल सिंह खण्डेला ने उपरोक्त अप्रार्थीगण के खिलाफ याचिका ही दायर नहीं की, न श्री सुरेन्द्र व्यास ने अपनी याचिका में यह मुद्दा उठाया इसलिए उपरोक्त अप्रार्थीगणों को इस मुद्दे पर अपनी अपनी सफाई देने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर मेरे द्वारा इन याचिकाओं में भी निर्णय दिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

हर अवस्था में मेरी राय में इस प्रकार के निष्कासन के आधार पर विधान सभा के किसी सदस्य को इसकी सदस्यता से निरर्हित करने का कठोर दण्ड देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री रवि राय ने जो निर्णय दिया है वह भी प्रासंगिक है।

वाद बिन्दु संख्या-12

जिन बिन्दुओं का निर्णय मेरे द्वारा ऊपर किया गया है उस समस्त विवेचन के पश्चात् यह निष्कर्ष भली-भांति अंकित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनता दल का विभाजन हुआ।

अप्रार्थी विधायकगण :

1. श्री दिग्विजय सिंह
2. ,, मान्धाता सिंह
3. ,, भंवरलाल शर्मा
4. ,, जगमाल सिंह
5. ,, सम्पत सिंह
6. ,, जितेन्द्र सिंह
7. ,, डूंगरराम पंवार
8. ,, जगतसिंह दायमा
9. ,, मिश्रीलाल चौधरी
10. ,, उम्मेद सिंह
11. ,, बाबूलाल खाण्डा
12. ,, देवीसिंह भाटी
13. ,, राजेन्द्रसिंह राठौड़
14. ,, रामस्वरूप मेघवाल
15. ,, रामनारायण विश्नोई
16. ,, नफीस अहमद
17. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर
18. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर
19. ,, गंगाराम चौधरी

(श्री अध्यक्ष)

20. श्री गरणपतराम गाडेगावलिया
21. ,, लालचन्द डूडी
22. ,, गुलाम मुस्तुफा खां
23. ,, अब्दुल हादी
24. प्रो. सांवरलाल
25. श्री डा. रतन लाल
26. ,, चुन्नीलाल इन्दलिया

ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मूल राजनैतिक दल जनता दल के विभाजन के परिणामस्वरूप गठित हुआ है। इस ग्रुप की सदस्य संख्या राजस्थान में जनता दल विधायक दल की संख्या से एक तिहाई से अधिक है।

इस प्रकार राजस्थान विधान सभा के 8.11.90 के विशेष सत्र में इन अप्रार्थी विधायक गण द्वारा किसी व्हिप के विपरीत मतदान करने का कोई प्रभाव नहीं है और अप्रार्थीगण संविधान की दसवीं सूची की धारा 3 का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उक्त सारे विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई सभी याचिकाओं को अस्वीकार किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी अप्रार्थी विधायक को भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के चरण संख्या. 2 (1) (क) अथवा (ख) के अधीन राजस्थान विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री नत्थीसिंह : आपके इस राजनैतिक, पक्षपातपूर्ण, दलगत फैसले के खिलाफ राजस्थान विधान सभा....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, फैसला कितने पेजों का है ? बताओ। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : इस फैसले के विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन) (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : जिस प्रकार का उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है उसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं....

(कांग्रेस (आई) पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल गलत किया है....

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने पेज का फैसला है, यह तो बता दो।

श्री अध्यक्ष : सिक्स्टी थ्री, 63।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आपको बधाई।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी ओर से एवं मेरे दल की ओर से इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आपको बधाई देता हूं।

(10.10 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विधायी कार्य

राजस्थान मन्त्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को यथा संशोधित विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को यथा संशोधित रूप में विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक यथा संशोधित रूप में विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार : खण्ड-2

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-2 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करता हूं – "खण्ड 2 उपखण्ड (क) (1) में, अभिव्यक्ति" "चार हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मन्त्री ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-3

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-3 में निम्न संशोधन प्रस्तावित करता हूं :-

खण्ड 3 में, अभिव्यक्ति "दो हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन हजार रुपये" और अभिव्यक्ति "एक हजार आठ सौ पचास रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो हजार एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-3 में प्रभारी मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-4

प्रो. केदार.... अनुपस्थित।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया।

खण्ड-5

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-5 में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं :-

खण्ड-5 में, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम संख्या 6) की धारा 5 में, जैसी कि वह इस खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित की जानी इप्सित हैं :-

(I) उप धारा (1) में, अभिव्यक्ति "तीन हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार हजार रुपये", तथा

(II) उप धारा (2) में, अभिव्यक्ति "क्रमशः, दो हजार पांच सौ रुपये और एक हजार रुपये प्रतिमाह" के स्थान पर अभिव्यक्ति "क्रमश: दो हजार सात सौ पचास रुपये और दो हजार एक सौ रुपये प्रतिमाह" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड–5 में प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, वे स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकर किये गये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–6

प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खण्ड-6 में निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं – खण्ड-6 में अभिव्यक्ति "2500 रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "2750 रुपये" प्रस्थापित की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं, वे स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड–6 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड–7 से 9

खण्ड–7 से 9 – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–7 से 9 स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–7 से 9 स्वीकार किये गये।

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

प्रभारी मन्त्री।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन)

(श्री दिग्विजय सिंह)

विधेयक, 1991 को यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को यथा संशोधित पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 यथा संशोधित पारित किया गया।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 10.30 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

286

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 286 की सूची

राजस्थान वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट कारपोरेशन लि.
16, देवी भवन, परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

राजस्थान जल संसाधन विकास निगम द्वारा निर्मित नलकूपों की सूचना

क्र.सं.	जिला	संख्या प्रारम्भ से जनवरी, 90 तक निर्मित नलकूप
1.	अलवर	48
2.	टोंक	19
3.	सवाई माधोपुर	15
4.	कोटा	10
5.	जयपुर	7
6.	झालावाड़	6
7.	अजमेर	2
8.	भरतपुर	3
9.	चित्तौड़गढ़	1
10.	जोधपुर	1
11.	सीकर	1
12.	धौलपुर	3
		116

राजस्थान वाटर रिसोर्सेज डवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
16, देवी भवन, परिवहन मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

बोरिंग द्वारा गहरे किये गये कुओं की सूचना–प्रारम्भ से जनवरी, 91 तक

(संख्या)

जिला	84–85	85–86	86–87	87–88	88–89	89–90	90–91 जनवरी 91 तक	योग
जयपुर	–	4	8	150	85	140	10	397
सवाई माधोपुर	–	–	–	51	–	72	33	156
टोंक	–	–	–	29	1	100	79	209
झुन्झुनू	8	39	89	12	2	4	–	154
कोटा	–	–	–	1	23	1	1	26
सीकर	–	12	30	2	–	–	–	44
अलवर	–	–	–	12	91	45	12	160
धौलपुर	–	–	–	21	81	58	25	185
झालावाड़	–	–	–	–	9	28	–	37
अजमेर	–	–	–	–	3	–	–	3
भरतपुर	–	–	–	–	3	1	–	4
बून्दी	–	–	–	–	–	1	–	1
चित्तौड़गढ़	–	–	–	–	–	1	–	1
	8	55	127	278	298	451	160	1377

287

288

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
AGRICULTURE (GROUP-6) DEPARTMENT

No. F18(12)Agri/6/89 Jaipur, Dated 22 Sept., 1989.

Executive Director,
Raj. Water Resource Dev. Corpn. Ltd.,
16-Devi Bhawan, Parivahan Marg,
C-Scheme,
JAIPUR.

Sub : Execution of Community Tubewell Irrigation Scheme.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor for the execution of Community Tubewel, Irrigation Scheme subject to the fulfilment of following conditions :-

1. This scheme will oprate on pilot basis in the white/gray areas of Jaipur, Alwar, Bharatpur, Sawaimadhopur, Sikar and Jhunjhunu districts in the first instance.
2. The Community well comprise minimum five cultivators out of which three will be small/marginal farmers who will be treated on preferential basis for providing irrigation facilities. Where this is not possible due to low yield of tubewells, a group of three farmers should comprise minimum two small/marginal farmers.
3. The Rajasthan Water Resource Development Corporation, Jaipur will execute this scheme in collaboration with DRDAS and panchayat Samities and construct tubewells, arrange installation of submersible pumpsets of suitable capacity and electric connections and commission the tubewells on turnkey basis.
4. The tubewells will be commissioned and handed over to the community on proper documentation for their operation and maintenance by the community.
5. The beneficiaries under this scheme will be entitled to subsidy limited to 50% of the cost of irrigation apportionable to their lands in the anicut. The remaining amount will be borne by the cultivetors either from their own funds or through bank loans.

6. The RWRDC will select suitable sites for tubewells and submit proposals to banks for arranging loan component for the community.

7. Subsidy will be sanctioned by the RWRDC to the beneficiries as per norms from their own funds and later on will be reimpersed by the Govt. from the following Budget Head by supplimentary demands.

Corporation will submit application with utilisation certificate for the funds utilised for reimbursement of subsidy to the Finance Department through Admn. Deptt. and will maintain seperate accounts for this purpose. Additional funds may be obtained by the department through supplementary grant, from the following Budget Head :-

2702—M nor Irrigation
02—Under Ground Water
80—General
800—Other Expenditure
(ix)—Community tubewell Irrigation Scheme.
1—Grant in aid to RWRDC (Plan)

This issues with the concurrance of Finance Department Eudget vide I.D. No. 1596 dated 11.8.1989.

Yours faitfully,

Sd/-

(S. N. AGARWAL)

Dy. Secretary to the Govt.

Copy forwarded to the :-

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. Finance (EXP-I) Department, Raj. Jaipur.
3. Finance (Budget) Department, Raj. Jaipur.
4. Chief Engineer, Ground Water Department, Jodhpur.
5. Guard File.

Sd/-

Account Officer

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 561

(स्थगित)

बारां कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण कार्य

562. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बारां कृषि उपज मंडी ने सड़क निर्माण कार्य हेतु किस-किस क्षेत्र में कहां-कहां कितनी-कितनी राशि की सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की हैं ?

(2) क्या कृषि उपज मंडी समिति बारां क्षेत्र में वर्ष 1989–90 में सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की थीं ? यदि हां, तो कितनी राशि की कितने किलोमीटर किस-किस क्षेत्र में स्वीकृत की थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति बारां में स्वीकृत सड़कों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	नाम तहसील	सड़कों की संख्या	सड़कों की ल.(कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	तहसील बारां	18	44.20	134·18
2.	तहसील किशनगंज	2	6.00	18·20
3.	तहसील शाहबाद	5	12.00	34·50
4.	तहसील मांगरोल	3	6·00	18·00
	कुल	28	68.20	204·88

(2) जी हां। वर्ष 1989-90 में क्षेत्रवार स्वीकृत सड़कों की अनुमानित लागत एवं लम्बाई का विवरण परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

कृषि उपज मण्डी समिति बारां की वर्ष 1989–90 में स्वीकृत सड़कों का विवरण :–

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4
तहसील बारां			
1.	सम्पर्क सड़क कल्याणपुरा	1.00	3.00

(291)

1	2	3	4
2.	सम्पर्क सड़क मन्डोला पाटेदा	2.00	6.00
3.	,, दिलोदा	1.50	3.00
4.	,, खोराली पंचायत	2.00	6.00
5.	,, समतपुर रानीहेड़ा	2.00	6.00
6.	,, लिसाड़िया	2.00	6.00
7.	,, कोयला मियाडा	2.00	6.00
8.	,, सुन्दलक	2.00	6.00
		14.50	42.00
	तहसील मांगरोल		
9.	सम्पर्क सड़क बमोरी कलां से बालून्दा पुलिया	2.00	6.00
10.	,, चौकी से हिंगोनिया	2.00	6.00
11.	,, चौकी से ईश्वरपुरा	2.00	6.00
		6.00	18.00
	तहसील किशनगंज		
12.	सम्पर्क सड़क मिसाई	3.00	9.00
		3.00	9.00
	तहसील शाहबाद		
13.	सम्पर्क सड़क लक्ष्मीपुरा	2.00	6.00
14.	,, जगदीशपुरा	2.00	6.00
		4.00	12.00

(292)

भू-जल विभाग में पाइप खरीद प्रकरण

563. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं श्री फूलचन्द (नीमकाथाना) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भू-जल विभाग ने वर्ष 1989-90 में पाइप क्रय किये थे ? यदि हां, तो किस माप के ?

(2) क्या इनके लिये निविदायें आमन्त्रित की गई थीं ? यदि हां, तो किस-किस फर्म ने कितनी-कितनी राशि की निविदायें दी थीं ?

(3) क्या यह सही है कि जो निविदायें प्राप्त हुई उसमें सबसे महंगी निविदा वाले को स्वीकृति दी गई ? यदि हां, तो वह कौनसी फर्म थी ?

(4) क्या भू-जल विभाग ने अत्यावश्यक और तुरन्त खरीदे जाने की जरूरत महसूस की थी ? यदि हां, तो खरीद के एक वर्ष बाद भी जोधपुर के सैंट्रल स्टोर में यह पाइप क्यों जंग खा रहे हैं ?

(5) इस प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी लिप्त हैं और उनके खिलाफ सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। फर्मों की सूची "ख" नवे सूचना के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, पाइप खरीदे जाने की तुरन्त जरूरत थी। जो पाइप पड़े रहते हैं वे सीमा के अन्दर ही हैं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची-"क"

1. भू-जल विभाग ने सन् 1989–90 के वित्तीय वर्ष में निम्न पाइप क्रय किये :—

(1) एम. एस. प्लेन पाइप 8"	9977.42 मीटर
(2) एम. एस. प्लेन पाइप 6"	996.75 ,,
(3) एम. एस. प्लेन पाइप 10"	770.65 ,,
(4) एम. एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/8"	999.91 ,,
(5) एम. एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/16"	11466.43 ,,

सूची-"ख"

2. सूची "क" में वर्णित पाइपों में से 1 (एम. एस. प्लेन पाइप 8" स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लि० से क्रय किये गये थे। इसके अलावा (2) से (5) सभी

पाइप खुली निविदायें आमन्त्रित कर क्रय किये गये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

पाइप का साईज	फर्म का नाम जिसने निविदा दी	निविदा राशि प्रति मीटर
1	2	3
एम. एस. प्लेन पाइप 6"	अजंता ट्यूब लि., नई दिल्ली	265.85
	तापड़िया ट्रेडर्स, जोधपुर	314.80
	न्यू लक्ष्मी इंजि. एण्ड ट्रोली वर्क्स, जोधपुर	321.00
एम. एस. प्लेन पाइप 10" फ्लश ज्वाइंट	हिन्दु० पाइप उद्योग, नई दिल्ली	695.00
	अजन्ता ट्यूब्स लि० नई दिल्ली	727.50
	प्रकाश ट्यूब्स लि० नई दिल्ली	770.14
एम. एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/8"	विकास ट्रेडिंग कारपो., मेरठ	547.90
	अजन्ता ट्यूब्स लि०, नई दिल्ली	549.31
	हिन्दुस्तान पाइप उद्योग, नई दिल्ली	554.31
एम. एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/16"	अजन्ता ट्यूब्स लि०, नई दिल्ली	564.00
	स्टील ट्यूब्स एन्टरप्राइजेज, कलकत्ता	569.75

पूरक टिप्पणी

भू-जल विभाग ने सन् 1989-90 के वित्तीय वर्ष में एम. एस. प्लेन पाइप 8" के 9992.42 मीटर, एम. एस. प्लेन पाइप 6" के 996.75 मीटर, एम. एस. प्लेन पाइप 10" के 770.65 मीटर, एम. एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/8" के 999.91 मीटर तथा एम. एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/16" के 11466.43 मीटर क्रय किये गये। इन पाइपों में से एम. एस. प्लेन 8" स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड से क्रय किये गये इसके अलावा बाकी उपरोक्त पाइपों में एम. एस. प्लेन पाइप 6" के अजन्ता ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली से तथा एम. एस. प्लेन पाइप 10" (फ्लश ज्वाइंट) हिन्दुस्तान पाइप उद्योग, नई दिल्ली से तथा एम. एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/8" पाइप विकास ट्रेडिंग कारपोरेशन मेरठ से तथा एम. एस. स्लोटेड पाईप 8"×1/16" हिन्दुस्तान पाइप उद्योग नई दिल्ली से खुली निविदायें आमन्त्रित कर जिनकी रेट सबसे कम थी उसी से खरीदे गये, जैसा (प्रश्न दो के उत्तर में) स्पष्ट है।

भू-जल विभाग में पाइपों की आवश्यकता नलकूप निर्माण हेतु निरंतर बनी रहती है एवं पूर्व योजना अनुसार ही क्रय करना आवश्यक है क्योंकि खुली निविदा के जरिये पाइपों की खरीद में 6 से 10 माह का समय लगता है वे न्यूनतम/अधिकतम सीमा के अन्दर ही रहते हैं।

चूंकि इस खरीद में सबसे कम रेट वाली फर्मों से ही खरीद की गई इसलिये किसी भी अधिकारी के इसमें लिप्त होने या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। क्योंकि खरीद में सभी नियमों का पालन किया गया है तथा विभागीय पर्चेजिंग कमेटी की सिफारिश पर ही यह खरीद की गई है।

केन्द्रीय भण्डार में उपरोक्त पाइप निम्नानुसार निम्न तारीखों को प्राप्त हुए :—

क्र. सं.	पाइपों की साइज	प्राप्त होने की तारीख
1	2	3
(1)	प्लेन पाइप 8"	13.4.89 से 13.6.89
(2)	प्लेन पाइप 6"	27.5.89
(3)	एम. एस. प्लेन 10" (एम/एफ)	22.2.90 से 26.3.90
(4)	एम. एस. स्लोटेड 8"×1/8"	30.6.89 से 5.7.89
(5)	एम. एस. स्लोटेड 8"×1/16"	1.4.89 से 14.3.80

निम्नानुसार उक्त पाइप निम्न खण्डों को वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में सप्लाई किये गये :—

(1) एम. एस. प्लेन पाइप 8"	89-90	90-91
1. अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर	1267.85	862.74
2. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर	1566.74	877.60
2. अधिशाषी अभियन्ता, बीकानेर	737.66	1215.28
4. अधिशाषी अभियन्ता, बाड़मेर	1338.03	840.87
5. अधिशाषी अभियन्ता, पाली	466.02	216.41
6. अधिशाषी अभियन्ता, (पी. एच. ई. डी.)	588.13	—
	5964.43	4012.99

(2) एम. एस. प्लेन पाइप 6"	89-90	90-91
1. अधिशाषी अभियन्ता, बाड़मेर	284.71	—

	89–90	90–91
2. अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर	—	315.35
3. अधिशाषी अभियन्ता, (पी. एच. ई. डी.)	—	198.54
4. आर. डब्लू. आर. डी. सी., जयपुर	—	198.15
	284.71	712.04

(3) एम. एस. प्लेन पाइप 10"

1. अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर	—	29.44
2. अधिशाषी अभियन्ता, बाड़मेर	—	524.09
3. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर	—	126.85
4. अधिशाषी अभियन्ता, बीकानेर	—	285.18
		965.56

(4) एम. एस. प्लेन पाइप 8"×1/8"

1. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर	369.45	253.03
2. अधिशाषी अभियन्ता, पाली	242.62	—
3. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर	21.46	—
	633.53	253.03

(5) एम. एस. प्लेन पाइप 8"×1/16"

1. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर	1590.17	1337.20
2. अधिशाषी अभियन्ता, बाड़मेर	2887.40	802.08
3. अधिशाषी अभियन्ता, बीकानेर	1472.77	846.43
4. अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर	73.77	146.30
	6684.11	3132.01

ड्रिल पाइप एक अलग तरह का पाइप है जो मशीन टूल की श्रेणी में आता है, सामान्य पाइप की श्रेणी में नहीं है, इसलिये इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 मार्च, 1991)

धरियावद के लेम्पस को अनुदान

329. श्री नारायणलाल मीणा (लसाड़िया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 में धरियावद तहसील में किन-किन लेम्पस को कितना-कितना अनुदानित खाद व बीज किन-किन काश्तकारों को उपलब्ध कराया गया ?

(2) धरियावद तहसील के मुंगाणा लेम्पस की क्या-क्या अचल सम्पति है, और वह किस-किस के कब्जे में है ? यदि किन्हीं अन्य व्यक्तियों ने इन पर कब्जा कर रखा है तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990 में धरियावद तहसील क्षेत्र के लेम्पों को व काश्तकारों को अनुदानित खाद व बीज का वितरण नहीं किया गया।

(2) धरियावद तहसील के मुंगाणा लेम्पस की निम्न अचल सम्पत्ति है—

1– ग्राम मुंगाणा में स्थित कार्यालय एवं गोदाम भवन (90 × 45 फीट)

2– मुंगाणा आदिवासी बहुधन्धी सहकारी समिति का वर्ष 1981–82 में लेम्पस मुंगाणा में विलय होने से उसके अधीन बने हुए गोदाम एवं एक कमरा।

लेम्पस मुंगाणा में स्थित कार्यालय एवं गोदाम भवन (90 × 45 फीट) लेम्पस के कब्जे में है। लेकिन मुंगाणा आदिवासी बहुधन्धी सहकारी समिति के विलय के बाद उक्त संस्था का बीज गोदाम समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री डूंगरलाल लबाना के पुत्र श्री जवेरिया लबाना के कब्जे में है तथा एक कमरा श्री अम्बालाल पिता गमेरा कब्जे में है। लेम्पस स्तर पर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है।

नयी कृषि विद्युत नीति

564. श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली) एवं श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार कृषि विद्युत कनेक्शन की लागत को कम करने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि नई कृषि विद्युत नीति बड़े किसानों के लिये ही लाभप्रद है ?

(3) क्या यह सही है कि नई कृषि विद्युत नीति छोटे किसानों के लिये कारगर सिद्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मण्डल द्वारा खम्भे व लाइन खींचने का औसत वास्तविक व्यय उपभोक्ता से ली जाने वाली राशि के मुकाबले काफी अधिक है।

(2) जी नहीं। नई नीति सामान्य

(ऊर्जा मन्त्री)

श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा वहन करने की क्षमता को ध्यान में रख कर बनाई गई है। अतः इस नीति से केवल बड़े किसान ही लाभान्वित होंगे, यह कहना सही नहीं है। जहां तक "तुरन्त प्राथमिकता योजना" का प्रश्न है वह पूर्णतया स्वेच्छिक है एवं इस योजना से सामान्य श्रेणी के काश्तकार भी हुये हैं।

(3) जी नहीं, ऐसा नहीं है। पुरानी नीतियां जिनमें अव्यवहारिकताएं थी तथा जिनसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था उनमें परिवर्तन किया गया है। नई नीति से सामान्य श्रेणी के कृषक की प्राथमिकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु प्राथमिकताओं में सरलीकरण किया गया है जैसे कि दिनांक 31.3.82 के सभी सामान्य कृषि आवेदकों तथा 31.3.85 तक के अनु जाति/जनजाति के आवेदकों को चालू वित्तीय वर्ष में कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य। ऐसे कुछ कृषक जो थोड़ा अधिक खर्च वहन कर सकते हैं, उन्हें नई नीति में प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कनेक्शन लेने की सुविधा प्रदान की गई है। इस वर्ष 30,000 से अधिक कनेक्शन दिये गये हैं जिनमें अधिकांश छोटे काश्तकार हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 मार्च, 1991)

राज्य के विभिन्न जिलों में विभागीय अस्थाई मजदूर

296. श्री अमीन खां (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 6 माह से 8 साल तक के अस्थाई मजदूरों की संख्या कितनी है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन अस्थाई कर्मचारियों (मजदूरों) को स्थायी करना चाहती है ? यदि हां, तो किस अवधि तक के कर्मचारियों को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) राजस्थान कार्य प्रभारित सेवा नियम 1964 के अन्तर्गत अप्रेल, 1985 तक 2 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को अर्ध स्थाई घोषित किया जा चुका है। इसके बाद की अवधि का मामला विचाराधीन है।

प्रपत्र "अ"

क्र.सं.	जिले का नाम	कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	600
2.	अलवर	1242
3.	बांसवाड़ा	94
4.	भरतपुर	555
5.	बाड़मेर	764
6.	भीलवाड़ा	125
7.	बीकानेर	592

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)

1	2	3
8.	बून्दी	80
9.	चित्तौड़गढ़	81
10.	चूरू	754
11.	धौलपुर	118
12.	डूंगरपुर	83
13.	गंगानगर	1285
14.	जयपुर	1010
15.	जैसलमेर	862
16.	जालौर	522
17.	झालावाड़	17
18.	झुन्झुनूं	502
19.	जोधपुर	1195
20.	कोटा	419
21.	नागौर	1188
22.	पाली	603
23.	सवाई माधोपुर	502
24.	सीकर	465
25.	सिरोही	60
26.	टौंक	105
27.	उदयपुर	437
	योग	14,269

घुमक्कड़ पशुपालकों की सुरक्षा व्यवस्था

565. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पशुपालकों के डेरे, झुण्ड व रेवड़ गुण्डों व डाकुओं द्वारा लूट लिये जाते हैं।

(2) क्या राज्य सरकार ने ऐसी वारदातों को रोकने के लिए और घुमक्कड़ पशुपालकों की जान-माल की सुरक्षा के विषय में कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। घुमक्कड़ पशुपालकों की जान-माल की सुरक्षा के लिये पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी चौकियां लगाई जाती हैं। थानाधिकारियों व स्थानीय पुलिस द्वारा उनके क्षेत्र में गश्त, पैट्रोलिंग की जाती है। माउन्टेड पुलिस द्वारा भी जंगलों में गश्त की जाती है। भेड़ पालकों के साथ पुलिस गार्ड लगा कर उनकी जान-माल की सुरक्षा की जाती है।

बेगूं पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध जीवनधारा योजना की राशि हड़पने बाबत जांच

566. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बेगूं पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध जीवनधारा योजना में मिली अनुसूचित जनजाति के लोगों की राशि स्वयं हड़प लेने की जांच की गई थी ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहे ?

(2) आरोप सही पाये जाने पर अब

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

तक प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

(2) जांच परिणाम आने शेष हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यथोचित कार्यवाही की जावेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या 368

(स्थगित)

लूणकरणसर लिफ्ट नहर पर विद्युत आपूर्ति

567. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर लिफ्ट नहर (कंवर सैन लिफ्ट) बिजली की कमी के कारण पूरा पानी सिंचाई के लिए नहीं दे पाती है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर से जायसर के बाद गाजियासर लिफ्ट तक पूरी बिजली की लाइन कृषि कार्यों के उपयोग हेतु कंवर सैन लिफ्ट के निजी खर्चे से लगायी गई थी ? यदि हां, तो बिजली विभाग ने औद्योगिक एवं अन्य कनेक्शन अपनी मर्जी से कैसे दे दिये ?

(3) क्या यह सही है कि बिजली की कटौती सिर्फ पीने के पानी एवं लिफ्ट नहर सिस्टम पर ही की जाती है जबकि औद्योगिक इकाई एवं घरेलू आपूर्ति चालू रहती है ?

(4) क्या यह सही है कि बिजली की यूनिट कास्ट औद्योगिक इकाई के बजाय कृषि कार्यों के उपयोग हेतु अधिक ली जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके अन्तर को खत्म करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। लूणकरणसर लिफ्ट (कंवर सैन लिफ्ट) पर विद्युत की आपूर्ति कुछ दिनों को छोड़कर आमतौर पर ठीक रही है, जिसके कारण सिंचाई व पीने हेतु पूरा पानी मिला है।

(2) बीकानेर से जायसर तक 33 के.वी. दो परिपथ लाइन कंवर सैन लिफ्ट नहर के लिये डिपोजिट कार्य में खेंची गई थी तथा उसके बीच बने 33/11 के.वी. सब स्टेशन उसी समय बनाये गये थे। चूंकि सभी लाइन व सब स्टेशन चार्ज होने के बाद एक्ट के अनुसार विद्युत मण्डल की सम्पत्ति मानी जाती है तथा यह उसके अधिकार क्षेत्र में है। अतः मण्डल द्वारा नियमानुसार ही कनेक्शन दिये गये हैं।

(3) लिफ्ट नहर सिस्टम पर पीने के पानी हेतु कोई कटौती नहीं की जाती है, लेकिन सिस्टम अथवा तकनीकी कारणों से विद्युत उपलब्धि में कमी होने पर उपलब्धि के अनुसार सभी श्रेणी में अस्थायी लोड-शेडिंग की जाती है।

(4) जी नहीं, कृषि कार्य हेतु विद्युत प्रति इकाई कास्ट औद्योगिक से बहुत कम है।

"न्यूनतम आवश्यकता योजना" अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

568. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम क्या है ? उक्त योजनान्तर्गत पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में क्या कार्य किये गये तथा उन पर कुल कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) बमोरी कला, लुहावद तथा ठींपरी चम्बल, नीमोला, ककरावदा, बपूलिया आदि उक्त कस्बों को अभी तक उक्त योजनान्तर्गत सड़कों से नहीं जोड़ने के क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों को उक्त योजनान्तर्गत सड़कों से शीघ्र जोड़ने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण सड़कों के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना राष्ट्रीय मापदण्डानुसार निम्न प्रकार है (1971 की जनगणनानुसार)

(अ) सामान्य क्षेत्र

(1) 1500 से अधिक आबादी के गांव — 100%

(2) 1000 से 1500 आबादी तक के गांव — 50%

(ब) जनजातीय, तटीय व मरुस्थलीय क्षेत्र

(1) 1000 से अधिक आबादी के गांव — 100%

(2) 500 से 1000 आबादी तक के गांव — 50%

(स) पहाड़ी क्षेत्र

(1) 500 से अधिक आबादी के गांव — 100%

(2) 200 से 500 आबादी तक के गांव — 50%

कोटा जिला सामान्य क्षेत्र में आता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मद के अन्तर्गत पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में किया गया कार्य व व्यय सूची "1" में दर्शाया गया है।

(2) (1) बमोरी कलां (जनसंख्या 2546-1971 की जनगणनानुसार)

(2) लुहावद (जनसंख्या 1558-1971 की जनगणनानुसार)

(3) ठींपरी (चम्बल) आबादी-1155 (1971 की जनगणनानुसार)

इन गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है।

(4) नीमोला-आबादी 1182 (1971 की
(5) ककरावदा-आबादी 1189 (जनग-
(6) बमूलिया-आबादी 1086 (णना-
(नुसार

इन गांवों को सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण सम्भव नहीं हो सका है।

(3) उक्त गांवों को सड़कों से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट–27 मार्च,

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पीपल्दा विधान सभ

क्र सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति आदेश	राशि (लाखों में)	लम्बाई (कि.मी.	बी. टी.
1	2	3	4	5	6
1.	पीपल्दा से करवाड़	एफ·2(79)सानि/ ए एस./79 दि. 27.7.79	7.00	4.00	4.0-
2.	इटावा से नोनेरा	एफ·2(14)सानि/ 84/दि. 14.6.84	9.00	6.00	6.0
3.	राजोपा-बोरदा-ढींपरी सड़क	,, ,, ,,	27.00	18.00	2.0-
4.	मांगरोल से बम्बोरी कलां	एफ·2(39)सानि/ ए एस./89 दि. 21.1.90	5.00	5.00 मेटल से डामरीकरण हेतु	—
			48.00	33.00	12.

काप्रेन (बून्दी) में शल्य चिकित्सा शिविर

569. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जनवरी, 1991 में बून्दी जिले के काप्रेन कस्बे में आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया था ? यदि हां तो उसके आयोजन में कितनी राशि व्यय हुई ? उसमें कितने व्यक्तियों का किस-किस बीमारी का इलाज किस-किस वैद्य द्वारा किया गया ? क्या आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों ने तहसील केशव-रायपाटन क्षेत्र में चिकित्सा केम्प लगाया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त चिकित्सा शिविर में कितने मरीजों को देखा गया ? कितनों को अन्य चिकित्सालयों में रैफर किया गया एवं कितनों की मृत्यु हुई ? विवरण मरीजों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त शिविर में टिटनेस की बीमारी से भी मरीज पीड़ित हुये हैं ? यदि हां, तो कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या टिटेनेस की बीमारी से मृतक व्यक्तियों के परिवारों को तथा पीड़ितों को सरकार की ओर से सांत्वना, मुआवजा या क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उपरोक्त शिविर में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में जिला प्रशासन या

सरकार की ओर
हां, तो जांच रिपो
कार्यवाही सम्बन्धी
पर रखें।

(1) जी हां।
पर 38003.33
शिविर में 56 रोगि
में भर्ती होकर चि
जिनका रोगानुसार
है :–

रोग का नाम

अर्श

परिकर्तिका

मृधसी

नाडीव्रण

भगन्दर

गुदा भ्रंश

(2) उक्त के
को बहिरंग विभाग
गई।

इस शिविर में
ड्यूटी की थी :-

1– श्री रामशर
प्रभारी

2– श्री गणेशप्र

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

3– श्री जगदीश प्रसाद शर्मा–शल्य कर्म चिकित्सक

4– श्री ब्रजमोहन सोनी–चिकित्सक

5– श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी–अन्तरंग प्रभारी

6– श्री रमेशचन्द शर्मा-शल्य कर्म सहायक

7– श्री ओम शर्मा-शल्य कर्म सहायक

8– श्री ललितकिशोर गुप्ता-शल्य कर्म सहायक

9– श्री अशोक सक्सेना-शल्य कर्म सहायक

10- सुश्री नीलम मल्होत्रा–शल्य कर्म सहायक।

चालू वर्ष में कोई चिकित्सा शिविर आयुर्वेद विभाग के चिकित्सों द्वारा तहसील केशोरायपाटन में नहीं लगाया गया है। काप्रेन नगर में चिकित्सा शिविर में कुल 329 मरीजों को देखा गया, इसमें से 273 मरीजों ने शिविर के बहिरंग विभाग से चिकित्सा लाभ प्राप्त किया तथा 63 मरीजों को शिविर के अन्तरग विभाग में भर्ती किया गया। इसमें से 7 रोगी स्वेच्छा से तथा शल्य कर्म हेतु योग्य नहीं होने से मुक्त कर दिये गये और शेष 56 रोगियों की अन्तरंग विभाग में चिकित्सा की गई। चिकित्सा शिविर से 7 मरीजों को महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा मे रैफर किया गया तथा 10 मरीज शिविर समाप्ति दिनांक 12.1.91 के पश्चात् उक्त कोटा चिकित्सालय में भर्ती हुए। महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा में 4 मरीजों की मृत्यु हुई। भर्ती कराये गये मरीजों एवं जिनकी मृत्यु हुई के नामों की सूची (परिशिष्ट-"क") सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। कुल 17 मरीज टिटेनेस से पीड़ित हुए। विवरण प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"क")

(4) जी हां। चार मृतक व्यक्तियों के परिजनों में से दो के परिजनों को 5000-5000 रुपये की तथा शेष 2 मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 500–500 रुपये की राशि दी गयी। इन 2 मृत व्यक्तियों के परिजनों को 4500-4500 रुपये की अतिरिक्त सहायता दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। अन्य पीड़ित 13 व्यक्तियों को 500-500 रुपये की सहायता मुख्य मन्त्री सहायता कोष से उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद विभाग द्वारा शिविर में टिटेनेंस से पीड़ित व मृत व्यक्तियों के उपचार व अन्य खर्चों पर शिविर समाप्ति के उपरान्त 30798.40 रुपये व्यय किये गये हैं।

(5) जी हां। उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध में आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने विभागीय जांच एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी ने मजिस्ट्रेटियल जांच सम्पन्न की हैं। जांच रिपोर्ट (परिशिष्ट–"ख" व "ग") सदन की मेज पर रख दी गयी हैं। इसके अलावा प्रशासनिक जांच हेतु जिला कलक्टर, बूंदी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास) बूंदी को आदेश दिये गये हैं। इनकी जांच रिपोर्ट अप्राप्त है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर तहसील में आगजनी की घटनाएं

570. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) परबतसर तहसील में वर्ष 1990 जनवरी से जनवरी 1991 तक कितनी आगजनी की घटनायें हुई व उन आगजनी की घटनाओं से पीड़ित परिवारों को किस-किस को कितनी-कितनी सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जो राज्य सरकार के द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है व अग्नि से हुये नुकसान के हिसाब से पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परबतसर तहसील में 1 जनवरी, 90 से 31 जनवरी 91 तक 15 आगजनी की घटनायें हुई हैं। अग्नि पीड़ित परिवारों को 11,675/–रुपये की सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। अग्नि पीड़ित परिवारों को दी गई सहायता राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट "क")।

(2) अग्नि से नुकसान होने पर सहायता विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता। विभाग द्वारा अग्नि पीड़ितों की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सहायता राशि के मापदण्ड अभी हाल ही में बढ़ाये गये हैं।

राजस्थान सरकार परिशिष्ट "क"

सहायता विभाग

तहसील परबतसर में दिनांक 1.1.90 से 31.1.91 तक हुये अग्निकांडों का विवरण :—

क्र. सं.	नाम व्यक्ति व पता	दुर्घटना तिथि	कुल क्षति	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	श्री सुखाराम/बिरदाराम गिवारिया, मकराना	4.1.90	6500/–	450/–
2.	,, रामस्वरूप सुखाराम ,, ,,	,,	6000/–	225/–
3.	,, पूसाराम/भोलूराम माली, परबतसर	19.4.90	8000/–	375/–
4.	,, रामदेव/भींयाराम ,, ,,	,,	9500/–	375/–

1	2	3	4	5
5.	श्री बजरंगलाल/भंवरलाल माली परबतसर	19.4.90	8000/-	300/-
6.	,, ग्यारसी/भगनाराम ,, ,,	,,	6000/-	300/-
7.	,, धन्नाराम/भंवरलाल ,, ,,	,,	10000/-	450/-
8.	,, सुखाराम/भंवरलाल ,, ,,	,,	8000/-	300/-
9.	,, भोलूराम/भगनाराम ,, ,,	,,	5000/-	150/-
10.	,, भींयाराम/भगनाराम ,, ,,	,,	8000/-	300/-
11.	,, हरदीनराम/भोलूराम ,, ,,	,,	10000/-	500/-
12.	,, गोविन्दराम/गणेशराम ,, ,,	,,	9500/-	450/-
13.	,, रामस्वरूप/गंगाबक्स ब्राह्मण ,,	,,	5000/-	375/-
14.	,, उदाराम/टीकूराम जाट, खेडिसीला	30.1.90	30735/-	300/-
15.	,, मदनलाल/बजरंगदास, बीचावा	15.5.90	4000/-	300/-
16.	,, रिदकरण/नारायण, जाट, पीलवा	15.6.90	4000/-	300/-
17.	,, श्रवणराम/नारायणराम, खड़ियास	19.10.90	6000/-	300/-
18.	,, हुकमाराम/अमराराम भाबी, इटावाखिचिया	9.5.90	7000/-	375/-
19.	,, भैरूराम/रूपाराम जाट बांसडा की ढाणी	25.5.90	12000/-	500/-
20.	,, पूसाराम/तारूराम बावरी, बिसास	12.8.90	7950/-	400/-
21.	,, किसनाराम/भैरूराम भाबी, गोरजी का पूरा	21.8.90	16000/-	500/-
22.	,, नोरंगसिंह/सबलसिंह, राजपूत नडबा	1.11.90	21500/-	500/-
23.	,, धोकलसिंह/चन्द्रसिंह रोहिण्डी	30.10.90	30570/-	500/-
24.	,, नारायण/टीकूराम जाट खेडिसीला	19.10.90	52140/-	400/-
25.	,, आसूराम/देवाराम डूडिया	14.10.90	13400/-	375/-
26.	,, दुर्गाराम/देवाराम भाबी, डुडिया	,,	10100/-	375/-
27.	,, देवाराम/पूसाराम गूजर, कचोलिया	7.1.90	13200/-	500/-
28.	,, पेमाराम/भींकाराम भाबी, रतनास	19.12.90	65225/-	1500/-
	योग :		3,93,320/-	11675/-
29.	,, नाथूराम/भागूराम, भाबी, इटावा खिचिया	9.5.90	14600/-	अस्वीकृत
	कुल योग :		4,07,920/-	11675/-

[redacted]

306

राज्य में नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के चुनाव

571. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चुनाव मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कितनी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव बाकी हैं ? उन नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के चुनाव निश्चित रूप से कब तक करा दिये जायेंगे ?

(2) राज्य में कितनी नगर पालिकायें व नगर परिषद् चुनी हुई हैं ? कितनी में कितने अर्से से प्रशासक नियुक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर परिषद् को निगम बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 44 नगर परिषद् / नगर पालिकाओं के चुनाव बाकी हैं। इनमें यथा सम्भव शीघ्र ही चुनाव करा दिये जायेंगे।

(2) राज्य में जिन नगर परिषद/पालिकाओं में चुनाव हो गए हैं एवं जहां-जहां प्रशासक नियुक्त हैं इसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जोधपुर नगर परिषद् को नगर निगम बनाया जाना विचाराधीन है।

चुनी हुई नगर परिषदें / पालिकाओं की सूची

क्रमांक 1	नगर परिषदें/पालिकायें 2	क्रमांक 1	नगर परिषदें/पालिकायें 2
1.	अजमेर	11.	विजय नगर
2.	ब्यावर	12.	खेरली
3.	किशनगढ़	13.	तिजारा
4.	भीलवाड़ा	14.	खैरथल
5.	चूरू	15.	बहरोड़
6.	श्रीगंगानगर	16.	राजगढ़
7.	पाली	17.	कुशलगढ़
8.	सवाई माधोपुर	18.	देशनोक
9.	केकड़ी	19.	नोखा
10.	सरवाड़	20.	शाहपुरा

(307)

1	2
21.	गंगापुर
22.	जहाजपुर
23.	मांण्डल
24.	आसीन्द
25.	गुलाबपुरा
26.	माण्डलगढ़
27.	बयाना
28.	डीग
29.	कामां
30.	नदबई
31.	बैर
32.	कुम्हेर
33.	भुसावर
34.	नगर
35.	धौलपुर
36.	बाडी
37.	राजाखेड़ा
38.	बून्दी
39.	लाखेरी
40.	केशवराय पाटन
41.	नैनवा
42.	कापरेन
43.	इन्द्रगढ़
44.	प्रतापगढ़
45.	छोटी सादड़ी
46.	बड़ी सादड़ी
47.	कपासन
48.	बेगू
49.	रतनगढ़
50.	सुजानगढ़
51.	सरदार शहर
52.	श्रीडूंगरगढ़
53.	देवगढ़
54.	छापर
55.	बीदासर
56.	रतननगर
57.	तारानगर
58.	राजलदेसर
59.	डूंगरपुर
60.	सागवाड़ा
61.	रायसिंहनगर
62.	गजसिंहपुर
63.	नोहर
64.	संगरिया
65.	करणपुर
66.	अनूपगढ़
67.	भादरा
68.	सादुलशहर
69.	सलूम्बर
70.	पदमपुर
71.	केसरीसिंहपुर
72.	श्रीविजयनगर
73.	पीलीबंगा
74.	रावतसर
75.	चौमूं
76.	सांभर

1	2	1	2
77.	दौसा	105.	सूरजगढ़
78.	बांदीकुई	106.	उदयपुरवाटी
79.	मनोहरपुर	107.	पिपाड़सिटी
80.	चाकसू	108.	बिलाड़ा
81.	कोटपूतली	109.	बारां
82.	फुलेरा	110.	रामगंजमण्डी
83.	जोबनेर	111.	अन्ता
84.	सांगानेर	112.	नागौर
85.	किशनगढ़ रेनवाल	113.	लाडनूं
86.	लालसोट	114.	मेड़तासिटी
87.	शाहपुरा	115.	कुचामनसिटी
88.	विराटनगर	116.	परबतसर
89.	बसवा	117.	नावां
90.	बस्सी	118.	कुचेरा
91.	बगरू	119.	मूण्डवा
92.	पोकरण	120.	सोजतसिटी
93.	सांचौर	121.	सादड़ी
94.	झालावाड़	122.	बाली
95.	भवानीमण्डी	123.	तख्तगढ़
96.	झालरापाटन	124.	जैतारण
97.	पिडावा	125.	रानीखुर्द
98.	अकलेरा	126.	फालना
99.	नवलगढ़	127.	हिण्डौनसिटी
100.	चिड़ावा	128.	करौली
101.	बगड़	129.	गंगापुरसिटी
102.	खेतड़ी	130.	टोडाभीम
103.	मन्डावा	131.	फतेहपुर
104.	मुकुन्दगढ़	132.	लक्ष्मणगढ़

1	2	1	2
133.	रामगढ़ शेखावाटी	140.	मालपुरा
134.	श्रीमाधोपुर	141.	देवली
135.	खण्डेला	142.	टोडारायसिंह
136.	रींगस	143.	उनियारा
137.	लोसल	144.	राजसमन्द
138.	आबूरोड	145.	फतेहनगर
139.	निवाई	146.	भीन्डर

नगर पालिका/परिषदों की सूची जहां प्रशासक नियुक्त हैं

क्रमांक 1	नाम नगरपालिका/परिषद 2	प्रशासकों की नियुक्ति की दिनांक 3
1.	पुष्कर	4.8.90
2.	अलवर	11.12.73
3.	बाड़मेर	16.2.86
4.	बालोतरा	16.2.86
5.	बांसवाड़ा	16.2.86
6.	बीकानेर	11.12.73
7.	भरतपुर	11.12.73
8.	चित्तौड़गढ़	6.8.77
9.	निम्बाहेड़ा	16.2.86
10.	राजगढ़ (चूरू)	16.2.86
11.	हनुमानगढ़	16.2.86
12.	सूरतगढ़	16.2.86
13.	जयपुर	11.12.73
14.	आमेर	4.8.90

1	2	3
15.	नारायणा	16.2.86
16.	जैसलमेर	4.8.90
17.	जालोर	16.2.86
18.	भीनमाल	16.2.86
19.	सुनेल	16.2.86
20.	झुन्झुनू	11.12.73
21.	बिसाऊ	16.2.86
22.	पिलानी	16.2.86
23.	जोधपुर	17.2.86
24.	फलौदी	16.2.86
25.	कोटा	11.12.73
26.	छबड़ा	16.2.86
27.	डीडवाना	16.2.86
28.	मकराना	16.2.86
29.	सुमेरपुर	29.7.89
30.	सीकर	11.12.73
31.	नीम का थाना	16.2.86
32.	सिरोही	16.2.86
33.	आबू पर्वत	16.7.85
34.	शिवगंज	16.2.86
35.	पिण्डवाड़ा	16.2.86
36.	टौंक	11.12.73
37.	उदयपुर	11.12.73
38.	नाथद्वारा	4.8.90
39.	मांगरोल	16.2.86
40.	सांगोद	16.2.86
41.	छीपाबड़ौद	16.2.86
42.	कैथून	4.2.78
43.	आमेट	5.10.77
44.	कानोड़	5.8.77

(311)

कैलादेवी मन्दिर के गुंसाई के विरुद्ध करौली राजघराने द्वारा की जा रही ज्यादतियां

572. वैद्य गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री कैलादेवी मन्दिर के गुंसाई (पुजारियों) को करौली राजघराने द्वारा जबरदस्ती हटाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी उनको पुजापा नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो देवस्थान विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजघराना करौली द्वारा मन्दिर के पुजारी के विरुद्ध झूठे केस पुलिस में दर्ज कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या देवस्थान विभाग ने इसकी जांच कराई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। दिनांक 25.1.91 से श्री रामगिरी पूजा सेवा कर रहे हैं तथा प्रन्यास द्वारा पुजापा देना बताया गया है।

(3) जी नहीं। ट्रस्ट की ओर से वर्ष 1989 में पुजारी श्री रामगिरी के विरुद्ध पूजा के सामान आदि के चोरी की पुलिस में रिपोर्ट की गयी थी। जिस पर बाद जांच अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी। ऐसी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं है। अतः इस विभाग द्वारा जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न संख्या 573

(स्थगित)

तारांकित प्रश्न संख्या 574

(स्थगित)

झालावाड़ जिले में कृषि उपज मंडी यार्ड

575. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले में कितनी कृषि उपज मंडी यार्ड हैं ? उनकी वर्ष भर की क्या क्या आय है ? कृषि उपज मंडी द्वारा गत दो वर्षों में पंचायतों को जोड़ने वाली कौन-कौन सी कहां-कहां तक सड़कें बनाई गई उनमें कितना-कितना बजट खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में किसानों तथा व्यापारियों को पूर्ण सुविधा नहीं है ? कितने व्यापारियों के माल की कितनी बार चोरियां हुईं ? क्या कृषि उपज मंडी की बाउंड्रीवाल की ऊंचाई कम होने से व्यापारियों के माल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इसके लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में कुल 5 कृषि उपज मंडी समितियां क्रमशः झालरापाटन, भवानीमंडी, अकलेरा, चौमहलां एवं खानपुर है। इन मंडियों की वर्ष 1989-90 की आय निम्न प्रकार है :–

(कृषि मन्त्री)

क्र सं.	नाम मंडी	आय लाख रु. में
1.	भवानी मण्डी	18.51
2.	झालरापाटन	15.97
3.	इकलेरा	5.47
4.	चौमहलां	2.27
5.	खानपुर	4.82

गत दो वर्षों में पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	मण्डी समिति	लम्बाई कहां तक कि मी. बनाई गई	लागत व्यय	पंचायत जो जोड़ी गई
	(अ) मण्डी समिति झालरापाटन :			
1.	स. स. डोन्डा	3.60 पंचायत डोन्डा तक	8.19	डोन्डा
2.	स. स. समराई	2.00 पंचायत समराई तक	3.26	समराई
	(ब) मण्डी समिति भवानी मण्डी :			
1.	स. स. गुराडिया	3.50 गुराडियां-माना	5.00	पचपहाड़
2.	स. स सेमला से सरपोई	3.00 सरपोई तक	0.25	सेमला
3.	स. स. हेमडा से मंगेशपुर	5.00 पंचायत मंगेशपुर तक	0.35	मंगेशपुर

(2) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति, भवानीमण्डी द्वारा किसानों तथा व्यापारियों को मुख्य मण्डी यार्ड में पूर्ण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मण्डी समिति में दो व्यापारियों के माल की चोरी एक-एक बार हुई है। कृषि उपज मण्डी समिति की बाउण्ड्रीवाल 5 फुट ऊंचाई की बनी हुयी है। मण्डी समिति की चार-दिवारी को एक मीटर ऊंचा करने हेतु कार्य आदेश जारी किया जा चुका है। निकट भविष्य में कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 576

(स्थगित)

पाली जिले के खराब ट्रान्सफार्मर

577. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में कुल कितने ट्रांसफार्मर खराब हैं ? उन्हें ठीक कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) सहायक अभियन्ता, राजस्थान

(श्री अचलाराम)

राज्य विद्युत मण्डल, रानी व देसूरी (जिला पाली) में अब कहां-कहां ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है ? यह आवश्यकता कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्तमान में 2 पावर (33/11 के.वी.) के ट्रांसफार्मर राणावत व जैतपुरा में क्रमशः 1.5 एम. वी. ए. एवं 1.6 एम. वी. ए. क्षमता के जले हुए हैं, जिनको उपलब्धिनुसार नये अथवा मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर से बदलने के प्रयास जारी हैं। तब तक इनसे प्रभावित क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति समीप के ट्रांसफार्मर से वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा जारी है।

(2) सहायक अभियन्ता, रानी व देसूरी (जिला पाली) के सभी जले हुये ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है। जहां कहीं क्षमता से अधिक भार है वहां नई उप-चौकियां तथा पुरानी उप चौकियों में, प्रतिस्थापित ट्रांसफार्मरों के अतिरिक्त ट्रांस-फार्मर लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विकास अधिकारी पंचायत समिति सांचोर जिला जालौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

578. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर)** : क्या पचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांचोर, जिला जालोर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत दिनांक 17.4.1990 को की गई थी ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्य-वाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सांचोर द्वारा डी.डी.पी. टांके और जीवनधारा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का मुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? किन-किन व्यक्तियों का भुगतान बकाया है ? अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पूर्व विकास अधिकारी, पंचायत समिति सांचोर जिला जालोर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की एफ. आई. आर. दर्ज करवाई गई है तथा जांच चल रही है।

(2) जी नहीं। पूर्व में स्वीकृति के अनुसार भुगतान किया गया था। अप्रैल, 90 के बाद पंचायत समिति सांचोर द्वारा डी.डी.पी. टांके और जीवनधारा के अन्तर्गत कराये गये अनियमित भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर राज्य सरकार के आदेशानु-सार भुगतान नहीं किया गया है। 562 व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया गया, जिसकी सूची संलग्न है। अनियमित भुग-तान के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही न हो तब तक भुगतान करना सम्भव नहीं होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

क्रय-विक्रय संघ डीडवाना को भूमि का बेचान

579. **श्री मनोहर सिंह (लाडनूं)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मनोहर सिंह)

(1) क्या सन् 1966 में तीन बीघा भूमि क्रय-विक्रय संघ डीडवाना को दी गई थी ? यदि हां, तो इसके देने में क्या-क्या शर्तें थीं ?

(2) क्या इसी भूमि को नगरपालिका डीडवाना ने प्रधान श्री चैनाराम के लड़के के ससुर को बिना अधिकार के बेची ?

(3) रेवेन्यू रेकार्ड के मुताबिक आज भी उपरोक्त भूमि क्रय-विक्रय संघ के नाम है एवं संघ इसका लगान अदा करता है ?

(4) क्या उपरोक्त भू-खण्डों पर निर्माण की इजाजत बिना प्रक्रिया अपनाते हुए दी गई ? यदि हां, तो जिस अधिकारी ने गलत इजाजत दी उसके खिलाफ राज्य सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

(5) क्या इन भू-खण्डों पर दुकानों का निर्माण जनवरी, 1990 में हुआ ? क्या तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी तथा प्रशासक नगरपालिका ने एवं कलक्टर ने इस अवैध निर्माण को रुकवाने की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार इस तरह से गैर-कानूनी निर्मित दुकानों को जप्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो सरकार इसमें कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शर्तों के राज्यादेश की प्रति संलग्न है।

(2) नगरपालिका डीडवाना ने इसी भूमि में से 11800 वर्ग गज (2' × 2') भूमि 4 भूखण्डों के रूप में श्री नारायणराम पुत्र सदाराम जाट को बेची। श्री नारायणराम श्री चैनाराम के पुत्र के दादी ससुर बताये गये हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी को निलम्बित किये जाने एवं विस्तृत जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(5) नगरपालिका द्वारा निर्माण की आज्ञा दिनांक 2.12.88 व 7.7.89 को दी गई। यह सही है कि अधिशाषी अधिकारी व प्रशासक ने इसे रुकवाने की कोई कार्यवाही नहीं की। जिला कलक्टर को दुकानों के निर्माण के समय जानकारी नहीं होने से उन्हें रोके जाने की उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(6) यह प्रकरण जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष विचाराधीन है। इस बारे में पृथक से विभाग द्वारा भी विस्तृत जांच करने के आदेश दिये गये हैं। जांच के बाद ही तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

जिलाधीश, नागौर

संख्या एफ 2(88)रे/बी/66 जयपुर, दिनांक 7.4.66

विषय—डीडवाना मार्केटिंग को-आपरेटिव को भूमि शीड स्टोर व गोदाम बनाने के लिये दिये जाने तथा आबादी में बदले जाने के बारे में।

सन्दर्भ—आपका पत्र संख्या रेवेन्यू/1400 दिनांक 18.2.66

उपरोक्त विषय में कस्बा डीडवाना आराजी खसरा नम्बर 885 रकबा 3 बीघा एरिया में परिवर्तित कर को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी डीडवाना को शीड स्टोर व गोदाम बनाने हेतु आवंटन करने का राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है—

आवंटन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में निर्दिष्ट निम्न निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा।

(1) भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर दी जावेगी।

(2) पट्टेदार की इच्छा से पट्टे को 99 वर्ष की और अवधि के पुन: नवीनीकरण (   ) किया जा सकता है।

(3) प्रिमीयम तथा वार्षिक लगान राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3 तथा 5 में उल्लेखित दर से वसूल किया जायगा।

(4) भूमि सिर्फ उसी काम में ली जावेगी जिसके लिये स्वीकृति दी गई है। इसे किसी अन्य व्यापार के काम में नहीं लाया जायगा।

(5) इस भूमि पर इस प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य 2 वर्ष की अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जायगा। ऐसा न किये जाने की दशा में सरकार इस भूमि को वापस ले लेगी तथा इसका कोई मुआवजा भी नहीं देगी।

(6) जब तक पट्टा रहता है पट्टेदार को पट्टे पर दी गई भूमि पर सीमित दायित्व रहेगा तथा उद्योग विकास हेतु ऋण लेने के प्रयोजनार्थ ही अभिहस्तांतरण का अधिकार होगा।

(7) दस्तावेज का निष्पादन कराया जायेगा तथा भूमि का लगान और प्रिमीयम पट्टेदार द्वारा उसी तारीख को वसूल किया जायेगा कि जिस तारीख को पट्टेदार उक्त प्रयोजन के लिये भूमि पर अपना कब्जा करता है।

(8) पट्टेदार सरकार द्वारा उक्त विषय पर बनाये गये एतत्पश्चात् बनाये जाने वाले नियमों का पालन करेगा।

सम्बन्धित कागजात भेजे जा रहे हैं।

कार्यालय जिलाधीश, नागौर

क्रमांक–4943 दिनांक 16.5.66

प्रतिलिपि :—

1. अध्यक्ष डीडवाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. डीडवाना के पास भेजकर लेख है कि माफिक आदेश लीज एग्रीमेंट लिखकर पेश करें।
2. तहसीलदार डीडवाना के पास सूचनार्थ मौके पर भूमि का नेखमबन्दी कराई जावे व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे।
3. अध्यक्ष, नगरपालिका, डीडवाना सूचनार्थ।

अपठ

जिलाधीश, नागौर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 मार्च, 1991)

अपना गांव अपना काम योजना

245. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अपना गांव अपना काम योजना सरकार द्वारा कब स्वीकृत की गई ? इस योजना का प्रारूप व मार्ग-दर्शिका जिला मुख्यालयों पर जिला अभिकरणों पर कब तक भेजी गई ?

(2) इस योजना के स्वीकृत होने व प्रसारित होने के बाद कितनी राशि प्रदेश की जनता ने विभिन्न जिला अभिकरणों में जमा करवाई ? कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये स्वीकृत की गई ?

(3) ऐसी कितनी राशि है जो जनता की ओर से जमा करवा दी गई है किन्तु राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि मन्जूर नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) "अपना गांव अपना काम" योजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.1.91 से स्वीकृत की गयी। इस योजना का प्रारूप व मार्ग-दर्शिका जिला मुख्यालयों पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दिनांक 1.1.91 को भिजवाया गया। इस सन्दर्भ में विस्तृत निर्देश दिनांक 8.2.91 को भिजवाये गये।

(2) इस योजना के स्वीकृत होने व प्रसारित होने के बाद राज्य में रु.148.06 लाख की राशि प्रदेश की जनता ने विभिन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में जन सहयोग के रूप में जमा करवाई। राज्य सरकार द्वारा इस योजना में विभिन्न कार्यों के लिए रु. 11.38 करोड़ स्वीकृत किये गये।

(3) रु. 49.82 लाख की राशि जनता द्वारा जमा करा दी गई है किन्तु राज्य सरकार द्वारा अभी अपने हिस्से की राशि मंजूर नहीं की गई है। कार्यों की स्वीकृतियां मार्ग-दर्शिका के अनुरूप जारी की जा रही है।

परिशिष्ट–3 परिशिष्ट–"क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 898 की प्रति

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

समक्ष माननीय विशिष्ठ शासन सचिव एवं श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

सूण्डाराम बनाम सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

विषय :—एल. सी. आर. 357/87 के सम्बन्ध में समझौता बाबत।

श्रीमान् जी,

उक्त वाद के दोनों पक्षकारान के समक्ष समझौता सम्पन्न हो गया है। जिसकी मुख्य शर्तें निम्न है :—

1. यह है कि नियोजक श्रमिक श्री सूण्डाराम को सेवा पृथकीकरण की तिथि 2.9.1985 से निरन्तर सेवा में लेने को तैयार है तथा दिनांक 19.8.1989 से नियोजक पक्ष कार्य पर ले लेगा। अर्थात् दिनांक 2.9.1985 से दिनांक 18 8.1989 तक की अवधि की सेवा में व्यवधान नहीं होगा।

2. यह है कि सेवा पृथकीकरण की तिथि से आज की तिथि तक वेतन का क्लेम श्रमिक नहीं करेगा तथा श्रमिक नियोजक के हित में उक्त अवधि का वेतन का क्लेम छोड़ता है।

3. यह है कि श्रम न्यायालय द्वारा घोषित अवार्ड राशि की मांग श्रमिक नहीं करेगा।

4. यह है कि नियोजक द्वारा श्रमिक श्री सूण्डाराम को कार्य ग्रहण तिथि 19.8.1989 से अर्द्धस्थाई घोषित करने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कर दी जावेगी।

5. यह है कि यह समझौता दोनों पक्षों ने बिना किसी दबाव के किया है। जो सनद रहे।

–ह०–

श्रमिक पक्ष श्री सूण्डाराम
प्रतिनिधि पक्ष, एम. के. वेद

नियोजक पक्ष
प्रभारी अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 903 की सूची

नगरपरिषद कार्यालय, टोंक (राजस्थान)

वर्ष 1989-90 में कराये गये विकास कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3
1.	निर्माण कार्य नाली मरम्मत मोहल्ला केलों का नीम	890.00
2.	मिट्टी ड्रेसिंग कार्य घण्टाघर से बड़ा कुआ तक	1,106.00
3.	सड़क मरम्मत कार्य व झींकरा बिछाई शास्त्री नगर	1,976.00
4.	मरम्मत कार्य रामलीला रंगमंच, गांधी पार्क	591.00
5.	झींकरा फैलाई कार्य मालपुरा गेट व गेन्दी की चौकी से कमेला रोड़ तक	1,976.00
6.	झींकरा फैलाई कार्य गर्ल्स स्कूल रोड़ व कमेला रोड़	1,976.00
7.	मरम्मत नाला घण्टाघर के पास	3,949.00
8.	मरम्मत व रोड़ क्रास गर्ल्स स्कूल रोड पर सबीलशाह चौकी के पास	1,923.00
9.	मरम्मत रोड़ (खरंजा) गोल चबूतरा मोहल्ला देसवालियान, पुरानी टोंक	1,552.00
10.	विभिन्न वार्डों में झींकरा बिछाई कार्य	1,976.00
11.	मरम्मत नाली अशरत मियां के मकान से नसरुद्दीन के मकान तक, मोतीबाग	1,945.00
12.	निर्माण नाली शफीक मियां के मकान से यासीन मंजिल मोतीबाग, एमानुएल स्कूल के पास	1,848.00
13.	निर्माण नाली पटवारी के मकान से अ० मुजीब के मकान तक, मोहल्ला पायगा	1,938.00
14.	निर्माण नाली वहीद मियां के मकान से सरदार भाई के मकान तक, मोतीबाग	1,964.00
15.	सड़क मरम्मत कार्य घण्टाघर से बड़ा कुआ तक	2,489.00

1	2	3
16.	नाली मरम्मत कार्य रजीउद्दीन के मकान से मुनीर खां की मस्जिद तक	939.00
17.	चुंगी नाका जयपुर रोड, बाईपास के पास बेरियर फाउण्डेशन बनाने का कार्य	733.00
18.	नाला मरम्मत कार्य पांच बत्ती, टोंक	5,594.00
19.	निर्माण नाली नजर बाग से महमूदअली के मकान तक	3,394.00
20.	निर्माण नाली व रोड क्रास, मोती बाग रोड	2,531.00
21.	रोड मरम्मत कार्य व पेशाब घर निर्माण, ताल कटोरा	1,745.00
22.	निर्माण नाली अहमद मियां के मकान से असगर मियां के मकान तक, मोहल्ला पहाड़िया	6,516.00
23.	निर्माण नाली शोरगरान चौराहे से कन्हैया के मकान तक	6,124.00
24.	निर्माण नाली मोहल्ला शेखान, पुरानी टोंक	6 576.00
25.	निर्माण सीमेन्ट रोड, मोहल्ला शेखान, पुरानी टोंक	8,172.00
26.	निर्माण यूरीनल गांधी पार्क के पास, टोंक	5,940.00
27.	निर्माण नाली समशुद्दीन के मकान तक, बहीर	3,776.00
28.	निर्माण नाली मोहल्ला देसवालियान	5,345.00
29.	निर्माण नाली बच्चू माली के मकान से फूलचन्द के मकान तक	14,177.00
30.	निर्माण नाली कचहरी बादुल्ला खां व घेर खातियान	1,641.00
31.	नाला मरम्मत बड़ा कुआ, घण्टाघर व काफला बाजार	2,176.00
32.	झींकरा बिछाई कार्य, मोतीबाग कब्रिस्तान	2,993.00
33.	मरम्मत दीवार गांधी पार्क	9,050.00
34.	मरम्मत रोड़ व नाली नोशेमियां के पुल से गली नसीरजराह	4,840.00
35.	मरम्मत व पुताई पेशाबघर, बस स्टेण्ड	1,801.00
36.	मरम्मत रोड़ क्रास पावरहाउस रोड़, शोरगरान	2,463.00
37.	मरम्मत रोड़ नारायण ठाकुर के मकान से श्री बनवारीलाल एम. पी. के मकान तक	2,143.00
38.	रोड़ क्रास आदि कार्य श्री कंवर बहादुर वकील के मकान के पास, मेहन्दी बाग	3,640.00

1	2	3
39.	निर्माण नाली भौरीलाल के मकान से देवली रोड़	21,195.00
40.	धन्ना तलाई की फ्लड चेनल कार्य (सफाई)	9,970.00
41.	सुलभ शौचालय परिवर्तन कार्य	45,16,094.00
42.	निर्माण दुकानात बंबोरगेट के पास ब्लाक 1 से 5 तक	41,498.00
43.	निर्माण दुकानात हायर सैकण्डरी स्कूल के पास, कोठी नातामाम, ब्लाक 1 से 5 तक	45,675.00
44.	निर्माण 5 दुकानात पवेलियन ग्राउण्ड के पास बहीररोड़	43,668.00
45.	निर्माण 5 दुकानात बंबोरगेट के पास ब्लाक 6 से 10 तक	52,784.00
46.	निर्माण 5 दुकानात हायर सैकण्डरी स्कूल के पास, ब्लाक 6 से 10 तक	43,169.00
47.	निर्माण 5 दुकानात नन्दामाली के मकान के पास, कालेजरोड़	15,125.00
48.	निर्माण बी. टी. रोड़ व नाली रामसुखा तेली से निवाई गेट तक	33,765.00
49.	निर्माण बी. टी. रोड व नाली पांच बत्ती से कुम्हारों की चौकी तक	84,255.00
50.	निर्माण बी. टी. रोड व नाली नेशनल हाईवे रोड से कुआ रेगरान, छावनी टोंक	75,881.00
51.	निर्माण बी. टी. रोड व नाली मोदीखाना पुलिया से राज. माध्य. विद्यालय, वाया राज टाकीज रोड	35,521.00
	योग :	51,49,108.00

आयुक्त,
नगरपरिषद्, टोंक

नगरपरिषद कार्यालय, टौंक (राजस्थान)

दिनांक 1.4.1990 से 15.2.1991 तक कराये गये निर्माण कार्य

क्र. सं.	नाम कार्य	व्यय राशि
1	2	3
1.	निर्माण सीमेन्ट रोड व नाली फूलचन्द कारीगर के मकान से श्री ईद मोहम्मद के मकान तक	5,330.00
2.	रोड क्रास मुनीर खां की मस्जिद के पास व डा. बेनीप्रसाद के मकान के पास	2,409.00
3.	नाला कवरिंग नीयर आजाद पब्लिक स्कूल, छोरगरान	433.00
4.	किदवई पार्क के कुए में चूड़ियां बैठाई व रेबन निकालना	6,471.00
5.	निर्माण नाली महताब के मकान से किशन के मकान तक पचकुइयां दरवाजा	1,949.00
6.	विवेकानन्द कालोनी में लाइनिंग कार्य	715.00
7.	बारबेड वायर फिक्सिंग अस्पताल के पास	420.00
8.	विभिन्न स्थानों पर बोर्ड लगाना	846.00
9.	ईदगाह रोड पर भींकरा बिछायी कार्य	390.00
10.	अमजदअली खां के मकान के पास झींकरा बिछाई कार्य	540.00
11.	निर्माण बी. टी. रोड व नाली मोदीखाना पुलिया से राज. माध्य. विद्यालय तक वाया राज टाकीज रोड	13,129.00
12.	निर्माण बी. टी. रोड व नाली नेशनल हाइवे से कुआ रेगरान, छावनी	22,647.00
13.	निर्माण बी. टी. रोड व नाली पांच बत्ती से कुम्हारों की चौकी तक	30,059.00
14.	निर्माण बी. टी. रोड व नाली रामसुखा तेली के मकान से निवाई गेट तक	10,193.00
15.	सुलभ शोचालयों का परिवर्तन	7,26,329.00
	योग :	8,21,860.00

आयुक्त,

नगरपरिषद, टौंक

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 908 का विवरण **प्रपत्र "अ"**

हैण्डपम्पों से लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	लगाए गए हैण्डपम्पों की संख्या
1–	गजनाई	5
2–	खारनी खेड़ा	2
3–	पचानपुरा	5
4–	मालनी	3
5–	बगड़ी	12
6–	मेगदड़ा	1
7–	रामगढ़ सोडेलाव	8
8–	अमरपुरा	5
9–	लालपुरा	2
10–	सराधना	7
11–	सबलपुरा	4
12–	जगमालपुरा	6
13–	बड़ी पोल (नया राजस्व गांव)	3
14–	रामावास	6
15–	खींवल (नया राजस्व गांव)	5
16–	आसन जिलेलाव	5
17–	केसरपुरा	6
18–	बोलिया	3
		88

उपरोक्त 88 हैण्डपम्पों में से 2 खराब, 6 सूखे हैं तथा 8 परित्यक्त हैं। शेष 72 हैण्डपम्प कार्यरत हैं।

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 913 का विवरण

स्टाफिंग पेटर्न के अतिरिक्त कर्मचारियों की सूची न. पा. सूरतगढ़

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद का नाम
1.	श्री शंकर लाल शर्मा	सहायक राजस्व निरीक्षक
2.	,, रमाकान्त मुंजाल	स्वच्छता निरीक्षक ग्रेड प्रथम
3.	,, गुरूदेव सिंह	सहायक स्वच्छता निरीक्षक
4.	,, गुलाब चन्द बंसल	कार्यालय सहायक
5.	,, ओम प्रकाश पुत्र श्री थावरी	जमादार
6.	,, दुलाराम डूडी	सब नाकेदार
7.	,, संतलाल भार्गव	सब नाकेदार
8.	,, राम सोनगरा	सब नाकेदार
9.	,, राजाराम बांसवाल	सब नाकेदार
10.	,, नोपाराम	सब नाकेदार
11.	,, राजाराम पुत्र बालू	सब नाकेदार
12.	,, राम कुमार शर्मा	सब नाकेदार
13.	,, बिहारी लाल ओझा	सब नाकेदार
14.	,, हनुमान प्रसाद मोरियार	सब नाकेदार
15.	,, मनोहर लाल	नाकागार्ड
16.	,, देवेन्द्र कुमार	नाकागार्ड

क्रम संख्या 1 का पदोन्नति केस मुन्सिफ न्यायालय में विचाराधीन है।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 916 की सूची

कोटा जिले में पीने योग्य पानी से अभावग्रस्त ग्राम

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	जनसंख्या 1981 के अनुसार	जनसंख्या वर्तमान अनुमानित आबादी	कुल स्थापित हैण्डपंप	चालू हैण्डपंप
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गोढडाकलां	75	पीपल्दा	652	848	4	2
2.	शेरगढ़	76	,,	166	300	2	1
3.	गंरूला	91	,,	168	219	2	1
4.	रघुनाथपुरा	114	,,	147	215	2	1
5.	भरूपुरा	136	,,	98	128	2	1
6.	नारायणपुरा	150	,,	145	250	2	1
7.	देवखेडली	202	,,	471	630	2	1
8.	श्रीपुरा	207	,,	392	510	2	1
9.	काकरा	206	,,	410	533	2	1
10.	कवलदा	220	,,	624	812	2	1
11.	चान्दा	159	,,	235	400	2	1
12.	सांगाहेडी	5	दीगोद	262	341	2	1
13.	खेडलीखुश्क	2	,,	189	246	2	1
14.	रामपुरिया	16	,,	462	601	2	1
15.	मोराना	27	,,	746	1000	4	2
16.	ककरावदा	42	,,	497	650	3	1
17.	श्योपुरा	42	,,	261	400	2	1
18.	प्रेमपुरा	102	,,	248	325	2	1
19.	उकलदा	123	,,	261	400	2	1
20.	कालारेवा	126	,,	190	300	2	1

625

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	करीरखेडा	139	बीगोद	312	406	2	1
22.	चौसा	143	,,	504	670	3	1
23.	पीपल्दा बीरम	37	,,	645	839	2	1
24.	खोरली बावडी	82	रामगंजमण्डी	163	212	2	1
25.	काल्याखेडी	48	,,	239	400	2	1
26.	सोगखेडी	114	,,	577	580	2	1
27.	दुराकाली	118	,,	298	400	2	1
28.	नलोतिया	143	,,	696	905	4	2
29.	बेलियाखेडी	152	,,	122	169	2	1
30.	अमृतखेड़ी	156	,,	367	478	2	1
31.	अर्जुनपुरा	20	लाडपुरा	1827	2376	8	4
32.	हाकीखेडा	25	,,	374	600	2	1
33.	लखावा	72	,,	614	799	4	2
34.	धर्मपुरा	81	,,	385	501	2	1
35.	जामपुरा	52	,,	196	255	2	1
36.	रांक्याखेडा	92	,,	505	700	3	1
37.	केशवपुरा	153	,,	98	117	2	1
38.	जोहनपुरा	159	,,	385	501	3	1
39.	मांडलगढ़	155	,,	345	449	3	2
40.	लोटिया	179	,,	84	110	2	1
41.	गंहावदा	9	सांगोद	151	250	2	1
42.	करीडिया	18	,,	119	200	2	1
43.	देगानिया	60	,,	794	1053	5	2
44.	संगानीपरा	81	,,	735	950	4	2
45.	बीयोनी	92	,,	597	777	4	2
46.	जगदीशपुरा	129	,,	310	400	2	1
47.	बहेडिया जागीर	168	,,	352	458	2	1
48.	थूमडा	1	,,	291	370	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	किशनपुरा	176	सांगोद	656	845	5	2
50.	दौराडी	158	,,	299	376	2	1
51.	लटूरा	152	,,	239	311	3	1
52.	कारीखेडी	1	छबड़ा	161	–	2	1
53.	मीलखेडा	7	,,	438	–	2	1
54.	उमरथाना	10	,,	379	–	2	1
55.	मेहरपुरा	56	,,	260	–	2	1
56.	कोलुखेडी	73	,,	274	–	2	1
57.	छटटा	79	,,	430	–	2	1
58.	माणकचौक	98	,,	179	–	2	1
59.	घाटी	103	,,	319	–	1	–
60.	पटना	120	,,	393	–	1	–
61.	केडिया चोर	139	,,	416	–	2	–
62.	विशनखेडी	155	,,	366	–	2	1
63.	मिसरोली	54	बारोद	128	–	–	5
64.	बरवाडा	81	,,	373	–	2	1
65.	पीपलखेरा	102	,,	724	–	4	2
66.	अमरपुरा	132	,,	492	–	2	1
67.	फूटी बारोद	150	,,	519	–	4	2
68.	खानसिया	172	,,	175	–	2	1
69.	बजाजपुरा	179	,,	423	–	2	1
70.	कांवडिया	102	,,	307	430	2	1
71.	वाराखेडी	119	,,	410	574	2	1
72.	सकतपुरा	62	,,	1928	2700	–	–
73.	बालापुरा जनकपुरा	61	किशनगंज	227	318	2	–
74.	माधोपुरा	56	,,	300	420	3	1
75.	असनावर	6	,,	576	806	3	1
76.	रामगढ़	23	,,	1467	2054	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	गारूडा	86	किशनगंज	1860	2604	11	2
78.	कून्डी	139	,,	979	1371	3	1
79.	रानीबारोड	105	,,	964	1340	7	1
80.	जालवाडा	163	,,	2148	3007	10	1
81.	रेलवान मजरा छप्पनपुरा	68	,,	2114	2260	11	1
82.	रनवासा	119	,,	151	211	2	1
83.	बान्डा कालान	194	,,	131	183	2	1
84.	तलवाडा	152	,,	170	238	2	1
85.	हटरी	208	,,			2	1
86.	सीमली	2	बांस	655	215	4	2
87.	धारी	46	,,	334	468	2	1
88.	श्यामपुरा	59	,,	390	546	5	2
89.	बामली	79	,,	662	827	3	1
90.	दौलतपुरा	80	,,	524	734	5	2
91.	करनहेडा	110	,,	586	820	2	1
92.	बालापुरा	12	मंगरोल	409	615	4	2
93.	मऊ	26	,,	1330	1862	6	3
94.	जालोदा तेजाजी	30	,,	649	909	5	2
95.	कराडिया	27	,,	153	214	2	1
96.	गोविन्दपुरा	133	,,	576	866	5	2
97.	वहेडिया	152	,,	316	442	3	1

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 922 का विवरण

प्रपत्र "क"

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राज्य में दो लाख से अधिक आबादी वाले पांच निम्नांकित नगरों को किसी नदी से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है :–

1.	जयपुर	बाणगंगा नदी के बेसिन पर बना रामगढ़ बांध, जयपुर शहर की पेयजल योजना का एक प्रमुख स्रोत है।
2.	जोधपुर	जवाई नदी पर बना जवाई बांध व हेमावास जलाशय जोधपुर शहर के प्रमुख पेयजल स्रोत है।
3.	बीकानेर	बीकानेर शहर को लूणकरणसर लिफ्ट कैनाल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह लिफ्ट कैनाल इन्दिरा गांधी मुख्य नहर से निकली है। इन्दिरा गांधी मुख्य कैनाल का उद्गम व्यास व सतलज नदियों पर बने हरिके बैराज है।
4.	कोटा	कोटा शहर को चम्बल नदी से पानी दिया जा रहा है।
5.	उदयपुर	उदयपुर शहर के विद्यमान स्रोतों में पिछोला झील प्रमुख स्रोतों में से एक है। इस झील में उडसिया नदी पर बने देवास प्रथम नामक बांध से जल प्रवाह मोड़ा जाता है।

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 923 का विवरण

क्र.सं.	विवरण	मद	अनुमानित राशि (लाख रु. में)
1.	(अ) **स्वीकृत योजनाएं**		
	तहसील नीमका थाना के 35 ग्रामों में 43 नम्बर खेल कोठों को चालू करने की स्वीकृति	ए.आर.पी.	29.74
	(ब) **स्वीकृति हेतु प्रस्तावित योजनाएं**		
	60 ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 65 ग्रामीण योजनायें के अक्यूमेन्टेशन हेतु प्रस्ताव।	ए.आर.पी.	273.62

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 925 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के अन्तर्गत ग्रामों की प्रगतिरत योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का प्रकार	गांव का नाम
1	2	3	4
1.	बागावास-बरनावास	क्षेत्रीय	(1) माडपुरा
			(2) खानुडा
			(3) बरनावास जागार
			(4) बरनावास चारणान
			(5) सिमरखिया
			(6) साथुनी चारनान
			(7) साथुना पुरोहितान
			(8) बागावास
			(9) केनकोट
2.	धुम्ली–थाव	"	(1) बनियावास
			(2) मेगावास
			(3) चक चारनोट
			(4) मोहनपुरा
			(5) डंडाला
			(6) नेरली
			(7) इकरली
			(8) पतासर
3.	धुम्बली-रोडवा	"	(1) रोडवा कल्ला
			(2) रोडवा खुर्द
			(3) गंगावास
			(4) जास्ली

1	2	3	4
			(5) निम्बानिया
			(6) मंडली
			(7) बलाऊ जाटी
			(8) बलाऊ शासन
			(9) परालिया शासन
			(10) थुम्बली
			(11) परालिया घामट
			(12) बानावास
			(13) कोरना
4.	गवालनाडा गोदावास	क्षेत्रीय	(1) गवालनाडा
			(2) गोदावास
			(3) शिवनगरी
			(4) हुलिया
			(5) नगाना
5.	साराना सरवडी	,,	(1) साराना
			(2) सरवडी
			(3) पटाऊ खुर्द
			(4) पटाऊ कल्ला
			(5) घडसी का बाडा
			(6) बाटु का बाडा
			(7) कुडा

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 926 की सूची

स्वीकृत योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	मद	स्वीकृत गांवों का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बेडास कलां	7.94	तकनीकी मिशन	1. बेडास कलां 2. नथावडा	
2.	बासनी जग्गा	4.16	,,	1. बासनी जग्गा	
3.	खानपुरा	5.51	,,	1. खानपुरा	
4.	गोरेडी चाचा	27.13	,,	1. गोरेडी चाचा 2. गोरेडी करना 3. बगडावास	
5.	नून्द-गुन्दीसर	11.40	,,	1. नून्द 2. गुन्दीसर	
6.	चूडिवास-सण्डास	12.77	,,	1. बच्छवास 2. सण्डास 3. अलवास 4. चूडियास 5. जोधडास	
7.	कंवाल	9.25	,,	1. डाबोली मीठी 2. डाबोली खारी 3. कंवाल 4. भंवरिया	
8.	बूटाटी	16.63	,,	1. बूटाटी	
9.	चकढाणी	6.05	,,	1. चकढाणी 2. पूनास 3. सांवलियावास	

1	2	3	4	5	6
10.	रामसरी	11.39	तकनीकि मिशन	1. रामसरी	
				2. तिलानेस	
				3. डुमानी	
11.	पुण्डलोता	11.51	,,	1. पुण्डलोता	
12.	लंगोड़	5.69	,,	1. लंगोड	
13.	ईडवा-मोडिरिया	42.97	,,	1. ईडवा	
				2. मोडिरिया	
				3. सुन्दरी	
				4. चाचियावास	
				5. भंवरला	
14.	गुढ़ा	5.79	ए.आर.पी	1. गुढ़ा	
15.	बासनी नरसिंह	4.24	,,	1. बासनी	
16.	ओरियाना	5.38	,,	1. बोफली	
				2. ओरियाना	
17.	भारली चाडास	10.24	,,	1. भारली	
				2. बरना	
				3. चाडास	

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 930 की सूची

ट्राइसम योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर व्यय की गई राशि का विवरण—

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम एवं स्थान	प्रशि. का प्रकार	प्रशिक्षितों की संख्या	व्यय राशि
1	2	3	4	5
वर्ष 1989-90				
1.	ओ. प्र. स. बून्दी	जनरल मेकेनिक	11)	
2.	,, ,,	हाउस वायरिंग	25)	1,42,622/-
3.	,, ,,	मोटर वाइंडिंग	11)	
4.	,, ,,	हिन्दी स्टेनो	11)	
5.	जि. ग्रा. व्य. प्र. एवं उद्यमकर्ता वि. केन्द्र कोटा	हैण्डपम्प	20	20,777/-
6.	म. पा. वि. अभिकरण बून्दी	मत्स्य पालन	11	2902/-
7.	रायथल प. स. तालेड़ा	कुर्सी केनिंग	5	2897/-
8.	रायथल प. स. तालेड़ा	कारपेन्टरी	5	2970/-
9.	तालेड़ा पं. स. तालेड़ा	कुर्सी केनिंग	4	2972/-
10.	सहण पं. स. नैनवा	साइकिल रिपेयर	3	1350/-
11.	करवर पं. स. नैनवा	गोटाकारी	3	1330/-
12.	धानेगां पं. स. नैनवा	गोटाकारी	3	800/-
13.	लाखेरी खुर्द पं. स. के. पाटन	कारपेन्टरी	3	1704/-
14.	इन्द्रपुरिया पं. स. के. पाटन	कारपेन्टरी	2	उपस्थिति प्राप्त नहीं होने से भुगतान नहीं किया गया।
वर्ष 1990-91				
1.	मत्स्य पालन विकास अभि. बून्दी	मत्स्य पालन	8	5992/-

335

1	2	3	4	5
2.	जैम स्टोन इण्डस्ट्रीज पार्क दुर्गापुरा, जयपुर	रत्न घिसाई प्रशि.	10	प्रशि. संस्थान द्वारा ही खर्चा वहन किया जाता है।
3.	श्रो. प्र संस्थान बून्दी	जनरल मैकेनिक	18)	
	,, ,,	हाउस वायरिंग	21)	1,16,481/-
	,, ,,	हिन्दी स्टेनो	19)	3 प्रशि. प्रशिक्षण
	,, ,,	मोटर वाइंडिंग	23)	अवधि के बीच में ही छोड़कर चले गये।

स्काइट योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में प्रशिक्षण केन्द्र का स्थान, प्रशिक्षण का प्रकार, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर व्यय राशि का विवरण—

क्र.सं. 1	प्रशिक्षण केन्द्र नाम/स्थान 2	प्रशिक्षण का प्रकार 3	प्रशिक्षितों की संख्या 4	व्यय राशि 5
वर्ष 1989-90				
1.	हरि कामर्शियल टाइपिंग इन्स्टीट्यूट, बून्दी	टाइपिंग	4	5640
2.	अम्बर बेकरी गुरूनानक कालोनी, बून्दी	बेकरी कार्य	8	8821
3.	केनिंग प्रशिक्षण केन्द्र, बून्दी	केनिंग कार्य	4	1876
4.	आदर्श सरस्वती महिला प्रशिक्षण संस्थान, बून्दी	बून्दी बंधेज व रंगाई	16	8856
5.	श्रीमति शीलादेवी जैन, बून्दी	अगरबत्ती कार्य	5	1175

1	2	3	4	5
6.	बाम्बे रेडियो, लाखेरी	रेडियो कार्य	3	1183
7.	अलका बोल्या, बून्दी	प्लास्टिक खिलौना कार्य	5	2350
8.	श्रीमति धनकंवर, रजतगृह बून्दी	आरातारी	4	1878
9.	सीमा अग्रवाल, चेनरासजी का कटला, बून्दी	कशीदा कार्य	3	850
10.	ओमप्रकाश जिल्दसाज, बून्दी	बुकबाईंडिग	4	1259

वर्ष 1990-91

1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बून्दी	वैल्डिग व्यवसाय	12	21800

ट्राइसम योजनान्तर्गत वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में ऋण एवं अनुदान वितरित युवकों की सूची

क्र.सं.	नाम प्रशिक्षित मय पिता	जाति	निवासी	व्यवसाय	ऋण	अनुदान	बैंक का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बाबूलाल/रामनारायण	मेघवाल	लालेड़ा ब्यासान	हैण्डपम्प	1750	1750	पीओबी नमाना
2.	लडुरलाल/मेघलाल	गूजर	,,	,,	2625	875	,,
3.	नेमीचन्द/छगनलाल	रेगर	नमना	मो. वाई.	4000	4000	,,
4.	भंवरलाल/वल्ला	,,	कालानाला	चम कार्य	4200	4200	पीओबी बांसी
5.	मोडू/रामदेव	,,	,,	,,	4200	4200	,,
6.	लोडक्या/माला	,,	,,	,,	4200	4200	,,
7.	मोतीलाल/गोपी	,,	,,	,,	4200	4200	,,
8.	प्रताप/गोपी	,,	,,	,,	4200	4200	,,
9.	मोहन/गोपी	,,	,,	,,	4200	4200	,,
10.	घासी/देवा	,,	,,	,,	4200	4200	,,
11.	सत्यनारायण/कान्हा	,,	,,	,,	4200	4200	,,
12.	प्रभुलाल/भूरा	,,	,,	,,	4200	4200	,,
13.	बाबूलाल/भोला	बेन्समी	जरखोदा	पाइप फिटिंग	1667	833	पीओबी करवर

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	अर्जुन/विशा	कोली	जरखोदा	हैड. मरम्मत	3250	1750	पीओबी करवर
15.	रामप्यारी/ग्यारसा	रेगर	करवर	झाडू	250	250	,,
16.	मूली/बाबूलाल	रेगर	करवर	,,	250	250	,,
17.	नाथी/बाबूलाल	,,	,,	,,	250	250	,,
18.	कवरीबाई/भंवरलाल	,,	,,	,,	250	250	,,
19.	रामप्यारी/बाबूलाल	,,	,,	,,	250	250	,,
20.	राजेन्द्र कुमार/मदनलाल जैन	जैन	सूसां	हा. वायरिंग	4500	1500	पीओआर देई
वर्ष 1990-91							
1.	रामदयाल/आनन्दीलाल	कोली	राजवास	टाईप हाई.	5500	2500	बें.ग्रा. बड़ौदा बूंदी
2.	नाथूलाल/कल्याण	बागरिया	जजावर	हा. वायरिंग	3000	3000	बें.ग्रा. बड़ौदा नैनवा
3.	गोपीलाल/रामचन्द्र	बलाई	गुढा देवसी	रेडियो मर.	2325	2325	,,
4.	गीताबाई/जुवारीलाल	गुर्जर	धानुगांव	प्लास्टिक टोकरी	5377	2688	एस बी.बी.जे. नैनवा
5.	पुष्पाबाई/रामकुमार	नाई	,,	,,	5377	2688	,,
6	रतनीबाई/रामदेव	खटीक	,,	,,	4032	4033	,,

स्काइट योजनान्तर्गत वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में किसी भी प्रशिक्षित युवकों को स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान स्वीकृत नहीं किया है।

(338)

(339)

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 935 की प्रति

बयान हस्ब दफा 161 जा. फो.

बसिलसिले तफतीश मुकदमा नं. 2/91 धारा 448, 147, 149, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. दिनांक 2.1.91 थाना जमवारामगढ़।

श्री मगलाराम पुत्र श्री मूलचन्द जाति कोली उम्र 37 साल निवासी खवारानी ने दरियाफ्त पर बयान किया कि मैं सन् 1986 में पंच ग्राम पंचायत खवारानी जी का सरपंच श्री अजीज खां था। उस समय मैं कभी भी मांगीलाल की जमीन का मौका देखने नहीं गया ना ही मैंने कोई मौका रिपोर्ट ही तैयार की थी ना करवाई थी। अगर मैं मौका देखने जाता तो उस पर मेरे दस्तखत होते यह कागज फर्जी बनाये गये हैं। मैंने जब से होंस सम्भाला है मैंने मकानों में जमीन पर मांगीलाल को ही काबिज देखा है तीन-तीन मोरियों की ढाणी वाले जगदीश सुखदेव वगैरह अपनी ढाणी में रहते हैं। मगर इस जमीन बाबत झगड़े जरूर चल रहे हैं 4–5 साल से झगड़े चल रहे हैं और मुझे कोई पता नहीं है मैं अगर मौके पर पंचायत के आदेश से जाता तो सही मौका रिपोर्ट लिखकर दस्तखत करता।

आर. ओ. एण्ड ए. सी.
एस/डी
(राजेन्द्र प्रसाद)
ए.एस.आई. 9.2.91

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 931 की प्रति

प्रथम ईत्तिला रिपोर्ट

धारा 154, द. प्र. सं. के अन्तर्गत संज्ञेय अपराधों की पुलिस थाना में की गई प्रथम ईत्तिला रिपोर्ट

रिकार्ड कोड : 0/1

1. जिला जयपुर (CR) पुलिस थाना बांदीकुई वर्ष 1991 प्र.ई.रि.सं. 41/91
   3-5 571 6-7 06 8-9 91 10-13 0041/91
2. (अ) अधि. ipc धारा–147–379–366 ipc (ब) अधि. धारा–
   14-15 19 16-24 147379366 ipc 25-26 27-35
3. (अ) प्र.ई.रि. पंजीकरण : दिनांक 24-2-91 36-41 240291
   (ब) अपराध का घटना : वार बृहस्पतिवार 42 5
   दिनांक 21-2-91 43-48 210291
   समय 10 Pm 49 7
   (स) ईत्तिला प्राप्त पुलिस थाना में : दिनांक 24-2-91 समय 12.15 pm
   रोजनामचा आम रि.सं. 889
   (द) पुलिस थाना से प्रेषित : दिनांक 25-2-91 समय 10 pm
   रोजनामचा आम रि.सं ....
4. ईत्तिला की किस्म : लिखित
5. घटना स्थान : आभानेरी
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी पूर्व 8 K M
   (ब) जरायम देही संख्या 2 50-52 002
   (स) जरायम देही की अपराध सं. 1 53-55 001
   (द) बीट संख्या 56-57
   (य) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो नाम पुलिस थाना व जिला
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी :
   (अ) नाम : श्रीनारायण

58-61

(341)

(ब) पिता का नाम : श्री हीरालाल ब्राह्मण उम्र 26 वर्ष

(स) पता P/O तिवाड़ियों की कोठी तन ग्राभानेरी

7. अभियुक्तों की संख्या : ज्ञात……………… अज्ञात………………

82-83 84-85

8. ज्ञात व अज्ञात अभियुक्तों के ब्यौरे : सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

मुलजिमान द्वारा एक राय होकर मुस्त० के भाई की औरत मय जेवर के फरार कर ले गये।

(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें)

9. परिवादी द्वारा ईत्तिला देने में विलम्ब का कारण : बाहर रहना

10. चुराई हुई सम्पत्ति की विशिष्टियां : सोने-चांदी के आभूषण

11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट संख्या यदि कोई हो 86-96

12. विषय वस्तु प्रथम ईत्तिला रिपोर्ट (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें)

सेवा में श्रीमान् थानेदार साहब बांदीकुई विषय मेरे भाई की पत्नी एवं जेवर को जबरन भगाने के क्रम में। मान्यवर, निवेदन है कि दिनांक 21.2.91 की रात्रि को करीब 10 बजे कमलसिंह पुत्र नानग राम गुर्जर निवासी जस्सा पाड़ा एव भोला पुत्र नानगराम गुर्जर निवासी जस्सापाड़ा एवं उसके पांच, छः साथी बन्दूकें लेकर आये एवं मेरे छोटे भाई की औरत सो रही थी। उस घर का किवाड़ खोल कर अन्दर घुस गये तथा कमरे में सो रही मेरे छोटे भाई की औरत चन्दा को उठा कर ले गये मेरे भाई की औरत चिल्लाई जिससे हमारे सब घर वाले एवं आस-पड़ोस के लोग छीतरमल, हरसहाय और बहुत सारे लोग भाग कर आये जिन्होंने बचाने की कोशिश की एवं कमलसिंह को मना किया तथा रोका तो उसने कहा कि मेरे रास्ते में कोई भी आड़े आया तो जान से खत्म कर दूंगा ये कहते हुये हवा में गोली चला दी डर के मारे मेरे घर वाले सब दूर हो गये मुलजिमान जाते-जाते हमारी अटैची भी उठा ले गये। जिसमें कपड़े सोना-चांदी के जेवरात एक नथ, एक टोका, एक हार, कानों के टोपस एवं चांदी की दो जोड़ी पायजेब थे।

मैं हिसार रहता हूं मेरा भाई किशोरीलाल बीमार है। मेरी मां वृद्ध है हमारे पड़ोस का महेश मुझे बुलाने हिसार गया मेरे आने पर मुझे सब घटना घर वालों एवं आस-पड़ोस के लोगों ने बताई। मेरी मां पत्नी औरत जात है एवं भाई बीमार है। जो कहीं आ जा नहीं सकते इस वजह से मैं अब आकर रिपोर्ट कर रहा हूं। मेरे भाई की

पत्नी एवं जेवरात को बरामद मुल्जीमान को पकड़ा जावे। प्रार्थी श्रीनारायण शर्मा श्रीनारायण शर्मा S/o हीरालाल शर्मा कौम ब्राह्मण तिवाड़ियों की कोठी श्राभानेरी श्रीमान जी D.Y.S.P. साहब दौसा उपरोक्त रिपोर्ट मैं दर्ज करवाने हेतु पुलिस थाना बांदीकुई में कल दिनांक 23.2.91 को प्रात: लगभग 10 बजे गया तो पहले तो मेरे को कहा गया कि थानेदार साहब को आने दो बाद में लगभग 6 बजे मेरे से मुन्शी जी ने कहा कि D.Y.S.P. साहब के आदेश करवाकर लाओ। अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि पुलिस थाना बांदीकुई को उपरोक्त रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश प्रदान करें प्रार्थी Sd श्रीनारायण शर्मा Stto बांदीकुई उचित कानूनी कार्यवाही कर सूचित करें। Sd C. O. दौसा 24.2.91

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट श्रीनारायण S/o हीरालाल जाति ब्राह्मण उम्र 26 वर्ष P/o आभानेरी ने उपस्थित थाना होकर पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 366-147-379 ipc के बकू में आना पाया जाता है। अत: मु.नं. 41/91 बदफा मजकूर में कायम किया जाकर मन I/C थाना हरीराम Hc 352 मशरुफ तफतीश हुआ प्रतियां नियमानुसार जारी करते हुये एक नि:शुल्क मुस्तगीस को दी गई।

Sd. हरीराम Hc 352
I/c थाना बांदीकुई
दिनांक 24.2.91
समय 12-15 Pm

Sd. श्रीनारायण शर्मा

प्रथम ईत्तिला रिपोर्ट परिवादी को पढ़कर सुनाई सही लिखा होना स्वीकार किया एवम् एक प्रति नि:शुल्क ईत्तिला देने वाले को दी गई।

हस्ताक्षर थानाधिकारी

हस्ताक्षर/अ. नि. परिवादी

नाम..........................

पद..........................

संख्या..........................

प्रमाणित प्रतिलिपि
थानाधिकारी
पुलिस थाना बांदीकुई
जिला जयपुर ग्रामीण

मोहर

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 940 की सूची

पंचायत समिति आमेर की ग्राम पंचायत रोजदा में
जीवन-धारा योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण
की स्वीकृति निम्न व्यक्तियों
को दी गयी ।

---

1. श्री लिछमणराम पुत्र श्री घीसाराम जाति रैगर, निवासी रोजदा

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 942 का विवरण

क्र.सं.	नाम थाना	वर्ष	वर्ष में कुल दायर अपराध	कितनी सम्पत्ति चोरी गई	बरामदगी की गई	सजायाब हुए व्यक्ति	विशेष विवरण
1.	झाड़ोल	1988	33	79050	38827	शून्य	जेवरात, कपड़े, मवेशी आदि
		1989	24	25004	16965	"	" "
		1990	22	37110	10900	"	" "
2.	फलासिया	1988	6	1020	770	"	चांदी जेवर मुर्गे आदि
		1989	7	11223	3000	"	" "
		1990	17	19633	8460	"	" "
3.	ओगणा	1988	21	71355	1916	"	जेवर, मवेशी, कपड़े आदि
		1989	11	17418	6350	"	" "
		1990	14	34600	20560	"	" "
4.	पानरवा	1988	9	16884	1470	"	कपड़े, मवेशी, जेवर आदि
		1989	8	16025	8500	"	" "
		1990	7	10860	3875	"	" "
5.	कोटड़ा	1988	26	21440	10470	"	जेवर, कपड़े, मवेशी आदि
		1989	38	61931	49941	"	" "
		1990	35	36475	25450	"	" "

(345)

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 944 की सूची **सूची–1**

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (टी.ए.डी.) के अन्तर्गत सागवाड़ा क्षेत्र में
वर्ष 1989 से 90 में स्वीकृत सड़कों की सूची

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	पाडवा से कराडा	एफ 13 (34) सानि/88/ 21.1.90	4.00	6.00
2.	भासोर से पाडवा	,,	2.50	3.00
3.	सरोदा से पाडला	,,	3.00	3.00
4.	सामलिया से पाडवा	,,	5.00	7.00
5.	माही डेम से बुचियावाडा	एफ 13 (34) सानि/88/ 29.11.89	3.00	5.00
6.	गोरेश्वर से दीवडा छोटा	,,	2.00	4.00
7.	गामठवाडा से हडमाला सी.डी. वर्क्स सहित	,,	2.00	8.00
8.	भैसरा – चांडोली	एफ 13 (34) सानि/88/ 14.8.89	4.00	4.00
9.	कटकेश्वर – सरोदा वाया कराडा	एफ 13 (34) सानि/88/ 21.1.90	5.00	7.00
		योग :-	30.50	47.00

परिशिष्ट-18 परिशिष्ट "अ"

अतारांकित प्रश्न संख्या 950 का विवरण

सहायक अभियन्ता, लालसोट उपखण्ड के अधीन तुरन्त प्राथमिकता योजना में दिनांक 28.2.91 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की ग्रामवार सूची

संख्या सूची 1

क्र. सं.	ग्राम का नाम	आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	डीडवाना	15
2.	श्योनन्दा	3
3.	सूरतपुरा	17
4.	लालसोट	14
5.	श्रीरामचन्दपुरा	4
6.	मण्डावरी	16
7.	सोनड	6
8.	दौलतपुरा	10
9.	पटटी किशोरपुरा	1
10.	श्यामपुरा	1
11.	बिनोरी	7
12.	खेडला खुर्द	4
13.	कल्याणपुरा	6
14.	शिवसिंहपुरा	12
15.	महाराजपुरा कला	3
16.	खुर्री	1
17.	चान्दावास	3
18.	किशनपुरा	3
19.	बाढ़ तातर सिंह	3
20.	डूंगरपुर	5
21.	टोडा ढेकला	3

1	2	3
22.	राजोली	6
23.	सलेमपुर	1
24.	बड़ेखन	3
25.	प्रह्लादपुरा	1
26.	खानपुरा	7
27.	खटवा	6
28.	लाखनुपुर	4
29.	बिलौना कलां	15
30.	थूणी धीराजपुरा	6
31.	सुन्दरपुरा	1
32.	तलाब गांव	2
33.	मुकन्दपुरा	1
34.	अभयपुरा	1
35.	भैरूवास	1
36.	गोल	3
37.	सवासा	1
38.	प्रेमपुरा	2
39.	नयाकावास	2
40.	निझरना	1
41.	गूजरहेड़ा	3
42.	अरणिया कला	12
43.	चैनपुरा	1
44.	कुशलपुरा	1
45.	होदायली	2
46.	शाहपुरा	5
47.	पटटी सुलतानपुरा	2
48.	मिर्जापुरा	1

1	2	3
49.	देवली	8
50.	बढ़कापाड़ा	1
51.	अमरावाद	1
52.	चक जगनेर	3
53.	नयावास	1
54.	अजबपुरा	1
55.	बाढोली	1
56.	मौनपुरा	1
57.	जयसिंहपुरा खोर	1
58.	झापदा	2
59.	डिगो	4
60.	नांगल अभयपुरा	1
61.	भाण्डाहेडा	1
62.	सोनन्दा	1
63.	खेडली	1
64.	श्यामपुरा	1
65.	बीडोली	1
66.	टोडाधाम उर्फ गोपालपुरा	2
67.	मतलाना	1
68.	जगनेर	1
69.	बाढ़ सिवसिंहपुरा	1
70.	बाढ सोनन्दपुरा	2
71.	सोनड़ा	1
72.	सहसपुरा	1
73.	कालू का बास	7
74.	बिदरखां	2
75.	हरीपुरा	6

(349)

1	2	3
76.	टोडामीना	1
77.	चान्दसेन	1
78.	गुढा सम्पतपुरा	2
79.	रामसर	1
80.	सुखचैनपुरा	16
81.	रामगढ़ पचवारा	1
82.	भैरूवास	5
83.	भोमूवास	17
84.	श्यामपुरा कलां	1
85.	रामपुरा खुर्द	16
86.	रालावास	5
87.	बुर्जा	1
88.	सिदोली	1
89.	लालपुरा	5
90.	श्रीरामपुरा	28
91.	किराड़ी	7
92.	कोलीवाड़ा	5
93.	गुनहेडा	1
94.	लोरवाडा	6
95.	करनपुरा	1
96.	मूण्डिया	14
97.	बरेड़ी	5
98.	श्रीया	8
99.	प्रहलादपुरा	1
100.	रूपपुरा	1
		439

परिशिष्ट "ब"

सहायक अभियन्ता लालसोट उपखण्ड के अधीन तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत दिये गये कृषि कनेक्शनों का विवरण

क्र.सं. 1	आवेदक का नाम 2	ग्राम का नाम 3	आवेदन तिथि 4	कनेक्शन देने की तिथि 5
1.	छीतर रामजीवन	डीडवाना	27.7.90	16.10.90
2.	काशीराम भवानी राम	सूरतपुरा	28.7.90	31.10.90
3.	ओमप्रकाश कन्हैयाराम	डीडवाना	,,	18.10.90
4.	रामावतार शर्मा	,,	20.7.90	10.1.91
5.	रामनाथ/लाला	सूरतपुरा	,,	4.1.91
6.	रामराय हरदेव	,,	,,	,,
7.	ज्याना काना	लालसोट	,,	31.10.90
8.	कैलाश मुरारी	सूरतपुरा	,,	4.1.91
9.	रतनलाल छीतर	,,	,,	7.1.91
10.	ज्ञाना नानगा	दौलतपुरा	24.8.90	7.1.91
11.	गंगलिया मंगलाराम	,,	,,	,,
12.	घनश्याम रामप्रसाद	पटटी किशोरपुरा	,,	4.1.91
13.	मोतीलाल हरदेव	श्यामपुरा	,,	16.1.91
14.	धर्मपाल फैली	बिनोरी	,,	10.1.91
15.	रामसिंह मनराज	,,	,,	,,
16.	हरजी जयचन्द	,,	,,	,,
17.	मूलचन्द रामकुवार	लालसोट	25.8.90	4.1.91
18.	सत्यनारायण कन्हैयालाल	डीडवाना	27.8.90	8.2.91
19.	रामसहाय रामेश्वर	,,	31.8.90	,,
20.	फूल्या रामदेव	खेडला खुर्द	,,	10.1.91
21.	कन्हैया नानगा	,,	,,	,,
22.	सरिया भौरी लाल	कल्याणपुरा	,,	31.1.91
23.	नहनूराम ग्यारसी राम	शिवसिंहपुरा	,,	10.1.91

(351)

1	2	3	4	5
24.	घनश्याम श्रीमननारायण	महाराजपुरा	31.8.90	18.1.91
25.	रघुनाथ रामदेव	चान्दावास	,,	2.2.91
26.	भौरीलाल बिरदा	चान्दावास	,,	,,
27.	बालेराम कल्याण/हरिया जूथा	सोनड	,,	,,
28.	कानजी नहन्या	किशनपुरा	,,	16.1.91
29.	जूथा पाल्या	दौलतपुरा	1.9.90	7.1.91
30.	महोदव भोला	शिवसिंहपुरा	,,	8.1.91
31.	नन्दा भोमा	,,	,,	26.2.91
32.	छोटूलाल मूलचन्द	लालसोट	,,	21.1.91
33.	रामदयाल जगना	शिवसिंहपुरा	,,	26.2.91
34.	रामानन्द शम्भूराम	डूंगरपुरा	,,	31.1 91
35.	रामपाल रामरतन	दौलतपुरा	3.9.90	19.1.91
36.	जयनारायण मंगला	शिवसिंहपुरा	,,	26.2.91
37.	मिश्रया भजना/हंसा	टोडा ढेकेला	,,	23.1.91
38.	कजोड़ छीतर/भौरया	लालसोट	,,	,,
39.	मिश्रया भजना/हंसा गिराज	टोडाढेकला	,,	,,
40.	नारायण बंशीधर	कल्याणपुरा	,,	,,
41.	जगन्नाथ भौरीलाल	सलेमपुरा	4.9.90	26.2.91
42.	केसरा लक्ष्मीनारायण	बढेखन	,,	,,
43.	जमना मिश्रीलाल	प्रहलादपुरा	,,	31.1.91
44.	बागसिंह किशनसिंह	बढेखन	,,	26.2.91
45.	मोतीलाल भौरीलाल	खटवा	5.9.90	31.1.91
46.	ओंकार रामनाथ	,,	,,	,,
47.	मोतीलाल गंगासहाय	डीडवाना	,,	8.2.91
48.	लल्लुराम अनंती लाल	अभयपुरा	7.9.90	2.2.91
49.	बाल्या मनस्या	गोंल	,,	31.1.91

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 952 की प्रति

IMMEDIATE

URGENT STATE WIRELESS MESSAGE

FROM :

SECRETARY ENERGY

TO :

ALL COLLECTORS
RAJASTHAN

UNDER "KUTIR JYOTI" PROGRAMME FOR INSTALLING FREE OF COST SINGLE POINT LIGHT CONNECTION BY RSEB TO THE RURAL HOUSEHOLDS WHO ARE BELOW POVERTY LINE (.) A TARGET OF CONNECTIONS HAS BEEN FIXED FOR YOUR DISTRICT (.) FOR MONITORING AND IMPLEMENTATION A DISTRICT LEVEL COMMITTEE HAS BEEN CONSTITUTED AS UNDER :

(1) COLLECTOR (2) PROJECT DIRECTOR DRDA
(3) EXECUTIVE ENGINEER RSEB (4) ADDO/DY DDOA (.)

THIS COMMITTEE WOULD FURTHER SUBDIVIDE TARGETS PANCHAYAT SAMITIWISE ON THE BASIS OF RURAL POPULATION BELOW POVERTY LINE AND PERCENTAGE STATUS OF RURAL ELECTRIFICATION (.) BENEFICARIES WILL BE SELECTED FROM THE LISTS OF IDENTIFIED FAMILIES UNDER IRDP ONLY (.) BENEFICIARIES SHOULD BE SELECTED WHOSE HOUSEHOLDS ARE VERY CLOSE TO LT LINES (.)

Not to be Radiographed :

Sd/–
(ASHOK SHEKHAR)
DY. SECRETARY TO GOVERNMENT
ENERGY DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR.

No. F. 3(119) Energy/88 Dated : 10th Nov., 1989.

Copy forwarded to following information & necessary action :

1. Incharge, Wireless Saction, Government Secretariat, Rajasthan, Jaipur for transmitting the above message immediately.
2. PS to Energy Minister, Jaipur.
3. PS to Chief Secretaro, Rajasthan, Jaipur.
4. PS to Secretary SS & IRD, Jaipur.
5. PS to Secretary, Energy Deptt., Jaipur.
6. Chairman, RSEB, Jaipur.
7. Chief Engineer (RE) RSEB, Jaipur.
8. Chief Project Manager, REC, Jaipur.
9. All Collectors, Rajasthan.
10. All SEs, RSEB, Jaipur/Alwar/Kota/Udaipur/Bhilwara/Ajmer/Sikar/Jhunjhunu/Bikaner/Jodhpur/Pali Circle headquarter, Jodhpur.

Sd-

Dy. Secretary to Government.

परिशिष्ट "ब"

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD
(Rural Electrification)

No. RSEB/CE/RE/S&I/SSD/F.4(48)/KJP/89-90/D. 1309 Jaipur,
Dated : 18.11.1989.

SAVINGRAM

SUPERINTENDING ENGINEER (O&M)
RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

UNDER "KUTIR-JYOTI" PROGRAMME LIKE THE PREVIOUS YEAR THE BOARD IS REQUIRED TO RELEASE DURING THE YEAR 1989-90 ALSO FREE COST SINGLE POINT LIGHT CONNECTIONS INCLUDING INTERNAL WIRING

IN CONFORMITY INDIAN ELECTRICITY RULES, 1956, TO THE RURAL POOR LIVING BELOW POVERTY LINE (.) A TARGET OF........................CONNECTIONS HAS BEEN FIXED DISTRICTWISE FOR YOUR CIRCLE AS ENCLOSED (.) FOR MONITORING AND IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME A DISTRICT LEVEL COMMITTEE. UNDER THE CHAIRMAINSHIP OF CONCERNED DISTRICT COLLECTOR, THE PROJECT DIRECTOR DRDA, ADDO/DY. DDO AND THE EXECUTIVE ENGINEER, RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD HAS BEEN CONSTITUTED BY THE DEPUTY SECRETARY (ENERGY) VIDE NO F.3(119)/ENERGY/88 DATED 10TH NOVEMBER, 1989 (.) THE COMMITTEE WOULD FURTHER SUBDIVIDE TARGETS PANCHAYAT SAMITIWISE ON BASIS OF RURAL POPULATION BELOW POVERTY LINE AND PERCENTAGE OF RURAL ELECTRIFICATION (.) BENEFICIARISE WILL BE SELECTED FROM THE LIST OF IDENTIFIED FAMILIES UNDER IRDP ONLY AND FROM THE SUCH HOUSEHOLDS WICH ARE VERY CLOSE TO EXISTING L.T. LINES (.) SUPPLY HAS TO BE DULY METERED AS USUAL AND NORMAL TARIFF HAS TO BE CHARGE FOR ENERGY CONSUMPTION (.) SECURITY DEPOSIT HAS BEEN WAIVED FOR SUCH CONNECTIONS AS A SPECIAL CASE AND OVERRIDING PRIORITY IS TO BE GIVEN FOR RELEASING CONNECTIONS UNDER "KUTI-JYOTI" (.) WIRING CERTIFICATE SHALL BE GIVEN BY THE CONCEREND JUNIOR ENGINEER (.)

SINCE THE PROGRAMME IS TO BE IMPLEMENTED UNDER GRANT-IN-AID @ Rs. 220/- PER CONNECTION FROM GOVERNMENT OF INDIA THROUGH RCE, SEPERATE ACCOUNTS ARE TO BE MAINTAINED FOR EACH CONNECTION RELEASED UNDER "KUTIR-JYOTI" PROGRAMME 1989-90 (.) COMPLETE DETAILED REPORT OF THE WORK DONE AND THE EXPENDITURE INCURRED PER CONNECTION BE SUBMITTED TO F.A. & CONTROLLER OF ACCOUNTS AND CHIEF ENGINEER (RE) (.)

ENXURE EXPENDITUREOUS IDENTIFICATION OF

BENEFICIARIES BY THE DISTRICT LEVEL COMMITTEE AND FORWARD IMMEDIALELY PANCHAYAT SAMITIWISE NUMBERS OF BENEFICIARIES SELECTED/FIXED TO THIS OFFICE FOR FORMULATION OF SCHEME AND CLAIMING GRANT-IN-AID FROM REC (.) COMPLETE THE TARGETS BEFORE THE END OF MARCH, 90 (.) COPY OF WIREREESS MESSAGE SENT TO COLLECTORS/DISTRICT MAGISTRATES BY ENERGY DEPTT. GOVT. OF RAJASTAN IS ENCLOSED FOR INFORMATION (.)

ENCL : AS ABOVE.

Sd/-

(RAGHUNANDAN SWAROOP)
CHIEF ENGINEER (RE)
R.S.E.B., JAIPUR.

Copy alongwith the copy of the wireless massage dated 10.11.89, sent by the Secretary (Energy) Govt. of Rajasthan, Jaipur to all Collectors & Distt. Magistrates, Forwarded to the following for information and action on TOP MOST PRIORITY.

1. The Chief Engineer (O&M-I/II), RSEB, Jaipur.
2. The F.A. & Controllar of Accounts, RSEB, Jaipur.
   He is reqested to allocate adequate Budgt provision @ Rs.220/- per connection allotted to each circle and also issue immediate instructions to the concerned Account Officers to maintain seperate accounts for each beneficiary under the programme as was done during the last finaneial year.
3. The Addl. Chief Engineer, RSEB, Jodhpur.
4. The Dy. Chief Engineer (   ), RSEB, ...

Sd/-

(CHIEF ENGINEER (RE)

Copy also submitted/forwarded to the following for information and necessary action :

1. The Secretary, RSEB, Jaipur.

And agenda note on the subject for the approval of the Board head been sent vide No. RSEB/CE/RE/S&I/SSD/F. 4(48)/KJ/89-90/D. 1217, dated 4.11.89, since time left for the implementation of the decision of the State Govt. is short the above action has been taken in anticipation in view of Board's decisslon on the similar matter last year.

2. The P.S. to Chairman, RSEB, Jaipur.
3. The Chief Project Manager (REC), Jaipur.
4. The Dy. Secretary (Energy), Govt. of Raj., Jaipur.

Sd/-
CHEIF ENGINEER (RE)

परिशिष्ट-"स"

प्रतिलिपि दिनांक 11.1.1990 प्रेषक सूरजमल जैन सरपंच ग्राम पंचायत झलवास प्रेषित सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल नैनवा।

विषय : कुटीर ज्योति के अन्तर्गत निम्न व्यक्तियों को कनेक्शन करने के सन्दर्भ में।

1. लोडक्या पुत्र नैनगा बैरवा
2. गणेश पुत्र मोती रैगर
3. गोपी पुत्र जगन्नाथ तेली
4. हुकमचन्द पुत्र रामनिवास गौड
5. कल्याण पुत्र देवीराम माली
6. हुकमा पुत्र मोडू रैगर
7. भगवाना पुत्र लछमण रैगर
8. रामदेव पुत्र भूरा रैगर
9. सूरजमल पुत्र बिरधीलाल धोबी
10. नवलकिशोर पुत्र पोलु लुहार
11. मंगला पुत्र कजोड़ रैगर
12. घसा पुत्र माधो कुम्हार

13. बजरंगा पुत्र काना खटीक
14. बदरी पुत्र केशरा रैगर
15. तुलशीराम पुत्र हरिश्चन्द्र कुम्हार
16. प्रकाश पुत्र हरला रैगर

परिशिष्ट-"द"

कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत पंचायत तलवास के लाभान्वित व्यक्तियों की सूची—

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम
1.	श्री कल्याण पुत्र देवीलाल माली
2.	„ हुकमा पुत्र मोडू रैगर
3.	„ रामदेव पुत्र भूरा रैगर

कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत पंचायत तलवास के लाभान्वित होने से वंचित रहे व्यक्तियों की सूची —

1. श्री लोडक्या पुत्र नैनगा बैरवा
2. „ गणेश पुत्र मोती रैगर
3. „ गोपी पुत्र जगन्नाथ तेली
4. „ हुकमचन्द पुत्र रामनिवास गौड
5. „ भुवाना पुत्र लछमण रैगर
6. „ सूरजमल पुत्र बिरधीलाल धोबी
7. „ नवलकिशोर पुत्र पोलु लुहार
8. „ मंगला पुत्र कजोड़ रैगर
9. „ धन्ना पुत्र माधो कुम्हार
10. „ बजरंगा पुत्र कान्हा खटीक
11. „ बदरी पुत्र केसरा रैगर
12. „ तुलसीराम पुत्र हरिश्चन्द्र कुम्हार
13. „ प्रकाश पुत्र हरलाल रैगर

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 954 की सूची

तहसील घाटोल में पंचायत समिति क्षेत्र घाटोल में वर्ष 1989-90 के दौरान लाभान्वित किये गये परिवारों का बैंकवार एवं योजना का विवरण—

क्र.सं.	प्रयोजन	स्टेट बैंक आफ बीकानेर जयपुर	बड़ौदा बैंक	राज. बैंक	ग्रामीण बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
1	2	3	4	5	6	7
1.	बैलजोड़ी/बैलजोड़ी मय गाड़ी	99	77	28	20	32
2.	भैंस इकाई	84	40	11	7	12
3.	बकरी इकाई	—	10	—	—	—
4.	ऊंट	—	2	—	—	—
5.	किराणा व मनिहारी	27	22	5	5	1
6.	फोटोग्राफी	1	—	—	—	—
7.	साईकिल स्टोर	4	3	—	—	—
8.	नाई दुकान	2	—	—	—	—
9.	रस्सी व सन कताई	25	37	—	—	—
10.	सुथारी व कुम्हारी	7	37	1	1	1
11.	चमारी	11	9	5	—	12
12.	माईक सैट	—	—	1	—	—
13.	आरा कटर	—	—	—	—	1
14.	तीर उद्योग	—	—	—	—	6
15.	कुआ बंधाई	7	2	—	—	—
16.	आटा चक्की	—	—	—	1	—
17.	सिलाई मशीन	1	3	—	3	—
18.	ई. पी. ए. स.	—	—	—	1	—
19	नव कूप	—	—	—	1	—
20.	पापड़ उद्योग	—	18	—	—	—
21.	हैण्ड पम्प टूल	—	—	1	—	—

359

1	2	3	4	5	6	7
22.	खादी ग्रामोद्योग चारा विकास फल उद्यान, शंकर गौ प्रजनन	64	86	22	24	17
	योग—	332	346	74	63	82

कुल लाभार्थी— 897

परिशिष्ट-II

तहसील घाटोल पंचायत समिति क्षेत्र पीपलखूंट में वर्ष 1989-90 के दौरान लाभान्वित किये गये परिवारों का बैंकवार एवं योजनावार विवरण

क्र.सं.	प्रयोजन	बड़ौदा बैंक	ग्रामीण बैंक	अभिकरण द्वारा
1.	बकरियां	19	27	—
2.	बैल जोड़ी/बैल गाड़ी	30	31	—
3.	भैंस इकाई	11	5	—
4.	ऊंट	—	1	—
5.	किराणा/साइकिल स्टोर	10	7	—
6.	पम्प सैट	4	5	—
7.	चर्म उद्योग	1	1	—
8.	माइक सैट	—	1	—
9.	थ्रैशर मशीन	1	—	—
10.	गाय इकाई	—	1	—
11.	सुथारी कार्य	2	2	—
12.	झाडू पंखी	—	—	30
13.	पत्तल दोना	—	—	29
14.	ब्लास्टिंग	—	—	46
15.	रेशा उद्योग	—	—	13
	योग	78	81	118

कुल लाभार्थी—277

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 959 का विवरण

1–	श्री	हरिवल्लभ/प्रेम जी पटेल	नि.	मेमई
2–	,,	देवा/अमरा चमार	,,	कुआं
3–	,,	हवजी/कुडिया एस.टी.	,,	,,
4–	,,	दीनानाथ/रामशंकर	,,	धम्बोला
5–	,,	कचरू/नगजी पटेल	,,	सलोडी
6–	,,	भमेजी/घूला	,,	उदैया
7–	,,	ईश्वरलाल/जीमन	,,	सिरोही
8–	,,	भवानी शंकर/नाथू	,,	,,
9–	,,	नाथू/जोगना	,,	वसीवल
10–	,,	बालजी/प्रेम जी पटेल	,,	सिलोही
11–	,,	रतनलाल/कानजी (एस.टी.)	,,	बोसिया
12–	,,	देवजी/रूपजी पटेल	,,	उदेल
13–	,,	गेवा/हुका पटेल	,,	राजपूर
14–	,,	महावलाल/अरहेज	,,	पाडलिया
15–	,,	हुकरजी/ढलजी	,,	उदैय
16–	,,	अम्बालाल/हूलागढा	,,	जसराजपुर
17–	,,	मकसी/अमरा एस.टी.	,,	किशनपुरा
18–	,,	सोहन लाल/सोन ,,	,,	रारता
19–	,,	रामा/नान ,,	,,	,,
20–	,,	रामनारायण/विजयसिंह लढावा	,,	गोढला
21–	,,	वासुदेव/मेहराज ,,	,,	सोगलवाडा
22–	,,	किसन/शिवराम लवण	,,	भरणी
23–	,,	मोगजी/प्रताप पटेल	,,	सिलोखी
24–	,,	ईश्वर लाल/दीपालवन	,,	निठाउड
25–	,,	प्रेमशंकर/कंचन पटेल	,,	सिलाडी
26–	,,	केवल जी/गंभीरा	,,	,,
27–	,,	गोवन जी/नगजी पटेल	,,	,,
28–	,,	शम्भूसिंह/संग्रामसिंह राजपूत	,,	भासाव
29–	,,	गोविन्द/जमशेन	,,	ढोला
30–	,,	अहमद/सुलेमान	,,	घाटीपीठ
31–	,,	भारत सिंह/मोहन सिंह	,,	विसिठ
32–	,,	जीवन/भूरा पटेल	,,	निमेमई

361

33–	श्री	शिवराम/प्रेमजी पटेल	नि.	निमेमई
34–	,,	शिवराम/जैना पटेल	,,	बिजोला
35–	,,	राम मोहन/जैना पटेल	,,	बामनिया
36–	,,	चम्पालाल/हुरमा मीणा	,,	महुवाडा
37–	,,	काशीराम/छगनलाल लढाना	,,	ढुढरिया
38–	,,	आनन्द कुवर/लालसिंह	,,	मोलियावाडा
39–	,,	नारायणलाल/जीवनलाल कलाल	,,	झुटाई
40–	,,	प्रेमचन्द/दीपचन्द लदान	,,	सज्जनपुरा
41–	,,	रामेश्वर/नाथू पटेल	,,	झलान
42–	,,	गुलाबसिंह/प्रतापसिंह	,,	,,
43–	,,	भगवान/गोमन पंचाल	,,	,,
44–	,,	भनजी/खातुकीन हकाली	,,	कपरडा
45–	,,	रंगा/जल मीणा	,,	तमकेलिया
46–	,,	धूल/नाकीय कीमा	,,	गढाजराजपुरा
47–	,,	पूजा/अमरा मीणा	,,	रफारी
48–	,,	केशवलाल/लाल	,,	मचडिया
49–	,,	धर्मवीर/कालान	,,	रास्ता
50–	,,	भानजी/चमग	,,	रातडिया
51–	,,	मोगजी/गोवनजी पटेल	,,	,,
52–	,,	गोवजी/जीवनजी पटेल	,,	,,
53–	,,	गोकल जी/धूल	,,	उदया
54–	,,	डायालाल/रतन जी	,,	वकीपाल
55–	,,	धूल जी/नाथू	,,	,,

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न संख्या 960 की सूची

कार्यालय पंचायत समिति, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

ग्राम पंचायत ऊचा से प्राप्त भूमि विक्रय मिशलें जो वित्त कर प्रशासन स्थायी समिति मीटिंग प.स. जहाजपुर दिनांक 13.3.87 प्रस्ताव संख्या 7 से अनुमोदित कर लौटाई गई सूची :–

क्र.सं.	मिशल नम्बर एवं वर्ष	नाम मय पिता	निवासी	राशि
1	2	3	4	5
1.	95/81-82	श्री कानसिंह/मोहनसिंह राजपूत	पीपलून्द	3921/-
2.	73/82-83	श्री सत्यनारायण/रामनिवास	शाहपुरा	4995/-
3.	67/80-81	श्री राजेन्द्रसिंह/गुमानसिंह राजपूत	आमल्दा	3951/-
4.	58/81-82	श्री महेन्द्र कुमार/रामनिवास जैन	देवली	4115/-
5.	121/81-82	श्री जगदीश/मथुरालाल साधू	बिहाड़ा	3951/-
6.	50/80-81	श्रीमती कमलेश/रामसिंह	देवली	4911/-
7.	22/82-83	श्री विष्णु कुमार/माणकचन्द जैन	पीपलून्द	3951/-
8.	19/81-82	श्री त्रिलोकचन्द/रामेश्वर लाल जैन	पीपलून्द	3971/-
9.	44/82-83	श्री प्रदीप कुमार/लक्ष्मणचन्द जैन	पीपलून्द	4981/-
10.	22/81-82	श्री विजयकुमार/नन्दकिशोर	देवली	3931/-
11.	18/81-82	श्री कृष्णगोपाल/रामपाल जाट	पण्डेर	3971/-
12.	17/81-82	श्री देवीसिंह/गुमानसिंह	चांदसेनपुरा	3911/-
13.	90/81-82	श्री मूलचन्द/किशन मीणा	टोडारायसिंह	4521/-
14.	116/81-82	श्री रामकन्या/जगदीश	देवली	3911/-
15.	21/81-82	श्री मुकेश कुमार/भूरालाल शर्मा	घूघरी	3921/-
16.	23/82-83	श्री महावीर कुमार/भूरालाल	,,	4951/-
17.	94/81-82	श्री वीरबहादुरसिंह/भैरूलाल राणावत	डिडूयिच	4991/-
18.	93/81-82	श्री गीतादेवी/हरिसिंह प्रतिहार	टोकड़	3551/-
19.	72/82-83	श्री देवीलाल/लक्ष्मीनारायण जाट	पण्डेर	4998/-

1	2	3	4	5
20.	98/81–82	श्री देवेन्द्रसिंह/गुलाबसिंह राजपूत	ग्रामल्दा	3991/–
21.	15/81–82	श्री नन्दकिशोर/बाबूलाल	देवली	3935/–
22.	120/81–82	श्री भागीरथ/हेमसिंह प्रतिहार	टीकड़	4971/–
23.	20/81–82	श्री बन्नालाल/सुवालाल जाट	रोपा	4951/–
24.	11/82–83	श्री जगदीशचन्द्र/गुलाबचन्द जाट	भोपालपुरा	4225/–
25.	23/81–82	श्री घीसालाल/रूपलाल गूजर	ग्रासरण	3937/–
26.	71/81–82	श्री चान्दमल/शिवनारायण जाट	पण्डेर	4995/–
27.	91/81–82	श्री निर्मला देवी/रमेशचन्द्र अग्रवाल	देवली	4997/–
28.	36/81–82	श्री सुवालाल/लक्ष्मरण जाट	नासरदा	4951/–
29.	19/82–83	श्री रमेशचन्द्र/रामनिवास जैन	देवली	3556/–
30.	40/81–82	श्री गोपालस्वरूप/मूरालाल गौड़	शाहपुरा	4951/–
31.	38/81–82	श्री राजबहादुर/भैरूसिंह राणावत	डिडोइच	4995/–
32.	57/82-83	श्री देवीसिंह/गुलाबसिंह	चांदसेनपुरा	4992/–
33.	6/81–82	श्री रामराय/मोतीलाल मीणा	टोंक	3471/–

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, जहाजपुर

परिशिष्ट-23

अतारांकित प्रश्न संख्या 962 की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	ग्राम पंचायत का नाम	सरपंच का नाम	विभागीय जांच कब से किसके पास विचाराधीन है	पूर्ण हुई या अपूर्ण	वर्ष 86-87 से 90-91 तक गबन की गई राशि का विवरण: पंचायत का नाम	राशि	विशेष विवरण
1.	केकड़ी	खवास	श्री गिरधारीलाल गूजर	11.2.88 पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज	अपूर्ण	कादेडा	5142·63	
						सावर	632·30	
		सरसडी	श्री चांदमल जैन	2.5.88 पुलिस में दर्ज एफ.आई.आर.	अपूर्ण	सलारी	2272·00	
						मेहरूकलां	2034·00	
						मोलकिया	14597·00	
		मोलकिया	श्री नटवर लाल शर्मा	11.1.90 पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज	अपूर्ण	जूनिया	350·00	
						खवास	243·00	
						पारा	93.00	
						बघेरा	932·00	

364

परिशिष्ट-24

अतारांकित प्रश्न संख्या 963 की सूची

क्र.सं. 1	नाम पंचायत समिति 2	जिला 3	क्र.सं. 1	नाम पंचायत समिति 2	जिला 3
1.	गंगरार	चित्तौड़गढ़	25.	डीडवाना	नागौर
2.	भदेसर	,,	26.	पदमपुर	गंगानगर
3.	कपासन	,,	27.	बयाना	भरतपुर
4.	भोपालसागर	,,	28.	सेवर	,,
5.	भैसरोडगढ़	,,	29.	विराटनगर	जयपुर
6.	बेंगू	,,	30.	जमवारामगढ़	,,
7.	अरनोद	,,	31.	सांगानेर	,,
8.	डूंगरगढ़	चूरू	32.	बांदीकुई	,,
9.	माण्डलगढ़	भीलवाड़ा	33.	गोविन्दगढ़	,,
10.	आसीन्द	,,	34.	कोटपूतली	,,
11.	रायपुर	,,	35.	सांभर	,,
12.	जहाजपुर	,,	36.	दूदू	,,
13.	बनेड़ा	,,	37.	चाकसू	,,
14.	शाहपुरा	,,	38.	लक्ष्मणगढ़	सीकर
15.	सहाड़ा	,,	39.	श्रीनगर	अजमेर
16.	सुवाणा	,,	40.	अरांई	,,
17.	माण्डल	,,	41.	बाड़मेर	बाड़मेर
18.	कोटड़ी	,,	42.	बाड़ी	धौलपुर
19.	मेड़तासिटी	नागौर	43.	राजाखेड़ा	,,
20.	जायल	,,	44.	धौलपुर	,,
21.	लाडनूं	,,	45.	आसपुर	डूंगरपुर
22.	मूण्डवा	,,	46.	बिछीवाड़ा	,,
23.	डेगाना	,,	47.	अलसीसर	झुन्झुनूं
24.	कुचामनसिटी	,,	48.	बाली	पाली

1	2	3	1	2	3
49.	जैतारण	पाली	65.	बानसूर	अलवर
50.	खमनोर	उदयपुर	66.	उमरैण	,,
51.	कुम्भलगढ़	,,	67.	मुण्डावर	,,
52.	भीम	,,	68.	थानागाजी	,,
53.	आमेट	,,	69.	उनियारा	टोंक
54.	कोटड़ा	,,	70.	निवाई	,,
55.	बीकानेर	बीकानेर	71.	खण्डार	सवाई माधोपुर
56.	कोलायत	,,	72.	टोडाभीम	,,
57.	बाप	जोधपुर	73.	महुवा	,,
58.	बिलाड़ा	,,	74.	बारां	कोटा
59.	मण्डोर	,,	75.	लाडपुरा	,,
60.	फलोदी	,,	76.	केशोरायपाटन	बून्दी
61.	लूनी	,,	77.	तालेड़ा	,,
62.	सायला	जालौर	78.	डग	झालावाड़
63.	सांचौर	,,	79.	पिड़ावा	,,
64.	जसवन्तपुरा	,,	80.	रतनगढ़	चूरू

(367)

क्र.सं. 1	नाम पंचायत समिति जहां जीप की मांग की है 2	जिला 3	जीप की मांग का वर्ष 4	क्र.सं. 1	नाम पंचायत समिति जहां जीप की मांग की है 2	जिला 3	जीप की मांग का वर्ष 4
1.	सम	जैसलमेर	1989	15.	बडगांव	उदयपुर	1990
2.	सांकड़ा	,,	1990	16.	रेलमगरा	,,	1990
3.	जैसलमेर	,,	1991	17.	राजसमन्द	,,	1990
4.	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	1990–91	18.	सलूम्बर	,,	1990
5.	छोटी सादड़ी	,,	1990–91	19.	भीण्डर	,,	1990
6.	डूंगला	,,	1990–91	20.	सराड़ा	,,	1990
7.	धोरीमना	बाड़मेर	1989–90	21.	गोगून्दा	,,	1990
8.	सिणधरी	,,	1989–90	22.	भीम	,,	1990
9.	चौहटन	,,	1989–90	23.	ईटावा	कोटा	1990
10.	रायपुर	पाली	1989	24.	छीपाबड़ौद	,,	1989–90
11.	रोहठ	,,	1989	25.	छबड़ा	,,	1989–90
12.	सोजत	,,	1991	26.	अटरू	,,	1989–90
13.	जैतारण	,,	1991	27.	किशनगंज	,,	1989–90
14.	गिरवा	उदयपुर	1990	28.	नवलगढ़	झुन्झुनू	1989

1	2	3	4	1	2	3	4
29.	चिड़ावा	झुन्झुनू	1989	45.	करौली	सवाई माधोपुर	1991
30.	श्रीमाधोपुर	सीकर	1989-90	46.	सपोटरा	,,	,,
31.	खण्डेला	,,	,,	47.	गगापुर	,,	,,
32.	नीम का थाना	,,	,,	48.	बोली	,,	,,
33.	दांतारामगढ़	,,	,,	49.	बकानी	झालावाड़	1989
34.	राजगढ़	चूरू	1990	50.	गंगानगर	गंगानगर	1990
35.	सुजानगढ़	,,	1985	51.	रायसिंहनगर	,,	1989
36.	सरदारशहर	,,	1988	52.	करणपुर	,,	1988
37.	तारानगर	,,	1989-90	53.	सादुलशहर	,,	1984
38.	रैवदर	सिरोही	1989	54.	भादरा	,,	1989
39.	किशनगढ़वास	अलवर	,,	55.	नैनवा	बून्दी	1990
40.	लक्ष्मणगढ़	,,	,,	56.	सिकराय	जयपुर	,,
41.	तिजारा	,,	,,	57.	फागी	,,	,,
42.	कोटकासिम	,,	,,	58.	नदबई	भरतपुर	1989
43.	रियां	नागौर	1990	59.	बैर	,,	1990
44.	बसेडी	धौलपुर	1989	60.	नोखा	बीकानेर	1989-90

368

1	2	3	4	1	2	3	4
61.	लूणकरणसर	बीकानेर	1989–90	69.	जवाजा	अजमेर	1990
62.	–	भीलवाड़ा	–	70.	किशनगढ़	,,	,,
63.	भोपालगढ़	जोधपुर	1989–90	71.	कुशलगढ़	बांसवाड़ा	1986
64.	टोडारार्वांसह	टौंक	,,	72.	बागीदौरा	,,	1990
65.	मालपुरा	,,	,,	73.	सिमलवाड़ा	डूंगरपुर	,,
66.	पीसांगन	अजमेर	1989	74.	सागवाड़ा	,,	1989–90
67.	मसूदा	,,	,,	75.	जालौर	जालौर	,,
68.	भिनाय	,,	1990	76.	आहोर	,,	,,

परिशिष्ट-25

अतारांकित प्रश्न संख्या 966 की सूची

क्र.सं. 1	नाम पंचायत समिति 2	भूमि व भवन का विवरण 3	कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम 4	विवरण 5
1–	झोटवाड़ा	1– पंचायत भवन रामपुरारूपा	खादी संस्था झोटवाड़ा	
		2– ग्रामसेवक भवन रामपुरारूपा	श्री लक्ष्मणसिंह पूर्व ग्रामसेवक	
		3– ग्रामसेवक भवन खातीपुरा	नवयुवक मण्डल	
		4– सूचना केन्द्र झोटवाड़ा	स्थानीय नागरिक	
		5– ग्रामसेवक भवन कालवाड़	पुलिस चौकी	
		6– पं.स. कृषि गोदाम के समीप	खादी संस्था झोटवाड़ा	
		7– पशु चिकित्सालय	पशु पालन प्रसार अधिकारी	
		8– पंचायत समिति क्वाटर	1– वन विभाग के कर्मचारी द्वारा 2– श्रीमती पार्वती शर्मा पूर्व बाल सेविका द्वारा	
2–	सिकराय	1– विकास अधिकारी आवास गृह	1– श्री बालस्वरूप मीणा कृषि प्रसार अधिकारी टोडा मीणा जिला सवाईमाधोपुर द्वारा	

1	2	3	4	5
3–	आमेर	1– विकास अधिकारी आवासगृह	1– श्री रामप्रसाद खांडल, सेवानिवृत कार्या. सहायक	4 आवास गृह निर्मित हुए थे जिनका कब्जा पंचायत समिति को नहीं मिला है।
		2– चतुर्थ श्रेणी कर्म. आवासगृह	2– ,, ,,	
		3– प्रसार अधिकारी आवासगृह	3– श्री शिवकुमार मिश्रा क. लि. जमवारामगढ़ द्वारा	
		4– ,, ,,	4– श्री जयसिंह कान्सटेबल द्वारा	
4–	सांगानेर	1– ग्रामसेवक क्वाटर बगरू	1– हा. सैकण्डरी स्कूल बगरू द्वारा	
5–	जमवारामगढ़	पंचायत समिति की कृषि भूमि	1– श्री दामोदर/धानाराम रैगर	सा. जमवारामगढ़
			2– श्री गंगाबक्स/रामू रैगर	,,
			3– श्री रामधन/विधाराम रैगर	,,
			4– श्री सालगराम/नारायण रैगर	,,
			5– श्री रामजीलाल/लक्ष्मण रैगर	,,
			6– श्री सूराराम/कानाराम रैगर	,,
			7– श्री चन्दाराम/बिरधराम रैगर	,,
			8– श्री तुलसीराम/बिरधाराम रैगर	,,
			9– श्री केसरलाल/गोपीराम रैगर	,,

1	2	3	4	5
			10– श्री हरबक्स/लक्ष्मण रैगर	सा. जमवारामगढ़
			11– श्री दुर्गालाल / बालूराम रैगर	"
			12– श्री भगवान/लक्ष्मण रैगर	"
			13– श्री श्योराम/लक्ष्मण रैगर	"
			14– श्री नाथू/गणेश रैगर	"
			15– श्री लक्ष्मीनारायण/बद्री रैगर	"
			16– श्री पूरण/लक्ष्मीनारायण रैगर	"
			17– श्री हरीनारायण/घनाराम रैगर	"
			18– श्री श्रीनारायण/भैरू रैगर	"
			19– श्री देवाराम/मांगू रैगर	"
			20– श्री रामसहाय/गंगाराम रैगर	"
			21– श्री बालूराम/प्रभात रैगर	"
			22– श्री सेडूराम/प्रभात रैगर	"
			23– श्री लक्ष्मीनारायण/नारायण रैगर	"
			24– श्री घनाराम/देवाराम रैगर	"
			25– श्री गजोड़/भैरू रैगर	"

1	2	3	4	5
			26– श्री रामजीलाल/ठकरसी रैगर	सा. जमवारामगढ़
			27– श्री गेंदीलाल/देवा रैगर	,,
			28– श्री नाथूराम/कुश्ला रैगर	,,
			29– श्री रामकिशोरी मीणा	,,
			30– श्री नारायण सहाय मीणा	,,

कलक्टर, जयपुर

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं. 1	नाम पंचायत समिति 2	भूमि व भवन का विवरण जो हस्तान्तरित किया गया है 3	नाम व्यक्ति/संस्था जिसे हस्तान्तरित किया गया है 4	विवरण 5
1–	झोटवाड़ा	1– पंचायत भवन रामपुराऊपा	खादी संस्था	हस्तान्तरण निरस्त करने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।
		2– कृषि फार्म बीड़ गोविन्दपुरा	उच्च प्राथमिक शाला	देने का प्रस्ताव

1	2	3	4	5.
2–	बस्सी	1– पंचायत समिति परिसर की भूमि में से	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कार्यालय भवन के लिये	तत्कालीन प्रधान व विकास अधिकारी ने आपसी बातचीत से भूमि दी है जिसमें कार्यालय भवन बना होकर कार्यरत है।
3–	सांगानेर	1– पंचायत समिति का बाल संग्रहालय भवन	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (कन्या) सांगानेर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन बाढ़ में बह जाने के कारण तत्कालीन जिलाधीश श्री एल.सी. गुप्ता के आदेश से।

कलक्टर, जयपुर

(375)

परिशिष्ट-26

अतारांकित प्रश्न संख्या 968 की सूची

ग्राम पंचायत–भाड़ोल, पंचायत समिति, भाडोल जिला उदयपुर ने निःशुल्क भूखण्ड आवंटन की सूची—वर्ष 88–89

क्र.सं.	दिनांक	नाम मय पिता	जाति	निवासी	आराजी नम्बर आबादी	क्षेत्रफल	पट्टा नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8

वर्ष 1988–89 में कोई निःशुल्क पट्टा पंचायत भाडोल द्वारा नहीं दिया गया।

वर्ष 1989–90

क्र.सं.	दिनांक	नाम मय पिता	जाति	निवासी	आराजी नम्बर आबादी	क्षेत्रफल	पट्टा नम्बर
1.	9.6.89	श्री अध्यक्ष सनातन धर्म समिति भाडोल		भाडोल	671	20×25	1/95
2.	1.1.90	श्रीमती चन्दबाई/रामसिंह	धाबाई	भाडोल	671	30×45	135/13418
3.	,,	भंवरलाल/मोडीलाल	कलाल	,,	,,	,,	135/13419
4.	,,	हेमन्तकुमारी/रमेशजी	सोनी	,,	,,	,,	135/13420
5.	,,	प्रद्युम्न कुमार/चुन्नीलाल	महाजन	,,	,,	,,	135/13421
6.	,,	दयालुबाई/स्व. भरतलाल	कलाल	,,	,,	,,	135/13422
7.	,,	हीम्मतदेवी/डालचन्द जी	,,	,,	,,	,,	135/13423
8.	,,	सोहनबाई/भगवतीलाल	राजपूत	लिलावास	,,	,,	135/13424
9.	,,	रामसिंह/सोहनसिंह	राजपूत	भाडोल	,,	,,	135/13425

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	1.1.90	नरेन्द्र कुमार/अमृतलाल	महाजन	छातरडी	671	30×45	135/13426
11.	,,	सज्जनदेवी/माधव सिंह	राजपूत	,,	,,	,,	135/13427
12.	,,	रतनसिंह/सुमेरसिंह	,,	,,	,,	,,	135/13428
13.	,,	अजातशत्रु सिंह/घनश्याम सिंह	,,	,,	,,	,,	135/13429
14.	,,	निर्मलादेवी/जगदीश जी	ब्राह्मण	झाडोल	,,	,,	135/13431
15.	,,	कमला कुंवर/विजय सिंह	राजपूत	वेलनिया	,,	,,	135/13430
16.	,,	बसन्तीदेवी/कमला गिरि	गोस्वामी	झाडोल	,,	,,	135/13432
17.	,,	खेमराज/मोहनलाल	पूबिया	,,	,,	,,	135/13433
18.	,,	हरिराम/ऊंकारजी	कीर	,,	,,	,,	135/13436
19.	,,	मोहन कुंवर/गजेन्द्रसिंह	राजपूत	छातरडी	121	,,	135/13439
20.	,,	पूनमचन्द/दुलीचन्द	पूबिया	आवरडा	,,	,,	135/13451
21.	,,	रूकमणी बाई/कन्हैयालाल	पुरोहित	झाडोल	671	,,	135/13453
22.	,,	अध्यक्ष पूबिया समाज		,,	,,	90×45	135/13455
23.	,,	दाई बाई/लक्ष्मणजी	ब्राह्मण	खेरवाड़ा	,,	30×45	135/13447
24.	,,	गणेशलाल/थावरचन्द	महाजन	झाडोल	,,	,,	135/13445
25.	,,	दाखांबाई/गोविन्दराम	ब्राह्मण	,,	,,	,,	135/13443

(376)

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	1.1.90	अमृतपुरी/केशरपुरी	साधु	झाडोल	671	30×45	135/13452
27.	,,	देऊबाई/सोहनलाल	ब्राह्मण	ग्रा. का खेरवाड़ा	,,	,,	135/13435
28.	,,	भैरूलाल/अम्बालाल	,,	झाडोल	,,	,,	135/13437
29.	,,	पुष्पादेवी/मधुसुदन	,,	ग्रा. का खेरवाड़ा	,,	,,	135/13438
30.	,,	केशरबाई/गोविन्दराम	पालीवाल	,,	,,	,,	135/13439
31.	,,	सरस्वती/सत्यनारायण	,,	,,	,,	,,	135/13440
32.	,,	हुगामीबाई/दुर्गाशंकर जोशी			,,	,,	135/13441
33.	,,	प्रतापसिंह/ईश्वरसिंह	राजपूत	छातरडी	,,	,,	135/13449
34.	,,	गोरधन/देवकृष्णजी	ब्राह्मण	ग्रा. का खेरवाड़ा	,,	,,	135/13456
35.	,,	बंशीलाल/रामनारायण	,,	झाडोल	,,	,,	135/13442
36.	,,	मांगीलाल/गोविन्दजी	सेवक	,,	,,	,,	135/13402
37.	,,	किशनलाल/रामनारायण	ब्राह्मण	ग्रा. का खेरवाड़ा	,,	,,	135/13450
38.	,,	प्रतापसिंह/नारायणसिंह	राजपूत	झाडोल	781	,,	135/13401
39.	,,	केशरसिंह/मगनसिंह	,,	,,	781	,,	135/192
40.	,,	भंवरलाल/डालचन्द	गन्धर्व	,,	121	,,	5/493
41.	,,	सोहनकुंवर/जोरावरसिंह	राजपूत	छातरडी	671	,,	135/13453

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	1.1.90	सज्जनदेवी/शंकरपुरी	गोस्वामी	झाडोल	671	30×45	135/13453
43.	,,	सोहनलाल/उदयलाल	पूबिया	,,	781	,,	5/497
44.	,,	हीम्मतसिंह/तेजसिंह	राजपूत	,,	781	,,	5/498
45.	,,	भैराजी/बैलाजी	सुथार	,,	854	20×45	5/499
46.	,,	कंचनकुंवर/मोहनसिंह	राजपूत	,,	121	20×25	1/96
47.	,,	तेजसिंह/फतेहलाल	महाजन	,,	671	30×45	5/500
वर्ष 1990-91							
48.	25.5.90	रोशनलाल/सवलाल	महाजन	,,	671	25×20	7/655
49.	,,	सुन्दरलाल/भंवरलाल	कीर	वेलनिया	671	25×25	7/656
50.	,,	शान्तादेवी/दौलतसिंह	महाजन	झाडोल	671	25×30	7/657
51.	,,	चुन्नीलाल/केशा पटेल		,,	671	20×30	7/658
52.	,,	अर्जुनलाल/अमराजी	मेघवाल	,,	781	,,	7/659
53.	,,	छोटूलाल/पन्नाजी	हरिजन	,,	,,	,,	7/660
54.	,,	अम्बालाल/घीसाजी	,,	,,	,,	,,	7/661
55.	,,	प्यारचन्द/नाथूजी	मेघवाल	,,	,,	,,	7/662
56.	,,	ममना/नाथूजी	,,	,,	,,	,,	7/663

378

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	25.5.90	भगवतीलाल/गल्लाजी	मेघवाल	झाडोल	781	20 × 30	7/664
58.	,,	भंवरलाल/वसाजी	,,	,,	,,	,,	7/665
59.	,,	लालूजी/मोडाजी	,,	,,	,,	,,	7/666
60.	,,	चेनाजी/लालूजी	,,	,,	,,	,,	7/667
61.	,,	कंकुबाई/दोलाजी	हरिजन	,,	,,	,,	7/668
62.	,,	माधुजी/घीसाजी	हरिजन	,,	,,	,,	7/669
63.	,,	भैरा/थावराजी	मेघवाल	,,	,,	,,	1/97
64.	,,	हरिराम/देवाजी	मेघवाल	,,	,,	,,	1/98
65.	,,	उदयलाल/जगन्ना	,,	,,	,,	,,	1/99
66.	,,	भूरीलाल/अमराजी	,,	,,	,,	,,	1/100
67.	,,	रोशनलाल/गमनाजी	,,	,,	,,	,,	1/20
68.	,,	रामाजी/रूपाजी	,,	,,	,,	,,	1/21
69.	,,	मोहन/नाथूजी	,,	,,	,,	,,	1/22

योग :– 69—अन्य–51 एस. सी.–18

उपरोक्त कुलिया पट्टे नि:शुल्क होने से रसीद नम्बर व रोकड़ पृष्ठ आवश्यक नहीं है।

सरपंच
ग्राम पंचायत–झाडोल,
पं. स. झा. झाडोल।

परिशिष्ट-27

अतारांकित प्रश्न संख्या 971 की सूची

राजकीय आयुर्वेदिक नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर में दिनांक 4.3.91 तक प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों/आशार्थियों की सूची—

क. सं.	प्रवेशार्थी का नाम/पिता का नाम	संवर्ग
1	2	3
1.	श्री रासबिहारी पाराशर/बृजेन्द्र कुमार	सामान्य
2.	श्री प्रभातलाल कहार/छोटूलाल कहार	,,
3.	श्री मुनिजन शर्मा/मदनलाल शर्मा	,,
4.	श्री बुद्धाराम/गणपतराम	,,
5.	श्री सुभाषचन्द/मूंगाराम	,,
6.	श्री रमजान मोहम्मद/रोशन खान	,,
7.	श्री विनोद कुमार शर्मा/मूलचन्द शर्मा	,,
8.	श्री अम्बालाल सुथार/बंशीलाल	,,
9.	श्री नन्दकिशोर शर्मा/राधेश्याम	,,
10.	श्री शंकरसिंह/हनुमानसिंह	,,
11.	श्री खानचन्द/गुलाबचन्द	,,
12.	श्री प्रहलाद शर्मा/सूरजमल शर्मा	,,
13.	श्री कैलाशनारायण बुनकर/प्रभातीलाल	अनु. जाति
14.	श्री कैलाश चन्द वर्मा/रामलाल	,,
15.	श्री मातुराम चोहला/केशरदेव	,,
16.	श्री रतनलाल बुहाडिया/सुजालाल	,,
17.	श्री पूरणमल मीना/जालमराम मीना	अनु. जनजाति
18.	श्री राजेन्द्र कुमार मीना/सुण्डाराम मीना	,,
19.	श्री शंकरलाल मीना/महादेवराम	,,
20.	अंजना कुमारी सिंह/तेजनारायण सिंह	महिला
21.	प्रेमलता गुप्ता/रामदेव गुप्ता	,,
22.	माग्रेटमैरी पैट्रिक/जैम्स पीहर लावरेस	,,

1	2	3
23.	रूकमणी कुमारी जोशी/तुलसीदास	महिला
24.	नैनाकुमारी/प्रभाकरण	,,
25.	सरस्वती कुमावत/रामेश्वरलाल	,,
26.	कीर्ति शर्मा/गोपालदास शर्मा	,,
27.	आराधना चौहान/मांगीलाल	,,
28.	सविता सैन/कान्तीचन्द	,,
29.	मधु चौधरी/गोपीसिंह	,,
30.	रेणुबाला गोयल/वैद्यनाथ गुप्ता	,,
31.	श्री भंवरलाल व्यास/नाथूलाल	विभा चतुर्थ श्रेणी कर्म.
32.	श्री राजशेखर भट्ट/उत्सवलाल भट्ट	,,
33.	श्री डालचन्द कुम्हार/हेमराज	,,
34.	श्री सागरमल/रूडाराम	विकलांग

परिशिष्ट-28

अतारांकित प्रश्न संख्या 979 की सूची

सूची-'क"

1. भू-जल विभाग ने सन् 1989-90 के वित्तीय वर्ष में निम्न पाइप क्रय किए :-

(1)	एम.एस. प्लेन पाइप 8"	9977.42 मीटर
(2)	एम.एस. प्लेन पाइप 6"	996.75 मीटर
(3)	एम एस. प्लेन पाइप 10"	770.65 मीटर
(4)	एम.एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/8"	999.91 मीटर
(5)	एम.एस. स्लोटेड पाइप 8"×1/16"	11466.43 मीटर

सूची-"ख"

2. सूची "क" में वर्णित पाइपों में से (1) एम. एस. प्लेन पाइप 8" स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया लि. से क्रय किए गए थे। इसके अलावा (2) से (5) सभी पाइप खुली निविदाएं आमंत्रित कर क्रय किए गये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

पाइप का साइज	फर्म का नाम जिसने निविदा दी	निविदा राशि प्रति मीटर
1	2	3
एम.एस. प्लेन पाइप 6"	अजंता ट्यूब लि. नई दिल्ली	265.85
	तापड़िया ट्रेडर्स, जोधपुर	314.80
	न्यू लक्ष्मी इंजि. एण्ड ट्रोली वर्क्स, जोधपुर	321.00
एम.एस प्लेन पाइप 10"	हिन्दु. पाइप उद्योग, नई दिल्ली	695.00
फ्लश ज्वाइंट	अजंता ट्यूब्स लि., नई दिल्ली	727.50
	प्रकाश ट्यूब्स लि., नई दिल्ली	770.14

(383)

1	2	3
एम.एस. स्लोटेड पाइप 8" × 1/8"	विकास ट्रेडिंग कारपो., मेरठ	547.90
	अजंता ट्यूब्स लि., नई दिल्ली	549.31
	हिन्दु. पाइप उद्योग, नई दिल्ली	554.31
एम.एस. स्लोटेड पाइप 8" × 1/16"	हिन्दु. पाइप उद्योग, नई दिल्ली	555.00
	अजंता ट्यूब्स लि., नई दिल्ली	564.00
	स्टील ट्यूब्स एन्टरप्राइजेज, कलकत्ता	569.75

परिशिष्ट–29

अतारांकित प्रश्न संख्या 569 की सूची

Local Self Government Department.

To :
The Collector,
Pali.

No. D 13139/F.1(g)(38) LSG/56. Jaipur, the 22nd Aug., 1956

Subject : Cononey for the Rehabilitation of Gadhia Lohars.

Reference : Your letter No. Dev./Camp/1 dated 19.7.56.

I am directed to convey Government approval to your proposal of Earmarking of the site marked on the attached plan between the Sojat town and the Sojat Landing ground and the plan of the detailed layout and also to the allotment of the plots covered by the Scheme as per attached site plans duly countersigned in token of its acceptance to Gadhia Lohars families free of cost as recommended by you.

Sd/–
Secy. to the Government.

No. D/– 22.8.56.

Copy forwarded to the :—

1. Chairman, Municipal Board, Sojat with reference to their No. MUn./187/56-57 dated 18.7.56.

ह०/–
अभिनन्दनमल मेहता

Sd/–
Secy. to the Goverenment.

M.U.
22.8.

परिशिष्ट–30

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव जो माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़े हुए माने गये

विषय :– प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ।

महोदय,

प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण अंचलों में सेवारत तदर्थ चिकित्सकों को सरकार की लालफीताशाही की वजह से जून, 1990 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। यह चिकित्सक 8–10 वर्षों से नियमित रूप से सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। दिसम्बर, 1990 से अब तक 128 तदर्थ चिकित्सकों को भी वेतन नहीं दिया गया है। वेतन इस तकनीकी आधार मात्र पर रोका गया है कि राज्य सरकार द्वारा इनकी सेवावृद्धि के आदेश जारी नहीं किए गये हैं। सरकार ने लगभग 350 चिकित्सकों को वेतन से महरूम कर रखा है, दूसरी तरफ सरकार 400 चिकित्सकों को और तदर्थ नियुक्तियां देने जा रही है। तदर्थ चिकित्सकों को अब तक वेतन भुगतान नहीं करने के लिए जो भी जिम्मेदार थे अब तक भी उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। भविष्य के लिए भी नियमित रूप से तदर्थ चिकित्सकों को वेतन देने का प्रावधान अभी तक भी नहीं किया गया है। यह सब कल्याणकारी राज्य के लिए बड़ी शर्म की बात है।

राजस्थान में वर्षों से चले आ रहे तदर्थ चिकित्सकों को वरिष्ठता के आधार पर सेवा में नियमित करने का भी नियम नहीं बना रखा है। इसका असर यह होता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करते समय तदर्थ नियुक्ति में चले आ रहे वरिष्ठ चिकित्सक काफी पीछे रह जाते हैं। इसलिए कानून में समुचित संशोधन किया जाना भी जनहित में सही कदम होगा ताकि किसी को भी परेशानी तथा नुकसान नहीं हो।

अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार को आदेश प्रदान किया जावे कि तदर्थ नियुक्ति वाले चिकित्सकों को तत्काल एवं नियमित वेतन देने की एवं तदर्थ नियुक्ति पर चले आ रहे चिकित्सकों को स्थाई नियुक्ति विभागीय समिति के जिम्मे की जाने की व्यवस्था करें।

भवदीय,
ह०/-
(रामनारायण वर्मा)
वि. स. 142

—x—

विषय :– प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत श्री कैलाश चन्द लखेरा, नायब तहसीलदार (तहसील) सवाई माधोपुर के द्वारा की गई ग्राम दोदरी के काश्तकारों से किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्रीमान राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं ।

मान्यवर,

निवेदन है कि ग्राम पंचायत करमोदा ग्राम दोदरी के 58 काश्तकारों को लैण्ड रेवेन्यु एक्ट धारा 91 के तहत 58 व्यक्तियों के कार्य को निपटाने के लिये ग्राम पंचायत हैड क्वाटर करमोदा में 7.12.90 को कैम्प लगाया गया था। उक्त कैम्प में नायब तहसीलदार के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई और 14.1.91 को नायब तहसीलदार ने 58 काश्तकारों को तहसील हैडक्वाटर पर बुलाकर भारी रकम लेकर उक्त धारा के लिये सौदाबाजी की गई जिन व्यक्तियों ने उनकी मांगी गई रकम प्रदा कर देने पर तीनों जुलम से मुक्त कर दिया। उक्त कार्यवाही के तहत जबकि पचास गुना पैनल्टी व फसल नष्ट व तीन माह की सजा का प्रावधान है। जबकि सात व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में थे जो नायब तहसीलदार को आर्थिक लाभ नहीं दे सकते थे उनके खिलाफ तीनों कानूनी कार्यवाही की गई जिनमें पचास गुना पैनल्टी व फसल नष्ट व तीन माह की सजा की गई। इस नायब तहसीलदार के द्वारा काश्तकारों को आये दिन नाजायज परेशान किया जाता है अतः उक्त मामले में नायब तहसीलदार को निलम्बित कर जांच कराई जाये यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है इसको सदन में चर्चा करने की अनुमति दी जावे।

भवदीय

ह०/–

(चुन्नीलाल विधायक वि.स. 45)

दि. 26-3-91

—X—

विषय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

महोदय,

माननीय नगरीय विकास मन्त्रीजी/गृहमन्त्रीजी का ध्यान विद्याधर नगर आवासीय योजना के सैक्टर 03 में जे.डी.ए. द्वारा लोगों को आवंटित भूमि पर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमणों की ओर आकृष्ट किया जायेगा जिसमें निम्न बिन्दु उठाये जायेंगे :–

1– सैक्टर 03 में लोगों को आवंटित भूखण्डों/जे.डी.ए. की भूमि पर इतने बड़े पैमाने पर हुये इन अतिक्रमणों को हटाकर मूल आवंटियों को काबिज कराने के लिये की

गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाये। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

2– निकट के पुलिस थाने के लोगों द्वारा मूल आवंटियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें रोके जाने तथा अतिक्रमणों में कुछ पुलिस के लोगों के लिप्त होने का उल्लेख करते हुये जे.डी.ए. ने 17.2.91 को एस.पी. को जो पत्र लिखा उस पर क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं तो क्यों ?

3– "मार्च, 1990 से मार्च, 1991 के बीच अनेक बार एस.पी. को लिखे जाने के बाद भी वहां पर पुलिस कैम्प (आउट पोस्ट) मूल आवंटियों की सुरक्षा के लिये क्यों नहीं लगाया गया ?

यदि जयपुर विकास प्राधिकरण इन अतिक्रमणियों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को ध्वस्त कर प्राधिकरण के आवंटियों को स्थापित नहीं कर सकता है और इनको पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता है तो इन लोगों को इसी आवासीय योजना में या विकल्प-पत्र मांगकर प्राधिकरण की अन्य योजना में भूखण्ड आवंटित किये जायें और तत्कालीन आरक्षित दर के आधार पर भूखण्डों का मूल्य लिया जाये। यदि भूखण्डों के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो वह तत्कालीन आरक्षित दर आवंटियों से वसूल कर ली जाये।

ह०/–
(कालीचरण सर्राफ M.L.A.)
वि.स. 16

—×—

विषय :-नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय,

मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मानसरोवर योजना में मकानों के लाटरी द्वारा आवंटन में किए गए भ्रष्टाचार की ओर नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1979 में मानसरोवर योजना के लिए फार्म आमन्त्रित किये गये थे। जिनका आवंटन वर्तमान में किया जा रहा है।

आवासन मण्डल द्वारा सामान्यत: अपनी सभी योजनाओं के अधीन निर्मित किए गए मकानों का आवंटन तभी किया जाता है जबकि मकान पूर्णतया निर्मित हो गए हों तथा यह आवंटन लाटरी द्वारा ही किया जाता है।

किन्तु अभी हाल ही में आवासन मण्डल द्वारा मानसरोवर योजना की दिनांक 24 नवम्बर, 1990 को खोली गई लाटरी में जिन आवंटियों को मकानों का आवंटन किया गया है वहां किसी प्रकार के मकान नहीं बने हैं तथा यह लाटरी खोले जाने से पहले ही उच्चस्थ अधिकारियों ने अपने चहेतों के लिए कुछ मकान बिना लाटरी के ही आवंटित कर दिए गए तथा जिन्होंने बाकायदा वर्ष 1979 में मण्डल के फार्म भरे थे उनको आवंटन केवल कागजों पर ही किया गया है तथा उन्हें आवंटित मकान का निर्माण ही नहीं हुआ है, यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय मैं आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 1990 को श्री राजेन्द्र पारीक को मानसरोवर योजना के लिए निकाली गई लाटरी में मकान नं. 111/168 का आवंटन किया गया है, किन्तु बड़े खेद का विषय है कि मानसरोवर की उक्त आवासीय योजना में उक्त नम्बर का मकान ही नहीं है।

अतः मानसरोवर योजना के लिए दिनांक 24 नवम्बर, 1990 को आयोजित की गई लाटरी में जिन आवंटियों को मकान आवंटित किए गए हैं उन्हें शीघ्र ही वर्तमान में निर्मित मकान का कब्जा दिया जावे।

भवन्निष्ठ,

(महावीर प्रसाद जैन)

—×—

विषय :–राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान में कार्यरत विभिन्न जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों तथा बीकानेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ की समस्याओं एवं इनके सम्बन्धित फैडरेशन इकाइयों के जान-बूझकर विलीनीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थितियों के बारे में विशेष चर्चा।

मान्यवर,

राजस्थान में प्रतिदिन 4 लाख लीटर दूध पशुपालकों से प्रदेश में इकट्ठा किया जाता है। काश्तकार को प्रति लीटर 4.72 पैसे लागत आती है जबकि काश्तकार को 3.65 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दूध की कीमत जाती है जबकि किसान का खर्चा प्रति लीटर 4.72 पैसा आता है। इस प्रकार प्रदेश में लगभग 4 लाख रुपये का घाटा प्रतिदिन पशुपालकों को होता है। राजस्थान का किसान पशुपालक लगातार अकाल, अभाव एवं प्राकृतिक आपदा से पीड़ित रहा है।

राजस्थान में कार्यरत विभिन्न जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा स्थिर भाव दिये जाने से वे अपनी गायों का भरण-पोषण सही ढंग से नहीं कर पाते। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने अपनी

उत्पादित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की वृद्धि की है परन्तु दूध के क्रय मूल्य में केवल 25 पैसे की वृद्धि की है जबकि दिल्ली में दूध 5.30 पैसे प्रति लीटर के भाव से विक्रय किया जा रहा है। मौजूदा दूध के क्रय मूल्यों में अविलम्ब वृद्धि किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन के चुनाव अविलम्ब कराये जावे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशानुसार अमूल पद्धति की भावना को लागू करने के लिए प्रदेश में कार्यरत 16 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में से केवल मात्र 12 जिला दुग्ध उत्पादक संघों का फैडरेशन में विलीनीकरण किया गया है जबकि बीकानेर सहित चार जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन में विलीनीकरण अविलम्ब किया जाना आवश्यक है। बीकानेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा एकत्रित दूध से प्रतिदिन लगभग एक लाख रुपये फैडरेशन को प्राप्त हो रहा है और 17 वर्ष से यही रुपया फैडरेशन ले रहा है जो लगभग 10 करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि बीकानेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को दी जानी चाहिए। फैडरेशन के संचालक मण्डल के चुनाव किस कानून के अन्तर्गत रोके जा रहे हैं, इसकी साधारण सभा की बैठक अभी तक क्यों नहीं बुलायी गई? आर. सी. डी. एफ. की आडिट कब करायी गई, आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए।

राजस्थान की चार जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के कितने-कितने रुपये आर. सी. डी. एफ. में बकाया है इसकी सूची भी प्रस्तुत की जावे। बकाया पूंजी आर. सी. डी. एफ. कैसे व किस प्रकार से जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को लौटायेगी इसका विवरण भी प्रस्तुत किया जावे तथा इनके जो और बाई लॉज की प्रतियां भी सदन की मेज पर रखें। आर. सी. डी. एफ. का स्टाफ तथा एम. डी., परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी को प्रतिनियुक्तियों पर संघों में लगा रखा है इन पदों को अविलम्ब समाप्त किया जाना चाहिए अथवा इनका विलीनीकरण कर दिया जाना चाहिए। 16 जिला दुग्ध उत्पादक संघों के लाभ-हानि की सूची सदन की मेज पर रखी जावे। आर. सी. डी. एफ. के चुनाव लम्बे अर्से से नहीं हुए हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जावे और समय-समय पर जो घपलेबाजी हुई है उसकी भी जांच करायी जावे। डेयरी विकास मन्त्रालय क्या डा. कुरियन की आनन्द पद्धति के उप नियम लागू करने पर विचार रखती है? जिला दुग्ध उत्पादक संघों के अध्यक्षों को जिला प्रमुखों के समान-सुविधाएं देने के सम्बन्ध में विभाग क्या विचार रखता है?

गत वर्षों में आर. सी. डी. एफ. द्वारा दूध के विक्रय मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि की गई परन्तु मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर भी दूध के खरीद मूल्य में तदनुरूप वृद्धि नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप पशुपालक अकाल एवं अभाव से ग्रस्त रहा और दूसरी ओर दूध के खरीद मूल्य के कम होने पर वह अपने पशुओं का भरण-पोषण करने में पूरी तरह असफल रहा। आर. सी. डी. एफ. ने जिला दुग्ध उत्पादक संघों के मुनाफे को मुख्यालय में मंगवाकर जिला संघों को कमजोर कर दिया एवं पशुपालकों

को दूध की उचित कीमत नहीं दी जा सकी इस सम्बन्ध में जिला दुग्ध उत्पादक संघों एवं संयंत्रों के विलीनीकरण पर तत्काल आवश्यक आदेश जारी करने की आवश्यकता है। बीकानेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ के लगभग 10 करोड़ से अधिक की राशि आर. सी. डी. एफ. में बकाया है जिसे संघ को लौटाया जाना चाहिए एवं जिला स्तर पर होने वाले लाभ को पशुपालकों में वितरित किया जाना चाहिए।

बीकानेर में उरमूल डेयरी में 16.5 करोड़ की लागत से दुग्ध चूर्ण धीसिंग प्लाण्ट एवं अन्य डेयरी विकास कार्यक्रमों के लिए यह राशि प्राप्त हो रही है यदि डेयरी प्लाण्ट बीकानेर जिला दुग्ध उत्पादक संघ को नहीं सौंपा गया तो यह कर्ज एव ब्याज बीकानेर उरमूल डेयरी कैसे चुकायेगी ? वर्तमान में डेयरी फैडरेशन केवल 50 नये पैसे प्रति लीटर कमीशन संघ को दे रहा है। इस 50 पैसे प्रति लीटर कमीशन से क्या 16.5 करोड़ रुपये का ब्याज एवं मूलधन चुकाया जा सकता है।

राज्य के डेयरी विकास हेतु संघ एवं डेयरी प्लाण्ट का विलीनीकरण अत्यन्त आवश्यक है। महाराष्ट्र में पशुपालकों को एक रुपया प्रति लीटर सरकारी अनुदान दिया जाता है परन्तु राजस्थान में किसानों को इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिये जाने एवं लगातार दूध की बढ़ी हुयी दर पूरी फैडरेशन द्वारा पशुपालकों को नहीं दिये जाने से पशुपालक महंगाई की मार एवं पर्याप्त कीमत दूध की न मिलने से भयंकर परेशान हैं। पशुपालन का काम करने वाले लोग प्रति वर्ष घटते जा रहे हैं। समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान की पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था चौपट हो जायेगी। प्रदेश में डेयरी विकास से सम्बन्धित और किसानों की समस्याओं के बारे में डेयरी विकास मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर इस सम्बन्ध में जो तथ्यात्मक सुझाव दिये गये हैं उसकी क्रियान्विती की अपेक्षा करता हूं। आशा है डेयरी फैडरेशन नियम 295 के अन्तर्गत जो मुद्दे ऊपर उठाये गये हैं उन पर प्रभावी कार्यवाही करेगा।

सादर।

सद्भावी,
(बी. डी. कल्ला)
भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री,
विधायक, बीकानेर।

—×—

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कला एवं संस्कृति मन्त्री की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि राज्य सरकार के अन्तर्गत 14 प्रतिष्ठान

काम करते हैं। इन सबके अलग संविधान है, अलग-अलग बजट है, अलग-अलग स्थानों पर दफ्तर है तथा इनमें कोई आपसी संवाद नहीं है और कार्यक्रमों का ताल-मेल नहीं है। सरकार द्वारा कला-संस्कृति का अलग मन्त्रालय बनाने के कई वर्ष बाद भी सरकार की कोई "संस्कृति नीति" नहीं है। अतः सरकार को सबसे पहले अपनी "संस्कृति-नीति" बनानी चाहिए और शिक्षा और कला-संस्कृति मन्त्रालय को एक ही मन्त्रालय के रूप में संगठित करना चाहिए।

सरकार इन सभी 14 प्रतिष्ठानों को एक ही स्थान पर जयपुर में कायम करें तथा "कर भवन" वन भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन आदि की तरह जयपुर में एक संस्कृति भवन का निर्माण करें। ताकि कला और संस्कृति का सुन्दर विकास और संरक्षण हो सके। सरकार कला और संस्कृति के लिए नाम मात्र का पैसा, बजट में रखा है जो अपर्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय जी से निवेदन कर रही हूं कि क्या पुरातत्व अभिलेखागार पुराने किले, हवेलियां, मंदिरों और स्मारकों की कोई सुरक्षा व हिफाजत हो रही है। पर मैं यह सदन में कहती हूं कि इनकी इफाजत और सुरक्षा नहीं हो पा रही है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार अपनी निश्चित संस्कृति नीति घोषित करें और सभी संस्कृति प्रतिष्ठानों को जयपुर में एक स्थान पर "संस्कृति भवन" बनाकर संयोजित किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार को चाहिए वह कला और संस्कृति को पर्यटन के साथ नहीं जोड़े क्योंकि कला और संस्कृति एक खरीदने व बेचने की वस्तु बन गई है। इससे हमारी धरोहर को नुकसान पहुंच रहा है। तथा कला और संस्कृति का पर्यटन के साथ जोड़ने का और रखने का औचित्य व आवश्यकता तय होनी चाहिए। इस सारे काम में साहित्य, कला और संस्कृति के विशेषज्ञों से विस्तृत रिपोर्ट और राय जाननी चाहिए तथा हमारी कला-संस्कृति को पर्यटकों की दया और विदेशी मुद्रा के लालच पर नहीं छोड़ देना चाहिए।

भवदीया,
(सूर्यकान्ता व्यास)
180
विधायिका

—X—

प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से।

मान्यवर,

जयपुर नगर सहित राज्य के पांच बड़े नगरों में पानी व बिजली के बिलों पर व्यावसायिक दरों का प्रावधान जब से लगाया गया है लोग परेशान हैं। राज्य सरकार

को मैंने जब पिछले सत्र में इस असुविधा की जानकारी देकर व्यावसायिक दर हटाने की मांग की थी तब उन्होंने जिन-जिन अवस्थाओं में यह दरें स्थापित की गई है उसके नियमों का पुलन्दा दिखा दिया। इन व्यावसायिक दरों का कोई भी औचित्य नजर नहीं आता – यदि किसी परिसर के एक भाग में वकील, डाक्टर व अन्य किसी भी चित्रकार व मूर्तिकार के नाम का बोर्ड लगा हो तो पूरे मकान से व्यावसायिक दरें वसूली जाती हैं। यह दरें सामान्य दरों से बहुत ऊंची होती है। यदि किसी का खपत का बिल पूरे मकान का दूकान सहित 200/– रु. है तो उसे उसके स्थान पर 300/– रु. का या उससे भी अधिक पेमेंट करना पड़ेगा।

यहां तक की यह दरें धर्मशाला व नर्सिंग होम तक पर भी लागू हैं। जहां सेवा कार्य होता है। उक्त घरेलू, व्यापारिक संस्थान और औद्योगिक संस्थान हेतु अलग-अलग दरें लागू की हुई हैं। उक्त सभी केटेगरीज पर पानी, बिजली की खपत पर भी बड़ा पैसा राशि या खपत शुल्क लिया जाता है। उसकी परिभाषा भी उक्त तीनों घरेलू, व्यापारिक व औद्योगिक जल सम्बन्ध आदि पर पूर्व में ही निर्धारित की हुई हैं कि जैसे एक लाख गैलन पर उसके ऊपर तथा पांच लाख गैलन आदि पर उसे कहीं बढ़ाकर जब इस प्रकार से बिल वसूल किये जाते हैं, तो व्यावसायिक दर के नाम से जहां पानी की खपत ही न हो जैसे मूर्ति बनाने का काम, वकील का आफिस शाम को खुलता है या अन्य कन्सलटैन्स या पूरे परिसर से व्यावसायिक दरें वसूलना उचित नहीं है। सरकार इनकम टैक्स लेती- सैल टैक्स लेती-उन्हीं मकानों, संस्थानों से अन्य टैक्स वसूलती है। इस प्रकार के पानी बिजली के मकानों वाले इस गलत तरीके से उत्पन्न की गई परेशानी से मुक्ति पा सकें। माननीय जलदाय मन्त्री, विद्युत मन्त्री जी इन सब अव्यावहारिकता के खिलाफ मुक्ति दिलाने की बात जनता से कह चुके हैं फिर किये गये वायदे को पूरा न करना अनुचित है। मेरा आग्रह है कि सभी नगरों से जहां पांच नगरों में यह लागू है तत्काल हटाया जाय। मन्त्री महोदय आश्वस्त करेंगे जिससे जन आक्रोश समाप्त हो। कृपया मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान करें।

उजला अरोड़ा

—X—

विषय :– नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

तथ्यात्मक प्रतिवेदन

(1) राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 17 मार्च, 1979 के अनुसार 1 अप्रेल, 1979 से घरेलू, व्यापारिक संस्थान एवं औद्योगिक संस्थान हेतु अलग-अलग दरें निर्धारित की थी एवं इन श्रेणियों हेतु परिभाषाएं भी जारी की थी। परिभाषाएं निम्न हैं :—

(क) घरेलू

(ख) व्यापारिक संस्थानों की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं।

1– किसी भी प्रकार के व्यवसाय हेतु दुकान या कार्यालय

2– दूध विक्रेता जो गायें, भैंस, बकरी इत्यादि रखकर दूध बेचता हो।

3– सिनेमा थियेटर, धर्मशाला, नर्सिंगहोम, रेस्टोरेन्ट हलवाई इत्यादि।

4– निर्माण कार्य हेतु उपयोग।

(ग) औद्योगिक संस्थानों की परिभाषा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं।

1– बड़ी एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयां, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित उद्योगों की सूची में सम्मिलित उद्योग।

2– होटल, बड़े, मध्यम एवं लघु।

3– मोटर गैरेज, वर्कशाप।

(2) यदि किसी परिसर में जल सम्बन्ध लिया गया हो व उस परिसर में व्यापारिक कार्य होता हो तो व्यापारिक दर वसूल करना आवश्यक है जो व्यावहारिक एव युक्तिसंगत भी है। इसी तरह किसी परिसर में डाक्टर, वकील, टाइप के कार्य इत्यादि का बोर्ड लगा हुआ हो तो यह स्पष्ट है कि वहां व्यवसाय सम्बन्धी कार्य होता है एवं इस तरह यह व्यावसायिक सेवा भी परिभाषा के अनुसार व्यावसायिक कार्य की श्रेणी में आ जाता है।

(3) यदि दुकान इत्यादि हेतु पृथक से जल सम्बन्ध प्राप्त कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा केवल दुकान में स्थित जल सम्बन्ध से ही व्यापारिक दर वसूल की जाती है, भू गृह इत्यादि में स्थित जल सम्बन्ध हो घरेलू दर से ही वसूल किया जाता है।

(4) जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन नहीं है वहां सीवरेज प्रभार वसूल नहीं किये जाते हैं। सीवरेज प्रभार 20 प्रतिशत उन उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है जो सीवरेज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार 13 प्रतिशत ट्रीटमेंट अधिभार उन्हीं उपभोक्ताओं से वसूल किया जा रहा है जिनके भू-गृह इत्यादि से निष्कासित जल, ट्रीटमेंट प्लान्ट में जाता है। अन्य से ऐसा प्रभार वसूल नहीं किया जा रहा है।

(5) शिक्षण संस्थाओं पर घरेलू दर से ही वसूल की जाती है।

Sd/–

(H. C. Nakra)

विषय :- प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र के मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, सोडाला, अजमेर रोड आदि इलाकों की रिहायशी कॉलोनियों पर से गई हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के सन्दर्भ में ।

माननीय महोदय,

जैसा कि सदन को मालूम है, जयपुर की अधिकांश नवनिर्मित आवासीय बस्तियां कृषि भूमि पर निर्मित है, जिसके कि बहुत बड़े हिस्से पर आर.एस.ई.बी. की हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन्स इस भूमि के कृषि उपयोग में लिये जाने के समय से ही जा रही है । उल्लेखनीय है कि ट्रांसमिशन परपज के लिए उपयोग में ली जा रही जमीन के स्वामियों को इस उपयोग के लिए आर.एस.ई.बी. की ओर से कभी भी कोई आर्थिक या अन्य प्रतिफल नहीं दिया गया है । तथा केवल वृहत्तर जनहित की भावना की प्रेरणा से ही भूमिधारियों द्वारा आर. एस. ई. बी. को उनकी जमीन पर हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन लगाने की स्वैच्छिक अनुमति दी गई थी ।

कालान्तर में इस कृषि भूमि के धारियों ने सहकारी समितियों को रिहायशी बस्तियों के निर्माण हेतु अपनी भूमि विक्रय अनुबन्ध/पंजीकृत विक्रय के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी, जिससे रिहायसी बस्तियों का निर्माण हुआ। किन्तु रिहायसी बस्तियों की इस निर्माण प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि आर.एस.ई.बी. की हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन अब रिहायसी मकान बनाने वालों के मकानों की छतों को लगभग छूने लगी, जिससे प्रति वर्ष 8-10 व्यक्तियों की इस कारण विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु होने लगी है । बरसात के दिनों में इलैक्ट्रो-मैगनेटिक इण्डक्शन के क्रियेशन से दुर्घटनाओं की सम्भावना जबरदस्त रूप से बढ़ जाती है तथा मकानों में रहने की स्थिति लगभग असम्भव हो जाती है । चूंकि रिहायसी मकानों के ऊपर से हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन ले जाने का ना तो कोई विवेकशील औचित्यपूर्ण कारण है और ना ही कोई कानूनी प्रावधान । अतएव बाशिन्दों ने आर.एस.ई.बी. को इसे हटाने बाबत कई बार लिखा, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके तथा हजारों लोगों को जो इस कारण सतत् असुरक्षा की मानसिक त्रासदी के वातावरण में जी रहे हैं. को इससे मुक्ति मिल सके । किन्तु जनहित एवं जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई कार्यवाही होना तो दूर, बल्कि यह बताया गया कि लाइन के इरेक्शन के वक्त चूंकि बस्तियां नहीं थी तथा बाद में बनी इस कारण आर.एस.ई.बी. का इन्हें हटाने का तब तक कोई कारण नहीं बनता, जब तक कि वाशिन्दें इन्हें हटाने की आर.एस.ई.बी. को आर.एस.ई.बी. के एस्टीमेट के हिसाब से चार्जेज नहीं देते जो कि तकरीबन कुल 80-90 लाख रुपये बनता है ।

माननीय, गरीब आम जनता के लिए यह कभी भी सम्भव नहीं होगा कि वे आर.एस.ई.बी. को 80-90 लाख रुपये अपनी जान को असुरक्षा से बचाने हेतु दे सके ।

माननीय, जनहित की भावना से कृषक द्वारा आर.एस.ई.बी. को बिना किसी प्रतिफल के अपनी जमीन ट्रांसमिशन यूज हेतु दिये जाने से आर एस.ई बी. को उस भूमि पर इस उपयोग का शास्वत अधिकार नहीं मिल जाता तथा ना ही भू-स्वामी के उस भूमि पर अधिकारों में कोई किसी प्रकार की कमी आती है तथा ना ही उस भूमि के विक्रय की स्थिति में उस भूमि के नये स्वामी पर उसके उपयोग की प्रकृति के सन्दर्भ में कोई बाध्यता बनती है। अतएव भूमि के उपयोग की प्रकृति या स्वामी के बदलने से यदि भू-स्वामी एवं उसके परिवार की जान को आर.एस.ई.बी. की ट्रांसमिशन लाइन से कोई खतरा होता है तो उसके निराकरण की जिम्मेवारी स्वतः ही आर.एस.ई.बी. की बनती है, जिससे तो ' कोई प्रावधान नहीं है'' की रट लगाकर बच नहीं सकती।

एक लोक कल्याणकारी राज्य जहां व्यक्ति की "जान" राज्य की सम्पत्ति है, में यह स्थिति कि वह लाइन जिसको कि किसी वक्त जनहित में भू-स्वामी ने अपनी जमीन में लगाने की आर.एस.ई.बी. को बिना किसी प्रतिफल के स्वैच्छिक अनुमति दी थी, उसकी जान पर खतरा बनने की स्थिति में भी जान पर शाश्वत खतरे के रूप में तब तक मंडराती रहेगी जब तक कि वह लाखों रुपये आर.एस.ई.बी. को दण्डस्वरूप इस बात के नहीं देता कि उसने कभी जनहित की भावना से इसे लगाने की अनुमति आर.एस.ई. बी. को दे दी थी। सचमुच दुःखद, दुर्भाग्यपूर्ण विवेकशून्य अमानवीय एवं लोक कल्याणकारी एवं संवेदनशील सरकार की मूल भावना के विपरीत है।

अतएव मेरा निवेदन है कि बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र के मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, सोडाला, अजमेर रोड एवं खातीपुरा इलाकों की तकरीबन 58 आवासीय कॉलोनियों के हजारों नागरिकों के जीवन की सुरक्षा वृहत्तर सन्दर्भों में आर.एस.ई.बी. इन क्षेत्रों से बिना किसी शुल्क के अपनी हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन हटाए, जिस पर कि रिहायसी बस्तियां बनने के बाद उसका इस उपयोग हेतु कोई हक नहीं रहता। इस हेतु यदि कानून में कोई प्रावधान नहीं हो, तो सरकार जन-जीवन की सुरक्षा में उचित कार्यवाही कर जनता को इस त्रासदी से जल्द से जल्द मुक्ति दिलाएं तथा इस बाबत मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से एक सुस्पष्ट नीति का निर्धारण करें।

ह०/-
(राजपाल सिंह शेखावत)
विभाजन संख्या 131

—x—

विषय :– नियम 295 के अन्तर्गत तिलम संघ राजस्थान परियोजना जालोर द्वारा किसानों की फसल सरसों व रायडा की खरीद में किये जा रहे विलम्ब से किसानों में रोष एवं अशांति से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाने बाबत।

जालोर जिले में तिलम संघ राजस्थान ने एक सरसों परियोजना जिला जालोर

में स्थापित की है। जालौर मुख्यालय पर तिलम संघ द्वारा आईल मिल निर्मित कर खाद्य तेल निकालने का कार्य प्रारम्भ हुआ है।

जालौर जिले में कुल 100 तिलहन सहकारी समितियां स्थापित होकर प्रत्येक सोसायटी में अध्यक्ष व कार्यकारिणी के चुनाव हो चुके हैं। सायला पंचायत समिति में 27, जालौर में 16, आहोर में 6, जसवंतपुरा में 14, भीनमाल में 11, रानीवाड़ा में 12 एवं 14 ग्रामीण तिलहन उत्पादन सहकारी समितियां है। तिलम संघ जयपुर में इसी माह संचालक मंडल की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि जालौर जिले में 12000 टन रायडा खरीद हेतु 12 करोड़ रुपया आवंटित करने का प्रस्ताव पास हुआ था।

इसके अनुसार जिले के समस्त 100 केन्द्रों पर रायडे की खरीद की जाती थी। उक्त खरीद इसी वर्ष उत्पादित रबी की फसल की जाती थी। किसानों ने अपनी फसल खलिहानों में निकाली है। लेकिन दिनांक 16.3.91 को प्रबन्धक सी.डी.एस. जालौर ने मात्र 32 केन्द्रों से रायडा खरीदने के केन्द्र खोलने के आदेश दिये है जबकि इन केन्द्रों पर भी खाली बारदान, मोइसचर मीटर तोलने के साधन आदि नहीं पहुंचे है। यदि 15 अप्रेल तक इन 100 केन्द्रों पर रायडा खरीद की व्यवस्था युद्ध स्तर पर नहीं की गयी तो किसान फसल बाजार में कम मूल्यों पर विक्रय करने को बाध्य होंगे और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य का कोई मान नहीं रहेगा। वास्तव में परियोजना संचालक मंडल जयपुर एव जिले के प्रबन्धक व संचालक भी चाहते है कि जानबूझ कर देरी की जावे ताकि किसान अपना माल सस्ते दामों पर बाजार में बेचे और अधिकारी बाजार से व्यापारियों से रायडा खरीदे जिससे एक ओर किसानों को नुकसान होगा। दूसरी ओर खरीद में अधिकारीगण मनमानी करेंगे और भ्रष्टाचार पनपेगा इस उत्पन्न स्थिति से किसानों में रोष है और वे हड़ताल करने पर आमादा है अतः राज्य सरकार हस्तक्षेप कर अविलम्ब समस्याओं का समाधान करे। तारीख–

ह०/–
(प्रेमसिंह दहिया)
विधान सभा 84

—X—

विषय :– प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव द्वारा मृतक परसाराम मेघवाल के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने के बाबत।

अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मृतक परसाराम मेघवाल की ओर दिलाना चाहता हूं।

मृतक परसाराम पुत्र श्री बादरराम जाति मेघवाल निवासी 7 पी. डब्ल्यू डी.,

तहसील रावतसर जिला-श्री गंगानगर का रहने वाला है। परसाराम गरीब हरिजन परिवार से था अपनी आजीविका के लिए भेड़ पालता था। वह चराता था। श्री सुलताराम पुत्र श्री बिकूराम जाति मेघवाल उम्र 25 साल निवासी चक पी.डब्ल्यू.डी. जो मेरी बुआ का बेटा भाई लगता है। जिसके पास अपनी भेड़ें हैं। जो कि भेड़ों को पानी पिलाने के लिए एक दिन छोड़कर दूसरे दिन अपने रेवड़ को पानी पिलाने के लिये गांव के जोड़ा जो उतरादे पास है। पानी पिला कर ले जाता था।

आज भी हमेशा के मुताबिक करीब दिन के 2.30 बजे परसाराम अपने रेवड़ लेकर जोड़े पर आया और पानी पिलाकर करीब 2.30 बजे दिन में वापस रोड़ी में रेवड़ के लिये हमेशा के मुताबिक उसके साथ रेवड़ में गया थोड़ी देर बाद जब हम मुसलमानों के खेत के बराबर टिबडी पर पहुंचे तो सामने से रामस्वरूप व मनसाराम जी मनफूल निवासी जोहड़ा के लड़के भी ऊंट गाड़ा लेकर आये जिनको आते हुए देखकर परसाराम ने रामस्वरूप को कहा कि ऊंट की मोरी को काठी पकड़ ले। मैं अपना रेवड़ आगे निकाल लूं। जिस पर रामस्वरूप ने कहा कि तू हमें मोरी काटी करने के लिये क्यों कहता है। यह कहते ही वह गाड़े से ज्योंहि उतरा और परसाराम के साथ मारपीट करने लगे। जिस पर मैंने रामस्वरूप को समझाया वह नहीं माना मैंने परसाराम को कहा तू भाग जा नहीं तो खेत से तीन आदमी और आ रहे हैं। क्योंकि खेत में से दो-तीन आदमी और आते दिखाई दिये। जब वह भागने लगा तो खेत में से इन्द्रराज पुत्र श्री मनफूल आ गये जिसने आते ही परसाराम के हाथ पकड़ लिये इतने में रामस्वरूप ने परसाराम के गुप्त अंगों पर लात मारी जिस से परसाराम जमीन पर गिर पड़ा। परसाराम के साथ रेवड़ में चानिया व प्रभु और थे। जो रेवड़ को ले गये। रामस्वरूप व इन्द्रराज ऊंट गाड़ा लेकर चले गये मैं बकर खां के कोठे के आगे पड़ी टंकी में से पानी लाया और परसाराम के मुंह में डाला व कई देर उसे पकड़े रखा। थोड़ी देर बाद जब परसाराम ठण्डा होने लगा तो छोड़ दिया और मैंने शोर मचाया तो जोहड़े पर से तेजाराम, निकूराम, जगपाल आ गये। जिन्होंने परसाराम को देखा तो वह मर चुका था। फिर निकूराम जगपाल को साथ लेकर मेरे फूफा बादरराम की लाश के पास गांव के भगाराम, सुरजाराम आदि को छोड़कर रावतसर आया। और रावतसर में गिरधारीलाल जाट, ब्रजलाल मेघवाल, निकूराम द्वारा बताये गये अनुसार थाना आने का बताया जिस पर मैं उनको साथ लेकर इत्तला देने आया हूं। कारवाही की जावे। इस पर थाना रावतसर में एफ.आई.आर. संख्या 24/90 दर्ज करवायी। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस द्वारा मृतक परसाराम का डाक्टरी मुआयना करवाया गया। जिसमें डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण स्पोकेशन होना बताया गया। जबकि मृत्यु खुले मैदान में हुई है।

मृत्यु का कारण गुप्त अंगों पर चोट लगना है जबकि डाक्टर द्वारा मृतक के चोट आनी नहीं बताई है। यह रिपोर्ट डाक्टर ने गलत दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आप के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं

कि मृतक गरीब परसाराम हरिजन की पोस्टमार्टम को रिपोर्ट की जांच मुख्य चिकित्सालय-अधिकारियों का बोर्ड गठित करके करायी जावे और दोषी हत्यारों को कड़ी सजा दिलाई जावे जिससे गरीब हरिजन परिवार को न्याय मिल सके।

भवदीय,
ह०/-
रामस्वरूप मेघवाल
विधायक, रायसिंहनगर
वि. स. (146)

— × —

विषय :–विधान सभा की प्रक्रिया नियम सं. 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री महोदय/माननीय आयुर्वेद मन्त्री का ध्यान आकर्षण हेतु।

महोदय,

अकुशलता तथा दायित्वहीनता से आयुर्वेद विभाग किस तरह संत्रस्त है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी को उसके आदेशों की पालना भी नहीं करा पा रहा है परिणामस्वरूप अनुशासनहीनता उदण्डता चरम सीमा तक पहुंच गई है।

आयुर्वेद निदेशालय के आदेश क्रमांक 16191 दिनांक 30.6.90 की पालना में आयुर्वेद अधिकारी उदयपुर ने दिनांक 8.7.90 से श्री सत्यनारायण शर्मा कम्पाण्डर का आयुर्वेदिक चिकित्सालय सिन्धी बाजार, उदयपुर से आयुर्वेदिक चिकित्सालय फुलिया खुर्द जिला–भीलवाड़ा में स्थानान्तरण किया गया। श्री शर्मा द्वारा आदेश की पालना न होने पर आयुर्वेद अधिकारी ने दिनांक 21.7.90 व 31.7.90 से प्रभारी अधिकारी को लिखा गया। श्री सत्यनारायण शर्मा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त रहा है। पूर्व कांग्रेसी मन्त्रियों के संरक्षण के फलस्वरूप वे उदयपुर से जाने के लिए तैयार नहीं थे उन्होंने आयुर्वेद औषधालय के प्रभारी अधिकारी की रत्ती भर भी परवाह न की तथा कमरों पर ताले लगाकर छुट्टी लेकर चले गये। चिकित्सा प्रभारी अधिकारी ने श्री शर्मा को आदेश दिनांक 3.8.90 से कार्य मुक्त फुलिया खुर्द, भीलवाड़ा हेतु कर दिया तथा श्री शर्मा को रजिस्टर्ड-पत्र जारी कर दिया तथा सम्बन्धितों को सूचना दे दी। श्री शर्मा ने स्थानान्तरण पर अग्रिम राशि की मांग की जो कार्यालय आदेश दिनांक 31.7.90 द्वारा आयुर्वेद अधिकारी ने 2,200/- रु. दिए गए। इसी तरह एल. पी. सी. क्रमांक 5053 दिनांक 21.8.90 भी जारी किया गया।

लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि श्री शर्मा ने फुलिया खुर्द औषधालय में कार्य भार ग्रहण ही नहीं किया। तत्कालीन आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर की मिलीभगत व राजनीति संरक्षण के होते उन्हें कतई चिन्ता नहीं थी। इसी बीच अजमेर में अदालत

(399)

से स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश लेकर आ गये और आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर ने अपने आदेश दिनांक 26.10.90 के द्वारा इन्हें औषधालय सिन्धी बाजार, उदयपुर में नियमित कार्य पर आदेश दिये गये और श्री सत्यनारायण शर्मा दिनांक 27.10.90 से वापस सिन्धी बाजार औषधालय, उदयपुर में काम करने लग गये।

इससे स्पष्ट है कि जिला आयुर्वेदिक अधिकारी और निदेशालय में श्री सत्यनारायण शर्मा के प्रति विशेष सहानुभूति थी, जब श्री सत्यानारादण शर्मा को 3.8.90 को फुलिया खुर्द जिला-भीलवाड़ा, चिकित्सालय के लिए रिलीव कर दिया गया और एल. पी. सी. काट दिया गया तथा अग्रिम राशि दे दी तो वापस किये बिना इन तथ्यों को देखे अदालत की बात को बीच में लेकर 26.10.90 के आदेश से सिन्धी बाजार औषधालय, उदयपुर में रखे जाने की कोई तुक नहीं है। यह स्पष्टतः राज्यादेश का उपेक्षा और मनमाने रूप से एक व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण देने का मामला है। जिसमें तत्कालीन आयुर्वेद अधिकारी लिप्त है क्योंकि उन्होंने भी राज्य सरकार के विरुद्ध एक वाद उदयपुर न्यायालय में दायर किया था और स्थगन आदेश प्राप्त किया था जो बाद में खारिज हो गया। यह कहना कि श्री शर्मा को आदेश नहीं मिला और उनका रजिस्टर्ड पत्र वापस लौटकर आया तथा वे अवकाश पर थे। तर्कहीन, बेईमानी और प्रशासनिक शिथिलता का उदाहरण है। श्री शर्मा को रिलीव होने पर फुलिया खुर्द जाना चाहिए था और यदि वे चार्ज नहीं दे सके तो फुलिया खुर्द ड्यूटी ज्वोईन करके चार्ज देना श्री शर्मा को आदेशित किया जाना चाहिए था। श्री शर्मा को 21.8.90 से 26.10.90 तक अवकाश पर रहना बताया गया है यानी कि जिस दिन श्री शर्मा को प्रभारी चिकित्सा सिन्धी बाजार, उदयपुर ने कार्य मुक्त किया उसके दो दिन बाद से ही अवकाश पर चले गये इस बीच श्री शर्मा ने 4.8.90 को ऑन ड्यूटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। 5.8.90 व 6.8.90 को रविवार और रक्षा बन्धन का अवकाश था। श्री शर्मा ने 17.8.90, 21.8.90, 22.8.90, 6.9.90, 15.9.90, 6.10.90, 15.10.90 के ऑन ड्यूटी प्रमाण पत्र जिला आयुर्वेदिक अधिकारी को प्रस्तुत किया इसलिए यह माना जाना कि श्री सत्यनारायण शर्मा मिल नहीं रहे थे और उन्हें कार्य मुक्ति का पत्र देना सम्भव नहीं हो रहा था बिल्कुल गलत और एक व्यक्ति को इरादतन बचाव करने की बात है। श्री शर्मा ने गत चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के पर्चे छपवाये गये। लोगों को कांग्रेस को वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया और इस प्रकार वे राजनीतिक दल के प्रचार-प्रसार में लगे रहे। श्री शर्मा के स्थानान्तरणों को यों ही सामान्य बात नहीं लिया जा सकता उन्होंने आयुर्वेद अधिकारी चिकित्सालय के कमरों को अपने ऐशो-आराम की जगह बना ली, एक कमरा उनके सोने-रहने के काम में आने लगा और वे मरीजों, गरीबों और आने वालों की बिना चिन्ता किए एक सामन्त के समान रहने लगे। ऐसी स्थिति में जनता की मांग पर किये गये इस स्थानान्तरणों को उद्देश्यहीन करार देना सरासर राज्यादेश की उपेक्षा, जन-भावना के विरुद्ध और राजनीतिक संरक्षण अधिकारियों द्वारा दिया जाना है। उदयपुर की जनता में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है। श्री सत्यनारायण शर्मा अभी भी सिन्धी बाजार,

आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उदयपुर में है और प्रशासन लाचार होकर देख रही है। इससे ईमानदार और भले लोगों का प्रोत्साहन घटा है वे सही बात कहने में चिन्तित होने लगे है और अभी भी सिन्धी बाजार चिकित्सालय में जनता द्वारा किये गये विरोध की सूचना भी है। यह एक अत्यन्त लोक महत्व का विषय है। अतः इसकी माननीय मुख्य मन्त्री/माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यानाकर्षण हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय,
(शिवकिशोर सनाढ्य)
विधायक, उदयपुर क्षेत्र
विभाजन सं.-164

—×—

विषय :-प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री जी/माननीय अकाल-राहत मन्त्री जी का ध्यानाकर्षण हेतु।

महोदय,

राजस्थान में 1987-88 में पड़े भयंकर अकाल के समय मेवाड़ सहायता समिति ने अकाल राहत के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया उसकी जांच का क्या हुआ? और भ्रष्टाचारियों को दण्डित क्यों नहीं किया गया? इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक सूचनाएं अपेक्षित हैं।

राजस्थान में अप्रैल, 87 में मेवाड़ सहायता समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष पूर्व गृह मन्त्री गुलाब सिंह शक्तावत और कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गणेश डागलिया बने। श्री डागलिया ने राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठाते हुए मेवाड़ सहायता समिति के माध्यम से धन संग्रह किया। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अप्रैल, 87 से जुलाई, 88 तक यानी एक वर्ष तीन माह तक चारा वितरण हेतु 271 "चारा डिपो" खोले गये। इस अवधि में 7.15 लाख क्विंटल चारा वितरण करना बताया था जो लगभग 7 करोड़ रुपये का था। समिति ने जो परिवहन क्लेम किया वही लगभग 2 करोड़ 45.5 लाख रु. का जिसमें से सरकार ने तत्काल 2 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान समय-समय पर किया। मेवाड़ सहायता समिति ने पशुओं को मौत से बचाने हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को किसान तक पहुंचाने से पहले ही बहुत बड़ा भाग हजम कर लिया और सहायता समिति के नाम पर व्यवसाय शुरू कर दिया। इस समिति ने केन्द्र खोलने से पहले ही दो-दो हजार रुपये अग्रिम जमानत राशि वसूल की और इस प्रकार लाखों रुपये इकट्ठे किये तथा इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया। समिति ने घास देने वालों से भी पांच-पांच हजार रुपये अग्रिम लिये थे। समिति ने मई, 87 में जो सूखला की खरीद की थी, उस उक्त बाजार भ

45 से 55 रुपये प्रति क्विंटल था और समिति ने भी इसी भाव से यह खरीद की। सरकारी अनुदान 30 रुपये प्रति क्विंटल मिलने के बाद भी यह माल खरीद की कीमत पर ही बेचा गया। इस प्रकार 10 से 15 रुपये प्रति क्विंटल की अनुदान राशि में से रकम समिति द्वारा चुरा ली गई, जो लाखों रुपये बनती है। मेवाड़ सहायता समिति ने घास खरीद के लिए बाजार भाव की जांच के लिए कोई निविदाएं नहीं आमन्त्रित कीं। एक ही दिन में एक ही माल को अलग-अलग भाव से खरीदना आदि कई बातें संदेह के घेरे में लेती हैं। यहां तक कि समिति ने गन्ने की खरीद कम दाम पर की और अधिक दामों में बेचकर पैसा हड़प लिया।

सरकारी राशि की चोरी के कई मामले समिति में है। समिति ने एक गाड़ी दो-दो डिपो पर नकली रसीद बनाकर माल बेचना दर्शाया है और उससे मिलने वाली अनुदान राशि को हड़प लिया। यह कैसे सम्भव है कि एक ही नम्बर की दो गाड़ियां मात्र 1.30-2.00 घण्टे की अवधि में खाली हो जाएं। समिति जब सेवा कार्य कर रही है तो इस प्रकार व्यवसाय और भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए था। इस काण्ड की जांच की मांग लगातार उठती रही है। अतिरिक्त डिवीजन कमिश्नर, उदयपुर और जिला कलक्टर उदयपुर ने भी समिति से दिनांक 21.5.88 को स्पष्टीकरण मांगा लेकिन राजनीतिक प्रभाव के फलस्वरूप कुछ नहीं हुआ। संभागीय आयुक्त ने कुछ आरोपों को सही भी माना लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अतिरिक्त आयुक्त की रिपोर्ट के बाद भी मेवाड़ सहायता समिति को कटघरे में नहीं लाया गया। राजस्थान पत्रिका दिनांक 5.4.88 में समिति पर कई संगीन आरोपों के समाचार प्रकाशित हुए। इस प्रकार इस मेवाड़ सहायता समिति ने अकाल राहत के नाम पर भ्रष्टाचार और राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया है। इस समिति की विस्तारपूर्वक जांच करा सदन को तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिए और यदि राज्य सरकार ने कोई जांच कराई है तो उसकी रिपोर्ट सदन में रखी जाए। इस समिति को लेकर जनता में तीव्र असंतोष है। यह एक अतिरिक्त लोक महत्व का विषय होने से प्रस्तुत है। अतः माननीय मुख्य मन्त्री जी/अकाल राहत मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की अनुमति प्रदान करें।

भवदीय,
(शिवकिशोर सनाढ्य)
विधायक, उदयपुर क्षेत्र
विभाजन सं.-164

—×—

विषय :– नियम 295 के तहत प्रस्ताव

मान्यवर,

विकास विभाग पंचायत राज जयपुर में पांच कनिष्ठ लिपिकों को नियम विरुद्ध वर्ष 1990 में अस्थाई एक माह के लिए नियुक्त देकर यहां से स्थानान्तरण कर दिया एवं बाद में इनको स्थाई कर राज्य सेवाओं का उल्लंघन किया है जबकि सीधी भर्ती करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। इनकी नियुक्ति विभागीय पदों की मांग के अनुरूप विभाग लोक सेवा आयोग को लिखता है एवं वहीं से चयन कर नियुक्तियां दी जा सकती हैं इन पांचों पदों पर जो नियुक्तियां दी गई हैं ये पांचों ही पद अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये आरक्षित थे। जिनको नियुक्ति दी गई इनके नाम निम्न प्रकार से हैं :—

1. रेखा पारिख
2. रेखा माथुर
3. नौसाद खान
4. मदन शर्मा
5. अशोक शर्मा

अत: मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रस्ताव 295 के तहत मांग करता हूं कि इनकी नियुक्तियां रद्द की जावे एव सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

भवदीय,
ह०/–
(निर्भय लाल)
वि सं. 74

—X—

विषय :– दक्षिण राजस्थान के जिला बांसवाड़ा में माही डेम की भुगड़ा कैनाल का स्थगित पड़ा कार्य प्रारम्भ कर आने वाले वर्ष में किसानों को खेतों में पानी पिलाकर सन्तोष बाबत नियम 295 के तहत प्रस्ताव।

महोदय,

निवेदन है कि माही डेम की बांध का कार्य 1965 शुरू होकर 1985 में पूर्ण हो गया है। माही डेम की सम्बन्धित दाही मुख के नहर का कार्य बांसवाड़ा जिले से अन्य जिला डूंगरपुर में नहर का निर्माण चालू है।

(५०३)

यह है कि माही डेम की भुगड़ा कैनाल का कार्य गत वर्ष 1990 से स्थगित पड़ा है जहां का आदिवासी किसान माही डेम में पर्याप्त पानी के बावजूद भुगडा कैनाल का कार्य अपूर्ण होने की वजह से सूखे का सामना कर अन्य प्रदेश व जिलों में मजदूरी के लिए हर वर्ष भटकते रहते हैं।

अतः मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि माही डेम की भुगड़ा कैनाल का अधूरा पड़ा कार्य कि तत्काल सर्वे (जांच) करा युद्ध स्तर पर कैनाल का कार्य प्रारम्भ किया जाकर आने वाले वर्ष में किसानों की सूखी पड़ी भूमि में पानी पिलाया जाकर गांव सुमपुर गोरसा, गरनावट, घूघड़ा, बड़बड़ीया, वाड़गुज, उडवारा, भाटीया गढड़ा, पाड़ला, फूटिया डूगरी, मियासा, गोजराठौड़ मुड़ासेल, सिंगपुरा, कमजी का खेड़ा खुलासी तालाब, डूगर, कानड़ा, कायों का खेड़ा के गांवों के खेतों में पानी सप्लाई कराकर उक्त खेतों के सम्बन्धित किसानों को राहत दिलाई जाने की सरकार से मेरी मांग है।

भवदीय,
ह०/–
(नवनीतलाल नीनामा)
वि. स. 71

दिनांक 26.3.91

—×—

विषय :– प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत पीपल्दा तहसील के अठारहवां क्षेत्र में नरभक्षी भेड़िये को पकड़ने या मारने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

पीपल्दा जिला कोटा के अठारहवां नामक क्षेत्र जिसमें जटवाड़ा, बालूपा, बागली नीमोला आदि पंचायतों के करीब 50 गांव आते हैं में एक नर भक्षी भेड़िये का भारी आतंक छाया हुआ है। यह नरभक्षी भेड़िया पिछले एक माह से इस क्षेत्र में आया हुआ है। यह क्षेत्र चम्बल तथा पार्वती नदियों के किनारे तथा विभिन्न नालों के कंदरा क्षेत्र से घिरा हुआ है। यह भेड़िया इन कंदराओं में छिपा हुआ है यह नरभक्षी भेड़िया इन कंदराओं से निकल कर गांव में आता है अचानक हमला कर बच्चों को पकड़ लेता है तथा उन्हें फफेड़ कर खा जाता है या काट लेता है। यह भेड़िया गर्दन या मुंह पर वार करता है। इस प्रकार यह नरभक्षी भेड़िया आज तक करीब इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों में 3–4 बच्चों को मार चुका है तथा करीब 40–50 व्यक्तियों को काट चुका है। जिससे इस क्षेत्र में इस नरभक्षी भेड़िये का भारी आतंक व्याप्त है।

इस नरभक्षी भेड़िये की सूचना जिला प्रशासन को भी समय-समय पर दी जाती

रही है लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस नर भक्षी भेड़िये को पकड़ने या मारने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वन विभाग के कर्मचारी आते हैं और चले जाते हैं लेकिन इस क्षेत्र में रुक कर या कैम्प लगाकर इसे पकड़ने या मारने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिससे क्षेत्र में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

गांव वाले भी इस भेड़िये को अब तक मार चुके होते लेकिन पूर्व में भी इसी प्रकार इस क्षेत्र में एक शेर का आतंक था तथा प्रशासन के ध्यान नहीं देने से गांव वालों ने उसे आत्म रक्षा में मार दिया था जिसका केस अभी तक अचलगढ़ के नागरिकों पर चल रहा है। जिससे वे घबराये हुए हैं।

अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उक्त नरभक्षी भेड़िये को अविलम्ब पकड़ने या मारने की तुरन्त व्यवस्था करें तथा अभी तक प्रशासन ने इस गम्भीर मामले की ओर ध्यान नहीं दिया है अतः दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह०/-

दिनांक 26.3.91 (हीरा लाल आर्य)

वि. स. 192

—×—

विषय :– कुचामन सिटी पंचायत समिति के प्रधान की हठधर्मिता के कारण उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय,

कुचामन सिटी जिला नागौर के प्रधान श्री रामेश्वर लाल चौधरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद दुरुपयोग एवं नैतिक पतन के गम्भीर आरोप पूर्व में लग चुके हैं। जिला कलक्टर की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्टया आरोप सही पाये गये इस कारण पंचायत समिति अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत आरोप पत्र भी दिनांक 16.3.91 को जारी किया गया। प्रधान अपने विरुद्ध लगे आरोप के तथ्य नष्ट कराने की नीयत से वहां के विकास अधिकारी श्री मोहन लाल शर्मा को येन केन प्रकारेण इस पंचायत समिति से हटाना चाहते हैं। श्री मोहनलाल शर्मा विकास अधिकारी कुचामन पंचायत समिति में माह मई 1990 में लगाये हुये। उससे पूर्व प्रधान ने फर्जी कुएं फर्जी टांकों का भुगतान करवाकर पद का दुरुपयोग किया। पंचायत क्षेत्र घाटवा में दुकानों के पट्टे अधिकार नहीं होते हुए भी दिये। जो जिला कलक्टर की रिपोर्ट से प्रमाणित है। इन विकास अधिकारी के कारण ऐसे कर्मों पर रोक लग गई। तो प्रधान ने जान बूझ कर अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी चैकों पर हस्ताक्षर न कर इन कर्मचारियों को परेशान

405

करना चालू किया। प्रधान द्वारा इन विकास अधिकारी के समय न ही ऐसा सभाव उन्होंने आदतन रखा जबकि किसी विकास अधिकारी ने नेक नियत से काम कर इनकी फर्जी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हुए। तभी वे ऐसा करते रहे। जिला कलक्टर की रिपोर्ट क्र. 397 दिनांक 19.7.90 से प्रमाणित है। इस प्रधान के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की 302 व 307, 120 (सी) में मुकदमा दर्ज हुआ। सी.बी.आई. कोर्ट जयपुर में मकराना के बहुत चर्चित का चालान अर्जुनराम हत्या काण्ड का चालान पेश हो गया केस मा. सैशन जज कमिटेड हो गया। दिनांक 8.4.91 को चार्ज सुनाने की पेशी है। इस प्रकार से प्रधान पर नैतिक पतन का आरोप भी साबित है। इन सब कारणों से प्रधान द्वारा श्री मोहनलाल शर्मा के विरुद्ध झूठी शिकायतें की जा रही है। इन्होंने ही अपने ड्राइवर के मार्फत विकास अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में फांसने का षड्यन्त्र रचा गया तथा रिश्वत का असत्य केस बनाया गया किन्तु उच्च अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने पर श्री मोहन शर्मा विकास अधिकारी निर्दोष साबित हुये। वह उस केस में एफ. आर. लगाने के आदेश हो चुके हैं। इन तथ्यों को नीचे तक ग्रामीण विकास पंचायत राज मूल्यांकन, जयपुर में पत्र लिख कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। परन्तु प्रधान ने निदेशालय से सांठगांठ कर अधिकारियों को सही तथ्यों से अलग रख रखा है व किसी तरह विकास अधिकारी को बदनाम करना चाहते हैं। कुचामन पंचायत समिति में श्री मोहन लाल शर्मा विकास अधिकारी के पद पर नेक नियत से कार्य कर रहे हैं। अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान चैक पर प्रधान द्वारा काउन्टर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण अधिकारियों के आदेशों के अनुसार पांच-पांच हजार की चैक काट कर भुगतान करते हैं मैं राज्य सरकार को इस प्रस्ताव के द्वारा ध्यान आकर्षित कराकर अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधान अपनी हठधर्मी के कारण चैकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं जिला कलक्टर को निर्देश देकर प्रधान के स्थान पर चैक पर काउन्टर हस्ताक्षर कराने के अधिकार ए.सी.एम. नांवा व एस.डी.एम. परबतसर को देने का कष्ट करावें तथा प्रधान को दिये गये आरोप पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनके विरुद्ध नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करवाई जावें।

भवदीय,

ह०/–

(हरीश कुमावत)

वि.स. 187

दिनांक 26.3.91

—×—

विषय :– विधान सभा कार्य संचालन के नियमों की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सवाई मानसिंह अस्पताल के डा. छाजेड़ एवं डा. कमला माथुर एनेस्थेसिस्ट की लापरवाही से संजीव पारीक के अकाल मौत को पा जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में III सेमेस्टर के छात्र संजीव पारीक का एक मामूली एक्सीडेन्ट दिनांक 11.1.1991 शुक्रवार को शाम 7.30 बजे हुआ । दुर्घटना स्थल से एस. एम. एस. अस्पताल तक वह स्वयं स्कूटर चलाकर लगभग आधे घण्टे के अन्दर ही पहुंच गया । वहां इमरजेन्सी में ड्यूटी डाक्टर ने उसके होंठ पर टांके लगाये और Left Zygoma Fracture बताया । उसी समय न्यूरोलोजिस्ट डा. विमल सरदाना की सलाह पर अस्पताल में ही एक्स-रे निकलवाये जिनकी जांच करके डाक्टर ने सिर में किसी तरह की चोट होना नहीं बताया । प्लास्टिक सर्जन डा. गोयल ने लेफ्ट जिग्मा फ्रेक्चर के लिए आपरेशन की तारीख देकर संजीव को घर भेज दिया । 11.1.91 से 15.1.91 की सुबह आपरेशन से पहले तक संजीव पूर्णतया स्वस्थ व सामान्य था और उसको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी ।

दिनांक 15.1.91 को आपरेशन थियेटर नं. 1 में एनेस्थेसिस्ट डा. कमला माथुर और प्लास्टिक सर्जन डा. छाजेड़ की देख-रेख में उसका आपरेशन किया जाना तय हुआ था । संजीव स्वयं चलकर आपरेशन थियेटर में गया । उसे आपरेशन थियेटर में ले जाए जाने के बीस-पच्चीस मिनट बाद डा. छाजेड़ ने यह सूचना दी कि उसे आपरेशन टेबल पर ही कार्डियल अरेस्ट हो गया है और संजीव को आई. सी. यू. में रखना होगा ।

दिनांक 15.1.91 से 25.1.91 तक आई. सी. यू. में ही रह कर संजीव निरन्तर जीवन के लिए संघर्ष करता रहा । उसका प्राकृतिक श्वसन तन्त्र निष्क्रिय हो गया था इसलिए उसे कृत्रिम श्वसन तन्त्र द्वारा श्वांस दी जा रही थी । 25.1.91 को यह संघर्ष समाप्त हुआ, संजीव इस जीवन संघर्ष में हार गया । जीवन की रक्षा करने का दायित्व संजीव ने जिन लोगों को सौंपा उनकी भूल से उसे जीवन से हाथ धोना पड़ा ।

आई. सी. यू. में उसके रोग का निदान किया गया, ब्रेन डेमेज और उसका कारण बताया गया हाइपो-ओक्सिया अर्थात् आक्सीजन की कमी । सबसे पहले तो यही प्रश्न उठता है कि दस-पन्द्रह मिनट मात्र के एक माइनर आपरेशन में जिस आपरेशन का मस्तिष्क से कोई भी सम्बन्ध नहीं था, एक पूर्णतया स्वस्थ युवक का मस्तिष्क कैसे नष्ट हो गया, स्पष्टत: कारण था एनेस्थेसिस्ट की लापरवाही । सम्भावनाएं यही हो सकती है कि या तो नाइट्रस-आक्साइड और आक्सीजन का अनुपात संतुलित नहीं था या आक्सीजन सिलेण्डर में आक्सीजन ही नहीं थी और या फिर दोनों ही सिलेण्डर नाइट्रस-आक्साइड के थे । इसी कारण से आपरेशन के दौरान उसे कार्डियल-अरेस्ट हुआ । इस स्थिति में हृदय को पुन: क्रियाशील करने के लिए डी. सी. शॉक मशीन की

जरूरत थी जिससे तुरन्त बिजली का करण्ट देने पर उसका हृदय पुनः क्रियाशील हो सकता था। युवा होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावनाएं थीं कि कार्डियल-अरेस्ट हो जाने के बाद भी यथासमय उचित सहायता मिलने पर उसका हृदय इस झटके को झेलकर फिर से सक्रिय हो जाता। यह मशीन आपरेशन थियेटर में ही रहनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के लिए रहे, किन्तु यह मशीन आई. सी. यू. से लाई गई। उस मशीन के बाहर से लाने में लगे समय के कारण हृदय के काम न करने के कारण मस्तिष्क तक रक्त तथा आक्सीजन नहीं पहुंची अन्यथा लगभग पांच मिनट तक एक स्वस्थ शरीर हृदय द्वारा काम न करने पर भी मस्तिष्क को क्षति नहीं पहुंचती। ब्रेन डेमेज होने का सीधा सा अर्थ यही है कि पांच मिनट से अधिक समय तक हृदय निष्क्रिय रहा और मस्तिष्क तक आक्सीजन नहीं पहुंची। न ही आपरेशन थियेटर में वेन्टीलेटर उपलब्ध था जो प्राकृतिक श्वसन तन्त्र के निष्क्रिय हो जाने पर रोगी को तुरन्त श्वांस प्रश्वांस प्रदान कर सके। यह भी आई. सी. यू. से लाया गया। उल्लेखनीय है कि एनेस्थेसिस्ट का यह कर्तव्य बताया जाता है कि यह एनेस्थेसिया देने के बाद आपरेशन के दौरान वहीं उपस्थित रहे तथा थोड़ी भी असामान्यता देखते ही तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहे। जाहिर है कि एनेस्थेसिस्ट ने अपने कर्तव्य का भली-भांति पालन नहीं किया तभी कार्डियल-अरेस्ट की नौबत आई अन्यथा हृदय गति के विचलित होते ही यदि डाक्टर इस पर ध्यान देते तो संजीव को कार्डियल अरेस्ट नहीं होता न ही आक्सीजन की कमी की वजह से मस्तिष्क को क्षति पहुंचती। इनकी लापरवाही का ही कारण था कि उस दिन आपरेशन थियेटर नं. 1 में ही दो अन्य दर्दनाक घटनाएं हुईं। पहले राजाखेड़ा निवासी एक परिवार की चार वर्षीय एक बच्ची का टान्सोलाइटिस का आपरेशन हुआ जिसको टेबल हीं कार्डियल अरेस्ट हुआ एवं वह चल बसी। यही कहानी संजीव के आपरेशन के बाद दोहराई गई।

यद्यपि दिनांक 15.1.91 को ही डा. छाजेड़ एवं डा. कमला माथुर से स्पष्टीकरण मांगा गया परन्तु क्या स्पष्टीकरण दिया, वह अभी तक अज्ञात है। संजीव के अभिभावकों द्वारा प्रि. आपरेशन रिपोर्ट व सिर के एक्स-रे चाहे गये, जो नहीं दिये गये। दिनांक 25.1.91 को संजीव के देहान्त के बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों के दबाव के कारण अस्पताल के नियन्त्रक और प्रिंसीपल डा. वी. एम. भण्डारी द्वारा इस केस की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया जिसमें डा. वान्चू, डा. कैलाशराय, डा. आई. पी. गर्ग सदस्य थे। इसकी रिपोर्ट दिनांक 4 फरवरी तक दे दिये जाने का वायदा किया गया था। मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों के बारे में मेडिकल छात्रों द्वारा कक्षाओं का बायकाट करने पर भी छात्रों को कुछ नहीं बताया गया। संजीव के अभिभावकों द्वारा डा. भण्डारी से बार-बार पूछे जाने पर भी उन्हें भी जांच के निष्कर्षों से अवगत कराने में निरन्तर आना-कानी की जाती रही। इससे स्पष्ट है कि डा. भण्डारी एक भावी डाक्टर की जान की कीमत पर भी अपने सहयोगियों को बचाने के इच्छुक हैं।

इस तरह डाक्टरों की लापरवाही के कारण एक परिवार को अपने होने वाले

होनहार डाक्टर बेटे को खोना पड़ा। आये दिन इस तरह की लापरवाही होती रहती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिल-वाना चाहूंगा कि उचित माध्यम से जांच कर इस परिवार को न्याय दिलवायें व [illegible]जे स्वरूप पचास लाख रुपये दिलवायें। दोषी डाक्टरों को दण्डित करें ताकि [illegible] इस सेवा के कार्य को पूर्णरूपेण पेशा मानकर रोगी के साथ ऐसा निन्दनीय [illegible]र नहीं करें एवं ऐसे हादसों को फिर नहीं दोहराया जाये।

ह०/-
(राजेन्द्र पारीक)

—×—